23 July, 1986

लोक सभा वाद-विवाद

का

हिन्दी संस्करण

PARLIAMENT LIBRARY
Acc No. 5_8
Date 3/8/87

(आठवीं लोक सभा)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : चार रुपये

विषय-सूची

अष्टम माला, खंड 18 छठा सत्र, 1986/1908 (शक)

अंक 5, बुधवार, 23 जुलाई, 1986/1 श्रावण, 1908 (शक)

विषय			पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर :	...	...	1—21
*तारांकित प्रश्न संख्या : 82 से 84, 86 और 87			
प्रश्नों के लिखित उत्तर :	...	...	21—154
तारांकित प्रश्न संख्या : 85 और 88 से 101	...	...	21—28
अतारांकित प्रश्न संख्या : 718 से 726, 728 से 774, 776 से 803, 805 से 825, 827 से 859 और 861 से 898	...	...	29—149
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	...	...	154—158
राज्य सभा से संदेश	...	...	158
भारतीय विद्युत (संप्रेषण) विधेयक			
राज्य सभा द्वारा पारित रूप में	...	...	158
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति			159
बीसवां प्रतिवेदन	...		
अविलंबनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण		...	159—176
देश के विभिन्न भागों में बिजली की भारी कमी			
श्री जैनुल बशर	...	...	159—164
श्री बसंत साठे	...	...	161—162
	...	...	170—176

*किसी नाम पर अंकित † चिन्ह इस बात का द्योतक है कि उस प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

	श्री थम्पन थामस	...	164
	श्री टी० बशीर	...	166
	श्री हरीश रावत	...	167—169
	श्री आई० रामा राय	...	169—170
समिति के लिये निर्वाचन			
	राजभाषा समिति	...	176—177
लोकपाल विधेयक			
	संयुक्त समिति के लिये सदस्यों की नियुक्ति	...	177
लोकपाल विधेयक			
	संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिये समय बढ़ाना	...	177—178
नियम 377 के अधीन मामले		...	178—182
(एक)	अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सरकारी सेवाओं में उनके लिये आरक्षित कोटे के अनुसार रोजगार दिया जाना सुनिश्चित करने की मांग		
	श्री रामपूजन पटेल	...	178—179
(दो)	ऊनी गलीचा उद्योग को, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोई जिलों में और अधिक सुविधायें देने की मांग		
	श्री उमाकांत मिश्र	...	179
(तीन)	दिल्ली में सभी विद्यार्थियों को, विशेष कर लड़कियों को, कालेजों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये उपाय करने की मांग		
	श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर	...	179
(चार)	राजस्थान के गंगानगर जिले के भूमिहीन लोगों को बीकानेर और जैसलमेर में सरकारी भूमि आवंटित करने की मांग		
	श्री बीरबल	...	180
(पांच)	कृषि मंत्रालय द्वारा विदेशी पोत भाड़े पर लेने की योजना को पुनः चालू किये जाने को रोकने की मांग		
	श्री के० कुन्जम्बु	...	180—181

(छः) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल अस्पताल के कनिष्ठ डाक्टरों की हड़ताल समाप्त कराने के उपाय करने की मांग

श्री जैनुल बशर 181

(सात) मद्रास में गुत्तुकडु में सैन्ट्रल इंस्टीट्यूट आफ ब्रैक्कि वाटर एक्वाकल्चर स्थापित करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि ... ... 181—182

(आठ) विभागेतर डाक कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह 182

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा ... ... 182—271

श्री दिनेश गोस्वामी ... ... 183—186

श्री बलराम सिंह यादव ... ... 186—188

श्री पी० चिदम्बरम ... ... 188—199

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव ... ... 199—202

श्री अजीज कुरेशी ... ... 202—205

श्री दिग्विजय सिंह ... ... 205—206

प्रो० सैफुद्दीन सोज ... ... 206—213

श्री मूल चन्द डागा ... ... 213—215

श्री मनोरंजन भक्त ... ... 215—217

श्री पीयूष तिरकी ... ... 218—220

श्रीमती ऊषा ठक्कर ... ... 220—222

श्री टी० बशीर ... ... 222—224

श्री मोहम्मद महफूज अली खां ... ... 224—227

श्री केयूर भूषण ... ... 228—231

डा० ए० कलानिधि ... ... 231—233

श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही ... ... 234—235

श्री के०जे० अब्बासी ... ... 235—238

श्री सलीम आई० शेरवानी ... ... 238—240

श्री जी०एम० बनातवाला ... ... 240—243

श्री जनक राज गुप्त ... ... 243—247

डा० गौरीशंकर राजहंस ... ... 247—250

श्री राजकुमार राय ... ... 250—252

श्री काली प्रसाद पांडेय	...	...	252—253
डा० बी० एल० शैलेश	...	...	253—254
श्री मानेन्द्र सिंह	...	...	254—255
चौधरी सुन्दर सिंह	...	...	255—257
डा० दत्ता सामन्त	...	...	257—259
श्री गिरधारी लाल व्यास	...	...	259—260
श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक	...	...	260—261
श्रीमती डी० के० भंडारी	...	...	261
श्री राम नगीना मिश्र	...	...	261—262
श्री योगेश्वर प्रसाद योगेश	...	...	262—264
श्री सैयद शाहबुद्दीन	...	...	264—266
श्री एस० बी० सिदनाल	...	...	266—268
डा० गुलाम याजदानी	...	...	268—269
श्री डी० बी० पाटिल	...	...	269—271

लोक सभा

बुधवार, 23 जुलाई, 1986/1 श्रावण, 1908 (शक)

लोक सभा 11 बजे समवेत हुई।

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां

*82. **श्री नारायण चौबे** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्तियां देने से सम्बन्धित केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रायोजित योजना के अन्तर्गत राज्य सरकारों को ऐसे विद्यार्थियों को "एस० एस० सी०" के पश्चात् तकनीकी और वाणिज्यिक पाठ्यक्रमों के अध्ययन के लिए प्रति मास धनराशि देनी पड़ती है;

(ख) क्या उनका ध्यान दिनांक 27 मई, 1986 को "टाइम्स आफ इण्डिया" (दिल्ली) में "स्कालरशिप रैकेट बस्टिड" (छात्रवृत्ति कांड का भंडा फूटा) शीर्षक के अन्तर्गत प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है जिसमें यह बताया गया है कि गुजरात में जाली शिक्षा संस्थाओं के माध्यम से छात्रवृत्तियों का भुगतान करके सरकार को करोड़ों रुपयों की हानि पहुंचाई गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा० राजेन्द्र कुमारी वाजपेयी) : (क) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केंद्रीय प्रायोजित योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्ति की धनराशि राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों द्वारा पात्र छात्रों

को दी जाती है। छात्रवृत्ति की यह धनराशि उनके द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार ही दी जाती है।

(ख) से (घ) जी, हां। गुजरात सरकार द्वारा भेजी गयी जानकारी के अनुसार, झूठे प्रमाण-पत्रों के आधार पर, जाली संगठनों द्वारा छात्रवृत्ति प्राप्त किए जाने सम्बंधी आरोपों की जांच के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरों को सौंपा गया था। उन्होंने राज्य सरकार को सुझाव दिया है कि जांच कार्य पूरा करने से पूर्व वह संस्थानों की शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा पूरी करें।

श्री नारायण चौबे : आरोप बिलकुल सीधे लगाए गए हैं। घुमा-फिरा कर नहीं। समाचार-पत्रों में यह प्रकाशित हुआ है कि 137 संगठन जाली रूप से संस्थाएं चला रहे थे और कम से कम 3000 छात्र प्रतिवर्ष एक हजार रुपए या प्रतिमाह 1,035 रुपए के हिसाब से छात्रवृत्ति प्राप्त कर रहे थे। यहां तक कि एक माननीय संसद सदस्य श्री आर० वेलियुला ने सरकार का ध्यान इस ओर दिलाया है कि 1700 छात्रों ने करीब 23 लाख रुपए छात्रवृत्ति के प्राप्त किए और उन्होंने स्वयं इस बात की जांच की है कि एस० एस० सी० की परीक्षा पास करने के बाद केवल 5 ही छात्र शिक्षा पा रहे थे और इस तरह केवल 5 छात्रों को छात्रवृत्ति मिल रही थी। अत: इन सब बातों का उत्तर दिया गया। निश्चय ही गुजरात सरकार आंच-पड़ताल कर रही है, मैं केंद्रीय सरकार को दोष नहीं दे रहा। गुजरात सरकार ने यह मामला जांच के लिए भ्रष्टाचार विरोधी ब्यूरो को सौंप दिया है और उन्होंने जांच करने से पहले इन सभी संस्थानों को अपने लेखे की शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा कराने का सुझाव दिया है।

अत: मेरा प्रश्न यह है कि जिन 137 संगठनों के विरुद्ध प्रेस में आरोप लगाए गए हैं, उन आरोपों का क्या हुआ। यदि आप शत-प्रतिशत लेखा परीक्षा पूरी होने का इन्तजार करते हैं तो जांच का क्या होगा ?

अध्यक्ष महोदय : आप बहस मत कीजिए, प्रश्न पूछिये।

श्री नारायण चौबे : मेरा प्रश्न यह है कि क्या 700 छात्रों, जिन्हें 1,035 रुपये छात्रवृत्ति के मिल रहे थे, के मामले सिद्ध हो गये हैं। उन ठोस मामलों के सम्बन्ध में क्या कदम उठाये गए हैं ? कम से कम 2-3 मामलों की तो जांच की जा सकती थी। यदि आप शत-प्रतिशत छानबीन करना चाहते हैं तो यह जांच कभी नहीं हो सकेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री नारायण चौबे, आप यह बात कितनी बार दोहराएंगे ?

श्री नारायण चौबे : एक भी मामले की जांच को पूरा करने के लिए क्या किया गया है ?

श्री इन्द्रजीत गुप्त : वह इसे और ठोस बना रहे हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : वह मन्त्री महोदया से पूछ सकते हैं कि वह उनके भाषण से सन्तुष्ट हैं या नहीं ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अब्दुल गनी डोगर) : वह अपना भाषण दोहरा सकते हैं।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : गुजरात के मुख्यमन्त्री ने पूरे मामले की जांच के आदेश दिए हैं। समाज कल्याण मंत्री ने भी कहा है कि यह एक प्रत्यक्षदर्शी मामला बनता है और उन्होंने देखा कि कहीं कुछ गड़बड़ घोटाला है। इसलिए वे लेखा-परीक्षा की रिपोर्ट मिलने का इन्तजार कर रहे हैं। जांच शुरू हो गई है। ऐसा नहीं है कि लेखा परीक्षा की रिपोर्ट मिलने तक के लिए जांच रोक दी गई है। इस बीच बाकी छानबीन चलती रहेगी। गुजरात के समाज कल्याण विभाग को प्रथम रिपोर्ट मिल गयी है। विस्तृत रिपोर्ट उन्हें शीघ्र ही मिल जाएगी। फिर वे कार्यवाही करेंगे। गुजरात सरकार ने मुझे आश्वासन दिया है कि वे सप्ताह के भीतर कार्यवाही शुरू कर देंगे।

श्री नारायण चौबे : इस प्रकार सरकार इस बात से सहमत है कि यह मामला प्रत्यक्षत: सिद्ध है अथवा रिपोर्ट के अनुसार कुछ व्यक्तियों के विरुद्ध प्रत्यक्ष रूप से कुछ मामले सामने आए हैं। जब कभी रेलवे कर्मचारी हड़ताल करते हैं, तो सरकारी नियमानुसार अनुच्छेद 311 (2) (ग) लागू कर उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाता है। इन प्रत्यक्ष मामलों में यह सिद्ध होने के बाद कि इसमें कुछ गड़बड़ है, क्या कुछ लोगों को नौकरी से निलम्बित किया गया है या नहीं ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : वह रिपोर्ट हाल ही में मिली है। विस्तृत रिपोर्ट की प्रतीक्षा बिना ही उस पर कार्यवाही शुरू कर दी जाएगी। इतना आश्वासन मैं आपको दे सकती हूं।

डा० वी० वेंकटेश : छात्रवृत्तियों के वितरण में पूरे देश में इस तरह के गलत काम हो रहे हैं। मन्त्री महोदया का कहना है कि यह राज्य का मामला है। लेकिन यह समस्या पूरे देश में है। उदाहरण के लिए, हाल ही में मेरे राज्य में इसी तरह का घोटाला हुआ। तुरन्त मेरी सरकार ने यह निदेश जारी कर दिए कि सम्बंधी छात्रों को प्रत्यक्ष रूप से छात्रवृत्ति के चेक जारी किए जाएं। अत: मैं चाहता हूं कि जहां तक विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों को शिक्षा देने का सम्बन्ध है, केंद्र सरकार इस तरह की असंगतियों को दूर करने के लिए एक समान कानून बनाये जो सारे देश पर लागू हो।

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : छात्रवृत्ति देने का काम राज्य सरकार को सौंपा गया है क्योंकि प्रत्येक राज्य सरकार की अपनी-अपनी प्रक्रिया है। कुछ राज्यों ने चेक के रूप में छात्रवृत्ति देना शुरू कर दिया है। मैं समझती हूं कि यह सबसे बढ़िया तरीका है और अन्य राज्यों को भी ऐसा ही करना चाहिए।

श्री वी० वेंकटेश : क्या भारत सरकार पूरे देश में यह तरीका अपनाने जा रही है ?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : इसका विकेन्द्रीकरण किया गया है ताकि छात्रवृत्तियां ठीक से दी जा सकें।

[हिन्दी]

श्री राम भगत पासवान : जहां तक हरिजन और आदिवासियों को छात्रवृत्ति मिलने का सवाल है, इसमें कई प्रकार की खामियां है। महोदय, पहली तो यह है कि

अध्यक्ष महोदय : आप सवाल कीजिए।

श्री राम भगत पासवान : छात्रवृत्ति गुजरात में ही नहीं, दूसरी स्टेट्स में भी हरिजन छात्रों को छात्रवृत्ति मिलती है। अध्यक्ष महोदय, 1980 की छात्रवृत्ति 1984 में मिली और 1984 की छात्रवृत्ति 1986 में मिली। इस तरीके से छात्रवृत्ति मिल रही है। समय पर छात्रवृत्ति मिलने के कारण इसका बहुत दुरुपयोग हो रहा है।

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न कीजिए।

श्री राम भगत पासवान : हम सवाल पूछ रहे हैं। जो छात्रवृत्ति मिलती है उसका 75 परसेंट अधिकारियों की पोकेट में चला जाता है। इन सब खामियों को दूर करने के लिए माननीय मंत्री महोदय ···

अध्यक्ष महोदय : मंत्री महोदया हैं।

श्री राम भगत पासवान : ने क्या कार्यवाही की है? क्या आप ऐसा कोई आयोग बिठायेंगे, क्या स्टेट्स को कोई डायरेक्शन देंगे ताकि जो इस प्रकार की खामियां हैं वे दूर हो सकें?

डा० राजेन्द्र कुमारी बाजपेयी : अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य ने जो चिंता व्यक्त की है, इस सिलसिले में मुझे यह कहना है कि हमारा जो शेड्युल्ड कास्ट्स और शेड्युल्ड ट्राइब्स की पोस्ट-मैट्रिक स्कालरशिप देने का तरीका है, उस तरीके में सुधार लाने के लिए, मार्च में हमने एक कमेटी बिठायी है जिसमें अपने एडीशनल सेक्रेटरी और कुछ आफिसर्स हैं जो कि इस बात की गहराई में जायेंगे कि इसमें और क्या सुधार लाया जा सकता है जिससे कि गरीब बच्चों को समय पर स्कालरशिप मिले और यदि कहीं पर करप्शन या कोई और ऐसी चीज है तो उसको ठीक किया जा सके।

गोपनीय दस्तावेजों की फोटो कापी बनाने और टाइप करने का उप-ठेका

*83. **श्री मानिक साल्याल†**
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलेक्ट्रानिक्स लि० बंगलौर के प्रबन्धकों ने कारखाने के भीतर टाइपिस्ट और फोटो कापी बनाने की मशीनें होते हुए भी रक्षा सम्बन्धी गोपनीय दस्तावेजों की फोटो कापी बनाने अथवा टाइप करने का उप-ठेका दिया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं;

(ग) इस तरह का निर्णय कहां, कब और किस स्तर पर लिया गया था; और

(घ) क्या इस प्रक्रिया की समीक्षा करने का प्रस्ताव है?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मंत्री (श्री सुख राम) : (क) यह सही नहीं है कि भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० बंगलौर ने गोपनीय दस्तावेजों की फोटो कापी बनाने या टाइप करने के लिए उपठेका दिया है। केवल उन्हीं दस्तावेजों को टाइप करने या उनकी फोटो कापी करने का उप-ठेका दिया गया था जो गोपनीय प्रकृति के नहीं थे।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

(घ) अवर्गीकृत दस्तावेजों को भी टाइप करने और उनकी फोटोकापी बनाने के लिए उन्हें भारत इलैक्ट्रानिक्स लि० के परिसर से बाहर देने की प्रक्रिया को समाप्त करने के बारे में अनुदेश पहले ही जारी किए जा चुके हैं।

श्री मानिक साग्याल : मैं चाहूंगा कि मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर देने से पहले संबंधित मंत्री महोदय को बी० ई० एल० प्राधिकरण को यह निदेश देना चाहिए कि गुप्त दस्तावेज उप-ठेकेदारों को न सौंपें जाएं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार रक्षा संस्थान के प्रति ऐसा रवैया क्यों अपना रही है जबकि हमारे देश में विदेशी जासूस बहुत सक्रिय हैं। यह मेरा पहला अनुपूरक प्रश्न है।

श्री सुख राम : इसमें कोई असावधानी नहीं बरती गई है। यह निर्देश इसलिए दिये गए हैं ताकि भविष्य में कोई कठिनाई न हो। अन्यथा, जहां तक इस उपक्रम का संबंध है, यह बड़ा नामी उपक्रम है और वे इन मामलों में पूरी सतर्कता बरत रहे हैं। यह खबर किसी संघ के अध्यक्ष द्वारा और महासचिव द्वारा दी गई है। यह खबर बिलकुल गलत थी और यू० नो० आई० ने जो मैं समझता हूं कि बड़ी महत्त्वपूर्ण एजेंसी हैं, यह खबर प्रकाशित की थी जबकि यह एजेंसी खबरों की जांच पड़ताल कर लेती है। लेकिन इस मामले में मैंने, पता लगाया कि उन्होंने समाचार की जांच नहीं की और ऐसी कहानी गढ़ी जिससे लोगों के मन में घबराहट बैठ गई।

श्री मानिक साग्याल : मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि कब और किस स्तर पर यह निर्णय लिया गया कि रक्षा संबंधी दस्तावेजों के मामले में गैर सरकारी एजेंसी की सहायता ली जाए? क्या इस मामले की पूरी जांच की जानी है, क्योंकि यह बड़ा गंभीर मामला है? फोटो कापी और टाइप के प्रबंध वहां है किंतु फिर भी मंत्रालय इनका उप-ठेका दे रहा है। यह बड़ा गंभीर मामला है और मैं समझता हूं कि इस पर किसी अन्य तरह से विचार किया जाना चाहिए।

श्री सुख राम : यदि माननीय सदस्य ने मेरी बात ध्यान से सुनी हो तो वह देखेंगे कि यह मामला बिल्कुल भी गंभीर नहीं है क्योंकि फोटो कापी बनाने के लिए जो दस्तावेज दिए गए··· (व्यवधान)

श्री मानिक साग्याल : महोदय, क्या उन्हें तथ्य की जानकारी है···(व्यवधान)

सैफुद्दीन चौधरी : उप-ठेकेदार नियुक्त करने की क्या जरूरत थी···(व्यवधान)

श्री सुख राम : हमें भी राष्ट्र की चिंता है। यह केवल विपक्ष का ही एकाधिकार नहीं है। हमें भी इसकी चिंता है···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : उन्हें विपक्षी दल पर छींटाकसी नहीं करनी चाहिए···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह संयुक्त रूप से किया गया है।

श्री सुख राम : जैसा कि मैंने पहले बताया कि केवल उन्हीं दस्तावेजों को फोटो काफी और टाइप के लिए दिया गया जो गुप्त नहीं थे और उसका कारण यह था कि फोटो कापी की मशीन में खराबी हो गई थी···(व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : इससे देश की रक्षा नहीं होगी ऐसे कारखाने में मशीन का खराब होना (व्यवधान)

श्री अनिल बसु : महोदय, वे अवर्गीकृत दस्तावेज कौन से हैं। क्या मंत्री महोदय उन्हें सभा के समक्ष रखेंगे ?

श्री सुख राम : वे दस्तावेज ज्यादा गंभीर था गुप्त किस्म के नहीं थे···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : हमें उसका पता कैसे चलेगा। महोदय उन्हें वे दस्तावेज यहां प्रस्तुत करने चाहिए···(व्यवधान)

श्री मानिक साम्याल : वे अगोपनीय दस्तावेज कौन से है, मंत्री महोदय को इस बारे में बताना चाहिए।

श्री सुख राम : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि यदि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी मिली है तो मैं निश्चय ही इसकी जांच कराऊंगा···(व्यवधान)

श्री अनिल बसु : जबकि हम कम्प्यूटर युग में प्रवेश कर रहे हैं, मंत्री महोदय टंकण और फोटो कापिंग मशीनों के खराब होने की बात कर रहे हैं·· (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : हमारी व्यवस्था में भी खराबी आ गई है। पहले ही दिन हमने देखा कि श्रमिक संघ के नेता के साथ कटु व्यवहार किया गया। दो दिन पहले ही सभा में श्रमिक संघ-विरोधी रुख अपनाया गया और पुनः इस मंत्री महोदय ने ऐसा किया है। सरकार यह रवैया अपना रही है। (व्यवधान) खैर, मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर दिलाना चाहता हूं कि 11 तारीख को राज्य सभा में इन्हीं मंत्री महोदय ने इसी प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था—"जी नहीं महोदय, प्रश्न ही नहीं उठता।" चार ही दिन बाद उन्होंने उत्तर दिया—अगोपनीय दस्तावेज दिए गए हैं। वे संसद में ऐसा कर रहे हैं। एक दिन वह अलग उत्तर दे रहे हैं और दूसरे दिन कुछ और उत्तर दे रहे हैं। सरकार संसद तथा श्रमिक संघ के प्रति ऐसा रुख अपना रही है।

प्रो० एन० जी० रंगा : प्रश्न भिन्न भी हो सकता है। (व्यवधान)

श्री हन्नान मोल्लाह : जो भी हो, मैं चाहता हूं कि इन तथ्यों की जांच कराई जानी चाहिए और उस जांच की रिपोर्ट सभा के समक्ष रखी जानी चाहिए। जब रक्षा सम्बंधी मामले में किसी प्राइवेट पार्टी को इस तरह का ठेका दिया गया है तो सभा को इसकी जानकारी दी जानी चाहिए। क्या मन्त्री महोदय ऐसा करेंगे ?

श्री सुख राम : मैं नहीं जानता कि माननीय सदस्य ने यह अनुमान कैसे लगा लिया कि हमने श्रमिक संघों के प्रति कटु रुख अपनाया है। वास्तव में हमारी सरकार और हमारा दल श्रमिक संघवाद के पक्ष में है। हमने श्रमिक संघों के कल्याण के लिए एक विधान पारित किया है। अतः श्रमिक संघ के प्रति ऐसा स्वैच्छिक रुख अपनाए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरा अनुरोध है कि संघ को भी जिम्मेदारी पूर्ण व्यवहार करना चाहिए। उन्हें बाहर गलत प्रभाव नहीं डालना चाहिए। दूसरे माननीय सदस्य ने अभी कहा है कि एक ही प्रश्न का अलग अलग उत्तर दिया

गया है। प्रश्न का समान उत्तर दिया गया है। राज्य सभा में प्रश्न के भाग (क) का उत्तर देते हुए मैंने कहा.....

अध्यक्ष महोदय : राज्य सभा के किसी प्रश्न का जिक्र नहीं किया जाना चाहिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य को ऐसा नहीं करना चाहिए था। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए।

श्री सुखराम : मैंने भाग (क) में इसका जिक्र किया है। अतः दोनों जगह समान उत्तर दिया गया है। इसमें कोई फर्क नहीं है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि उन्होंने जो दस्तावेज दिए थे वे गोपनीय प्रकृति के नहीं थे और इस बारे में पहले ही निदेश जारी किए जा चुके हैं कि भविष्य में ऐसा न किया जाए और चूंकि प्रबंधकों का रवैया कपटपूर्ण नहीं था, इसलिए जांच कराने का प्रश्न ही नहीं उठता।

श्री प्रियरंजन दास मुंशी : क्या यह सच है कि गोपनीय तथा अगोपनीय दोनों तरह के दस्तावेजों के बारे में संघ नेताओं को नहीं बताया जा सकता। ये सभी दस्तावेज रक्षा संस्था बिना किसी को उप ठेका दिए स्वयं उसे पुन. छाप सकती है अथवा उनकी कापी करवा सकती है। क्या मंत्री महोदय इस सम्बंध में श्रमिक संघ के इस विशेष व्यक्ति की ओर ध्यान देंगे जिसकी अपनी राजनैतिक पहचान है और जिसने 1962 में चीन द्वारा किए गए आक्रमण का खुले आम समर्थन किया ? (व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी : चीन द्वारा किए गये आक्रमण का किसने समर्थन किया था ? उसका उत्तर नहीं दिया गया है। (व्यवधान)

रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं के लिए भूमि

*84. **डा० वी० वेंकटेश :** क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को देश के विभिन्न भागों में भूमि दी जाती है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए क्या नियम हैं;

(ग) क्या किसी रक्षा कर्मचारी की विधवा को कर्नाटक में भूमि दी गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है ?

रक्षा अनुसंधान तथा विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ख) रक्षा कर्मचारियों की विधवाओं को देश के विभिन्न भागों में भूमि आवंटित करने का मामला राज्य का विषय है और उस पर सम्बंधित राज्य को नियम लागू होते हैं। इस सम्बंध में सूचना/नियमों को एकत्रित किया जा रहा है और सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

डा० वी० वेंकटेश : समस्या यह है। सैनिक देश की सेवा कर रहे हैं और वे भी अपने बच्चों तथा पत्नि के साथ रहते हैं। रणक्षेत्र में पति अपनी जान गंवा देते हैं। उस दौरान यह सब होता है कि इन सैनिकों द्वारा खरीदी गई भूमि विभिन्न राज्यों के वर्तमान कई भूमि सुधार अधिनियमों के अन्तर्गत छीनी जा रही है। विधवाएं जब अपने देश वापिस आती हैं तो

पति की मृत्यु के साथ-साथ उनसे विशेष राज्य में खरीदी गई भूमि भी ले ली जाती है। सब राज्यों के भूमि सुधार नियम भिन्न-भिन्न हैं। क्या रक्षा कार्मिकों की पत्नियों के लिए कोई विशेष उपबंध बनाया गया जिसके अन्तर्गत उनकी भूमि उन्हें वापिस मिल सके? क्या भारत सरकार ने इस सम्बंध में कोई निदेश जारी किए हैं?

श्री अरुण सिंह : जैसा कि मैंने कहा, सूचना एकत्र की जा रही है और इसे सभा पटल पर रखा जाएगा। मैं इस प्रश्न के बारे में एक बात कहना चाहता हूं।

प्रश्न यह है "रक्षा कार्मिकों की विधवाओं को 1947 के बाद देश के विभिन्न भागों में भूमि आबंटित की गई।" अतः पूरी जानकारी एकत्र करनी होंगी। तथ्यों के आधार पर इसका जिक्र विस्तृत रूप से किया जा सकता है। विधवाओं को तीन या चार वर्गों में बांटा जा सकता है। उदाहरण के लिए उन रक्षा कार्मिकों की विधवाएं जिन्हें वीरता पुरस्कार दिए गए। उन कार्मिकों की विधवाएं जो युद्ध में मारे गए। उन रक्षा कार्मिकों की विधवाएं जिनकी मृत्यु शांति-काल के दौरान हुई। इनमें भूतपूर्व सैनिकों की विधवाएं भी शामिल हैं और इस तरह कुछ विधवाओं की संख्या काफी अधिक है। इस प्रश्न में जो जानकारी मांगी जा रही है वह विशेष रूप से उन विभिन्न अधिनियमों से संबद्ध नहीं है, जिनका जिक्र माननीय सदस्य ने किया है। इस-लिए मुझे जानकारी एकत्र करने और देने के लिए समय चाहिए।

डा० वी० वेंकटेश : मेरा अगला अनुपूरक प्रश्न यह है : भारत सरकार ने उन सैनिकों के परिवार के सदस्यों के लिए साधारण पारिवारिक पेंशन की स्वीकृति दी है, जो 1 जनवरी 1984 से पहले सेवानिवृत्त हुए थे। वे इस विशेष पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आते। मैं विशेष रूप से यह जानना चाहता हूं। हाल ही में भूतपूर्व-सैनिकों की समस्याओं के सम्बन्ध में एक उच्च स्तरीय समिति बनाई गई थी और उन्होंने रिपोर्ट दर्ज की है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार उनकी समस्याओं से पूरी तरह अवगत है? जहां तक इन भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं का सम्बन्ध है? उनके कल्याण के लिए अब तक उन्होंने क्या उपाय किए हैं?

श्री अरुण सिंह : मैं सभा को यह आश्वासन देना चाहता हूं कि भारत सरकार इस समस्या से पूरी तरह अवगत है। शुरूआत के तौर पर हमने अतिरिक्त सचिव के अंतर्गत मंत्रालय का विभाजन किया है जिसका मूल उद्देश्य भूतपूर्व सैनिकों, रक्षा कार्मिक की विधवाओं तथा रक्षा कार्मिकों के बच्चों के कल्याण के लिए सभी राज्यों के सभी कानूनों में तारतम्य बनाये रखने की कोशिश करना होगा। इसी कारण ये है कि ये विभिन्न राज्य अलग-अलग दृष्टिकोण अपना रहे हैं। इस विशेष कार्य की शुरूआत राज्य सरकारों के साथ आवश्यक चर्चाएं करके की जाएगी और हमारा प्रयास होगा कि रक्षा कार्मिकों और परिवार के लिए पूरे देश में समान उपाय करने की व्यवस्था की जाए।

श्री अजय मुशरान : जैसा कि मंत्री महोदय ने बताया है भूतपूर्व सैनिकों तथा उनके आश्रितों के कल्याण के लिये रक्षा मंत्रालय में एक विशेष प्रखंड बनाया गया है। मैं यह बात माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि इस विशेष प्रखंड के उत्तरदायित्व और कर्तव्य निर्धा-रित करने में कितना समय लगेगा? क्या इन नियमों और विनियमों में यह बात भी निर्धारित

की जायेगी कि उस प्रखंड के अधीन भूतपूर्व सैनिकों, उनकी विधवाओं और युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं आदि को कितनी सहायता दी जायेगी ? मैं विशेष कर 20 सूत्री कार्यक्रम को ध्यान में रखकर यह बात पूछ रहा हूं जिसमें कृषि भूमि के वितरण के मामले में गरीबी की रेखा से नीचे जीवन बिताने वाले निर्धन व्यक्तियों को प्राथमिकता प्रदान की गई है। क्या सैनिकों तथा भूतपूर्व सैनिकों की इस श्रेणी की भी कृषि के लिए भूमि को पात्र श्रेणी में शामिल किया जाएगा ? मैं यह पूछना चाहता हूं।

श्री अरुण सिंह : महोदय, इस प्रखण्ड के कार्य की आधार सीमाएं निर्धारित हैं। इसे भूतपूर्व सैनिकों और ऐसे रक्षा कर्मचारियों के परिवारों के मामलों का निपटारा करना पड़ेगा जिन्होंने देश हित के लिये अपना जीवन बलिदान कर दिया है।

जहां तक भूमि के नियतन करने आदि के मामले का सम्बन्ध है, महोदय, जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं, यह विषय मूल रूप से राज्य से सम्बन्धित है और उसके सम्बंध में न तो कोई ऐसा कानून बना सकते हैं अथवा प्रशासनिक आदेश ही जारी कर सकते हैं जिसके प्रति राज्य बद्ध हों। इस कार्य को हमें पारस्परिक बात-चीत और विचार-विमर्श करके तथा राज्य सरकारों की समस्याओं को समझकर और इसे कार्यान्वित करने की चेष्टा करके निपटाना होगा। किन्तु वास्तव में इसे किया जाएगा।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : महोदय, मैं यह जानना चाहता हूं कि सरकार भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर मानकर उन्हें सीधी पेंशन देने के बारे में विचार करेगी ?

श्री अरुण सिंह : मैं इसका मतलब नहीं समझ पाता,—विधवाओं को पेंशन सीधे ही दी जाती है।

श्री एम० रघुमा रेड्डी : प्रश्न यह है कि क्या भूतपूर्व सैनिकों की विधवाओं को स्वतंत्रता सेनानियों के बराबर समझा जाता है और उन्हें उनके बराबर पेंशन बराबर दी जायेगी जैसाकि कर्नाटक सरकार कर रही है।

श्री अरुण सिंह : महोदय, मैं इस प्रश्न का उत्तर देने में असमर्थ हूं क्योंकि इन दोनों बातों में कोई समता नहीं है। भूतपूर्व सैनिकों अथवा कार्यरत सैनिक कार्मिकों की विधवाओं और पारिवारिक सदस्यों को उनके पतियों द्वारा अर्पित सेवा के आधार पर कुछ पेंशन पाने का अधिकार है। इसलिये, ये दोनों प्रश्न एक दूसरे से सम्बंधित नहीं हैं।

गांधी शांति प्रतिष्ठान सम्बन्धी कुदाल आयोग

*86. **श्री एच० एम० पटेल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गांधी शांति प्रतिष्ठान और संगठनों के कार्यों की जांच कर रहे कुदाल आयोग ने अपना पांचवा अंतरिम प्रतिवेदन सरकार को प्रस्तुत कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो कुदाल आयोग के पांचवे अंतरिम प्रतिवेदन में मुख्य निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या कुदाल आयोग गत अनेक वर्षों से लगातार अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर रहा है; और

(घ) क्या सरकार का विचार कुदाल आयोग को समाप्त करने के बारे में अन्तिम निर्णय लेने का है और यदि हां, तो कब ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) कुदाल आयोग ने सरकार को अब तक पांच अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किए हैं। पहला अंतरिम प्रतिवेदन 4 दिसम्बर, 1985 को और दूसरा तथा तीसरा 7 मई, 1986 को पटल पर रखा गया था। चौथा तथा पांचवां अंतरिम प्रतिवेदन सरकार के विचाराधीन है। कुदाल आयोग को समाप्त करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, मंत्री महोदय को पता है कि कुदाल आयोग की नियुक्ति फरवरी 1982 में की गई थी और उसे अपना प्रतिवेदन 31 जुलाई, 1982 तक या इससे पहले प्रस्तुत करने को कहा गया था। इसके बाद, जैसा कि आपने कहा, पांच अंतरिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जा चुके हैं और चौथे तथा पांचवें प्रतिवेदन की जांच की जा रही है। समय में की गई जो वर्तमान बढ़ोतरी है वह 31 जनवरी, 1986 को समाप्त हो रही है, उसके बारे में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है कि वह समय और बढ़ाया जायगा अथवा उसे बंद किया जायगा। आपके उत्तर से यह प्रतीत होता है कि आपने इसका कार्यकाल बढ़ाने का निर्णय लिया है। किन बातों को ध्यान में रखकर आपने ऐसा निर्णय लिया है ? यह इतना समय क्यों ले रहा है ? क्या मंत्री महोदय को पता है कि उसका पहला अंतरिम प्रतिवेदन···

अध्यक्ष महोदय : इस पर चर्चा न करें। प्रश्न पूछें।

श्री एच० एम० पटेल : महोदय, यह आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय : मैं प्रतिवेदन पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दे सकता हूं। आप प्रश्न पूछिये।

श्री एच० एम० पटेल : यह बहुत आवश्यक है, महोदय। ठीक है, मैं बैठ जाता हूं। (व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : आयोग का कार्यकाल 31 जुलाई को समाप्त होगा, न कि उस तारीख को जिसका उल्लेख माननीय सदस्य ने किया है। और जैसा कि मैं मुख्य प्रश्न के उत्तर में कह चुका हूं, हमने कुदाल आयोग को बंद करने का निर्णय नहीं लिया है। यदि आप मुझसे कारण पूछते हैं, तो मैं कारणों की लम्बी सूची देने को तैयार हूं। पर्याप्त कार्य हैं जिसे हम चाहते हैं कि आयोग उसे पूरा करे !

श्री एस० जयपाल रेड्डी : वह कौन-सा कार्य है, महोदय ? उन्हें सूची पढ़ने दीजिये, महोदय। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप उसे सभा पटल पर रख सकते हैं।

सरदार बूटा सिंह : जी हां, महोदय। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : अब प्रश्न कैसे पूछा जा सकता है ? यदि वह उत्तर देंगे तो हम और प्रश्न पूछना चाहेंगे।

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उत्तर है ? क्या उन्होंने कारण सभा पटल पर रख दिये हैं ?

अध्यक्ष महोदय : यही काम उन्हें करना है ।

श्री एच० एम० पटेल : जब वह कारण बताने को तैयार हैं, ताकि हमें अनुपूरक प्रश्न पूछने का अवसर मिल सके, तो हर्ज ही क्या है ?

अध्यक्ष महोदय : वह उसे सभा पटल पर रखेंगे ।

(व्यवधान)

श्री एच० एम० पटेल : इसके बारे में जाने बिना अनुपूरक प्रश्न किस प्रकार पूछा जा सकता है ?

प्रो० मधु दण्डवते : क्या उन्हें इस बात का पता लगाने सभा पटल तक जाना होगा कि वह क्या है ? उसका सार तो बता ही देना चाहिये !

अध्यक्ष महोदय : यदि आप चाहते हैं कि वह उसे पढ़ें, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं । इससे सभा का समय ही खर्च होगा ।

श्री थम्पन थामस : आप इस विषय पर चर्चा करने की अनुमति क्यों नहीं देते ?

सरदार बूटा सिंह : आयोग को काम चालू रखने की अनुमति देना क्यों आवश्यक समझा गया, ये कारण निम्न हैं;

(एक) आयोग ने अब तक जितना कार्य पूरा किया है, उसे ध्यान में रखते हुए आयोग द्वारा अब तक प्रकाश में लाये गए मामलों की गंभीरता और उस समय आयोग के समक्ष जितना कार्य शेष पड़ा है उसकी अधिकता को देखते हुए ?

(दो) कुछ संगठन आयोग के विरुद्ध प्रचार कर रहे हैं ताकि आयोग और अधिक ऐसे तथ्य प्रकाश में न ला सके जिनसे अनेक स्वयं सेवी संगठनों की दृष्टि में उनकी जो विश्वसनीयता बनी हुई है उसे गंभीर धक्का न पहुंचे;

(तीन) राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त कुछ ऐसे संगठनों का पता चला है जो सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों के छद्मवेश में विदेशी धन से पोषण करने वाली विभिन्न एजेन्सियों को देश के विभिन्न प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों के नक्शे बड़ी संख्या में तैयार करने, प्रकाशित करने तथा उन्हें सप्लाई करने का काम करते हैं;

(चार) आयोग ने ऐसे मामलों में जांच आयोग अधिनियम की धारा 8 (ख) के अन्तर्गत अनेक नोटिस भी जारी किये हैं जिसमें वह स्वयं इस बात से संतुष्ट है कि विदेशी धन से पोषण करने वाली विभिन्न एजेन्सियों को देश के कानूनों का घोर उल्लंघन करते हुए देश के प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों के नक्शे बड़ी संख्या में तैयार करने और प्रकाशित करने तथा निर्यात करने के आरोप प्रत्यक्षदर्शी रूप से सिद्ध होते हैं । इसी प्रकार आयोग ने ऐसे संवेदनशील मामलों में भी धारा 8 (ख) के अन्तर्गत या तो नोटिस जारी किये हैं अथवा जारी किये जाने वाले हैं जिनका संबंध बिहार के हजारी बाग जिले के कुछ क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण । फोटोग्राफ पश्चिम जर्मनी के ई० जैड० ई० को सप्लाई करने से है अथवा ए० वी० आर० डी० और गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज वाराणसी और सी०आई०ए० की प्रमुख संस्था एशिया फाउन्डेशन के साथ सम्पर्क स्थापित करने से है, या सर्व सेवा संघ और स्विश इन्टरनेशनल डेव-लपमेंट एजेंसी के साथ ताल-मेल करके सरकार को विस्था-

पित करने का है, अथवा गांधीयन इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी द्वारा अमरीकी राजदूतावास और फोर्ड फाउन्डेशन से सीधे ही विदेशी मुद्रा प्राप्त करने से है, या गांधी पीस फाउन्डेशन द्वारा देश को क्षुधा-पीड़ित पट्टी से जीव-विज्ञान संबंधी आकड़े एकत्र करके विदेशी एजेन्सियों को सप्लाई करने से है जिससे कि जीवाणु युद्ध पर अनुसंधान करने में सहायता मिले सके, अथवा उत्तेजनात्मक सूचना प्रकाशित और परिचालित करने से है

···(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : आयोग इन मामलों की जांच करेगा।

सरदार बूटा सिंह : आयोग इन घटनाओं की भी जांच करेगा। इन मामलों की जांच का कार्य अन्तिम चरणों में है, और शायद दो-तीन माह में पूरा हो जाएगा। इसके पश्चात् आयोग अपनी रिपोर्ट तैयार करेगा और इन संगठनों द्वारा अपनी जासूसी गतिविधियों के लिए अपनाई गई कार्य प्रणाली के बारे में सरकार को विशिष्ट सिफारिशें करेगा।

उपर्युक्त संवेदनशील मामलों के अतिरिक्त आयोग के पास इस समय 400 आरोप हैं, जिनमें से 100 मामलों की जांच विभिन्न चरणों में हैं।

आयोग से संबंधित कई मामले विभिन्न उच्च न्यायालयों में विचाराधीन हैं। 22 मामलों में उच्च न्यायालयों द्वारा दिये गए स्थगन आदेश के तहत जांच रोक दी गई है। दिल्ली उच्च न्यायालय के सामने एक महत्वपूर्ण मामला···(व्यवधान)···लम्बित है, जोकि इस बारे में है कि क्या आयोग जांच के दौरान संबंधित संगठनों से संबंधित दस्तावेज, लेखा पुस्तकें और अन्य रिकार्ड की मांग कर सकता है या नहीं। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैंने भी यही कहा था। यह व्यावहारिक नहीं है। ठीक है।

सरदार बूटा सिंह : ये कई कारण हैं।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : यह स्वयं ही चिरस्थायी आयोग है।

[हिंदी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : सर, ये सी० आई० ए० के एजेण्ट हैं और पैसा लेकर सदस्यों को बाहर भेज रहे हैं और देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। इनके खिलाफ सख्त कार्यवाही कराईए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप क्या कर रहे हैं ?

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते : ये लोग महात्मा गांधी तक को भी सी० आई० ए० एजेंट कहेंगे··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ऐसा मत कीजिए।

[हिन्दी]

आप बैठिए न, सवाल करने दीजिए। आपका नम्बर आएगा, तब सवाल कीजिए। अभी आप कैसे कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, सबसे दुःख की बात यह है कि, ऐसे गंभीर आरोप लगाए गए हैं कि हरिजनों को जो महात्मा गांधी को सबसे प्रिय थे, उनके मकानों से सम्भवतः बाहर निकाला गया।

प्रो० मधु दंडवते : यह मूर्खता है।

सरदार बूटा सिंह : कौन मूर्ख है, आप या मैं ?

प्रो० मधु दण्डवते : न तो आप मूर्ख हैं न ही मैं। जो आरोप लगाए गए हैं वे मूर्खता पूर्ण है। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। कृपया आक्षेप न लगाएं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं। एक भी शब्द कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए। मेरी अनुमति के बिना कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

(व्यवधान)**

श्री अरुण नेहरू : श्रीमन्, क्या मैं एक बात स्पष्ट कर सकता हूं ?

श्री एच० एम० पटेल : श्रीमन्, मेरा दूसरा पूरक प्रश्न है···

श्री अरुण नेहरू : श्री दण्डवते ने अभी-अभी कहा कि···

प्रो० मधु दण्डवते : श्रीमन्, उन्होंने अभी अपना दूसरा पूरक प्रश्न पूछना है।

श्री अरुण नेहरू : श्री दण्डवते ने अभी कहा कि महात्मा गांधी के नाम को बदनाम किया जा रहा है मैं बताना चाहूंगा कि महात्मा जी को बदनाम करने वाली पुस्तकें खरीदने के बारे में भी एक जांच चल रही है।

प्रो० मधु दण्डवते : ये महात्मा गांधी के नये शिष्य हैं।

एक माननीय सदस्य : गांधी महात्मा नहीं हैं।

श्री एच० एम० पटेल : माननीय मंत्री ने इन बातों की ओर अपना ध्यानाकर्षित नहीं किया है। 1982 में इस आयोग का गठन किया गया था। आपकी अनुमति से मैं उसे पढ़ रहा हूं;

"गांधीवादी संगठन के नाम पर प्रकाशन निकालने तथा अन्य गतिविधियों और कार्यों, और स्रोतों और निधियों के दुरुपयोग की जांच करना।" (व्यवधान)

कृपया मुझे आवश्यक पहलुओं को सामने लाने की अनुमति दी जाए। (व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : यह उनके अधिकारों में है कि वे बतायें कि जांच के विचारार्थ विषय क्या थे और वे क्या जांच करना चाहते थे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। उन्हें प्रश्न पूछने दीजिए।

श्री एच० एम० पटेल : आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 450 मामलों में विस्तृत जांच कराये जाने की आवश्यकता है। इसमें से 63 मामलों में जांच का प्रथम चरण पूरा हो गया है। इसके लिए उन्होंने चार वर्ष का समय लगाया है। इससे लगता है कि इनकी जांच पूरी करने के लिए 50 वर्ष लग जायेंगे। इस सबके बावजूद माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि उन्होंने ऐसा नहीं कहा है कि किसी के विरुद्ध विशिष्ट आरोप लगाए गये हैं। (व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

मैं समझता हूं कि ऐसा पूछना तर्कसंगत है। मैं पूछना चाहता हूं कि जब आयोग ने अभी तक इन गंभीर मामलों के बारे में विशिष्ट आरोप ही नहीं लगाए हैं तो इन 450 मामलों की विस्तृत जांच पूरी करने में आयोग को कितना समय लगेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : जब तक सत्ता से बाहर नहीं हो जाते। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप कैसे आपत्ति कर सकते हैं।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : अब आप इस सम्बन्ध में क्या सिद्ध करना चाहते हैं? उन्हें अधिकार है। कोई भी उत्तर दे सकता है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुख्य जिम्मेदारी प्रधान मंत्री की ही है।

सरदार बूटा सिंह : हम प्रधान मंत्री की टीम हैं;

श्री पी० चिदम्बरम : यह कहना गलत है कि कुदाल आयोग ने जो रिपोर्ट पेश की है, उस पर आधारित कोई भी मामला दर्ज नहीं किया गया है, प्रथम अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने चार मामले दर्ज किये हैं। दूसरी अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो मामले दर्ज किये हैं और तीसरी अन्तरिम रिपोर्ट के आधार पर केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने दो मामले दर्ज किये हैं। कई अन्य मामलों को सौंपा गया है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दे सकता।

श्री राम सिंह यादव : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि उन सभी व्यक्तियों और और संस्थानों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है जो जिनकी कार्यवाहियां राष्ट्र-विरोधी हैं और जिन्होंने देश को धोखा दिया है?

सरदार बूटा सिंह : रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् इसकी विधि मंत्रालय में जांच की जाती है और जहां कहीं प्रत्यक्षतः मामला बनता है वहां व्यक्ति या संगठन के विरुद्ध मामला दर्ज किया जाता है। मेरे सहयोगी श्री चिदम्बरम ने रिपोर्ट को पढ़ा है। हम मामले दर्ज करने वाले हैं। जो भी रिपोर्ट पेश की गई हैं या भविष्य में पेश की जाएंगी, उन पर आगे कार्यवाही की जायेगी।

प्रो० मधु दण्डवते : मैं माननीय मंत्री से पूछना चाहता हूं कि क्या यह सत्य नहीं है कि समाचार पत्र और कई सामाजिक संस्थान यह महसूस करते हैं कि ये जांच केवल उन्हीं गांधीवादी संस्थाओं के विरुद्ध जारी की गई हैं, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण का आपातकाल के विरुद्ध उनके संघर्ष में साथ दिया था··· (व्यवधान)

मुझे प्रश्न पूछने का अधिकार है। आप मंत्री नहीं हैं। एक ही मंत्री है, और मंत्री ही उत्तर देंगे। अगर मंत्री उत्तर नहीं दे सकते, तो प्रधान मन्त्री को उत्तर देने दें। (व्यवधान)

प्रश्न पूछने का मेरा पूरा अधिकार है, शायद उन्होंने मेरा प्रश्न न सुना हो, इसलिए मैं इसे दोहराता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि समाचार पत्रों और सामाजिक संस्थानों में यह सोचा जा रहा है कि यह जांच केवल उन्हीं गांधीवादी संगठनों के विरुद्ध की जा रही है, जिन्होंने जयप्रकाश नारायण का आपातकाल के विरुद्ध छेड़े गए संघर्ष में साथ दिया था? इस सन्दर्भ में, मैं जानना चाहता हूं कि इस आयोग की स्थापना के पश्चात्, पिछले कई वर्ष से इस आयोग पर

कितना धन खर्च किया गया है और जब तक यह अपना कार्य पूरा कर लेगा तब तक इस पर किए जाने वाले व्यय का अनुमान क्या है ? मैं स्पष्ट उत्तर चाहता हूं।

सरदार बूटा सिंह : यह सत्य नहीं है और मैं दोहराना चाहता हूं कि कांग्रेस दल जनता पार्टी के कुछ नेताओं के आचारण पर कभी भी नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : प्रश्न सरकार के बारे में है, न कि दल के बारे में···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : शांत, शांत।

सरदार बूटा सिंह : अपने राजनैतिक प्रतिद्वन्द्वियों को शिकार बनाने के लिए। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री जयपाल रेड्डी, यह उचित नहीं है।(व्यवधान)

सरदार बूटा सिंह : अपने प्रभुत्व में, आपको याद होगा 'पटियाला हाऊस' में क्या होता रहा है। एक आयोग की स्थापना की गई थी और दिल्ली रेलवे स्टेशन तक लाउडस्पीकर लगाए गए थे। ऐसा...कभी नहीं हुआ...(व्यवधान)

प्रो० मधु दंडवते : प्रश्न क्या है और उत्तर क्या दिया जा रहा है ? आप उन्हें कहते क्यों नहीं ?

अध्यक्ष महोदय : उन्हें कहे जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

सरदार बूटा सिंह : यह सब विश्व की सबसे बड़ी नेता श्रीमती इन्दिरा गांधी के विरुद्ध किया गया। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि हम भी जयप्रकाश नारायण का उतना ही आदर करते हैं जितना की विपक्षी सदस्य। लेकिन कुछ संगठन ऐसे हैं जोकि दोषी पाये गये हैं। अगर आप चाहते हैं, तो मैं उनके नाम पढ़ कर सुना सकता हूं...(व्यवधान)

मैं नाम पढ़ रहा हूं।

प्रो० मधु दंडवते : श्रीमन्, कृपया उनकी टिप्पणी को कार्यवाही वृत्तांत से निकाल दीजिए उन्होंने कहा है कि वे दोषी पाये गए हैं। इसके विपरीत आयोग इस बात की जांच कर रहा है। मंत्री महोदय आयोग से ऊपर नहीं है। इस बारे में कोई रिपोर्ट नहीं आई है।

सरदार बूटा सिंह : कई चरणों में जांच चल रही है। आयोग ने कई तथ्य सरकार के सामने रखे हैं और भारत सरकार उन पर कार्यवाही कर रही है। ये संगठन हैं। मैं नहीं जानता कि इनमें से कौन संगठन जयप्रकाश नारायण से सम्बद्ध है, क्योंकि मैं आन्तरिक स्थिति से अवगत नहीं हूं, लेकिन उन्हें आंतरिक स्थिति का पता है।

प्रो० मधु दण्डवते : मुझे जय प्रकाश नारायण, महात्मा गांधी और इन गांधीवादी संगठनों की आंतरिक स्थिति के बारे में पता है।

सरदार बूटा सिंह : मैं केवल ऐसे संगठनों के नाम बता रहा हूं।

ये संगठन हैं—अवार्ड, गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि और अखिल भारतीय सर्व सेवा संघ। इनके विरुद्ध धन के पूर्ण दुरुपयोग के आरोप हैं। जिस प्रकार के मामले दर्ज किए गये हैं, वे इस प्रकार हैं—भारत सरकार द्वारा दिये गये धन और अनुदानों का दुरुपयोग और दुर्विनियोजन धन उधार देना, हरिजनों को जबरदस्ती बेदखल करना, और अपने उद्देश्यों का

उल्लंघन करना···(व्यवधान) अवार्ड, गांधी शांति प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि, ग्रामदान विकास सोसाएटी, लोक नीति परिषद् के विरुद्ध जो मामले दर्ज किये गए हैं, वे इस प्रकार हैं—निधियों का दुरुपयोग, उद्देश्यों का उल्लंघन, एफ० सी० आर० ए० के प्रावधानों का उल्लंघन, आयकर अपवचन, लीज की शर्तों का उल्लंघन, महात्मा गांधी और उनके विचारों का तिरस्कार करने वाली पुस्तकों को पुस्तकालयों के लिए खरीदना। (व्यवधान)

अवार्ड, गांधि प्रतिष्ठान, गांधी स्मारक निधि, लोक नीति परिषद के विरुद्ध भारत सरकार द्वारा दी गई निधियों और अनुदानों के दुरुपयोग/दुर्विनियोजन/परावर्तन, उद्देश्यों का उल्लंघन एफ सी आर ए के प्रावधानों का उल्लंघन, आयकर अधिनियम की धाराओं का उल्लंघन के आरोप हैं। इस प्रकार के विभिन्न मामलों की जांच हो रही है। माननीय सदस्य जानना चाहते थे कि...

प्रो० मधु दंडवते : मेरे प्रश्न के दोनों भागों का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : वह समय और धनराशि के बारे में जानना चाहते हैं...

सरदार बूटा सिंह : जो कुछ भी आवश्यक है, खर्च किया जा रहा है। सामान्यत: आयोग के सही कार्यकरण के लिए धनराशि का आबंटन किया जाता है। अब तक 2.14 करोड़ रु० खर्च किये जा चुके हैं।

प्रो मधु दंडवते : श्रीमन्, मेरी सहायता कीजिए। उन्होंने मेरे प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर नहीं दिया है।

प्रधान मंत्री (श्री राजीव गांधी) : मैं प्रश्न के प्रथम भाग का उत्तर दूंगा। जैसा कि अकसर होता है, विपक्ष के कुछ सदस्यों ने मामलों को उल्टी तरफ से पकड़ रखा है। आयोग...

प्रो० मधु दंडवते : यह देश, प्रेस या सामाजिक संस्थानों का मूल्यांकन नहीं हैं, यह प्रधान मंत्री महोदय, आपका अपना मूल्यांकन है। हम इसे स्वीकार नहीं करते।

श्री राजीव गांधी : आप उत्तर सुनना चाहते हैं या नहीं? अध्यक्ष महोदय, आयोग को कुछ अनियमितताओं की जांच करने के लिए स्थापित किया गया था। हमने यह सोचकर आयोग का गठन नहीं किया था कि किस समय किस नेता ने इनका साथ दिया। अगर इन संगठनों को धन का दुरुपयोग करते हुए पाया जाता है, और जैसाकि प्रो० मधु दण्डवते ने अनुमान लगाया है—हमने अनुमान नहीं लगाया—प्रो० मधु दण्डवते ने कहा है कि इन जिन संगठनों ने गलत कार्य किये हैं, उनके इन नेताओं के साथ सम्बंध हैं...(व्यवधान) अगर आप समझते हैं कि इनके लिंक हैं, अगर आप महसूस करते हैं—आप हमसे बेहतर समझते हैं कि उस समय इनके सम्बन्ध किससे थे—इसका मेरे पास कोई उत्तर नहीं है।

प्रो० मधु दंडवते : क्योंकि प्रधान मन्त्री ने हस्तक्षेप किया है, इसलिए मैं पूछना चाहता हूं कि क्या एक भी ऐसे गांधीवादी संगठन की, जिसने आपातकाल का समर्थन किया था, जांच की गई है (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं है। अगला प्रश्न।

श्री राजीव गांधी : हमने कुदाल आयोग पर कोई प्रतिबन्ध नहीं लगाया है। जिस भी संगठन की वे जांच करना चाहते हैं, वे ठीक तरह से कर रहे हैं।

सरदार बूटा सिंह : श्रीमन्, मैं एक छोटी सी भूल सुधार करना चाहता हूं। अब तक आयोग पर 1.2 करोड़ रुपए खर्च किये गए हैं 2.14 करोड़ रुपए नहीं।

पंजाब से अल्पसंख्यक समुदाय के परिवारों का उत्प्रवास रोकने के लिए उपाय

*87. श्रीमती प्रभावती गुप्ता
श्री भट्ट श्रीराम मूर्ति } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पंजाब में आतंकवादी गतिविधियों के कारण पंजाब में अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक परिवार उस राज्य से जाकर दिल्ली और देश के अन्य राज्यों में बस गए हैं;

(ख) दिल्ली और अन्य स्थानों में इस प्रकार के लोगों की संख्या कितनी है;

(ग) केन्द्रीय सरकार ने लोगों का इस प्रकार उत्प्रवास रोकने के लिए क्या कदम उठाए है; और

(घ) केन्द्रीय सरकार ने दिल्ली और अन्य स्थानों पर ऐसे परिवारों की क्या सहायता की है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) एक विवरण सभापटल पर रखा जाता है।

विवरण

उपलब्ध सूचना के अनुसार राज्य में उग्रवादी गतिविधियों के कारण 20 जुलाई, 1986 तक पंजाब के कुछ क्षेत्रों से लगभग 1400 परिवार दिल्ली और पड़ोसी राज्यों में चले गए हैं। इनमें दिल्ली में गए लगभग 300 परिवार शामिल हैं।

2. केन्द्रीय गृह मंत्री और पंजाब के मुख्य मंत्री 2 जुलाई, 1986 को दिल्ली में हिन्दू उत्प्रवासियों से पंजाब में अपने घरों को वापस जाने के लिए आग्रह करने की कोशिश में उनसे मिले थे।

3. गृह मंत्री ने पंजाब के मुख्य मंत्री को लिखे पत्र में पंजाब से हिन्दू परिवारों के जाने के बारे में भारी चिन्ता व्यक्त की है और सुझाव दिये कि :

(क) हिन्दू समुदाय के लोगों के और अधिक जाने को रोकने के लिए उनमें सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने हेतु पंजाब सरकार को तुरन्त कदम उठाने चाहिए।

(ख) पंजाब से आये परिवारों से वापस अपने घरों को लौटने का आग्रह करने और उनको उपयुक्त सुरक्षा का आश्वासन देने के लिए प्रतिष्ठित नेताओं (विशेषत: सिक्खों) को दिल्ली भेजने पर पंजाब सरकार को विचार करना चाहिए; और

(ग) वे परिवार जो अपने निवास स्थानों को वापस नहीं जाना चाहते और जिनके अपनी सुरक्षा की आशंका से पंजाब से आने की संभावना है, को राज्य में सुरक्षित स्थानों विशेषकर छावनी क्षेत्रों में आश्रय दिया जाए।

जब तक उनका पंजाब वापस जाना सुविधाजनक न हो तब तक दिल्ली प्रशासन उन्हें आवास सुविधाएं प्रदान करेगा। उत्प्रवासी परिवारों को अपनी भोजन की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उपयुक्त धनराशि भी दी जाएगी।

[हिन्दी]

श्रीमती प्रभावती गुप्त : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से एक पूरक प्रश्न पूछना चाहती हूं कि आज की पंजाब समस्या और आतंकवादी गतिविधियों के संदर्भ में जो पलायन हो रहा है यह देश की एकता और अखण्डता के लिए एक अशुभ संकेत है। उस सन्दर्भ में माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में जो सुझाव बरनाला जी को दिए हैं उन का कुछ हद तक पालन हुआ है। उसी सन्दर्भ में मैं यह भी जानना चाहती हूं कि क्या माननीय मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि बरनाला सरकार के चार मंत्री आतंकवादी गतिविधियों को संरक्षण दे रहे हैं और श्री रिबेरो के नेतृत्व में जो आपरेशन मंड चलाया जा रहा है उस को आपरेशन फ्राड कह रहे हैं ? तो जब इस तरह की बातें वहां हो रही हैं तो किस सीमा तक पलायन को वह वहां रोक सकेंगे ?

सरदार बूटा सिंह : अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य महोदया ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न उठाया है। पंजाब से जो कुछ अल्पसंख्यक परिवारों का पलायन हुआ है उस के बारे में पूरे देश में चर्चा हुई है और अखबारों में भी चर्चा हुई है। हमारा प्रयास है और पंजाब सरकार के सहयोग से हम कोशिश कर रहे हैं कि जितने परिवार पंजाब के बाहर दिल्ली, हरयाणा, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश या दूसरे प्रदेशों में गए हैं उन को सुरक्षा के साथ अपने घरों में जाने के हालात पैदा किए जायें। इस के लिए माननीय प्रधान मन्त्री जी ने भी मुख्य मन्त्री, पंजाब से बातचीत करके उनको इस ढंग से यह सलाह दी है कि जल्दी से जल्दी ऐसे हालात पैदा किये जायें और हम स्वयं मुख्य मंत्रीजी के साथ उन परिवारों के पास गए, दिल्ली में खासकर और पंजाब सरकार की तरफ से आई टीमें भी भेजी गईं, हरियाणा में भी इन लोगों से मिला गया। इस बात की कोशिश की जा रही है कि जितनी जल्दी हो पंजाब के अन्दर हालात सुधर सकें, शांति-व्यवस्था बन सके ताकि ये लोग वापिस चले जायें।

जैसा कि माननीया सदस्या ने खुद कहा है, दिल्ली में जो परिवार आए हुए हैं उनकी व्यवस्था के लिए प्रबन्ध किया गया है और हमारी यह कोशिश है कि जल्दी से जल्दी पंजाब के हालात ठीक हो जायें और ये परिवार वापिस जायें।

श्रीमती प्रभावती गुप्त : मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि पंजाब के मुख्य मन्त्री, बरनाला साहब जब दिल्ली आये, कैम्प में गए और निरीक्षण किया तो उसके बाद कितने परिवारों के अन्दर सुरक्षा की भावना पैदा हुई और कितने लोग वापिस गए ?

मैं यह भी जानना चाहूंगी क्या मन्त्री जी को इस बात की जानकारी है कि एक तरफ तो इनको बुलाया जा रहा है और दूसरी तरफ वहां के मंत्रियों के संरक्षण में एक खास कौम के लोगों को बुलाकर वहां पर बसाया जा रहा है ? क्या मन्त्री जी को इसकी जानकारी है ? ऐसी हालत में क्या वास्तव में वहां सामान्य स्थिति पैदा हो सकेगी—ऐसा केन्द्रीय सरकार समझती है ?

सरदार बूटा सिंह : यह भी तथ्य सामने आया है कि कुछ प्रभावी लोग, खासकर राजनीतिक क्षेत्र के लोग, जो वहां के सत्ताधारी दल में भी हैं, बाहर भी हैं, वे इस प्रक्रिया को सीधे या मिल छुप कर किसी तरह से प्रोत्साहन दे रहे हैं। यह बात भी मुख्य मन्त्री के ध्यान में लाई गई हैं कि बाहर से भी कुछ परिवार पंजाब में गए हैं, अखबारों में यह आरोप छपा है वहां की सरकार ने उन परिवारों के प्रति दूसरी तरह का व्यवहार किया है। तो यह सारी चीजें मुख्य

मन्त्री के ध्यान में लाई गई हैं और यह प्रयास किया जा रहा है और खासकर के मैं माननीय सदन को बताना चाहूंगा कि पिछले 10-15 रोज से स्थिति में काफी सुधार आ रहा है, हमारी कोशिश है और निरन्तर कोशिश रहेगी कि यह सरहदी इलाका खासकर गुरदासपुर, अमृतसर, फीरोजपुर, कपूरथला आदि जो भी इस तरह के आतंकवाद से प्रभावित क्षेत्र हैं वहां पर शांति व्यवस्था बने ताकि ये लोग वापिस जा सकें।

[अनुवाद]

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : महोदय, मैं उत्प्रवासियों को केन्द्रीय सरकार की तरफ से दिये जाने वाले समर्थन, सहायता तथा उन्हें पुनः बसाने के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। यहां यह कहा गया है कि जब तक उन्हें पंजाब वापिस जाना सुविधाजनक न हो तब तक दिल्ली प्रशासन उनके रहने की सुविधा करेगा। उत्प्रवासियों को उनकी भोजन आवश्यकता के अनुसार उपयुक्त धन भी दिया जायेगा। इसका क्या मतलब है? क्या उन्हें अब तक कोई राशि दी गयी हैं? अगर ऐसा है तो उन्हें कितनी राशि दी गयी थीं? मंत्री महोदय ने विशेषकर दिल्ली में किये गये प्रबन्धों के बारे में बताया है। 1400 उत्प्रवासी परिवारों में से केवल 300 परिवार ही दिल्ली में बसे हैं। बाकी के लोग दूसरे राज्यों में बसे होंगे।

सरदार बूटा सिंह : हमारे पास राज्यों की तथा दिल्ली की भी सूचना हैं। शुरू में अधिकतर परिवारों की विभिन्न स्वैच्छिक संगठनों द्वारा जिसमें हिन्दू और सिख दोनों थे। सहायता की गयी थी। समाज के सभी वर्गों ने सहायता की थी। लेकिन जब दिल्ली प्रशासन पर उन्हें शरण, खाद्यान्न तथा रहने की अच्छी सुविधायें प्रदान करने की बात आई तो हमने इस पर बातचीत की। पंजाब के मुख्य मंत्री ने जब इन लोगों को सम्बोधित किया था तो कहा था कि जब तक वे दिल्ली में हैं उन्हें पंजाब सरकार सहायता देगी लेकिन वे पंजाब वापिस जाने की भी सोच रहे होंगे। जैसा कि माननीय मंत्री ने बताया है कि दिल्ली में 1210 लोगों के 319 हिन्दू परिवार 20 जुलाई, 1986 तक पंजाब से आये थे। उनमें से कुछ परिवार समझाने-बुझाने पर वापिस पंजाब चले गये हैं। जब वे प्रधानमंत्री से मिले थे तो उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त की थी कि अगर समुचित परिस्थितियां पैदा की जायें तो वे वापिस जाना चाहेंगे। कुछ परिवार वापिस चले गये हैं। तथा 76 लोगों के 15 परिवारों ने वापिस जाने के लिए दिल्ली से प्रस्थान कर दिया है। दिल्ली प्रशासन भी जब तक उनके पंजाब भेजने का इंतजाम नहीं होता रहने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है। उत्प्रवासी परिवारों को उनके खाद्यान्न की आवश्यकतानुसार धन भी दिया जा रहा है।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : कितनी धनराशि ?

सरदार बूटा सिंह : यह परिवारों के साथ परामर्श करके दिल्ली प्रशासन द्वारा निश्चित की गयी ····(व्यवधान)

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : मेरे पहले अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। उन्होंने उत्प्रवासियों के लिए कुछ नहीं किया हैं और न ही वे प्रवसन को रोक पाये हैं। अतः मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न।

अध्यक्ष महोदय : दूसरा अनुपूरक प्रश्न नहीं।

श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति : कितनी धनराशि दी गई है।

[हिन्दी]

सरदार बूटा सिंह : जैसा मैंने अर्ज किया है, लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली, इन लोगों के साथ बातचीत करके इनके सहयोग से जो तय हुआ है, वे उनको मेंटेन करेंगे, जब तक दिल्ली से वापिस नहीं जाते हैं। मैं यह सूचना देना चाहता हूं, जितना पैसा सैंक्शन हुआ है। ..(व्यवधान)...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह उपराज्यपाल से पता लगायेंगे।

कुमारी ममता बनर्जी : कल मैं पंजाब में थी और पंजाब में मैं बहुत से युवाओं से मिली थी और मैं अपनी भावनाओं को सभा में व्यक्त करना चाहूंगी। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे प्रधानमन्त्री और हमारी सरकार राज्य सरकार के साथ सभी आतंकवादी गतिविधियों को रोकने तथा अल्प संख्यक लोगों को पंजाब वापिस पहुंचाने में सहायता करने के लिए सहयोग कर रही है। लेकिन पंजाब सरकार के मंत्रिमण्डल के एक मन्त्री का गैर-जिम्मेदार वक्तव्य पढ़कर मुझे आश्चर्य हुआ था.....** जो प्रेस में प्रकाशित हुआ। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि पंजाब का टेरोरिस्ट आपरेशन एक धोखा था। जब केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार के साथ सहयोग कर रही है तो मंत्रिमण्डल स्तर के मन्त्री ने ऐसा वक्तव्य क्यों दिया ?...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : एक अच्छा सवाल है, उसको क्यों खराब कर रहे हैं।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ठीक कह रही है _यह ठीक कह रही हैं।

कुमारी ममता बनर्जी : यह समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ है।

एक माननीय सदस्य : लेकिन यह यहां नहीं हैं, उनके नाम का उल्लेख नहीं किया जा सकता।

अध्यक्ष महोदय : हां, आप ऐसे किसी व्यक्ति का नाम का यहां उल्लेख नहीं कर सकते जो यहां उपस्थित न हों। नाम को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए।

कुमारी ममता बनर्जी : यह एक बहुत ही गम्भीर मामला है। सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ? मंत्री महोदय उत्तर दें।

सरदार बूटा सिंह : क्या आप चाहते हैं कि मैं ममताजी को उत्तर दूं ? मैंने सोचा कि वह पंजाब के अपने दौरे के अनुभवों को सभा को बता रही है। हमने समाचार पत्रों में पढ़ा था और मेरा पंजाब के मुख्य मंत्री से इस पर बातचीत करने का विचार है। निश्चय ही एक वरिष्ठ मंत्रीमण्डलीय सहयोगी अपनी स्वयं की सरकार की नीतियों के विरुद्ध नहीं चल सकता लेकिन कार्यवाई करना पंजाब के मुख्यमन्त्री का काम है। मैं इसमें और कुछ नहीं कह सकता।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री एस० जयपाल रेड्डी : पंजाब से प्रवसन विभिन्न स्तरों पर हो रहा है। गृह मंत्री ने स्वयं पंजाब से होने वाले प्रवसन का उल्लेख किया है। एक और प्रकार का प्रवसन है; हिन्दू पंजाब के एक भाग से दूसरे भाग में जा रहे हैं। मैं जानना चाहता हूं कि ऐसे कितने परिवार है जो एक जगह से दूसरी जगह गये हैं। यह भी एक प्रकार का प्रवसन है।

सरदार बूटा सिंह : हमें जो सूचना दी गयी है उसके अनुसार, राज्य में 155 हिन्दू परिवार 13 जिला अमृतसर में, 2 जिला कपूरथला में तथा 140 गुरदासपुर में—11 जुलाई, 1986 तक एक जगह से दूसरी जगह गये हैं। यह सूचना है।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद

*85. श्री ई० अय्यपू रेड्डी
श्री दिलीप सिंह भूरिया } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बेलगांव में हाल ही की हिंसक घटनाओं के पश्चात् केंद्रीय सरकार ने कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद हल करने के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) दोनों राज्यों के बीच सीमा विवाद किस सीमा तक कम हुआ है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) सीमा विवाद को केवल सम्बन्धित राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से ही हल किया जा सकता है। हाल ही में दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री मिले थे और विचार विमर्श किया था। विवाद का परस्पर स्वीकार्य हल निकालने के लिए केंद्र सरकार राज्यों को सभी सम्भव सहायता देगी।

लाटरियों में लगी धनराशि

*88. श्री महेन्द्र सिंह : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1984, 1985 तथा 1986 में अब तक केंद्रीय सरकार तथा राज्य सरकारों द्वारा चलाई गई लाटरियों में कितनी धनराशि लगाये जाने का अनुमान है और लाटरियों के विजेताओं को इन लाटरियों के जरिए कुल मिलाकर कितनी धनराशि वितरित की जा चुकी है ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अपेक्षित सूचना राज्य सरकारों और संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से मांगी गई है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

साम्प्रदायिक दंगे

*89. श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह
श्री विजय कुमार यादव } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन स्थानों के राज्य-वार नाम क्या हैं जहां पर 1 जनवरी—15 जुलाई, 1986 की अवधि के दौरान साम्प्रदायिक दंगे हुए;

(ख) प्रत्येक राज्य में अनुमानत: जान-माल की कितनी हानि हुई; और

(ग) इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के आधार पर विभिन्न मुख्य साम्प्रदायिक दंगों में हताहतों और सम्पत्ति की अनुमानित हानि के आंकड़े निम्न-लिखित हैं :

क्रम० सं०	साम्प्रदायिक दंगे	व्यक्तियों की संख्या जो मारे गए	जो घायल हुए	सम्पत्ति की अनुमानित हानि (रु० लाखों में)
1	2	3	4	5
1.	बिहार			
	नवादा अप्रैल-22	10	10	उपलब्ध नहीं
2.	गुजरात			
	जनवरी 5-7	9	29	7.73
	जनवरी 22-24	5	6	0.38
	मार्च 26-30	4	13	0.05
	जुलाई 9-17	49	117	जुलाई 9-17,1986 तक अहमदाबाद में हुई साम्प्रदायिक हिंसाओं से हुई सम्पत्ति की हानि के आंकड़े, अभी उपलब्ध नहीं हुए हैं।
	बैरावल मार्च, 26-27	13	45	246.98
3.	मध्य प्रदेश			
	सिहोर फरवरी 16-17	8	57	100.00

1 2	3	4	5
4. महाराष्ट्र			
नासिक	8	3	43.05
मई, 10			
5. उत्तर प्रदेश			
मेरठ	2	15	7.42
फरवरी 26			
नेऊरिया (पीलीभीत)	26	28	उपलब्ध नहीं
मार्च 26-27			
इलाहाबाद			
जून 14-18	9	41	2.65

(ग) केंद्रीय सरकार साम्प्रदादिक गड़बड़ियों को नियंत्रित करने और सामुदायिक मेल-मिलाप बनाए रखने के प्रश्न पर लगातार ध्यान दे रही है। यद्यपि शांति कायम रखने का प्राथमिक उत्तरदायित्व राज्य सरकारों का है फिर भी, केंद्रीय सरकार उनसे निरन्तर सम्पर्क बनाए रखती है। जब भी आवश्यक होता है राज्य सरकारों को अर्ध सैनिक बलों और उपकरणों के रूप में साज-सामान की मदद दी जाती है। उक्त मामलों में 18 अप्रैल को बिहार सरकार को अर्ध सैनिक बलों की छः कम्पनियां दी गई थी। इसी प्रकार साम्प्रदायिक दंगों को नियंत्रित करने के लिए गुजरात सरकार को अर्ध सैनिक बलों की 34 कम्पनियां उपलब्ध कराई गई थी। इसके अतिरिक्त, जब भी आवश्यक होता है समय पर चेतावनियां दी जाती हैं और मार्गदर्शन तथा सलाह दी जाती है। साम्प्रदायिक हिंसा के कारगर नियंत्रण के लिए विस्तृत दिशा-निर्देश जिनकी 1985 में समीक्षा की गई थी, भी सभी राज्यों को परिचालित कर दिए गए हैं।

दार्जिलिंग डिविजन में दंगे

*90. श्री पी० एम० सईद
प्रो० रामकृष्ण मोरे } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दार्जिलिंग जिले में तथाकथित गोरखा नेशनल लिबरेशन फ्रंट के कुछ लोगों द्वारा हिंसक दंगे किए जाने सम्बंधी समाचारों की जानकारी है;

(ख) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने इस सम्बन्ध में केंद्रीय सरकार से कोई सहायता मांगी है; और

(ग) यदि हां, तो उस पर केंद्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) केंद्र सरकार, राज्य सरकार से सम्पर्क बनाए हुए हैं। राज्य सरकार के अनुरोध पर अर्ध सैनिक बल उपलब्ध कराए गए हैं। सरकार स्थिति पर निगरानी रख रही है।

जम्मू और कश्मीर सीमा पर पाकिस्तान द्वारा गोलाबारी

*91. डा० वी० एल० शैलेश
श्री कमला प्रसाद रावत } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में पाकिस्तानी सेनाओं ने जम्मू और कश्मीर सीमा में भारतीय ठिकानों पर अकारण गोलाबारी की जिस से उस क्षेत्र में तनाव उत्पन्न हो गया था;

(ख) क्या पाकिस्तानी सेना द्वारा भारतीय क्षेत्र में अतिक्रमण करने का प्रयास किया गया था; और

(ग) पाकिस्तानी सेना द्वारा सीमा पार के भारतीय सीमा पर इस प्रकार गोलाबारी करना रोके जाने लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) पाकिस्तानी फौजों द्वारा जम्मू और कश्मीर में नियन्त्रण रेखा के पास भारतीय चौकियों पर अकारण गोलाबारी की कुछ घटनाएं हुई हैं, गोलाबारी की ऐसी घटनाएं सामान्यत: होती रहती हैं।

(ख) हाल में ऐसा कोई प्रयास नहीं किया गया है।

(ग) हमारी सशस्त्र सेनाएं देश की सुरक्षा को होने वाले किसी भी खतरे का सामना करने के लिए हमेशा सतर्क रहती हैं।

तारापुर परमाणु विद्युत संयंत्र के निकट सिगनल बम

*92. **श्री कमल नाथ** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि तारापुर विद्युत केंद्र के समीप "सिगनल बम" पाये गये थे; और

(ख) यदि हां, तो उक्त सन्यंत्र की सुरक्षा के लिये क्या अतिरिक्त उपाय किये गये हैं ?

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) तारापुर परमाणु शक्ति स्टेशन के पास जहाजों द्वारा खतरे का संकेत देने के लिए प्रयोग किये जाने वाले कुछ संकेतन कारतूस पाये गए थे। संकेतन कारतूस विस्फोटक नहीं थे।

(ख) इसके परिणाम स्वरूप पहले ही लागू कड़े सुरक्षा उपायों के अतिरिक्त और सुरक्षा उपायों की कोई आवश्यकता नहीं है।

वाराणसी में संघ लोक सेवा आयोग का परीक्षा केन्द्र

श्री मुकुल वासनिक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र संघ की ओर से वाराणसी में

संघ लोक सेवा आयोग का एक परीक्षा केन्द्र खोलने के संबंध में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, हां ।

(ख) वाराणसी में एक केन्द्र खोलने के प्रश्न पर, संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विचार कर लिया गया है । इस बात को ध्यान में रखते हुए कि उत्तर प्रदेश में, इलाहाबाद और लखनऊ में, पहले से ही दो केन्द्र विद्यमान हैं तथा यह कि ये केन्द्र वाराणसी के निकट ही है और इस मामले पर पूर्ण रूप से विचार करने पर, आयोग ने वाराणसी में केन्द्र न खोलने का निर्णय लिया है ।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास पर व्यय की गई राशि

*94. **श्री गुरुदास कामत**
श्री मुरलीधर माने } : क्या **योजना मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास पर खर्च काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो उसके लिए उत्तरदायी कारण क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा अनुसंधान और विकास पर व्यय की राशि विश्व के अन्य विकासशील देशों के बराबर लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए काफी आवंटन किए गए हैं । इस का पता विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर कुल व्यय (योजना + गैर योजना) में निरन्तर वृद्धि से पता चलता है । विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर व्यय पहली योजना में 20 करोड़ रु० था जो छठी योजना में बढ़ कर 3716 करोड़ रु० (योजना-2064 करोड़ रु० और गैर-योजना 1,652 करोड़ रु०) हो गया । सकल राष्ट्रीय उत्पादन के प्रतिशत के रूप में देश में अनुसंधान और विकास पर व्यय कोरिया गणराज्य जैसे एक दो देशों को छोड़ कर, लगभग सभी विकासशील देशों से अधिक है । सातवीं योजना के लिए 7,535 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है जिस में योजना के अन्तर्गत 4398 करोड़ रु० और गैर-योजना के अन्तर्गत 3,137 करोड़ रु० (अनुमानित) का आवंटन शामिल है । इसलिए, इससे यह पता चलता है कि उपलब्ध राष्ट्रीय संसाधनों के दायरे के भीतर विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र के लिए अधिक से अधिक आवंटन करने के लिए प्रयत्न किए गए हैं ।

जम्मू और कश्मीर में आतंकवादियों की गिरफ्तारी

*95. **श्री सी० माधव रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में जम्मू और कश्मीर के सीमावर्ती जिला राजौरी में

सुरक्षा बलों ने तीन व्यक्तियों को जासूसी करते हुए गिरफ्तार किया;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तानी राष्ट्रिकों की जासूसी सम्बन्धी गतिविधियों को रोकने के लिए कोई कार्यवाही की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार 31 मई, और 4 जून 1986 के बीच जम्मू तथा कश्मीर पुलिस द्वारा राजौरी क्षेत्र में 3 व्यक्ति उनकी सीमा पार गतिविधियों के लिए गिरफ्तार किए गए थे।

सुरक्षा अभिकरण जासूसी और अन्य राष्ट्र विरोधी गतिविधियों का पता लगाने, खोजने और निष्क्रिय करने के लिए पूरी सतर्कता बरत रहे हैं।

मिजो समस्या के समाधान सम्बन्धी समझौता

*96. **प्रो० मधु दण्डवते**
श्री इन्द्रजीत गुप्त } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :—

(क) काफी लम्बे समय से चली आ रही मिजो समस्या को हल करने के लिए श्री लालडेंगा द्वारा गृह मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साथ हाल ही में किए गए समझौते की मुख्य बातें क्या हैं;

(ख) क्या इसके कार्यान्वयन की प्रक्रिया आरम्भ हो गई है;

(ग) यदि हां, तो क्या ज्ञापन के किसी भाग को कार्यान्वित करने में कोई कठिनाइयां है; और

(घ) इन कठिनाइयों को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) मिजोरम से संबंधित समझौता ज्ञापन की प्रति 21 जुलाई, 1986 को सभा पटल पर रखी गई है।

(ख) जी हां, श्रीमान।

(ग) अभी तक कोई नहीं।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

पालम हवाई अड्डे से खालिस्तान समर्थकों का भाग निकलना

*97. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 27 जून, 1986 के "हिन्दुस्तान टाइम्स" अक्तूबर, 1985 में दिल्ली के हवाई अड्डे से तीन खालिस्तान समर्थकों के भाग निकलने के बारे में प्रकाशित समाचार की ओर दिलाया गया है;

(ख) क्या इनके भाग निकलने में किन्हीं अधिकारियों का हाथ पाया गया है;

(ग) क्या मामले की जांच की गई है और यदि हां, तो जांच के परिणामों के अनुसरण में क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार भाग निकलने सम्बन्धी घटनाओं की संख्या

और ब्यौरा क्या है और ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) और (ख) जी हां, श्रीमान ।

(ग) दोषियों के विरुद्ध विभागीय जांच की जा रही है ।

(घ) पिछले एक साल के दौरान उक्त प्रकार के कोई मामले नहीं हुए ।

[हिन्दी]

बांगलादेश से त्रिपुरा में लोगों का भारी संख्या में आगमन

*98. श्री काली प्रसाद पांडेय
श्री हन्नान मोल्लाह } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश से भारी संख्या में लोग भारत में प्रवेश कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों की संख्या क्या है;

(ग) सरकार ने बंगलादेश के शरणार्थियों के प्रवेश को रोकने और भारत में प्रवेश कर चुके विदेशी राष्ट्रिकों को वापस भेजने के लिए अब तक क्या कार्यवाही की है; और

(घ) कितने शरणार्थियों को वापिस भेजा जा चुका है और सभी शरणार्थियों को कब तक वापिस भेजे जाने की संभावना है ?

गृह मन्त्री (सरदार बूटा सिंह) : (क) से (घ) हाल में बंगला देश से बड़ी संख्या में आदिवासी शरणार्थी त्रिपुरा में आए हैं । त्रिपुरा सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार- 15.7.1986 तक 1885 शरणार्थी राज्य में प्रविष्ट हुए । इसके अतिरिक्त, 17286 शरणार्थियों को सीमा सुरक्षा बलों द्वारा वापस धकेला गया ।

सीमा सुरक्षा बल तथा राज्य सरकार को भारी आगमन को रोकने की सलाह दी गयी है । आदिवासी शरणार्थियों की शीघ्र वापसी के लिए अनुकूल हालात पैदा करने सम्बन्धी मामले को बंगलादेश सरकार के साथ विभिन्न स्तरों पर उठाया गया है । बंगला देश के राष्ट्रपति के हाल ही में दौरे के समय इस मामले को गृह मन्त्री ने उनके साथ उठाया था । उन्होंने गृह मन्त्री को आश्वासन दिया कि सभी आदिवासी शरणार्थी वापस ले लिए जाएंगे ।

[अनुवाद]

उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं संबंधी कार्य के लिए एक पृथक् मंत्रालय की स्थापना करना

*99. डा० जी० विजय रामाराव
श्री पी० आर० कुमारमंगलम } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को वस्तुओं और सेवाओं सम्बन्धी विभिन्न उपभोक्ता समस्याओं के बारे में उपभोक्ता संगठनों से अभ्यावेदन प्राप्त होते रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान ऐसे कितने अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं और उन पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) क्या अधिकांशतः सरकार/सरकारी क्षेत्र से उपलब्ध कराई जा रही वस्तुओं तथा

सेवाओं सम्बन्धी उपभोक्ताओं के हित के विभिन्न प्रश्नों की व्यापकता और महत्व को ध्यान में रखते हुए उपभोक्ता वस्तुओं और सेवाओं संबंधी कार्य का दायित्व एक ही मंत्रालय को सौंपने का विचार है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) जी हां।

(ख) पिछले 3 वर्षों के दौरान नागरिक पूर्ति विभाग को विभिन्न उपभोक्ता समूहों से 123 अभ्यावेदन/शिकायतें/सुझाव प्राप्त हुए हैं। इन सुझावों को कार्यान्वित करने तथा शिकायतों को दूर करने के लिए जहां कहीं संभव था, आवश्यक कदम उठाए गए।

(ग) जी नहीं। यह संभव नहीं है कि किसी एक मंत्रालय को सारा काम सौंप दिया जाए।

[हिन्दी]

पति/पत्नियों की नियुक्ति तैनाती के एक ही स्थान पर करने के बारे में राज्यों को दिशानिर्देश

*100. डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पति-पत्नियों की तैनाती एक ही स्थान पर करने के बारे में राज्यों को कोई दिशा-निर्देश जारी किये हैं;

(ख) क्या राज्य सरकारों ने उनको कार्यान्वित किया है; और

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का इस सम्बन्ध में और क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी, नहीं। तथापि केन्द्रीय सरकार ने, केन्द्रीय सरकार और केन्द्रीय सरकारी उपक्रमों के कर्मचारियों के सम्बन्ध में कतिपय प्रशासनिक अपेक्षाओं की पूर्ति होने की शर्त पर पति-पत्नियों की तैनाती एक ही स्थान पर करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत जारी कर दिए हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

केरल में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण की पीठ

*101. श्री वक्कम पुरुषोत्तमन : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में एर्णाकुलम में केन्द्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण के एक पीठ की स्थापना की गई है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) इर्नाकुलम में केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण की एक न्यायपीठ स्थापित करने का निर्णय ले लिया गया है। न्यायपीठ शीघ्र ही स्थापित कर दी जाएगी।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें और यातायात नियंत्रण

718. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यातायात बत्तियों, ऊपरी पुलों, एकतरफा यातायात आदि की व्यवस्था किये जाने के बावजूद दिल्ली में दुर्घटनाओं की दर और दुर्घटनाओं में मृत्यु में वृद्धि हुई है;

(ख) क्या उक्त सुविधाओं की व्यवस्था किये जाने से पूर्व और इसके पश्चात् दुर्घटनाओं की दर और यातायात के सुचारू रूप से चलने के सम्बन्ध में कोई तुलनात्मक अध्ययन किया गया है; और

(ग) क्या सरकार को यह जानकारी है कि पुराने ढंग के चौराहों जैसे पृथ्वी राज रोड (ताज होटल के सामने) उद्योग भवन, और मोती लाल नेहरू मार्ग/जनपथ मार्ग "इन्टरसैक्शन" पर यातायात पुलिस यातायात बत्तियों आदि की कोई व्यवस्था न होने के बावजूद भी भारी यातायात सुचारू रूप से चलता रहता है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं, श्रीमान । यातायात बत्तियों, ऊपरी पुलों और एकतरफा यातायात प्रारम्भ करने से सड़क दुर्घटनाओं और अपमृत्यु की दर में कमी आयी है, जैसा कि नीचे दिखाया गया है :

वर्ष	प्रति 1000 वाहनों पर सड़क दुर्घटनाओं की दर
1981	7.45
1982	7.38
1983	7.30
1984	7.13
1985	6.76

(ख) जी नहीं, श्रीमान ।

(ग) पृथ्वी राज रोड (ताज होटल के सामने) और उद्योग भवन और मोती लाल नेहरू मार्ग और जनपथ चौराहे बढ़ते हुए यातायात की आवश्यकताओं के अनुरूप ठीक काम कर रहे हैं। अत: भारी यातायात के बावजूद भी इन स्थानों पर यातायात की कोई समस्या नहीं है ।

गोल चक्कर अपने आप में स्वयं-नियंत्रित चौराहे होते हैं और इसलिए सामान्य समय के दौरान इस प्रकार के चौराहों पर कर्मचारी तैनात नहीं किए जाते हैं । गोल चक्करों को तभी सिगनल वाले चौराहों में बदला जाता है जब यातायात का आवागमन परिपूर्णता के स्तर तक पहुंच जाता है ।

आवश्यक वस्तुओं के सम्बन्ध में उच्च स्तरीय समिति

719. **श्री चिंतामणि जेना** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रिमंडल परिषद् ने आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में होनी वाली वृद्धि को रोकने के लिए उच्च-स्तरीय समिति की स्थापना करने का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो सुझावों की मुख्य रूप रेखा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) प्रधान मन्त्री को प्रस्तुत किए गए नोट में भारतीय व्यापार तथा उद्योग परिमंडल संघ ने सुझाव दिया था कि "वित्त मन्त्री की अध्यक्षता में सरकार, उद्योग, व्यापार और कृषि क्षेत्र के लगभग 10 प्रतिनिधियों को एक मूल्य समिति गठित की जानी चाहिए जो किसी भी जिन्स के बारे में प्रतिकूल रूख का पूर्वानुमान होने पर अग्रिम कार्यवाही कर सके।"

(ग) मूल्य स्थिति पर आम तौर पर और आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों पर विशेष रूप से सरकार द्वारा लगातार नजर रखी जाती है और जहां आवश्यक होता है, कार्यवाही की जाती है। विभिन्न स्तरों पर बहुत सी समितियां पहले से ही मूल्यों की परिवीक्षा कर रही है। इसलिए किसी अन्य मूल्य समिति के स्थापित करने का, जैसा कि भारतीय व्यापार तथा उद्योग परिमंडल ने सुझाव दिया है, न तो कोई प्रस्ताव है और न ही इसकी कोई आवश्यकता है।

"पश्चिम बंगाल के वन विभाग द्वारा हाथी दांत की बिक्री"

720. **श्री जगन्नाथ पटनायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाथी दांत की बिक्री पर रोक के सम्बन्ध में केन्द्र द्वारा जारी किये गए कठोर निर्देशों के बावजूद पश्चिम बंगाल के वन विभाग ने अपने पास रखा पकड़ा हुआ 132 किलो ग्राम हाथी दांत पश्चिम बंगाल हस्तशिल्प निगम को बेच दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सूचना मिली है कि 5-2-1986 को पश्चिमी बंगाल वन विभाग द्वारा पश्चिमी बंगाल हस्तशिल्प विकास निगम को 132.00 किलोग्राम भारतीय हाथी दांत बेचा गया। अन्य कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है

(ग) 10 जुलाई, 1986 को राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी गई है। अभी तक कोई रिपोर्ट नहीं मिली है।

"वृक्षारोपण के लक्ष्यों का कम किया जाना"

721. **श्री आनन्द सिंह** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जब जुलाई, 1986 के पहले सप्ताह में राष्ट्र 37 वां वन महोत्सव मना रहा था, उत्तर प्रदेश जैसे कुछ राज्यों की सरकारों ने चालू वर्ष और सातवीं योजना अवधि के लिए वृक्षारोपण कार्यक्रम के लक्ष्यों के कम किये जाने की घोषणा की हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसी कटौतियों का ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत चालू वर्ष में प्रत्येक राज्य संघ तथा राज्य क्षेत्र में वृक्षारोपण के लक्ष्य क्या हैं तथा उनके लिए कितने वित्तीय परिव्यय का प्रावधान किया गया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। 1986-87 के लिये वनरोपण के लक्ष्यों को राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश सरकारों के परामर्श से अन्तिम रूप दे दिया गया है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रत्येक/राज्य केन्द्र शासित प्रदेश में 20 सूत्री कार्यक्रम के तहत वनरोपण का लक्ष्य संलग्न अनुबंध में दिया गया है। वर्ष 1986-87 में राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड से प्रस्तावित केन्द्रीय आवंटन भी संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

1986-87 के लिये राज्यवार वनरोपण लक्ष्य (लाखों में)

राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	लक्ष्य	रा० प० वि० बोर्ड से वित्तीय आवंटन (लाख रुपयों में)
1 2	3	4
1. आन्ध्र प्रदेश	3000	130
2. असम	400	160
3. बिहार	2600	167
4. गुजरात	1631	320
5. हरियाणा	725	196
6. हिमाचल प्रदेश	625	310
7. जम्मू एवं काश्मीर	522	100
8. कर्नाटक	2500	110
9. केरल	1200	90
10. मध्य प्रदेश	3700	338
11. महाराष्ट्र	2400	64
12. मणिपुर	160	100
13. मेघालय	150	140
14. नागालैण्ड	350	180
15. उड़ीसा	2400	180
16. पंजाब	550	180

1	2	3	4
17.	राजस्थान	1100	160
18.	सिक्किम	110	64
19.	तमिलनाडु	2400	116
20.	त्रिपुरा	320	96
21.	उत्तर प्रदेश	4500	334
22.	पश्चिम बंगाल	1400	110
23.	केन्द्र शासित प्रदेश	1541.52	293
	योग	34284.52	3938

20-सूत्री कार्यक्रम का कार्यान्वयन

722. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने पिछले तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के क्रियान्वयन में निरन्तर उच्च स्थान प्राप्त किया है;

(ख) क्या केंद्रीय सरकार ने इन राज्यों को उनके प्रशंसनीय कार्य के लिए कोई प्रोत्साहन दिया है, और उन्हें किस प्रकार के प्रोत्साहन दिए गए हैं; और

(ग) यदि नहीं तो क्या भविष्य में इन राज्यों को कोई प्रोत्साहन दिया जाएगा ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए०बी०ए० गनी खान चौधरी) : (क) राजस्थान, तमिलनाडु और महाराष्ट्र तीन ऐसे राज्य हैं जो गत तीन वर्षों के दौरान 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन में बढ़कर प्रथम पांच राज्यों के वर्ग में लगातार आगे आए हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) ऐसे राज्यों को किसी प्रकार का प्रोत्साहन देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विदेशी धन प्राप्त करने वाले संगठन

723. **श्री अनिल बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अशोक सोसाइटी, नई दिल्ली इन्टरनेशनल काउंसिल फार रिसर्च आर्न इकानामिक रिलेशन्स, नई दिल्ली और सेंटर फार स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटीज, नई दिल्ली को गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत विदेशों से कोई धन प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी संगठन-वार ब्यौरा क्या है; और

यह धन किन-किन देशों से प्राप्त हुआ जिन्होंने अंशदान किया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) तीन एसोसिएशनों में से केवल, सेंटर फार दि स्टडी आफ डवलपमेंट सोसाइटी केंद्र नई दिल्ली ने विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत धन प्राप्त करने की रिपोर्ट दी है।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

सेंटर फार दि स्टडी आफ डिवलपिंग सोसाइटीज, नई दिल्ली द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान का विवरण

क्रम सं०	संगठन का नाम	प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि रु० में			दानदाता संगठन और देश का नाम
		1983	1984	1985	
1.	सेंटर फार दि स्टडी आफ डिवलपिंग सोसाइटीज, राजपुर रोड, दिल्ली-31	1,23,180.00	संगठन से, प्राप्त विदेशी अभिदान के बारे में कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।	4,89,760.00	(I) कोनार्ड एडेनवर फाउन्डेशन 5208, सेंट ओगस्टिन, बोन, जर्मन संघ गण-राज्य। (II) फोर्ड फाउन्डेशन 320, ईस्ट 43वीं स्ट्रीट, न्यूयार्क, अमेरिका।

विस्थापित आदिवासी परिवारों का पुनर्वास

724. **श्री आनन्द पाठक** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न राज्यों में विकास योजनाओं के कार्यान्वयन के कारण बहुत बड़ी संख्या में आदिवासी परिवार विस्थापित हो गए हैं;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 1983 से 1986 के दौरान इस प्रकार विस्थापित हुए परिवारों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) क्या ऐसे विस्थापित परिवारों को पर्याप्त मुआवजा देकर उनका पुनर्वास कर दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो उन परिवारों की राज्यवार संख्या क्या है और जिनका इस प्रकार पुनर्वास किया गया है, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (घ) अपेक्षित जानकारी सभी राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों और केंद्रीय मन्त्रालयों/विभागों से मांगी जा रही है। जानकारी प्राप्त होने पर उसे सभा पटल पर रख दिया जायेगा।

अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

725. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मन्त्रालय के अधीन जनजाति विकास एजेंसी में अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की क्षेत्रवार संख्या और प्रतिशतता क्या है;

(ख) क्या यह सच है कि अनुसूचित जनजातियों के बहुत से कर्मचारियों की पदोन्नति रुकी हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सभी पात्र कर्मचारियों को कब तक पदोन्नत कर दिया जाएगा ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस मंत्रालय के आदिवासी विकास प्रभाग में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और प्रतिशतता सम्बन्धी स्थिति संलग्न विवरण में दिखाई गई है।

(ख) से (घ) जी, नहीं।

विवरण

इस मंत्रालय के आदिवासी विकास प्रभाग में अनुसूचित जनजाति के कर्मचारियों की श्रेणीवार संख्या और प्रतिशत दर्शाने वाला विवरण

क्र०सं०	श्रेणी	कर्मचारियों की कुल संख्या	अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी	प्रतिशत
1	2	3	4	5
1.	वर्ग क	13	1	7.7%
2.	वर्ग ख	14	1	7.1%
3.	वर्ग ग	27	1	3.7%
4.	वर्ग घ	12	1	8.3%

दिल्ली में दुल्हनों का जलाया जाना

726. **श्रीमती सुमति उरांव**
श्री नारायण चौबे } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि लगभग प्रत्येक 12 घंटों में केवल दिल्ली में एक महिला जल जाती है;

(ख) वर्ष 1980 से लेकर अब तक प्रतिवर्ष दिल्ली में दुल्हनों के जलने के मामलों की संख्या क्या है;

(ग) महिलाओं पर अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं;

(घ) दहेज-विरोधी अभियान का ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) महिलाओं के प्रति अत्याचारों को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाये गए कदमों और दिल्ली में दहेज विरोधी अभियान के लिए कार्यक्रम के ब्यौरे निम्न प्रकार से हैं :

1. दहेज निषेध (संशोधन) अधिनियम, 1984 द्वारा दहेज निषेध अधिनियम, 1961 को संशोधित किया गया है। यथा संशोधित अधिनियम के अन्तर्गत, सभी अपराधों को संज्ञेय बनाया गया है।

2. भारतीय दण्ड संहिता में एक नई धारा 498 (क) जोड़ी गई है और आपराधिक विधि संशोधन अधिनियम, 1983 के अनुसार संज्ञेय बनाया गया है।

3. केवल महिलाओं के प्रति अपराधों से निपटने के लिए दिल्ली पुलिस में एक "महिलाओं के प्रति अपराध" एकक का सृजन किया गया है।

4. दहेज मृत्यु के मामलों में चालबाजी के अवसरों को समाप्त करने के लिए दो सरजनों द्वारा शव परीक्षा करने के निदेश जारी किए गए हैं।

5. इस प्रकार के मामलों में पीड़ितों के मरते समय के ब्यान को रिकार्ड करने के लिए दिल्ली प्रशासन ने विशेष मजिस्ट्रेटों को तैनात किया है।

6. न्यायालय द्वारा इस अनुमान से निपटने के लिए कि विवाहित महिला को आत्महत्या के लिए उकसाया गया है भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में एक नई धारा 113(क) जोड़ी गई है।

7. दण्ड प्रक्रिया की धारा 174 के संशोधन के अनुसार यह अनिवार्य बना दिया गया है कि विवाह के सात वर्षों के भीतर किसी महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु के कारणों या जहां मृत्यु के कारणों के बारे में कोई शक हो, ऐसे मामलों में मरणोपरान्त जांच एस० डी० एम० द्वारा की जानी चाहिए।

8. पुलिस उप आयुक्त के गहन पर्यवेक्षण में मामले की जांच पड़ताल के लिए तत्काल कदम उठाये जाते हैं।

9. जनता को रेडियो, दूरदर्शन और जनसंपर्क माध्यमों के द्वारा दहेज की बुराई को समाप्त करने के लिए शिक्षित किया जा रहा है।

10. आपदग्रस्त महिलाओं के लिए दिल्ली प्रशासन ने तिहाड़ रोड पर अल्पावधि विश्राम गृह बनाया है, ताकि वे विपत्ति का समय व्यतीत कर सकें।

विवरण

1980 से उन मामलों की संख्या/ब्यौरे जिनमें दुल्हनों/महिलाओं को जलाने अथवा जलने के कारण हुई मृत्यु की सूचना दी गई हो के ब्यौरे/संख्या निम्न प्रकार से है :—

वर्ष	भा०दं०सं० की धारा 302 के अन्तर्गत सूचित किए गए मामले	भा०दं०सं० की धारा 307/ 309, के अन्तर्गत सूचित किए गए मामले	द०प०सं० की धारा 174 के अन्तर्गत सूचित किए गए मामले
1980	12	92	166
1981	13	39	214
1982	21	78	254
1983	19	85	226
1984	26	104	240
1985	19	78	261
1986 (30-6-1986 तक)	14	40	136

[हिन्दी]

"सामाजिक बानिकी योजना के अन्तर्गत राज्यों को धनराशि का आवंटन"

728. श्री विलास मूत्तेमवार
श्री सरफराज अहमद } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत पांच वर्षों के दौरान सामाजिक वानिकी योजना के अन्तर्गत प्रत्येक राज्य को कितनी धनराशि आवंटित की गई है और धनराशि आवंटित करते समय क्या मानदण्ड अपनाये गये हैं;

(ख) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने इस योजना के अन्तर्गत धनराशि की पुन: मांग की है और उनमें से प्रत्येक राज्य को अनुदान के रूप में कितनी धनराशि दी गई है;

(ग) क्या केंद्रीय सरकार ने राज्य सरकारों से धनराशि के उपयोग का ब्यौरा भेजने के लिये कहा है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं;

(घ) किस आधार पर पुन: अनुदान दिये गये हैं; और

(ङ) क्या यह सच है कि कुछ राज्यों ने पौधों को रोपण के लिये नि:शुल्क वितरित करने के बजाय उन्हें बेच दिया है, यदि हां, तो ऐसे राज्यों के नाम क्या हैं जिन्होंने ऐसा किया है और किस आधार पर किया है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मियाउर्रहमान अंसारी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। निधियों का आवंटन निम्नलिखित के आधार पर किया गया था :—

(I) वर्ष के दौरान संबंधित योजना के तहत बजट प्रावधान;

(II) अपने अपेक्षित हिस्से की तुलना में राज्य सरकार द्वारा किया गया बजट प्रावधान;

(III) गत वर्ष में राज्य का कार्य निष्पादन; और

(VI) वर्ष के दौरान उपलब्ध निधि से राज्यों द्वारा प्राप्त किये जाने वाले सम्भावित लक्ष्य ।

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान योजना का क्रियान्वयन वाले सभी राज्य/केंद्र शासित प्रदेशों ने सूचित किया है कि वे योजना का क्रियान्वयन जारी रखेंगे तथा तदनुसार उन्हें अस्थायी आवंटन, जैसा कि संलग्न विवरण में दिया गया है सूचित कर दिया गया है। तदनुसार वर्ष 1986-87 के दौरान निधियां विमुक्त की जाएंगी।

(ग) जी, हां। राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के लिए वास्तविक उपलब्धियों एवं व्यय का ब्यौरा प्रस्तुत करना आवश्यक है।

(घ) जिन आधारों पर अनुदान आवंटित किए जाते हैं, वे ऊपर भाग (क) के उत्तर में दिए गए हैं।

(ङ) कई राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेशों की बालपौधों को नि:शुल्क वितरित करने की नीति है, जिसमें अधिकतर नि:शुल्क वितरित किए जाने वाले बाल-पौधों की सीमा निर्धारित रहती है। इस प्रकार की सीमा से अधिक उपलब्ध बाल-पौधों को बेचा जाता है। कुछ राज्य सरकारों ने कमजोर वर्गों तथा गांवों के गरीब लाभानुभोगियों को बालपौधों को नि:शुल्क मुहैया करने की व्यवस्था भी की है।

विवरण

गत पांच वर्षों के दौरान आवंटित, विमुक्त धनराशि तथा वर्ष 1986-87 में निर्धारित आवंटनों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण

(लाख रुपयों में)

क्र०सं०	राज्य/केंद्र शासित प्रदेश का नाम	पिछले पांच वर्षों के दौरान आवंटित निधि (81-82 से 1985-86)	पिछले पांच वर्षों के दौरान दी गई राशि (81-82 से 1985-86)	86-87 में दर्शाया गया आवंटन
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	424.30	402.69	100.00
2.	असम	304.79	331.63	120.00
3.	बिहार	499.84	396.63	140.00
4.	गुजरात	357.20	295.56	100.00
5.	हरियाणा	298.66	229.38	60.00
6.	हिमाचल प्रदेश	281.67	205.50	80.00
7.	जम्मू व कश्मीर	119.19	2.30	40.00
8.	कर्नाटक	320.79	317.76	90.00
9.	केरल	246.20	234.63	80.00
10.	मध्य प्रदेश	685.48	764.86	150.00
11.	महाराष्ट्र	248.61	91.03	40.00
12.	मणिपुर	103.73	72.28	50.00
13.	मेघालय	113.69	74.21	50.00
14.	नागालैंड	192.80	182.75	80.00
15.	उड़ीसा	362.32	322.70	100.00
16.	पंजाब	244.89	248.70	90.00
17.	राजस्थान	524.79	434.65	110.00
18.	सिक्किम	91.73	44.28	30.00
19.	तमिलनाडु	331.88	303.14	80.00
20.	त्रिपुरा	106.73	77.22	50.00
21.	उत्तर प्रदेश	582.40	360.90	170.00
22.	पश्चिम बंगाल	213.92	115.27	40.00
23.	अरुणाचल प्रदेश	127.80	74.96	20.00
24.	दिल्ली	45.50	33.48	15.00
25.	गोवा, दमन और दीव	45.00	17.40	15.00
26.	मिजोरम	294.06	522.61	100.00
	योग	7167.87	6156.56	2000.00

[अनुवाद]

गेहूं और चावल की खरीद का लक्ष्य

729. **श्री एन० डेनिस**
श्री लक्ष्मण मलिक } : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत वितरण के लिये वर्ष 1985-86 के दौरान गेहूं और चावल की खरीद के क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये थे;

(ख) गत वर्ष की तुलना में प्रत्येक राज्य में की गई वास्तविक खरीद का ब्यौरा क्या है; और

(ग) वर्ष 1986-87 के लिये क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ग) वसूली के कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं किए गए हैं क्योंकि धान और गेहूं की वसूली किसानों को समर्थन मूल्य देने के लिए की जाती है और मिल मालिकों और व्यापारियों पर लेवी के अधीन चावल वसूल किया जाता है।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

1985-86 और 1984-85 की फसलों से गेहूं और चावल की वसूली

(18 जुलाई को स्थिति)

(हजार मीटरी टन में)

राज्य/संघ शासित प्रदेश	गेहूं		चावल (चावल के हिसाब से धान समेत)	
	1985-86	1984-85	1985-86	1984-85
आंध्र प्रदेश	—	—	1555	1768
असम	—	—	28	19
बिहार	—	4	24	28
गुजरात	—	—	19	22
हरियाणा	2321	1959	1048	977
जम्मू तथा कश्मीर	2	1	39	55
कर्नाटक	—	—	80	90
केरल	—	—	—	नग०
मध्य प्रदेश	4	14	592	356
महाराष्ट्र	—	—	1	1
उड़ीसा	—	—	128	101
पंजाब	6467	6135	4198	4266
राजस्थान	102	37	31	45
तमिलनाडु	—	—	850	787
उत्तर प्रदेश	1569	2148	1030	1099
पश्चिमी बंगाल	—	2	67	96
अंडमान तथा नीकोबार द्वीप समूह	—	—	नग०	—
अरूणाचल प्रदेश	—	—	3	3

चंडीगढ़	—	—	7	5
दिल्ली	—	नग०	—	—
पांडिचेरी	—	—	10	10
अखिल भारत	10465	10300	9710	9728

नग० = 500 मीटरी टन से कम ।

केरल द्वारा शुल्क मुक्त चावल खरीदने की अनुमति

730. **श्री टी० बशीर**
श्री के० मोहनदास } : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केंद्रीय सरकार को केरल राज्य में नागरिक पूर्ति निगम के बिक्री केंद्रों के माध्यम से वितरण के लिये बहुतायत वाले राज्यों से शुल्क मुक्त चावल खरीदने हेतु राज्य नागरिक पूर्ति निगम को अनुमति देने के बारे में केरल सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं;

(ग) क्या सरकार ने पिछले वर्ष बहुतायत वाले राज्यों से चावल खरीदने की अनुमति दी थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) चावल के अधिशेष राज्यों से राज्य सरकार के खाते पर लेवी-मुक्त चावल की खरीदारियां करने के लिए अनुमति देने हेतु केरल सरकार से न तो पिछले मौसम में और न ही वर्तमान मौसम में कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है ।

कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब

731. **श्री के० राममूर्ति** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन कार्यक्रमों का राज्य-वार ब्योरा क्या है जिनका कार्यान्वयन परियोजना रिपोर्टों में निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार नहीं हुआ;

(ख) ऐसे कार्यक्रमों की त्रुटियों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं; और

(ग) ऐसे कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में विलम्ब के कारण लागत में कितनी-कितनी वृद्धि हुई है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) यह मंत्रालय 20 करोड़ और इससे अधिक लागत वाली केंद्रीय परियोजनाओं का प्रबोधन करता है । 31-3-1986 की स्थिति के अनुसार, कार्यान्वयनाधीन ऐसी 264 परियोजनाओं में से 134 परियोजनाओं के संबंध में, हाल ही में बताया गया है कि ये अनुसूची के अनुसार कार्यान्वित नहीं की जा रहीं । राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है ।

(ख) परियोजना कार्यान्वयन का प्रबोधन कार्यान्वयन करने वाले मन्त्रालय/विभाग और कार्यक्रम मंत्रालय द्वारा किया जाता है; कमियों का पता लगाया जा रहा है और इन्हें दूर करने के लिए अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है ।

(ग) परियोजना की लागत वृद्धि के अनेक कारण हैं, जिनमें से विलम्ब भी एक है । विलंब के कारण लागत-वृद्धि का अलग से बता पाना संभव नहीं है ।

विवरण

परियोजना रिपोर्ट में निर्धारित अनुसूची के अनुसार कार्यान्वित नहीं किए गए 20 करोड़ रु० और उससे अधिक लागत वाली परियोजनाओं का राज्यवार वितरण

क्र०सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	शक्ति	पैट्रोलियम और प्रकृति गैस	कोयला	इस्पात	खनन	उर्वरक	कागज/ सीमेंट आदि	रेलवे	जल-भूतल परि-वहन	नागर विमा-नन	संचार	परमाणु ऊर्जा	रसायन और पैट्रो-लियम	जोड़
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	उत्तर प्रदेश	4	1	3	—	—	—	—	3	—	—	1	1	—	13
2.	उड़ीसा	1	—	—	2	2	—	—	1	—	—	—	1	—	7
3.	महाराष्ट्र	—	2	2	—	—	—	—	2	2	2	—	—	—	10
4.	गुजरात	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	2	6
5.	आंध्र प्रदेश	3	—	2	1	—	—	2	1	2	—	—	—	1	12
6.	केरल	—	1	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	4
7.	बिहार	4	—	13	2	—	1	—	—	—	—	—	—	—	20
8.	पश्चिम बंगाल	3	—	4	5	—	1	—	1	—	—	—	—	—	14
9.	मध्य प्रदेश	1	—	8	3	1	—	1	3	—	—	—	—	—	17
10.	तमिलनाडु	—	—	3	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	4
11.	असम	2	4	—	—	—	2	2	2	—	—	—	—	—	12
12.	जम्मू और कश्मीर	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1
13.	हिमाचल प्रदेश	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
14.	राजस्थान	—	—	—	—	—	—	—	2	—	—	—	—	—	2
15.	हरियाणा	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	1
16.	त्रिपुरा	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	1
17.	विभिन्न स्थानों/ समुद्र तट से दूर स्थित परियोजनाएं	— (तेल एवं प्राकृतिक गैस आयोग)	8	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	9
18.	शेष	20	19	35	13	3	4	6	18	7	2	1	2	4	134

"केरल में वन-भूमि का वनेतर प्रयोजनों के लिये प्रयोग"

732. **श्री सुरेश कुरूप** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार का वनभूमि का वनेतर प्रयोजनों के लिये प्रयोग करने सम्बन्धी प्रस्ताव केन्द्रीय सरकार के पास विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

क्रम सं०	परियोजना का नाम	वन क्षेत्र	टिप्पणी
1.	अथूमपूकुलम-थामथोड़ी सड़क का निर्माण।	1·2 हेक्टेयर	दिनांक 14-7-86 को राज्य सरकार से क्षेत्र का सही और संशोधित मानचित्र भेजने का अनुरोध किया गया।
2.	1-1-77 से पहले वन भूमि पर अधिकार रखने वालों का मालिकाना हक देने के लिए वन भूमि का दिक्परिवर्तन	28588-159	4-7-1986 को विभाग में प्रस्ताव प्राप्त हुआ।
3.	क्विलोन जिले में कालाड़ा सिंचाई परियोजना के कारण भूमि से बेदखल व्यक्तियों का पुनर्वास।	115.00	11-6-86 को इस विभाग में प्रस्ताव प्राप्त हुआ। भारत सरकार के अधिकारियों द्वारा इस स्थल का निरीक्षण किया जाना है।

प्रमुख क्षेत्रों में पूंजी और उत्पादन का अनुपात

733. **श्री बालासाहेब विखे पाटिल** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या एक अध्ययन के अनुसार अर्थ-व्यवस्था के सभी प्रमुख क्षेत्रों तथा कृषि, निर्माण, खनन, रेलवे में पूंजी, वृद्धि-उत्पादन अनुपात छठी योजना की तुलना में अधिक होने की आशा है;

(ख) क्या पूंजी गत लागत में निरंतर वृद्धि होने के कारण उर्वरकों, सीमेंट, कागज तथा लुग्दी तथा टायरों और ट्यूबों जैसे प्रमुख उद्योगों में नई परियोजनाओं में पूंजी-उत्पादन अनुपात अधिक होने की संभावना है;

(ग) क्या पूंजी-उत्पादन अनुपात तथा पूंजी-वृद्धि उत्पादन अनुपात के अधिक होने को देखते हुए सातवीं योजना के विकास लक्ष्य प्राप्त करना कठिन होगा; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (घ) प्रश्न से यह बात स्पष्ट नहीं है कि माननीय सदस्य किस

अध्ययन का उल्लेख कर रहे हैं। सातवीं योजना के दस्तावेज (खंड-1) के अध्याय-3 में "सातवीं योजना में उद्देश्य, कार्य-नीतियां और समृद्धि का स्वरूप" के ब्यौरे दिए गए हैं, जिसकी मुख्य विशेषताएं नीचे बताई गई हैं :—

वृद्धिकारक पूंजी उत्पादन अनुपात (व. क. पू. उ. अ.), जिससे योजना की अवधि में बाजार की कीमतों पर सकल देशीय उत्पादन की वृद्धि को कुल निवेश से सम्बद्ध किया गया है, इस के सातवीं योजना में लगभग 5 प्रतिशत हो जाने की आशा की जाती है। यह छठी योजना में प्राप्त वृद्धि कारक पूंजी उत्पादन अनुपात से कुछ अधिक हैं। परन्तु 5.5 प्रतिशत के प्रवृत्ति मूल्य से कम है। कुशलता पर बल के कारण इस कम मूल्य के प्राप्त होने की संभावना है जो सातवीं योजना की कार्यनीति का महत्वपूर्ण भाग है। सकल देशीय उत्पादन की वृद्धि दर (साधन लागत पर) सातवीं योजना की अवधि में 5 प्रतिशत से अधिक होने की आशा की जाती है और यह छठी योजना में प्राप्त संवृद्धि दर के अनुरूप है। इस सम्बन्ध में यह उल्लेखनीय है कि 1984-85 को आधार मान कर सातवीं योजना में 5 प्रतिशत वृद्धि दर प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, जो कुल मिला कर सामान्य है जब कि छठी योजना में आधार वर्ष 1970-80 में राष्ट्रीय आय सामान्य से काफी कम थी।

राज्यों की पूर्ति व्यक्ति आय

734. **श्री के० मोहनदास** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में प्रत्येक राज्य में प्रति व्यक्ति आय के बारे में ब्यौरे क्या हैं ?

(ख) केरल में गत पांच वर्षों के दौरान प्रति व्यक्ति आय क्या थी; और

(ग) उन राज्यों, में जहां प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत से कम है, वृद्धि करने की योजना का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) वर्ष 1980-81 से 1984-85 अवधि के लिए केरल सहित विभिन्न राज्यों की प्रति व्यक्ति आय के अनुमान संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ग) सातवीं पंचवर्षीय योजना मुख्यत: परिसम्पत्तियों तथा दक्षताओं का स्थानान्तरण करके तथा वर्ष के मन्दे समय में रोजगार प्रदान करके कई गरीबी उपशमन कार्यक्रम प्रदान करती है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (ए० ग्रा० वि० कार्य०), राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (रा० ग्रा० रो० कार्य०) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम (ग्रा० भू० रो० गा० कार्य०) पर इस दृष्टि से विचार किया गया है। सातवीं पंचवर्षीय योजना में एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम आदि के अन्तर्गत किए गए परिव्यय चयनात्मकता के सिद्धांत पर आधारित होंगे तथा विभिन्न राज्यों में गरीबी की वास्तविकता के आधार पर उन्हें कार्यान्वित किया जायेगा। इनसे अधिक गरीबी अनुपात वाले राज्यों को ऐसे कार्यक्रमों के अन्तर्गत निधियों का अधिक आबंटन प्राप्त करने में सहायता मिलेगी ताकि वे गरीबी में तीव्र कमी प्राप्त कर सकें तथा अपनी प्रति व्यक्ति आय में सुधार कर सकें। इसके अतिरिक्त संशोधित गेडगिल फार्मूला के अन्तर्गत, गैर-विशेष श्रेणी वाले राज्यों को आबंटित केन्द्रीय सहायता का 20 प्रतिशत राष्ट्रीय औसत से कम प्रति व्यक्ति आय रखने वाले राज्यों में बांटा जाता है।

विवरण

प्रचलित मूल्यों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद ।

(1980-81 से 1984-85) (रु०)

राज्य	1980-81	1981-82	1982-83	1983-84	(पी) 1984-85 (क्यू)
1	2	3	4	5	6
1. आन्ध्र प्रदेश	1358	1661	1713	1965	1996
2. असम	1201	1416	1596	1762	1821
3. बिहार	929	1007	1120	1287	1369
4. गुजरात	1928	2330	2400	2823	2997
5. हरियाणा	2325	2594	2873	3059	3296
6. हिमाचल प्रदेश	1545	1856	1967	2244	2316
7. जम्मू तथा कश्मीर	1455	1568	1705	1979	2075
8. कर्नाटक	1453	1644	1679	1957	—
9. केरल	1382	1441	1689	1951	2196
10 मध्य प्रदेश	1183	1285	1423	1721	1716
11. महाराष्ट्र	2232	2466	2634	2983	3232
12. मणिपुर	1294	1423	1498	1673	2062
13. मेघालय	1135	1236	1308	1483	1727
14. नागालैंड	—	—	—	—	—
15. उड़ीसा	1101	1308	1339	1636	1534
16. पंजाब	2681	3094	3418	3560	3835
17. राजस्थान	1220	1433	1622	1908	1838
18. सिक्किम	835	900	1079	1300	—
19. तमिल नाडू	1324	1635	1626	1783	2070
20. त्रिपुरा	1206	—	—	—	—
21. उत्तर प्रदेश	1272	1298	1501	1655	1764
22. पश्चिम बंगाल	1573	1645	1771	2231	—

क्यू:तीव्र अनुमान पी : अनन्तिम

—उपलब्ध नहीं

टिप्पणी : प्रयोग में लाई गई रीति-विधान तथा स्रोत सामग्री में भिन्नता के कारण, विभिन्न राज्यों के आंकड़े पूर्ण रूप से तुलनीय नहीं हैं ।

स्रोत : अर्थ तथा सांख्यिकी निदेशालय

केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की बटालियन बनाना

735. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महिलाओं की बटालियन बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसका उद्देश्य क्या है; और

(ग) उक्त बटालियन कब तक बना दी जाएगी ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) प्रदर्शनों और आन्दोलनों में महिलाओं द्वारा भाग लिये जाने के कारण उत्पन्न होनी वाली कानून और व्यवस्था की स्थितियों से निपटने के लिए महिला बटालियन बनाई जा रही है ।

(ग) बटालियन के नवम्बर, 1986 तक बन कर तैयार हो जाने की संभावना है ।

बच्चों का स्मैक का आदी होना

736. **श्री बनवारी लाल पुरोहित** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में बच्चे दिन-प्रतिदिन स्मैक के सेवन के आदी होते जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस बीमारी से पीड़ित बच्चों को बचाने के लिये कोई कार्यवाही की है; और

(ग) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और सरकार का बच्चों में स्मैक के कुप्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिये क्या अंग्रेता कदम उठाने का विचार है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) इस तरह की जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

(ख) और (ग) औषध दुरूपयोग की समस्या पर नियन्त्रण करने तथा अभिभावकों, अध्यापकों और जनता में इसके दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कानूनी, प्रशासनिक और कल्याणकारी उपाय किए जा रहे हैं ।

"गंगा नदी की सफाई के लिए विदेशी सहायता"

737. **श्री के० श्री० शंकरगौडा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विश्व बैंक ने गंगा की सफाई करने में भारत को सहायता देने का आश्वासन दिया है;

(ख) क्या विश्व बैंक नीदरलैण्ड और फ्रांस के अनेक प्रतिनिधियों ने इलाहाबाद और अन्य क्षेत्रों का दौरा किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या नीदरलैण्ड के प्रतिनिधियों ने अधिकारियों के साथ इस सम्बन्ध में चर्चा की है; और

(घ) यदि हां, तो की गई चर्चा का ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रति-

क्रिया है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) गंगा कार्यकारी योजना के संदर्भ में विश्व बैंक की संभावित सहायता के लिए अस्थाई रूप से निम्नलिखित योजनाओं का पता लगाया गया है :—

(1) उपचार संयंत्रों का पुनःस्थापना कार्य/स्थापना ।

(2) सीवरों की सफाई/पानी की गुणवत्ता के प्रबोधन के लिए उपकरण हासिल करना ।

(3) प्रशिक्षण में तकनीकी सहायता ।

(ख) विश्व बैंक के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली, हरिद्वार-ऋषिकेश, लखनऊ, कानपुर और वाराणसी का दौरा कर लिया है । नीदरलैण्ड की सरकार के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली, कानपुर, मिर्जापुर और वाराणसी का दौरा कर लिया है और फ्रांस के प्रतिनिधियों ने नई दिल्ली और वाराणसी का दौरा कर लिया है ।

(ग) जी, हां ।

(घ) इस सहायता के लिए निम्नलिखित योजनाओं को निर्धारित किया गया है :—

(1) जाजमऊ, कानपुर में समग्र सफाई परियोजना ।

(2) मिर्जापुर, उ० प्र० में सफाई परियोजना ।

(3) वस्त्र, मद्य-निर्माण, चीनी मिल जैसे कतिपय किस्म के उद्योगों द्वारा पैदा किए गए प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक परामर्श देना ।

(4) भारतीय संस्थाओं और संगठनों की क्षमता को सुदृढ़ करना । परियोजना प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है और उन पर बातचीत चल रही है ।

अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह का पर्यटक स्थल के रूप में विकास

738. **श्री अभिताभ बच्चन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह और लक्षद्वीप समूह का अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यटक स्थल के रूप में विकास करने के लिए एक द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण स्थापित किया गया है;

(ख) क्या उद्योगों की स्थापना के लिए इन द्वीपों का हांगकांग की तरह मुक्त पत्तन के रूप में विकास करने का प्रस्ताव है;

(ग) क्या हांगकांग में बसे भारतीयों ने इन पत्तनों का हांगकांग की तरह विकास करने का कोई प्रयास किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण के लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य में मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां । समन्वित विकास कार्यनीति के लिए नीति के मार्गदर्शी सिद्धांत तैयार करने के लिए एक द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण स्थापित करने का निर्णय किया गया है । पर्यटन स्थल के रूप में इन द्वीपसमूहों का विकास पृथक् तरीके से नहीं किया जा सकता है

बल्कि इसका समन्वय इन द्वीपसमूहों के सम्पूर्ण विकास से किया जाना है। इस प्रयोजन के लिए विशेषज्ञों की सहायता से प्राकृतिक संसाधनों, पारिस्थितकीय कठिनाइयों आदि के बारे में अनेक अध्ययन आरंभ करना आवश्यक है।

(ख) और (ग) यह मामला मूलभूत आधार-संरचना और अन्य सुविधाओं की उपलब्धता से जुड़ा हुआ है और इन द्वीपसमूहों में मुक्त पत्तन (फ्री पोर्ट) स्थापित करने के लिए अभी कोई निर्णय नहीं किया गया है।

(घ) द्वीपसमूह विकास प्राधिकरण के उद्देश्य और लक्ष्यों को अंतिम रूप दिया जा रहा है।

भारत-रूस संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान

739. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय और रूसी अन्तरिक्ष यात्रियों की संयुक्त रूप से दूसरी अन्तरिक्ष उड़ान का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां तो, क्या इसे कार्यान्वित किया जा रहा है;

(ग) क्या भारत, भारत-रूस अंतरिक्ष कार्यक्रम के अंतर्गत भारतीय दूर-संवेदन उपग्रह छोड़ रहा है; और

(घ) यदि हां, तो कब ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) फिल्हाल, दूसरी भारतीय और रूसी संयुक्त अंतरिक्ष उड़ान का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) जी, हां।

(घ) वर्तमान कार्यक्रमानुसार इसका प्रमोचन 1987 के लिए निर्धारित है।

नई दिल्ली में पाकिस्तानी राजनयिक पर हमला

740. **श्री वी० तुलसी राम** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 27 जून, 1986 को नई दिल्ली में तैनात पाकिस्तानी राजनयिक पर हमला करके उसको घायल कर दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो उक्त मामले की जांच में क्या प्रगति हुई है; और

(ग) क्या इसके पीछे कोई उद्देश्य सिद्ध हुआ है और इसके लिए किसी को गिरफ्तार किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) लाजपत नगर थाने में भा० द० स० की धारा 341/323 के अंतर्गत 27-6-86 को एक मामला, प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 305 दर्ज किया गया है और जांच पड़ताल की जा रही है। अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं की गयी है।

इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम में पड़े "डिकोडर"

741. **श्रीमती गीता मुखर्जी** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बड़ी संख्या में आयात किये गए "डिकोडर" इलेक्ट्रॉनिकी व्यापार और प्रौद्योगिकी विकास निगम के गोदामों में बेकार पड़े हैं;

(ख) यदि हां, तो कितने "डिकोडरों का आयात किया गया था और उन पर कितनी लागत आई थी और ये किस देश से आयात किए गए थे; और

(ग) कितने "डिकोडरों" का गैर-सरकारी और सरकारी कार्यालयों तथा सार्वजनिक क्षेत्रों के उपक्रमों में उपयोग किया गया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु, ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) जब दूरदर्शन की दूरपाठ (टेलीटेक्ट) सेवा लागू की गई थी, तब स्वदेशी दूरपाठ डिकोडर उपलब्ध न होने के कारण नवम्बर, 1985 में यह निर्णय किया गया कि ई० टी० एण्ड० टी० के माध्यम से मेसर्स सोफ्राटेव नामक फ्रांसीसी सरकार के एक उपक्रम से 10,000 सेट-टॉप डिकोटरों को उनके संशोधन किटों सहित आयात किया जाए जिसकी लागत देश में पहुंचने पर लगभग 2.64 करोड़ रु० होगी।

(ग) ई० टी० एण्ड० टी० ने अब तक 252 दूरपाठ डिकोडर विभिन्न पार्टियों को बेचे हैं, जिनकी सूची संलग्न विवरण में दी गई है। इसके अतिरिक्त, मेसर्स सोफ्राटेव से दूरदर्शन द्वारा उपहार के रूप में प्राप्त 400 डिकोडरों में से लगभग 130 डिकोडर विभिन्न सरकारी कार्यालयों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि में प्रतिष्ठापित किए गए हैं।

विवरण

जिन पार्टियों को ई० टी० एण्ड० टी० द्वारा टेलीटैक्स्ट डिकोडरों की आपूर्ति की गई, उनकी सूची

क्रम सं०	पार्टी का नाम	मात्रा
1.	इलेक्ट्रोनिक्स कंसोर्टियम प्रा० लि०	91
2.	फ्यूज बेस	13
3.	जूपीटर रेडियोज, नई दिल्ली	26
4.	वीडियो	13
5.	बेल्ट्रान	1
6.	वेस्टन	26
7.	क्लाइमैक्स	13
8.	कास्मिक	1
9.	सोनोविजन	1
10.	मोनीका	2
11.	बिनाटोन	1
12.	केनन	2

1	2	3
13.	इंडियन टी० वी०	2
14.	बेल्टेक	2
15.	ट्राइड्रेट	1
16.	इंकास	1
17.	वीडियोन	1
18.	इलेक्ट्रोमैटिक्स	1
19.	ताज पैलेस	1
20.	इलेक्ट्रोनिक्स कार्पोरेशन आफ इंडिया	34
21.	केन्द्रीय इलेक्ट्रॉनिकी लि०	2
22.	हाईबीम	10
23.	नेशनल प्रोजेक्ट्स कंस्ट्रक्शन कार्पोरेशन	1
24.	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केन्द्र, नई दिल्ली	2
25.	श्री प्रतापराव भोंसले, संसद सदस्य, नई दिल्ली	1
26.	खनिज तथा धातु व्यापार निगम	1
27.	इंडियन एअर लाइन्स	1
28.	भारतीय इस्पात प्राधिकरण	1
	कुल	252

[हिंदी]

गेहूं की खरीद

742. **श्री कमला प्रसाद रावत** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा धन और गोदामों की कमी के बहाने गेहूं की कम खरीद किए जाने के कारण किसानों को कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार किसानों से गेहूं खरीदने के लिए भारतीय खाद्य निगम को उपयुक्त अनुदेश जारी करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं। रबी विपणन मौसम 1986-87 (11.7. 86 तक) के दौरान भारतीय खाद्य निगम द्वारा किसानों से की गई गेहूं की वसूली बढ़कर 36.27 लाख मीटरी टन हो गई है जबकि रबी विपणन मौसम 1985-86 के दौरान 26.04 लाख मीटरी टन गेहूं की वसूली की गई थी।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

[अनुवाद]

टी० टी० पी० लिमिटेड केरल द्वारा टिटेनियम का उत्पादन

743. **श्री ए० चार्ल्स** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) टी० टी० पी० लिमिटेड, केरल में टिटेनियम की अधिकतम उत्पादन क्षमता क्या है;

(ख) वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान टिटेनियम का कितना उत्पादन हुआ;

(ग) उत्पादन कम होने के क्या कारण हैं; और

(घ) उद्योग को वर्तमान संकट से बचाने के लिए यदि कोई कदम उठाये गए हैं तो वे क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) से (घ) केरल सरकार से सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

सागर से ऊर्जा प्राप्त करने की परियोजना

744. **श्री धर्म पाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सागर से ऊर्जा प्राप्त करने सम्बन्धी किसी योजना के लिए वित्तीय सहायता देने का है; और

(ख) यदि हां, तो परियोजना का ब्यौरा क्या है और कितनी राशि आवंटित की गई है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी हां, श्रीमान । सरकार द्वारा सागर से तरंग ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा और तापीय ऊर्जा प्राप्त करने के लिए अनुसंधान कार्य को बहुत सक्रियता से प्रोत्साहित किया जा रहा है ।

(ख) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, मद्रास तरंगों से विद्युत उत्पादन करने सम्बन्धी एक परियोजना पर कार्य कर रहा है । 1986-87 के दौरान एक प्रायोगिक संयंत्र के विकास के लिए 15 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है । अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग ने कलकत्ता पोर्ट ट्रस्ट के लिए तरंग ऊर्जा पर एक स्कीम की मंजूरी दे दी है और इस परियोजना के चरण-एक के लिए 1.78 लाख रु० का परिव्यय है ।

विद्युत विभाग के अधीन केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण कच्छ की खाड़ी में एक ज्वारीय विद्युत परियोजना की स्थापना की व्यवहार्यता का अध्ययन कर रहा है । सरकार द्वारा इस परियोजना के लिए 531 लाख रुपये के अनुमान पर स्वीकृति प्रदान कर दी गई है ।

1986-87 के दौरान अपरंपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग और महासागर विकास विभाग ने संयुक्त रूप से 40 लाख रुपये के परिव्यय से एक महासागर तापीय ऊर्जा रूपांतरण (ओ० टी० ई० सी०) कार्यक्रम हाथ में लिया है ।

[हिंदी]

उत्तर प्रदेश के लिए नई औद्योगिक योजनाएं

745. **श्री हरीश रावत** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में शामिल करने के लिये उत्तर प्रदेश सरकार के प्रस्ताव

के अनुसार नये उद्योग स्थापित करने और मौजूदा उद्योग का विस्तार करने की योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ख) केन्द्रीय सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या उपाय किये हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) और (ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

योजना आयोग को प्रस्तुत सातवीं पंचवर्षीय योजना प्रस्तावों में, उत्तर प्रदेश राज्य ने निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अन्तर्गत औद्योगिक स्कीमों का प्रस्ताव किया था।

(करोड़ रु०)

	प्रस्तावित व्यय
1. ग्राम व लघु उद्योग	269.00
2. बड़े एवं मझौले उद्योग	785.00
3. खनन	31.00
	1085.00

इन प्रस्तावों में लघु उद्योगों, औद्योगिक एस्टेट, खादी व ग्राम उद्योग हैंडलूम, पावरलूम, ग्राम व लघु उद्योगों के अन्तर्गत हस्तशिल्प व रेशम उत्पादन राज्य वस्त्र निगम सम्बन्धी कार्यक्रम, सीमेंट, इलेक्ट्रोनिक, चीनी आदि, राज्य औद्योगिक एवं वित्त, निगम आधारभूत संरचना तथा खनिज उद्योग विकास के अधीन कार्यक्रम शामिल थे।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों पर विचार किया गया था तथा इसके बाद योजना आयोग के स्तर पर उत्तर प्रदेश के मुख्य मन्त्री के साथ विचार-विमर्श किया गया।

विभिन्न क्षेत्रकों से सम्बन्धित पारस्परिक प्राथमिकताओं तथा ससाधनों की उपलब्धता पर विचार करते हुए, योजना आयोग ने ग्राम व लघु उद्योगों के लिए 171.50 करोड़ रु०, बड़े तथा मझौले उद्योगों के लिए 399.63 करोड़ रु० तथा खनन सम्बन्धी कार्यों के लिए 28.60 करोड़ रु० के परिव्यय की सहमति दी थी। परिव्यय के वितरण का विवरण नीचे दिया गया है :

(करोड़ रु०)

सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90)

1 2	राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित परिव्यय 3	योजना आयोग द्वारा सहमत परिव्यय 4
ग्रामीण व लघु उद्योग		
1. लघु उद्योग	94.75	
2. औद्योगिक एस्टेट	24.00	
3. खादी व ग्रामीण उद्योग	29.00	
4. हैंडलम	71.75	

1 2	3	4
5. पावर-लूम	1.25	171.50
6. हस्तशिल्प	28.25	
7. रेशम उत्पादन	20.00	
उप जोड़	269.00	171.50
(ख) बड़े व मझौले उद्योग		
1. उत्तर प्रदेश वस्त्र निगम	102.50	
2. उत्तर प्रदेश राज्य सीमेंट निगम	21.00	
3. प्रदेशीय औद्योगिक और निदेश निगम	146.50	
4. उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम	54.00	
5. उत्तर प्रदेश विद्युत निगम	51.00	
6. उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम	40.00	
7. उपस्कर स्थान	5.00	
8. आटो ट्रैक्टर लिमिटेड	20.00	
9. भूमि अधिग्रहण	5.00	
10. आधारभूत संरचनात्मक सुविधाएं	38.00	399.63
11. औद्योगिक विकास क्षमता और साध्यता रिपोर्ट	2.00	
12. नोएडा	15.00	
13. जेनरेटिंग सैंटों पर राजसहायता	16.00	
14. भारी उद्योग खंड (सेक्सन) के लिए स्टाफ	0.25	
15. पिछड़ा क्षेत्र परियोजनाओं के लिए राजसहायता	8.75	
16. पहाड़ी क्षेत्र की स्कीमें (खादी व ग्राम विकास निगम)	10.00	
17. चीनी उद्योग	250.00	
उप जोड़	785.00	399.65
(ग) खनन	31.00	28.60
जोड़	1085.00	599.73

ये कार्यक्रम सम्पूर्ण राज्य में फैले हुए हैं

और नई और विस्तार स्कीमों के अलग से ब्यौरे अभी तक इस आयोग को राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत नहीं किए गए हैं।

[अनुवाद]

असम समझौते को लागू करना

746. श्री अमर राय प्रधान : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि असम समझौते के

क्रियान्वयन के सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : असम समझौते के कार्यान्वयन की प्रगति का एक विवरण संलग्न है ।

विवरण

असम समझौते का कार्यान्वयन

समझौते की क्रम सं०	विषय	प्रगति
1	2	3
5.2	1967 के चुनावों में प्रयोग की गई मतदाता सूचियों में जिनके नाम थे, उनके सहित 1-1-1986 से पहले असम में आये सभी व्यक्तियों को नियमित कर दिया जायेगा ।	नागरिकता (संशोधन) अधिनियम, 1985, 7-12-1985 से लागू हुआ । 1-1-1966 से 24-3-1971 के मध्य आये व्यक्तियों के विषय में इस अधिनियम के उपबंधों को लागू करने के लिए नागरिकता (संशोधन) नियम, 1986 और विदेशी नागरिक (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 का संशोधन 15-1-1986 को अधिसूचित किया गया है।
5.3	विदेशी अधिनियम 1946 और विदेशी (न्यायाधिकरण) आदेश 1964 के उपबन्धों के अनुसार 1-1-1966 (इस तिथि सहित) और 24 मार्च, 1971 के मध्य असम में आए विदेशियों का पता लगाया जायेगा।	राज्य सरकार से पता लगाने का कार्य तत्काल शुरू करने के लिए कहा गया है ।
5.4	पता लगाये गए विदेशियों के नाम वर्तमान मतदाता सूचियों से हटा दिये जायेंगे । विदेशियों का पंजीकरण अधिनियम, 1930 और विदेशियों का पंजीकरण नियम, 1939 के उपबंधों के अनुसार इस प्रकार के व्यक्तियों को अपने आपको संबंधित जिले के पंजीकरण अधिकारियों के पास पंजीकृत कराना होगा ।	इस कार्य को शुरू करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश जारी कर दिये गये हैं।
5.5	इस उद्देश्य के लिए भारत सरकार, सरकारी तंत्र को उचित रूप से मजबूत करेगी ।	विशेष पंजीकरण अधिकारी के रूप में नियुक्त करने के लिए कुछ आवश्यक कर्मचारियों सहित पुलिस अधीक्षक के स्तर के 18 अतिरिक्त पदों के सृजन और वाहन

1	2	3
		खरीदने की स्वीकृति दी गई है और राज्य सरकार को भेज दी गई है।
5.6	पता लगाने की तारीख से 10 वर्ष की अवधि समाप्त होने पर इस प्रकार के नाम जिनके नाम मतदाता सूचियों से हटा दिय गए हैं, बहाल कर दिये जायेंगे।	उचित समय में शुरू किया जाना है
5.7	उन सभी व्यक्तियों को, जिन्हें पहले निष्कासित कर दिया गया था लेकिन पुन: अवैध रूप से प्रविष्ठ हो गए हैं, निष्कासित कर दिया जाएगा।	यह एक सतत प्रक्रिया है। असम राज्य सरकार ने सूचित किया है कि वे कार्य को और तेज करने के लिए पुलिस महानिदेशक असम के प्रस्ताव की जांच कर रही है।
5.8	जो व्यक्ति 25 मार्च, 1971 को या इसके बाद असम में आए थे, उनका पता लगाया जाना जारी रहेगा और कानून के अनुसार उनका नाम हटा दिया जाएगा और निष्कासित कर दिया जाएगा। इस प्रकार के विदेशियों को निष्कासित करने के लिए तुरन्त और व्यवहारिक उपाय किए जाएंगे।	यह भी सतत प्रक्रिया है। राज्य सरकार से इसमें जल्दी करने के लिए कहा गया है।
5.9	अवैध आप्रवासी (न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारण (अधिनियम, 1983 को कार्यान्वित करने के बारे में अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद् द्वारा व्यक्त की गई कुछ कठिनाइयों पर सरकार उचित विचार करेगी।	राज्य सरकार के विचारों की जांच की जा रही है।
6.	असम के लोगों की संस्कृति, सामाजिक भाषायी, पहचान और परम्परा के संरक्षण, इसे बनाए रखने और विकास के लिए संवैधानिक विधायी और प्रशासनिक संरक्षण, जो भी उपयुक्त हो, उपलब्ध कराए जाएंगे।	केन्द्र सरकार के पास कोई सुझाव लम्बित नहीं है।
7.	सरकार इस अवसर पर, असम के त्वरित सर्वांगीण आर्थिक विकास के लिए अपने वायदे को दुहराती है ताकि लोगों के रहन सहन के स्तर को उठाया जाए, राष्ट्रीय संस्थानों की स्थापना के माध्यम से शिक्षा, और विज्ञान और तकनीकी पर विशेष बल	योजना आयोग, असम के त्वरित चौमुखी आर्थिक विकास पर उचित ध्यान दे रहा है। असम की सातवीं योजना का परिव्यय 2100 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है, जबकि छठी योजना का परिव्यय 1115 करोड़ रु० था योजना को लगभग

1	2	3
	दिया जाएगा ।	पूरा धन 2065 करोड़ रु० की केन्द्रीय सहायता द्वारा दिया जाएगा ।
8.1	सरकार भविष्य में नागरिकता प्रमाण पत्रों को जारी करने की व्यवस्था केवल केन्द्र सरकार के प्राधिकारियों द्वारा करायेंगी ।	नागरिकता प्रमाणपत्र जारी करने की शक्ति जिला समाहर्ताओं से वापस ले ली गयी है । इसके बाद यह शक्ति केवल केन्द्र सरकार के पास होगी ।
8.2	भारतीय नागरिकता प्रमाणपत्रों के अनियमित रूप से जारी करने के बारे में अखिल असम छात्र संघ/अखिल असम गण संग्राम परिषद द्वारा की जाने वाली विशिष्ट शिकायतों की जांच की जाएगी ।	अभी तक कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है ।
9.1	वास्तविक अवरोधों जैसे दीवार, कंटीले तार लगाकर और उपयुक्त स्थानों पर अन्य रुकावटे खड़ी करके भविष्य में घुसपैठ के विरुद्ध अन्तरराष्ट्रीय सीमा को सुरक्षित बनाया जाएगा । अंतराष्ट्रीय सीमा के साथ भूमि और नदी तटीय मार्गों पर सुरक्षा बल द्वारा गश्त को गहन किया जाएगा । सुरक्षा प्रबंधों को और मजबूत करने, भविष्य में घुसपैठ को प्रभावकारी ढंग से रोकने के लिए पर्याप्त संख्या में सीमा चौकियां स्थापित की जाएगी ।	असम लोक निर्माण विभाग से, असम के सीमावर्ती क्षेत्र में, प्राथमिक आधार पर, सड़क के निर्माण के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू करने के लिए कहा गया है । सीमा पर आसूचना व सुदृढ़ करने के लिए अन्य सहबद्ध उपाय किए जा रहे हैं ।
9.2	उपयुक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त सुरक्षा के विचारों की दृष्टि से अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ-साथ एक सड़क बनाई जाएगी ताकि सुरक्षा बलों द्वारा सुविधा जनक रूप से गश्त लगाई जा सके । सड़क और सीमा के बीच की भूमि मानव आबादी से मुक्त रखी जाएगी, और जहां आवश्यक होगा अंतर्राष्ट्रीय सीमा के साथ नदी तटीय गश्त गहन की जाएगी । अंतर्राष्ट्रीय सीमा को पार करने और पार करने के प्रयासों को रोकने के लिए सभी कारगर उपाय किये जाएंगे ।	सीमा सुरक्षा बल सीमा बाह्य चाकियों के नेटवर्क को सुदृढ़ करने और निगरानी बुर्जों और उन्हें आवश्यक घुसपैठ विरोधी यंत्रों से लैस करने और दिन-रात गहन सतर्कता और मस्त के लिए वाहनों की एक योजना कार्यान्वित की जा रही है ।
10.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि आदिवासी क्षेत्रों और खंडों में सरकारी भूमि के अतिक्रमण को रोकने से संबंधित कानूनों	राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान कानून प्रर्याप्त हैं और इन्हें सख्ती से लागू किया जाएगा ।

1	2	3
	को सख्ती से लागू किया जाए और ऐसे कानूनों के अधीन निर्धारण के अनुसार अनधिकृत अतिक्रमण कर्ताओं को बेदखल किया जाए ।	
11.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि असम में विदेशियों द्वारा अचल सम्पत्ति के अधिग्रहण को प्रतिबंधित करने वाले संबंधित कानून को सख्ती से लागू किया जाए ।	राज्य सरकार इस संबंध में कार्रवाई शुरू कर रही है ।
12.	यह सुनिश्चित किया जाएगा कि जन्म तथा मृत्यु के रजिस्टरों को विधिवत रखा जाएगा ।	राज्य सरकार के अनुसार वर्तमान प्रबंधों को सुचारू बनाने की दृष्टि से आयुक्तों (स्वास्थ्य) को कहा गया है। राज्य सरकार को, यदि आवश्यक हो आर. जी. आई. से सहायता लेने की सलाह दी गई है ।
13.	अखिल असम छात्र/अखिल असम गण संग्राम परिषद आन्दोलन समाप्त करें, पूर्ण सहयोग का आश्वासन दे और स्वयं को देश के विकास की ओर समर्पित करें ।	आन्दोलन समाप्त कर दिया गया है ।
14.	केन्द्रीय और राज्य सरकार ने सहमति व्यक्त की कि (क) आन्दोलन के संदर्भ में कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के मामलों की सहानुभूतिपूर्वक समीक्षा करना और वापस लेना तथा सुनिश्चित करना की किसी को पीड़ित न किया जाए ।	राज्य सरकार और केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों से प्राप्त सूचना के अनुसार, आन्दोलन में भाग लेने के संबंध में अनुशासनात्मक कार्रवाई की पुनरीक्षा की गयी है ।
14.	(ख) आन्दोलन के दौरान मारे गए व्यक्तियों के निकटतम संबंधी को अनुग्रहपूर्वक अदायगी के लिए योजना बनाना ।	राज्य सरकार के अनुसार आंदोलन के दौरान मारे गए/खोये व्यक्तियों के लगभग सभी मामलों में उनके नजदीकी रिश्तेदार को 5,00। रु० प्रति व्यक्ति के हिसाब से अनुग्रहपूर्वक अदायगी की गई है और उप आयुक्त को शेष किसी मामले का भुगतान करने के लिए प्राधिकृत किया गया है ।
14.	(ग) असम में आंदोलन के संदर्भ में लोक	(I) राज्य सरकार द्वारा 15-8-85 से

1	2	3
	सेवाओं में रोजगार के लिए उच्च आयु सीमा में छूट देने के लिए सहानुभूति पूर्वक विचार करना क्योंकि असाधारण स्थिति के कारण शैक्षिणिक तथा प्रतियोगी परीक्षाएं इत्यादि संचालित नहीं की जा सकीं।	तीन वर्षों की अवधि के लिए 6 वर्ष की सामान्य छूट देने की निर्णय किया गया था। इसे हाल ही में 5 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया है। (II) दिनांक 30 सितम्बर, 1985 को केन्द्र सरकार ने तीन वर्षों के लिए 6 वर्ष की सामान्य छूट देने के आदेश जारी किए हैं।
14.	(घ) नजरबंदी के मामलों में यदि कोई हो, के साथ-साथ जघन्य अपराधों के दोषी व्यक्तियों के अलावा आंदोलन के सम्बन्ध में आपराधिक मामलों के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध मामलों की पुनरीक्षा।	आंदोलन के सम्बन्ध में रा. सु. अ. के अंतर्गत बंदी बनाये गये सभी बन्दियों को रिहा कर दिया गया है। राज्य सरकार ने अपराधिक मामलों की पुनरीक्षा भी की है।
14.	(ड़) निषेध आदेशों, लागू अधिसूचनाओं, यदि कोई हो, को वापस लेने पर विचार करना।	राज्य सरकार ने असम विक्षुब्ध क्षेत्र अधिनियम, 1955 के अंतर्गत अधिसूचना महत्वपूर्ण संस्थानों तथा असम नागालैंड सीमा क्षेत्र को छोड़कर वापस ले ली है जहां सम्भव है, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 144 के अधीन निषेधाज्ञा आदेश वापस ले लिये गये है।

सदर्भ सं०	संक्षिप्त विषय	टिप्पणी
पैरा 3		
(क)	चुनाव आयोग को सही मतदाता सूचियां बनाने को सुनिश्चित करने के लिए अनुरोध किया जायेगा।	चुनाव आयोग ने मतदाता सूचियों के मसौदे पर दावों तथा आपत्तियों को दायर करने के लिए 27 सितम्बर, 1985 तक 30 दिन का समय बढ़ाया था मतदाता सूचियों को तैयार करने के कार्य के निरीक्षण के लिए असम में 10 केन्द्रीय पर्यवेक्षक तैनात किये गये।
(ख)	दावों तथा आपत्तियों के निपटान के लिए समय को 30 दिन के लिए और बढ़ा दिया गया है बशर्ते कि यह चुनाव नियमों के अंतर्गत हों।	
(ग)	चुनाव आयोग को केन्द्रीय पर्यवेक्षकों को भेजने का अनुरोध किया जायेगा।	मतदाता सूचियां अंतिम रूप से 7 नवम्बर, 1985 को प्रकाशित की गई तथा असम में 16-12-1985 को चुनाव हुए।
3 (2)	(क) असम में तेल शोधक कारखाना स्थापित करना।	असम में निजी क्षेत्र में एक तेल शोधक कारखाना स्थापित करने का प्रस्ताव
	(ख) केन्द्र सरकार निम्न को खोलने के लिए	पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

1	2	3
	राज्य सरकार को पूर्ण सहायता देगी ।	के विचाराधीन है ।
	(I) अशोक पेपर मिल	केन्द्रीय तथा सम्बन्धित राज्य सरकारों और वित्तीय संस्थानों के बीच अशोक पेपर मिल को पुन: खोलने के बारे में परामर्श चल रहा है ।
	(II) पटसन मिल	राज्य सरकार ने मिल को रु. 38 लाख की अग्रिम राशि से आंशिक रूप से फिर खोल दिया है, ताकि धन की तत्काल कमी को पूरा किया जा सके, जिसकी उम्मीद है कि वह केन्द्र से प्राप्त हो जाएगा। केन्द्रीय सरकार तथा राज्य सरकार एवं वित्तीय संस्थानों के बीच अतिरिक्त धन और मिल को पूर्ण रूप से पुन: चलाने के मामलों के बारे में विचार विमर्श प्रगति पर है ।
	(ग) असम में एक भारतीय तकनीकी संस्थान खोला जायेगा ।	असम में एक भारतीय तकनीकी संस्थान खोलने के प्रस्ताव पर मानव संसाधन विकास मंत्रालय में सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है, जो इस प्रस्ताव पर राज्य सरकार से सलाह करके कार्रवाई कर रहा है ।

केरल को चावल आवंटन के लिये राज-सहायता

747. प्रो० के० वी० थामस
श्री के० कुन्जप्पु
श्री पी० जे० कुरियन
श्री वी० एस० विजयराघवन
श्री के० मोहनदास } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1986-87 के दौरान प्रत्येक महीने अब तक केरल को आवंटित किये गये चावल की मात्रा कितनी है;

(ख) क्या मानसून अवधि के दौरान और चावल आवंटित किया जायेगा; और

(ग) वर्ष 1985-86 और 1986-87 की अवधि के दौरान केरल को चावल की सप्लाई के लिये केन्द्र सरकार द्वारा कितनी सहायता दी गई ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पाँजा) : (क) और (ख) 1986 के दौरान, सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए

केरल को चावल का मासिक आवंटन 1,25,000 मीटरी टन रहा है। इसके अतिरिक्त, जून, 1986 और जुलाई, 1986 के महीनों के लिए क्रमश: 20,000 मीटरी टन और 25,000 मीटरी टन के विशेष अतिरिक्त आवंटन भी किए गए हैं।

(ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत केरल में चावल के निर्गमों में अन्तर्ग्रस्त राजसहायता की राशि वर्ष 1985-86 के दौरान 109.46 करोड़ रुपये और वर्ष 1986-87 (मई, 1986 तक) के दौरान 20.21 करोड़ रुपये होने का अनुमान है।

बंगलौर में उन्नत कम्प्यूटरों के पुर्जों का एकक

748. **श्री श्रीकांत दत्त नरसिंह राज वाडियर** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में उन्नत कम्प्यूटरों के पुर्जों का एकक स्थापित करने का विचार है;

(ख) क्या प्रस्तावित एकक में कम्प्यूटरों के लिये "माइक्रोफिव रीडर" तथा उन्नत "प्रिंटेड सर्किट बोर्ड" बनाये जायेंगे;

(ग) यदि हां, तो इस परियोजना की लागत क्या है;

क्या यह परियोजना सरकारी क्षेत्र में या गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित करने का विचार है; और

(ड़) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) (i) भूमि तथा भवन के लिए 16 लाख रु.;
(ii) स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं के लिए 8 लाख रु.;
(iii) आयातित पूंजीगत वस्तुओं के लिए 40 लाख रु.।

(घ) निजी क्षेत्र द्वारा।

(ङ) कम्पनी को निम्नलिखित वस्तुओं के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी किए गए हैं :— (i) उच्च गति वाले अक्षर मुद्रक (डाट मैट्रिक्स मुद्रक) 1000 नग प्रतिवर्ष, (ii) मिनी (लघु) फ्लापी डिस्क ड्राइव-2000 नग प्रतिवर्ष, तथा (iii) लो प्रोफाइल इलेक्ट्रोनिक की बोर्ड-1500 नग प्रतिवर्ष। इनके लिए एकक की स्थापना कर्नाटक में बंगलौर-होसुर मार्ग पर ग्राम कोन्नप्पना, अग्राहरा में की जाएगी। वे इस परियोजना को विदेशी सहयोग से क्रियान्वित करने जा रहे हैं।

सुपर कम्प्यूटरों के लिये करार

749. **श्री वसंतराव गडाख पाटिल** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राज्य अमरीका और जापान द्वारा सुपर कम्प्यूटरों की सप्लाई हेतु किसी अंतिम करार पर हस्ताक्षर किये गये हैं; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब होने के कारण क्या हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी नहीं, ।

(ख) भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के सुपर कम्प्यूटरों का मूल्यांकन कर रही है। इस मूल्यांकन के पूरा होने पर ही सुपर कम्प्यूटर की किस्म एवं उसकी संविरचना के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा गोपनीय रिपोर्ट लिखना

750. **श्री शांताराम नायक** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार सरकारी कर्मचारियों की किसी श्रेणी अथवा श्रेणियों को अपनी गोपनीय रिपोर्ट लिखने की अनुमति देने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए वर्ष 1985-86 से लागू किए गए गोपनीय रिपोर्ट के प्रपत्रों में अधिसमय वेतनमान स्तर तक के जिस अधिकारी की रिपोर्ट लिखी जानी होती है उसके संबंध में इस आशय का प्रावधान किया गया है कि वह वर्ष के दौरान अपनी-अपनी उपलब्धियों और योगदान का उल्लेख करें। यह एक प्रकार का "स्व-मूल्यांकन" होता है जो कि उद्देश्यपरक प्रबन्ध (मैनेजमेंट बाई आबजेक्टिवस्) सिद्धान्त के अनुरूप है। रिपोर्ट लिखने वाले प्राधिकारी को इन पहलुओं पर टिप्पणी करनी होती है।

समूह "क" की सभी केन्द्रीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रण प्राधिकारियों को यह सलाह दी गई है कि वे भारतीय प्रशासनिक सेवा के लिए संशोधित किए गए गोपनीय रिपोर्ट के प्रपत्रों के अनुसार ही अपने अधिकारियों की गोपनीय रिपोर्ट के प्रपत्रों को संशोधित करें।

अमरीकी अन्तरिक्ष कार्यक्रम में गतिरोध का भारत के इन्सैट-1 सी संबंधी कार्यक्रम पर प्रभाव

751. **श्री मुरली बेंबरा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) संयुक्त राज्य अमरीका के अन्तरिक्ष कार्यक्रम में हाल ही में गतिरोध आ जाने से भारत के इन्सैट-1 सी. कार्यक्रम पर किसी प्रकार का और किस सीमा तक प्रभाव पड़ा है;

(ख) व्यापक "ज्ञान" के प्रसार के अभियान के रूप में संचार शिक्षा आदि के क्षेत्र में तैयार की गई हमारी विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) क्या सरकार भविष्य में इस प्रकार का गतिरोध आ जाने पर किसी विकल्प के संबंध में विचार कर रही है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) 28 जनवरी, 1986 को हुई "चैलेंजर" की दुर्घटना से पहले इन्सैट-I सी० को चैलेंजर द्वारा सितम्बर 1986 के अंत तक छोड़ा जाना था। दुर्घटना के बाद, अन्तरिक्ष शटल (एस० टी० एस०) की उड़ानें फिलहाल

स्थगित कर दी गई हैं और इनके 1988 की प्रथम तिमाही से पहले पुन: प्रारम्भ होने की संभावना नहीं है। अत: इन्सैट-I सी० को छोड़ने लिए एस० टी० एस० प्रमोचन के 1988 अन्त/1989 के प्रारंभ से पूर्व उपलब्ध होने की कोई संभावना नहीं है। इन्सैट-I सी० के लिए डेल्टा 3920 (अपचेय प्रमोचक) राकेट के भी कम से कम 1988 के उत्तरार्ध तक प्राप्त होने की संभावना नहीं है।

(ख) स्थिति अनुरक्षण और केन्द्र को बनाए रखने के लिए इन्सैट-I बी० में विद्यमान ईंधन के इन्सैट-1 बी० उपग्रह के 1989 के अंत तक, जिसमें छ: माह कम या अधिक हो सकते हैं, उपयोगी जीवन होने की संभावना है। जब तक इन्सैट-I बी० उपग्रह सन्तोषप्रद रूप में कार्य करता रहता है, इन्सैट-I सी० के प्रचालनीकरण में हुए विलम्ब के कारण इन्सैट सेवा पर जो मूल प्रभाव पड़ेगा वह इन्सैट-I सी, "सक्रिय, अतिरिक्त उपग्रह" का उपयोग करते हुए निर्धारित की गई कुछ क्षेत्रीय टी० वी० भरणों पर और लम्बी दूरी की दूरसंचार सेवा में की जाने वाली वृद्धि तक ही सीमित रहेगा। इस प्रभाव को न्यूनतम करने के लिए इन्सैट-I सी० जिसके फिलहाल 1988 की प्रथम तिमाही में छोड़े जाने की संभावना है, को यथाशीघ्र छोड़ने के लिए वैकल्पिक प्रमोचन सेवा प्राप्त करने के लिए कार्रवाई की गई है। इसके प्रमोचन को 1987 के उत्तरार्ध में पहले कराने के प्रयास जारी रहेंगे।

(ग) वर्तमान स्थिति, जिसमें छः महीने की अवधि के अन्तर्गत कई विभिन्न प्रमोचक (लांचर) असफल हुए हैं, अत्यन्त असाधारण है। इस समस्या का वास्तविक हल आत्म-निर्भरता प्राप्त करना है। इन्सैट की द्वितीय पीढ़ी (इन्सैन्ट-II) के उपग्रहों का अब स्वदेशी रूप में विकास किया जा रहा है। अगला सुस्पष्ट कदम, जिस पर प्रारम्भिक कार्रवाई शुरू हो गई है, उपयुक्त निम्नतापी ऊपरी खण्ड का विकास किया जाना है, जो कि विकासाधीन ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट के प्रथम दो खण्डों की सहायता से इन्सैट-II श्रेणी के उपग्रहों के लिए भूस्थायी प्रमोचन क्षमता प्रदान कर सकता है।

भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं का समाधान

752. **श्री चिन्तामणि पाणिग्राही** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसी कोई व्यवस्था कर रही है जिससे भविष्य में भूतपूर्व सैनिकों की समस्यायें स्वत: हल हो जायेंगी;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या है; और

(ग) इस कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिये किन-किन एजेंसियों को सम्मिलित किया गया है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) भूतपूर्व सैनिकों की समस्याओं की स्वत: हल करना संभव नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।]

[हिंदी]

भारतीय खाद्य निगम द्वारा गेहूं की खरीद

753. **श्री राज कुमार राय** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गेहूं की खरीद के मामले में भारतीय खाद्य निगम और राज्य के अभिकरणों ने पिछले सभी रिकार्ड तोड़ दिये हैं;

(ख) क्या यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश को छोड़कर जहां कम खरीद हुई है अन्य सभी राज्यों में खरीद में वृद्धि हुई है;

(ग) उत्तर प्रदेश में गेहूं की खरीद में आई गिरावट के क्या कारण हैं; और

(घ) इस संबंध में सुधार लाने के लिये सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) 1986-87 के रबी विपणन मौसम के दौरान सभी राज्यों में कुल वसूली सभी समय के रिकार्ड को पार कर 104.65 लाख मीटरी टन तक पहुंच गई है। तथापि, 1986-87 के रबी विपणन मौसम के दौरान उत्तर प्रदेश में गेहूं की वसूली पिछले मौसम में की गई 21.48 लाख मीटरी टन की वसूली की तुलना में घट कर 18.7.1986 को 15.70 लाख मीटरी टन हो गई है।

(ग) उत्तर प्रदेश में गेहूं वसूली में कमी प्रत्यक्षत: निजी व्यापारियों द्वारा गेहूं की खरीदारी करने के कारण हुई है।

(घ) सरकारी एजेंसियों द्वारा गेहूं की वसूली तभी की जाती है जब किसानों द्वारा स्वेच्छा से भारत सरकार द्वारा निर्धारित किए गए मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए पेशकश की जाती है। उत्तर प्रदेश में किसानों द्वारा बिक्री के लिए पेश किए गए गेहूं को खरीद लिया गया है। गेहूं की वर्तमान समूची वसूली और स्टाक स्थिति संतोषजनक है।

[अनुवाद]

बाल गृह

754. **श्री मोहम्मद महफूज अली खां**
श्री मूल चन्द डागा } : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को दिल्ली में पांडव नगर स्थित बाल गृह में रहने वाले बच्चों के साथ उन्हें दंड के रूप में विष्ठा खाने को मजबूर करके अति अमानवीय व्यवहार किये जाने की जानकारी है जैसा कि 14 मई, 1986 के इण्डियन एक्सप्रेस में समाचार छपा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले तथा बाल गृह के कार्यकरण की भी कोई जांच कराई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) बाल गृहों के कार्यकरण में सुधार करने तथा दोषी व्यक्तियों को दंड देने के लिये सरकार द्वारा क्या-क्या आचारात्मक कदम उठाये गये हैं/उठाये जाने का विचार है?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) जी, हां।

(ख) से (घ) इस बाल गृह का संचालन, सरकार की अनुदान सहायता से एक स्वयंसेवी संगठन "भारतीय आदिम जाति सेवक संघ" के द्वारा किया जा रहा है।

दिल्ली प्रशासन द्वारा की गई प्राथमिक जांच के आधार पर गृह के सुपरवाइजर को

निलम्बित कर दिया गया है और उनके विरूद्ध कार्यवाही की जा रही है। अवैतनिक कार्यकर्ता को, जो बाल गृह के प्रभारी थे, बाल गृह के कार्यकलापों से अलग कर दिया गया है।

"स्वीकृति के लिये लम्बित परियोजनाएं"

755. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के पास पर्यावरणीय दृष्टि से स्वीकृति के लिये लम्बित परियोजनाओं की संख्या कितनी है;

(ख) क्या इनके निपटान में महत्वपूर्ण क्षेत्र की परियोजनाओं को कोई प्राथमिकता दी गई है;

(ग) क्या उड़ीसा ताप संयंत्र की परियोजना स्वीकृति के लिये लम्बित है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) क्या पर्यावरण विभाग द्वारा परियोजनाओं को स्वीकृति देने में देरी किये जाने के कारण सातवीं पचवर्षीय योजना के लक्ष्यों में व्यवधान आने की सभावना है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लम्बित पड़ी खनन, ताप बिजली, उद्योग और पन-बिजली जैसी विभिन्न क्षेत्रों की विकास परियोजनाओं की संख्या 244 है। इनमें से 208 परियोजनायें परियोजना प्राधिकारियों द्वारा अपेक्षित जानकारी न दिये जाने के कारण लम्बित पड़ी हैं। वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत 76 परियोजनाएं इसी कारण से लम्बित पड़ी हुई हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : जबकि इन ताप बिजली स्टेशन (4×210 मैगावाट) को मंजूरी दे दी गई है, तलचर सुपर ताप बिजली स्टेशन (2×500 मैगावाट) विचाराधीन है। इस उद्देश्य से गठित एक अतः मंत्रालयी, बहु विषयक कार्यकारी दल ने पहले ही इस स्थल का दौरा कर लिया है और एक रिपोर्ट दे दी है जिसके आधार पर शीघ्र ही अन्तिम निर्णय लिया जाएगा।

(ङ) जहां भी पूर्ण रूप से सूचना उपलब्ध कराई गई है, वहां पर्यावरणीय दृष्टिकोण से परियोजनाओं की मंजूरी में विलम्ब नहीं हुआ है।

खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता

756. **श्री पी० कुलनवईवलू** : क्या **खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्मनिर्भर है और खाद्य उत्पादन के मामले में कौन से राज्य आत्मनिर्भर नहीं हैं;

(ख) क्या उन राज्यों को खाद्यान्नों का कोई अतिरिक्त आवंटन किया गया है जो आत्मनिर्भर नहीं हैं और राज्य-वार कितना आवंटन किया गया है; और

(ग) क्या इस चालू मौसम में तमिलनाडु को आवंटन किया जा रहा है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सामान्य वर्षा और मौसमी परिस्थितियों में भारत खाद्यान्नों के मामले में आत्म-निर्भर है। उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर, राज्यों को आत्म-निर्भर के रूप में अथवा अन्यथा वर्गीकृत करना सम्भव नहीं है।

(ख) उपर्युक्त (क) की दृष्टि में प्रश्न ही नहीं उठता ।

(ग) जी, हां ।

युद्ध में मारे गये सैनिकों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों को सुविधायें

757. डा० ए० के० पटेल
श्री सी० अंगा रेड्डी } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) युद्ध में मारे गये/लापता हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/परिवार के सदस्यों को क्या-क्या सुविधाएं प्रदान की गई हैं;

(ख) क्या सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में दी गई सुविधाएं समान है; यदि नहीं, तो उनमें क्या असमानता हैं;

(ग) राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों के नाम सहित उन सुविधाओं का ब्योरा क्या है जो कुछ राज्यों को प्रदान नहीं की गई हैं; और

(घ) समूचे देश में एक समान सुविधायें उपलब्ध कराने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण सिंह) : (क) युद्ध में मारे गए/लापता हुए रक्षा कार्मिकों की विधवाओं/ परिवार के सदस्यों को सामान्यत: निम्न-लिखित सुविधाएं दी जाती है ।

(i) संबधित सेना की कल्याण निधियों से और युद्ध में वीरगति प्राप्त और अशक्त हुए भूतपूर्व सैनिकों के विशेष सहायता निधि से उनकी व्यक्तिगत परिस्थितियों एवं आवश्यकताओं के आधार पर नकद राशि प्रदान करना ।

(ii) 23 वर्ष की आयु तक शिशु भत्ता ।

(iii) वास्तविक व्यय के अनुसार बाल शिक्षा भत्ता, लेकिन इसकी अधिकतम राशि अफ-सरों के मामले में 50 रु० प्रतिमाह प्रति बालक और जे० सी० ओ०/अन्य रैंकों के मामले में 19 रु० प्रतिमाह प्रति बालक होती है ।

(iv) ट्यूशन फीस, बोर्डिंग के खर्चों, वर्दी (यूनीफार्म) और किताबों एवं स्टेशनरी के लिए शैक्षणिक रियायतें तथा छात्रवृत्तियां ।

(v) आरक्षित रिक्तियों पर चिकित्सा तथा व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थानों में भर्ती के लिए तरजीह देना (सशास्त्र सेनाओं के मृत्यु को प्राप्त/अशक्त कार्यरत और भूतपूर्व सैनिकों के बच्चों के लिए चिकित्सा/दंत कालेजों में प्रतिवर्ष 40 सीटें आरक्षित हैं । कई राज्यों में इन्जी-नियरी संस्थानों में भी इस तरह के आरक्षण उपलब्ध हैं लेकिन प्रत्येक राज्य में इनकी संख्या अलग-अलग है ।)

(iv) तेल उत्पादक एजेंसियों, जय जवान स्टालों, मकान की जगह और मकानों एव फालतू भूमि के आवटन में तरजीह, लेकिन अलग-अलग राज्यों में इसका स्वरूप तथा मात्रा अगल-अलग होती है ।

(vii) युद्ध में मारे गए रक्षा कार्मिकों के परिवार के दो सदस्यों को रोजगार सहायतां ।

(ख) और (ग) सभी राज्यों में ये सुविधाएं एक समान नहीं हैं । उदाहरण के लिए उपलब्ध सूचना के अनुसार नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा राज्यों और अरूणाचल प्रदेश, मिजो-

रम और पांडिचेरी के संघ शासित प्रदेशों में मकान की जगह/मकान के लिए आरक्षण नहीं है। इसी प्रकार नागालैंड, सिक्किम, मेघालय राज्यों एवं संघ शासित प्रदेश अरूणाचल प्रदेश, मिजोरम एवं अण्डमान एवं निकोबार में व्यावसायिक कालेजों में कोई आरक्षण नहीं है क्योंकि वहां व्यावसायिक कालेज नहीं है। सामान्यतः बड़े राज्यों में एक जैसी सुविधाएं उपलब्ध है। उनमें स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार बहुत कम अन्तर है।

(घ) भारत सरकार भूतपूर्व सैनिकों से संबंधित समस्याओं को हल करने के लिए सभी राज्यों में एक समान सुविधाएं मुहैया कराने के प्रयास करती है। केन्द्रीय सैनिक बोर्ड के फोरम में प्रतिवर्ष इस स्थिति की समीक्षा भी की जाती है जिसमें सभी राज्यों के प्रतिनिधि भाग लेते हैं।

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए पदोन्नति नीति

758. **श्री आर० एस० माने** : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संयुक्त सचिव और उससे ऊपर के पदों पर पदोन्नति के संबंध में गत वर्ष क्या आश्यक सुधार किये गये;

(ख) क्या ऐसी पदोन्नतियों में किसी प्रकार की प्रतिशतता प्रणाली शुरू की गई है;

(ग) प्रस्तावित प्रतिशतता की प्रणाली से पदोन्नति के कारण सेवाओं को अनुचित प्रतियोगिता और अवांछित तरीकों से प्रभावित होने से किस प्रकार रोकने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या सरकार का इस प्रणाली की पुनरीक्षा करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) केन्द्र में सयुक्त सचिव तथा उससे ऊपर के स्तर के पदों पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों को पैनल में शामिल करना उनके रिकार्ड तथा कार्यनिष्पादन पर आधारित उनकी योग्यता के मूल्यांकन के आधार पर किया जाता है। नियुक्तियां पैनलों में से की जाती हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) पैनल में शामिल किए जाने तथा नियुक्ति किए जाने की प्रक्रियाओं की समय-समय पर पुनरीक्षा की जाती है।

पेंशन नीति में परिवर्तन करना

759. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन नीति में परिवर्तन करने और उसे और अधिक उदार बनाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या चौथे वेतन आयोग द्वारा अपने 3 खण्डों की रिपोर्ट में पेंशन नीति को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा मुद्रास्फीति और मूल्य वृद्धि के कारण पीड़ित पेंशनभोगियों को सहायता देने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐमती) : (क) से (ग) मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति प्रसुविधाओं सहित पेंशन के ढ़ांचे की जांच का कार्य चतुर्थ केन्द्रीय वेतन आयोग को सौंपा गया है ताकि वर्तमान और भावी—दोनों प्रकार के सभी पेंशनभोगियों के लिए

पेंशन का एक समुचित ढांचा उपलब्ध हो सके। आयोग ने अपनी रिपोर्ट को दो भागों में विभाजित किया है। परिलब्धियों, भत्तों के ढांचे, सेवा की शर्तों इत्यादि से संबंधित प्रथम भाग सरकार को 30 जून, 1986 को प्रस्तुत कर दिया गया था। पेंशन के मामलों से संबंधित दूसरे भाग के लगभग 3/4 महीनों में प्राप्त हो जाने की सम्भावना है। इस बीच पेंशनभोगियों को तृतीय वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार महंगाई राहत मंजूर कर दी गई है।

तालचेर भारी जल संयंत्र

760. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में हुए विस्फोट के कारण तालचेर भारी जल संयंत्र को संकट का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) भविष्य में इस प्रकार के संकट को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय करने का विचार है;

(ग) क्या स्थल चयन समिति को पश्चिम बंगाल सरकार से राज्य में इस प्रकार का सुपर परमाणु विद्युत संयंत्र स्थापित करने के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) संयंत्र में रिसाव होने और उसके बाद उसमें आग लगाने के कारण पाइपिंग और नियंत्रण प्रणाली को कुछ मामूली क्षति पहुंची थी। आवश्यक मरम्मत की जा रही है। अनुरक्षण संबंधी प्रक्रियाओं में सुधार लाने के लिए निदेश दे दिए गए हैं ताकि इस प्रकार की घटनाएं फिर से न होने पाएं।

(ग) पश्चिमी बंगाल सरकार ने परमाणु बिजलीघर लगाने के लिए कुछ स्थलों का सुझाव दिया है।

(घ) पूर्वी विद्युत क्षेत्र के बारे में, जिसमें पश्चिमी बंगाल भी शामिल है, स्थल चयन समिति की रिपोर्ट सरकार के विचाराधीन है।

चीनी कारखाने स्थापित करने के लिए लाइसेंस देना

761. **कुमारी डी० के० तारादेवी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों में चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए कितने लाइसेंस जारी किये गये; और

(ख) क्या आयात करने की बजाय सरकार का विचार चीनी का उत्पादन बढ़ाने का है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) नई चीनी फैक्ट्रियां स्थापित करने के लिए पिछले दो चीनी वर्षों अर्थात् 1983-84 और 1984-85 (अक्तूबर-सितम्बर) के दौरान, 19 आशय पत्र/लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) जी, हां।

भारत में दहेज के कारण होने वाली मौतें

762. श्री हुसैन दलवाई : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985-86 और 1-4-1986 से 30-6-1986 तक भारत में राज्यवार नव-विवाहित लड़कियों की दहेज अथवा उसके संदेह मे कितनी मौतें हुई हैं ।

(ख) क्या यह सच है कि इस संबंध में कानून बनाए जाने के बावजूद भी इस प्रकार के होने वाली मौतों को पूरी तरह से नहीं रोका गया है;

(ग) कितनी राज्य सरकारों ने दहेज के कारण होने वाली मौतों का पता लगाने, उनकी जांच करने और उनको रोकने के लिए विशेष कक्ष गठित किये हैं;

(घ) क्या केंन्द्रीय सरकार ने दहेज के कारण होने वाली मौतों को रोकने के लिए मार्ग-निर्देश जारी किये हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) से (ङ) ऐसे अपराधों से संबंधित कानून को लागू करने की जिम्मेवारी राज्यों सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों की है ।

वर्ष 1984-1985 तथा मई, 1986 तक दहेज के कारण हुई मौतों के सूचित किए गए मामलों के बारे में उपलब्ध सूचना संलग्न में विवरण दी गई है ।

राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों ने युवतियों की मौत के मामलों की जांच पड़ताल पुलिस उपअधीक्षक के पद से नीचे के अधिकारियों से नहीं कराने, शव परीक्षा दो डाक्टरों की टीम द्वारा कराने, पुलिस से अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने, दुल्हन के माता-पिता अथवा संरक्षक अथवा रिश्तेदारों द्वारा शव को देखे बिना प्रमाण-पत्र को जारी नहीं करने तथा जांच पड़ताल में सहायता करने तथा स्त्रियों के प्रति अपराधों को रोकने की दृष्टि से स्त्रियों को उचित प्रतिनिधित्व देते हुए जिला सलाहकार समिति की स्थापना करने को सुनिश्चित करने का अनुरोध किया गया है ।

विवरण

1984 से 1986 के दौरान भारत में जलने अथवा आत्म हत्या के द्वारा दहेज के कारण हुई मौतों सहित "दहेज के कारण हुई मौतों के मामलों की संख्या का विवरण

क्र० सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	1984	1985	1986	टिप्पणी
1.	2.	3	4	5	6
राज्य					
1.	आन्ध्र प्रदेश	6	13	उ० न०	
2.	आसाम	5	1	5	अप्रैल, 1986 तक
3.	बिहार	8	16*	—	
4.	गुजरात	8	10	—	जनवरी, 1986 तक

1	2	3	4	5	6
5.	हरियाणा	54	99	64	मई, 1986 तक
6.	हिमाचल प्रदेश	5	3	2	मई, 1986 तक
7.	जम्मू एवं कश्मीर	—	20**	उ० न०	
8.	कर्नाटक	32	35	14	अप्रैल, 1986 तक
9.	केरल	1	5	1	मार्च, 1986 तक
10.	मध्य प्रदेश	उ० न०	—	—	अप्रैल, 1986 तक
11.	महाराष्ट्र	124	136	32	मार्च, 1986 तक
12.	मनीपुर	—	—	—	अप्रैल, 1986 तक
13.	मेघालय	—	—	—	मार्च, 1986 तक
14.	नागालैंड	—	—	—	मई, 1986 तक
15.	उड़ीसा	4	—	3	मार्च, 1986 तक
16.	पंजाब	34	32	2	फरवरी, 1986 तक
17.	राजस्थान	30	29	29	मई, 1986 तक
18.	सिक्किम	—	—	—	मई, 1986 तक
19.	तमिलनाडु	11	12	5	अप्रैल, 1986 तक
20.	त्रिपुरा	—	—	—	मई, 1986 तक
21.	उत्तर प्रदेश	182	323	110	अप्रैल, 1986 तक
22.	प० बंगाल	उ० न०	88	उ० न०	
	संघ शासित क्षेत्र				
23.	अण्डमान तथा निकोबार द्वीप समूह	—	—	—	मई, 1986 तक
24.	अरूणाचल प्रदेश	—	—	—	मार्च, 1986 तक
25.	चण्डीगढ़	—	2	—	अप्रैल, 1986 तक
26.	दादरा तथा नागर हवेली	—	—	—	जून, 1986 तक
27.	दिल्ली	30	33	16	मई, 1986 तक
28.	गोआ, दिव तथा दमन	—	—	—	मई, 1986 तक
29.	लक्यद्वीप	—	—	—	मई, 1986 तक
30.	मिजोरम	—	—	—	मई, 1986 तक
31.	पांडिचेरी	—	—	—	मई, 1986 तक

टिप्पणी : 1. आंकड़ों को अन्तरिम समझा जाय ।

2. उ०न० का अर्थ है, उपलब्ध नहीं ।

3. प्रत्येक कालम में (–) शून्य सूचना का संकेत देता है ।

4. * 1985 के अगस्त तथा सितम्बर को छोड़कर

5. फरवरी, 1985 तक

मायापुरी, दिल्ली में अवैध हथियारों की फैक्टरी

763. डा० गौरी शंकर राजहंस : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जून, 1986 के दौरान दिल्ली में मायापुरी में एक अवैध हथियारों की फैक्टरी पकड़ी गई है;

(ख) यदि हां, तो फैक्टरी से जब्त किए गये हथियारों, का गोला, बारूद और अन्य चीजों का पूरा ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रकार की अवैध हथियारों की फैक्टरियों के चलने पर निगरानी रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) फैक्टरी से निम्नलिखित वस्तुएं बरामद की गयी :—

1. 7 पूर्ण हवाई पिस्तोल,
2. 201 पूर्ण पाईप
3. 59 कमानी
4. 407 पिस्तोल की नलियां
5. हवाई पिस्तोल के लिए 2400 रबड़-बुसर
6. एक पिस्तोल कवर
7. 19 हवाई गन बजट
8. 3 हवाई पिस्तोल, टोमी निशान वाली
9. 2 हवाई गन
10. 284 फिनिशड पाईप
11. 49 स्प्रिंग
12. एक बरंहियर,
13. 12 सूईयां
14. एक वेजीमीटर,
15. 8 अलग-अलग सीलें
16. विभिन्न प्रकार की 16 मशीनें।

(ग) इस प्रकार की अवैध फैक्ट्रियों और अवैध शस्त्रों की बिक्री का पता लगाने के लिए दिल्ली पुलिस ने अनेक उपाय किए हैं; जैसे :—

(i) अवैध शस्त्रों के निर्माण और तस्करी में अन्तर्ग्रस्त संदिग्ध व्यक्तियों पर सख्त निगरानी रखी जाती है।

(ii) आसूचना तंत्र को मजबूत किया गया है।

(iii) संदिग्ध स्थानों की जांच करने के लिए सावधिक छापे मारे जाते हैं।

(iv) इस प्रकार के शस्त्रों को ले जाने वाले संदिग्ध व्यक्तियों पर निगरानी रखने के लिए सामरिक महत्व के स्थानों पर सशस्त्र टुकड़ियां तैनात की गयी है।

(v) इस प्रकार के शस्त्रों के ले जाने वालों का पता लगाने के लिए सीमा जांच चौकियां

स्थापित की गयी है।

(vi) शस्त्रों के तस्करों/निर्माण करने वालों का पता लगाने/पकड़ने की कार्रवाई का समन्वय करने के लिए पड़ोसी राज्यों के लिए पुलिस प्राधिकारियों के साथ नियमित बैठकें की जाती है।

रोलर आटा मिलों के लिए लाइसेंस

764. **श्री एस० जी० घोलप** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने रोलर आटा मिलों के लिए लाइसेंस हेतु आवेदन मांगे हैं;

(ख) यदि हां, तो महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक राज्यों से कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ग) क्या सरकार का रोलर आटा मिलों के लिए लाइसेंस प्रणाली समाप्त करने का विचार है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) दिसम्बर, 1985 में यह निर्णय लिया गया था कि विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों में सीमित संख्या में प्रति दिन 30 मीटरी टन की क्षमता के नये यूनिटों की स्थापना करने की अनुमति दी जाए। तदनुसार राज्य सरकारों से कहा गया कि वे अनुमति प्रदान करने के लिए उद्यमियों से आवेदन पत्र प्राप्त करें और उन्हें आगामी कार्रवाई के लिए केन्द्रीय सरकार को भेजें।

(ख) महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटक की राज्य सरकारों द्वारा भेजे गए आवेदन पत्रों की संख्या इस प्रकार है :—

(1) महाराष्ट्र—268
(2) गुजरात—78 (केवल सूची प्राप्त हुई)
(3) कर्नाटक—217

(ग) देश में इस समय गेहूं की चल रही सुगम स्थिति को देखते हुए यह निर्णय लिया जा चुका है कि निम्नलिखित शर्तों के अधीन रोलर फ्लोर मिलिंग उद्योग को उद्योग (विकास एवं विनियम) अधिनियम के लाइसेंसिंग सम्बन्धी उपबंधों से छूट दी जाए :—

1. प्रतिष्ठान निम्नलिखित स्थान पर स्थित नहीं होगा;

(क) दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के मानक शहरी क्षेत्र सीमा के अन्दर जैसाकि भारत की जनगणना (1981) में तय किया गया है।

या

(ख) जैसाकि उक्त जनगणना में तय किया गया है, पांच लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर की नगर पालिका सीमाओं के अन्दर।

2. औद्योगिक प्रतिष्ठान एकाधिकार प्रतिबन्धित व्यापार प्रथा अधिनियम या विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम के दायरे के अन्तर्गत नहीं आते हैं।

राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मैपिंग संगठन

765. **श्री मूल चन्द डागा** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मैपिंग संगठन, कलकत्ता द्वारा 1954 से राष्ट्रीय एटलस के कितने संस्करण प्रकाशित किये गये हैं;

(ख) कितने सर्वेक्षण किये गये हैं और यदि उनमें कोई परिवर्तन किए गए हैं तो उनका ब्योरा क्या है; और

(ग) यह संगठन भारतीय सर्वेक्षण विभाग के साथ किस प्रकार समन्वय स्थापित करता है; और

(घ) इस संगठन का पिछले तीन वर्षों के दौरान वेतन और भत्तों आदि सामग्री देश तथा विदेश के दौरों पर प्रति वर्ष कितना व्यय हुआ ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन की स्थापना अगस्त, 1956 में हुई थी। भारत की प्रथम राष्ट्रीय एटलस (भारतीय राष्ट्रीय एटलस) हिन्दी में 1957 में प्रकाशित हुई थी। भारत की राष्ट्रीय एटलस के 8 खण्डों का प्रथम अंग्रेजी संस्करण 1981 में जारी किया गया था। इसका दूसरा अंग्रेजी संस्करण तैयार हो रहा है।

(ख) राष्ट्रीय एटलस और थिमैटिक मानचित्रण संगठन केवल थिमैटिक मानचित्र प्रकाशित करता है। इसके द्वारा कोई क्षेत्रीय सर्वेक्षण नहीं किये जाते हैं, परन्तु विभिन्न संगठनों/एजेंसियों से समय समय पर सम्बन्धित आंकड़े एकत्र किये जाते हैं और मानचित्रों को अद्यतन बनाया जाता है।

(ग) प्रारंभिक अवस्था में भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रस्तुत बेस मानचित्रों को ही संगठन ने स्वीकार किया। भारतीय सर्वेक्षण द्वारा प्रकाशित स्थलाकृतिक मानचित्रों में उपलब्ध कुछ सूचना का भी उपयोग किया जाता है। भारतीय सर्वेक्षण, संगठन द्वारा प्रकाशित मानचित्रों का मुद्रण कर रहा है।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न मदों पर हुए खर्चे का विवरण इस प्रकार है—:

(लाख रुपयों में)

मद	1983-84	1984-85	1985-86
वेतन और भत्ते	69.99	80.75	93.68
सामग्री	2.92	6.70	3.13
यात्रा व्यय (देश में)	1.35	1.71	2.70
यात्रा व्यय (विदेश)	0.14	0.59	0.14

"राजस्थान और गुजरात में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम"

766. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या छठी पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान राजस्थान और गुजरात राज्यों में सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के निर्धारित लक्ष्य प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) इन राज्यों के लिए सातवीं पंचवर्षीय योजना अवधि में क्या लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां, । छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान गुजरात तथा राजस्थान में सामाजिक वानिकी सहित वनरोपण के तहत लक्ष्य प्राप्त कर लिए गये हैं।

(ख) सामाजिक वानिकी सहित वनरोपण के लक्ष्य वर्ष-दर-वर्ष आधार पर निर्धारित किये जाते हैं। सातवीं योजना के प्रथम 2 वर्ष के लिये लक्ष्य निम्न प्रकार से हैं :—

(बालपौधे-लाखों में)

	1985-86	1986-87
गुजरात	2,550	1,631
राजस्थान	820	1,100

भारतीय नौसेना के लिए विमान वाहक की खरीद

767. **सैयद शाहबुद्दीन** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार भारतीय नौसेना के लिए तीसरे विमान वाहक की खरीद पर विचार कर रही है;

(ख) क्या इस सम्बन्ध में एच० एम० एस० इलस्ट्रियस का नाम विचाराधीन है;

(ग) क्या इसी उद्देश्य को पूरा करने के लिये जो तीसरे विमान वाहक से पूरा होने वाला है, किसी अन्य वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार किया गया था और उसे अस्वीकृत कर दिया गया था; और

(घ) इस विमान वाहक के रख-रखाव की अनुमानित लागत कितनी है ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) और (क) और (ख) के उत्तरों को देखते हुए प्रश्न ही नहीं उठते।

सुपर कम्प्यूटरों की सप्लाई

768. **श्री शरद दिघे**
श्रीमती जयन्ती पटनायक } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मानसून अध्ययन सहित मौसम सम्बन्धी अनुसंधान कार्यक्रमों के लिए भारत को इस समय कितने सुपर कम्प्यूटरों की आवश्यकता है;

(ख) इन कम्प्यूटरों के लिए अब तक किन-किन देशों को क्रयादेश दिए गए हैं;

(ग) क्या यह सच है कि संयुक्त राज्य अमरीका और जापान, भारत को कम्प्यूटर सप्लाई करने के लिए दिए गए अपने वचन से मुकर गए हैं; और

(घ) यदि हां तो अपेक्षित सुपर कम्प्यूटर खरीदने के लिए सरकार की क्या योजनाएं हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) भारत सरकार मौसम-विज्ञान संबंधी अध्ययन के लिए, जिसमें अनुसंधान कार्यक्रम तथा मानसून-अध्ययन शामिल है, एक सुपर कम्प्यूटर खरीदने का विचार कर रही है।

(ख) मौसम-विज्ञान सम्बन्धी अध्ययन के लिए सुपर कम्प्यूटर खरीदने के लिए अभी तक कोई औपचारिक क्रयादेश नहीं दिया गया है।

(ग) और (घ) सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान के सुपर कम्प्यूटरों का मूल्यांकन पूरा करने के बाद ही सुपर कम्प्यूटरों के लिए क्रयादेश देना चाहती है। सुपर कम्प्यूटरों की खरीद के लिए भारत के अनुरोध के सम्बन्ध में सम्बन्धित सरकार के साथ बातचीत के आधार पर इस मामले में आगे की कार्रवाई निर्भर करेगी।

"नई वन नीति"

769. **श्री राम धन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई वन नीति को अन्तिम रूप दे दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) केन्द्रीय सरकार के विभिन्न विभागों तथा मन्त्रालयों से विस्तृत परामर्श लिया जाना था। नई नीति का प्रारूप राज्य सरकारों और संघ शासित प्रदेशों को उनकी राय के लिये भेजा गया है।

त्रिपुरा में जनजातीय शरणार्थियों के आगमन के संबंध में बांग्लादेश से बातचीत

770. **श्री सैफुद्दीन चौधरी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चिटगांव पहाड़ी रास्ते से भारी संख्या में जनजातीय शरणार्थियों के त्रिपुरा में आ जाने का मामला नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायुक्त के साथ उठाया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें मामले की नवीनतम स्थिति क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 5 मई, 1986 को यह मामला दिल्ली में बांग्लादेश के उच्चायुक्त के साथ उठाया गया था और उन्हें हमारी चिन्ता के बारे में अपनी सरकार को अवगत कराने तथा शरणार्थियों की तुरन्त वापसी के प्रबन्ध करने के लिए अनुरोध करने को कहा गया था। 23 मई, 1986 को भी विदेश सचिव ने लगातार भारी संख्या में आने और शरणार्थियों की वापसी में विलम्ब के बारे में बांग्लादेश के उच्चायुक्त से कहा था। बंगलादेश के राष्ट्रपति की हाल की यात्रा के दौरान गृह मन्त्री ने उनके साथ इस मामले को उठाया था। उन्होंने गृह मन्त्री को आश्वासन दिया है कि सभी जनजातीय शरणार्थियों को वापस ले लिया जाएगा।

समुद्री जल से यूरेनियम

771. **श्री एस० रचुमा रेड्डी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का तेल और गैस की खोज की तरह समुद्र से यूरेनियम निकालने का विचार है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिंदी]

बीस सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर लाये गये परिवार

772. श्री राम भगत पासवान : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 20-सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अभी तक कितने परिवारों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाया गया है और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितने परिवारों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाने का प्रस्ताव है;

(ख) क्या इस संबंध में खंड-स्तर पर तैयार किये गए आंकड़े वास्तविकता के अनुरूप नहीं है और यदि हां, तो क्या सरकार का विचार स्थिति की पुनः जांच कराने का है; और

(ग) गरीबों को गरीबी-रेखा से ऊपर उठाने के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत अब तक गरीबी की रेखा से ऊपर उठाए गये परिवारों की संख्या संबंधी सूचना/समग्र आंकिक का पता नीतियों और कार्यक्रमों के गरीबी पर प्रभाव से पृथकतः नहीं लगाया जा सकता। सातवीं योजना के दौरान गरीबी की रेखा के नीचे व्यक्तियों की संख्या 1984-85 में 2727 लाख से 1989-90 में 2108 लाख तक कम होने की संभावना है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) योजना की समग्र नीति और बढ़ोत्तरी के तरीके से गरीबी के अनुपात में कमी करने के लिए बनाया गया है। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम, और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम, जैसे अनेक गरीबी उपशमन कार्यक्रमों का लक्ष्य परिसम्पत्तियों का सृजन और रोजगार बढ़ाकर गरीबों की आय बढ़ाना है। इसके अतिरिक्त अनुसूचित जाति और जनजाति विकास कार्यक्रम के लिए विशेष संगठन योजना छोटे और सीमान्त कृषकों के लिए न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम पर जोर, ग्रामीण और लघु उद्योगों आदि के लिए नीति जैसे कार्यक्रमों से गरीबी को कम करने में भी मदद मिलेगी।

[अनुवाद]

पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर दीवार का निर्माण

773. श्री नारायण चौबे : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पाकिस्तान के साथ लगी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर एक दीवार के निर्माण के प्रस्ताव पर विचार किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या निर्णय लिया गया है ?

आंतरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) जी नहीं, श्रीमान्।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

"पश्चिम बंगाल के लिए परती भूमि विकास और सामाजिक वानिकी योजनाएं"

774. डा० फूलरेणू गुहा : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1984-85, 1985 86 और 1986-87 के दौरान पश्चिम बंगाल के लिए परती भूमि विकास और सामाजिक वानिकी योजनाओं के लिए कितनी राशि आवंटित की गई;

(ख) क्या वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान आबंटित की गई राशि पूरी तरह व्यय कर दी गई थी; और

(ग) 1986-87 के दौरान योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए क्या विशेष उपाय किए गए हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं। आबंटित धनराशि को वर्ष 1984-85 और 1985-86 के दौरान पूरा खर्च नहीं किया गया था।

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान परती भूमि विकास गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए योजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु निम्नलिखित उपाय किए गए :—

(I) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम के अन्तर्गत सामाजिक वानिकी घटक के लिए आबंटन को 20% से बढ़ाकर 25% कर दिया गया है। राज्यों को निदेश दिए गए हैं कि वे बढ़ाई गई 5% आबंटन की राशि का उपयोग विकेन्द्रीकृत जन नर्सरियों के लिए करें।

(II) 1986-87 के दौरान कार्यान्वयन के लिए परती भूमि विकास को बढ़ावा देने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित निम्नलिखित नई योजनाओं को उनके लिए आबंटन सहित राज्य सरकारों को भेज दी गई हैं "वन चरागाह क्षेत्रों की स्थापना" नामक एक अन्य योजना भी हाथ में ली जा रही है :—

1. गैर-हिमालय क्षेत्र में पारि-संवेदनशील क्षेत्रों में ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के लिए पौध-रोपण और वन रोपण की योजना।

2. जनता नर्सरियों का विकेन्द्रीकरण।

(III) परती भूमि विकास के लिए कार्यकारी योजना को पश्चिम बंगाल सहित सभी राज्यों को पहले ही परिचालित कर दिया गया है जिसमें परती भूमि विकास कार्यक्रम में लोगों की बढ़ती हुई भागीदारी पर बल दिया गया है।

विवरण

पश्चिम बंगाल में परती भूमि विकास और सामाजिक वानिकी को केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत आबंटन

वर्ष	आबंटित राशि (लाख रुपए में)
1984-85	420.00
1985-86	1461.00
1986-87	1368.45

टिप्पणी : यह सूचना राष्ट्रीय परती भूमि विकास बोर्ड और ग्रामीण विकास विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित संबंधित योजनाओं के संबंध में है।

"वायु प्रदूषण को रोकने के उपाय"

776. श्रीमती जयन्ती पटनायक : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में वायु प्रदूषण तेजी से बढ़ रहा है;

(ख) यदि हां तो विभिन्न अध्ययनों में बताये गए इसके क्या कारण हैं;

(ग) देश में अत्यधिक वायु प्रदूषण वाले नगरों के नाम क्या हैं; और

(घ) वायु प्रदूषण को रोकने के लिए क्या उपाय करने का विचार हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) और (ख) प्रबोधन आंकड़ों के अनुसार, देश के विभिन्न भागों में वायु की गुणवत्ता कुल मिलाकर निर्धारित सीमाओं में हैं। हालांकि आक्साइड्स और नाइट्रोजन सीमाओं से नीचे हैं, फिर भी विलम्बित विविक्त धूलकण अधिक हैं। यह प्राकृतिक अनिश्चित हालातों, औद्योगिक गतिविधियों तथा कोयले पर आधारित ताप विद्युत उत्पादन के लिए निर्धारित किया गया है। शहरी केन्द्रों में मोटर-गाड़ियों के निकासनली से भी प्रदूषण के स्रोत में काफी वृद्धि होती है।

(ग) दिल्ली, बम्बई और कलकता देश में सबसे अधिक प्रदूषित शहरों में से हैं।

(घ) उठाए गए कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं :

—वायु प्रदूषण नियंत्रण जोनों का अभिनिर्धारण किया गया है;

प्रदूषक उद्योगों के लिए उत्सर्जन मानक हैं और चिमनी की ऊंचाई निर्धारित की गई है और इन मानकों के चरपबद्ध रूप में कार्यान्वयन के लिए कृत्यक बलों का गठन किया गया है;

—प्रदूषण नियंत्रण उपायों को लगाने और भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषण उद्योगों को हटाने पर आर्थिक प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं;

—यानीय निकास के नियंत्रण के लिए उत्सर्जन विनियमनों के प्रवर्तन हेतु राज्य सरकारों को सलाह दी गई है; तथा

—वायु गुणवत्ता प्रबोधन केन्द्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया गया है।

[हिंदी]

"उड़ीसा में गंधमार्दन पहाड़ियों में वनों को काटना"

777. श्री बलवंत सिंह रामूवालिया : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उड़ीसा के सम्बलपुर जिले में गंधमार्दन पहाड़ियों में वनों को काटकर एक उद्योग स्थापित किया जा रहा है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस क्षेत्र के आदिवासी लोगों ने इसके विरुद्ध रोष प्रकट किया है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई ठोस कार्यवाही की है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी): (क) और (ख) गंधमार्दन पहाड़ियों में एक बाक्साइट खान खोदने का प्रस्ताव है जिसका स्थानीय जनता द्वारा विरोध किया जा रहा है।

(ग) और (घ) प्रस्तावित परियोजना के सम्भावित विपरीत पर्यावरणीय प्रभाव को देखते हुए अभी यह निर्णय नहीं लिया गया कि इस परियोजना को शुरू किया जाये।

[अनुवाद]

ओणम त्यौहार के दिनों में केरल को अतिरिक्त चावल सप्लाई किया जाना

778. **श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने सितम्बर महीने में पड़ने वाले ओणम त्यौहार की मांग को पूरा करने के लिए केरल को चावल का अतिरिक्त आवंटन करने के लिए मंत्रालय को कोई अभ्यावेदन भेजा है;

(ख) यदि हां, तो आवंटन किये जाने वाले चावल की मात्रा और किस्म का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार उबले हुए चावल सप्लाई करने का है जिसे केरल के लोग अधिक पसन्द करते हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : जी, हां।

(ख) हमारी मौजूदा नीति के अन्तर्गत, विशिष्ट त्यौहारों के लिए केन्द्रीय पूल से चावल का कोई आवंटन नहीं किया जाता है। तथापि, विभिन्न राज्यों/संघ शासित प्रदेशों की आवश्यकताओं, केन्द्रीय पूल में स्टाक की उपलब्धता और अन्य संगत तथ्यों को दृष्टि में रखते हुए, मास-प्रतिमास के आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए आवंटन किए जाते हैं।

(ग) भारतीय खाद्य निगम से खाद्य अपमिश्रण निवारण की सीमाओं के अन्दर उचित औसत किस्म के अनुरूप ही चावल की आपूर्ति करने की अपेक्षा की जाती है। भारतीय खाद्य निगम के स्टाक में बायल्ड चावल की उपलब्धता पर निर्भर करते हुए, केरल को इस चावल की आपूर्ति करने के लिए भी प्रयास किए जाते हैं।

भारतीय नेपालियों की जनसंख्या

779. **श्रीमती डी० के० भण्डारी** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1981 की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारतीय नेपालियों की वास्तविक संख्या कितनी है; और

(ख) उनका राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाब नबी आजाद) : (क) और (ख) 1981 की जनगणना में राष्ट्रीयता और नागरिकता के प्रश्न के बारे में जानकारी एकत्र नहीं की गई थी, इसलिए भारतीय नेपालियों की संख्या उपलब्ध नहीं है।

इलैक्ट्रानिक उद्योग को रियायतें

780. **श्री बी० एस० विजयराघवन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इलैक्ट्रानिक उद्योग को दी जाने वाली रियायतों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान इलैक्ट्रानिक उद्योग स्थापित करने के लिए केरल को कितने लाइसेंस जारी किए गए ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) इलैक्ट्रानिकी उद्योग को पिछले वर्षों में जो विभिन्न रियायतें दी जाती रही हैं उन्हें समय-समय पर सभा पटल पर रखा जाता रहा है। इसके अलावा, हाल ही में 16 जून, 1986 को सरकार ने सीमाशुल्क अधिसूचना सं० 342 से 353 द्वारा इलैक्ट्रानिक संघटक-पुर्जों के विनिर्माण के लिए आवश्यक कच्ची-सामग्रियों पर, कम्प्यूटरों तथा कम्प्यूटर के कल-पुर्जों, आदि पर लगने वाले सीमाशुल्क को और अधिक युक्तिसंगत बना दिया है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान, इलैक्ट्रानिकी उद्योग की स्थापना के लिए केरल को 2 औद्योगिक लाइसस, 5 आशय-पत्र तथा 19 पंजीकरण जारी किए गए हैं।

श्रेणी एक से तीन की सेवा में आरक्षण कोटा भरा जाना

781. **श्री के० कुन्जम्बू** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के अधीन श्रेणी एक, दो और तीन की सेवाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के आरक्षण कोटे का प्रतिशत क्या हैं; और

(ख) श्रेणी एक और दो की सेवाओं में कोटा भरने हेतु वर्ष 1985-86 के दौरान क्या विशेष प्रयास किए गए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य उप मंत्री (श्री बीरेन्सिंह एंगती) : (क) केन्द्रीय सरकार के अधीन समूह "क" (श्रेणी-I), समूह "ख" (श्रेणी-II) और समूह "ग" (श्रेणी-III) की विभिन्न सेवाओं की नियुक्तियों में अनुसूचित जाति तक अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता संलग्न विवरण में दर्शाई गई हैं।

(ख) विभिन्न प्रतियोगिता परीक्षाओं की सीधी भर्ती में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आयु, शुल्क, यात्रा भत्ता, उपयुक्तता का स्तर, अनुभव और अर्हता की छूट, इन समुदायों के उम्मीदवारों का अलग साक्षात्कार तथा प्रशिक्षण केन्द्रों जैसी विभिन्न रियायत विद्यमान है। इन पर प्रभावशाली रूप में कार्रवाई करने के अतिरिक्त पहली जुलाई 1985 से अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को किसी भी भर्ती परीक्षा। चयन में प्रवेश पाने के लिए शुल्क की पूरी छूट दे दी गई हैं और ऐसा करने के लिए पहले के उस आदेश का आशोधन किया गया था जिसके अनुसार इन समुदायों के उम्मीदवारों को साधारण फीस की एक चौथाई फीस देनी होती थी।

विवरण

केन्द्रीय सरकार की सेवाओं के अधीन समूह "क" (श्रेणी-I), समूह "ख" (श्रेणी-II), समूह "ग" (श्रेणी-III) की विभिन्न सेवाओं की नियुक्तियों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए आरक्षण की प्रतिशतता को दर्शाने वाला विवरण

नियुक्ति की विभिन्न पद्धतियों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के लिए निर्धारित आरक्षण की प्रतिशतता।

	अनुसूचित जातियों	अनुसूचित जनजातियों
(i) अखिल भारतीय आधार पर खुली प्रतियोगिता द्वारा सीधी भर्ती तथा सभी पदोन्नति द्वारा नियुक्तियां जिसमें आरक्षण लागू होता है।	15 प्रतिशत	7½ प्रतिशत
(ii) खुली प्रतियोगिता के अलावा, किसी अन्य प्रकार से अखिल भारतीय आधार पर सीधी भर्ती।	16/2/3 प्रतिशत	7½ प्रतिशत
(iii) समूह "म" के पदों में सीधी भर्ती, जहां समान्यत: स्थानीय अथवा क्षेत्रीय उम्मीदवार ही आते हैं।	ये प्रतिशततायें, सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में अनुसूचित जातियों अनुसूचित जन जातियों की जन संख्या के अनुपात में निर्धारित की जाती हैं।	

दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा मारे गये व्यक्ति

782. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले दो वर्षों के दौरान, दिल्ली में आतंकवादियों द्वारा कितने व्यक्ति मारे गये; और

(ख) तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस प्रकार की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : (क) राजधानी में आतंकवादियों द्वारा मारे गए व्यक्तियों की वर्ष वार संख्या निम्नलिखित है :—

1984	1985	1986
—	57	—

(ग) ऐसी घटनाओं के ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

मई, 1985 में दिल्ली के विभिन्न भागों में बम फटने से 49 व्यक्ति और सितम्बर, 1985 में लाहोरी गेट क्षेत्र में विस्फोट होने से 3 व्यक्ति मारे गए थे। भारतीय दण्ड संहिता तथा विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत 38 मामले दर्ज किए गए और न्यायालय में विचारणाधीन है।

2. 31-7-1985 को 3 सशस्त्र व्यक्तियों ने श्री ललित माकन पर उनके घर एल०-106, कीर्ति नगर, नई दिल्ली के बाहर गोली चलाई, जब वे लगभग 10.00 पूर्वाह्न में संसद भवन जा रहे थे। श्री ललित माकन, श्रीमती गीतांजली माकन और बालकिशन खन्ना नामक तीसरा व्यक्ति जो श्री ललित माकन से मिलने आया था, गम्भीर रूप से घायल हो गए और डा० राम मनोहर लोहिया अस्पताल, नई दिल्ली में उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। थाना मोती नगर, नई दिल्ली में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 307/302/34 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/54/59 के अन्तर्गत एक मामला प्रथम सूचना रिपोर्ट सं० 315/85 दर्ज किया गया और जांच पड़ताल प्रारम्भ हुई। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार करने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

3. दिनांक 4-9-1985 को लगभग 9.30 बजे पूर्वाह्न, 3 व्यक्ति एक स्कूटर पर आए। उन्होंने स्टेनगन, 9 एम० एम० पिस्तोल से गोली चलाई और अर्जुन दास, सदस्य महानगर परिषद् और उनके निजी सुरक्षा अधिकारी कान्सटेबल विजेन्द्र सिंह को मार दिया। 6 अन्य व्यक्ति भी घायल हुए। एक मामला एफ० आई० आर० सं० 504, भा० दं० सं० की धारा 307/302/395/397 और शस्त्र अधिनियम की धारा 27/45/59 के अन्तर्गत थाना विनय नगर, दिल्ली में दर्ज किया गया और जांच पड़ताल प्रारम्भ की गई। मामले की जांच पड़ताल की जा रही है और संदिग्ध अपराधियों को पकड़ने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं।

ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं :—

1. दिल्ली पुलिस में विशेष शाखा के पुलिस उपायुक्त के अधीन एक आतंकवादी विरोधी कक्ष का सृजन किया गया है।
2. होटलों और अतिथि गृहों की कड़ी जांच नियमित रूप से की जाती है ताकि आतंकवादियों और संदिग्ध अपराधियों और अजनबियों का पता लगाया जा सके।
3. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत अपराधियों के विरुद्ध निष्कासन प्रक्रियायों तथा कार्रवाई को तेज करना।
4. अपराध करने में अन्तर्ग्रस्त वाहनों का पता लगाने के लिए वाहनों की आकस्मिक जांच।

5. सामरिक महत्व के कुछ स्थानों तथा सीमाओं पर पड़ौसी राज्यों से आने वाली बसों और अन्य वाहनों की जांच करने के लिए पुलिस टुकड़ियां तैनात करना।

6. पंजाब से दिल्ली आने वाले आतंकवादियों का पता लगाने के लिए उनके छिपने के सम्भावित स्थानों पर नजर रखी जा रही है।

7. पड़ौसी राज्यों के पुलिस अधिकारियों की अन्तर-जिला स्तर पर बैठकें।

8. पैदल और चलती फिरती गहन गश्त, जिसमें बाकी टाकी सैट और वायरलैस युक्त मोटरसाइकिलों की सशस्त्र गश्त शामिल है।

आयुध कारखानों से शस्त्रों और गोला-बारूद की चोरियां

783. **श्री विष्णु मोदी** : क्या **रक्षा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विभिन्न आयुध कारखानों से शस्त्रों और गोलाबारूद की कुछ चोरियों के समाचार मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो 1984, 1985 और 1986 (जून 1986 तक) के दौरान हुई चोरियों का ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या चोरी के इन मामलों की जांच की गई है; और

(घ) यदि हां, तो उन व्यक्तियों की संख्या कितनी है, जिन्हें दोषी पाया गया और जिन पर मुकदमें चलाये गये ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) और (ख) जी, नहीं। फिर भी इन वर्षों के दौरान चोरी के प्रयास के तीन मामलों की सूचना मिली थी, जिनके बारे में ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ग) और (घ) : जैसा कि संलग्न विवरण में बताया गया है तीन मामलों में चोरी का प्रयास करने वाले चार व्यक्तियों के खिलाफ कारवाई आरम्भ की जा चुकी है।

विवरण

चोरी का प्रयास करने के तीन मामलों का ब्यौरा नीचे दिया गया है :—

(क) **गोलाबारूद निर्माणकी किरकी** 19-4-1984 को, गोलाबारूद निर्माणकी, किरकी के भीतर स्थापित आयुध निरीक्षणालय में "फिटर" के रूप में कार्यरत श्री जसवन्त सिंह बगे, जिनका टोकन नम्बर जी 1/99 है, के पास 7.62 मि०मि० की 74 बुलटें पायी गयी थी। सामग्री को जब्त कर लिया गया। श्री जसवन्त सिंह बगे को निलम्बित कर दिया गया और उसके मामले को आगे की जांच के लिए पुलिस को सौंप दिया गया। ज्यूडीशियल मैजिस्ट्रेट के न्यायालय ने समुचित प्रमाण के अभाव में श्री सिंह को बरी कर दिया लेकिन पुलिस ने इस रिहायी के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर दी है।

(ख) **आयुध निर्माणकी खमारिया** (i) 9-11-1985 को श्री डोजीलाल, टोकन नम्बर ओ०सी०एफ०/176 को, 24 अद्द 0.303 इन्च फिल्ड कैप्स और 20 अदद 0.50 इन्च स्पोटर फिल्ड कैप्स अवैध रूप से रखने पर पकड़ा गया। सामग्री जब्त कर ली गयी।

(ii) 20-12-1985 को सर्वश्री आर०के० मेहता अवर श्रेणी लिपिक और टी०आर० साहनी, चार्ज मैन का 0.303 इन्च की 9 कारतूसों की चोरी का प्रयास करते हुए पकड़ा गया। सामग्री को जब्त कर लिया गया।

सर्वश्री डोजी लाल, आर० के मेहता और टी० आर० साहनी को तब तक निलम्बित कर दिया गया है जब तक उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही पूरी नहीं हो जाती।

[हिंदी]

"पेड़ों के पनपने का प्रतिशत"

784. **डा० प्रभात कुमार मिश्र** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हर वर्ष लगाये जाने वाले पौधों में से कितने प्रतिशत पौधे पनपते हैं;

(ख) पुराने पेड़ों के रख रखाव के लिये क्या उपाय किये जा रहे हैं; और

(ग) क्या सरकार ने गैर सरकारी वनरोपण प्रणाली को लागू करके प्रदूषण रोकने की कोई नीति तैयार की है और यदि हां, तो उसे किस सीमा तक कार्यान्वित किया जा रहा है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) राज्यों/केन्द्रशासित प्रदेशों के वन विभागों द्वारा उगाए गए औधों की उत्तरजीविता का मोटा अनुमान 50 और 60 प्रतिशत के बीच है। तथापि, उत्तरजीविता की दर में व्यापक विविधता है, जो विभिन्न कृषि जलवायु, मृदीय और जैवीय कारकों पर आधारित है, इस कारण इसमें 10 से 90 प्रतिशत का अंतर है।

(ख) पहले तीन वर्षों में लगाए गए वृक्षों की रक्षा के साथ-साथ ब्लाक वृक्षारोपण का रख-रखाव किया जाता है जिसमें छंटनी, मृदा कार्य, मृत वृक्षों को हटाना, खाद देना जैसे कार्य किए जाते हैं। तीन वर्षों के बाद केवल लगाए गए वृक्षों की रक्षा की जाती है। कृषि वानिकी कार्यक्रम के अन्तर्गत कृषकों और संस्थाओं को बाल पौधे वितरित किए जाते हैं जिनकी संख्या इस समय लगाए गए कुल वृक्षों की संख्या का लगभग 50 प्रतिशत है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत लगाए गए वृक्षों का रख-रखाव, सुरक्षा का कार्य क्रमशः किसानों और अन्य व्यक्तियों तथा संस्थाओं द्वारा किया जाता है।

(ग) जी, हां। सरकार ने उद्योगों के स्थान निर्धारण के लिए पर्यावरणीय मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारित किए हैं जिनमें औद्योगिक प्रदूषण को रोकने के लिए निजी वनरोपण की व्यवस्था है। विशेष रूप से प्रदूषण को रोकने के लिए किए गए वनरोपण की मात्रा का अभी कोई आकलन नहीं किया गया है।

[अनुवाद]

अस्थायी नैमित्तिक और तदर्थ आधार पर काम करने वाले कर्मचारियों की सेवाओं को नियमित करना

785. **चौधरी रहीम खां** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार की विभिन्न सेवाओं के अधीन लाखों कर्मचारी विभिन्न विभागों में स्थायी/नियमित पदों पर वर्षों से अस्थायी, नैमित्तिक और तदर्थ तथा ठेके के आधार पर कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या सरकार का विचार ऐसे सभी कर्मचारियों की सेवाओं को, जो लगातार छः महीने या 120 दिन या उससे अधिक समय तक सेवा करते रहे हैं नियमित करने के लिये कोई उपयुक्त नीति बनाने का है; और

(ग) यदि हां, तो कब तक ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) :

(क) ऐसे कर्मचारियों से सम्बन्धित सूचना को केन्द्रीयकृत रूप से मानीटर किए जाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अस्थायी, तदर्थ तथा ठेके के आधार पर कार्यरत कर्मचारियों के विपरीत नैमित्तिक कर्मचारी मंजूर शुदा पदों पर नियुक्त नहीं किए जाते हैं।

(ख) और (ग) (i) सभी अस्थायी कर्मचारी नियमित रूप से नियुक्त किए गए कर्मचारी होते हैं तथा उन्हें नियमित किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ii) तदर्थ कर्मचारी ऐसे कर्मचारी होते हैं जो नियमित पदों पर, चाहे वे अस्थायी हैं/स्थायी हैं, पद के लिए भर्ती नियमों के उपबंधों तथा चयन की सामान्य प्रक्रिया का पालन किए

बिना नियुक्त किए जाते हैं। अत: वे केवल भर्ती नियमों तथा सामान्य चयन प्रक्रिया के अनुसार पद के लिए चयन हो जाने पर नियमित किए जा सकते हैं।

(iii) कुछ शर्तों के पूरा किए जाने के अध्यधीन समूह "अ" पदों पर नैमित्तिक कर्मचारियों को नियमित करने के लिए अनुदेश पहले ही विद्यमान है।

(iv) ठेके पर की गई नियुक्तियां केवल सीमित अवधि के लिए की जाती हैं तथा उनकी सेवाओं को नियमित करने का प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली में दियासलाई पर बिक्रीकर लगाना

786. **श्री कमला प्रसाद सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पड़ोसी राज्यों, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में दियासलाई पर बिक्री कर लगाया जाता है जबकि दिल्ली में नहीं लगाया जाता। परिणामस्वरूप लाखों रुपये की दियासलाईयां दिल्ली से पड़ोसी राज्यों को भेजी जाती हैं;

(ख) यदि हां, तो दिल्ली से पड़ोसी राज्यों को दियासलाई के गैर कानूनी भेजे जाने को रोकने के लिए सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है; और

(ग) क्या दिल्ली में दियासलाई पर बिक्री कर लगाने का कोई प्रस्ताव है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में केवल हाथ से बनी दियासलाइयों के लिए बिक्री कर से छूट दी गई है। दिआसलाईयों पर (हाथ से बनी हुई के अलावा) 4% की दर से कर लगता है। दिल्ली हाथ से बनी दियासलाइयों का मुख्य केन्द्र नहीं है। दिल्ली और पड़ोसी राज्यों के बीच हाथ से बनी दियासलाइयों का व्यापार सामान्य अन्तर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य का भाग है।

(ख) दिल्ली से अथवा दिल्ली में से पड़ोसी राज्यों को दियासलाईयों का व्यापार अवैध नहीं है और इसलिए प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दिल्ली प्रशासन को इस संबंध में कुछ अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

विभिन्न मन्त्रालयों द्वारा दिल्ली के लिए खर्च की गई धनराशि

787. **श्री अमल दत्त** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र के विकास और सुधार के लिए विभिन्न मंत्रालयों और उनके संगठनों/उपक्रमों द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जा रही है,

(ख) प्रत्येक मंत्रालय और प्रत्येक मंत्रालय के अन्तर्गत उपक्रमों के बजट की धनराशि में से कितनी धनराशि दिल्ली और विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र में पूंजीगत व्यय के लिए खर्च की जा रही है, प्रत्येक मंत्रालय के लिए वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है, और

(ग) प्रत्येक मंत्रालय द्वारा दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में कितनी धनराशि व्यय की जाती है और कितनी विभिन्न राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों पर व्यय की जाती है, उसका वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए राज्य/संघ राज्य वार ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) से (ग) : केन्द्र द्वारा योजना निवेश में अनेक प्रकार की आधार

संरचनात्मक तथा सामाजिक सेवाएं तथा सरकारी क्षेत्र की परियोजनाओं और इकाइयों दोनों ही में निवेश शामिल हैं। यद्यपि, पहले के संबंध में निर्णय राष्ट्रीय आवश्यकताओं के आधार पर किया जाता है, तथापि दूसरे के संबंध में निर्णय तकनीकी, आर्थिक तथा अन्य विचारों से किया जाता है। यूंकि केन्द्रीय निवेश के लिए आधार और मापदंड भिन्न-भिन्न होते हैं इसलिए, राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में केन्द्रीय निवेश की पूरी स्थिति के बारे में बताना इसलिए संभव नहीं है क्योंकि इन सभी में निवेश के आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

सातवीं योजना में थुम्बा, त्रिवेन्द्रम में भूमध्यवर्ती केन्द्र का विकास

788. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान थुम्बा, त्रिवेन्द्रम में एक भूमध्यवर्ती केन्द्र का विकास करने की कोई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी विज्ञान में अब तक क्या प्रगति हुई है और भविष्य के लिए क्या योजनाएं हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अंतरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के थुम्बा भूमध्यरेखीय केन्द्र त्रिवेन्द्रम और बालासौर में परिशापी राकेट सुविधाएं उपलब्ध हैं। अंतरिक्ष विज्ञान, प्रौद्योगिकी और उपयोगों में परिशापी राकेट परीक्षणों की वर्तमान और प्रायोजित आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इनका रख-रखाव और सीमांत रूप में विकास किया जाएगा। थुम्बा भूमध्यरेखीय राकेट प्रक्षेपण केन्द्र (टलर्स) के बड़े पैमाने पर विस्तार की कोई विशेष योजना नहीं है।

(ग) अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में अब तक की प्रगति और भविष्य की योजनाओं का विवरण 1980-90 दशाब्द के अंतरिक्ष अनुसंधान और विकास प्रोफाइल तथा अंतरिक्ष विभाग के निष्पादन बजट 1986-87 और वार्षिक रिपोर्ट, 1985-86 में दिया गया है, जिनकी प्रतियां संसदीय पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

दिल्ली में पुलिस द्वारा नशीले औषधों की तस्करी करने वालों की सहायता और लोगों को लूटा जाना

789. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 13 जून, 1986 को दिल्ली में ड्यूटी पर तैनात पुलिस कार्मिकों द्वारा एक व्यापारी से 70,000 रुपए लूट लिये गये थे;

(ख) क्या इस आशय की कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है कि कुछ पुलिस कर्मी निषिद्ध औषधियों की तस्करी करने वाले अपराधियों को सहायता करते हैं तथा उन्हें प्रेरणा देते हैं;

(ग) क्या दिल्ली पुलिस के पास आज्ञा न मानने वाले ऐसे पुलिसकर्मियों पर निगरानी रखने के लिए कोई संगठित दल हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) 13.6.1986 को ऐसी कोई घटना नहीं घटी। फिर भी, भारतीय दण्ड संहिता की धारा 392 के अधीन 12.6.1986 को लूटपाट का एक मामला (सरस्वती विहार पुलिस थाने में) दर्ज किया गया है।

(ख) जी नहीं, श्रीमान्।

(ग) जी हां, श्रीमान्।

(घ) प्रत्येक जिले में जिला पुलिस उपायुक्त के समग्र पर्यवेक्षण के तहत एक निरीक्षक की अध्यक्षता में एक सतर्कता एकक है।

पुलिस आयुक्त के समग्र पर्यवेक्षण में एक पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में भी एक सतर्कता एकक है।

मुख्य सचिव, दिल्ली प्रशासन के समग्र पर्यवेक्षण में पुलिस उपायुक्त की अध्यक्षता में एक भ्रष्टाचार विरोधक यूनिट दिल्ली प्रशासन में आज्ञा न मानने वाले तत्वों पर सतर्कता रखता है।

गैर सरकारी बंदूक निर्माता और आतंकवादियों के सम्बंध

790. **श्री प्रकाश वी० पाटिल** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले एक वर्ष के दौरान दिल्ली में पुलिस द्वारा बहुत से निजी बंदूक बनाने वाली फैक्टरियों का पता लगाया था;

(ख) क्या इन बंदूक निर्माताओं के पंजाब के आतंकवादियों या राजधानी और पड़ोसी राज्य के अपराधी वर्ग से सम्पर्क थे;

(ग) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) अवैध निर्माताओं के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री गृह मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) दिल्ली में पुलिस द्वारा वर्ष 1985 के दौरान दो और 1986 में (30.6.86 तक) चार बगैर लाईसेंस के शस्त्रों के कारखानों का पता लगाया।

(ख) जांच पड़ताल के दौरान मालूम हुआ कि इस संबंध में गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों का न तो पंजाब के उग्रवादियों के साथ और न ही राजधानी और पड़ौसी राज्यों के अपराधी वर्ग के साथ कोई संबंध था।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) गैर कानूनी निर्माताओं के विरुद्ध मामले दर्ज कर लिए गए हैं और जांच पड़ताल के लिए लंबित हैं।

निर्धारित समय अनुसूची से पिछड़ी हुई परियोजनाएं

791. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ की गई 20 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली उन चालू परियोजनाओं के नाम क्या है जिनकी हाल ही में पुनरीक्षा की गई है और जो परिवहन

मंत्रालय (नई रेलवे लाइनों, राष्ट्रीय राजमार्गों, हवाई अड्डों, जलमार्गों और पुलों सहित) तथा ऊर्जा और जल संसाधन मंत्रालय (पन-ताप बिजली उत्पादन परियोजनाएं और सिंचाई परियोजनाएं) में निर्धारित समय अनुसूची से (एक) 10 वर्ष तक (दो) 5 वर्ष तक पिछड़ी हुई पाई गई है;

(ख) इन में से प्रत्येक परियोजना को कार्यान्वित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है; और

(ग) प्रत्येक परियोजना की लागत में कितनी वृद्धि हुई है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी): (क) परिवहन मंत्रालय (नई रेलवे लाइन, राष्ट्रीय राजमार्ग, हवाई अड्डा, जलमार्गों और पुलों वाली) और ऊर्जा तथा जल संसाधन मंत्रालय (पन ताप बिजली उत्पादन और सिंचाई) में 20 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली, छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान उठाई गई ऐसी कोई परियोजना नहीं है जिसका हाल ही में प्रबोधन किया गया हो। और जो (I) 10 वर्ष और (II) 5 वर्ष की अवधि के लिए निर्धारित समय से पीछे चल रही हों।

(ख) लागू नहीं होता।

(ग) लागू नहीं होता।

"विभिन्न परियोजनाओं के लिए पेड़ काटने के लिए हिमाचल प्रदेश को स्वीकृति दिया जाना"

792. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वित्तीय वर्ष 1985-86 और चालू वित्तीय वर्ष दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने पेय जल सप्लाई, सिंचाई, ग्रामीण विद्युतीकरण और सड़क निर्माण के लिए कोई नई योजनाएं केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति के लिए भेजी है जिनमें पेड़ काटने का प्रस्ताव है; और

(ख) यदि हां, तो इनमें से उनके नाम क्या हैं जिन्हें स्वीकृति दे दी गई है और शेष योजनाओं में से प्रत्येक योजना को किस संभावित तारीख तक स्वीकृति दे दी जाएगी ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) ऐसे प्रस्तावों का ब्यौरा दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है। राज्य सरकार द्वारा कुछ आवश्यक सूचना न दिए जाने के कारण आठ प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय नहीं लिया जा सका। इन प्रस्तावों पर अंतिम निर्णय राज्यसरकार से आवश्यक सूचना की प्राप्ति पर निर्भर करता है।

विवरण

1985-86 (अप्रैल '85 से मार्च '86)

क्र०सं०	जिला	परियोजना का नाम	टिप्पणी
1.	चम्बा	जस्सूर से बझ्री तक 132 के.वी. संचरण-लाइन	स्वीकृत। 20.9.85 को पत्र जारी किया गया।
2.	शिमला	आवासीय कालोनी निर्माण	अस्वीकृत। 17.5.86 को पत्र जारी किया गया।
3.	मण्डी	रुबानी से मनोला तक सड़क का निर्माण	स्वीकृत। 5.8.85 को पत्र जारी किया गया।

क्र०सं०	जिला	परियोजना का नाम	टिप्पणी
4.	कांगड़ा	बोध-चक्कीघर सड़क का निर्माण	स्वीकृत । 5.6.86 को पत्र जारी किया गया ।
5.	सिरमौर	हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड द्वारा 220/132 के.वी.सब-स्टेशन का निर्माण	22.8.85 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । सूचना की अभी प्रतीक्षा है ।
6.	कुल्लू	दक्षिण पोर्टल तक पहुंच सड़क का निर्माण	11.9.85 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । सूचना की अभी प्रतीक्षा है ।
7.	किन्नौर	नथपा-झांकरी पन बिजली परियोजना का निर्माण	स्वीकृत । 25.4.86 को पत्र जारी किया गया ।
8.	सोलन	सोलन से किन्नौर तक 132 के.वी. संचरण-लाइन का निर्माण	23.6.86 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । सूचना की अभी प्रतीक्षा है ।
9.	शिमला	चालिया-घूण्ड सड़क का निर्माण	13.2.86 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । सूचना की अभी प्रतीक्षा है ।
10.	शिमला	जल संग्रहण तालाब का निर्माण	स्वीकृत । 30.5.86 को पत्र जारी किया गया ।
11.	शिमला	सुंगरा से बोरोतिवाला तक 220. के.वी. संचरण-लाइन का निर्माण	वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 लागू नहीं होता । 13.3.86 को पत्र जारी किया गया ।
12.	शिमला	अबेरी से नोगली और नोगली से अबेरी को आने-जाने वाली 66 के.वी. लाइनों का निर्माण	स्वीकृत । 4.6.86 को पत्र जारी किया गया ।
13.	चम्बा	चमेरा पर बिजली परियोजना चरण-II का निर्माण	5.6.86 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । सूचना की प्रतीक्षा है ।
14.	चम्बा तथा कांगड़ा	चमेरा पन बिजली परियोजना के लिए खियारी से मोगा तक 400 के.वी. संचरण-लाइन का निर्माण	10.7.86 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । सूचना की अभी प्रतीक्षा है ।
15.	शिमला	शिलारो से वाया कियारा रेओग तक लिंक रोड़ का निर्माण	30.4.86 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । उत्तर की प्रतीक्षा है ।

1986 (अप्रैल से 15 जुलाई, 1986)

1.	सिरमौर	पट्टे के आधार पर चूना-पत्थर का खनन	11.7.86 को राज्य सरकार से सूचना मांगी गई । उत्तर की प्रतीक्षा है ।

गैर-सरकारी सुरक्षा एजेंसियों पर प्रतिबन्ध

793. श्री चिंतामणि जेना
श्री अमर सिंह राठवा } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार गैर-सरकारी सुरक्षा एजेंसियों पर प्रतिबंध लगाने का है;

(क) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस प्रस्तावित प्रतिबंध से कितने सुरक्षा गार्डों के प्रभावित होने की संभावना है; और

(घ) इन हटाए गए सुरक्षा गार्डों को फिर से रोजगार देने के लिए क्या कदम उठाने का विचार हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी नहीं, श्रीमान्

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते ।

संयुक्त राज्य अमरीका से सुपर-कम्प्यूटर

794. **डॉ० बी० एल० शंलेश** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत अमरीका के साथ दो सुपर कम्प्यूटरों की बिक्री के संबंध में बातचीत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इन दोनों सुपर कम्प्यूटरों में प्रत्येक की कीमत क्या है और अमरीका ने उनकी बिक्री के लिए क्या शर्तें रखी हैं; और

(ग) इस समय मामला किस स्तर पर है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ग) भारत सरकार संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जापान द्वारा बाजार में प्रस्तुत किए जा रहे सुपर कम्प्यूटरों का मूल्यांकन कर रही है। इस संबंध में सुपर कम्प्यूटरों की संविरचना, लागत तथा अन्य ब्यौरों के बारे में अन्तिम निर्णय अभी नहीं लिया गया है।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता ।

विदेशों से धन प्राप्त करने वाली संस्थाएं

795. **श्री अनिल बसु** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बैपटिस्ट चर्च, अगरतला, त्रिपुरा, रायपुर चर्च डेवलपमेंट एण्ड रिलीफ कमेटी, छत्तीसगढ़ (मध्य प्रदेश) और विकास मंत्री, रांची जिला (बिहार) को गत तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत विदेशों से धन प्राप्त हुआ है यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी संस्थावार ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह धन किन-किन देशों से प्राप्त हुआ और उन संस्थाओं का ब्यौरा क्या है, जिन्होंने इसमें अंशदान किया ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) रायपुर चर्च विकास और राहत समिति, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और विकास मंत्री जिला रांची, बिहार ने पिछले तीन वर्षों के दौरान विदेशी अभिदाय (विनियमन) अधिनियम के अन्तर्गत धन प्राप्त करने की कोई सूचना नहीं दी है ।

(ख) और (ग) सूचना संलग्न विवरण में दी गई है ।

विवरण

रायपुर चर्च विकास और राहत समिति छत्तीस गढ़ मध्य प्रदेश और विकास मैत्री, जिला रांची, बिहार द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान का विवरण

क्र०सं०	संगठन का नाम	प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि (रुपयों में)			दानकर्ता संगठन और देश का नाम
		1983	1984	1985	
1.	रायपुर चर्च विकास और राहत समिति; छत्तीस गढ़, मध्य प्रदेश	3,43,334.60	1,87,000.00	10,61,262.10	क्रिश्चियन कान्फ्रेन्स आफ एशिया कोलून; हांगकांग मसर्स टैरेस डेस होमस, पोस्ट फैच, पं० जर्मनी/ डब्ल्यू एम.ई. यू.आर.जी. वर्ल्ड काउंसिल आफ चर्च, स्विटजरलैण्ड/हांगकांग क्रिश्चियन काउन्सिल, हांगकांग ब्रड फार दि वर्ल्ड, पश्चिम जर्मनी/ क्रिश्चियन ऐड, लन्दन, ब्रिटेन/क्रिश्चियन कान्फ्रेन्स आफ एसिया सिंगापुर/आक्सफाम ब्रिटेन। थ्रू प्रेफ्राम फार सोशियल एक्सन, केरल, भारत। थ्रू टेरे देस होम्मस, सिकन्दराबाद, भारत। थ्रू पार्टनर्स इन जस्टीस कान्सर्नस, नागपुर, भारत। थ्रू बीयूआईएलडी, बम्बई, भारत
2.	विकास मैत्री, जिला रांची, बिहार।	12,06,606.00	19,41,012.00	17,12,787.72	इवेन्जीलिस जेन्ट्रस फार इनटिग्चलग्साईट, ई.वी. मैतल स्ट्रेसी, पं० जर्मनी/कोडल इन्क, कार्डिनेशन आफ डेवलपमेंट अमेरिका/गोसनेव मिशन हेन्डेरी, पं० जर्मनी/सीईबीईएमओ नीदरलैण्ड/सीएएफ-ओडी/2 गार्डन क्लोस यू.के./दरोकेरी, 169, बूटर्स टाउन, आयरलैण्ड

सरकार सेवा में पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती

796. **श्री अनिल बसु** : क्या प्रधान मंत्री सरकारी सेवा में पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के बारे में 30 अप्रैल, 1986 के अतारांकित प्रश्न 8449 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार में सेवा कर रहे पति एवं पत्नी की एक ही स्थान पर नियुक्ति के ऐसे कितने अनुरोध-पत्र विचाराधीन पड़े हुए हैं; और

(ख) क्या एक ही स्थान पर नियुक्ति के बारे में ऐसे अनुरोधों को स्वीकार करने की कोई निश्चित समय-सीमा निर्धारित की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री, (श्री बीरेन सिंह ऐंथती) : (क) यह संबंधित प्रशासनिक प्राधिकारियों पर निर्भर करता है कि वे पति-पत्नी की एक ही स्थान पर तैनाती के अनुरोधों पर विचार करें और इस सम्बन्ध में जारी किए गए मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार कोई निर्णय लें। उन प्राधिकारियों के पास ऐसे अनुरोधों के अनिर्णीत पड़े रहने से संबंधित स्थिति, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा केन्द्रीयकृत रूप से मानिटर नहीं की जाती।

(ख) जी, नहीं।

"वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण"

797. **श्री साइमन हिम्बा** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राष्ट्रीयकरण किए गए वन उत्पादों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक वन उत्पाद के लिए सरकार द्वारा निर्धारित मूल्यों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और मध्य प्रदेश के उत्पादों के मूल्यों में कोई अन्तर है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस असमानता को दूर करने के लिए क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) कुछ राज्य सरकारों द्वारा निम्नलिखित वन उत्पादों का राष्ट्रीयकरण किया गया है :—

बिहार : साल, महुआ, कुसुम, करंज, पलास के बीज और आंवला, हरर जोंगी, बहेड़ा, तेन्दू पत्तों के फल; साल, आसन, खैर, हरर, बहेड़ा, करम्ब, धांता और बांस प्रजातियों की इमारती लकड़ी।

पश्चिम बंगाल : कोई राष्ट्रीयकरण नहीं।

उड़ीसा : तेन्दु पत्ता और साल के बीज।

मध्य प्रदेश : तेन्दु पत्ता, हरर, गोंद, साल बीज, टीक, साल, साल्म, महुआ, चीरा बीजा, खैर, तेन्दु, धाओरा, शीशम, करंज, लेंडिया, सलाई और बांस प्रजातियों की इमारती लकड़ी।

(ख) उन वन उत्पादों की कोई बिक्री कीमत निर्धारित नहीं है जिन्हें टेंडरों/नीलामी के माध्यम से बेचा जाता है।

(ग) जी, हां।

(घ) विभिन्नता स्थानीय हालातों के अनुसार निर्धारित की जा सकती है जैसे बाजार की सुलभता, मांग और आपूर्ति तथा उत्पाद की किस्म।

(ङ) कीमत का निर्धारण राज्य सरकारों पर छोड़ दिया गया है और यह उत्पाद के निपटान के समय बाजार हालातों पर निर्भर करेगा।

नशीले पदार्थों के आदी व्यक्तियों द्वारा आत्महत्या

798. **श्री एन० डेनिस** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के ध्यान में कोई ऐसे मामले आए हैं, जिनमें ब्राउन शगर अथवा अन्य नशीले पदार्थों के आदि व्यक्तियों ने उनके न मिलने पर आत्महत्या कर ली; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों में अब तक हुए ऐसे मामलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) सरकार के पास ऐसी कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

[हिंदी]

खाद्य में पोषक तत्वों की कमी

799. **डा० चन्द्रशेखर त्रिपाठी** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश की अधिकांश जनसंख्या उनके खाद्य में पोषक तत्व और प्रोटीन के अभाव के कारण प्रभावित है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार बस्ती जिले में खलीलाबाद के प्रभावित क्षेत्र में इस संबंध में कोई व्यवस्था करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्र (श्री ए० के० पांजा) : (क) भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद् के राष्ट्रीय पोषाहार मानीटरिंग ब्यूरो द्वारा किए गए सर्वेक्षण, जो कि उत्तर प्रदेश में भी किया गया था, से विदित होता है कि अधिकांश घरों में इस्तेमाल किए जा रहे आहार में कैलोरीज की कमी होती है; बहुत मामूली घरों की प्रतिशतता में आहार में प्रोटीन की कमी पायी गई। उनके आहार में विटामिन "ए" और रिबोफ्लाविन की भी कमी होती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से अनुपूरक पोषाहार कार्यक्रमों, विटामिन 'ए' और एनीमिया प्रोफिलेक्सेस कार्यक्रमों आदि के अधीन राजसहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति कर इन कमियों को दूर करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) मंत्रालय के पास बस्ती जिले के खलीलाबाद क्षेत्र के बारे में कोई सूचना नहीं है और न ही मंत्रालय के पास उक्त क्षेत्र के लिए कोई प्रस्ताव ही विचाराधीन है।

परमाणु ऊर्जा बिजली घरों की सुरक्षा के उपाय

800. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार परमाणु बिजली घरों में दुर्घटना की संभावनाओं को देखते हुए उनमें सुरक्षा की पर्याप्त व्यवस्था करने के प्रश्न पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो कब तक आवश्यक प्रबंध कर दिए जाने की संभावना है; और

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है, कि परमाणु बिजलीघरों के न तो अधिकारी ही और न ही कर्मचारी इस पहलू के प्रति पूर्णत: सजग हैं और वे सुरक्षा संबंधी आवश्यक पूर्वोपाय नहीं करते हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) सरकार विभाग की सुरक्षा समीक्षा समिति और परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड द्वारा दिए गए विशेषज्ञों के सुझावों के आधार पर परमाणु बिजलीघरों की सुरक्षा की समीक्षा निरंतर करती रहती है। अत: इस कार्य के लिए कोई अवधि निर्धारित करने का प्रश्न ही नहीं है।

(ग) परमाणु बिजलीघरों में काम करने वाले कार्मिक संयंत्रों में सुरक्षा उपायों की व्यवस्था करने की आवश्यकता के प्रति पूर्णत: सजग हैं और वे बचाव संबंधी आवश्यक उपाय करने में प्रशिक्षित हैं।

[अनुवाद]

आतंकवादियों के संक्षिप्त विचारण के लिए तंत्र

801. **श्री आनन्द सिंह** : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कानून और प्रवर्तन तंत्र में लोगों का पुन: विश्वास जागृत करने और सुरक्षा व्यवस्था बनाये रखने के लिये आतंकवादियों के संक्षिप्त विचारण हेतु विशेष कानून और तंत्र की व्यवस्था करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो उन लोगों में जान और माल के प्रति सुरक्षा की भावना पैदा करने के लिये अन्य क्या कदम उठाने का विचार है जो आतंकवादियों की गतिविधियों से आतंकित हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) आतंकवाद और विघटनकारी गतिविधियां (रोक थाम) अधिनियम, 1985 के उपबंधों के तहत पहले ही कुछ अपराधों के लिए संक्षिप्त विचारण का प्रावधान है।

(ग) केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकारों से निरन्तर सम्पर्क बनाए हुए हैं और आतंकवाद और आतंकवाद के विरूद्ध प्रतिरोधी कार्रवाइयों में आवश्यक सहायता प्रदान कर रही है।

इण्डियन रेअर अर्थ लि० में उत्पादन

802. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इण्डियन रेअर अर्थ लि० ने उड़ीसा में प्रयोगात्मक आधार पर उत्पादन शुरू कर दिया है;

(ख) क्या यह सच है कि इसने 20 करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे हैं जिनमें से साठ प्रतिशत विदेशी मुद्रा में हैं; और

(ग) यदि हां, तो इसमें हुए लाभ का ब्यौरा क्या है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां।

(ख) जी, नहीं।

(ग) कम्पनी ने लगभग 1 करोड़ रुपये के उत्पाद बेचे हैं जिनमें से 90 प्रतिशत उत्पादों का निर्यात किया गया और 10 प्रतिशत देश में ही बेचे गए। चूंकि इस समय संयंत्र को परीक्षण के तौर पर चलाया जा रहा है, इसलिए फिलहाल उससे किसी प्रकार का लाभ होने का प्रश्न ही नहीं उठता।

औद्योगिक उत्पादन सूचकांक

803. **श्री के० वी० शंकरगौडा** : क्या **योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका मंत्रालय यह सुनिश्चित करने के लिए कि आधारभूत आर्थिक सूचकों में औद्योगिक उत्पादन सही रूप में प्रतिबिम्बित हो, औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के आकलन में विभिन्न उद्योगों को ध्यान में रखने के प्रस्ताव पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उत्पादन के सूचकांक में विभिन्न उद्योगों के मूल्यांकन में संशोधन करने के लिए उच्चाधिकारियों की एक समिति नियुक्त की थी;

(ग) यदि हां, तो क्या इस समिति ने अपनी सिफारिशें सरकार को दे दी है; और

(घ) यदि हां, तो सिफारिशों का ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा कब तक अन्तिम निर्णय लिए जाने की संभावना है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) से (ग) जी हां।

(घ) कार्यकारी दल की मुख्य सिफारिशें संलग्न विवरण में दी गई हैं। सरकार द्वारा इन पर सक्रिय रूप से विचार किया जा रहा है तथा अन्तिम निर्णय शीघ्र लिए जाने की आशा है।

विवरण

मुख्य सिफारिशें हैं :—

(1) औद्योगिक उत्पादन के सूचकांक की नई/संशोधित श्रृंखला का आधार वर्ष 1980-81 होना चाहिए।

(2) संशोधित श्रृंखलाओं के लिए उद्योगों के वर्गीकरण करने का आधार वर्तमान श्रृंखला में अनुसरण किए गए वार्षिक उद्योग सर्वेक्षण के स्थान पर राष्ट्रीय औद्योगिक वर्गीकरण 1970 के अनुसार होना चाहिए।

(3) लघु औद्योगिक क्षेत्र से उत्पन्न होने वाली मदों को संशोधित श्रृंखला में शामिल किए जाने को सुनिश्चित किया जाए।

(4) एक प्रभावी क्रियाविधि तैयार की जाए ताकि समय पर उत्पादन आंकड़ों की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जा सके।

(5) विकेन्द्रित क्षेत्र में सूती वस्त्र जैसे असंगठित क्षेत्रों से उत्पन्न मदों को संशोधित श्रृंखलाओं में शामिल किया जाना चाहिए।

(6) 352 मदों-खनन तथा उत्खनन से 61, विनिर्माणकारी उद्योगों से 290 तथा विद्युत से। मद पर आधारित संशोधित श्रृंखला का मारण ओरख भी तैयार किया गया तथा अपनाने के लिए इसे अन्तिम रूप दिया गया।

"वन प्रबन्ध में राज्य सरकारों को शक्तियों का प्रत्यायोजन"

805. **श्री जी० भूपति** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार वन प्रबंध में राज्य सरकारों को पूर्ण शक्तियां प्रत्यायोजित करने और इस बात को ध्यान में रखते हुए वन (संरक्षरण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करने पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो कब से और इन प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण में प्रगति

806. **श्री जी० भपति**
श्री इन्द्रजीत गुप्त
श्री एन० वेंकटरत्नम
डा० वी० एल० शैलश : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में हल्के लड़ाकू विमानों का निर्माण शुरू हो गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अब तक क्या प्रगति हुई है;

(ग) हल्के लड़ाकू विमानों आदि के लिए संयुक्त तकनीकी सहयोग, उड़ान नियन्त्रण सिस्टम इन्जनों और विविध पुर्जों की सप्लाई के लिए किन किन देशों के साथ बातचीत चल रही है;

(घ) इस परियोजना को आरम्भ करने में कितना समय लगेगा; और

(ङ) हमारी प्रक्षेपास्य विकास परियोजना इस समय किस चरण में है?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) हल्के लड़ाकू विमानों के बारे में सम्भाव्यता अध्ययन पूरा कर लिया गया है। हल्के लड़ाकू विमानों के लिए हवाई-कार्मिकों की आवश्यकताओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है। इस समय हल्के लड़ाकू विमानों के निर्माण कार्यक्रम की परियोजना तैयार करने के प्रारम्भिक चरण पर विचार हो रहा है।

(ग) पश्चिम जर्मनी, ब्रिटेन (यूनाइटिड किंगडम), फ्रांस और अमरीका की फर्मों के साथ विचार-विमर्श किया जा रहा है।

(घ) हल्के लड़ाकू विमानों का कार्यक्रम पहले ही आरम्भ हो चुका है और इस समय परियोजना के प्रारम्भिक चरण पर विचार किया जा रहा है।

(ङ) प्रक्षेपास्त्र कार्यक्रम का डिजाइन बना लिया गया है और अब उनका विकास किया जा रहा है। इनमें से एक परियोजना उड़ान परीक्षण के लिए तैयार हो चुकी है। यह कार्यक्रम में संतोषजनक रूप से चल रहा है।

केन्द्रीय सरकार के कार्यालय में पांच दिनों की सप्ताह प्रणाली

807. श्री जी० भूपति
कुमारी डी० के० तारादेवी
श्री वी० एस० कृष्ण अय्यर
श्री कादम्बुर एम० आर० जनार्दनन
श्रीमती वैजयन्ती माला बाली } : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार की पांच दिनों की सप्ताह प्रणाली के कारण केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में बढ़ती हुई अकुशलता सम्बन्धी समाचारों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार 6 दिनों के सप्ताह की पुरानी प्रणाली को पुनः आरम्भ करने का है; और

(ग) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) :(क) से (ग) इस मन्त्रालय की जानकारी में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं आई है कि 5 दिवसीय सप्ताह लागू किए जाने के कारण केन्द्रीय सरकार के कार्यालयों में अदक्षता बढ़ी है। इस बात का भी कोई संकेत नहीं है कि कार्य-निष्पादन की मात्रा में कोई कमी आई है। इसे ध्यान में रखते हुए; 6 दिवसीय सप्ताह की पुरानी प्रणाली को लागू करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

कनाडा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए आतंकवादियों के सहयोगी केन्द्रीय जांच ब्यूरो को हिरासत में

808. डा० वी० वेंकटेश : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 14 जून, 1986 को कनाडा की पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए सात आतंकवादियों के नौ सहयोगी जिन पर उन आतंकवादियों का सम्पर्क सूत्र होने का सन्देह है; जालन्धर में केन्द्रीय जांच ब्यूरो द्वारा गिरफ्तार किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या कनाडा की पुलिस ने केन्द्रीय जांच ब्यूरो को यह सूचना भी दी है कि षड्यन्त्र का स्थल जालंधर में था;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या इस सम्बन्ध में जांच पूरी हो गई हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) बल पूर्वक खालिस्तान बनाने और इस प्रयोजन के लिए भारत में आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त होने के लिए कनाडा में तैयार किए जा रहे षड्यंत्र और जालन्धर में अपने समकक्ष व्यक्तियों के साथ षड्यंत्रकारियों के संबंधों के बारे में कनाडा के प्राधिकारियों से प्राप्त सूचना के आधार पर आतंकवादी और विघटनकारी गतिविधियां (निवारण) अधिनियम, 1985 के अधीन एक मामला दर्ज किया गया है और जालन्धर से 12 तथा अमृतसर से एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है।

(घ) जांच पड़ताल की जा रही है।

दिल्ली में डकैतियां और लूटमार

809. श्रीमती प्रभावती गुप्ता
श्री बुद्धि चन्द्र जैन } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत एक वर्ष के दौरान जून, 1986 तक दिल्ली में डकैती की कितनी घटनायें हुई है;

(ख) कितने अपराधी गिरफ्तार किये गये हैं;

(ग) कितने मामले सुलझाये गये हैं; और

(घ) लोगों के जानमाल की सुरक्षा के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जुलाई, 1985 से जून, 1986 तक के गत एक वर्ष के दौरान दिल्ली संघ राज्य क्षेत्र में डकैती के 24 मामले और लूटपाट के 221 मामले सूचित किए गए थे।

(ख) डकैतियों में 63 व्यक्ति और लूटपाटों में 274 व्यक्ति।

(ग) डकैतियों के 15 मामले।
लूटपाटों के 124 मामले।

(घ) दिल्ली पुलिस द्वारा अपराधों को नियंत्रित करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं जैसे पैदल और चलती फिरती गश्त में बढ़ोत्तरी, होटलों और यात्री निवासों की कड़ी जांच, संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियां तैनात करना, दुश्चरित्रों और ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कार्रवाई, भीड़ वाले स्थानों पर सतर्कता, विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और अन्तर्राज्यीय/अन्तर-जिला स्तर पर अपराध पुनरीक्षण के लिए बैठकें।

विदेशों से आतंकवादियों का आना

810. **श्री महेन्द्र सिंह** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ आतंकवादी जिनकी भारत में कई मामलों में तलाश है, यहां से भाग निकले और उन्हें गिरफ्तार नहीं किया जा सका;

(ख) यदि हां, तो पिछले एक वर्ष के दौरान इस प्रकार के आतंकवादियों की संख्या तथा उनका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त अवधि के दौरान कोई आतंकवादी गिरफ्तार किए जाने के पश्चात् हिरासत से फरार हुआ है; और

(घ) सुरक्षा व्यवस्था में क्या कमी है जिसके कारण यह फरार हो जाते हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) भारत सरकार के पास अब तक आतंकवादियों के बारे में जैसा कि प्रश्न में उल्लेख है, उनके भारत में प्रवेश करने, ठहरने, भाग निकलने के सम्बंध में कोई विशिष्ट सूचना उपलब्ध नहीं है।

(ग) उपलब्ध सूचना के अनुसार एक हरजिन्द्र सिंह उर्फ जिंदा, पुत्र गुलजार सिंह, पुलिस हिरासत से अहमदाबाद से भाग गया था। दो अन्य अभियुक्त व्यक्ति नामतः सुखदेव सिंह उर्फ सुक्खा उर्फ लाभ सिंह, पुत्र पुरन सिंह और गुरिन्द्र सिंह उर्फ भोला, पुत्र गोपाल सिंह रामगढ़िया 5-4-1986 को कुछ आतंकवादियों की सहायता से जालन्धर से भाग गए थे।

(घ) इन कैदियों, जिन पर मुकदमें चल रहे थे, के निकल भागने की परिस्थितियों की सम्बन्धित अधिकारियों द्वारा जांच की जा रही है, ताकि भविष्य के लिए उचित सुधारात्मक उपाय किया जा सके।

भारतीय सांख्यिकी सेवा में पदोन्नतियां

811. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय द्वारा 11 फरवरी, 1986 को दिए गए निदेशानुसार भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-III में 1983 तक रिक्त हुए 176 स्थानों पर पदोन्नति की स्थिति की पुनरीक्षा की हैं, यदि हां, तो 1984, 1985 और 1986 में 11 फरवरी, 1986 तक रिक्त हुए स्थानों पर पदोन्नति की स्थिति की पुनरीक्षा न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या ग्रेड-IV में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के 23 अधिकारी पदोन्नत किए गए हैं जबकि उनके लिए 40 रिक्त स्थान आरक्षित थे, यदि हां, तो अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उन अधिकारियों को पदोन्नति न किए जाने के क्या कारण हैं जिन्होंने 11 फरवरी, 1986 से पहले भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-IV में 4 वर्ष की सेवा पूरी कर ली थी;

(ग) क्या विभाग द्वारा उन 17 आरक्षित स्थानों को अनारक्षित करने से पहले कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के आयुक्त को इन्हें अनारक्षित करने का प्रस्ताव भेजा गया था; और

(घ) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है और उस पर कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आयुक्त की क्या टिप्पणियां हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड-IV से ग्रेड-III में 11 फरवरी, 1986 तक की गई 176 पदोन्नतियों की समीक्षा सरकार द्वारा की गई थी। ऐसी कोई पदोन्नतियां नहीं थी जो 1984, 1985 अथवा 1986 में 11 फरवरी, 1986 तक की गई थीं जिनकी उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार समीक्षा करने की आवश्यकता हो।

(ख) 1974 और 1983 के बीच विभिन्न तारीखों पर 176 पदोन्नतियां की गई थीं। अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के सभी पात्र अधिकारियों पर, जिन्होंने पदोन्नति की अलग-अलग तारीखों पर 4 वर्षों की सेवा पूरी कर ली थी, विधिवत विचार किया गया था। अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों से सम्बंधित ऐसे 23 अधिकारियों की पदोन्नति की गई थी। ऐसे अधिकारियों पर, जिन्होंने 11 फरवरी, 1986 को 4 वर्षों की सेवा पूरी कर ली है, किसी भावी विभागीय पदोन्नति समिति में विचार किया जाएगा जो ग्रेड-IV से ग्रेड-III में अधिकारियों को पदोन्नत करने के लिए आयोजित की जाएगी।

(ग) सम्बन्धित मंत्रालयों/कार्यालयों को आवश्यक सूचना भेजी जा रही है।

(घ) प्रश्न ही नहीं उठता।

भारतीय सांख्यिकी सेवा में रिक्त पद

812. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने नरेन्द्र चड्ढा और अन्य बनाम संघ सरकार के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिनांक 11 फरवरी, 1986 को दिए गए निर्णय के अनुसरण में भारतीय सांख्यिकी

सेवा की ग्रेड चार की नई वरिष्ठता सूची को ध्यान में रखते हुए भारतीय सांख्यिकी सेवा की ग्रेड तीन के संबंध में 11 फरवरी, 1986 तक की पदोन्नति के सभी पदों की पुनरीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो 11 फरवरी, 1986 तक कुल कितने पद रिक्त थे और उनके रिक्त होने की तारीखों के अनुसार उनका वितरण किस प्रकार किया गया है;

(ग) कितने रिक्त पदों के संबंध में पदोन्नति के पदों की पुनरीक्षा की गई है;

(घ) कितने रिक्त पदों के सम्बंध में अब तक पदोन्नति पदों की पुनरीक्षा नहीं की गई है और इन रिक्तियों पर पदोन्नति पदों की पुनरीक्षा न किये जाने के क्या कारण हैं ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां, सरकार ने उच्चतम न्यायालय के निदेशों के अनुसार भारतीय सांख्यिकी सेवा के ग्रेड III में 11 फरवरी, 1986 तक की गई सभी पदोन्नतियों की समीक्षा की है।

(ख) जी हां। सरकार द्वारा की गई समीक्षा में विभिन्न तारीखों पर की गई निम्नलिखित पदोन्नतियां शामिल हैं, जिनके ब्यौरे नीचे दिये गये हैं :—

तारीख	संख्या
31-05-74	35
15-12-76	21
08-05-79	11
06-01-81	7
17-03-81	1
05-01-82	18
23-09-82	3
17-03-83	31
14-12-83	49
	176

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय का निदेश रिक्तियों की संख्या पर ध्यान दिये बिना निर्णय की तारीख तक वास्तविक रूप से की गई पदोन्नतियों की समीक्षा करना था। अतः रिक्तियों के स्थान पर पदोन्नतियों की समीक्षा करने का प्रश्न ही नहीं उठता।

पंजाब समझौते को लागू करना

8. 3. **श्री पी० एम० सईद**
श्री अमर राय प्रधान
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन
श्री टी० बशीर
श्री भट्टम श्रीराममूर्ति
श्रीमती गीता मुखर्जी
श्री नित्यानन्द मिश्र
: क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब समझौते को लागू करने के बारे में क्या प्रगति हुई है;

(ख) उक्त समझौते को पूरी तरह से लागू करने में क्या समस्याएं आ रही हैं; और

(ग) इसके लागू करने की गति को तेज करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं। उठाने का विचार है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) समझौता ज्ञापन की 11 मदों में से 7 मदों (मारे गए निर्दोष लोगों को क्षतिपूर्ति) (मद सं०-1) सेना में भर्ती (मद-2), नवम्बर के दंगों की जांच (मद-3), सेना से बर्खास्त लोगों का पुनर्वास (मद सं०-4), लम्बित मामलों का निपटान (मद-6), केन्द्र-राज्य सम्बन्ध (मद-8) तथा अल्पसंख्यकों को प्रतिनिधित्व (मद सं-10) को कार्यान्वित कर दिया गया है। शेष चार मदों (अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम) (मद-5), क्षेत्रीय दावे (मद-7), नदी जल का बंटवारा (मद-9) तथा पंजाबी भाषा की प्रोन्नति (मद-11) को भी कार्यान्वित करने के लिए कार्रवाई शुरू की गयी है।

क्षेत्रीय दावे मद : 7

बेंकटरम्मैया आयोग द्वारा 10-6-1986 को प्रस्तुत की गई रिपोर्ट के आधार पर, चंडीगढ़ के बदले पंजाब से हरियाणा को हस्तांतरित किए जाने वाले गांवों को विनिर्दिष्ट करने जिनमें लगभग 70,000 एकड़ भूमि है, के कार्य को भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवा निवृत्त न्यायाधीश तथा भारत के विधि आयोग के अध्यक्ष माननीय न्याय मूर्ति डी० एस० देसाई को दिनांक 20-6-1986 को सौंपा गया है।

नदी जल का बंटवारा (मद-9)

दो अप्रैल, 1986 को एक 3 सदस्यीय न्यायाधिकरण गठित किया गया जिसमें उच्चतम न्यायालय के न्यायधीश श्री न्याय मूर्ति वी० बाला कृष्णा इरादी, अध्यक्ष तथा दो सदस्य गुजरात उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्याय मूर्ति ए० एम० अहमदी तथा केरल उच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री न्यायमूर्ति पी० सी० बालाकृष्णा मेनन, शामिल हैं। न्यायाधिकरण की अब तक 8 बैठकें हुई हैं।

पंजाबी भाषा की प्रोन्नति

पंजाबी भाषा को प्रोन्नत करने के सम्बन्ध में, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय ने अनेक कदम उठाये हैं तथा उनके द्वारा एक कार्य योजना तैयार की गई है।

अखिल भारतीय गुरुद्वारा अधिनियम (मद-5)

सभी राज्यों तथा संघ शासित क्षेत्रों के मुख्य मन्त्रियों को इस मामले में अपने विचार भेजने के लिए अनुरोध किया गया है।

सरकार ने समझौते को कार्यान्वित करने की भरसक कोशिश की है तथा इस दिशा में आगे कोशिशें जारी हैं।

सीमावर्ती क्षेत्र में पाकिस्तानी सैनिकों का जमाव

814. **डा० डी० एल० सेनेश** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने चीन के सीमावर्ती नगर काशगर को पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से जोड़ने वाली 795 मील लम्बी 12 मासी सड़क जिस पर जीप चलायी जा सकती है खोले जाने और उस क्षेत्र में 10,000 पाकिस्तानी सैनिको के जमा होने से देश की सुरक्षा के लिए उत्पन्न खतरे को महसूस किया है; और

(ख) यदि हां, तो भारत की प्रभुसत्ता और एकता की सुरक्षा के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अकबर सिंह) : (क) और (ख) सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका हमारी राष्ट्रीय सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है और पूर्ण रक्षा तैयारी सुनिश्चित करने के लिए उचित उपाय करती है।

संसद सदस्यों के राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के दौरे

815. **डा० जी० विजय रामा राव** : क्या संसदीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष संसद सदस्यों के राष्ट्रीय महत्व की परियोजनाओं के अनेक दौरों का आयोजन किया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या संसद सदस्यों द्वारा किए गए परियोजनाओं के दौरे के फलस्वरूप उनकी प्रतिक्रिया और सुझावों की कोई रिपोर्ट तैयार की गई है और उसे सम्बन्धित विभागों/परियोजनाओं प्राधिकारियों के पास भेजा गया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त रिपोर्ट पर परियोजनाओं द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

संसदीय कार्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री (श्री एच० के० एल० भगत) : (क) और (ख) वर्ष 1986 के दौरान अभी तक संसद सदस्यों के केवल एक दौरे का आयोजन 14 मार्च, 1986 को कृषि विज्ञान मेले के अवसर पर भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान, पूसा, नई दिल्ली के लिए किया गया था। इस दौरे में 17 संसद सदस्य (14 लोक सभा के तथा 3 राज्य सभा के) शामिल हुए थे। संसद सदस्यों को मेले के विभिन्न स्टाल दिखाए गए जिनमें तिलहनों, खाद्यान्नों, फलों, सब्जियों, फूलों आदि के क्षेत्र में संस्थान में चल रहे अनुसंधान कार्य का प्रदर्शन किया गया था। सदस्यों ने संस्थान के वैज्ञानिकों और अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श भी किया जिसके दौरान उन्होंने जानकारी प्राप्त की और सुझाव दिए।

(ग) और (घ) दौरा करने वाले दल के किसी सदस्य से कोई रिपोर्ट अभी तक इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

नये विभागों का कार्यनिष्पादन

816. **श्री कमल नाथ** : क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या (एक) 20-सूत्री कार्यक्रम और (दो) परियोजना आयोजन और संस्थागत वित्त के लिए बनाये गये दो विभागों से अब तक कोई परिणाम प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि नहीं, तो इनके विकास की गति को तेज करने के लिए क्या उपचारात्मक उपाय किये जा रहे हैं ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के निम्नलिखित तीन प्रभाग है :—

(1) आधारी संरचना प्रबोधन प्रभाग

(2) परियोजना प्रबोधन प्रभाग, और

(3) कार्यक्रम प्रबोधन प्रभाग

इसमें परियोजना आयोजन और संस्थागत वित्त विभाग नहीं है। आधार संरचना प्रबोधन प्रभाग, 9 आधारी संरचना क्षेत्रकों अर्थात् बिजली, कोयला, इस्पात, रेलवे, सीमेन्ट, उर्वरक, जहाजरानी, दूरसंचार और पैट्रोलियम के निष्पादन का प्रबोधन करने का काम देखता है। यह अन्तर क्षेत्रक समन्वय भी करता है।

परियोजना प्रबोधन प्रभाग 20 करोड़ रु० से अधिक लागत वाली केन्द्रीय क्षेत्रक परियोजनाओं, अर्थात् परमाणु ऊर्जा, नागर विमानन, रसायन और पैट्रो रसायन, कोयला, संचार, उर्वरक, खनन, इस्पात, पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, बिजली, सरकारी उद्यम, रेलवे और जलभूतल परिवहन विभाग के प्रबोधन का कार्य करता है।

कार्यक्रम प्रबोधन प्रभाग 20-सूत्री कार्यक्रम की 32 मदों का प्रबोधन करता है। इनमें आय बढ़ाने, परिसम्पतियां बढ़ाने, गरीब का जीवन स्तर ऊपर उठाने के लिए गरीबी निरोधक कार्यक्रम, ग्रामीण जल पूर्ति का न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम, गृह स्थल और निर्माण सहायता, ग्रामीण विद्युतीकरण, ग्रामीण स्वास्थ्य, पोषक आहार, प्राथमिक शिक्षा, प्रौढ़ साक्षरता और गंदी बस्तियों का सुधार तथा अर्थव्यवस्था में उत्पादन और उत्पादकता बढ़ाने के लिए बनाये गये अन्य प्रमुख कार्यक्रम उपभोक्ता वस्तुओं का ठीक-ठीक वितरण, जनसंख्या नियंत्रण, सरकारी उद्यमों आदि के कार्य चालन में सुधार लाना शामिल है। 20-सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन का प्रबोधन सभी 22 राज्यों और 9 संघ शासित प्रदेशों द्वारा किया जाता है।

यह मंत्रालय प्रगति का प्रबोधन, विस्पर्श (स्लीपेज) का पता लगाकर संबंधित अधिकारी जिसमें संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अवगत कराकर परियोजना और कार्यक्रमों की शीघ्र कार्यान्वयन में उत्प्रेरक भूमिका निभाता है। मंत्रालय ने परियोजनाओं और कार्यक्रमों के समय पर और शीघ्र कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने की जरूरत संबंधी जागृति पैदा कर दी। कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली समस्याओं को संबंधित अधिकारियों जिनमें राज्यों के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, के साथ उच्चतमस्तर पर उठाया जाता है। शीघ्र कार्यान्वयन के रास्ते में आने वाली अड़चनों को दूर करने के लिए केन्द्रीय मन्त्रियों की बैठकें भी बुलाई जाती हैं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

तमिलनाडु में जासूसी करने के कारण गिरफ्तार किए गए लोग

817. श्री सी० माधव रेड्डी
श्री बनवारी लाल पुरोहित } : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 7 जून, 1986 को मद्रास में श्रीलंका के उग्रवादियों के रूप में छद्मवेश में घूम रहे कुछ विदेशियों सहित 12 व्यक्तियों को जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है;

(ख) यदि हां, तो गिरफ्तार व्यक्ति किस प्रकार की जासूसी गतिविधियों में संलग्न थे; और

(ग) क्या अनेक स्थानीय लोग भी उनकी जासूसी गतिविधियों में सम्मिलित हैं?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) इस समय उपलब्ध सूचना के अनुसार 7 जून, 1986 के विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के साथ पठित शासकीय गोपनीय अधि-

नियम के उपबंधों के तहत 5 व्यक्तियों को मद्रास में गिरफ्तार किया गया था। मामले की अभी तक जांच पड़ताल की जा रही है।

दार्जिलिंग की पहाड़ियों में सुधार विरोधी गतिविधियां

818. श्री सी० माधव रेड्डी
डा० डी० एन० रेड्डी
श्री सैयद शहाबुद्दीन
श्री मुल्लापल्ली रामचन्द्रन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने दार्जिलिंग की पहाड़ियों में तथाकथित गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा आन्दोलन के पीछे लगी आंतरिक और विदेशी शक्तियों और विघटनकारियों को धनराशि देने वाली ताकतों का पता लगाने के संबंध में कोई जांच की है; और

(ख) यदि हां, तो इस जांच के परिणाम क्या निकले और इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) गोरखा राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा के आन्दोलन को भड़काने वाली तथा धन की व्यवस्था करने वाली मुख्य ताकतों के विषय में केन्द्र सरकार के पास कोई निश्चित सूचना उपलब्ध नहीं है। फ्रन्ट चन्दा उगा कर, दान मांग कर और कलैण्डर आदि बेच कर अपनी निधि बढ़ाता रहा है। स्थिति पर निगाह रखी जा रही है।

तिहाड़ जेल से कैदियों के भागने के संबंध में लाम्बड़ समिति का प्रतिवेदन

819. श्री प्रकाश वी० पाटिल
श्री सैयद शाहबुद्दीन } : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लाम्बड़ समिति ने तिहाड़ जेल से चार्ल्स शोभराज के भागने के लिए जिम्मेदार परिस्थितियों और उस जेल की सामान्य सुरक्षा संबंधी त्रुटियों के संबंध में अपना प्रतिवेदन पेश कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रतिवेदन के मुख्य निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या उक्त प्रतिवेदन में कुछ अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से इसके लिये जिम्मेदार ठहराया गया है और यदि हां, तो उनके नाम क्या है और उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(घ) बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए क्या प्रशासनिक परिवर्तन सुझाये गये है और उनमें से कितने सुझावों को कार्यान्वित करने हेतु स्वीकार किया गया है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) मुख्य निष्कर्ष यह है कि अनेक जेल कर्मचारी अपनी लापरवाही और कमियों के कारण अपराधियों के बचकर भागने के लिए सीधे जिम्मेदार थे।

(ग) समिति ने निम्नलिखित कर्मचारियों पर व्यक्तिगत जिम्मेदारी निश्चित की थी :—

1. श्री वी० डी० पुष्करन, उप अधीक्षक।
2. श्री एस० आर० यादव, सहायक अधीक्षक।

3. श्री झुमन सिंह, वार्डर (देवरी दरबान के रूप में तैनात)
4. श्री आनन्द प्रकाश, वार्डर (देवरी मुंशी के रूप में तैनात)
5. श्री रामचन्द्र वार्डर (संतरी)
6. श्री सेलवान, कांस्टेबल, टी० एस० पी०
7. श्री सुलेमान, कांस्टेबल, टी० एस० पी०
8. श्री जयपाल सिंह (4) वार्डर (वार्ड नं० 13 पर द्वारपाल की ड्यूटी)
9. श्री रतन लाल वार्डर (देवरी दरबान ड्यूटी पर)
10. श्री प्रेम बहादुर वार्डर (वार्ड नं० 13 पर द्वारपाल की ड्यूटी पर)
11. श्री सत प्रकाश, वार्डर (देवरी मुंशी की ड्यूटी पर)

सभी अधिकारियों को निलम्बित कर दिया गया है।

8 पर मुकदमा चलाया जा रहा है और अन्य 3 के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जा रही है।

(घ) समिति ने शातिर अपराधियों के मुलाकातियों पर निगरानी रखने के लिए एक पूर्णकालीन महानिरीक्षक, एक एजेंसी के द्वारा जेल की सुरक्षा, जेल कर्मचारियों का प्रशिक्षण, दल-नैतिक कैदियों के लिए केन्द्रीय जेल से दूर कर विशेष जेल की स्थापना और सारे जेल कर्मचारियों की पूरी तरह जांच करने का सुझाव दिया है। दिल्ली प्रशासन के अनुसार उन्होंने लगभग सभी सुझाव स्वीकार कर लिए हैं।

भारतीय खाद्य निगम में स्थानान्तरण की नीति का न बनाया जाना

820. **डा० वी० विजय रामाराव** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को स्थानान्तरण नीति न बनाये जाने के कारण भारतीय खाद्य निगम के विभिन्न जोनों के कर्मचारियों को हो रही कठिनाइयों की जानकारी है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तरी जोन के कर्मचारियों के लिए कोई स्थानान्तरण नीति बनाई गई है अथवा विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) भारतीय खाद्य निगम अपने सभी कर्मचारियों के लिए 1974 में जारी किए गए स्थानान्तरण नीति के मार्गदर्शी सिद्धांतों का अनुसरण कर रहा है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) और (घ) भारतीय खाद्य निगम के उत्तरी जोन के कर्मचारियों के लिए कोई अलग स्थानान्तरण नीति नहीं है। सामान्य स्थानान्तरण नीति के अनुसार, श्रेणी-2, श्रेणी-3 और श्रेणी-4 के कर्मचारियों का प्रशासनिक आवश्यकताओं को देखते हुए सामान्यतम क्रमशः जोनों, क्षेत्रों और जिलों के अन्दर स्थानान्तरण किया जाता है। श्रेणी-1 के कर्मचारियों के अखिल भारत आधार पर स्थानान्तरण किए जाने होते हैं।

[हिन्दी]

"पेय जल के लिए पाइप लाइन बिछाने हेतु वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत अनुमति"

821. **श्री हरीश रावत** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के उपबंधों के अनुसार पेय जल, योजनाओं के लिए पाइप लाइन बिछाने संबंधी केन्द्रीय निर्माण कार्य के लिए भी सरकार की अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या औचित्य है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) यह सुनिश्चित करने के लिए कि वन भूमि को गैर-वानिकी प्रयोजन के लिए केवल तभी परिवर्तित किया जाए अब ऐसा करना अपरिहार्य हो।

[अनुवाद]

केल्ट्रान द्वारा इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण

822. **श्री वी० आर० कुमारमंगलम** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केल्ट्रान ने प्रतिवर्ष कम कीमत वाली दस लाख इलेक्ट्रानिक घड़ियों का निर्माण करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने उस पर क्या निर्णय लिया है; और

(ग) क्या इससे देश घड़ियों और उनके पुर्जों के मामले में आत्म-निर्भर हो जाएगा और इस प्रकार आयात बन्द हो सकेगा और इनकी तस्करी पर अंकुश लग सकेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) 2 लाख अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियों के विनिर्माण के लिए मेसर्स केल्ट्रॉन के पास औद्योगिक लाइसेंस है। उन्होंने अपनी वर्तमान लाइसेंस शुदा उत्पादन क्षमता को प्रतिवर्ष 10 लाख तक बढ़ाने के लिए इलेक्ट्रानिकी विभाग को लिखा है। उन्हें सलाह दी गई है कि अपनी उत्पादन-क्षमता को काफी अधिक बढ़ाने के लिए वे निर्धारित फार्म में औद्योगिक अनुमोदन सचिवालय को आवेदन-पत्र भेजें।

(ग) सेमीकण्डक्टर काम्प्लेक्स लिमिटेड नामक केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के एक उपक्रम ने कम कीमत वाली अंकीय इलैक्ट्रानिक घड़ियों के विनिर्माण का एक कार्यक्रम शुरू किया है। स्वदेश में निर्मित कम कीमत वाली अंकीय इलेक्ट्रानिक घड़ियां और साथ ही उनकी बिक्री उपरान्त सेवा देश में उपलब्ध होने पर आयात रुकेगा और उनकी तस्करी बन्द हो जाएगी।

राज्यों के बीच सीमा विवाद

823. **श्री अमर राय प्रधान** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनके बीच सीमा संबंधी मामले वर्षों से लटके पड़े हैं,

(ख) इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार सीमा संबंधी मामलों को जल्दी से जल्दी हल करने के लिए कदम उठाने के बारे में विचार कर रही है,

(घ) क्या कुछ मुख्य मंत्रियों ने इस संबंध में हाल ही में उनसे मुलाकात की है और अपनी सीमा संबंधी समस्याओं के बारे में बातचीत की है, और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस मामले में क्या कदम उठाए गए हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) निम्नलिखित राज्यों के बीच सीमा विवाद है जिनमें सीमा संबंधी दावे/प्रतिदावे लम्बित हैं : –

(1) महाराष्ट्र और कर्नाटक,

(2) कर्नाटक और केरल,

(3) असम और नागालैंड, और

(4) पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश ।

इन विवादों को संबंधित राज्य सरकारों के स्वैच्छिक सहयोग से ही हल किया जा सकता है और इसके लिए केन्द्रीय सरकार उनको सब प्रकार की सहायता देगी ।

(घ) इस संबंध में कोई मुख्य-मन्त्री, गृह मन्त्री से नहीं मिले है ।

(ङ) प्रश्न ही नहीं उठता ।

सियाचिन क्षेत्र में भारतीय हेलीकाप्टरों पर नवीनतम अमरीकी प्रक्षेपास्त्रों का चलाया जाना

824. **श्री पी० नामग्याल**
श्री आर० एम०भोये
श्री अनन्त प्रसाद सेठी } : **क्या रक्षा मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पाकिस्तान ने पिछले महीने सियाचिन क्षेत्र में हमारे एक हेलिकाप्टर पर, जो कि सप्लाई काम में लगा हुआ था, अमरीका द्वारा उसे सप्लाई किये गये शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया, और

(ख) यदि हां, तो पाकिस्तान द्वारा प्रयोग किये जा रहे इन खतरनाक हथियारों का प्रतिरोध करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) और (ख) सरकार को इस बात की कोई जानकारी नहीं है कि पाकिस्तान ने सियाचिन ग्लेशियर क्षेत्र में हमारे विमान पर किसी शक्तिशाली प्रक्षेपास्त्र का प्रयोग किया ।

सरकार उन सभी गतिविधियों पर बराबर नजर रखती है जिनका देश की सुरक्षा पर प्रभाव पड़ता है ताकि पूर्ण रक्षा तैयारी बनाए रखने के लिए समुचित उपाय किए जा सकें।

केरल में केन्द्र द्वारा निवेश

825. **प्रो० के० वी० थामस** : क्या **कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1982-83 से 1985-86 के दौरान केरल में केन्द्र द्वारा कितने प्रतिशत निवेश किया गया; और

(ख) क्या केरल सरकार ने 20-सूत्री कार्यक्रम के कार्यान्वयन का अपना लक्ष्य प्राप्त कर लिया है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मन्त्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) केन्द्र सरकार द्वारा किए गए राज्यवार निवेश के आंकड़े उपलब्ध नहीं है क्योंकि केन्द्रीय निवेश का निर्णय राज्यवार

आधार पर नहीं किया जाता। फिर भी, सरकारी उद्यम कार्यालय वार्षिक आधार पर "सरकारी उद्यम सर्वेक्षण" प्रकाशित करता है जिसमें विभिन्न राज्यों में केन्द्रीय सरकारी उद्यमों में केवल निवेश का उल्लेख होता है। सर्वेक्षण रिपोर्ट संबंधित मंत्रालय द्वारा सदन पटल पर रखी जाती है।

(ख) वर्ष 1985-86 के दौरान केरल सरकार ने 24 मदों में से 14 मदों के संबंध में वार्षिक लक्ष्य का 90 प्रतिशत अथवा उससे अधिक हासिल कर लिया।

सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले व्यक्तियों को परिचय पत्र जारी किया जाना

827. **श्री के० वी० शंकरगौडा**
श्री चिन्तामणि जेना
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को परिचय-पत्र जारी करने के लिए अपनी सहमति दे दी है,

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिया जायेगा, और

(घ) विदेशी शरणार्थियों के आगमन पर किस सीमा तक रोक लगाई जायेगी ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (घ) राजस्थान के चार सीमावर्ती जिलों की चार चुनी हुई तहसीलों में पहचान पत्र जारी करने के लिए एक प्रायोगिक योजना हाल ही में अनुमोदित की गई है। योजना का उद्देश्य सीमावर्ती क्षेत्रों में राष्ट्रीय विरोधी और समाज विरोधी गतिविधियों और घुसपैठ रोकना है। इस योजना के अन्तर्गत स्थायी निवासियों, अस्थाई निवासियों, और यात्रियों को अलग-अलग पहचान पत्र जारी करने का प्रस्ताव है। विधिवत प्राधिकृत सरकारी पहचान-पत्र रखने वाले सरकारी कर्मचारी और वैध पारपत्र वीजा और अथवा अन्य वैध यात्रा दस्तावेज रखने वाले विदेशी राष्ट्रिकों को छूट दी जाएगी। योजना को केन्द्र द्वारा धन दिया जा रहा है और चालू वित्त वर्ष में इस योजना पर लगभग 36 लाख रुपए का खर्च होने की उम्मीद है।

बांग्ला देश के शरणार्थियों के लिए त्रिपुरा सरकार को सहायता

828. **श्री हन्नान मोल्लाह**
श्री बाजूबन रियान
श्री सैफुद्दीन चौधरी
श्री सत्यगोपाल मिश्र } : क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांग्लादेश से राज्य में भारी संख्या में जन जातियों के शरणार्थियों के आगमन के कारण उत्पन्न समस्या को हल करने के लिये त्रिपुरा सरकार को दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है,

(ख) क्या राज्य सरकार ने केन्द्र सरकार से किसी प्रकार की सहायता का अनुरोध किया है, और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मन्त्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) से (ग) त्रिपुरा सरकार ने जनजाति शरणार्थियों के लिए अस्थाई रूप से भोजन और आवास की व्यवस्था करने के लिए धन देने का अनुरोध किया है। उन्होंने यह भी अनुरोध किया है कि बंगला देश के शरणार्थियों की वापसी का मामला बंगला देश सरकार के साथ उठाया जाए।

त्रिपुरा में आए बंगला देश के शरणार्थियों की देख-भाल के लिए त्रिपुरा सरकार को 51 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई है। जनजाति शरणार्थियों की वापसी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के मामले को विभिन्न स्तरों पर बंगला देश सरकार के साथ उठाया गया है।

सुपर कम्प्यूटरों की सप्लाई

829. **श्री बृजमोहन महन्ती** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मौसम का पूर्वानुमान लगाने के लिए अमरीका से सुपर कम्प्यूटरों की सप्लाई संबंधी भारत के अनुरोध पर अमरीका ने अनुकूल प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की है और यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह सच है कि अमरीका ने भारत में सुपर कम्प्यूटर की क्षमता के पूर्ण उपयोग तथा मौसम संबंधी प्रसारण के क्षेत्रों में अपर्याप्त कार्यभार के बारे में प्रश्न उठाया है और यदि हां, तो सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि अमरीका में टैक्नोलाजी के अन्तरण तथा उसे किसी तीसरे पक्ष को देने के संबंध में सुरक्षा का प्रश्न उठाया है यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) मुख्यत: मौसम के पूर्वानुमान के लिए किसी कम्पनी से सुपर कम्प्यूटर खरीदने के संबंध में अभी तक कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) और (ग) ऐसे मामले साधारणतया बातचीत के दौरान उठाए जाते हैं। अन्तिम परिणाम बातचीत के निष्कर्ष पर निर्भर करते हैं।

पुलिस बल के आधुनिकीकरण हेतु केरल को सहायता

830. **श्री टी० बशीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिये चालू वर्ष के दौरान कोई अतिरिक्त सहायता मांगी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) निर्धारित धन राशि से अधिक कोई अतिरिक्त सहायता नहीं मांगी गई है।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

उत्तर पूर्व में समयबद्ध विकास कार्यक्रम

831. **डा० बिता मोहन** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मंत्रालयों की एक समिति ने उत्तर पूर्व क्षेत्रों के लिये समयबद्ध विकास परियोजनायें बनाने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो इसे किस प्रकार तैयार करने का विचार है;

(ग) क्या अन्य राज्यों के लिए भी इस तरह की नीति बनाई जाएगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए मंत्रियों की समिति की 24 जून, 1986 को हुई 10 वीं बैठक में इस समिति की सेवा और सहायता के लिए गृह सचिव की अध्यक्षता में

गठित अधिकारी स्तर की समिति को उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए केन्द्रीय क्षेत्र परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए समय-सारिणी तैयार करने के निदेश दिए गए हैं।

(ग) और (घ) योजना आयोग और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय वित्तीय खर्च और भौतिक उपलब्धि दोनों प्रकार से योजनाओं के योजना कार्यान्वयन का प्रबोधन कर रहे है। इस संबंध में कुछ निर्धारित उच्च अग्रता क्षेत्रों जैसे न्यूनतम आवश्यकताएं कार्यक्रम, 20 सूत्री कार्यक्रम, कृषि और ग्रामीण विकास, सिंचाई तथा विद्युत विकास आदि पर विशेष बल दिया जा रहा है।

"यमुना में प्रदूषण"

832. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव
श्री विलास मुत्तेमवार } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उच्च शक्ति प्राप्त समिति की सिफारिशों के अनुसरण में यमुना के पानी को साफ करवाने के लिए कोई कार्यवाही की गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस कार्य के लिए अब तक कितनी धनराशि आबंटित की गई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां।

(ख) प्रारम्भ किये गए कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं :—

—विद्यमान मलजल उपचार संयंत्रों हेतु उनकी क्षमता में संवर्धन करना;

—विद्यमान मलजल उपचार संयंत्रों और पम्पिंग स्टेशनों की मरम्मत; और

—नदी में गन्दे पानी को गिरने से रोकने के लिए उसके बहाव में परिवर्तन हेतु शाखा सीवर और प्रणाली का संस्थापन।

(ग) वर्ष 1986-87 के दौरान पानी की सप्लाई और सफाई स्कीमों हेतु 55-73 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

"वनरोपण योजनाएं"

833. **श्री धर्मपाल सिंह मलिक**
श्री सुभाष यादव } : क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न राज्यों द्वारा तैयार की गई वनरोपण योजनाएं खटाई में पड़ी हैं;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं जिनकी वनरोपण योजनायें खटाई में पड़ी हैं; और

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार का विचार संघ राज्यों को, वनरोपण योजनाएं कार्यान्वित करने के लिए अनुदेश जारी करने का है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) सभी राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों की कार्यवाही करने हेतु विस्तृत मार्गदर्शी सिद्धान्त सितम्बर, 1985 में ही जारी किये जा चुके हैं। फरवरी, 1986 में राष्ट्रीय भूमि उपयोग और परती भूमि विकास परिषद की पहली बैठक में उभर कर सामने आये नीति सम्बन्धी निर्णयों, आदेशों और कार्ययोजनाओं को कार्यान्वयन के लिए सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को भी भेज दिया गया है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची का पुनरीक्षण

834. **श्री साइमन तिग्गा** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की सूची का पुनरीक्षण करने का निर्णय किया है;

(ख) यदि हां, तो कब तक;

(ग) प्रस्तावित सूची में नई जातियों को शामिल करने का क्या मानदण्ड होगा;

(घ) क्या सरकार का विचार अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों की सूची में सामाजिक, शैक्षिक तथा आर्थिक रूप से पिछड़े हुए अनुसूचित जाति मूल के ईसाइयों को भी शामिल करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है?

कल्याण मन्त्रालय में उपमंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति की सूचियों में प्रस्तावित व्यापक संशोधन के प्रसंग में सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश प्रशासनों से टिप्पणियां मांगी गई हैं। इस सम्बन्ध में सभी राज्य सरकारों/केन्द्र शासित प्रदेश के प्रशासनों से टिप्पणियां प्राप्त हो जाने तथा भारत के महापंजीयक के परामर्श से कार्रवाई करने के पश्चात् ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

(ग) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति की सूची में किसी समुदाय को सम्मिलित करने के लिए निम्नलिखित मानदण्ड अपनाए गए हैं।

अनुसूचित जाति

अस्पृश्यता की पारम्परिक प्रथा से उत्पन्न अत्यधिक सामाजिक शैक्षिक तथा आर्थिक पिछड़ापन।

अनुसूचित जनजाति

आदिम विशेषता के लक्षण, विशिष्ट संस्कृति, भौगोलिक एकाकीपन, सामान्य समुदाय से सम्पर्क करने में संकोच तथा पिछड़ापन।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। संविधान (अनुसूचित जाति) आदेश, 1950 के पैरा 3 के परन्तुक को ध्यान में रखते हुए इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है।

पश्चिम बंगाल में इलैक्ट्रॉनिक्स उद्योग समूह

835. **श्री प्रियरंजन दास मुंशी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल सरकार ने पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग समूह स्थापित करने का कोई प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है तथा उस पर केन्द्रीय सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रॉनिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) और (ख) पश्चिम बंगाल में इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए भारत सरकार को पश्चिम बंगाल सरकार से कोई प्रस्ताव नहीं प्राप्त हुआ है। किन्तु, पश्चिम बंगाल इलेक्ट्रॉनिकी उद्योग विकास निगम नामक पश्चिम बंगाल सरकार का एक उपक्रम विधान नगर में एक एकीकृत इलैक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स स्थापित कर रहा है।

खाद्यान्नों का भंडारण और परिरक्षण

836. श्री प्रियरंजन दास मुंशी
श्री अमर सिंह राठवा
श्री मोहन भाई पटेल } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार द्वारा खाद्यान्नों की बरबादी रोकने और उन्हें स्वास्थ्य के लिये हानिकारक न होने देने के लिये खाद्यान्नों के वैज्ञानिक ढंग से भंडारण और परिरक्षण की किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है;

(ख) यदि नहीं, तो क्या सरकार ने ऐसा न किये जाने के कारणों पर विचार किया है;

(ग) क्या फफूंदी लगे गेहूं और चावल से लोगों को गम्भीर बीमारियां नहीं हो जाती हैं और साथ ही इन सड़े गले खाद्यान्नों के साथ रखे गये ताजे खाद्यान्न भी नष्ट नहीं हो जाते हैं; और

(घ) देश में खाद्यान्नों के परिरक्षण के लिए कितने वातानुकूलित भंडार उपलब्ध हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी हां।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) फफूंदी लगा गेहूं और चावल जनता के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाल सकता है। इसके अलावा, यदि इनके साथ नये खाद्यान्न रखे जाते हैं तो वे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। यदि फफूंदी लगा अनाज पाया जाता है तो उस दशा में भारतीय खाद्य निगम उसका अलग से भंडारण करता है।

(घ) हमारे देश में खाद्यान्नों का भंडारण वातानुकूलित गोदामों में नहीं किया जाता है।

हरियाणा में भूतपूर्व मुख्यमंत्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोप

837. श्री मानिक रेड्डी
श्री एम० रघुमा रेड्डी } : क्या प्रधान मंत्री हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमन्त्री के विरुद्ध भ्रष्टाचार के आरोपों की खबर के सम्बन्ध में 5 मार्च, 1986 के तारांकित प्रश्न सं० 143 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस बीच जांच रिपोर्ट पर सरकार द्वारा विचार और जांच की जा चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो तत्सम्बन्धी कारण क्या है; और

(ग) इस पर कब विचार किये जाने और, निर्णय लिये जाने की संभावना है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम्): (क) से (ग) श्री न्यायमूर्ति जसवन्त सिंह की रिपोर्ट देखी जा रही है और यह बताना सम्भव नहीं है कि इस पर कब तक निर्णय लिए जाने की सम्भावना है।

चिकित्सा और इन्जीनियरी सेवाओं के लिए अखिल भारतीय सेवाओं का गठन

838. **कुमारी डी० के० तारा देवी** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार का चिकित्सा और इंजीनियरी प्रतिष्ठानों के प्रभावी संचालन के लिए भारतीय प्रशासनिक

सेवा और भारतीय पुलिस सेवा जैसी अखिल भारतीय चिकित्सा और इन्जीनियरी सेवाओं का गठन करने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम्) : किसी भी नई अखिल भारतीय सेवा के गठन के बारे में निर्णय केवल राज्य सरकारों से परामर्श करने के बाद ही लिया जा सकता है। चूंकि चिकित्सा और स्वास्थ्य तथा इन्जीनियरी के क्षेत्रों में नई अखिल भारतीय सेवाओं के गठन के प्रश्न पर राज्य सरकारों के बीच सर्वसम्मति नहीं है, इसलिए इस सम्बन्ध में अभी तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास पर व्यय

839. **श्री मुरलीधर माने** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी में अनुसंधान और विकास पर किये गये व्यय का ब्यौरा क्या है; और

(ख) अन्य विकासशील देशों द्वारा इस क्षेत्र में किये गये व्यय की तुलना में यह राशि कितनी है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) वैज्ञानिक अभिकरणों/विभागों द्वारा योजना के अन्तर्गत पिछले तीन वर्षों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर तथा प्रमुख सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रकों के विज्ञान और प्रौद्योगिकी संघटक पर हुआ व्यय नीचे बताया गया है :

	करोड़ रु०
1. 1983-84	827.95
2. 1984-85	878.73
3. 1985-86 (परिशोधित अनुमान)	1123.08

(ख) यूनेस्को, सांख्यिकी शब्दकोष 1985 के अनुसार, भारत में छठी योजना के अंत में अनुसंधान और विकास पर व्यय सकल राष्ट्रीय उत्पादन का 0.8 प्रतिशत था जो कि कोरिया गण-राज्य जैसे एक-दो देशों को छोड़कर लगभग सभी विकासशील देशों से अधिक है।

"प्रदूषण नियंत्रण उपाय"

840. **डा० गौरी शंकर राजहंस** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या शहरी विकास संस्थान, बम्बई ने प्रदूषण नियंत्रण के लिये अनेक उपायों का सुझाव दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उन उपायों की विस्तृत जांच करने का है; और

(घ) यदि हां, तो कब तक और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) भारत सरकार को शहर विकास संस्थान, बम्बई द्वारा दिये गये सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

वैज्ञानिकों की भर्ती को संघ लोक सेवा आयोग के कार्य क्षेत्र से बाहर करना

841. **श्रीमती गीता मुखर्जी**
श्री जगन्नाथ पटनायक } : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार ऐसे विभागों के वैज्ञानिक कार्मिकों को संघ लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर करने का है जिन्हें वैज्ञानिक और तकनीकी स्वरूप का माना गया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप-मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) जी, हां ।

(ख) यह कार्रवाई इसलिए की गई है ताकि वैज्ञानिक अनुसंधान और प्रौद्योगिकी विकास के परिणामोन्मुखी और समयबद्ध कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करने के उद्देश्य से वैज्ञानिक विभागों के लिए एक बेहतर कार्यकारी सहयोग प्रणाली (ऐग्ज्यूक्यूटिव सपोर्ट सिस्टम) जुटाई जा सके ।

कार्यक्रम कार्यान्वयन के लिए राष्ट्रीय सलाहकार परिषद्

842. **श्री बाला साहिब विखे पाटिल** : **क्या कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का 20-सूत्री कार्यक्रम के बेहतर कार्यान्वयन हेतु कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय को सलाह देने के लिए एक राष्ट्रीय सलाहकार परिषद् की स्थापना करने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो इसके संगठनात्मक ढांचे इसके कृत्यों और दायित्वों तथा इसके उद्देश्य और लक्ष्यों सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर कितना खर्च होगा और इसकी स्थापना करने से प्रतिवर्ष राजकोष पर कितना बोझ पड़ेगा;

(घ) इस परिषद् की स्थापना करने पर कितना समय लगने की संभावना है और यह कब से कार्य करना आरंभ कर देगा;

(ङ) क्या 20-सूत्री कार्यक्रम में संशोधन किए जाने की संभावना है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्री (श्री ए० बी० ए० गनी खान चौधरी) : (क) इस संबंध में एक प्रस्ताव विचाराधीन है ।

(ख) से (घ) इनका पूरा ब्यौरा अब तक उपलब्ध नहीं हुआ है ।

(ङ) और (च) 20-सूत्री कार्यक्रम का संशोधन करने के लिए विचार किया जा रहा है। कार्यक्रम का संशोधन कर लिए जाने के बाद ही, पूरा ब्यौरा उपलब्ध होगा ।

ग्रामीण और शहरी लोगों की औसत आय

843. **श्री एस० जी० घोलप** : **क्या योजना मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास ग्रामीण व्यक्तियों तथा शहरी व्यक्तियों की औसत आय के अलग-अलग आंकड़े हैं;

(ख) यदि नहीं तो तत्संबंधी कारण क्या है;

(ग) क्या सरकार ने 1980-81 के आधार पर ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों की आय का अलग-अलग रिकार्ड रखने का वचन दिया था; और

(घ) यदि हां, तो क्या इस दिशा में कार्रवाई शुरू कर दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन ने राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी, जनवरी, 1981 में केवल वर्ष 1970-71 के लिए ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में कुल तथा प्रति व्यक्ति आय के आंकड़े अलग-अलग प्रकाशित किए हैं। आंकड़े नीचे सारणी में दिए गए हैं।

भारत में ग्रामीण तथा शहरी आय (प्रचलित मूल्यों पर) के अनुमान 1970-71

	ग्रामीण	शहरी
कुल आय(करोड़ रु०)	21672	12847
प्रति व्यक्ति आय (रु०)	499.4	1200.6

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों के अलग-अलग अनुमान प्रतिवर्ष संकलित नहीं किए जाते हैं, परन्तु केवल उन्हीं वर्षों के दौरान संकलित किए जाते हैं जब जनगणना आयोजित की जाती है चूंकि इन अनुमानों के लिए अपेक्षित श्रमजीवी जनसंख्या सम्बन्धी मूल आंकड़े जनगणना द्वारा प्रदान किए जाते हैं।

(ग) योजना राज्य मंत्री ने "प्रति व्यक्ति आय सम्बन्धी आधे घंटे की चर्चा" विषय पर 31 जनवरी, 1986 को लोक सभा में एक आश्वासन को पूरा करने में आय के ग्रामीण-शहरी अनुमानों से सम्बन्धित अद्यतन स्थिति स्पष्ट करते समय संकेत दिया था कि केन्द्रीय सांख्यिकीय संगठन भारत के महापंजीयक कार्यालय से 1981 जनगणना की श्रमजीवी जनसंख्या सम्बन्धी विस्तृत परिणाम प्राप्त करने के पश्चात् वर्ष 1980-81 के लिए ये अनुमान संकलित करेगा।

(घ) 20 प्रतिशत प्रतिदर्श पर आधारित, 1981 के लिए श्रमजीवी जनसंख्या के अनुमानों की भारत के महापंजीयक से प्रतीक्षा है तथा ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए आय अनुमानों का परिकलन उनकी प्राप्ति के पश्चात् ही आरम्भ किया जा सकता है।

सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम

844. **श्री बुद्धि चन्द्र जैन** : क्या योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है;

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है;

(ग) इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कौन-कौन से कार्यक्रम आरम्भ किए जाएंगे; और

(घ) इस वर्ष किन-किन कार्यक्रमों को शुरू किया जा रहा है और इन कार्यक्रमों के लिए कितनी धनराशि आवंटित की गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) सातवीं पंचवर्षीय योजना में विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रम के भाग के रूप में सीमावर्ती क्षेत्र विकास कार्यक्रम के लिए 200 करोड़ रु० की राशि की व्यवस्था की गई है।

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस कार्यक्रम के लिए राज्यवार धनराशि निर्धारित नहीं की गई है।

(ग) सीमावर्ती क्षेत्रों के संतुलित विकास के लिए स्कीमें, न केवल आर्थिक दृष्टिकोण से, बल्कि सुरक्षा की दृष्टि से भी, इस कार्यक्रम के अन्तर्गत शुरू की जाएगी।

(घ) इस कार्यक्रम के लिए चालू वर्ष में 40 करोड़ रु० की राशि का आवटन किया गया है। राजस्थान सरकार ने 31.49 करोड़ रु० की स्कीमें प्रस्तुत की है जबकि गुजरात सरकार ने गृह मंत्रालय द्वारा इस कार्यक्रम में शामिल किये जाने के लिए 90.71 करोड़ रु० के प्रस्ताव प्रस्तुत किये हैं। राजस्थान की चुनी हुई सीमावर्ती तहसीलों में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत चालू वर्ष में 36 लाख रु० के अनुमानित व्यय से पहचान-पत्र जारी करने की एक प्रायोगिक स्कीम की शुरूआत करने का अनुमोदन किया गया है।

[अनुवाद]

विदेशी अनुदान प्राप्त करने वाले संगठन

845. सैयद शहाबुद्दीन : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ स्वयंसेवी एजेन्सियों ने जिन्हें भारत सरकार से विदेशी वित्तीय सहायता मिलती है विदेशी अनुदान भी प्राप्त किया है,

(ख) क्या इनमें से कुछ एजेन्सियों, संस्थानों और संगठनों में उनके संरक्षकों और कार्यकर्त्ताओं में प्रमुख राजनीतिज्ञ भी है; और

(ग) इनमें से उन एजेन्सियों, संस्थानों और संगठनों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने गत तीन वर्षों के दौरान जिस अवधि की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है किसी वर्ष विदेशी अनुदान के रूप में एक लाख रुपये से अधिक धनराशि प्राप्त की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) सूचना एकत्र की जा रही है और जब प्राप्त होगी तब पटल पर रख दी जाएगी।

उपग्रहों का छोड़ा जाना

846. श्री सोमनाथ रथ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने इस वर्ष तीन उपग्रह छोड़ने का निर्णय किया है; और

(ख) यदि हां तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर कितनी लागत आने की संभावना है तथा इससे कौन-सा प्रयोजन सिद्ध होगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) वर्तमान योजनानुसार विस्तृत रोहिणी उपग्रह शृंखला में प्रथम "श्रोस-1" उपग्रह के इस वर्ष संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए० एस० एल० वी०) द्वारा श्री हरिकोटा से छोड़े जाने की सम्भावना है। श्रोस-1 एक प्रौद्योगिकीय मिशन है, जिसका उद्देश्य ए० एस० एल० वी० के कक्षीय चरण की अवधि में प्रमोचन पर्यावरण और उपग्रह के अन्तः क्षेपण संबंधी प्राचलों के संदर्भ में इसके कार्यनिष्पादन का पता लगाना है। दो श्रोस उपग्रहों से लिए, जिनमें से एक को इसी वर्ष छोड़े जाने का कार्यक्रम है, परियोजना लागत लगभग 5.00 करोड़ रुपये है।

वनों और पशुओं की सुरक्षा

847. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने उड़ीसा में सिमिलीपाल में पर्यावरण की रक्षा के लिए कोई कदम उठाए हैं;

(ख) क्या सरकार ने वनों और पशुओं की सुरक्षा के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में उड़ीसा सरकार या अन्य संगठनों को कोई सहायता दी गई है; और

(घ) तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) :(क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) पर्यावरण एवं वन्य जीवों की सुरक्षा के लिये सिमिलीपाल केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजिनत योजना "बाघ परियोजना" में सम्मिलित है। इस योजना को बाघों की जीवन-क्षम संख्या बनाये रखने के उद्देश्य से 1973-74 में आरम्भ किया गया था। बाघों का जीवित रहना एक स्वस्थ पारि-पद्धति का सूचक माना जाता है।

1980-81 से, उड़ीसा राज्य सरकार को सिमिलीपाल की सुरक्षा के लिये केन्द्रीय सहायता के रूप में 51.76 लाख रुपये की राशि दी गयी है। इस अवधि में उसका अपना अंशदान 52.26 लाख रुपये था। योजना के आरम्भ करने तथा वन्यजीवों को सुरक्षा प्रदान करने के पश्चात् सिमिलीपाल के वनों में "अखण्ड शिकार" को रोकने में पर्याप्त सफलता मिली है।

प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय

848. **श्री रामधन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि घनी आबादी वाले शहरों के समीप जहरीली और अत्यन्त हानिकारक गैस छोड़ने वाले कारखानों की स्थापना को विनियमित करने वाले कारखाना अधिनियम, 1948 और औद्योगिक लाइसेंस जारी करने की प्रक्रिया के प्रावधानों का भारी पैमाने पर उल्लंघन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रदूषण को रोकने और पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं। तथापि, कुछ कारखानों ने अनिवार्य उत्सर्जन नियंत्रण उपाय नहीं अपनाये हैं।

(ख) उठाये गये कदमों में निम्नलिखित सम्मिलित हैं :—

(1) खतरनाक उद्योगों की पहचान तथा अनिवार्य सुरक्षा उपायों को सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न राज्यों में कुत्यक बलों की स्थापना की गई है;

(2) प्रदूषक उद्योगों के लिए औद्योगिक लाइसेंस जारी करने तथा स्थल चयन से पूर्व पर्यावरणीय दृष्टिकोण से अनुमति देने हेतु प्रक्रिया निर्धारित की गई है;

(3) वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981 को सख्ती से लागू करने के लिए वायु प्रदूषण नियंत्रण क्षेत्रों की रूपरेखा प्रस्तुत की गई है;

(4) प्रदूषण नियंत्रण उपाय स्थापित करने तथा भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से प्रदूषक उद्योगों के स्थानान्तरण के लिए वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाता है।

गंगा कार्य एक्शन योजना

849. **श्री रामधन :** क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गंगा कार्य (एक्शन) योजना के विभिन्न निर्माण कार्य विदेशी एजेंसियों अथवा ठेकेदारों को दिये गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो विदेशी ठेकेदारों को कार्य किस आधार पर आवंटित किये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता। तथापि, कुछ देशों से सहायता की पेशकश प्राप्त हुई है तथा स्थिति इस प्रकार है :—

यू० के०

यू० के० की एक सार्वजनिक निकाय टेम्स जल प्राधिकरण द्वारा गंगा परियोजना निदेशालय को परामर्श सेवायें देने की पेशकश को स्वीकार किया गया है। सहायता निम्नलिखित क्षेत्रों में दी जाएगी :—

—नदी गुणवत्ता प्रतिरूपण।

—नदी गुणवत्ता प्रबन्ध के मुद्दे।

—मलजल उपचार और संचालन पद्धतियों में संसाधन प्रतिप्राप्ति तकनीकियां।

फ्रांस

फ्रांस ने सहायता की पेशकश की है और कोनिया-दीनापुर, वाराणसी में एक मलजल उपचार संयत्र की स्थापना के लिये एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत किया है।

संयुक्त राज्य अमेरिका

—1986-87 में कुछ संयुक्त भारत-अमेरिका कार्यशालायें आयोजित की जायेगी। जून, 1986 में दिल्ली में मलजल का भूमिगत उपचार और भूमिगत प्रयोग सम्बन्धी एक संयुक्त कार्यशाला आयोजित की गयी थी।

विश्व बैंक

गंगा कार्यकारी योजना के संदर्भ में विश्व बैंक सहायता की सम्भावित क्षेत्रों के रूप में निम्नलिखित परियोजनाओं का अस्थायी रूप से अभिनिर्धारिण किया गया है :

—उपचार संयंत्रों का पुनः स्थापना कार्य/स्थापना।

—सीवर-सफाई/पानी की गुणवत्ता प्रबोधन के लिये उपकरण हासिल करना।

—प्रशिक्षण में तकनीकी सहायता।

नीदरलैंड

डच सहायता के लिये निम्न योजनाओं का अभिनिर्धारण किया गया है :

—जाजमऊ, कानपुर में समग्र सफाई परियोजना।

—मिर्जापुर, उत्तर प्रदेश में सफाई परियोजना।

—कपड़ा, मद्यशाला, चीनी मिलें इत्यादि जैसे कतिपय किस्म के उद्योगों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए औद्योगिक परामर्श देना।

—भारतीय संस्थानों और संगठनों की क्षमता को सुदृढ़ करना।

गंगा के समीप प्रदूषण छोड़ने वाले उद्योग

850. **श्री रामधन** : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने गंगा के स्रवण क्षेत्र से संशोधन शालाओं, अफीम परिष्करण शालाओं, रंगाई एककों, आसवन आदि जैसे प्रदूषण छोड़ने वाले उद्योगों को हटाने अथवा उनका स्थानांतरण करने के लिए कोई संदर्शी योजना तैयार की है; और

(ख) यदि हां, तो योजना का ब्यौरा क्या है ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

गंगा नदी को साफ करना

851. **श्री रामधन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गंगा नदी को साफ करने सम्बन्धी कार्यवाही योजना में पानी की कमी के दिनों में गंगा नदी में पानी की मात्रा बढ़ाने, उद्योगों, किसानों तथा नगर पालिकाओं द्वारा पानी के उपयोग को सीमित करने और प्रदूषण के स्रोत पर ही समाप्त करने जैसे सभी संगत प्रश्नों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाये गये हैं ?

पर्यावरण और वन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) यद्यपि गंगा कार्यकारी योजना का केन्द्र बिन्दु श्रेणी-1 के 27 शहरों के नगरीय अपशिष्टों द्वारा किए गए प्रदूषण को कम करना है, फिर भी सरकार जल की गुणवत्ता, उपयोग में लाए जाने वाले जल की किस्म, उपयोग की मात्रा, बहाव और नदी व्यवस्था के बीच सम्बन्ध को स्वीकार करती है।

(ख) तदनुसार, कार्यकारी योजना के भाग के रूप में जल गुणवत्ता प्रतिरूप्य को संबंधित संगठनों के परामर्श से आरम्भ किया गया है।

[हिन्दी]

अखिल भारतीय सेवाओं में आरक्षित कोटा

852. **श्री राम भगत पासवान** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों के दौरान हुई भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा की परीक्षाओं में कुल कितने उम्मीदवार परीक्षा में बैठे और सफल उम्मीदवारों में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन-जातियों से संबंधित उम्मीदवारों की अलग-अलग संख्या कितनी थी;

(ख) क्या यह सच है कि उस अवधि के दौरान अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन-जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित कोटा नहीं भरा गया था;

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(घ) उक्त सेवाओं में आरक्षित कोटे को पूरी तरह से भरने को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। उठाए जाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० शिवम्बरम्) : (क) भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा में भर्ती संघ लोक सेवा आयोग द्वारा प्रतिवर्ष ली जाने वाली सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से की जाती है। पिछले 3 वर्षों के दौरान सिविल सेवा परीक्षा में बैठे उम्मीदवारों की संख्या, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा सहित, विभिन्न सेवाओं में नियुक्ति के लिए संघ लोक सेवा आयोग द्वारा सिफारिश किए गए

उम्मीदवारों की कुल संख्या, नियुक्ति के लिए सिफारिश किए गए अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की संख्या नीचे दी गई है :—

परीक्षा वर्ष	परीक्षा में बैठे कुल उम्मीदवार	सिफारिश किए गए कुल उम्मीदवार	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1983	9354	845	140	75
1984	9581	814	129	71
1985	9483	790	126	67

(ख) से (घ) जी, नहीं। वर्ष 1983 तथा 1984 में आयोजित सिविल सेवा परीक्षाओं के परिणामों के आधार पर, भारतीय प्रशासनिक सेवा तथा भारतीय पुलिस सेवा सहित, विभिन्न सेवाओं में अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्तियों का आबंटन पूरी सीमा तक किया गया था। सिविल सेवा परीक्षा, 1985 के परिणाम जून, 1986 में घोषित किए गए थे। सेवाओं में आबंटन को अन्तिम रूप अभी दिया जाना है।

संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में शामिल उम्मीदवार

853. **श्री रामभगत पासवान** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित परीक्षाओं में कुल कितने उम्मीदवार शामिल हुए और उनमें से हिन्दी माध्यम में परीक्षा देने वाले और अंग्रेजी माध्यम से परीक्षा देने वाले पृथक-पृथक कितने उम्मीदवार सफल घोषित किए गए;

(ख) संघ लोक सेवा आयोग में अंग्रेजी जानने वाले और हिन्दी जानने वाले पृथक-पृथक कितने परीक्षक हैं; और

(ग) क्या सरकार का विचार हिन्दी माध्यम वाले उम्मीदवारों की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच हिन्दी जानने वाले परीक्षकों से ही करवाने का है ?

कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उपमंत्री (श्री बीरेन सिंह ऐंगती) : (क) आयोग द्वारा आयोजित सभी परीक्षाओं में से केवल सिविल सेवाएं (मुख्य) परीक्षा के उम्मीदवारों को अपने प्रश्न पत्रों का उत्तर, अंग्रेजी में अथवा संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से किसी एक भाषा में, देने के विकल्प की अनुमति दी जाती है। चार अन्य परीक्षाओं अर्थात् (i) आशुलिपिक परीक्षा, (ii) सहायक ग्रेड परीक्षा, (iii) अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक (ग्रेड "ख"/ग्रेड I) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा तथा (iv) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए ग्रेड I (अवर सचिव) सीमित विभागीय परीक्षा के उम्मीदवारों को सभी अथवा कुछ प्रश्न पत्रों का उत्तर अंग्रेजी अथवा हिन्दी में देने का विकल्प दिया जाता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान परीक्षा देने वाले तथा अंग्रेजी माध्यम से और हिन्दी माध्यम से परीक्षा पास करने वाले उम्मीदवारों की संख्या को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

(ख) यदि परीक्षा के नियमों में ऐसी अनुमति हो तो आयोग किसी विषय/प्रश्न पत्र विशेष के उम्मीदवारों की संख्या तथा उनके द्वारा प्रस्तावित भाषा माध्यम को देखते हुए उस परीक्षा विशेष के लिए परीक्षक नियुक्त करता है। किसी परीक्षा के लिए परीक्षकों की संख्या भिन्न-भिन्न परीक्षाओं के लिए अलग-अलग हो सकती है तथा उसी परीक्षा के लिए अलग-अलग वर्षों में भिन्न-भिन्न हो सकती है। आयोग के पास अपनी परीक्षाओं के लिए अंग्रेजी जानने वाले परीक्षकों तथा हिन्दी जानने वाले परीक्षकों की कोई संख्या नियत नहीं है।

(ग) जिन उत्तर पुस्तिकाओं में हिन्दी माध्यम का प्रयोग किया गया हो, उनका मूल्यांकन करने के लिए आयोग सामान्यतः हिन्दी जानने वाले परीक्षकों को ही नियुक्त करता है।

विवरण

क्र०सं०	परीक्षा का नाम	वर्ष	परीक्षा में प्रविष्ट हुए उम्मीदवारों की संख्या			कुल	सफल उम्मीदवारों की संख्या			कुल
			अंग्रेजी माध्यम	हिन्दी माध्यम	अन्य भाषा के माध्यम से		अंग्रेजी माध्यम	हिन्दी माध्यम	अन्य भाषा के माध्यम से	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा	1983	7782	1371	201	9354	772	56	17	845
		1984	7932	1413	236	9581	731	61	22	814
		1985	7952	1327	204	9483	715	59	16	790
2.	सहायक ग्रेड परीक्षा	1983	10281	7158	इस प्रकार के किसी विकल्प की अनुमति नहीं है।	17439	386	117	इस प्रकार के किसी विकल्प की अनुमति नहीं है।	503*
		1984	16532	12411		28943	461	87		548**
		1985	22160	13713		35873	अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है			—
3.	आशुलिपिक परीक्षा	1983	2999	777	इस प्रकार के किसी विकल्प की अनुमति नहीं है।	3776	217	21	इस प्रकार के किसी विकल्प की अनुमति नहीं है।	238
		1984	3539	1035		4574	133	22		155
		1985	5463	1382		6545	216	4		220
4.	अनुभाग अधिकारी/आशुलिपिक) ग्रेड "ख"	1983	873	10	इस प्रकार के किसी विकल्प की अनुमति नहीं है।	883	284	3	इस प्रकार के किसी विकल्प की अनुमति नहीं है।	287
		1984	811	9		820	205	2		207

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	ग्रेड 1) सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	198	756	12	नहीं है ।	768	अभी तक परिणाम घोषित नहीं हुआ है			—
5.	ग्रेड । (अवर सचिव) अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए सीमित विभागीय प्रतियोगी परीक्षा	1983	32	शून्य	इस प्रकार के	32	22	शून्य	इस प्रकार के	22
		1984	50	शून्य	किसी विकल्प	50	29	शून्य	किसी विकल्प की	29
		1985	47	शून्य	की अनुमति नहीं है ।	47	16	शून्य	अनुमति नहीं है ।	16
								*अनुपूरक सूची में सिफारिश किए गए 67 उम्मीदवार भी शामिल हैं ।		
								**अनुपूरक सूची में सिफारिश किए गए 138 उम्मीदवार भी शामिल हैं ।		

[अनुवाद]

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का निलंबन

854. **श्री भट्टम श्रीराम मूर्ति** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्र और राज्य में पिछले एक वर्ष के दौरान भारतीय प्रशासनिक सेवा के कितने अधिकारियों को निलंबित किया गया;

(ख) उनमें से कितने अधिकारियों को बहाल कर दिया गया;

(ग) क्या सरकार को पता है कि हाल ही में भारतीय प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी द्वारा अनिश्चित काल के लिए अनशन आदि के द्वारा आन्दोलन का सहारा लिए जाने की जानकारी है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) गत एक वर्ष के दौरान राज्य सरकारों द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के 11 अधिकारियों को निलम्बित किया गया। उक्त अवधि के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा भारतीय प्रशासनिक सेवा के किसी भी अधिकारी को निलम्बित नहीं किया गया।

(ख) एक।

(ग) जी, हां। केन्द्रीय सरकार, श्री धर्म सिंह रावत, आई० ए० एस० के मामले से अवगत हैं, जो इस समय उत्तर प्रदेश सरकार के अधीन कार्य कर रहे हैं, जिन्होंने लखनऊ तथा नई दिल्ली में भूख हड़ताल की थी। उन्हें राज्य सरकार द्वारा निलम्बित कर दिया गया है।

"ईंधन की लकड़ी के लिये वृक्ष लगाना"

855. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रेल लाइनों के दोनों किनारों की भूमि पर ईंधन की लकड़ी के लिए कोई वृक्ष लगाने का काम शुरू किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो कितने किलोमीटर क्षेत्र में ये वृक्ष लगाये जा चुके हैं ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) जी, हां वर्ष 1981-82 से रेलवे लाइनों के किनारों तथा रेलवे स्टेशन के अहातों, रेलवे यार्डों और रेलवे कालोनियों में भी उपलब्ध क्षेत्रों पर पौध उगाई गई हैं। रेल लाइन के किनारों पर वृक्षारोपण उन प्रजातियों का किया जाए जो चराई के लिए उपयुक्त न हों तथा जो ईंधन की लकड़ी की आवश्यकताओं को कुछ हद तक पूरा कर सकें।

(ख) अब तक रेलवे लाइनों, यार्डों और कालोनियों में 24,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र पर पौध उगाई गई है। सूचना हेक्टेयर में रखी गई है न कि किलोमीटरों में क्योंकि इसमें न केवल रेलवे लाइनों में पौधरोपण किया जाता है बल्कि अन्य रेलवे क्षेत्रों में भी किया जाता है जैसा कि ऊपर (क) में निर्दिष्ट किया गया है।

बंगलादेश और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा पर बाड़ लगाना

856. **डा० फूलरेणु गुहा** : क्या **गृह मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलादेश और पश्चिम बंगाल के बीच सीमा पर बाड़ लगाने का काम चल रहा है; और

(ख) यदि हां, तो यह कब शुरू किया गया था और यह कार्य पूरा होने में कितना समय लगेगा ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) भारत-बंगलादेश सीमा के साथ-साथ सीमा सड़क आदि का निर्माण करने का निर्णय किया गया है; सीमा सड़क के लिए सर्वेक्षण कार्य को अग्रता पर शुरू करने के अनुदेश जारी कर दिए गए हैं।

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस द्वारा अत्याचार किये जाने के मामले

857. **श्री विलास मुत्तेमवार** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछली छमाही के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा किये गये अत्याचारों और लूटपाट के मामलों की संख्या कितनी है और इनमें से कितने मामले दर्ज किये गये;

(ख) उन मामलों की संख्या कितनी हैं जिनमें तत्काल कार्यवाही की गई तथा उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें विलम्ब से कार्यवाही की गई और उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अभी तक कार्यवाही नहीं की गई;

(ग) इन मामलों में विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है कि पुलिस कार्मिकों द्वारा अपराध न किये जायें ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) गत छः माह में 3 मामले सूचित किए गए, जिन्हें दिल्ली पुलिस द्वारा दर्ज किया गया।

(ख) सभी मामलों में तत्काल कार्रवाई की गई।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

(घ) उन पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध जो ऐसे मामलों में अन्तर्गस्त पाये जाते हैं सख्त कानूनी कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

तेंदु के पत्तों से राजस्व की प्राप्ति

858. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) तेंदु का पत्ता किन-किन राज्यों में उगाया जाता है;

(ख) इन राज्यों में उगाये जाने वाले विभिन्न किस्म के तेंदु के पत्तों की क्वालिटी (गुणवत्ता) क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय सरकार को तेंदु के पत्ते उगाने वाले और उनका निर्यात करने वाले राज्यों से कुछ राजस्व प्राप्त होता है; और

(घ) तेंदु के पत्तों का प्रति वर्ष कितना औसत निर्यात किया जाता है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) आन्ध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

(ख) उड़ीसा में तेंदु पत्तियों की 5 किस्म की श्रेणियां हैं : जैसे : किस्म I से किस्म V उत्तर प्रदेश ने ग्रेड-I से ग्रेड-III नामक तेंदु पत्तियों के तीन ग्रेड अपनाये हैं। निर्यात के उद्देश्य के लिये भारत सरकार ने तेंदु पत्तियों के ग्रेड विनिर्देश निर्धारित किये हैं जैसे : फैन्सी, अति विशेष, विशेष अच्छी, मानक, फेयर और साधारण।

(ग) जी, नहीं।

(घ) वर्ष 1981-82 से 1983-84 के दौरान तेंदु पत्तियों के निर्यात का औसत 4141 टन प्रति वर्ष है।

स्वतंत्रता सेनानियों के लंबित पड़े हुए, पेंशन के मामले

859. प्रो० नारायण चन्द पराशर : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या स्वतंत्रता सेनानियों की पेंशन की स्वीकृति के अनेक मामले अभी भी सरकार के पास लम्बित पड़े हुए हैं,

(ख) यदि हां, तो सरकार के पास निर्णय के लिए लम्बित पड़े हुये मामलों की राज्यवार संख्या क्या है और इन पेंशनों की स्वीकृति देने में विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) क्या दावेदारों की अत्यधिक आयु को ध्यान में रखते हुए इस कार्य को प्राथमिकता देकर इस प्रकार के सभी मामलों को स्वीकृति देने के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं और पेंशन के मामलों को शीघ्र स्वीकृति देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और (ख) 1972 और 1980 की योजनाओं के अंतर्गत अब तक प्राप्त कुल 4,44,725 आवेदन पत्रों में से 30.6. 1986 तक 1,39,279 स्वतंत्रता सेनानियों और उनके आश्रितों को पेंशन स्वीकृत की गयी है। 2,31,799 मामलों को अस्वीकृत किया गया है और 73,647 मामले मुख्यत: राज्य सरकारों से सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त न होने के कारण लम्बित पड़े हैं। लम्बित आवेदन-पत्रों का राज्यवार विवरण संलग्न है।

(ग) और (घ) समय से प्राप्त अर्थात् 31.3.82 से पूर्व प्राप्त सभी लम्बित आवेदन पत्रों को निपटाने के लिए 15 अगस्त 1986 लक्षित तारीख रखी गयी है और इस उद्देश्य के लिए विशेष प्रयत्न किए जा रहे हैं और विशेष कदम उठाए गए है। गैर-सरकारी समीक्षा समितियों की सिफारिशों के आधार पर जिन मामलों पर निर्णय लिया जाना है, उन पर तभी निर्णय लिया जाएगा जब उनकी सिफारिशें प्राप्त हो जाएंगी। विशेष अभियान के बाद अपवाद स्वरूप के मामलों पर कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

30 जून, 1986 को निर्णय के लिए लम्बित पड़े मामलों की स्थिति का विवरण ।

क्र०सं०	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	लम्बित मामलों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	3301
2.	आसाम	4880
3.	बिहार	13584
4.	गुजरात	83
5.	हरियाणा	101
6.	हिमाचल प्रदेश	41
7.	जम्मू एवं कश्मीर	1402
8.	कर्नाटक	1407
9.	केरल	4603
10.	मध्य प्रदेश	410
11.	महाराष्ट्र	9417
12.	मणीपुर	85
13.	मेघालय	83
14.	नागालैंड	13
15.	उड़ीसा	1121
16.	पंजाब	1042
17.	राजस्थान	52
18.	तमिलनाडु	349
19.	त्रिपुरा	873
20.	उत्तर प्रदेश	1017
21.	पश्चिमी बंगाल	24319
22.	आजाद हिंद फौज के मामले	4806
	संघ शासित क्षेत्र	
1.	चण्डीगढ़	10
2.	दिल्ली	185
3.	गोआ	361
4.	पांडेचेरी	52
	कुल योग	73,647

अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों पर अत्याचार

861. **श्री वी० तुलसीराम** : क्या कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पिछले छह महीनों के दौरान अनुसूचित जातियों पर अत्याचारों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो 30 जून, 1986 को समाप्त हुई स्थिति के पिछले छः महीनों के दौरान किये गये ऐसे अत्याचारों की राज्यवार संख्या क्या है;

(ग) अनुसूचित जातियों के परिवारों के हताहत पुरुषों, स्त्रियों तथा बच्चों की संख्या क्या है तथा नष्ट हुई सम्पत्ति का ब्यौरा क्या है; और

(घ) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचारों को रोकने के लिए केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को जारी किये गये निदेशों/मार्गदर्शी सिद्धांतों का ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है। चूंकि वर्ष 1986 के पहले 6 महीनों के सम्बन्ध में सभी राज्यों से पूरी जानकारी अभी तक उपलब्ध नहीं है इसलिए इस समय किसी प्रकार की तुलना करना सम्भव नहीं है।

(घ) अनुसूचित जातियों के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में विभिन्न निवारक, सुधारात्मक, पुनर्वासात्मक और कार्मिक नीति उपाय प्रस्तावक व्यापक दिशानिर्देश समय-समय पर राज्य सरकारों को दिये गए हैं।

विवरण

वर्ष 1986 के पहले 6 महीनों के दौरान अनुसूचित जातियों के विरुद्ध कथित अपराधों को दर्शाने वाला विवरण

क्रम सं०	राज्य का नाम	कुल अपराध	हत्या	गम्भीर चोट	निम्नलिखित अवधि तक उपलब्ध सूचना
1	2	3	4	5	6
1.	आन्ध्र प्रदेश	52	03	04	अप्रैल, 1986
2.	बिहार	388	13	27	मार्च, 1986
3.	गुजरात	196	05	24	अप्रैल, 1986
4.	हरियाणा	37	02	02	मई, 1986
5.	हिमाचल प्रदेश	18	—	01	मई, 1986
6.	कर्नाटक	79	01	01	अप्रैल, 1986
7.	केरल	37	02	—	जनवरी, 1986
8.	मध्य प्रदेश	1630	39	68	अप्रैल, 1986
9.	महाराष्ट्र	154	02	10	अप्रैल, 1986
10.	उड़ीसा	75	01	04	अप्रैल, 1986

1	2	3	4	5	6
11.	पंजाब	09	05	01	अप्रैल, 1986
12.	राजस्थान	457	13	40	अप्रैल, 1986
13.	तमिलनाडु	269	02	02	अप्रैल, 1986
14.	त्रिपुरा	शून्य	शून्य	शून्य	अप्रैल, 1986
15.	उत्तर प्रदेश	2097	122	309	मई, 1986
16.	पश्चिम बंगाल	शून्य	शून्य	शून्य	मार्च, 1986
	जोड़	5498	210	493	

नोट : 1 अन्य राज्यों के सम्बन्ध में जानकारी शून्य है।

2. पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध अपराधों के सम्बन्ध में अलग-अलग आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

3. सम्पत्ति के नुकसान सम्बन्धी आंकड़े नहीं रखे जाते ।

उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान की खरीद

862. **श्री वी० तुलसीराम**
श्री बल्लभ पाणिग्रही } : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और इंग्लैंड/फ्रांस के बीच भारतीय वायुसेना के लिए अत्याधुनिक उन्नत जेट प्रशिक्षण विमान की खरीद के सौदे को अन्तिम रूप दिया जा चुका है;

(ख) यदि हां, तो कितने प्रशिक्षण विमान खरीदे जाने हैं और उन्हें किस देश से खरीदा जाएगा;

(ग) आयातित विमान भारतीय जेट प्रशिक्षण विमान अजीत से कितने उत्तम हैं; और

(घ) क्या भारतीय जेट विमान को सुधारकर आयातित जेट प्रशिक्षक विमान के स्तर तक लाने का कोई विचार है ? यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न ही नहीं उठते।

मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र में रिसाव

863. **श्री वी० तुलसी राम**
श्री जनक राज्य गुप्त } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि 26 जून, 1986 को मद्रास परमाणु ऊर्जा संयंत्र-1 के रिएक्टर भवन में एक वाल्ट के भीतर भारी जल का रिसाव हुआ था;

(ख) यदि हां, तो क्या इसके कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच समिति गठित की गई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और समिति के निष्कर्ष क्या हैं;

(ग) क्या यह एक तोड़-फोड़ का मामला था और क्या दोषी व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है; और

(घ) सभी परमाणु संयंत्रों में भविष्य में ऐसे रिसाव की किसी भी घटना को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मन्त्रालय तथा महासागर विकास परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, हां। रिसा हुआ सारा भारी पानी पुन: प्राप्त किया जा चुका है।

(ख) और (ग) अब तक की गई जांच से ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि यह घटना किसी तोड़-फोड़ के कारण हुई थी।

(घ) मानक प्रक्रियाओं के अनुसार यह आवश्यक है कि इस प्रकार की घटनाओं की जांच बिजलीघर सुरक्षा समिति और परमाणु ऊर्जा समीक्षा विभाग की सुरक्षा समीक्षा समिति द्वारा की जाए। भविष्य में इस प्रकार का रिसाव न होने देने के लिए इन समितियों के परामर्श से उपाय किए जाते हैं।

सरकारी कर्मचारियों द्वारा गोपनीय रिपोर्ट लिखा जाना

864. **श्री वी० तुलसीराम**
श्री भट्ट श्रीराम मूर्ति } : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्णय किया है कि गोपनीय रिपोर्टों के नए प्रपत्र को अन्तिम रूप दिया जाये और भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी अपनी रिपोर्टें स्वयं लिखेंगे;

(ख) यदि हां, तो क्या यह नई प्रक्रिया सभी सरकारी कर्मचारियों के मामले में, चाहे वे किसी भी पद पर हों, अपनाई जाएगी, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो सिविल अधिकारियों के बीच भेदभाव करने के क्या कारण हैं; और

(ग) क्या गोपनीय रिपोर्ट प्रणाली समाप्त करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है ताकि प्रभावशाली, परिश्रमी और ईमानदार कर्मचारी सभी क्षेत्रों में बेहतर काम करें;

(घ) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) सरकार ने वर्ष 1985-86 से भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के लिए गोपनीय रिपोर्ट के नए प्रपत्र लागू कर दिए हैं। अधिकारी अपनी रिपोर्ट स्वयं नहीं लिखेंगे। तथापि रिपोर्ट के भाग के रूप में, अधिसमय वेतनमान के स्तर तक के अधिकारियों से वर्ष के दौरान अपनी उपलब्धियों और योगदान की सूचना देने के लिए कहा गया है। यह एक प्रकार का स्वमूल्यांकन होता है जो कि उद्देश्यपरक प्रबन्ध (मैनेजमेंट बाई आब्जेक्टिव्स) के सिद्धांत के अनुरूप है। रिपोर्ट लिखने वाले अधिकारी को इन पहलुओं पर टिप्पणियां देनी होती हैं।

(ख) समूह "क" की सभी केंद्रीय सेवाओं के संवर्ग नियंत्रक प्राधिकारियों से यह अनुरोध किया गया है कि वे संबंधित सेवाओं के लिए निर्धारित कार्यों, ड्यूटियों और जिम्मेदारियों के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए अपने अधिकारियों के लिए गोपनीय रिपोर्ट प्रपत्रों को भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के प्रपत्रों के अनुसार संशोधित करें।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) ये प्रश्न ही नहीं उठते।

नौसैनिक भौतिक और सामुद्रिक प्रयोगशाला

865. **श्री मुल्ला पल्ली रामचन्द्रन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नौ सैनिक भौतिक और सामुद्रिक प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए उपयुक्त स्थान के रूप में कोचीन में काकानड़ का चयन करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या सरकार ने किसी अवस्था में कण्णनूर के केल्ट्रान के और एझीमाला में नौसैनिक अकादमी के निकट होने को ध्यान में रखते हुए नौसैनिक भौतिक और सामुद्रिक प्रयोगशाला के लिए संभावित स्थान के रूप में कण्णानूर पर विचार किया था; और

(ग) यदि हां, तो इसे बदलने के क्या कारण हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) नौसैनिक भौतिक और समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला का विस्तार करने के लिए नौसेना बेस के नजदीक भूमि देने के लिए केरल राज्य सरकार से कहा गया था। राज्य सरकार से काकानड़ में भूमि देने का अनुरोध किया गया था क्योंकि वहां पर्याप्त भूमि, प्रौद्योगिकी निर्माण की गुंजाइश, सुविधाओं के विस्तार जैसी सभी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध है और वह नौसेना भौतिक एवं समुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, नौसैनिक बेस तथा विश्वविद्यालय से नजदीक है। फलत: केरल सरकार ने काकानड़ में भूमि प्रदान कर दी है और वहां सिविल कार्य पहले से ही चल रहे हैं। कन्नानूर कोचीन से लगभग 200 कि० मी० दूर है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

पेंशन अदालतों की स्थापना

866 **श्री शान्ताराम नायक** : **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश में पेंशन अदालतें स्थापित करने का विचार है;

(ख) इन अदालतों का स्वरूप और कार्य क्षेत्र क्या होगा; और

(ग) इन्हें कौन-कौन से कानूनी अधिकार दिए जाएंगे ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : (क) देश में पेंशन अदालत स्थापित करने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है। तथापि, एक प्रयोग के रूप में, 1.8.1986 से उत्तरी रेलवे के पेंशनभोगियों के लिए पेंशन अदालतें आयोजित की जा रही है।

(ख) और (ग) ये पेंशन अदालतें सांविधिक नियमों के विद्यमान ढांचे के भीतर पेंशन-भोगियों की, नीति संबंधी मामलों से भिन्न; व्यक्तिगत शिकायतों को निपटाएंगी।

कारागार प्रशासन को आधुनिकतम बनाने के लिए राज्यों को धनराशि का आवंटन

867. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्र सरकार ने उप-जेलों का निर्माण कराने और कारागार प्रशासन का आधुनिकीकरण करने के लिये 16 राज्यों को 135 करोड़ रुपये की धनराशि दी है; और

(ख) अब तक कितने राज्यों ने इस धनराशि का उपयोग किया है और अब तक इस बारे में कितनी प्रगति हुई है ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) और(ख) आठवें वित्त आयोग के निर्णय के अधीन, सरकार ने 1985-86 की अवधि के दौरान 16 राज्यों के जेल प्रशासन के स्तर को ऊंचा करने के लिए 135.56 करोड़ रु० की धन राशि का प्रावधान किया है। इसमें से रु० 67.97 करोड़ रुपए की धनराशि का उप जेलों (आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर) के निर्माण के लिए प्रावधान किया गया है। वर्ष 1985-86 में लेखा के आधार पर रु० 33.89 करोड़ की धन राशि जो कुल धनराशि का 25% है, राज्यों को दे दी गई है। यह धनराशि जेल सेक्टर की सभी योजनाओं के लिए है, न कि केवल उप-जेलों के निर्माण के लिए।

कीमतों और आपूर्ति पर स्वैच्छिक नियंत्रण

868. **श्री के० वी० शंकर गौडा** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय मन्त्री ने मुख्य मन्त्रियों को कीमतों और पूर्ति पर स्वैच्छिक नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु राज्य और जिला स्तर पर निर्माताओ और व्यापारियों की बैठकें बुलाने के लिए पत्र लिखे थे;

(ख) यदि हां, तो उक्त पत्र में किन अन्य बातों का उल्लेख किया गया था;

(ग) यदि हां, तो केन्द्रीय मन्त्री के उक्त प्रस्ताव पर कितने राज्यों द्वारा कार्यवाही की गई है;

(घ) क्या इसको क्रियान्विति के बारे में राज्यों से कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है; और

(ङ) यदि हां, तो कितने राज्यों ने उक्त सुझाव को क्रियान्वित नहीं किया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, हां।

(ख) अन्य मुद्दों के संबंध में, संसदीय कार्य, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री ने संक्षेप में मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया कि वे आवश्यक वस्तुओं, विशेषकर खाद्यान्नों, खाद्य तेलों तथा चीनी के मूल्यों और उनकी उपलभ्यता पर नजर रखें। आलू, प्याज, अंडों, चाय, दालों तथा मसालों जैसी आवश्यक वस्तुओं की बिक्री की व्यवस्था सुपर बाजार के खुदरा बिक्री केन्द्रों तथा चलती-फिरती वैनों, उपभोक्ता सहकारी समितियों तथा राज्य नागरिक आपूर्ति निगमों के माध्यम से की जा सकती है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका तथा इसे दूर-दराज और दुर्गम क्षेत्रों तक पहुंचाने के लिए इसके तंत्र में सुधार करने व इसे मजबूत बनाने और इसकी विस्तार करने की आवश्यकता पर बल दिया गया। उनसे कहा गया कि यदि उन्हें सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खाद्यान्नों तथा आयातित खाद्य तेलों की अतिरिक्त मात्रा की आवश्यकता हो तो वे उसकी सूचना दें। मुख्य मन्त्रियों से अनुरोध किया गया कि वे तिलहनों तथा खाद्य तेलों को एक राज्य से दूसरे राज्य मे ले जाने पर से प्रतिबन्धों को हटाएं।

(ग) से (ङ) 17 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से उत्तर प्राप्त हुए थे, जिनमें सूचित किया गया था कि केन्द्रीय संसदीय कार्य, खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री द्वारा दिए गए विभिन्न

सुझावों की जांच की जा रही है। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस पत्र की केवल पावती सूचित की है। तथापि, की गई/की जाने वाली कार्यवाही के संबंध में ब्यौरेवार जानकारी अभी तक पांच राज्यों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त हुई है। यह एक निरन्तर चलते रहने वाला कार्य है और राज्य सरकारों द्वारा मूल्यों को बढ़ने से रोकने और आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता में सुधार लाने के लिए आम तौर पर समय-समय पर कार्रवाई की जाती है।

केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति

869. **डा० चिन्ता मोहन :** क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय अनुसंधान सलाहकार समिति ने कार्य करना शुरू कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो इस निकाय द्वारा किये गये कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आधारभूत सुविधाएं तेजी से जुटाई जायेंगी; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप-मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) केन्द्रीय आदिवासी अनुसंधान सलाहकार परिषद् की पहली बैठक 29 जुलाई, 1986 को होनी निश्चित हुई है। यह परिषद् परामर्शी किस्म की होने के कारण, आदिवासी अनुसंधान संस्थाओं, राज्यों में अनुसंधान सलाहकार समितियों के काम की जांच करके आदिवासियों से सम्बन्धित अनुसंधान मूल्यांकन, प्रलेखन तथा सर्वेक्षण आदि के लिए दिशानिर्देश निर्धारित करेगी।

(ग) जी, हां।

(घ) आदिवासी विकास सम्बन्धी कार्य दल ने सातवीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) के दौरान आदिवासी क्षेत्रों के अवसंरचनात्मक विकास की नीति पर चर्चा करके कुछ सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों पर कार्रवाई के बारे में राज्यों द्वारा तैयार किए गए आदिवासी उप योजना कार्यक्रमों को ध्यान में रखा जाता है। सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परिव्यय में भी वृद्धि की जा रही है, उदाहरणार्थ अवसंरचना के एक प्रमुख "क्षेत्र सड़कें और पुलों छठी पंचवर्षीय योजना के 313 करोड़ रु० के परिव्यय की तुलना में 7वीं पंचवर्षीय योजना (1985-90) में परिव्यय में वृद्धि करके 504 करोड़ रुपये किया गया है। अन्य क्षेत्रों में भी इसी प्रकार परिव्यय में वृद्धि करने का विचार है।

सिक्किम में प्रति व्यक्ति आय और व्यय

870. **श्रीमती डी० के० भण्डारी :** क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

गत पांच वर्षों में प्रति व्यक्ति आय और प्रति व्यक्ति व्यय कितना था ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : सिक्किम की प्रति व्यक्ति आय, जो जो पिछले पांच वर्षों के लिए सरकार द्वारा परिकलित की गई है, जिसके लिए आंकड़े उपलब्ध हैं, निम्नलिखित हैं :—

वर्ष	प्रति व्यक्ति आय (रु०)	
	प्रचलित मूल्यों पर	स्थिर (1982) मूल्यों पर
1979-80	727	826
1980-81	835	888
1981-82	900	900
1982-83	1079	1008
1983-84	1300	1093

जनवरी-दिसम्बर, 1983 अवधि के दौरान राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन द्वारा आयोजित किये गये 38वें दौर सर्वेक्षण में सिक्किम राज्य में उपभोक्ता व्यय सम्बन्धी सर्वेक्षण शामिल किया गया। प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय जैसा कि वर्ष 1983 के लिए इस सर्वेक्षण द्वारा स्पष्ट किया गया है, निम्नलिखित है :—

1983 के लिए प्रति व्यक्ति व्यय (रु०)

ग्रामीण	शहरी
1729	2952

सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वास्थ्य शिक्षा कार्यक्रमों के लिए केन्द्रीय दिशा निर्देश

871. **कुमारी पुष्पा देवी** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली स्वास्थ्य सहायता तथा शिक्षा के व्यापक कार्यक्रमों को प्राथमिकता से कार्यान्वित करने की सलाह दी है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकारों को ऐसे निर्देश कब जारी किये गये थे; और

(ग) विभिन्न राज्य सरकारों ने इस संबंध में कल्याण मंत्रालय द्वारा भेजे गये दिशा-निर्देशों को कार्यान्वित करने के लिये क्या कदम उठाये हैं ?

कल्याण मंत्रालय में उप मंत्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) से (ग) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

कल्याण मंत्रालय ने 18 दिसम्बर, 1985 को आदिवासी क्षेत्रों में रियायती गेहूं कार्यक्रम के कार्यान्वयन पर राज्य सरकारों को दिशा-निर्देश भेजे हैं। समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रम वाले क्षेत्रों के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए कल्याण मंत्रालय ने राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश और उड़ीसा की राज्य सरकारों को पत्र लिखा है, जिसमें केवल 1986-87 के दौरान एक बारगी उपाय के रूप में इन क्षेत्रों में अपनी जन-वितरण पद्धति को सशक्त बनाने के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता से 10 प्रतिशत तक की राशि इस्तेमाल करने की उन्हें अनुमति दी गई है और साथ ही उन्हें यह भी कहा गया है कि वे इस संबंध में नागरिक आपूर्ति विभाग को अपनी कार्य योजनाएं भेजें। तदनुसार मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बिहार ने अपने प्रस्ताव भेजे हैं जिन पर विचार किया जा रहा है। इसी प्रकार सातवीं योजना के दौरान आदिवासी विकास कार्यदल की शिक्षा और स्वास्थ्य क्षेत्रों संबंधी सिफारिशें भी राज्य सरकारों को क्रमश: 21 जून, 1985 और 10 जनवरी, 1986 को भेजी गई हैं।

सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान अनु० जातियों के विकास संबंधी कार्यदल की रिपोर्ट की प्रतियां अगस्त, 1985 में राज्य सरकारों को भेजी जा चुकी हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई, स्वास्थ्य और शिक्षा पर कार्य दल की शिफारिशें दी गई हैं।

रियायती गेहूं कार्यक्रम का कार्यान्वयन सभी राज्य सरकारों द्वारा समेकित आदिवासी विकास कार्यक्रमों वाले सभी क्षेत्रों में किया जा रहा है। अपने विशेष कम्पोनेंट प्लान और आदिवासी उपयोजनाएं तैयार करते समय राज्य सरकारों द्वारा अनु०जाति व जनजातियों के स्वास्थ्य और शिक्षा संबंधी दिशा निर्देशों पर भी विचार किया जाता है।

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियां

872. श्री के० कुन्जम्बु : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) मैट्रिकोत्तर शिक्षा के विभिन्न स्तरों पर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को इस समय दी जा रही छात्रवृत्तियों की राशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या छात्रवृत्तियों की दरों में काफी समय से संशोधन नहीं किया गया है;

(ग) क्या इन दरों को बढ़ाने के संबंध में मांग की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) एक विवरण संलग्न है ।

(ख) अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्तियों की दरों में जुलाई, 1981 में संशोधन किया गया था ।

(ग) जी, हां ।

(घ) सातवीं योजना के दौरान अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के विकास संबंधी कार्य-दल, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के कल्याण संबंधी संसदीय समिति और अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के समुदायों के हितों का प्रतिनिधित्व करने वाले विभिन्न स्वयं सेवी संगठनों ने छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि करने का सुझाव दिया है । मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना की निरन्तर समीक्षा की जा रही है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ दरों में संशोधन करने का मामला भी शामिल है ।

विवरण

वर्ग		होस्टल वासी छात्र		दिवस छात्र	
		लड़के	लड़कियां	लड़के	लड़कियां
1		2	3	4	5
(क) (मेडिकल/इंजीनियरिंग कृषि विज्ञान स्नातक/	प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष	185	195	100	110
पशुचिकित्सा स्नातक आदि)	और इसके बाद	185	200	100	115
(ख) (भारतीय चिकित्सा पद्धति, होम्योपैथी	प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष	135	136	100	110
में उपाधि इंजीनियरिंग/मेडिकल/ प्रौद्योगिकी आदि में डिप्लोमा कोर्स)	और उसके बाद	130	145	105	120
(ग) (इंजीनियरिंग/मैडिकल/ प्रौद्योगिकी में	प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष	125	135	100	110

1		2	3	4	5
सर्टिफिकेट कोर्स, कला तथा विज्ञान में स्नातकोत्तर कोर्स)	और उसके बाद	130	145	105	115
(घ) (सामान्य डिग्री कोर्स)	द्वितीय वर्ष और उसके बाद	115	130	70	85
(ङ) (10+2 पद्धति की कक्षाएं तथा सामान्य डिग्री कोर्स का प्रथम वर्ष	प्रथम वर्ष,	75	85	50	60
	द्वितीय वर्ष और प्रथम वर्ष की सामान्य डिग्री	80	95	55	70

अनुसूचित जातियों के परिवारों को बिजली और पानी रियायती दरों पर सप्लाई करना

873. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या कल्याण मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली में अनुसूचित जातियों के परिवारों को बिजली और पानी रियायती दरों पर उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) क्या सरकार का विचार इस योजना का देश के सभी भागों में लागू करने का है ?

कल्याण मन्त्रालय में उप मन्त्री (श्री गिरिधर गोमांगो) : (क) और (ख) जी, नहीं। भारत सरकार के पास दिल्ली में अनुसूचित जाति के परिवारों को रियायती दर पर बिजली और पानी उपलब्ध कराने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ग) जी, नहीं। भारत सरकार के पास ऐसा कोई प्रस्ताव नहीं है।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को राज-सहायता प्राप्त दरों पर राशन देने की योजना

874. **श्री के० कुन्जम्बु** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों को जिनकी क्रय शक्ति बहुत कम है, राज-सहायता प्राप्त दरों पर राशन देने की एक योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों सहित आबादी के सभी वर्गों को उचित दामों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जाती है। समन्वित आदिवासी विकास परियोजना के क्षेत्रों में और आदिवासी बहुल राज्यों में रह रही जनता और ग्रामीण रोजगार कार्यक्रमों तथा तरूणों, गर्भवती महिलाओं तथा धाय माताओं के लिए पोषाहार कार्यक्रमों के अधीन भी विशिष्ट राज सहायता प्राप्त मूल्यों पर खाद्यान्नों की आपूर्ति की जा रही है।

राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परती भूमि का विकास

875. **श्री वृद्धि चन्द्र जैन** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजस्थान और उत्तर प्रदेश में परती भूमि के विकास के लिए प्रस्तावित योजनाएं क्या हैं; और

(ख) अब तक क्या प्रगति हुई है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के घटक के तौर पर फार्म वानिकी और ब्लाक पौधरोपण कार्यक्रमों के अंतर्गत बालपौधों के वितरण के अलावा राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित भारत के सभी राज्यों में 1986-87 से तीन नई योजनाएं प्रारम्भ की जा रही हैं :—

(I) गैर हिमालयी अचंल में पारि-संवेदनशील क्षेत्रों में वनरोपण सहित ग्रामीण ईंधन की लकड़ी के लिये पौध रोपण, (II) वन-चरागाह फार्मों की स्थापना और (III) विकेन्द्रित जन पौधशालाएं। इनके अतिरिक्त, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में 1985-86 से बाहर से सहायता प्राप्त सामाजिक वानिकी परियोजनाएं भी क्रियान्वित की जा रही हैं।

(ख) 1986-87 के लिये वनरोपण के लक्ष्य निम्नलिखित हैं :—राजस्थान में 11.00 करोड़ रुपये और उत्तर प्रदेश में 45.00 करोड़ रुपये हैं। वर्तमान मानसून की शुरुआत के साथ पौधरोपण के कार्य में प्रगति की आशा है। पौधशालाओं में काम अक्तुबर में शुरू होगा।

राजस्थान में पर्यावरण प्रदूषण

876. **प्रो० निर्मला कुमारी शक्तावत** : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के प्रमुख कस्बों में बढ़ते हुए प्रदूषण से जीवन के लिए खतरा पैदा हो रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस पर्यावरण प्रदूषण के लिए जिम्मेदार औद्योगिक इकाइयों की संख्या क्या है; और

(घ) कोटा में पर्यावरण में छोड़ी जाने वाली सल्फर डाईआक्साइड की कुल प्रतिशत क्या है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) और (ख) बढ़ते हुये औद्योगिक क्रियाकलापों की वजह से राजस्थान के कुछ प्रमुख शहरों में प्रदूषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) और (घ) राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार 129 वायु प्रदूषक उद्योग हैं। कोटा का राज्य में कुल सल्फर डार्ड-आक्साइड उत्सर्जन का 59. 75 प्रतिशत अंशदान है।

शहरी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों और खुदरा बिक्री केन्द्रों के विकास के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता

877. **श्रीमती जयन्ती पटनायक** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनके मंत्रालय ने केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के अंतर्गत शहरी उपभोक्ता सहकारी स्टोरों और अन्य खुदरा बिक्री केन्द्रों के विकास के लिए राज्य सरकारों से प्रस्ताव मांगे थे;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रयोजन के लिए राज्य सरकारों को केन्द्रीय सहायता की पेशकश की है;

(ग) यदि हां, तो विभिन्न राज्य सरकारों से कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(घ) प्रत्येक राज्य को इस प्रयोजन के लिए वर्ष 1985-86 और 1986-87 के लिए कितनी वित्तीय सहायता की पेशकश की गई थी ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) जी हां।

(ग) और (घ) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत वर्ष 1985-86 तथा 1986-87 में प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या तथा उनके लिए मंजूर की गई राशि दर्शाने वाला विवरण

(लाख रु० में)

क्र० सं०	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	1985-86		1986-87	
		प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	मंजूर की गई राशि	प्राप्त हुए प्रस्तावों की संख्या	सिद्धान्त रूप से अनुमोदित प्रस्ताव और निर्मुक्त की जा रही राशि
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	4	32.88	—	
2.	असम	6	5.20	—	
3.	बिहार	4**	—	—	
4.	गुजरात	1	0.90	1	3.65
5.	हरियाणा	1**	—	—	
6.	हिमाचल प्रदेश	3**	—	—	
7.	जम्मू और कश्मीर	1	6.70	1	
8.	कर्नाटक	17	16.05	2	2.70
9.	केरल	15	2.88	2	1.80
10.	मध्य प्रदेश	5	4.37	1	
11.	महाराष्ट्र	20	52.835	2	
12.	मणिपुर	—	5.00*	—	
13.	मेघालय	2	2.16	—	
14.	उड़ीसा	8	5.12	5	
15.	पंजाब	1**	—	—	
16.	राजस्थान	8	1.98	2	
17.	तमिलनाडु	9	27.88	1	5.26***
18.	त्रिपुरा	2**	—	—	
19.	उत्तर प्रदेश	28	22.24	10	2.88

1	2	3	4	5	6
20.	पश्चिम बंगाल	5	2.34	6	0.36
21.	अरूणाचल प्रदेश	—	12.63*	—	—

*सहायता हेतु प्रस्ताव 1985-86 से पूर्व प्राप्त हुए थे और इनकी मंजूरी 1985-86 के दौरान दी गई।

**वे प्रस्ताव जिनके लिए राज्यों से अतिरिक्त सूचना मांगी गई है। प्राप्त हुए कुछ प्रस्ताव जिन्हें व्यवहार्य नहीं पाया गया और राज्य सरकारों को तदनुसार सूचित कर दिया गया।

***जिन प्रस्तावों को 1985-86 के दौरान मंजूर किया गया था परन्तु सहायता 1986-87 के दौरान निर्मुक्त की गई।

बहु-राष्ट्रीय कम्पनियों के साथ सिलिकन का सौदा

878. **डा० चिन्ता मोहन** : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि देश में सिलिकन के उत्पादन को हानि पहुंचा कर विदेशों की बहु-राष्ट्रीय कंपनियों के साथ सिलिकन का सौदा करने हेतु प्रयास किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके आयात से देश में इसके उत्पादन पर किस हद तक प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा ?

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, मन्त्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मन्त्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) स्वदेशी उत्पादन पर इसका कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा।

केरल में वन भूमि में बसे लोगों को स्वामित्व अधिकार

879. **प्रो० पी० जे० कुरियन**
श्री पी० ए० एन्टनी } : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केरल सरकार ने 1977 से वन भूमि पर बसे लोगों को स्वामित्व अधिकार देने के लिए केन्द्रीय सरकार की अनुमति मांगी है;

(ख) ऐसे कितने परिवार हैं जिन्हें अपने कब्जे में भूमि का स्वामित्व अधिकार नहीं मिला; और

(ग) उन्हें स्वामित्व अधिकार देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का विचार है ?

पर्यावरण और वन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अन्सारी) : (क) वन भूमि के दिक्परिवर्तन के लिए अनुमति केन्द्र सरकार से मांगी गई है।

(ख) राज्य सरकार से प्राप्त सूचना के अनुसार इस प्रकार के लगभग 50000 मामले हैं।

(ग) स्वामित्व अधिकार देने का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है। वन (संरक्षण) अधिनियम के तहत अनुमति के प्रस्ताव को अनिवार्य सूचना के उपलब्ध होते ही अन्तिम रूप दे दिया जायेगा।

पश्चिमी घाटों का विकास

880. **प्रो० पी० जे० कुरियन** : **क्या प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पश्चिमी घाटों के विकास की योजना का ब्यौरा क्या है तथा राज्यवार अब तक व्यय की गई राशि का विवरण क्या है; और

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी घाट विकास योजना के अंतर्गत कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रस्ताव है और उन परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम वर्ष 1974-75 में शुरू किया गया था और तब से यह चल रहा है। यह कार्यक्रम वर्ष 1972 में राष्ट्रीय विकास परिषद् द्वारा किए गए निर्णय के अनुसरण में देश में पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए विशेष कार्यक्रम के भाग के रूप में तैयार किया गया था। महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और गोवा संघ राज्य क्षेत्र के भाग इस कार्यक्रम में शामिल किए गए हैं। कार्यक्रम का सातवीं योजना में मुख्य बल पश्चिमी घाट क्षेत्र के पारिस्थिति की संतुलन को कायम रखने पर रहा।

छठी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक, कार्यक्रम के अन्तर्गत 100.41 करोड़ रु० की राशि व्यय की गई थी। राज्यवार ब्यौरे नीचे दिए गए हैं :—

करोड़ रु०

क्रम संख्या	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पांचवीं पंच-वर्षीय योजना 1974-79 और 1979-80	छठी पंचवर्षीय योजना 1980-85
1.	महाराष्ट्र	8.71	24.06
2.	कर्नाटक	5.47	14.42
3.	तमिलनाडु	3.89	14.09
4.	केरल	5.98	18.64
5.	गोवा	1.37	3.78
		जोड़ 25.42	74.99

(ख) सातवीं पंचवर्षीय योजना में पश्चिमी घाट विकास कार्यक्रम के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता के रूप में 116.50 करोड़ रु० की राशि आवंटित की गई है। इसका राज्यवार वितरण इस प्रकार है :—

क्र० सं०	राज्य	करोड़ रु०
1.	महाराष्ट्र	38.10
2.	कर्नाटक	28.20
3.	केरल	23.80
4.	तमिलनाडु	19.90
5.	गोवा	6.00
6.	पश्चिमी घाट सचिवालय, सर्वेक्षण और अध्ययन	0.50
		जोड़ 116.50

मसाले, भू-संरक्षण, खादी और ग्राम उद्योग (मधुमक्खी पालन), रेशम-कीट पालन, लघु सिंचाई और पैदल चलने के लिए पुलों के निर्माण सहित वनरोपण, सौंध फसलों का विकास (रबड़, चाय) और बागवानी फसलें अपेक्षाकृत अधिक महत्वपूर्ण स्कीमें हैं जिनके लिए इस कार्यक्रम के अन्तर्गत धनराशि की व्यवस्था की जाती है।

सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में अनुसूचित जातियों/ अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण

881. **डा० चिन्ता मोहन** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सशस्त्र सेना चिकित्सा कालेज, पुणे में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लोगों के लिए कितने स्थान आरक्षित हैं और पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में कितने स्थान भरे गए और कम स्थान भरे जाने के क्या कारण हैं; और

(ख) क्या चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए अच्छे उम्मीदवारों की कमी है और यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है और कमी को पूरा कर स्थिति पर काबू पाने के लिए क्या प्रयत्न किए गए हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण सिंह) : (क) कुल 130 स्थानों में से प्रति वर्ष दस स्थान अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों के लिए आरक्षित होते हैं बशर्ते कि वे लिखित परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले प्रथम 500 अभ्यर्थियों की संयुक्त योग्यता सूची में आ जाएं। पिछले तीन वर्षों के दौरान वर्षवार भरे गए स्थान इस प्रकार हैं :—

1984	—शून्य
1985	—
1986	—शून्य

इन पदों को कम भरे जाने का कारण यह है कि ऐसा कोई भी अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का उम्मीदवार नहीं था जो संयुक्त योग्यता सूची में प्रथम पांच सौ उम्मीदवारों के साथ उत्तीर्ण हुआ हो।

(ख) जी, नहीं।

[हिंदी]

विदेशों से अंशदान पाने वाले धार्मिक अल्पसंख्यक

882. **श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि धार्मिक अल्पसंख्यक विदेशों से काफी मात्रा में अंशदान प्राप्त कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संस्थाओं पर किस प्रकार का नियंत्रण रखा जाता है;

(ग) सरकार द्वारा इन समस्याओं के लेखों पर किस प्रकार नियंत्रण रखा जाता है और सरकार को किन अवसरों पर उनके लेखों की जांच करने का अधिकार है;

(घ) क्या सरकार ने ऐसी संस्था के लेखों की जांच की है; और

(ङ) यदि हां, तो उसका नाम क्या है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) भारत में विभिन्न धार्मिक अल्पसंख्यकों की एसोसिएशनों द्वारा पर्याप्त विदेशी अभिदान प्राप्त किया जा रहा है।

(ख) और (ग) विदेशी अभिदान प्राप्त कर रही प्रत्येक एसोसिएशन को विदेशी अभिदान (विनियमन) अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत, निर्धारित समय के अन्तर्गत और निर्धारित रूप

में, उसके द्वारा प्राप्त विदेशी अभिदान की राशि, इसे प्राप्त करने के स्त्रोत और किस प्रकार से यह अभिदान प्राप्त किया गया है और इसके प्रयोजन और किस प्रकार से इस प्रकार के विदेशी अभिदान का प्रयोग किया गया है के बारे में केन्द्र सरकार को सूचना प्रस्तुत करनी होती है। प्रत्येक एसोसिएशन को, प्रत्येक वर्ष, चार्टर्ड एकाउन्टेंट द्वारा विधिवत् रूप से प्रमाणित लेखा-परीक्षा रिपोर्ट भी प्रस्तुत करनी होती है। जहां यह सन्देह हो कि एसोसिएशन द्वारा अधिनियम के किसी उपबन्ध का उल्लंघन किया गया है या किया जा रहा हो तो केन्द्र सरकार एसोसिएशन के किसी लेखे या रिकार्ड का निरीक्षण भी करा सकती है।

(ग) और (ड़) जी नहीं, श्रीमान्।

[अनुवाद]

भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास

883. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार ने देश के सीमावर्ती क्षेत्र को मजबूत करने के प्रयास से संवेदनशील सीमांत क्षेत्र में भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इसके लिए चालू वित्तीय वर्ष और सातवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान कितनी धन-राशि नियत की गई है और कितने भूतपूर्व सैनिकों का पुनर्वास किया जाएगा;

(घ) क्या सरकार ने इस सम्बन्ध में विभिन्न राज्य सरकारों से अनुरोध किया है; और

(ड़) यदि हां, तो राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण नेहरू) : (क) से (ड़) सातवीं योजना के दौरान, सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए एक अनुमोदित योजना है, जिसके लिए योजना अवधि के दौरान 200 करोड़ रु० का आवंटन किया गया है। यह योजना चरण-बद्ध रूप से शुरू की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए सीमा क्षेत्रों के विकास के लिए विचार किए जा रहे उपायों में कुछ सीमा क्षेत्रों में भूत-पूर्व-सैनिकों का पुर्नवास करना है। राजस्थान सरकार को केन्द्र सरकार के साथ परामर्श करके इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के चरण-II में 50,000 बीघे के बराबर का क्षेत्र, भूतपूर्व सैनिकों और 12,500 बीघा क्षेत्र सीमा सुरक्षा दल के भूतपूर्व कार्मिकों को आंवटित करने का प्रस्ताव है।

केरल में प्रतिव्यक्ति निवेश

884. **श्री वक्कम पुरुषोत्तमन** : क्या योजना मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छठी पचवर्षीय योजनावधि के दौरान केरल में प्रतिव्यक्ति निवेश दर और आय में प्रति व्यक्ति वृद्धि की दर क्या है;

(ख) क्या यह राष्ट्रीय औसत से नीचे थी; और

(ग) यदि हां, तो छठी पंचवर्षीय योजनावधि के दौरान केरल की प्रति व्यक्ति निवेश दर और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाने का प्रस्ताव है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांडा) : (क) राज्य की छठी योजना में केरल में प्रति व्यक्ति निवेश 624 रु० था।

प्रति व्यक्ति आय 1980-81 में 1382 रु० से बढ़कर वर्तमान कीमतों पर 1984-85 में 2196 रु० हो गई।

(ख) जी, हां।

(ग) केरल की सातवीं योजना का परिव्यय 2100 करोड़ रु० निर्धारित किया गया है जो कि छठी योजना के 1550 करोड़ रु० के परिव्यय से लगभग 35.5 प्रतिशत अधिक है। राज्य की योजना में रोजगार सृजन और गरीबी दूर करने के कार्यक्रमों पर अधिक बल दिया गया है जो कि उत्पादनकारी और आय सृजन कारक हैं।

द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिग्रहीत सम्पत्तियां

885. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रक्षा मन्त्रालय द्वारा 1942 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिग्रहीत संपत्तियां अब तक अधिग्रहण से मुक्त नहीं की गई हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इन सम्पत्तियों को अब तक अधिग्रहण से मुक्त न करने के क्या कारण हैं;

(ग) इन अधिग्रहीत संपत्तियों को अधिग्रहण से मुक्त करने की क्या प्रक्रिया है;

(घ) रक्षा मन्त्रालय द्वारा दूसरे विश्व युद्ध के दौरान 1942 में बम्बई में कितनी इमारतें अधिग्रहीत की गई थीं; और

(ङ) कितने मामले न्यायालयों में लम्बित पड़े हैं और राज्यवार कितनी अधिग्रहीत इमारतें अब तक अधिग्रहण से मुक्त की गई हैं ?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : (क) से (ङ) द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अधिग्रहीत की गई कुछ संपत्तियों को अभी तक वापस नहीं किया गया है क्योंकि उनकी अभी रक्षा कार्यों के लिए आवश्यकता है। इनको अचल संपत्ति के अधिग्रहण और अर्जन अधिनियम 1952 के अधीन रखा गया है। अधिनियम के अनुसार 10 मार्च, 1970 से पूर्व अधिग्रहीत संपत्तियों का 10 मार्च, 1987 से पूर्व या तो अर्जन किया जाना है या उन्हें वापस कर दिया जाना है। इस समय 31 भवन अधिग्रहण के अन्तर्गत आते हैं। इस समय 4 मामले न्यायालय में लम्बित पड़े हैं जिनमें से 2 महाराष्ट्र में और एक-एक क्रमशः पंजाब और हिमाचल प्रदेश में हैं।

भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के उत्पादों में स्वदेशी पुर्जों का प्रयोग

886. **श्री मानिक रेड्डी** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा विकसित, निर्मित और आपूर्त अधिकांश कलपुर्जे सीधे आयात प्रतिस्थापन की श्रेणी में आते हैं;

(ख) क्या भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड के उत्पादों में औसतन 80 प्रतिशत तक स्वदेशी पुर्जों का इस्तेमाल होता है; और

(ग) भारत इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रयोग में लाए गए आयातित पुर्जों का (कर आदि सहित बंदरगाह तक पहुंचने की लागत) कुल मूल्य कितना है ?

रक्षा उत्पादन और रक्षा पूर्ति विभाग में राज्य मन्त्री (श्री सुखराम) : (क) जी, हां।

(ख) स्वदेशी पुर्जों का औसत मूल्य लगभग 60% आता है।

(ग) इस सम्बन्ध में सूचना नीचे दी गई है :—

(रुपये लाखों में)

वर्ष	राशि
1983-84	3880.99
1984-85	4415.87
1985-86	5675.00 (अनन्तिम)

पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में सेना द्वारा सौर कुटि (सोलर हट) स्थापित किया जाना

887. **डा० जी० विजय रामाराव** : क्या रक्षा मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर-पूर्व सीमावर्ती क्षेत्र में सेना द्वारा स्थापित की गई सौ कुटियां सफल साबित हुई हैं;

(ख) क्या वायु ऊर्जा और सौर ऊर्जा के परीक्षण भी सेना में सफल रहे हैं;

(ग) क्या गोरखपुर में वायु सेना की 35 लाख रुपये की बायोगेस संयंत्र परियोजना आशा के अनुकूल कार्य कर रही है। जैसा कि लेह में सौर वैरक कार्य कर रही है; और

(घ) क्या उपर्युक्त (क), (ख), और (ग) के सम्बन्ध में सम्पर्क सम्बद्ध ऊर्जा मन्त्रालय को उपलब्ध करा दिये गये हैं और यदि हां तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है?

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरुण सिंह) : (क) सेना ने पूर्वोत्तर सीमा क्षेत्र में सौर कुटिया की स्थापना नहीं की है।

(ख) दिल्ली और गोपालपुर छावनियों में सेना चिकित्सालय में स्थापित दोनों वायु मिलें (विंड मिल्स) संतोषजनक रूप से कार्य कर रही हैं। अभी सौर ऊर्जा परियोजनाओं की केवल योजना बनाई जा रही है।

(ग) गोरखपुर के वायु सेना स्टेशन में निर्माणाधीन प्रायोगिक अनुसंधान तथा विकास संयंत्र में पिछली बार भारी मात्रा में पानी में जमी काई आदि से बायोगेस बनाने का प्रयास किया जा रहा है। सीमेंट और स्टील के उपलब्ध न होने के कारण काम को पूरा करने में कुछ रुकावट आई है। लेह में सौर वैरकों के लिए सिविल निर्माण-कार्यों को पूरा कर दिया गया है।

(घ) रक्षा मन्त्रालय इस समय गैर-परमपरागत ऊर्जा स्रोत विभाग की सलाह के अनुसार गैर-परमपरागत ऊर्जा पर पालदे परियोजनाएं बना रहा है और इसके लिए उक्त विभाग को नायोजित सामग्री (फीडबैक) भेजता है।

खाद्यान्न बचाओ अभियान के नए उप-कार्यालय/केन्द्र खोलना

888. **प्रो० नारायण चन्द पराशर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि।

(क) क्या सातवीं योजना के दौरान खाद्यान्न बचाओ अभियान के नये उप-कार्यालय/केन्द्र खोलने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां सातवीं योजना के पहले वर्ष के दौरान उक्त केन्द्र खोले गए हैं; और

(ग) सातवीं योजना के शेष वर्षों के लिए रखे गए प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न ही नहीं उठते।

भारतीय खाद्य निगम द्वारा उचित दर की दुकानों को खराब खाद्यान्नों की सप्लाई

889. **श्री श्रीबल्लभ पाणिग्रही** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय खाद्य निगम द्वारा दिल्ली की उचित दर की दुकानों को डामर, कंकर, रेत मिला गेहूं बेचा जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी, नहीं। तथापि, इस आशय का समाचार दिनांक 20-6-86 के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित हुआ था।

(ख) उचित दर की दुकानों के माध्यम से जनता को शुद्ध खाद्य पदार्थों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई कार्यविधि के बारे में प्रत्येक सम्बन्धित अधिकारी को पुनः अनुदेश दे दिए गए हैं।

चलती रेलगाड़ियों में डकैतियां और चोरियां

890. **प्रो० रामकृष्ण मोरे** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले एक वर्ष के दौरान (आज तक) भारतीय रेलवे के विभिन्न सेक्शनों, चलती-रेलगाड़ियों में, उस से पहले वर्ष इसी अवधि में पड़ी डकैतियों और चोरियों की तुलना में कितनी सशस्त्र डकैतियां और चोरियां हुई;

(ख) यात्रियों को अनुमानित कितनी हानि हुई और उनको हुई हानि के लिए यदि सरकार द्वारा कोई मुआवजा दिया गया है, तो वह कितना है;

(ग) भारतीय रेलवे के किन सेक्शनों में इस प्रकार की सबसे अधिक दुर्घटना घटी हैं; और

(घ) सरकार ने विशेषकर लम्बी दूरी की यात्रा में होने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए वर्तमान सुरक्षा व्यवस्था की पुनरीक्षा हेतु क्या कार्यवाही की है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

दिल्ली में कानून और व्यवस्था की स्थिति

891. **श्री टी० बक्षीर** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में हिंसा और हत्या की घटनाओं में हाल ही में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश की राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) और (ख) जी नहीं श्रीमान। पिछले छः महीनों (जनवरी से जून, 1986 तक) के दौरान दिल्ली में हिंसा और हत्या की घटनाओं में कोई वृद्धि नहीं हुई है। जनवरी से जून, 1986 और वर्ष 1985 की इसी अवधि के अपराध आंकड़ों का एक विवरण संलग्न है।

(ग) राजधानी में कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दिल्ली पुलिस द्वारा अनेक कदम उठाए गए हैं जैसे पैदल तथा चलती फिरती गश्त में बढ़ोतरी, होटलों तथा गैस्ट हाऊसों की गहन जांच पड़ताल, संवेदनशील स्थानों पर टुकड़ियों की तैनाती, बदमाशों और ज्ञात अपराधियों के विरुद्ध कार्यवाही, भीड़-भाड़ के स्थानों पर सतर्कता, विशेष पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति और अन्तर्राज्यीय/अन्तर जिला अपराध समीक्षा बैठकें।

विवरण

अपराध शीर्ष	1986 (जन-जून)	1985 (जन-जून)
डकैती	11	16
हत्या	131	169
हत्या का प्रयास	134	125
लूटपाट	102	139
दंगे	68	64
छीना-झपटी	66	89
चोटें	887	993
सेंधमारी	906	876
चोरियां	6230	6878
विविध भा० दं० सं०	6335	5898
कुल भा० दं० सं०	14870	15247

जम्मू एवं कश्मीर में पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादियों की घुसपैठ

892. **श्री जनक राज गुप्त** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ पाकिस्तानी प्रशिक्षित आतंकवादी जम्मू और काश्मीर के सीमावर्ती जिलों में घुसपैठ कर चुके हैं;

(ख) ऐसे कितने आतंकवादियों को अब तक गिरफ्तार किया गया है; और

(ग) भविष्य में इस प्रकार की घुसपैठ रोकने के लिए क्या सुरक्षा उपाय किये गये हैं ?

आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री (श्री अरूण नेहरू) : (क) और (ख) चालू वर्ष के दौरान जम्मू तथा कश्मीर के सीमावर्ती जिलों में पाकिस्तान में प्रशिक्षित इस प्रकार के किन्हीं आतंकवादियों द्वारा घुसपैठ किए जाने की सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

(ग) किसी सम्भव घुसपैठ को रोकने के लिए सुरक्षा बल पूरी सतर्कता रखे हुए है।

सरकारिया आयोग का प्रतिवेदन

893. **श्री बशवन्तराव गंडाख पाटिल** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारिया आयोग का कार्यकाल बढ़ा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है; और

(ग) आयोग द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में बिलम्ब होने के क्या कारण हैं ?

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) और (ग) सरकारिया आयोग को 6 राज्यों से प्रश्नावली का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। इसके अतिरिक्त एक राज्य सरकार से आयोग के कार्य-काल को बढ़ाने की सिफारिश प्राप्त हुई थी क्योंकि वह राज्य सरकार केन्द्र-राज्य सरकार संबंधों पर सरकारिया आयोग को अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए अधिक समय चाहती है। अतः सरकार ने सरकारिया आयोग के कार्य काल को 1-7-1986 से 31-12-1985 तक, 6 महीने के लिए बढ़ा दिया है।

राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त बनाना

894. **श्री सोमनाथ रथ** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली को चुस्त बनाने के लिए राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कोई सहायता और निदेश दिए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राज्यों से सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिकांशतः सहकारी समितियों के माध्यम से प्राथमिकता के आधार पर चलाने के लिए कहा गया है;

(घ) क्या किसी राज्य को शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सार्वजनिक वितरण प्रणाली चलाने के लिए सहकारी समितियों को सुविधायें उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है; और

(ङ) क्या इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान उड़ीसा को कोई सहायता दी गई है ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) भारत सरकार सार्वजनिक वितरण प्रणाली को मजबूत करने तथा उसमें नई जान फूंकने के लिए समय-समय पर राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों का ध्यान आकर्षित करती रही है। इस बारे में जारी किए गए दिशा निर्देश इस प्रकार हैं :—

(1) उचित दर की दुकान तक उपभोक्ता आसानी से पहुंच सके, इसके लिए जहां कहीं आवश्यक हो, नई उचित दर की दुकानें खोलना तथा शहरी और ग्रामीण दोनों क्षेत्रों में प्रत्येक परिवार को एक राशन कार्ड सप्लाई करना।

(2) आधार ढांचे संबंधी सुविधाओं, जैसे आवश्यक वस्तुओं का भंडारण तथा अंतिम कड़ी, अर्थात् ग्रामीण, पिछड़े, दूर-दराज तथा दुर्गम क्षेत्रों में उचित दर की दुकानों तक उनकी ढुलाई करने की व्यवस्था करना तथा उसमें सुधार करना।

(3) खण्ड, जिला तथा राज्य मुख्यालयों के स्तर पर एक उपयुक्त परिवीक्षा प्रणाली की व्यवस्था करना, ताकि उचित दर की दुकानों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हुई है अथवा नहीं, इस बारे में अद्यतन सूचना सुनिश्चित की जा सके।

(4) गेहूं, चावल, चीनी, आयातित खाद्य तेलों, कंट्रोल के कपड़े, मिट्टी के तेल, नमक तथा कोयले के आवंटन तथा वितरण के लिए जिलावार योजनाएं तैयार करना।

(5) विभिन्न स्तरों, जिनमें उचित दर की दुकान का स्तर भी शामिल है, पर उपभोक्ता सलाहकार तथा सतर्कता समितियां गठित करना।

(6) सार्वजनिक वितरण प्रणाली के कार्य में लगे कर्मचारियों के प्रशिक्षण के लिए कार्यक्रम बनाना।

(7) निरीक्षण तथा प्रवर्तन उपायों को कड़ा करना, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि उचित दर की दुकानें उपयुक्त तौर पर कार्य करें और आवश्यक वस्तुएं, विशेषकर आबादी के कमजोर तथा दुर्बल वर्गों के लोगों तक पहुंच सकें।

(8) राज्य के भीतर आवश्यक वस्तुओं की अधिप्राप्ति, भण्डारण तथा वितरण के कार्य में लगे विभिन्न अभिकरणों के बीच कारगर तालमेल स्थापित करने हेतु प्रणाली विकसित करना।

सातवीं योजना अवधि के दौरान नागरिक पूर्ति निगमों को स्थापित करने/उन्हें मजबूत बनाने तथा गोदामों का निर्माण करने के लिए वित्तीय सहायता देने की केन्द्रीय क्षेत्र की एक योजना है। इस योजना के तहत उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, हिमाचल प्रदेश तथा संघ राज्य क्षेत्र अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह को सहायता दी जाती है।

(ग) सरकार, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सुझाव देती रही है कि जहां नई उचित दर की दुकानें खोली जानी हैं, वहां अन्यों के साथ-साथ सहकारी समितियों को, विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बिक्री केन्द्र खोलने के लिए, प्रोत्साहित करने पर विचार करें।

(घ) और (ङ) शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों के विकास की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत, उपभोक्ता सहकारी समितियों को खुदरा बिक्री केन्द्र, जो सार्वजनिक वितरण प्रणाली की मदों का व्यापार भी कर सकते हैं, खोलने के लिए सहायता दी जाती है। केन्द्रीय क्षेत्र की एक अन्य योजना के तहत ग्रामीण सहकारी समितियों को उपभोक्ता व्यापार, जिसमें सार्वजनिक वितरण की मदें भी शामिल हैं, करने के लिए उपान्त धन हेतु सहायता दी जाती है।

शहरी क्षेत्रों में उपभोक्ता सहकारी समितियों को सहायता की केन्द्रीय प्रायोजित योजना के तहत खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने तथा थोक उपभोक्ता भण्डारों की पुनःस्थापना के लिए, उड़ीसा को 1971 से 1985-86 तक कुल 155.75 लाख रुपये की राशि दी गई। ग्रामीण उपभोक्ता गतिविधियों के लिए सहायता की योजना के तहत 1978-79 से 1985-86 तक की अवधि के दौरान उड़ीसा में ग्रामीण समितियों को 120.85 लाख रुपयें की राशि दी गई।

साम्प्रदायिक उपद्रवों के बारे में राष्ट्रीय एकता परिषद् की स्थायी समिति की बैठक

895. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कुछ राज्यों में हाल के महीनों में हुए उपद्रवों से उत्पन्न साम्प्रदायिक स्थिति पर चर्चा करने तथा इस समस्या का समाधान निकालने के लिए सुझाव देने हेतु राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति की बैठक बुलाने का विचार है;

(ख) यदि हां, तो बैठक कब बुलाने का विचार है; और

(ग) इस संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाने का विचार है ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थायी समिति की बैठक बुलाने का प्रश्न विचाराधीन है। फिर भी, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए भूतपूर्व प्रधान मन्त्री के 15 सूत्री कार्यक्रम पर विचार करने के लिए राष्ट्रीय एकता परिषद की बैठक 12-9-1986 को बुलायी गयी है।

सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु केरल को सहायता

896. **श्री टी० बशीर** : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को केरल राज्य सरकार से और अधिक खुदरा बिक्री केन्द्र खोलकर सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु वित्तीय सहायता देने के लिए कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

योजना मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

दिल्ली में महिलाओं से छड़खानी करने, तंग किये जाने तथा उनके साथ बलात्कार करने/किये जाने संबंधी मामले

897. **सुरेश कुरुप** : क्या गृह मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जनवरी, 1986 से जून, 1986 के दौरान महिलाओं से छेड़खानी करने, तंग किये जाने तथा उनके साथ बलात्कार करने सम्बन्धी कितने मामलों का पता लगा;

(ख) कितने मामले दर्ज किये गये; और

(ग) इस सम्बन्ध में कितने व्यक्ति गिरफ्तार किये गये ?

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मन्त्रालय में राज्य मन्त्री तथा गृह मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्री पी० चिदम्बरम) : (क) से (ग) जनवरी से जून, 1986 के दौरान महिलाओं के साथ छेड़खानी करने, तंग करने और बलात्कार के सूचित/दर्ज किए गए मामलों और गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों की संख्या निम्न प्रकार है :—

अपराध शीर्ष	सूचित/दर्ज किए गए मामले	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति
महिलाओं के साथ छेड़खानी	1396	2235
महिलाओं को तंग करना	47	57
बलात्कार	62	77

आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि

898. **श्री सी० जंगा रेड्डी**
डा० ए० के० पटेल } : क्या खाद्य और नागरिक पूर्ति मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत 12 महीनों में प्रतिमास आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं का मूल्य सूचकांक क्या रहा;

(ख) उससे पहले के 12 महीनों में उनके मूल्य प्रतिमास क्या रहे;

(ग) क्या मूल्यों में वृद्धि हुई है;

(घ) यदि हां, तो गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों पर उसका क्या प्रभाव पड़ा; और

(ङ) गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों को मुद्रास्फीति के प्रभाव से बचाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ?

योजना मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा खाद्य और नागरिक पूर्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए० के० पांजा) : (क) और (ख) सूचना विवरण I और II में दी गई है।

(ग) पिछले 12 महीनों के दौरान कई आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में कुछ वृद्धि हुई है।

(घ) और (ङ) आवश्यक वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि होने से गरीबी की रेखा से नीचे के लोगों पर कुछ असर पड़ेगा। तथापि, खाद्यान्न, खाद्य तेल, चीनी और मिट्टी के तेल जैसी कुछ मुख्य आवश्यक वस्तुएं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, के माध्यम से वितरित की जाती है, जिसे मजबूत किया जा रहा है तथा जिसका विस्तार किया जा रहा है। बहुत-सी आवश्यक वस्तुएं उपभोक्ता सहकारी फुटकर बिक्री केन्द्रों के माध्यम से भी उचित मूल्यों पर बेची जाती हैं। ग्रामीण निर्धन लोगों को विभिन्न विशेष कार्यक्रमों के अंतर्गत सस्ती दरों पर खाद्यान्नों की सप्लाई प्राप्त हो रही है।

विवरण I

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

(आधार 197-071=100)

वस्तु	1985 जुलाई	अगस्त	सित०	अक्तू०	नव०	दिस०	1986 जन०	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई अ.	जून अ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चावल	290.1	298.1	300·5	295.5	289.4	275.4	274 6	275.5	280.7	286.3	290.9	295.2
गेहूं	217.9	224·6	223·9	226.5	228.6	231.4	232 8	244.9	249.4	233.9	222.0	225.9
ज्वार	234.2	236.9	238.5	241.8	237.7	246.4	251·0	248·2	254·6	253.7	257.0	252·8
बाजरा	249.0	249.8	269·7	286 0	279.0	288.1	295.3	301·1	308·3	312·1	304.5	289.6
चना	538.4	562.5	574.1	602 6	617·0	611.7	583 4	583.1	564.7	490.0	439.7	429 8
अरहर	287.6	296.5	298.2	324.9	326.2	315.7	311·9	315.6	320.2	310.1	327.4	352 0
मूंग	489.9	458.2	429.2	434.4	421·0	416.7	422.7	420.8	425·8	417.8	424.2	402·7
मसुर	415.9	447.5	465.3	499.4	499·4	476.0	489.7	504.4	482.3	446.3	463·8	487·7
उड़द	404·0	404.9	396.2	384.7	387.3	385.5	382.7	382·3	383·5	381·6	384·3	383·6
आलू	194.2	218·7	216.6	221·2	219·5	210 2	168·4	169 7	216·3	355·3	350·6	382.5
प्याज	287.5	282.7	294·1	335.5	427·5	374.6	364.8	344.8	293·9	236.5	205.3	210·5
दूध	284.4	281.3	283.6	285.8	283.7	283.8	280.1	283.2	287.5	289.4	294.5	289.1
मछली	546.2	545.7	525.3	492.7	465.0	490.2	499.4	511.6	529·0	580.0	594.9	577.0
गोश्त	488.5	492.9	506.7	511.5	528.4	525.9	529.1	533.5	534.6	550.0	562.1	564.6
लाल मिर्च	315.8	315.4	297.9	287.0	246.1	236.4	205.0	192.0	175.5	177.2	168.4	143.4
चाय	452.4	409.4	370.4	360.4	375.2	414.4	413.3	390.2	358.6	365.5	392.0	430.1
कोक	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	598.5	606.3	606.3	606.3	606.3	606.3
मिट्टी का तेल	382.7	382.7	382.7	382.7	382.7	382.7	382.7	403.5	410.4	410.4	410.4	410.4
आटा	207.1	182.5	200.1	213.4	214.4	222.7	222.9	232.5	232.1	235.9	234.4	233.8
चीनी	298.6	294.5	282.4	281.8	284.3	304.8	303.8	303.8	308.9	307.8	305.1	298.1
गुड़	487.7	500.8	493.1	509.7	455.7	407.4	419.4	412.6	410.6	414.2	440.2	483.4

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
वनस्पति	282.9	284.7	284.0	284.4	303.7	315.4	322.4	325.1	324.2	328.5	335.6	348.7
मूंगफली का तेल	309.6	311.[illegible]	300.8	306.3	307.8	322.5	325.2	316.6	316.4	321.8	342.3	364.6
सरसों का तेल	223.1	221.0	221.6	234.4	239.9	244.6	248.4	246.2	244.1	249.4	281.6	300.4
नारियल का तेल	285.5	263.0	251.0	255.3	246.7	243.7	237.2	238.9	250.9	282.3	310.5	298.6
नमक	242.0	241.5	241.6	241.2	238.8	240.7	239.0	233.9	236.4	235.1	235.5	236.1
कपड़ा धोने का साबुन	321.3	321.3	321.3	321.3	321.3	321.3	319.5	325.9	332.1	332.1	332.1	332.1
दियासलाई	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	139.0	129.0	129.0	129.0
सूती कपड़ा (मिल का)	269.7	270.5	270.6	270.6	270.6	270.6	271.9	271.9	271.5	271.4	271.8	271.8
सभी वस्तुएं	362.3	362.3	357.6	360.0	357.9	356.4	357.5	358.9	359.8	363.0	367.2	371.1

अ० = अनन्तिम

विवरण II

चुनी वस्तुओं के थोक मूल्य सूचकांक

वस्तु	1984						1985					
	जुलाई	अगस्त	सित०	अक्तू०	नव०	दिस०	जन०	फरवरी	मार्च	अप्रैल	मई	जून
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
चावल	282.0	282.7	279.6	273.6	270.2	261.3	265.3	266.8	267.4	272.5	277.7	283.5
गेहूं	207.8	209.3	207.8	208.1	211.2	210.4	216.2	214.5	212.6	209.7	208.6	210.7
ज्वार	247.9	247.1	247.3	246.4	243.6	239.1	241.2	232.8	230.6	233.6	228.6	230.2
बाजरा	213.4	213.7	208.0	205.4	212.8	214.5	220.2	219.7	221.8	225.3	225.8	236.3
चना	463.0	484.0	496.2	527.9	549.0	546.2	544.3	545.6	521.1	488.6	498.9	506.0
अरहर	355.7	356.7	357.3	363.0	351.9	333.7	305.1	284.5	283.4	289.0	289.7	272.1
मूंग	437.0	433.6	430.9	452.0	454.0	457.2	465.0	471.9	493.1	500.3	508.8	501.5
मसूर	376.7	404.7	425.3	452.2	474.5	471.7	454.7	374.9	354.6	379.9	387.2	389.5
उड़द	390.2	397.0	391.5	365.6	389.0	396.0	405.0	406.6	402.4	408.0	397.6	402.0
आलू	186.9	198.2	213.9	208.0	223.8	163.5	110.0	98.6	88.2	93.5	114.3	163.3
प्याज	346.0	327.0	299.1	347.7	406.7	302.9	226.7	253.3	282.5	262.3	252.4	275.3
दूध	267.6	271.8	270.2	269.6	269.1	266.4	264.8	265.1	265.9	274.3	281.2	280.9
मछली	462.6	475.6	451.8	443.3	429.3	440.3	474.2	406.3	490.8	438.7	445.7	494.9
गोश्त	413.9	414.8	410.3	415.8	420.5	448.7	463.0	468.3	469.5	469.5	471.3	483.8
लाल मिर्च	261.6	283.0	282.8	326.6	345.8	370.2	334.0	273.2	267.0	283.7	290.9	308.4
चाय	537.2	531.6	457.4	460.0	508.3	484.5	479.4	485.6	461.2	479.2	470.5	456.0
कोक	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2	575.2
मिट्टी का तेल	346.2	346.2	346.2	346.2	346.2	346.2	346.2	346.2	363.7	382.7	382.7	382.7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
आटा	223.5	212.4	209.6	202.8	202.8	204.5	210.6	214.8	216.2	218.6	212.5	212.5
चीनी	244.2	246.	240.9	242.4	242.4	246.7	246.0	240.7	245.6	268.0	270.3	280.3
गुड़	411.7	430.2	422.0	416.9	381.5	356.6	365.2	348.4	361.7	392.2	417.4	446.4
वनस्पति	277.4	276.9	276.6	277.9	278 6	278.6	278.6	276.5	280.2	287.7	287.4	285.3
मूंगफली का तेल	362.2	359.3	338.2	327.3	316.2	318.5	319.0	308.0	311.0	305.8	300.4	295.7
सरसों का तेल	292.2	292.2	282.6	274.0	274.7	262.9	248.2	236.0	240.5	233.6	231.2	224.3
नारियल का तेल	521.7	498.7	511.4	524.8	510.1	511.1	494.2	441.8	393.5	358.3	327.6	300.7
नमक	231.5	235.4	236.0	240.1	244.3	247.9	244.3	239.6	238.9	247.6	249.1	242.9
कपड़े धोने का साबुन	319.0	323.6	323.6	323.6	323.6	323.6	323.6	323.6	328.7	336.3	321.3	321.3
दिया-सलाइयां	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0	129.0
सूती कपड़ा (मिल का)	254.5	254.5	256.1	260.1	261.4	261.4	264.0	264.1	263.9	264.8	265.8	266.9
सभी वस्तुएं	342.8	346.3	342.4	343.1	341.3	338.0	340.1	339.2	342.5	350.5	353.7	357.5

12.00 मध्याह्न

[हिन्दी]

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : मैंने विशेषाधिकार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण मामला उठाया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हर एक पेपर को थोड़ा मैं पढ़ता रहूंगा।

(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : यह एक गम्भीर मामला है। **(व्यवधान)**

प्रो० मधु दंडवते : यह ऐसी बात है जिसके माध्यम से कुछ व्यक्तियों द्वारा प्रधान मन्त्री के पद की प्रतिष्ठा को कम किया जा रहा है। मैं आपको बताऊंगा··· **(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैंने अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने इसे पढ़ा है। समाचार पत्रों में कई बातें छपती रहती हैं।

[हिन्दी]

प्रेस के पीछे नहीं जा सकते।

[अनुवाद]

मैंने इसे पढ़ लिया है। मैंने इसे देखा है।

(व्यवधान)

श्री पी० कोलनवई वेलु (गोबिचेटिट् पाल्लयम) : महोदय, मैंने 'सन्ड मेल' के विरुद्ध विशेषाधिकार का नोटिस दिया है··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : आप इसे मुझे दे दीजिए। मैं पता लगा लूंगा।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं पता लगा लूंगा। आप रास्ते में क्यों खड़े हैं? यह तरीका नहीं है। मैं मामले की जांच करूंगा। मैं इस मामले का अध्ययन करूंगा। मैं यही कर सकता हूं।

(व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : मैं केवल कुछ जानकारी चाहता हूं। क्या आप बाद में इस मामले को जांच करेंगे? ··· **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। मैंने इसके लिए इन्कार कर दिया है। नहीं।

प्रो० मधु दण्डवते : किन्तु आप विशेषाधिकार प्रस्ताव को इस प्रकार अस्वीकार नहीं कर सकते ···**(व्यवधान)****

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : प्रो० साहब, मैं आपसे सहमत नहीं हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : इसके अनेक पूर्व उदाहरण मौजूद हैं··· **(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : नहीं, प्रोफेसर। आप जिद क्यों कर रहे हैं ? नहीं, महोदय।

प्रो० मधु दंडवते : हमें इसका कारण बताइए।

अध्यक्ष महोदय : कोई कारण नहीं, आप मेरे पास आइये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, अनुमति नहीं दी जाती। मैंने माननीय सदस्य को इस विषय पर कुछ भी बोलने की अनुमति नहीं दी है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, मैंने आपको अनुमति दी है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं। मैंने प्रो० को अनुमति नहीं दी है। मैंने सुरेश जी को अनुमति दी है।

प्रो० मधु दण्डवते : आप इस प्रकार हमारे नोटिस को अनदेखा नहीं कर सकते। आप यह कह सकते हैं कि "मैं इस पर विचार कर रहा हूं।"

अध्यक्ष महोदय : नहीं, महोदय। मैं ऐसा नहीं कहूंगा। मैं इसे देख चुका हूं। मैंने इस पर विचार कर लिया है और इसे अस्वीकृत कर दिया है। नहीं, महोदय।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैं चर्चा नहीं करना चाहता। यह मेरा विनिर्णय है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मैं इसे देख चुका हूं। समाचार पत्रों में कई खबरें छपती हैं। मैं इस पर ध्यान नहीं दूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : यही सही। मैं परवाह नहीं करता। नहीं, महोदय बिल्कुल अनुमति नहीं दी जाती। मैं संतुष्ट नहीं हूं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश कुरूप, क्या आप कुछ कहना चाहते हैं ?

श्री सुरेश कुरूप कोट्टायम : महोदय, बहुत गंभीर खबरें छपी हैं कि यूनियन कारबाईड अपना कृषि-प्रभाग बेच रहा है···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री सुरेश, आपको पहले ही सदन में सरकार द्वारा आश्वासन दिया जा चुका है। यदि यह आश्वासन पूरा नहीं होता तो हम इस मामले को उठायेंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसिरहाट) : यह आज के समाचार पत्र में है, महोदय। वे अपना कृषि प्रभाग बेच रहे हैं।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : गुप्त जी, आप तो बड़े समझदार आदमी हैं।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

हमें कल ही सदन में आश्वासन दिया गया है। ये लोग भी हैं। इनके भी आंखें और कान हैं। ये भी समाचार पत्र पढ़ते हैं। उन्हें सदन के प्रति उत्तरदायित्व निभाना होगा। मुझे नहीं। उन्होंने यह काम करना है।

श्री बसुदेव आचार्य : उन्हें एक वक्तव्य देना चाहिए।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जब समय आयेगा तो हम देख लेंगे।

[हिन्दी]

जब कोई चीज नहीं होगी तो उस को कंटेम्पलेट नहीं कर सकते।

[अनुवाद]

मैं ऐसा नहीं कर सकता।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम (गया) : अध्यक्ष महोदय, मैंने कालिंग एटेंशन दिया है।

अध्यक्ष महोदय : मैं देख लूंगा।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह ध्यानाकर्षण प्रस्ताव का समय नहीं है। कृपया न बोलें। अनुमति नहीं दी जाती।

[हिन्दी]

श्री राम स्वरूप राम : दिल्ली यूनिवर्सिटी में···

अध्यक्ष महोदय : मैं देखूंगा। आप आ कर मुझसे बात करें।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप राम जो कुछ कह रहे हैं, उसे रिकार्ड न किया जाये।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री बशीर आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है? आपकी क्या समस्या है?

श्री टी० बशीर (चिरायिंकिल) : महोदय, भारत-पाक सीमा में तनाव बढ़ रहा है··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे लिख कर दे दें।

श्री टी० बशीर : महोदय वहां पर अत्याधिक जमाव··· (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री बशीर, ऐसा कोई प्रश्न नहीं है। आप जानते हैं कि कुछ नियम है। ऐसा कोई नियम नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा। नहीं, नहीं। मैं अपनी बात पर अटल हूं।

(व्यवधान)

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री टी० बशीर : पाकिस्तान के प्रधान मन्त्री ने न्यूयार्क में कहा कि··· (व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : उसका कोई महत्व नहीं है। किसी ने भी ऐसा कहा हो, मुझे इससे कोई अंतर नहीं पड़ता। सदन के नियम महत्वपूर्ण हैं।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : नहीं अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मन्त्री महोदय, आपके सदस्य ठीक व्यवहार नहीं कर रहे।

(व्यवधान)

श्री सैफुद्दीन चौधरी (कटवा) : केन्द्र सरकार द्वारा एक गंभीर निर्णय लिया गया है जिससे सरकारी क्षेत्र को नुकसान होगा। वे एक परामर्शदायी फर्म को नुकसान पहुचायेंगे···

अध्यक्ष महोदय : आप लिख कर दें। मैं इसकी जांच करूंगा। मैं आपको आश्वासन देता हूं; मैं इसकी जांच करूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं दी जाती।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है कि मैं इसकी जांच करूंगा। जिद न करें, श्री चौधरी। यह बहुत खराब आदत है। मैं आपको आश्वासन देता हूं कि मैं इसकी जांच करूंगा।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कृपया इसकी जांच करें।

अध्यक्ष महोदय : यह अनावश्यक रूप से लम्बा चौड़ा भाषण दिए जा रहे हैं। मैंने वचन दिया है।

श्री सैफुद्दीन चौधरी : क्या आप इस पर चर्चा की अनुमति देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा है, मैं इस पर विचार करूंगा। मैं जानकारी प्राप्त करूंगा···

श्री सैफुद्दीन चौधरी : यह ठीक है। मुझे प्रसन्नता है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : श्री राम स्वरूप राम यदि आप ऐसे ही करते रहे तो मैं आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहूंगा।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : बैठ जाइये। कोई बात नहीं। ऐसे नहीं चलेगा कुछ भी कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मन्त्री महोदय, यदि ये ऐसे ही करते रहे तो मैं आपके सदस्य को सदन से बाहर जाने के लिए कहूंगा। यह बहुत बुरी बात है।

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : कोई बात नहीं। आपको नियमानुसार चलना होगा। ऐसे नहीं।

[हिन्दी]

आप आकर मिल सकते हैं। आप आकर बात कर सकते हैं।

(व्यवधान)**

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय : यह सही नहीं है । अनुमति नहीं दी जाती । अनुमति नहीं दी जाती । अब सभा पटल पर रखे गए पत्र । अब श्री अरुण सिंह ।

12.06 म० प०

सभा-पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

तटरक्षक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचना

रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग में राज्य मंत्री (श्री अरुण सिंह) : मैं तटरक्षक अधिनियम, 1978 की धारा 123 की उप धारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) तटरक्षक (विधि अधिकारी) भर्ती नियम, 1986, जो 14 जून, 1986 में भारत के राज पत्र में अधिसूचना संख्या क० नि० आ० 214 में प्रकाशित हुए थे ।

(2) तटरक्षक (सामान्य) नियम, 1986, जो 2 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का० नि० आ० 4 (अ) में प्रकाशित हुए थे ।

[ग्रन्थालय में रखे गए । देखिए संख्या एल० टी० 2771/86]

सीमा शुल्क अधिनियम तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियमों के अंतर्गत अधिसूचनाएं

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा-पटल पर रखता हूं :—

(1) सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 में धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 751 (अ) से 759 (अ) तक तथा एक व्याख्यात्मक [ज्ञापन, जो 13 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की पहली अनुसूची के अंतर्गत आने वाली वस्तुओं पर उपसंगी सीमा-शुल्क लगाने के बारे में है ।

(दो) सा० का० नि० 903 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 24 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 28 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 276/80 सी० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि विधिवत अनुमोदित कार्यक्रम के अंतर्गत कम दाम के फैब्रिक के निर्माण के लिए हथकरघा क्षेत्र को दिए जाने वाले पोलिएस्टर फाइबर पर अतिरिक्त सीमा-शुल्क से छूट दी जा सके ।

[ग्रन्थालय में रखी गयीं । देखिए संख्या एल० टी० 2772/86]

(2) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 1944 के अन्तर्गत जारी की गई निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिंदी तथा अंग्रेजी संस्करण) :

(एक) सा० का० नि० 738 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 8 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च 1986 की अधिसूचना संख्या 177/86 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि

उत्पाद शुल्क योग्य तैयार वस्तुओं पर मूल उत्पाद शुल्क के संदाय के लिए 1985 के बजट में कतिपय वस्तुओं पर मूल तथा विशेष उत्पाद शुल्कों के विलय के कारण उपयोग में न लाये जाने वाले विशेष उत्पाद शुल्क के उपयोग की अनुमति प्रदान की जा सके।

(दो) सा० का० नि० 795 (अ), तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 21 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो 30.5 सेंटीमीटर से अधिक चौड़ाई के सकरे बुने हुए मानव निर्मित फैब्रिक को उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(तीन) सा० का० नि० 796 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 21 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 30 अप्रैल, 1975 की अधिसूचना संख्या 109/75 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि प्रारम्भिक पैरा में, "अध्याय 58" के स्थान पर "अध्याय 54 या 55 या उप-शीर्ष संख्या 5901.20 या 6001.12" प्रतिस्थापित किये जा सकें।

(चार) सा० का० नि० 799 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और दोहरी या अधिक लपेटों में सूत को उस पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पांच) सा० का० नि० 800 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो माइक्रो सेललर रबर की प्लेटों, ब्लाकों, शीटों और स्टिपों को, (लेटेक्स स्पाउज की प्लेटों, ब्लाकों शीटों और स्टिपों को छोड़कर) उन पर उद्ग्रहणीय समस्त उत्पाद शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(छः) सा० का० नि० 801 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 22 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो पालिप्रोपलीय स्टेपल फाइबर और सूक्ष्म तन्तु तथा तन्तु गुच्छों को उन पर उद्ग्रहणीय उत्पाद शुल्क के उतने भाग से छूट देने के बारे में है जितना पांच रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर संगणित रकम से अधिक है।

(सात) सा० का० नि० 811 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन जो 27 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 2 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 21/86 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि वातित जल के विनिर्माण में उत्पादन के कारखाने के अन्दर ही इस्तेमाल किये गये सुरुचिक सत्तों और सांद्रों पर छूट दी जा सके।

(आठ) सा० का० नि० 812 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा बाहर से लाये गये सुरुचित सत्तों और सान्द्रों तथा उन्हें वातित जल के निर्माण में इस्तेमाल किये जाने पर, उन पर संदत्त उत्पाद शुल्क का मुजरा करने के लिये अनुमति प्रदान की गई है।

(नो) सा० का० नि० 813 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो विनिर्दिष्ट पुर्जों तथा सहायक सामान के विद्युत चालित हलों के विनिर्माण में मूल उपकरण के रूप में प्रयुक्त किये जाने पर छूट देने के बारे में है।

(दस) सा० का० नि० 814 (अ), जो 27 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जो टायरों, ट्यूबों और फ्लेपों को जब उन का उपयोग विद्युत चालित हलों के विनिर्माण में मूल उपकरण के रूप में किया जाए, छूट देने के बारे में है।

(ग्यारह) सा० का० नि० 815 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 10 फरवरी, 1986 की अधिसूचना संख्या 65/86 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि इंटरनल कम्बशजन इंजनों के विद्युत चालित हलों के विनिर्माण में मूल उपकरण के रूप में उपयोग किये जाने पर छूट देने के बारे में है।

(बारह) सा० का० नि० 816 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 27 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा जिनके द्वारा 1 मार्च, 1984 की अधिसूचना संख्या 75/84-के० उ० शु० और 3 अप्रैल, 1986 की अधिसूचना संख्या 225/86-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि वित्त विधेयक, 1986 के अधिनियमित, हो जाने के परिणामस्वरूप इन अधिसूचनाओं में कतिपय परिवर्तन किये जा सकें।

(तेरह) सा० का० नि० 825 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 2 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो एक हजार घन सेंटीमीटर से अनधिक इंजन की क्षमता वाले पैट्रोल चालित ईंधन मितव्ययी वाहनों अर्थात् मोटरकारों, वाहनों, और क्रास कंट्री मोटर वाहनों पर उद्ग्रहणीय मूल्यानुसार 25 प्रतिशत की सामान्य शुल्क की दर के स्थान पर मूल्यानुसार 20 प्रतिशत की केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की एक रियायती दर पर छूट के बारे में है।

(चौदह) सा० का० नि० 850 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 11 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जो प्लास्टिक की स्वत: आसंजक टेपों को मूल्यानुसार 25 प्रतिशत से अधिक उत्पाद-शुल्क से छूट देने के बारे में है।

(पन्द्रह) सा० का० नि० 883 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 18 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या-70/77-के० उ० शु० में संशोधन किया गया है ताकि भारतीय नौसेना के जलयान में उपयोग के लिये दी गई सिगरेटों के सम्बन्ध में केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क को छूट को वापिस लिया जा सके।

(सोलह) सा० का० नि० 884 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो हुत 18 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 1 मार्च, 1986 की अधिसूचना संख्या 187/86 के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि पहले परन्तुक में "अध्याय 54 अथवा 55" में आने वाले शब्दों और अंकों के स्थान पर "अध्याय 39 अथवा 54 अथवा 55" शब्द और अंक प्रतिस्थापित किये जा सकें।

(सत्रह) सा० का० नि० 885 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 18 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 16 नवम्बर, 1968 की अधिसूचना संख्या 192/68-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि प्रारम्भिक पैरा में उल्लिखित "उपशीर्ष संख्या 4009.92" के स्थान पर "उपशीर्ष सं० 4009" प्रतिस्थापित किया जा सके।

(अठारह) सा० का० नि० 900 (अ) और 901 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 24 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा मशीन से रोल की गई सिगरेटों के विनिर्माण में प्रयोग किये जाने वाले कट तम्बाकू।"

(उन्नीस) सा० का० नि० 904 (अ) तथा एक व्याख्यात्मक ज्ञापन, जो 24 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे और जिनके द्वारा 28 अगस्त, 1985 की अधिसूचना संख्या 191/85-के० उ० शु० में कतिपय संशोधन किया गया है ताकि यथा स्वीकृत कार्यक्रम के अधीन कम कीमत के फैब्रिक के निर्माण के लिये हथकरघा उद्योग को दिये जाने वाले पोलिएस्टर फाइबर को उत्पाद-शुल्क की छूट दी जा सके।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2773/86]

इलैक्ट्रानिक उद्योग के लिये अपट्रोन को जारी की गई अनुज्ञप्तियों के बारे में अतारांकित प्रश्न संख्या 3464 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास, परमाणु ऊर्जा, इलैक्ट्रानिकी और अन्तरिक्ष विभागों में राज्य मंत्री (श्री शिवराज वी० पाटिल) : मैं इलैक्ट्रानिक उद्योग हेतु अपट्रोन को जारी की गई अनुज्ञप्तियों के बारे में श्री हरीश रावत के अतारांकित प्रश्न संख्या 3464 के 19 मार्च, 1986 को दिये गये उत्तर में (एक) (दो) उत्तर में शुद्धि करने में हुए विलम्ब के कारणों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी अथवा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रन्थालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी० 2774/86]

प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम और अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अधीन अधिसूचनायें

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में उप मंत्री (श्री बीरेन सिंह एंगती) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं :

(1) प्रशासनिक अधिकरण अधिनियम, 1985 की धारा 37 की उप-धारा (1) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :—

(एक) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन और भत्ते तथा सेवा की शर्तें) नियम, 1986, जो 4 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 935 (अ) में प्रकाशित हुए थे ;

(दो) उड़ीसा प्रशासनिक अधिकरण (प्रक्रिया) नियम, 1986, जो 4 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि 936 (अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। संख्या देखिए एल० टी० 2775/86]

(2) अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 की धारा 3 की उप-धारा (2) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) :-

(एक) भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) पांचवां संशोधन नियम, 1986, जो 31 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 378 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) भारतीय पुलिस सेवा (काडर संख्या का नियतन) दूसरा संशोधन विनियम, 1986, जो 31 मई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 380 में प्रकाशित हुए थे।

(तीन) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) दूसरा संशोधन नियम, 1986 जो 7 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 408 में प्रकाशित हुए थे।

(चार) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) संशोधन नियम, 1986 जो 7 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 409 में प्रकाशित हुए थे।

(पांच) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) संशोधन नियम, 1986 जो 7 जून 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 411 में प्रकाशित हुए थे।

(छः) भारतीय प्रशासनिक सेवा (काडर संख्या का नियतन) छठा संशोधन विनियम, 1986, जो 7 जून, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 412 में प्रकाशित हुए थे।

(सात) भारतीय पुलिस सेवा (वेतन) तीसरा संशोधन नियम, 1986 जो 28 जून 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 480 में प्रकाशित हुए थे।

(आठ) अखिल भारतीय सेवा (अध्ययन छुट्टी) संशोधन विनियम, 1986 जो 5 जुलाई, 1986 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा० का० नि० 496 में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रन्थालय में रखी गई। संख्या देखिये एल० टी० 2776/86]

12.08 म० प०

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : महोदय, मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्न संदेश की सूचना सभा को देनी है :—

"राज्य सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमों के नियम iii के उपबंधों के अनुसरण में मुझे राज्य सभा द्वारा 22 जुलाई 1986 को हुई अपनी बैठक में पारित भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक, 1986 की एक प्रति संलग्न करने का निदेश हुआ है।"

भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक

(राज्य सभा द्वारा पारित रूप में)

[अनुवाद]

महासचिव : श्रीमान, मैं, राज्य सभा द्वारा पारित रूप में, भारतीय विद्युत (संशोधन) विधेयक, 1986 सभा-पटल पर रखता हूं।

12.09 म. प.

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति

बीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री एम० तम्बि दुराई (धर्मपुरी) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का बीसवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यगण, आप सदन में जो कुछ भी कहना चाहते हैं वह आप कह सकते हैं लेकिन उनकी उपयुक्त पूर्व सूचना दी जानी चाहिए। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव तथा अन्य बातें जिन्हें आप सदन में उठाना चाहते है; उन सब का उत्तर मैं सदन में नहीं दे सकता और न ही इसकी आशा की जानी चाहिए लेकिन मैं आपको आश्वासन दे सकता हूं···

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) खड़े हुए—

अध्यक्ष महोदय : नहीं, मेरे साथ इस प्रकार चर्चा न करें। आपका स्वागत है, मैं ऐसी चर्चा करने के लिए मना नहीं करूंगा जो कि लाभप्रद है। और कोई प्रश्न ही नहीं उठता। लेकिन आप इसे इस तरह क्यों करना चाहते हैं। आप मेरे पास आकर मुझे क्यों नहीं बताते ?

(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : अनुमति नहीं है। मैं आपको सदन से बाहर जाने के लिए कहूंगा। आप अपने अधिकारों तथा स्थिति का दुरूपयोग न करिए। आप पहले नियमों को पढ़िये फिर मेरे पास आइये। यह आप गलत काम कर रहे हैं। अब हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लेंगे।

12.09 म० प०

अविलम्बनीय लोक महत्त्व के विषय की ओर ध्यानाकर्षण

देश के विभिन्न भागों में बिजली की भारी कमी

[अनुवाद]

श्री अंनुल बशर (गाजीपुर) : मैं ऊर्जा मंत्री जी का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और उनसे अनुरोध करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें :—

"देश के विभिन्न भागों में बिजली की भारी कमी और सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में की गई कार्यवाही।"

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : राजस्थान में पानी नहीं बरसा, वहां अकाल पड़ा हुआ···

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपको चर्चा का हक है···।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल व्यास : भयंकर अकाल है।

अध्यक्ष महोदय : अगर है तो आप आकर के मुझ से मिलिये। क्यों नहीं मिलते ?

श्री गिरधारी लाल व्यास : आपको हम देते हैं ···

अध्यक्ष महोदय : आप दीजिये, आपको रोका किसने है। आपको किसी ने रोका नहीं है। यह कोई तरीका थोड़े ही है घांघली मचाने का।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आपकी सारी बात है लेकिन यह कोई तरीका नहीं है। आप मुझ से मिलने आइये, मैं आपकी सारी बात सुनूंगा, ध्यान से सुनूंगा और जो इम्पार्टेंट होगा उसकी बिल्कुल इजाजत दूंगा, अलाऊ करूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : हम इस सिलसिले में नहीं आयेंगे, यहीं कहेंगे।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां नहीं सुनूंगा।

श्री गिरधारी लाल व्यास : यह हाऊस है। हमको यहीं कहना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : मैं यहां नहीं सुनूंगा। ये रूल्स है। ये रूल्स आपने बनाये हैं,

[अनुवाद]

मैंने नहीं बनाये हैं।

मैंने वे नहीं बनाये है। वे आपने बनाये हैं।

[हिंदी]

श्री बुद्धि चन्द्र जैन (बाड़मेर) : हम आपसे मिलेंगे। (व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप तोड़ दीजिए इन्हें, आप कहेंगे तो मैं तोड़ दूंगा। लेकिन यह कोई तरीका नहीं है।

(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप आकर बात कीजिये। जो बात इम्पार्टेंट होगी, उसको मैं मानूंगा, उसको मैं उठाने के लिए अलाऊ करूंगा, बिल्कुल करूंगा।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : सभा की प्रतिष्ठा का प्रश्न है। प्रधान मंत्री कार्यालय की प्रतिष्ठा है। आप हमसे इतना नाराज हो जाते हैं कि आपके साथ बहस करना सम्भव नहीं है···।

अध्यक्ष महोदय : नाराज होने का प्रश्न ही नहीं है। जो सही होता है, मैं करता हूं। परन्तु जब मैंने इस विषय का अध्ययन किया है, मैं इसको अनुमति नहीं दे सकता।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु आपका सन्देह दूर करने के लिए आप हमें अपने कक्ष आने की अनुमति भी नहीं देते।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपके कक्ष में आने के बहुत इच्छुक नहीं हैं; परन्तु आप नहीं

अध्यक्ष महोदय : यह मेरा कक्ष नहीं है। कौन कहता है यह मेरा कक्ष है ?

प्रो० मधु दण्डवते : स्वाभाविक है। वह आपका कक्ष है। यह हमारा कक्ष है।

अध्यक्ष महोदय : वह आपका कक्ष है। मैं आपका सेवक हूं। मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं।

प्रो० मधु दण्डवते : हम आपको इस कक्ष में इस बात की व्याख्या करने के लिए आमंत्रित करेंगे कि···

अध्यक्ष महोदय : मैं आपकी आज्ञा का पालन करता हूं मैं आपके निर्देशों का पालन करता हूं, मैं आपके नियमों का पालन करता हूं।

प्रो० मधु दंडवते : कोई भी प्रक्रिया सम्बन्धी मामले उठाना बहुत मुश्किल है। आप हम पर इतनी जोर से चिल्लाते हैं कि हम अपने को दोषी महसूस करते हैं जैसा कि हम कोई पाप या अपराध कर रहे हैं।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : अब आप देखिये वे क्या कर रहे हैं। **(व्यवधान)**

श्री गिरधारी लाल व्यास : दण्डवते जी आपका गला बैठ जायेगा।

प्रो० मधु दण्डवते : मेरा गला नहीं बैठेगा, जिन्दगी भर ऐसा ही रहेगा। **(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय : जो आप कह रहे हैं, वह सब हो जायेगा।

(व्यवधान)

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, देश में विद्युत की कमी के बारे में जितनी चिन्ता माननीय सदस्यों को है, उतनी ही चिन्ता मुझे भी है। विद्युत की वर्तमान कमी मुख्य रूप से विद्युत उत्पादन की तुलना में विद्युत की मांग बढ़ जाने तथा जलाशयों में जल का स्तर कम होने के कारण जल-विद्युत का उत्पादन कम होना है। इसके साथ ही देश के कई भागों में मानसून विलम्ब से आने और मानसून कमजोर रहने की स्थिति के कारण कृषि क्षेत्र में विद्युत की मांग में वृद्धि हुई है।

2. महोदय, मैं सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि विद्युत की उपलब्धता में वृद्धि करने के लिए हर सम्भव उपाय किए जा रहे हैं। सातवीं योजना में 22,245 मेगावाट अतिरिक्त विद्युत उत्पादन क्षमता चालू किए जाने की संकल्पना की गई है। वर्ष 1985-86 में 4,223 मेगा-वाट क्षमता की वृद्धि की गई है जो कि किसी भी वर्ष में की गई वृद्धि में सबसे अधिक है। वर्ष 1985-86 में 170 बिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन हुआ था जो कि वर्ष 1984-85 के विद्युत उत्पादन से 8.6% अधिक था तथा विद्युत उत्पादन का लक्ष्य भी पूरा कर लिया गया था।

3. हमारी कुल स्थापित क्षमता में ताप विद्युत का भाग लगभग 64% है। इसलिए विद्युत की उपलब्धता काफी हद तक ताप-विद्युत केन्द्रों के निष्पादन पर निर्भर करती है। वर्ष 1985-86 के दौरान ताप-विद्युत केन्द्रों का संयंत्र भार अनुपात 52.1% तक पहुंच गया था, जबकि इसकी तुलना में वर्ष 1984-85 में यह 50.1% था। संयंत्र भार अनुपात में आगे और सुधार करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 500 करोड़ रुपए के केन्द्र के हिस्से से केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नवीकरण और आधुनिकीकरण कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है।

4. चालू वर्ष में अप्रैल से जून तक के दौरान विद्युत उत्पादन पिछले वर्ष की इसी अवधि के दौरान हुए विद्युत उत्पादन से 10.4% अधिक है। तथापि, उत्तर प्रदेश, केरल, कर्नाटक, तमिल नाडु, बिहार और उड़ीसा जैसे राज्यों को चालू वर्ष में अप्रैल से जून तक के दौरान 10% से अधिक विद्युत की कमी का सामना करना पड़ा है। इनमें से अधिकतर राज्य काफी हद तक अथवा पूर्ण रूप से जल-विद्युत उत्पादन पर निर्भर हैं ? केरल में, जहां केवल जल-विद्युत उत्पादन होता है, जून के मध्य तक विद्युत सप्लाई की स्थिति संतोषजनक थी, परन्तु मानसून की असंतोषजनक स्थिति के कारण राज्य को विद्युत कटौतियां तथा प्रतिबन्ध लागू करने पड़े, जिनके बारे में मैंने पहले उल्लेख किया है। कमी वाले क्षेत्रों को पड़ौसी प्रणालियों से यथासंभव सहायता की व्यवस्था की जा रही है। इसके साथ-साथ क्रमबद्ध प्राथमिकताओं की पद्धति को अपनाते हुए मांग प्रबंध संबंधी उपाय भी किए जा रहे हैं। ऐसा करते हुए, कृषि क्षेत्र को उच्च प्राथमिकता दी जा रही है और इस क्षेत्र की न्यूनतम मांग को पूरा किया जा रहा है।

5. केन्द्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन, कार्य-कुशलता की दृष्टि से काफी अच्छा रहा है और 1986-87 की प्रथम तिमाही के दौरान इनका संयंत्र भार अनुपात 66.5% था। इससे विद्युत की कमी को पूरा करने में तथा राज्यों में मांग की प्रबंध-व्यवस्था करने में सहायता मिली है। विद्युत उत्पादन में केन्द्र के हिस्से में वृद्धि किए जाने से विद्युत सप्लाई के स्थायित्व में आगे और सुधार होने की संभावना है।

6. माननीय सदस्य इस बात से सहमत होंगे कि कुल मिलाकर विद्युत की उपलब्धता में पर्याप्त सुधार हुआ है। तथापि, कुछ राज्य अभी भी विद्युत की कमी का सामना कर रहे हैं, जिसका मुख्य कारण उनके अपने ताप विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन घटिया होना है तथा जल-विद्युत उत्पादन कम होना है। मैं माननीय सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि राज्यों को उनकी विद्युत संबंधी आवश्यकताओं को यथासंभव अधिक से अधिक पूरा करने के लिए हर प्रकार से सहायता करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी।

[हिंदी]

सभा में देर से आने के लिए मैं क्षमा मांगता हूं।

श्री जैनुल बशर : आदरणीय अध्यक्ष जी, मैं माननीय मंत्री जी से इस बात पर सहमत हूं और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि केंद्रीय क्षेत्र के विद्युत केन्द्रों का कार्य-निष्पादन और कार्य-कुशलता काफी अच्छा रहा है। अगर केन्द्रीय विद्युत केन्द्रों की कार्य कुशलता अच्छी न हुई होती तो ये बिजली की जो गम्भीर समस्या देश के विभिन्न राज्यों में उत्पन्न हो गई है, वह और भी गम्भीर हो सकती है। जहां तक केन्द्र के विद्युत केन्द्रों की कार्य-कुशलता का सवाल है, उसके बारे में तो मैं उनकी तारीफ ही करना चाहता हूं। लेकिन आज बिजली की गम्भीर समस्या के लिए राज्यों के विद्युत परिषद् अधिक जिम्मेदार हैं। दो-एक राज्यों को छोड़कर देश के सभी राज्यों में विद्युत परिषदों की कार्यकुशलता ठीक नहीं रही है और उनमें लापरवाही, काम न करने की शिकायत, भ्रष्टाचार और राजनैतिक गतिविधियां पिछले कई वर्षों से इस माननीय सदन में भी उठाई गई है और इसके बाहर भी उठाई गई हैं।

अध्यक्ष महोदय : आपके पास दस मिनट का समय है।

श्री जैनुल बशर : उससे ज्यादा नहीं लूंगा। इतने दिनों के बाद कम से कम तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि राज्यों के विद्युत परिषदों को सुधार पाना बहुत ही कठिन होगा। इसी

बात को ध्यान में रखते हुए राज्याध्यक्ष समिति ने यह सिफारिश की थी कि पावर जनरेशन को और पावर डिस्ट्रीब्यूशन को केन्द्रीय सैक्टर में संघीय सूची में संविधान की, शामिल कर लिया जाए। इस पावर के जनरेशन में और पावर के डिस्ट्रीब्यूशन में आसानी होगी। अगर पावर के डिस्ट्रीब्यूशन को शामिल न किया जाए, राज्यों को छोड़ दिया जाए तो भी कम से कम पावर जनरेशन को जरूर संविधान की संघीय सूची में शामिल कर लिया जाए। इसके अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। कई बार ऊर्जा मंत्रियों ने इस सदन में आश्वासन दिया कि इस सम्बन्ध में राज्य सरकारों से बातचीत हो रही है और बात-चीत के बाद इस मामले में कोई रास्ता निकाला जायेगा। मैं यह जानना चाहता हूं कि 1980-81 और 82 के बीच इस मामले में जो केन्द्र सरकार का प्रयत्न था, क्या उसमें कोई ढिलाई आ गई है, उसको आगे बढ़ाने से केन्द्र सरकार क्या स्वयं कतरा रही है और इस मामले में राज्य सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है, और इस मामले में केन्द्र सरकार आगे क्या कार्यवाही करने जा रही है।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस बात की तरफ दिलाना चाहता हूं कि हमारी जो पावर है उसमें हाइड्रो इलेक्ट्रिक का शेयर कम होता जा रहा है, हमारा ज्यादातर ध्यान थर्मल पावर की तरफ जा रहा है। जबकि हाईड्रो इलेक्ट्रिक पावर बनाना ज्यादा आसान और सस्ता होता है। बहुत-सी नदियां जो पहाड़ों से या ऊंचाई से नीचे गिरती हैं वहां पर छोटे-छोटे हाईड्रो इलेक्ट्रिक स्टेशन बनाये जा सकते हैं। बहुत-सी बड़ी-बड़ी हाइड्रो इलेक्ट्रिक की योजनायें अन्तर्राज्यीय विवाद के कारण खटाई में पड़ी हुई है। बहुत-सी ऐसी हैं जिनमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने वाली नहरों के बारे में विवाद चल रहा है और इससे बड़े-बड़े हाइड्रो-इलेक्ट्रिक स्टेशन नहीं बन पा रहे हैं इसलिए वहां छोटे-छोटे स्टेशन बनाये जा सकते हैं जो कि सस्ते पड़ते हैं। कम से कम क्षेत्रीय आवश्यकताओं के लिए भी वहां से बिजली सप्लाई की जा सकती है। मैं मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इस मामले में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के व्यापक रूप से स्रोत का खनन करने के लिए सरकार क्या कर रही है।

तीसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारी राज्य सरकारों के बिजली के डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन लासेज कहीं-कहीं पर 40 पर्सेंट से भी अधिक है और सरकार खुद यह जानती है कि इसका एवरेज 20 से 30 पर्सेंट आता है। यह ट्रांसमिशन लासेज बहुत से कारणों से होते हैं, कभी-कभी टेक्नीकल गड़बड़ी या ट्रांसफारमर की गड़बड़ी के कारण भी होते हैं। बिजली की चोरी से भी बहुत लासेज होते हैं, लेकिन इस चोरी को रोकने के लिए कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया। हालांकि बहुत-सी राज्य सरकारों ने कानून में यह व्यवस्था कर रखी है कि बिजली की चोरी करने वालों को भी उसी प्रकार से सजा दी जायेगी जिस प्रकार से अन्य चीजों की चोरी करने वालों को दी जाती है। लेकिन इस मामले में छोटे-छोटे किसान, उपभोक्ता जो मामूली चोरी करते हैं उनको पकड़ लिया जाता है और बड़े-बड़े उद्योगों के लिए जो चोरी करते हैं उनको नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि वह बिजली बोर्ड के अधिकारियों से मिलकर ऐसी चोरी करते हैं और व्यापक चोरी करते हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे चोरों को पकड़ने के लिए, उनको सजा दिलाने के लिये और जहां ट्रांसमिशन लासेज अधिक हैं उसको कम करने के लिए वह क्या कार्यवाही कर रही है।

एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि हमारी जो नई इंडस्ट्रीज लग रही हैं चाहे वह प्राइवेट सेक्टर में हों, चाहे जाइंट सेक्टर में हों, चाहे वह हमारे पब्लिक सेक्टर में हों इनको

पावर की बहुत आवश्यकता है। आजकल बिना पावर के कोई भी छोटी बड़ी इंडस्ट्री नहीं चल सकती। क्या सरकार इस बारे में कोई कदम उठा रही है कि जो भी नये उद्योग लगाये जायें वह उद्योग स्वयं के केपटिव पावर प्लांट लगायें ताकि वह स्वयं बिजली ले सकें। इसलिए क्या सरकार इस प्रकार का कोई प्रावधान कर रही हैं कि वह उद्योग अपने खुद के केपटिव पावर प्लांट लगायें। इसके साथ ही क्या सरकार इस बारे में भी सोच रही है कि जाइंट सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर में भी बिजली पैदा करने के लिए केपटिव पावर प्लांट लगाये जाने की कोई योजना विचाराधीन है और क्या जाइंट सेक्टर में या प्राइवेट सेक्टर में केपटिव पावर प्लांट लगाये जाने वालों को सरकार प्रोत्साहन और सहायता देगी।

12·25 म०प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

[अनुवाद]

श्री थम्पन थामस (मवेलिकरा) : उपाध्यक्ष महोदय, पूरे देश में विद्युत की कमी है। सैकड़ों कारखाने बन्द हो गये हैं, लाखों श्रमिकों की छंटनी हो गई है, लाखों कार्य दिवसों की हानि हुई है और करोड़ों रुपये मूल्य के कुल राष्ट्रीय उत्पादन की हानि हुई है। मैं केवल मन्त्री महोदय का ध्यान समाचार पत्रों में छपी विभिन्न खबरों की ओर दिलाना चाहता हूं जो समाचार पत्रों में इन शीर्षकों के साथ छपी थीं—

"उत्तरी भारत में ब्लैक आऊट"—यह खबर हिन्दुस्तान टाइम्स के हाल ही के संस्करण में छपी है।

"विद्युत एवं खनन क्षेत्रों द्वारा औद्योगिक विकास मन्दा"
"दिल्ली विद्युत नेटवर्क में खराबी"
"विद्युत संकट के कारण फरीदाबाद के उद्योग प्रभावित"
"बिजली में कटौती के कारण गाजियाबाद प्रभावित"
"अनेक राज्य विद्युत संकट ग्रस्त"
"उत्तर में घोर विद्युत संकट"
"अनेक राज्य विद्युत संकट से ग्रस्त"
"राजस्थान में गम्भीर विद्युत संकट"

···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : नहीं, नहीं, आपको यह सब पढ़ कर सुनाने की जरूरत नहीं है···

(व्यवधान)

श्री थम्पन थामस : ये महत्वपूर्ण बातें हैं जो समाचार पत्रों में आई हैं और मन्त्री महोदय तथा राज्य सरकारें कहां सो रही हैं···(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछ सकते हैं···

(व्यवधान)

श्री थम्पन थामस : महोदय, मैं इस समस्या की विकटता बताने की कोशिश कर रहा हूं–
"दिल्ली में लोगों के लिए बिजली की कटौती"
"नगर में बिजली की भारी कटौतियों से परेशानी"

"कर्नाटक, उड़ीसा, पूर्वीक्षेत्र में आने वाले दिनों में बिजली की कमी की संभावना"
"अब तक के सबसे बड़े बिजली संकट के कारण केरल उद्योग बुरी तरह प्रभावित"
"कलकत्ता और उसके उपनगरों में बिजली की भारी कटौती"
"पंजाब में बिजली की सप्लाई अनियमित"
"केरल में बिजली सप्लाई की स्थिति संकट पूर्ण"..... (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : ये सब बातें कहते रहने में कोई सार नहीं है, मन्त्री महोदय से आप जो कुछ जानना चाहते हैं, आप प्रश्न पूछिए। यह बात सब जानते हैं और यही कारण है कि हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा कर रहे हैं। पढ़ कर सुनाने में समय नष्ट मत कीजिये।

श्री थम्पन थामस : मैं इस बात पर ध्यान दिलाना चाहता हूं कि विभिन्न राज्यों और केन्द्र सरकार का सुस्त रवैया इस देश के उत्पादन में बाधा डाल रहा है। उर्जा के मामले में भारतीय नागरिक की खपत, विश्व के प्रति व्यक्ति खपत का दसवां हिस्सा है। ऊर्जा खपत के विषय में औसत अन्तर्राष्ट्रीय खपत, स्तर से बहुत पीछे हैं। इसके बावजूद कारखाने, मिलें और अन्य क्षेत्र बिजली की कमी के कारण बन्द कर दिये गये हैं। हाल ही में दो दिन पूर्व प्रधान मन्त्री महोदय इस बात का जिक्र कर रहे थे कि श्रमिक संघों के नेता अपनी बात मनवाने के लिए समाज में गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या ये मन्त्री महोदय इस देश के उत्पादन की हानि उठाकर ऐसा ही कर रहे हैं और क्या सरकार को इन सब बातों की जानकारी है।

मेरा राज्य केरल घोर संकट का सामना कर रहा है। वहां सौ प्रतिशत विद्युत कटौती है। कारखानों को बन्द करने की वजह से सभी श्रमिकों की छंटनी हो गई है। वहां कोई कारखाना चालू नहीं है। और उत्पादन हानि कितनी है? प्रतिदिन उत्पादन हानि 2 करोड़ रुपये है और आने वाले समय में मेरा राज्य घोर वित्तीय स्थिति का सामना करने जा रहा है। इसके क्या कारण हैं? यह उन लोगों की अदूरदर्शिता के कारण है जिन्होंने ऐसे क्षेत्रों में जहां पानी नहीं मिल सकता उन जलविद्युत परियोजनाओं से विद्युत पैदा करने की योजना बनाई। वृक्षों की कटाई के करणा पानी का स्तर नहीं बढ़ रहा है और विद्युत की घोर कमी हो गई है। अब जिस बात की घोषणा की गई है वह यह है कि समस्त केरल में विद्युत की कटौती की जायेगी। केरल वह राज्य है जो पड़ौसी राज्यों को विद्युत दे रहा था। अतः मैं केन्द्र सरकार से निवेदन करता हूं कि केरल को विद्युत प्रदान करना उनका कर्त्तव्य है। ऊर्जा और ऊर्जा स्रोत राष्ट्रीय सम्पत्ति है और राज्य के मन्त्रियों और मन्त्रालयों को उनके साथ मनमानी करने की अनुमति नही दी जानी चाहिए। इसलिए, मैं प्रस्ताव करता हूं कि बिजली की कमी के कारण किसी भी कराखाने को बन्द नहीं किया जाना चाहिए, अतः केन्द्र सरकार को हस्तक्षेप करना चाहिए और कारखानों को बिजली प्रदान करनी चाहिए।

जहां तक केरल का सम्बन्ध है, विद्युत समझौते के अनुसार कलपक्कम और रामगुण्डम से हम 450 लाख यूनिट विद्युत लेने के अधिकारी हैं परन्तु हमें उतनी मात्रा नहीं मिल रही है। अतः मेरा सुझाव है कि केरल को इस नाजुक स्थिति से बचाने के लिए, कलपक्कम और रामागुण्डम परियोजनाओं से केरल को विद्युत सप्लाई की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार को लेनी चाहिए। सभी खर्चे केन्द्र सरकार द्वारा वहन किये जाने चाहियें और कारखानों को चलाने के लिए केरल को विद्युत सप्लाई की जानी चाहिए।

हम अपनी जल विद्युत परियोजनाओं से 3000 मे०वा० विद्युत पैदा कर सकते हैं। अब तक हमने केवल 1000 मे०वा० क्षमता तक का ही उपयोग किया है और बाकी पानी अरब सागर में जा रहा है। यदि केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करती है तो उसको भी उपयोग में लाया जा सकता है। पिछले दस वर्षों में केरल में एक भी जल विद्युत परियोजना की स्वीकृति नहीं दी गई है। अन्तिम जल विद्युत परियोजना को दस वर्ष पूर्व स्वीकृति दी गई थी। आज तक कोई परियोजना नहीं शुरू हुई है। मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करता हूं के आगे आयें और नींद से जागें तथा श्रमिकों एवं कारखानों की यथाशीघ्र सहायता करें।

श्री टी० बशीर (चिरायिंकल) : मैं जानता हूं कि मुझे दिया गया समय सीमित है। इसलिए मैं विशेषतौर पर मेरे राज्य केरल के सम्बन्ध में बोलूंगा।

केरल पूर्ण रूप से जल विद्युत प्रणाली पर निर्भर करता है। दक्षिण पश्चिम मानसून शुरू होने में देरी के कारण केरल के जलाशयों की स्थिति संकट पूर्ण हो गई है। यद्यपि मौसम विभाग की भविष्यवाणी यह थी कि मानसून मई के अन्तिम सप्ताह में शुरू हो जायेंगी, जलाशयों के आवाह क्षेत्र में अभी तक कोई विशेष वर्षा नहीं हुई है। इस स्थिति में विद्युत स्थिति बदतर हो गई है। राज्य घोर विद्युत कमी का सामना कर रहा है। विद्युत कटौती 13/6/86 से लागू कर दी गई थी।

'हाई टेंशन' और 'एम्ट्रा टेंशन' उपभोक्ताओं के मामले में लगभग 100% विद्युत कटौती की गई है। विद्युत कटौती के मामले में किसी भी कारखाने को नही छोड़ा गया है। विद्युत कटौती के द्वारा हुई उद्योगों की हानि का अनुमान 146 करोड़ रुपये लगाया गया है। यह हानि 15/7/86 तक है। 9 राज्य सरकारों के उपक्रमों और एक केन्द्र सरकार के उपक्रमों को बन्द कर दिया गया है।

केरल केन्द्रीय क्षेत्र की इकाईयों तमिलनाडु में कलपक्कम और आन्ध्रप्रदेश में रामागुण्डम से अपने हिस्से की विद्युत नहीं ले रहा है। अति कठिन स्थिति को देखते हुये राज्य सरकार ने केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण तथा विद्युत विभाग से केन्द्रीय क्षेत्र से केरल का हिस्सा देने हेतु शीघ्र आदेश देने के लिए निवेदन किया है। समस्या यह है कि केन्द्रीय यूनिट से केरल तक कोई सीधी प्रसारण व्यवस्था नहीं है। अतः इस समस्या की आन्ध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु बिजली बोर्डों के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। इसलिए मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि केन्द्रीय क्षेत्र के यूनिटों से बिजली की सप्लाई के लिए तुरंत कदम उठाए जा सकते हैं। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार ने क्या कदम उठाए हैं और यह कब से प्रभावी होंगे ?

माननीय मंत्री के अंतिम वक्तव्य में यह कहा गया है कि इस बारे में केरल की स्थिति खराब नहीं थी यह सच नहीं है। पिछले कुछ वर्षों से केरल में ऊर्जा की बहुत कमी है। वर्ष 1982 में वहां 100% कटौती थी। 1983, 1984 और 1985 में भी स्थिति वैसी ही बनी रही। अतः जहां तक केरल का संबंध है, योजना बनाने का यह उचित समय है।

केरल के पास पन बिजली की व्यवस्था है। कुछ अन्य साधन भी हो। चाहिएं। केरल सरकार से यह अनुरोध है कि कुछ अन्य व्यवस्था भी स्थापित की जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि केरला सरकार ने राज्य के लिए परमाणु संयत्र का सुझाव दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि इस बारे में केन्द्र सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। और वह क्या निर्णय है जिसे केन्द्रीय सरकार करने जा रही है ?

केन्द्रीय सरकार के पास कई पन बिजली परियोजनाएं और योजनाएं मंजूरी के लिए लम्बित पड़ी हैं। मैं केन्द्रीय सरकार से यह जानना चाहता हूं कि इन योजनाओं को मंजूरी दिए जाने के लिए केन्द्रीय सरकार क्या कदम उठा रही है।

मेरे वरिष्ठ साथी श्री जैनुल बशर ने बताया है कि केरल में लघु पन बिजली परियोजनाओं की स्थापना के लिए अधिक संभावना है। हमारे पास बहुत सी नदियां हैं और लघु पन बिजली परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए व्यापक क्षेत्र है। सरकार को इन सभी क्षमताओं को उपयोग में लाने के लिए कदम उठाने चाहिए। केन्द्रीय सरकार को इस तरह की योजनाओं के लिए वित्तीय सहायता देनी चाहिए। अन्त में, मैं समझता हूं कि केरल में संप्रेषण और वितरण की बहुत अधिक हानि है। ऐसा इसलिए है क्योंकि उपकरण और संचारण की लाइनें बहुत पुरानी हैं। इस स्थिति को केवल नवीकरण तथा आधुनिकीकरण कार्यक्रम से बचाया जा सकता है। अतः मैं सरकार से आवश्यक वित्तीय सहायता देने का अनुरोध करता हूं। मैं सरकार से आग्रह करता हूं कि वह इस बारे में केरल की ओर विशेष ध्यान दें। इन शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारे विद्वान मंत्री जी ने इतनी बड़ी समस्या का इतना छोटा उत्तर दिया, अच्छा होता कि वह इतनी बड़ी समस्या का इतना ही कोई छोटा फार्मूला निकालते ताकि समस्या का हल हो सकता।

हमने छठी योजना के प्रारम्भ में विद्युत सैक्टर पर बड़ा जोर दिया, लेकिन धीरे-धीरे ऐसा लगता है कि प्लानर्स के दिमाग में भी और केन्द्रीय मंत्रालय के लोगों के दिमाग में भी इसका महत्व कम होने लगा, इसका क्या कारण है? हमको 7वीं योजना के अन्त तक कम-से-कम 32 हजार मेगावाट बिजली और जैनरेट करनी चाहिये, जो कि हमारी आवश्यकता है, ताकि उसकी पूर्ति हो सके। मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि हम 22 हजार मेगावाट बिजली और जोड़ेंगे। मैं जानना चहता हूं कि 8 हजार मेगावाट का गैप है हमारी आवश्यकता और जितना हम एड करेंगे, उसके बीच में, उसको पूरा करने के लिये वह किस प्रकार से प्लान आउटले बढ़ाने के लिये प्लानिंग कमीशन के पास और कैबिनेट के पास जाने का विचार रखते हैं? ताकि इस योजना के अन्त तक विद्युत की कमी जो अभी भी बनी हुई है, वह आगे न रह सके?

मंत्री महोदय से दूसरी बात जो मैं जानना चाहता हूं, वह यह है कि बहुधा देश के किसी न किसी भाग में बिजली की शार्टेज रहना। उसका हल निकालने के लिये बहुत बार नेशनल ग्रिड की बात चली। नेशनल ग्रिड तो अलग हम रीजनल ग्रिड भी अभी तक डैवलप नहीं कर पाये। आपने अलग-अलग राज्यों से भी बात की है, उसमें ज्यादा काम आपको करना है, केन्द्रीय सरकार को करना है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा और जानना चाहूंगा कि नेशनल ग्रिड को डैवलप करने के लिये और रीजनल ग्रिड को स्ट्रेन्थन करने के लिये उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही करने जा रहा है?

उपाध्यक्ष महोदय यदि आप इजाजत दें और 2, 4 मिनट और देने का वायदा करें तो मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि जैसे हमारे साथी जैनुल बशर जी ने कहा कि हमको एक बेन्लेस थर्मल गेस और स्टामिक और हाइडल पावर के अन्दर रखना चाहिये। जब कि इस सीमा को यहां रखा गया है कि जितनी हमारी विद्युत है, उसका 64 परसेंट थर्मल है और 11

परसेंट हाइडल है। जब कि हाइडल पावर की हमारे यहां इतनी संभावना है कि हम इसको बढ़ाकर 50 परसेंट तक कर सकते हैं।

1972 और उससे पहले की जो स्वीकृत योजनाएं हैं, जिनसे हम 2 हजार मेगावाट बिजली और जोड़ सकते थे, उसमें इतनी धीमी गति से काम चल रहा है कि हमारे यू०पी० में टिहरी का प्रोजेक्ट है जो कि अरबों का प्रोजेक्ट है, लेकिन आप करोड़ों रुपया नहीं दे रहे हैं और आप प्रदेश सरकार से उम्मीद करते हैं कि वह उसको पूरा करेगी। जब आप और प्लानिंग कमीशन उसकी मदद नहीं करेंगे, योजना मंत्री यहां पर मौजूद हैं, उनको मदद के लिये आगे आना चाहिये, तब स्टेट गवर्नमेंट समय पर पूरा कर पायेगी। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि किन-किन राज्यों के ऐसे प्रोजेक्ट हैं जिनको 1972 या उससे पहले प्लानिंग कमीशन ने क्लीयर किया था, यदि वह समय पर पूरे हो गये होते तो कितनी बिजली हमारे देश को दे पाते? वह प्रोजेक्ट कम से कम योजना काल में पूरे हो सकें, उसके लिये आपका मंत्रालय अपने स्तर पर क्या कार्यवाही करने जा रहा है और राज्यों को क्या मदद करने जा रहा है?

ट्रांसमिशन लास के बारे में मैं निवेदन करना चाहूंगा। दिल्ली के अन्दर ट्रांसमिशन लास 20 परसेंट से ज्यादा है। ट्रांसमिशन लास आज तो चोरी का शिष्ट नाम है। इसे चोरी कहने में डर लगता है, इसलिये इसका नाम ट्रांसमिशन लास रख दिया। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यदि दिल्ली के ट्रांसमिशन लास को 1 परसेंट घटा दिया जाये तो इससे 2 करोड़ रुपये से ज्यादा का फायदा होगा। दिल्ली को मौडल मानकर, नमूना मानकर इस ट्रांसमिशन लास को घटाने के लिये आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

प्लानिंग कमीशन की एक एक्सपर्ट कमीशन, राजाध्यक्ष कमेटी ने भी कहा है कि जैनरेशन, ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन और आर ई सी के अन्दर फंड की एलोकेशन कैसे करें, लेकिन देखने में यह आता है कि जैनरेशन की तरफ तो ध्यान दिया जाता है, लेकिन उसके डिस्ट्रीब्यूशन और आर ई सी के सम्बन्ध में कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आज स्थिति ऐसी है, कई राज्य ऐसे हैं जहां नेशनल एवरेज से ग्रामीण विद्युतीकरण कम हुआ है।

मैं मंत्री महोदय जी से जानना चाहूंगा कि जिन राज्यों के अन्दर डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति बहुत कमजोर है और आर०ई०सी० का वर्क बहुत कम है, उसके संदर्भ में उनका मंत्रालय क्या कार्यवाही करने जा रहा है?

छठी पंचवर्षीय योजना में विद्युत उत्पादन का जो लक्ष्य था, उसमें कमी का कारण था थर्मल पावर प्लांट की कैपेसिटी यूटिलाइजेशन का कम होना। 1984-85 में जब अरूण नेहरू जी विद्युत मंत्री थे, उन्होंने इस ओर व्यक्तिगत ध्यान देकर थर्मल पावर प्लांट का कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ाया था, लेकिन उसमें अब फिर गिरावट आनी शुरू हो गई है जो कि सेंटर सेक्टर में 6 से 7 से परसेंट तक है और स्टेट सेक्टर में 11-12 परसेंट से भी ज्यादा तक हो गई है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि दूसरे देशों के अन्दर इस समय प्लांट लोड फैक्टर क्या है और हमारे देश के थर्मल पावर प्लांट का जोड़ फैक्टर क्या है? आज हमारे पास मशीनें भी अपनी हैं और कोयला भी समय पर सप्लाई हो रहा है। अतः अब इसमें सुधार भी लाया जा सकता है। मंत्री जी इस दिशा में क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं?

उत्तर प्रदेश के कई प्रोजेक्ट जिस में दोहरी-घाट प्रोजेक्ट भी है, वह आपके मंत्रालय के पास विचाराधीन है। इसी प्रकार उत्तर प्रदेश के कई अन्य पावर प्रोजेक्ट आपके पास पैंडिंग पड़े हैं।

आप इसमें बड़ी कंजूसी से काम ले रहे हैं। मैं जानना चाहूंगा कि दोहरी-घाट प्रोजेक्ट, जिस के बारे में हमारे राय साहब काफी चिंतित हैं, उसको और दूसरे अन्य प्रोजेक्ट्स को कब तक क्लीयर कर देंगे ?

[अनुवाद]

श्री आई० रामाराय (कासरगोड) : उपाध्यक्ष महोदय, हमें देश के अधिकतर भागों से समाचारपत्रों के शीर्षकों को देखने से यह पता लगता है कि हमारे पास बिजली की भारी कमी की समस्या कहां कहां है। मैं इस सम्बन्ध में एक बात का उल्लेख करना चाहता हूं। विद्युत विभाग में हमारे राज्य मन्त्री ने हाल ही में कुछ कहा है और मैं 21 जुलाई 1986 के हिन्दुस्तान टाइम्स से उद्धृत करता हूं :

जल-विद्युत क्षमता लक्ष्य से नीचे

"आज राज्य सभा में एक लिखित उत्तर में विद्युत राज्य मंत्री सुशीला रोहतगी ने श्री के० के० बिरला (स्वतंत्र) को बताया कि छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान लक्ष्य से अतिरिक्त 4760 मेगावाट जल-विद्युत क्षमता के मुकाबले केवल 2873 मेगावाट प्राप्त किया गया था।

"मंत्री जी ने विभिन्न परियोजनाओं में विलंब के लिए कई कारण दिए। उन्होंने बताया कि देश की कुल जल विद्युत संभाव्यता को 60 प्रसेंट लोड फैक्टर पर 85,544 मेगावाट आंका गया था जिसमें से 12.40% का विकास किया गया था और 5.77% का विकास किया जा रहा था।

छठी योजना के अन्त तक देश की कुल जल विद्युत स्थापित क्षमता 14,466 मेगावाट थी। सातवीं योजना के दौरान 5541 मेगावाट की क्षमता जोड़ने की आशा थी।"

चूंकि मन्त्री जी इस बात से सहमत हुए है कि हम जल विद्युत परियोजनाओं के लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं। मुझे देश के अन्य भागों की समस्याओं पर जानने की आवश्यकता नहीं है।

मेरे दो दोस्तों ने केरल की समस्या के बारे में विस्तार से बताया है। केरल के अत्यन्त सूखा वर्ष 1983-84 में केवल 60% की बिजली की कटौती की गई थी। परन्तु इस वर्ष बड़ी फैक्ट्रियों विशेष रूप से हाई टेंशन और अतिरिक्त हाई टेंशन के लिए शत प्रतिशत कटौती की गई थी। बिजली बोर्ड समस्या की विशालता से अवगत नहीं था। वे वल आखिरी क्षण में उन्होंने मामलों पर विचार किया और हमें आन्ध्र, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र की सरकारों का धन्यवाद करना होगा क्योंकि मुसीबत के समय एक दिन में महाराष्ट्र और तमिलनाडु क्रमश: 7,00,000 यूनिट और 5,00,000 सप्लाई करने के लिए आए। सप्लाई यह है कि केरल ने ग्रिड में एक भी यूनिट नहीं दी जबकि 1976 में वर्तमान क्षमता प्राप्त कर ली थी। अब विद्युत परियोजनाएं निर्माणाधीन है जो केवल 725 मेगावाट पैदा करेगी परन्तु हम नहीं जानते हैं कि वे कब पूरी होंगी। हालांकि केरल के पास जल-विद्युत परियोजनाओं के विकास के लिए भारी संभावित क्षमता है लेकिन अभी तक केवल 30% तक काम में लिया जाता है।

यह कहा जाता है कि इस छोटे राज्य के पास 3000 मेगावाट की 60% लोड फैक्टर पर बिजली संभाव्य है। वर्तमान स्थापित क्षमता केवल 1,011 मेगावाट है। केरल में विद्युत उत्पादन की स्थिरता के लिए मुख्य कारण वन संरक्षण अधिनियम तथा पारिस्थितिक पहलू से भी ठेकेदारों, हिंसाकारी ट्रेड संघवाद और योजना निधि के आवंटन में कमी के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार से मंजूरी प्राप्त करने में विलंब होता है। अधिकतर सभी जलाशय गाद से रुक जाते हैं जिससे क्षमता

में कमी होती है जो भूमि कटाव के कारण होता है और भूमि कटाव वनों के विनाश के कारण होता है। जब तक हम उपचारात्मक उपाय नहीं खोजे जाते तब तक कोई लाभदायक प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। वे ये है :

केरल जैसे राज्यों में ताप बिजली घरों को बताना व्यावहारिक नहीं है क्योंकि पूरे कोयले को दूर से लाना पड़ता है। राख को रखने के लिए अधिक जगह की आवश्यकता होती है और इसलिए लागत अत्यधिक होगी। एक मेगावाट के लिए लगभग 10 से 15 टन कोयले की आवश्यकता होती है।

हमारे मुख्य मन्त्री ने पहले से ही भारत सरकार को परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने के बारे में सिफारिश की है क्योंकि पिछले अनुभवों से हम महसूस करते हैं कि मानसून के बार-बार असफल होने के कारण जल-विद्युत पर निर्भर करना अविवेकपूर्ण सिद्ध हो गया है कुछ लोगों के वर्ग ने भी केरल जैसे राज्य जहां जनसंख्या का घनत्व अधिक है इस प्रस्ताव का संभाव्य विकिरण रिसाव के कारण विरोध किया है।

तीसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि सूरज की रोशनी और ज्वारीय तरंग जैसे अपरम्परागत स्रोतों से बिजली का उत्पादन किया जा सकता है। मैं माननीय मंत्री का ध्यान "पावर फ्राम दी सन" नामक शीर्षक लेख की ओर दिलाना चाहता हूं जो सन्डे मार्च 1985 में छापा गया था। हम विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात करने के लिए तैयार है परन्तु यह प्रौद्योगिकी हमारे वैज्ञानिकों के लिए भी नई नहीं है। मैंने हाई स्कूल में एक युवा लड़की को यह प्रदर्शन करते हुए देखा था कि सूरज की रोशनी से किस प्रकार से ऊर्जा पैदा की जा सकती है। इस लेख में यह बताया गया है कि मेक डानेल डगलस नामक दल ने किस प्रकार से मद्रास में नवनिर्मित अपरम्परागत ऊर्जा स्रोत विभाग तथा अन्य विभागों के अधिकारियों से मुलाकात की थी। प्रक्रिया बताते समय उन्होंने बताया कि 12½ मेगावाट के बराबर विद्युत उत्पादन की पूर्ण सुविधा को स्थापित करने के लिए 23 करोड़ रुपए खर्च आएगा जो लगभग ताप संयंत्रों की लागत के बराबर है कि सबसे अधिक यह लाभ है कि संचालन प्रकार के विद्युत संयंत्र के खर्चे के लिए रख-रखाव के अलावा कोई अन्य आवर्ती लागत नहीं है। उल्लेखित लेख में पूरे मामले को स्पष्ट करने के लिए समय नहीं है परन्तु मलायलम में एक उक्ति है कि बिल्ली चाहे लकड़ी की हो या कीचड़ की परन्तु इसे चूहा पकड़ना चाहिए। समय की यह आवश्यकता है कि हमारे उद्योग और कृषि को अपंग से रोकने के लिए विद्युत की दीर्घकालीन और अल्पकालीन समस्याओं पर ध्यान देने के लिए सरकार को ठोस कदम शीघ्र उठाने चाहिए।

ऊर्जा मंत्री (श्री वसन्त साठे) : महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूं तथा उनका आभारी हूं जिन्होंने इस ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से बहुत कुछ वैध मुद्दे उठाए हैं।

जहां तक दक्षिण क्षेत्र में विद्युत की कमी का संबंध है विशेष रूप से लगभग तीन सदस्यों द्वारा केरल के बारे में बताया गया है, स्थिति यह है कि इस वर्ष विशेष रूप से जब मानसून में विलंब हुआ था केरल के जलाशय में पर्याप्त पानी नहीं था और उससे अचानक कमी की स्थिति बनी जिसके परिणामस्वरूप विद्युत में भारी कमी करनी पड़ी कुछ क्षेत्रों में 100% तक भी कमी करनी पड़ी। हमने तुरंत उपाय किए हैं। मैं मंत्री हाल ही में केरल के ऊर्जा मन्त्री और मुख्य मन्त्री से भी मिला था। मैंने उन्हें बताया कि हम तुरन्त इस समय पड़ौसी राज्य से कुछ विद्युत की व्यवस्था कर सकते हैं। अल्प कालीन और तुरंत उपाय के साथ-साथ दीर्घकालीन उपाय हैं जिसके बारे में हम विचार कर

सकते हैं। परन्तु दीर्घकालीन उपाय तुरंत सहायता नहीं देते हैं। अतः हम पहले से ही केरल को 10 लाख यूनिट नैवेली और कलापाकम जैसे निकट के संयंत्रों से प्रतिदिन दे रहे हैं।

जहां तक रामागुंडम का संबंध है माननीय सदस्य ने ठीक कहा है कि अभी तक केरल ने रामागुंडम से अपने हिस्से को लेने की आवश्यकता महसूस नहीं की है। क्योंकि उन्होंने आवश्यकता को महसूस नहीं किया, एक सीधी संप्रेषण लाइन वहां नहीं थी क्योंकि उस मामले में केरल सरकार को भी संप्रेषण की लाइन को बिछाने की लागत में खर्चा उठाना है। वर्तमान विद्युत केरल, कर्नाटक के माध्यम से जाती है —पहले आन्ध्र प्रदेश से और तब कर्नाटक से यह अभी तक केरल को जा सकती है। वे कर्नाटक और तमिलनाडु को भी विद्युत दे रहे थे।

मैंने राज्य विद्युत बोर्ड के अध्यक्ष से पूछा था। मैंने महाराष्ट्र, आंध्र और कर्नाटक से निवेदन किया था कि हम अतिरिक्त बिजली दे सकते हैं। मैं महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र के राज्य विद्युत बोर्ड से यह कह सकता हूं कि व्यस्ततम समय को छोड़कर वे अपनी अतिरिक्त बिजली दे दें जो केरल को दे दी जायेगी। अब हम यह सुनिश्चित करने की चेष्टा कर रहे हैं कि कर्नाटक विद्युत बोर्ड और महाराष्ट्र विद्युत बोर्ड परस्पर मिलकर किस प्रकार का ऐसा प्रबन्ध करते हैं कि अतिरिक्त बिजली अप्रयक्ष रूप से केरल को दी जा सके।

ये कुछ तात्कालीन उपाय हैं। ये उपाय रामागुंडम के लिये हैं। भाग्यवश अब एक अधिक वोल्टेज वाली लाइन सुलभ है जिसे बंगलौर से आंध्र तक खींचा गया है। इससे बंगलौर होकर केरल को विद्युत परिषण की सुविधा सुलभ हो जायेगी। हम ये सब कदम उठा रहे हैं। स्थायी उपाय तो कालान्तर में हो सकेगा।

जहां तक केरल में परियोजनायें लगाने का सम्बन्ध है, सातवीं पंचवर्षीय योजना में 530 मेगावाट की चार पन विद्युत परियोजनाओं पर काम चल रहा है तथा वे इस वर्ष पूरी हो जायेंगी, इसमें से 300 मेगावाट क्षमता की बिजली मिलने भी लगी है। शेष 250 मेगावाट इस वर्ष पूरी हो जायेगी। किन्तु जहां क्षमता पर्याप्त है, वहीं उद्योगों के निरंतर बढ़ते रहने के कारण बिजली की आवश्यकता भी बढ़ती जा रही है। जैसा कि माननीय सदस्य ने भी कहा है कि तापीय बिजली घरों के लिये कोयला क्षेत्रों से केरल तक जो राशि कोयला मंगवाने के लिये व्यय करनी पड़ती है, वह बहुत अधिक है। जहां तक परमाणु स्टेशन का सम्बन्ध है, विशेषज्ञ समिति इस बात की जांच कर रही है कि परमाणु सन्यत्र कहां प्रतिष्ठापित किया जा सकता है और चूंकि यह विषय विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय से सम्बद्ध है अतः वही मंत्रालय इससे सम्बन्धित पहलुओं पर विचार करेगा और स्थान के बारे जब एक बार निश्चित हो जायेगा, तभी परमाणु संयन्त्र के बारे में कुछ कहा जा सकता है। इसके सम्बन्ध में मैं न तो कोई आश्वासन दे सकता हूं और न कोई सूचना ही। किन्तु हम लोग यह सुनिश्चित करने के लिये निश्चित रूप से प्रयत्नशील है कि त कालीन और लम्बी अवधि के, दोनों प्रकार के ईष्टतम उपाय किये जायें। मैं पहले भी कह चुका हूं कि केरल में कमी को पूरा करने के लिये मैं स्वयं भी रूचि ले रहा हूं। किन्तु जैसा कि आम तौर पर पूरे देश में बिजली की कमी के बारे में कहा जाता है, बिजली की कमी अन्तर पड़ जाने के कारण है। यहां तक सातवीं पंचवर्षीय योजना में संस्थापित क्षमता का अन्तर और भी अधिक बढ़ जायेगा और जो लगभग 8 से 10,000 मेगावाट तक का होगा। स्पष्ट है कि जब तक हमारे पास साधन नहीं होंगे, तब तक इसे पूरा नहीं किया जा सकता है। यद्यपि योजना आयोग ने स्वयं ही तथा प्रधान मंत्री महोदय के कहने से विद्युत क्षेत्र के 500 करोड़ रुपये की अतिरिक्त

राशि आवंटित की है किन्तु, आज की लागत पर यद्यपि लगभग 35,000 करोड़ की राशि आवंटित की जा चुकी है फिर भी हम सातवीं पंचवर्षीय योजना में केवल 22,000 मेगावाट विद्युत संस्थापित कर पायेंगे। बिजली का उत्पादन 22,000 मेगावाट होने की संभावना है और यदि मांग का ध्यान रखा जाये, जिसे वास्तव में दबा कर रखा गया है; तो बिजली की आवश्यकता अनुमानत: 36,000 मेगावाट की होगी, क्योंकि बिजली की आवश्यकता तो है ही, जितनी अधिक बिजली की आवश्यकता होगी, उतना ही उत्पादन अधिक उतने उद्योग बढ़ेंगे और यह सिलसिला चलता रहेगा। मैं माननीय सदस्य की इस बात से सहमत हूं कि प्रति व्यक्ति बिजली की खपत हमारे देश में संसार से सबसे कम है। यदि हम प्रति व्यक्ति 170 किलोवाट घंटा मान लें जो हम देश में उपलब्ध करा रहे हैं और यदि इसकी तुलना स्वेडन जैसे अन्य देशों से करें जहां यह खपत 700 किलोवाट घंटा है तथा कुछ देशों में 10,000 किलोवाट घंटा तक है तो यह स्पष्ट हो जायेगा कि कितना अन्तर है। इस प्रकार अन्तर तो जमीन आसमान का है और जहां तक हमारे संसाधन का प्रश्न है, उसे देखते हुए यह विचारणीय है कि यह अन्तर किस प्रकार पूरा हो सकेगा ? इसीलिये कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है और अपनी औद्योगिक नीति संकल्प के ढांचे में हमने भी यह निश्चित किया है कि राष्ट्रीय हित में हम उद्योगों के लिये रक्षित विद्युत संयंत्र की अनुमति नहीं देंगे किन्तु यदि व्यक्तिगत रूप से यदि वे उसका भार उठा सकते हैं या सामूहिक रूप से वे ऐसा करना चाहते हैं तो हम उन्हें रक्षित विद्युत उत्पादन एकक स्थापित करने की अनुमति दे सकते हैं।

[हिंदी]

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : भगवान के लिये इसको ऐसा न बना दीजिये कि कहीं ऐसा न हो कि प्राइवेट सैक्टर इसके नाम पर थोड़ा-थोड़ा पूरा करके सारे हमारे सैक्टर पर कब्जा कर लें।

श्री वसन्त साठे : ऐसा नहीं होगा। उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं आ सकते।

[अनुवाद]

आपके माध्यम से मैं अपने माननीय साथियों से एक बात का अनुरोध करना चाहूंगा। इस समय हम लगभग 47,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता और 170 बिलियन यूनिट का उत्पादन कर रहे हैं। गैर सरकारी क्षेत्र का कितना अंश है ? अनुमानत: 2000 मेगावाट संस्थापित क्षमता है।

श्री राजकुमार राय (धोसी) : हम आपकी आंशका पर ध्यान दे रहे हैं।

[हिंदी]

श्री वसन्त साठे : एप्रिहैंसन को ही मीट करना चाहता हूं।

[अनुवाद]

अन्ततोगत्वा कोई भी व्यक्ति बिजली का उत्पादन और उसका वितरण। उसका वितरण भी होना चाहिये। इस देश में वितरण कार्य किसी भी गैर सरकारी व्यक्ति द्वारा नहीं कराया जा सकता है क्योंकि इसका वितरण ग्रिड के माध्यम से ही करना पड़ता है। इस प्रकार वितरण कार्य सदा ही राज्य ग्रिड या राष्ट्रीय ग्रिड या क्षेत्रीय ग्रिड के माध्यम से किया जायेगा जो राज्य विद्युत बोर्ड अथवा सरकार के अधीन होंगी···(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: उन्हें अपना उत्तर पूरा करने दीजिये। अभी आपत्ति न करें। कृपया इंतजार कीजिये। उन्हें पूरा करने दीजिये और वह सारी स्थिति स्पष्ट कर देंगे।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री वसन्त साठे : रावत जी, मैं सब बता देता हूं। मैं पूरा बता देता हूं। फैसला करके तभी हटूंगा।

[अनुवाद]

अन्तर 10,000 का है। हमारा विचार अथवा सुझाव यह है कि हमारे पास जो भी संसाधन उपलब्ध है वह सार्वजनिक धन है जिसे हम गैर सरकारी या व्यक्तिगत क्षेत्र के द्वारा इस्तेमाल न किये जाने के प्रति वचनबद्ध है। किन्तु यदि गैर-सरकारी क्षेत्र उस अतिरिक्त धन को जो लगभग 40,000 से 50,000 करोड़ रुपये है और जिसके बारे में हम अब तक बात करते रहे हैं, यदि उस बिना लेखे वाले धन में से वे लोग कुछ धन बिजली उत्पाद के लिये लगा सकें, तो हम यही कहेंगे कि ठीक है, आइये, धन का निवेश कीजिए और बिजली का उत्पादन कीजिये···

श्री मानिक संन्याल (जलपाईगुड़ी) : क्या इस प्रकार आप उनके काले धन में श्वेत धन में परिवर्तित करने देंगे ?

श्री वसन्त साठे : यदि हम बिजली का उत्पादन चाहते हैं; तो हमें उस बारे में सोचना होगा कि हम इसकी अनुमति दे दें। हमारे पास दो विकल्प हैं···(व्यवधान) वे अन्य प्रकार की बिजली का उत्पादन कर रहे हैं।

श्री आनन्द गोपाल मुख्योपाध्याय (आसनसोल) : एक बात स्पष्ट करना चाहता हूं कि आपकी संस्थापित क्षमता क्या है ?

श्री वसन्त साठे : क्या आप अभी आये हैं ? मैं यह पहले ही बता चुका हूं कि हमारे देश में बिजली की संस्थापित क्षमता लगभग 47,000 मेगावाट है।

अब यह प्रश्न सभा के समक्ष विचारणीय है कि क्या हम इस अतिरिक्त धन में, जो इधर उधर व्यय किया जा रहा तथा जो वास्तविक सम्पदा के लिये, आभूषणों के लिये व्यय किया जा रहा और ऐसी अन्य वस्तुओं के लिये तथा अनेक प्रकार के भ्रष्टाचारों आदि-आदि में व्यय किया जा रहा है, निवेश की अनुमति दे दें। क्या एक राष्ट्र के रूप में, हम इस धन को कोर क्षेत्र में उत्पादन के लिये इस्तेमाल किये जाने की अनुमति देंगे अथवा हम यह कहेंगे कि नहीं, हम इस धन में नहीं चाहते हैं ? हम इस धन का उपयोग विद्युत क्षेत्र में नहीं करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि आप बिजली का उत्पादन करें।

1.00 म०प०

श्री मानिक संन्याल : क्या आप पता लगा रहे हैं ?

श्री वसन्त साठे : पता तो लगाया ही जायगा। जो भी पता लगाया जा रहा है, उस पर खर्चा आता है, क्या आपको पता है कि कितना धन व्यय हो रहा है। (व्यवधान)

हमने कुछ भी निर्णय नहीं लिया है। मैंने यही कहा है कि हमारे पास दो विकल्प हैं। सभा मुझे बताये कि, हमारे संसाधन तो जो है, वहीं है, यह 10,000 मैगावाट का अन्तर किस प्रकार

पूरा हो सकता है। यदि सभा मुझे इस बात की सलाह दे तो मुझे लाभ ही होगा कि इस अन्तर को पूरा करने के लिये क्या साधन अपनाये जायें। आज एक मैगावाट बिजली पर एक करोड़ रुपया निवेश करना पड़ता है। उसके परिषण के लिये 50 लाख रुपयों की और आवश्यकता पड़ती है। वर्तमान लागत यही है। मैं सभा का बड़ा आभारी हूंगा यदि सभा मुझे कोई ऐसा तरीका बता दे जिससे इस संसाधन को उपार्जित किया जा सके इस अन्तर को पूरा करने के लिये 10,000 मेगावाट संस्थापित क्षमता के लिये मुझे 15,000 करोड़ रुपयों की आवश्यकता पड़ेगी। यदि यह सभा मुझे यह बता सके कि मुझे यह 15,000 करोड़ किस प्रकार प्राप्त करना चाहिये, तो मुझे भी सुनकर प्रसन्नता होगी। (व्यवधान)

सारे राष्ट्र का राष्ट्रीयकरण करना!

श्री थम्पन थामस : महोदय, राज्य विद्युत बोर्ड का 120 करोड़ रुपया ऋण है। मेरा तो यह विशेष सुझाव है कि जहां कहीं संभव हो सके क्या वह केन्द्रीय सरकार बिजली की कारखानों को सीधे ही सप्लाई करने के मामले में हस्तक्षेप करेगी ?

श्री वसंत साठे : कोई न कोई तो बिजली सप्लाई करेगा ही। राज्य विद्युत बोर्ड भी इस काम को कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि यह काम केन्द्र करे किन्तु आप बिजली के उत्पादन के लिये केन्द्र को और अधिक धन की अनुमति नहीं देंगे। मैं बिजली कहां से लाऊं। मेरे समक्ष यह प्रश्न बना हुआ है।

श्री अनिल बसु (आरामबाग) : हाल ही में, दामोदर घाटी निगम रानीगंज के औद्योगिक क्षेत्र को बिजली सप्लाई करने में पूरी तरह असफल रहा है। सारा उद्योग नष्ट हो गया है। यह केन्द्रीय क्षेत्र में है।

श्री वसंत साठे : देश में बिजली का जितना कुल उत्पादन होता है, उसका अब तक केवल लगभग 16 प्रतिशत भाग का उत्पादन केन्द्रीय क्षेत्र द्वारा किया जाता है। बिजली का अधिक भाग का उत्पादन राज्य क्षेत्र द्वारा किया जा रहा था। राज्य क्षेत्र सीमित है, क्योंकि जब तक राष्ट्रीय ग्रिड नहीं होगी, तब तक यदि कोई राज्य बिजली का अधिक उत्पादन करता है, तो वह फालतू बिजली अन्य राज्य को परिषित नहीं की जा सकेगी।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय : यही मुद्दा है···

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया बैठ जाइये।

(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : चाहे कोई सदस्य हो, चाहे नया, सभी बराबर हैं।

श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय : यहां बैठे हम मूर्ख नहीं हैं।

श्री वसंत साठे : कृपया श्री आनंद गोपाल मुखोपाध्याय की बोलने दीजिये क्योंकि हम लोग मूर्ख नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं उन्हें अनुमति नहीं दे रहा हूं। सूची में जो नाम लिखे हैं, उनके अतिरिक्त मैं किसी को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा।

श्री वसंत साठे : मैं यह कह रहा था कि धीरे-धीरे हमें केन्द्रीय क्षेत्र में ही अधिकाधिक बिजली का उत्पादन करना चाहिये। तभी हम उसका परिषण कर सकेंगे।

उदाहरण के तौर पर मैं रामागुंडम के बारे में कह चुका हूं। उसे हमें नेवेली, कलपक्कम, सिंगरोली अथवा दामोदर घाटी निगम, कहीं से भी बिजली दे सकते हैं। दामोदर घाटी निगम पूरी तरह से केन्द्रीय नहीं है। इसमें तीनों राज्यों का सांझा है। अब सांतवी पंचवर्षीय योजना में केन्द्रीय क्षेत्र की प्रतिशतता 24 प्रतिशत हो जायेगी और केन्द्रीय क्षेत्र की परियोजनायें ठीक तरह से चल रही हैं।

अब, हम पी०एल०एफ० के प्रश्न पर आते हैं। अब तक यह होता रहा है कि राज्य क्षेत्र के संयंत्र जैसे-जैसे पुराने होते गये हैं वहां कर्मचारियों की संख्या बढ़ती गई है और राज्य विद्युत बोर्डों को 2 हजार करोड़ प्रति वर्ष की हानि हुई है।

मुझे स्पष्ट करने दीजिए। इसके तीन कारण हैं एक तो कृषि क्षेत्र है जिसे 20 प्रतिशत बिजली रियायती दरों पर दी जाती है। इस देश में बिजली पर औसतन लागत लगभग 67 पैसे प्रति यूनिट आती है। कृषि क्षेत्र को 20 पैसे प्रति यूनिट बिजली प्राप्त होती है इसकी मतलब यह है कि राज्य 40 पैसे वहन करते हैं। राज्य विद्युत बोर्डों की इस हानि को किस प्रकार किया जायेगा। राज्य सरकार रियायत देने की चेष्टा करती है और जहां तक कृषि क्षेत्र का सम्बंध है ऐसा करना उचित भी है क्योंकि हम उनसे अधिक मूल्य नहीं ले सकते हैं···

उपाध्यक्ष महोदय : औद्योगिक क्षेत्र के बारे में क्या है ?

श्री वसंत साठे : इसे औद्योगिक क्षेत्र से वसूल करने की चेष्टा की जाती है औद्योगिक क्षेत्र में भी चरम सीमा आ चुकी है। केवल ऊंचे और बड़े उद्योग ही अधिक राशि अदा करने की स्थिति में हैं। इस लिए आप कुछ उद्योगों के लिए मूल्य एक रुपया भी बढ़ाते हैं किन्तु एवं अधिकतम सीमा है। आप उसी सीमा तक बढ़ा सकते हैं।

जैसा कि माननीय सदस्यों ने सही कहा कि राज्य बिजली बोर्डों, विशेषकर उत्तरी क्षेत्र के बोर्डों को घाटा 'लो प्लांट लोड फैक्टर' की वजह से होता है। अगर देश की प्लांट लोड फैक्टर क्षमता में एक प्रतिशत की वृद्धि होती है तो इससे 500 मेगावाट अतिरिक्त बिजली प्राप्त होगी, जोकि 500 करोड़ रु० के बराबर होगी। हमने उत्तरी राज्यों पर इस बारे में जोर डाला है। मैंने और इस विभाग के पूर्व मंत्री ने इन लोगों के साथ नियमित बैठकें की हैं। हम वहां जा कर इनकी सहायता करते हैं उन्हें आधुनिकीकरण के लिए सहायता देते हैं। इसके फलस्वरूप जो 8 वर्ष पूर्व पी एल एफ 43 था अब बढ़कर औसतन 53 हो गया है। अतः इसमें सुधार हुआ है। कुछ राज्यों के बिजली बोर्डों जैसे आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश में पी एल एफ 60 या इससे भी अधिक है। जहां तक केन्द्र का संबंध है, राष्ट्रीय ताप बिजली निगम में यह सर्वाधिक 67 है। यदि कुछ उत्तरी राज्य, जैसे पश्चिम बंगाल, असम, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश, हरियाणा आदि अपने पी एल एफ में कुछ सुधार करते हैं तो इससे देश में बिजली के उत्पादन की स्थिति ही बदल जायेगी। इसके लिए हमने क्या तैयारी की है ? इसके लिए हमने इस क्षेत्र में तथा अन्य लोगों में 32 संयंत्रों का पता लगाया है, जिन्हें केन्द्र द्वारा 500 करोड़ रु० की सहायता दी जायेगी। हम इन संयंत्रों के आधुनिकीकरण, सुधार और उपस्करों आदि के लिए ये राशि देंगे ताकि इनके प्लांट लोड फैक्टर में सुधार हो सके। पहली बात जो मैंने देखी वह थी ताप बिजली के लिए कोयले की आपूर्ति। प्लांट लोड फैक्टर का सम्बंध केवल ताप बिजली से रहता है। जहां तक कोयले की सप्लाई का संबंध है—यह तथ्य है कि हमारे कोयले में राख की मात्रा अधिक है—और दिन-प्रतिदिन इसमें वृद्धि ही होती जा रही है। राख का अंश होना अनिवार्य ही है। अगर

बोयलरों का डिजाइन बदल दिया जाए तो अधिक राख वाले कोयले का प्रयोग किया जा सकता है। इनमें पाये जाने वाले पत्थर आदि की भी समस्या है। अब हममें कोयला केन्द्रों और विद्युत घरों के बीच समन्वय कायम किया है, जिससे कोयले की सप्लाई की काफी समस्या हल हो गई है और भटिंडा और पानीपत तक में स्थिति में काफी सुधार आया है।

हम अपनी ओर से भरसक प्रचार कर रहे हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये अस्थायी उपाय हैं। सही हल विद्युत केन्द्रों के संबंध में एकीकृत रवैया अपनाया है। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, ऊर्जा के गैर -परम्परागत स्रोत भी महत्वपूर्ण हैं। हम इस ओर भी पर्याप्त ध्यान देंगे। मैं मानता हूं कि अभी तक हमने सौर ऊर्जा, वायु बायो-गैस, बायो-मास आदि ऊर्जा के गैर-परम्परागत क्षेत्रों की ओर उपयुक्त ध्यान नहीं दिया है। इस ओर हमें पर्याप्त ध्यान देना होगा। यह कोई मेरी या आपकी गलती नहीं है। प्रणाली ही ऐसी है। अगर हम गैर-परम्परागत स्रोतों द्वारा बिजली उत्पादन के लिए 100 करोड़ रु० भी खर्च कर दें, तो भी इससे कोई आश्चर्यजनक परिणाम नहीं निकलेंगे। हालांकि हम जानते हैं कि बायो-गैस धुआ रहित चुल्हों आदि में रूचि बढ़ती जा रही है, लेकिन मुझे विश्वास है कि वह दिन अवश्य आयेगा जब हमारे युवा वैज्ञानिक सौर-ऊर्जा का प्रयोग करने के आधुनिकतम तरीके खोज निकलेंगे। आज प्रति युनिट खर्च अधिक बैठता है, लेकिन कई स्थानों पर आप पायेंगे कि ये स्रोत अगर सस्ते नहीं तो परम्परागत तरीकों के समान ही खर्चीले हैं। अत: हम इन्हें बढ़ावा दे रहे हैं।

समुद्र-तट के साथ-साथ हमने वायुचालित मिलें स्थापित की हैं। अब हमने महाराष्ट्र, गुजरात, तमिलनाडु और उड़ीसा में पाइलट वायुचालित मिलें संयंत्र स्थापित किये हैं। और उनके अच्छे परिणाम देखने को मिले हैं, क्योंकि सौर या वायुचालित मिलों पर भावर्ती खर्च नहीं आता अत: हम उन्हें बढ़ावा देना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि हमें सामूहिक रूप से इस ओर ध्यान देना चाहिए। कोई भी बिजली नहीं ले जा सकता। इसका निर्यात भी नहीं किया जा सकता। अगर सभा इसका समर्थन करे, तो मैं समझता हूं कि इसका एक मात्र हल यही है। हम चर्चा करते रहें, लेकिन इस सदी के अन्त तक बिजली की मांग और खपत में 20,000 मेगावाट की कमी हो जायेगी। जिससे हमारी औद्योगिक प्रगति तबाह हो जायेगी। अत: हमें इस ओर काफी ध्यान देना चाहिए। सभा में व्यक्त किये गये विचारों से हमेशा ही मुझे लाभ हुआ है।

1-15 म०प०

समिति के लिए निर्वाचन

राज भाषा समिति

[अनुवाद]

राज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री गुलाम नबी आजाद) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्री पी०वी० नरसिंह राव, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्यागपत्र दे दिया है और श्री बी०वी० देसाई के निधन के कारण रिक्त हुए स्थानों पर उक्त समिति के दो सदस्यों के रूप में अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 4 की उपधारा (2) के अनुसरण में लोक सभा के सदस्य आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा श्री पी० वी० नरसिंह राव, जिन्होंने राजभाषा समिति से त्यागपत्र दे दिया है और श्री बी०वी० देसाई के निधन के कारण रिक्त हुए स्थानों पर उक्त समिति के दो सदस्यों के रूप में अपने में से दो सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

1-16 म०प०

लोकपाल विधेयक

संयुक्त समिति के लिए सदस्यों कि नियुक्ति

[अनुवाद]

प्रो० एन०जी० रंगा : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा श्री बी०वी० देसाई के निधन हो जाने तथा सर्वश्री ब्रह्मदत्त, एडआर्डो फैलीरो और प्रो० के० के० तिवारी द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर हुए रिक्त स्थानों पर संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबन्ध करने के लिए विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है :—

1. श्रीमती बसवराजेश्वरी
2. श्री रामश्रेष्ठ खिरहर
3. श्री राम स्वरूप राम
4. श्री सोमनाथ रथ।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा श्री बी०वी० देसाई के निधन हो जाने तथा सर्वश्री ब्रह्म दत्त, एडआर्डो फैलीरो और प्रो० के०के० तिवारी द्वारा त्यागपत्र दिये जाने पर हुए रिक्त स्थानों पर संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिये लोकपाल की नियुक्ति का और उससे संबंधित विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति के लिये निम्नलिखित सदस्यों को नियुक्त करती है :—

1. श्रीमती बसवराजेश्वरी
2. श्री रामश्रेष्ठ खिरहर
3. श्री राम स्वरूप राम
4. श्री सोमनाथ रथ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1-17 म०प०

लोकपाल विधेयक

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किये जाने के लिए समय बढ़ाना

[अनुवाद]

प्रो० एन०जी० रंगा (गुंटूर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शरदकालीन सत्र, 1986 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।"

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा संघ के मंत्रियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार के अभिकथनों की जांच करने के लिए लोकपाल की नियुक्ति का और उससे सम्बन्धित विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक सम्बन्धी संयुक्त समिति का प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का समय शरदकालीन सत्र, 1986 के अंतिम सप्ताह के अंतिम दिन तक और बढ़ाती है।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

1-18 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न भोजन के लिए 2.15 म०प० तक के लिए स्थगित हुई।

2-18 म०प०

मध्याह्न भोजन के पश्चात् लोक सभा 2.18 म०प० पर पुनः समवेत हुई।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

नियम 377 के अधीन मामले

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : अब हम नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार आरम्भ करेंगे। श्री राम पूजन पटेल।

[हिन्दी]

(एक) अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लोगों को सरकारी सेवाओं में उनके लिये आरक्षित कोटे के अनुसार रोजगार दिया जाना सुनिश्चित करने की मांग

श्री रामपूजन पटेल (फूलपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं नियम 377 के अधीन भारत सरकार का ध्यान अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय की ओर आकृष्ट कर रहा हूं।

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् देश के पिछड़े एवं पद-दलितों को संविधान में संवैधानिक अधिकार दिये गये थे कि जिन वर्गों का सरकारी नौकरियों में प्रतिनिधित्व नगण्य के बराबर है या नहीं है, उनकी आबादी को दृष्टिगत रखते हुए, आरक्षण प्रदान करके नौकरी दी जायेगी, परन्तु उसका अनुपालन संविधान के अनुसार नहीं हुआ है, जिसके कारण देश के आज पिछड़े वर्ग, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के वर्गों में निराशा की भावना उत्पन्न हो रही है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार अभी तक आरक्षित स्थानों पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन-जाति के लोगों की नियुक्ति आरक्षण नीति के अनुसार नहीं की गई है, जबकि करोड़ों शिक्षित नवयुवक बेरोजगार घूम रहे हैं। संविधान के अनुसार दिये गये अधिकार, यदि उन्हें नहीं मिल सकेंगे तो अन्तर्द्वन्द की भावना उनमें बढ़ेगी और देश की प्रगति में अवरोध उत्पन्न होगा।

केन्द्रीय सरकार की जिम्मेदारी है कि देश के उन वर्गों को तत्काल आरक्षण के अनुसार सरकारी नौकरियों में रखने की व्यवस्था करे जिससे वे अपने को असहाय न समझें। मैं आशा करता हूं कि आरक्षण प्रदान जातियों का जितना प्रतिशत प्रतिनिधित्व नौकरियों में कम है, उसे पूरा किया जायेगा।

(दो) ऊनी गलीचा उद्योग को विशेष रूप से उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर और भदोई जिलों में, और अधिक सुविधायें देने की मांग

श्री उमाकान्त मिश्र (मिर्जापुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदौही में कालीन निर्माण तथा निर्यात का कार्य बड़े पैमाने पर होता है। भारत में हाथ से निर्मित जितना कालीन बनता है उसका 75 प्रतिशत मेरे संसदीय क्षेत्र मिर्जापुर भदौही तथा उसके आस-पास के क्षेत्रों में निर्मित होता है और निर्यात किया जाता है। जितना ही अधिक कालीन का निर्माण और निर्यात होता है, उतनी ही अधिक मात्रा में विदेशी मुद्रा भारत को प्राप्त होती है। इस उद्योग में लगभग 10 लाख लोग अपनी जीविका अर्जन करते हैं। इस समय कालीन व्यवसाय अत्यन्त संकट के दौर से गुजर रहा है। कालीन के लिए कच्चा माल, ऊन और ऊन का धागा अत्यन्त महंगा हो गया है। इस उद्योग की पाकिस्तान, चीन तथा ईरान से कठिन प्रतिस्पर्धा है। मध्यम दर्जे का कालीन अधिक मात्रा में बनता है, किन्तु मुझे अवगत हुआ है कि मध्यम दर्जे के कालीन को दी जाने वाली प्रोत्साहन राशि (सी० सी० आई०) दो प्रतिशत कम कर दी गई है जबकि कालीन निर्माताओं और निर्यात-कर्ताओं की मांग थी कि प्रोत्साहन धनराशि बढ़ाई जाये।

कालीन उद्योग को संकट से बचाने के लिये निम्नलिखित बिन्दुओं पर ध्यान दिया जाये। मेरी मांग है कि सस्ते से सस्ते दर पर कालीन निर्माताओं को ऊनी धागा उपलब्ध कराने का उपाय किया जाये, प्रोत्साहन राशि (सी० सी० आई०) कम से कम 5 प्रतिशत बढ़ा दी जाये, ऊन और ऊनी धागे की आयात पर से एक्साईज ड्यूटी और कस्टम ड्यूटी जहां तक संभव हो कम कर दी जाये, कालीन के लिये नये बाजारों की तलाश की जाये, छोटे और मध्यम दर्जे के कालीन निर्माताओं के कालीन को सरकार द्वारा खरीद कर निर्यात करने की व्यवस्था की जाये, सघन कालीन निर्माण के क्षेत्रों में पानी, बिजली, सड़क, औषधालय, आवास, विद्यालय इत्यादि की व्यवस्था की जाये, भदोही औद्योगिक विकास प्राधिकरण के क्षेत्र को और विस्तृत कर दिया जाये और इस प्राधिकरण की अधिकतम धनराशि मुहैया की जाये।

(तीन) दिल्ली में सभी विद्यार्थियों को, विशेष कर लड़कियों को कालेजों में प्रवेश सुनिश्चित करने के लिये उपाय करने की मांग

श्रीमती सुन्दरवती नवल प्रभाकर (करोल बाग) : उपाध्यक्ष महोदय, हमारी प्रजातांत्रिक प्रणाली में शिक्षा का विशेष महत्व है। इसी बात को ध्यान में रख कर भारत सरकार समय-समय पर अपनी शिक्षा नीतियों में परिवर्तन करती रही है। अभी हाल ही में जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी, उसका भी मोटे तौर पर यही उद्देश्य है। लेकिन ये आश्चर्य की बात है कि भारत की राजधानी दिल्ली में हर साल शिक्षा को लेकर काफी चर्चाएं होती हैं। अभी हाल ही में यह खबरें रोज मिल रही हैं कि हमारे सैकड़ों छात्रों को कालेजों में या विश्वविद्यालयों में दाखिला नहीं मिलेगा। समस्या विशेषकर छात्राओं की है। ये समस्या हर साल इसी तरह होती रहेगी यदि हम इसका कोई कारगर समाधान नहीं करेंगे। मेरा शिक्षा मंत्री जी से अनुरोध है कि वे इस ओर तुरन्त और पक्का कार्य करने का ध्यान दें।

(चार) राजस्थान के गंगानगर जिले के भूमिहीन लोगों को बीकानेर और जैसलमेर में सरकारी भूमि आवंटित करने की मांग

श्री बीरबल (गंगानगर) : उपाध्यक्ष महोदय, इन्दिरा नहर के क्षेत्र में गंगानगर जिले के भूमिहीनों को जमीन एलाट की जाये और इन्होंने अनेकों बार इस विषय में दरख्वास्तें दी हैं, परन्तु कुछ ही परिवारों को भूमि मिल सकी है। राजस्थान सरकार ने भूमि आवंटित करने के कुछ नियम बना रखे हैं कि सर्वप्रथम भूमि जिले के भूमिहीनों को देकर जो बाकी भूमि बचती है वह दूसरे जिले के लोगों को राजस्थान में समान भूमिहीन मानकर उसी हिसाब से भूमि आवंटित की जाये। चूंकि गंगानगर जिले की जो भूमि इन्दिरा केनाल पर पड़ती है उस भूमि में से सर्वप्रथम पौंग बांध के विस्थापितों को भूमि दी गई है जो संख्या में बहुत अधिक हैं जबकि यह भूमि समानुपात से हर जिले में जहां से यह नहर गुजरती है, दी जानी चाहिए थी।

गंगानगर जिले में जहां भूमि पर जैतसर फार्म की स्थापना हुई है इसी जिले में ही सूरतगढ़ फार्म की स्थापना हुई जो कई हजार एकड़ जमीन पर स्थापित है। इस जिले की भूमि जो हनुमानगढ़ के पास पड़ती है गांव किशनपुरा की भूमि में वन विभाग की स्थापना की गई जो कई हजार एकड़ भूमि में है। यह जिला सीमान्त जिला है जहां पर कई छावनियां व हवाई अड्डे फौज की सुरक्षा हेतु बने हैं जिससे घघर फल्ड कंट्रोल करके काफी भूमि को बंजर बना दिया है जो सरकारी भूमि भूमिहीनों को मिलती है।

इस प्रकार बहुत से कारणों से इस जिले के भूमिहीनों को अपने जिले में से किसी को नहीं मिल सकी है। दूसरे जिले में वे राजस्थान के तमाम जिले में समान रूप से उसी अनुपात में भूमि ले सकते हैं।

अतः मेरा भारत सरकार से निवेदन है कि उपरोक्त बातों को ध्यान में रख कर जो सरकारी भूमि बीकानेर व जैसलमेर जिले की पड़ती है वह सर्वप्रथम गंगानगर जिले के भूमिहीनों को दी जाये ताकि यह समस्या हल हो सके और गरीब लोगों का पिछड़ापन व गरीबी दूर हो सके।

[अनुवाद]

(पांच) कृषि मंत्रालय द्वारा विदेशी पोत भाड़े पर लेने की योजना को पुनः चालू किये जाने को रोकने की मांग

श्री के० कुन्जम्बु (अडूर) : मैं कृषि मन्त्रालय द्वारा विदेशी पोतों को भाड़े पर लेने की योजना को पुनः चालू करने के समाचार पर व्यक्तव्य देने के लिए खड़ा हुआ हूं। यदि इस योजना को पुनः लागू किया गया तो इससे न केवल लगभग 10 लाख मछुआरों की जीविका खतरे में पड़ जायेगी बल्कि हमारे समुद्रों की सुरक्षा भी खतरे में पड़ जायेगी।

यह योजना 1977 में प्रायोगिक रूप से चलाई गई थी जब ई० ई० जेड० में हमारे मछली क्षेत्रों में सैंकड़ों विदेशी जलपोतों को मछली पकड़ने की अनुमति दे दी गई थी। यह योजना पूरी तरह से असफल सिद्ध हुई थी। फिर 1981 में, किराये पर देने की योजना को संशोधित किया गया था। 1982 में कार्य कर रहे 118 विदेशी पोतों में से इस समय मुश्किल से लगभग 30 पोत चल रहे हैं।

गत दो वर्षों के दौरान अकेले गुजरात में तटरक्षकों द्वारा हमारे तटीय क्षेत्रों में गैर-कानूनी रूप से मछली पकड़ने के अपराध में पचास से अधिक जल-पोत पकड़े गये थे। इस तरह

की चोरी से हमारे मछुआरे मछली पकड़ने से वंचित रह जाते थे और उनके अस्तित्व को ही खतरा उत्पन्न हो गया था।

इसके अतिरिक्त, योजना के कथित उद्देश्यों को जैसे ई० ई० जेड के गहरे समुद्री क्षेत्रों में मछली पकड़ने के कार्य विकास, अब तक प्रयोग न किये गये जल का प्रयोग करने के लिए तकनीकी जानकारी पहुंचाना, मछली पकड़ने में विविधता लाने तथा उपयुक्त गियरों के पोतों को प्राप्त करना, प्राप्त नहीं किया गया है। तो योजना को फिर से चालू क्यों किया जाये ?

विगत समय में भी तटीय जल के समीप किराये के जहाजों के अवांछनीय रूप से विद्यमान होने की बात पर काफी शोर-शराबा हुआ था विशेष रूप से केरल और गुरारत में। तटरक्षक तथा राज्य सरकार भारतीय समुद्र में इन किराये के पोतों की विद्यमानता के उन भयानक परिणामों की पुष्टि करेंगे, जिससे लाखों मछली पकड़ने वालों के हितों तथा हमारी सुरक्षा को खतरा हो रहा है।

अत: क्या मैं भारत सरकार से विदेशी जल-पोतों को किराये पर लेने की योजना लागू न करने का अनुरोध कर सकता हूं।

[हिन्दी]

(छः) बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के सर सुन्दरलाल अस्पताल के कनिष्ठ डाक्टरों की हड़ताल समाप्त कराने के उपाय की मांग

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय का सर सुन्दरलाल अस्पताल पिछले लगभग दो महीने से जूनियर डाक्टरों की हड़ताल के कारण बंद चल रहा है तथा वहां चिकित्सा कार्य बिलकुल ठप्प है। पूर्वी उत्तर प्रदेश और उसकी सीमा पर लगे बिहार और मध्य प्रदेश के लगे क्षेत्रों के लिये सर सुन्दर लाल अस्पताल एकमात्र ऐसा अस्पताल है जहां पर हर प्रकार के विशेषज्ञ डाक्टरों की सुविधा है और इलाज की पूरी सुविधा है। इस अस्पताल के बंद होने से इस क्षेत्र में भयंकर रोगों से पीड़ित गरीब मरीजों के लिए चिकित्सा के दरवाजे बंद हो गये हैं।

सर सुन्दरलाल अस्पताल में जूनियर डाक्टरों की यह पहली हड़ताल नहीं है। पिछले अनेक वर्षों से वहां इस प्रकार की हड़तालें होती रही हैं और महीनों अस्पताल बंद होता रहा है। भारत सरकार का ध्यान इस ओर कई बार दिलाया गया परन्तु अभी तक वहां की दशा ठीक नहीं हो पाई।

मेरा अनुरोध है कि केन्द्रीय सरकार शीघ्रताशीघ्र इस मामले में दखल दे ताकि वहां पर चिकित्सा का कार्य चल सके। साथ ही साथ यह आवश्यक है कि एक उच्च स्तरीय समिति सर सुन्दरलाल अस्पताल के बारे में बराबर हो रही हड़तालों तथा वहां हो रही अव्यवस्था के बारे में जांच करे और स्थिति में व्यापक सुधार के लिए अपनी सिफारिश दे।

[अनुवाद]

(सात) मद्रास में मुत्तुकडु में सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ ब्रैकिश वाटर एक्वाकल्चर स्थापित करने की आवश्यकता

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : मद्रास-महाबलीपुरम रोड़ पर मुत्तुकडु के समीप लगभग 97 एकड़ भूमि तमिलनाडु सरकार ने सैन्ट्रल मेरिन फिशरीज रीसर्च इन्स्टिट्यूट को सौंपी

थी। छठी योजना में, सी० एम० एफ० आर० आई० ने इस क्षेत्र के एक हिस्से का विकास करने के लिए काफी धन दिया था और वह कार्य पहले ही किया जा चुका है और बाकी का कार्य सातवीं योजना में शुरू कर दिया था। 1970 में जब सी. एम. एफ. आर. आई. का मुख्यालय मंडपम कैम्प से कोचीन भेजा गया था तो यह आश्वासन दिया गया था कि आई० सी० ए० आर० तमिलनाडु में अपने मछली पालन संबंधी कार्यकलाप को बढ़ायेगा और मुत्तुकडु, मद्रास, में सेंट्रल इन्स्टिट्यूट आफ ब्रेकिश वाटर एक्वाकल्चर स्थापित करने से और बेहतर कुछ नहीं हो सकता। राज्य सरकार एक संस्थान का मुख्यालय हटने के बाद निश्चित ही उपरोक्त स्थल पर नये संस्थान के लिए सभी आवश्यक बुनियादी ढांचा उपलब्ध करायेगी। सरकार को इस पर गंभीरता से विचार करना चाहिए क्योंकि ब्रेकिश एक्वाकल्चर अर्थात् कोस्टल एक्वाकल्चर तामिलनाडु के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर प्रानकल्चर, फिन फिश कल्चर तथा शुक्ति कल्चर आदि के संबंध में काफी आधार कार्य पहले ही किया जा चुका है। शुरू करने के लिए संस्थान का बजट 3 करोड़ रुपये का होगा और एक बार शुरू होने के बाद दोनों ही राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक धन मिलेगा और यह एक सर्वोतम केन्द्र के रूप में विकसित होगा। यह संस्थान न केवल तमिलनाडु के लिए उपयोगी होगा बल्कि सारे राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होगा क्योंकि इस संस्थान के कार्यकलापों में जन शक्ति विकास भी एक प्राथमिक क्षेत्र होगा। मद्रास शहर के समीप होने के कारण यह संस्थान केंद्रीय सरकार तथा आई० सी० ए० आर० की उचित योजना से समय के साथ-साथ शक्तिशाली होता जायेगा। निवेदन है कि योजना आयोग द्वारा इस संस्थान को अपेक्षित धन दिया जायेगा क्योंकि ऐसे संस्थान के स्थापित करने के लिए यह स्थल बहुत बढ़िया है।

[हिन्दी]

(आठ) विभागेतर डाक कर्मचारियों की सेवायें नियमित करने की आवश्यकता

श्री रामाश्रय प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : उपाध्यक्ष महोदय, अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारी पद का सृजन 1885 में हुआ। वे लोग विभागीय की तरह काम करते हैं लेकिन इन्हें अविभागीय कहा जाता है। पांच घंटा काम करते हैं लेकिन भत्ता के रूप में 150 से 250 रुपया मात्र मासिक मिलता है। भारत में लगभग तीन लाख अतिरिक्त विभागीय कर्मचारी (इ० डी०) हैं। इनका विभागीयकरण मुख्य सवाल है बिहार में 25 हजार विभिन्न शाखा डाकघरों में सेवारत हैं। 22-4-77 को ही सर्वोच्च न्यायालय ने विभागीयकरण करने का फसला किया है। लेकिन भारत सरकार ने लागू नहीं किया। भारत सरकार से अनुरोध है कि अतिरिक्त विभागीय डाक कर्मचारी को विभागीय सेवा में लिया जाये।

2.33 म० प०

देश के विभिन्न भागों में साम्प्रदायिक स्थिति के बारे में चर्चा

—[जारी]

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : सभा अब देश के विभिन्न भागों में सांप्रदायिक स्थिति के बारे में आगे चर्चा करेगी। हम इस विषय पर गत दो दिनों से चर्चा कर रहे हैं और आज तीसरा दिन है। कई सदस्यों ने काफी योगदान किया है। आज 2.50 म० प० पर माननीय मन्त्री श्री पी० चिदरम्बरम बीच में बोलेंगे और 5.15 म० प० पर माननीय मंत्री, श्री पी० चिदम्बरम् बीच में बोलेंगे और 5-15 म०प० पर माननीय मंत्री, श्री बूटा सिंह उत्तर देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बसीरहाट) : सभा और दिनों की तरह 6.00 म० प० पर स्थगित होगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : हां । अतः मैं सभी सदस्यों से पांच या दस मिनट बोलने का निवेदन करता हूं ताकि हम अधिक सदस्यों को चर्चा में भाग लेने के लिए सम्मिलित कर सकें ।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं यह बहुत महत्व का विषय है और इस महत्वपूर्ण विषय के लिए आप समय बढ़ाइये । पहले रात-रात भर यह सदन बैठा है । पिछले तीन दिनों से हम प्रतीक्षा में हैं, हम लोगों को भी बोलने के लिए मौका दिया जाना चाहिए ।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय : आप अपने विचार जब आपकी बारी आये तो पांच मिनट में व्यक्त कर सकते हैं ।

श्री मूल चन्द डागा (पाली) : मैं आपसे निर्धारित समय विनियमित करने का निवेदन करता हूं । कुछ सदस्य आधे घंटे तक बोलते हैं, कुछ सदस्य तीन मिनट या पांच मिनट या सात मिनट तक बोलते हैं । आप समय नियंत्रण विनियमित करने का हमेशा प्रयास करते हैं ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इस पर नियंत्रण कर रहा हूं लेकिन समस्या यह है कि सदस्यों की सूची बहुत देर से आती है । सदस्य अपने नाम बहुत देर से देते हैं । मुझे इसके लिए खेद है । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

श्री दिनेश गोस्वामी गौहाटी : उपाध्यक्ष महोदय, मुझे जो यह अवसर दिया है उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं । (व्यवधान)

श्री राम नगीना मिश्र : महोदय, मैं भी·····(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : आप समय नष्ट कर रहे हैं । मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है । गोस्वामी जी, आप अपनी बात जारी रखे ।

श्री दिनेश गोस्वामी : इस विषय पर बोलने का अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं और मैं आपका इसलिए भी धन्यवाद करता हूं कि आपने इस विषय पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया है और मामले पर इस प्रकार से जल्दबाजी नहीं की गयी है जैसी कि नियम 193 की चर्चाओं के बारे में की जाती हैं तथा उन्हें एक दिन में समाप्त कर दिया जाता है ।

मैं अपना भाषण इस बात से शुरू करूंगा कि इस देश के अधिकतर लोग धर्मनिरपेक्ष हैं और देश का हित उनके दिल में है । अन्यथा भारतीय संस्कृति समृद्ध नहीं हो पाती जबकि वो संस्कृतियां जो मानव इतिहास में अधिक प्रभावशाली भूमिका अदा करती रही थीं लुप्त हो गईं तथा हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था इतनी देर तक देश की बहुत सी जटिलताओं से जूझते हुए भी जीवित बनी नहीं रह पाती जबकि पड़ोसी राष्ट्रों में या कई पड़ोसी राष्ट्रों में सभी व्यवस्थायें असफल हो गयीं हैं । लेकिन मैं समझता हूं कि साम्प्रदायिक समस्या को हल करने के लिए कोई ऐसा विस्तृत प्रयास नहीं किया गया है जैसा कि इसे हल करने के लिए करना चाहिए था । इस देश में साम्प्रदायिक समस्या को आज कानून और व्यवस्था की समस्या के रूप में लिया जाता है । जब साम्प्रदायिक गड़बड़ी होती है तो पुलिस को भेजा जाता है । अगर पुलिस असफल हो जाती है तो

पैरा-मिलिटरी बलों को भेजा जाता है। कुछ असामाजिक तत्वों को पकड़ा जाता है, कुछ अपनी गिरफ्तारी से बच निकलते हैं, कुछ स्वतंत्र बने रहते हैं, संसद में शोर होता है, चर्चा में होती है, बेकसूर लोग कष्ट उठाते हैं, फिर कुछ समय बाद वातावरण शान्त हो जाता है और हम बैठकर अगले विध्वंस का इन्तजार करते हैं।

मैंने भारत सरकार का अभी तक ऐसा कोई प्रतिवेदन नहीं देखा है जिसमें देश के किसी भाग में हुए साम्प्रदायिक झगड़े का कोई सामाजिक अध्ययन किया गया हो। कुछ भिवंड़ी और मुरादबाद जैसे कई संवेदनशील क्षेत्र हैं जहां हर वर्ष साम्प्रदायिक झगड़े होते हैं। लेकिन क्या पहले या बाद में इन झगड़ों के कारणों का पता लगाने तथा उनके उपचारात्मक उपाय करने के लिए कोई अध्ययन किया गया है? हम अपने देश में यह नहीं करते हैं लेकिन ऐसे देश हैं जहां पर ऐसे अध्ययन किये जाते हैं और ये देश इन अध्ययनों का लाभ उठाते हैं, इसलिए नहीं कि इस देश को उनसे लाभ हों बल्कि इसलिए कि इस देश में अस्थिरता पैदा हो।

जैसा कि दंडवते जी ने वाद-विवाद शुरू करते हुए ठीक ही कहा था कि हमारा रूख लगभग अग्नि शमन विभाग की तरह का रहा है। साम्प्रदायिक झगड़ों के बहुत सारे कारण हैं जिनका पता लगाने का हमने प्रयास नहीं किया है। संभवतः, प्राथमिक कारण सामाजिक-आर्थिक है। देश में बहुत से संवेदनशील स्थान हैं जहां पर लोग अपनी जीविका के लिए परम्परागत धंधों को अपनाते हैं; और ये परम्परागत धंधे लाखों काम पाने वाले लोगों को ये परम्परागत रोजीरोटी दिलाने में सक्षम नहीं है जिसके परिणाम स्वरूप लोगों में असंतोष और रोष है और हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि भारतीय लोग बहुत ही भावुक होते हैं।

सामाजिक और आर्थिक असमानताओं के कारण उन्हें अत्यधिक दबावों तथा तनावों के बीच रहना पड़ता है। अवांछनीय तत्व, असामाजिक तत्व तथा राजनीतिज्ञ भी इनकी भावनाओं से खिलवाड़ करते हैं और फायदा उठाते हैं। उन खास क्षेत्रों की, जहां पर बार-बार दंगे होते हैं सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों पर गहराई से जाने की तथा इसका कोई दीर्घकालीन निदान खोजने की हमने कोशिश नहीं की है।

दूसरा कारण माफिया गिरोहों की उपस्थिति है। लोगों के आर्थिक हित विभिन्न समुदायों के विभिन्न लोगों द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं। कुछ आर्थिक हित हिन्दुओं द्वारा नियंत्रित किए जाते हैं; कुछ आर्थिक हित मुसलमानों द्वारा नियंत्रित किए जाते है; लेकिन जब किसी व्यक्ति के आर्थिक हित को हानि पहुंचती है तब वह अपने हित को समुदाय के हित से जोड़ने का प्रयास करता है, जिसका परिणाम यह होता है कि उन आर्थिक कारणों से हिन्दू या मुसलमान व्यक्ति को पहुंची क्षति इसे साम्प्रदायिक दंगों में बदल देती हैं। हमने इन लोगों को पहचानने और उनके खिलाफ कड़ी कार्यवाही करने की कभी भी कोशिश नहीं की है। एक तीसरा कारण भी है कि धार्मिक सम्प्रदायों में अपनी अपनी शक्ति के प्रदर्शन की प्रवृति सामने आयी है। कितने दुभग्यि की बात है कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में मन्दिर और मस्जिद दो सम्प्रदायों के बीच दरार डालने वाले कारण बन गये है।

मैं प्रसन्नता पूर्वक यह बात कह सकता हूं कि हमारे राज्य में हाजो नामक स्थान है जहां मन्दिर और मस्जिद आमने सामने खड़े हैं और वहाँ कोई साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं है। मस्जिद जाने वाला निश्चित रूप से मन्दिर जाता हैं, मन्दिर जाने वाला भी निश्चित रूप से मस्जिद जाता है, वहां यह एक परम्परा बन गयी है।

आज देश में धार्मिक सम्प्रदायों द्वारा आत्मदंभ प्रदर्शन एक प्रबल शक्ति बनता जा रहा है। इसका निराकरण होना चाहिए। राजनीतिक संरक्षण की भी समस्या है। इसमें राजनीति लाने का मेरा इरादा नहीं है। विदेशी शासकों ने इस पर 'बाटो और राज करो' के सिद्धांत पर शासन किया। यदि हम अपने हृदयों में झांके तो हम पायेंगे कि अनेक अवसरों पर हम अपनी राजनीतिक हित साधना के लिए उसी विदेशी शासकों की नीति का अनुसरण करते हुये एक समुदाय को दूसरे समुदाय के विरुद्ध प्रयोग कर रहे हैं।

पुलिस कार्यवाही का एक पहलू है उसकी उदासीनता तथा दूसरा उसकी ज्यादतियां। पुलिस भी अपने को असहाय महसूस करती है क्योंकि यदि वे कोई कार्यवाही करते है, मान लो गोली चलाने की घटना होती है तो तुरन्त ही लोग न्यायिक जांच की मांग करने लगते हैं फलत: पुलिस को ही न्यायालय के कटघरे का सामना करना पड़ता है जिससे वह अपने को असमंजस की स्थिति में पाता है।

पुलिस प्रशासन के कार्य में राजनीतिक दखलन्दाजी एक आम बात हो गई है। पुलिस प्रशासन को स्थिति से निपटने के लिए वह अवसर नहीं दिया जाता जो उसे मिलना चाहिए।

इसका क्या परिणाम हुआ है ? इसका परिणाम यह हुआ है कि सेना का अत्यधिक प्रयोग बढ़ गया है। एक आंकड़े के अनुसार 1980 और 1983 के बीच सेना 747 बार पुलिस की मदद के लिए गयी जिसमें 397 बार तो केवल कानून और व्यवस्था के प्रश्न पर। 1984 में सेना 175 बार बुलाई गई जिसमें 95 बार कानून और व्यवस्था को कायम करने के लिए। यह खतरनाक स्थिति है। मैं एक ऐसे राज्य से संबंधित हूं जहां छह वर्षों से आन्दोलन जारी है। मैं इसकी तह में नहीं जाना चाहता। वहां पर सेना का प्रयोग किया गया। मेरा विचार है कि सेना के अत्यधिक प्रयोग से जनता में उसके प्रति विश्वास कम होता है। इस स्थिति की दो खतरनाक संभावनाएं है। प्रथम, जब हम सेना का कानून और व्यवस्था को नियंत्रित करने के उद्देश्य से प्रयोग करते हैं, तो इसका राजनीतिकीकरण हो जाता है। द्वितीय, यदि सेना जनता का विश्वास खो देती है तो देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जायेगी। इसलिए कुछ जरूरी कदम उठाये जाये, केवल कानून और व्यवस्था के हित में ही नहीं बल्कि इसके मूल में भी जाने का प्रयास किया जाना चाहिए।

चूंकि आपने घण्टी बजा दी है, अतएव मैं केवल सुझाव ही दूंगा जो मेरे दिमाग में हैं। मेरा विचार है कि यह उचित समय है जबकि देश के उन संवेदनशील क्षेत्रों का पता लगाया जाना चाहिए जहां दंगे बार-बार होते रहते हैं। हमें गहराई से सामाजिक अध्ययन करना होगा। सरकार के नियंत्रण में सभी बल है। जब मैं बल कहता हूं तब मेरा अभिप्राय पुलिस या सैन्य बल से नहीं हैं, मेरा अभिप्राय इस अध्ययन के लिए समग्र सामग्री उपलब्ध कराना तथा परम्परा से चले आ रहे धंधे को तोड़ने एवं माफिया गिरोहों के बढ़ते हुये प्रभाव को नियंत्रित करने के लिए उपाय है। पुलिस बल को पूरी तरह नए ढंग से प्रशिक्षित करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति का सामना करने के लिए पुलिस को कोई प्रशिक्षण नहीं प्रदान किया गया है। वे केवल कानून और व्यवस्था की दृष्टि से प्रशिक्षित किए गये है। मैं इस मुद्दे पर और अधिक नहीं टिकना चाहूंगा क्योंकि हमारे दल में एक अति विशिष्ट भूतपूर्व पुलिस अफसर श्री रहमान जी भी हैं। मैं आशा करता हूं कि वह इस मामले में भाग लेते हुये कुछ समय देंगे तथा कुछ सुझाव देंगे।

हम हमेशा लोगों को उपदेश देते रहते हैं। मेरा विश्वास है कि आत्म-सुधार करने वालों में राजनीतिज्ञ पहले व्यक्ति होंगे। साम्प्रदायिक दंगों से राजनीतिक संरक्षण तथा राजनीतिक

दखलंदाजी समाप्त करनी होगी तथा राष्ट्रीय स्तर पर राजनीतिक सहमति विकसित करनी होगी। इस दिशा में गम्भीर प्रयास नहीं किए गये है। दोषी पाये जाने वाले व्यक्तियों को कठोरता से दण्डित किया जाये तथा किसी भी प्रकार का सार्वजनिक पद धारण करने से रोका जाये। यदि कोई व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगों को भड़काने या उसमें भाग लेने या साम्प्रदायिक शक्तियों को सहायता पहुंचाने का अपराधी है, तो मैं नहीं समझता कि उसे कोई सार्वजनिक पद धारण करने का अधिकार है। कुछ ऐसे मानदण्ड स्थापित किए जाने चाहिए तथा कानून में कुछ संशोधन किया जाना चाहिए जिससे हम कुछ ऐसे कड़े कदम उठा सकें जिससे साम्प्रदायिक गतिविधियों में भाग लेने वाले या भड़काने वाले व्यक्तियों को सार्वजनिक पद धारण करने की अनुमति न प्रदान की जा सके।

जैसा कि मैं कह चुका हूं कि लोगों को केवल उपदेश देने का कोई मतलब नहीं है। हम लोग यह भी न सोचे कि हम लोग साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों से मुक्त हैं अथवा धर्मनिरपेक्षता पर किसी एक दल का एकाधिकार नहीं है। मेरा विश्वास है, जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं कि भारतीय लोगों की अधिसंख्या हृदय से धर्म निरपेक्ष हैं और जब भी कोई साम्प्रदायिक उपद्रव होता है, उनका कोई हाथ नहीं होता है। गलती उन लोगों की नहीं है गलती हमारी है। यह उचित समय है जब हम अपनी गल्तियों को खोजने की कोशिश करे चाहे उन कारणों को जानने और उनका निराकरण ढूंढने में हमारी असमर्थता हो या इस स्थिति का राजनैतिक लाभ उठाने की हमारी कोशिश हो। मैं और बोलना चाहता लेकिन कुछ अन्य सदस्य भी बोलना चाहते हैं, इसलिए इन शब्दों के साथ में अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री बल राम सिंह यादव (मैनपुरी) : माननीय उपाध्यक्ष जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर उठाये गये मुद्दे पर बोलने का अवसर प्रदान किया।

मान्यवर, हमारा भारत एक ऐसा देश है जहां विभिन्न धर्मों के लोग रहते है—हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई और पारसी। हमारे देश की यह एक बहुत बड़ी शान है कि हम हमेशा से, इतिहास भी इस बात का गवाह है—विविध होते हुए भी एक हैं। यही हमारे देश की सब से बड़ी शक्ति है।

मान्यवर, हमारा दुर्भाग्य यह है कि इस देश में कुछ निहित स्वार्थ वाले तत्व दंगे कराते रहते हैं और इन दंगों की वजह से हमारे देश का बड़ा नुकसान हुआ है। जब अंग्रेज हमारे देश के अन्दर थे तो उन्होंने लगातार हिन्दू और मुसलमान के बीच नफरत की दीवार खड़ी की और डिवाईड एण्ड रूल की नीति को चलाते हुए उसने बड़ा नुकसान किया। जब अंग्रेज इस देश से गये तो वे एक नंगा, भूखा और उजड़ा भारत छोड़ कर गये।

आजादी के बाद से हमारे देश में विकास होना प्रारंभ हुआ। हम औद्योगिक, साइन्स, टैक्नोलोजी, शिक्षा, शहरी व ग्रामीण विकास के क्षेत्र में आगे बढ़े और बहुत कुछ तरक्की की। किन्तु आज दुनिया की कुछ ताकतें हैं जो नहीं चाहतीं कि हिन्दुस्तान एक मजबूत देश बने, हिन्दुस्तान तरक्की के रास्ते पर आगे बढ़ें। जो नहीं चाहती कि हिन्दुस्तान अखण्ड रहे। ये तमाम ताकतें हिन्दुस्तान को खंडित करना चाहती है। इनके मंसूबे हमको मालूम है। मान्यवर आपको मालूम है कि आज पंजाब के अन्दर क्या हो रहा है? आपको मालूम है कि हिन्दुस्तान के पूर्वोत्तर राज्यों

में चीन क्या करना चाहता है। अमेरिका पंजाब के कुछ लोगों को भड़का कर, पंजाब के हमारे कुछ लोगों को जिनको उग्रवादी कहते हैं, उन पर हाथ रख कर, उनको ट्रेनिंग दे रहा है, उनको आर्म्स एण्ड एम्युनीशन दे रहा है, उनको धन दे रहा है। इस तरीके से पंजाब के अन्दर ये चद लोग अस्थिरता पैदा कर रहे हैं। इस तरह से वे पंजाब के टुकड़े टुकड़े करना चाहते है।

मान्यवर, पंजाब के अन्दर, मुझे साठ दिन रहने का मौका मिला। मुझे तीस दिन के लिए पंजाब में जन-सम्पर्क कार्य के लिए पार्टी की ओर से भेजा गया। बाद में तोस दिन मुझे पंजाब में हुए चुनावों के कार्य के लिए भेजा गया। इन साठ दिनों में मैंने पंजाब को नजदीक से देखा है। पजाब के भाई आम तौर से शान्ति चाहते हैं।

उनके मन में क्लेश है, दुःख है कि ये हालात पंजाब में पैदा किए जा रहे हैं। इन सब बातों से पंजाब का बहुत नुक्सान हुआ है। पंजाब जो हमारे देश में कृषि में, उद्योग में और खुशहाली में सबसे आगे था, आज वही पंजाब उजड़ता नजर आ रहा है। आज हमें देखना है कि इन ताकतों को किसी भी कीमत पर हमें मजबूत नहीं होने देना है, इन ताकतों को दबाना है। मैं समझता हूं कि पंजाब के हिन्दू और सिक्ख इन सब बातों को दबाने के लिए कृतसकल्प हैं।

मान्यवर, हमारी कांग्रेस पार्टी की नीति हमेशा से देश को एक रखने की रही है। महात्मा गांधी ने, पंडित नेहरू ने, श्रीमती इदिरा गांधी ने इस देश को अखण्ड रखने के लिए, साम्प्रदायिक तौर पर एक रखने के लिए बहुत कुछ किया है। मान्यवर, महात्मा गांधी की कुर्बानी इसका सुबूत है, श्रीमती इदिरा गांधी की कुर्बानी इसका सुबूत है। आपको याद होगा जिस समय श्रीमती इदिरा गांधी की हत्या हुई थी, पूरा देश दंगों की आग में जल रहा था और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं सूझबूझ के धनी और बहादुर प्रधान मन्त्री को, एक तरफ उनकी मां की लाश तीन मूर्ति भवन में रखी हुई थी और दूसरी तरफ प्रशासन के मना करने के बाद भी साम्प्रदायिकता और दगों को दबाने के लिए राजीव गांधी जी दिल्ली के दंगाग्रस्त क्षेत्रों में गए और आपको मालूम होगा कि 24 घंटे के अंदर पूरे देश के अंदर इस पर काबू पाया। ये थी हमारे प्रधान मन्त्री श्री राजीव गांधी की सूझबूझ।

मान्यवर, आज सबसे अधिक दुख का विषय यह है कि इन झगड़ों के पीछे छोटी-छोटी बातें होती हैं। आज जितने भी सांप्रदायिक दंगे थोड़े बहुत हुए हैं, चाहे अहमदाबाद में हों, लखनऊ में हों या उत्तर प्रदेश में अन्य जगहों पर हों, ये सब छोटी-छोटी बातों को लकर हुए हैं। इन झगड़ों के पीछे साम्प्रदायिक उन्माद बहुत कम देखने को मिलता है। असामाजिक तत्व, तस्कर, ये लोग ही मुख्य तौर पर इन सारी बातों को कराते हैं। मान्यवर, इन सारी बातों से निपटने के लिए सिर्फ सरकार ही जिम्मेदार नहीं है, राजनीतिक दलों को, सामाजिक संस्थाओं को, स्वैच्छिक संस्था नों को और धार्मिक संस्थाओं को, सब को मिलकर एक मन बनाकर इस चुनौती का सामना करना चाहिए, तभी हम इसमें सही प्रकार से सफल हो सकते है।

मान्यवर, उत्तरप्रदेश के अंदर जो राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद का मामला उठाया गया था, विश्व हिन्दू परिषद् ढाई वर्ष से राम-जानकी रथ उत्तरप्रदेश में घुमा रही थी, जिसकी वजह से निश्चित रूप से उत्तरप्रदेश के अंदर तनाव था, लेकिन में धन्यवाद देना चाहता हूं उत्तर प्रदेश के मुख्यमन्त्री को, वहां की हुकूमत को कि राम-जानकी रथ को घुमाने पर उन्होंने पूर्णतः रोक लगा दी और दोनों वर्ग के धार्मिक नेताओं को जो···।

सैयद शहाबुद्दीन (किशनगंज) : की मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा, हाय उस जूदपशेमां 'का पशेमां' होना। (व्यवधान)

श्री बलराम सिंह यादव : जो धर्म के ठेकेदार हैं, जो लोग साम्प्रदायिक दंगे करवाते हैं, उन सब पर उत्तर प्रदेश में रोक लगा दी गई है और आज स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में हैं।

अन्त में मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। एक तो जिलों में जिला अधिकारियों को पुलिस में ऐसे अधिकारियों को नियुक्त करना चाहिए जिनकी इमेज सेकुलर हो, क्योंकि कभी-कभी कुछ हद तक प्रशासनिक लैप्सेस इसके लिए जिम्मेदार होते हैं। सब सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जानी चाहिए। प्रैस को भी ऐसी बातें नहीं छापनी चाहिए जिससे शान्ति स्थापना में बाधा उत्पन्न हो। हर जनपद में साम्प्रदायिक सौहार्द समितियां बनी हैं, उन्हें सक्रिय किया जाए। ऐसे प्लेसेज को आइडैन्टीफाई किया जाए जहां साम्प्रदायिक दंगे होते हैं। किस अवसर पर ये दंगे होते हैं, उस अवसर को भी आइडैन्टीफाई किया जाए और उसके लिए पहले से ही इंतजाम किया जाए। एक निश्चित मशीनरी लगाई जाए ताकि सब चीजों पर काबू पाया जा सके। इन शब्दों के साथ मैं इस साम्प्रदायिकता की भर्त्सना करता हूं।

[अनुवाद]

कार्मिक, सार्वजनिक शिकायतें और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): उपाध्यक्ष महोदय, इस मामले पर जो कि पूरे देश के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, अब तक 23 माननीय सदस्य बोल चुके हैं। मैंने उनकी बात बड़े ध्यानपूर्वक सुनी है और उन्होंने जो अमूल्य सुझाव दिए, उसके लिए मैं उनका आभारी हूं।

महोदय, एक बात जो मैं समझता हूं कि हम सब को ध्यान में रखनी चाहिए और मेरे विचार से सब इससे सहमत भी होंगें, वह यह है कि किसी भी सांप्रदायिक दंगे में, सांप्रदायिक अशांति में और इस तरह कि किसी भी स्थिति में गरीब लोगों को ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। चाहे वह निर्धन व्यक्ति हिंदू हो या मुसलमान या ईसाई—निर्धन व्यक्ति का ही घर लुटता है, उसी की पत्नी, पुत्र और दुकान लुटे हैं। पिछले सप्ताह मैं अहमदाबाद में था और मैंने वहां बड़ी दिल दहला देने वाली बातें सुनी कि किस तरह 1985 में एक छोटी सी साइकिल की दुकान जला दी गई थी।

श्री दत्ता सामंत (बंबई दक्षिण मध्य) : कपड़ा श्रमिक भी प्रभावित हुए थे।

उपाध्यक्ष महोदय : साइकिल दुकानदार भी श्रमिक ही है।

श्री दत्ता सामंत : गुजरात में 60,000 कपड़ा श्रमिक हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : साइकिल की दुकान चलाने वाला भी श्रमिक ही है। आप अन्य श्रमिकों की बात भूल जाइए।

श्री पी० चिदम्बरम : उसने अपनी दुकान बनाई और पुनः उसे जला दिया गया। इस बार मुझे दूसरे मामले के बारे में बताया गया। मैं नहीं जानता कि इसमें कहां तक सच्चाई है। एक मकान मालिक ने अपने किराएदार से दुकान खाली कराने की कोशिश की। वह अपने किराएदार से दुकान खाली नहीं करवा सका। उसने कुछ लोगों के साथ मिलकर वह दुकान जलवा डाली।

किराएदार को पुनः उसका कब्जा मिल गया, उसकी दुकान की क्षतिपूर्ति की गई, उसने दुबारा दुकान बनवाई और फिर उसे जला दिया गया। अतः मुझे यह विश्वास हो गया कि इस देश में निर्धन व्यक्ति यह महसूस करता है कि सांप्रदायिक सौहार्द में ही उसका हित है; इसी में उसका निहित स्वार्थ है। मैं यह नहीं मानता, कहूंगा कि गरीब लोग सांप्रदायिक दंगों को बढ़ावा देते हैं अथवा सांप्रदायिक दंगे शुरू करते हैं। क्योंकि वे अच्छी तरह जानते हैं कि एक दिन या सप्ताह के बाद वे ही सबसे अधिक प्रभावित होंगे। उन्हें ही सबसे अधिक नुकसान होगा अतः मैं समझता हूं कि हमें स्वयं से यह प्रश्न पूछना चाहिए कि इन दंगों और अशांति के पीछे किसका हाथ है। मुझे बोलने का प्रो० मधु दंडवते या किसी अन्य व्यक्ति जितना अनुभव नहीं है। मैं ऐसे राज्य से निर्वाचित होकर आया हूं जहां बहुत शांति है। मुझे पहले सांप्रदायिक दंगे का पता उस समय चला जब इस मंत्रालय में आने के कुछ ही दिन बाद इलाहाबाद गया और फिर मैं 3 दिन के लिए अहमदाबाद गया। यहां हर कोई राजनैतिक दल को दोषी ठहराता है—मुझे विश्वास है कि कुछ राजनैतिक दलों की इसमें महत्त्वपूर्ण भूमिका है—मैं यह बात पूरे विश्वास से कह सकता हूं कि ऐसी नाजुक स्थिति का असमाजिक तत्त्व हमेशा ही नाजायज लाभ उठाते हैं।

3.00 म०प०

अहमदाबाद जैसे नगर को लीजिए। कई वर्षों से अहमदाबाद शहर का विकास इस प्रकार हुआ है कि उसके कुछ हिस्सों में एक ही संप्रदाय के लोगों का जमाव हो गया हालांकि बीच में छुटपुट दूसरे संप्रदायों के लोग भी रहते हैं। शहर के अंदरुनी हिस्से में, जैसा कि आमतौर पर बड़े शहरों में होता है, असामाजिक तत्त्वों का नियंत्रण है। अधिकतर लोग शराब का धंधा, वेश्यावृत्ति और तस्करी आदि जैसे असामाजिक कामों में लगे हैं। यही लोग मौके का नाजायज फायदा उठाते हैं और सांप्रदायिक दंगों को भड़काने में इन्हीं लोगों का हाथ होता है और यही लोग विध्वंसकारी स्थिति पैदा करते हैं। हमें इन सांप्रदायिक दंगों का सामना करने के लिए कुछ परंपरागत तरीकों से हटना होगा और इस संबंध में मेरे कुछ उपयोगी विचार भी हैं और मैं इस बारे में अपने विचार व्यक्त करूंगा। हम सब इस बात से सहमत हैं कि किसी भी किस्म का रूढ़िवाद अच्छा नहीं। यह कट्टरपन धर्म का भी हो सकता है और भाषा का भी हमें अपने को टटोलना होगा कि हम कितने उदार और धर्मनिरपेक्ष हैं। हो सकता है कि हम धर्म के मामले में धर्मनिरपेक्ष हों पर जहां भाषा का प्रश्न आता है, हमारा दृष्टिकोण बहुत संकुचित हो जाता है और हम कट्टर बन जाते हैं। किसी भी तरह का कट्टरपन अच्छा नहीं है और मैं समझता हूं कि व्यक्ति में इसी कट्टरपंथी, धर्मान्धता का पुनरुत्थान ही सभी परेशानियों की जड़ है। मैं समझता हूं कि हमें इस संबंध में पंडित नेहरू को अपना आदर्श बनाना चाहिए और मेरे विचार से इस दिशा में उनका कोई सानी नहीं। धर्म, भाषा और जाति के संबंध में हमें उन्हें अपना आदर्श बनाकर उनके विचारों का अनुकरण करना चाहिए क्योंकि इस मामले में वह सभी पूर्वाग्रहों, दकियानूसी विचारों से ऊपर थे। वह केवल हमारे बच्चों के लिए ही आदर्श नहीं हैं—हम सब अपने बच्चों और आगे उनके बच्चों को भाषण देते रहते हैं लेकिन हमें खुद उन्हें अपना आदर्श बनाना चाहिए चाहे हम किसी भी धर्म या जाति के क्यों न हो हमें अपने पर नियंत्रण रखना चाहिए। किसी भी धार्मिक सम्मेलन में भाग लेना या किसी संगठन का सदस्य बनकर किसी विशिष्ट जाति के हितों का समर्थन करना बहुत आसान है लेकिन किसी एक धर्म या एक जाति के बधन से ऊपर उठकर रहना बहुत मुश्किल

काम है। सार्वजनिक जीवन में हमें अपना दृष्टिकोण उदार बनाना चाहिए। किसी भी धर्म, जाति और वर्ग से संबंध की भावना से ऊपर उठकर रहना चाहिए।

महोदय, यह ठीक है कि पिछले पांच साल में सांप्रदायिक स्थिति और बदतर हुई है। आप में से कई लोग मानते होंगे और मैं भी यही समझता था कि 1985 का वर्ष इस दृष्टि से बहुत बुरा गुजरा। वर्ष 1985 से यदि गुजरात के आंकड़े हटा दिए जाएं तो तुलनात्मक रूप में यह वर्ष कहीं बेहतर था। गुजरात के दंगों के कारण ही 1985 का वर्ष बहुत खराब रहा लेकिन 1986 के पहले 6 महीने भी काफी खराब गुजरे। सांप्रदायिक दंगों की दृष्टि से 88 जिलों को अत्याधिक संवेदनशील और 98 जिलों का संवेदनशील करार दिया गया है। इन जिलों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य इसी सभा में है। यह उनके लिए बड़े शर्म की बात है कि उनके क्षेत्र अत्याधिक संवेदनशील करार दिए गये हैं। हम इस बारे में क्या कर रहे हैं? राज्य सरकारें क्या कार्रवाई कर रही हैं? केन्द्र सरकार क्या कर रही है? मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हम इस बारे में क्या कर रहे हैं और राज्य सरकारों से हम क्या अपेक्षा करते हैं। अक्तूबर 1980 में सांप्रदायिक दंगों को दबाने और उनकी पुनरावृत्ति को रोकने के लिए कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किए गए थे और जुलाई, 1985 में इन सिद्धांतों की समीक्षा की गई और उन्हें संशोधिक रूप में जारी किया गया।

मैं इनमें से कुछ मार्गदर्शी सिद्धांतों की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं क्योंकि मैं समझता हूं कि सभी मार्गदर्शी सिद्धांतों का जितनी ईमानदारी से उल्लंघन होता है शायद उतना उनका पालन नहीं होता है। मार्गदर्शी सिद्धांतों को पढ़ा जाता है और फिर ताक पर रख दिया जाता है। फिर इनकी कुछ उपयोगिता नहीं रहती कल एक माननीय सदस्य ने उल्लेख किया कि इस सभा में जितने दल है वे सतारूढ़ और विपक्ष दोनों स्थिति में है। यदि कोई दल संसद में विपक्ष में है तो राज्य में वह सत्ता में है। कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) एक राज्य में सत्तारूढ़ है। जनता पार्टी भी सत्ता में है। ऑल इंडिया द्रमुक भी सत्तारूढ़ दल है। मुस्लिम लीग की भी एक राज्य में सत्तारूढ़ दल से साझेदारी है। इस तरह हर किसी पर जिम्मेदारी है। मैं समझता हूं कि आप सीधे यह नहीं कह सकते कि "हम केन्द्रीय सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं।" मैं भी पलट कर कह सकता हूं कि हम राज्य सरकारों को मार्गदर्शी सिद्धांत क्रियान्वित न करने के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं। यह एक दूसरे पर तोहमत लगाने का मामला नहीं है। हम किस हद तक इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को क्रियान्वित कर सके हैं। यदि हम में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू करने मात्र की राजनैतिक इच्छा होती तो बहुत हद तक इन सांप्रदायिक दंगों और सांप्रदायिक हिंसा को रोका जा सकता था।

मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं। मार्गदर्शी सिद्धांतों में यह साफ लिखा है कि इन दंगों के लिए कलक्टर, जिला मजिस्ट्रेट और जिले का पुलिस अधीक्षक मुख्यत: जिम्मेदार है और अब जब मैं यह कह रहा हूं तो मैं गृहमंत्री की ओर से ही कह रहा हूं कि भविष्य में ऐसे दंगों के लिए सीधे कलक्टरों, सभी पुलिस अधीक्षकों को जिम्मेदार ठहराया जाएगा। (व्यवधान) कृपया मेरी बात सुनिए (व्यवधान) जिला मजिस्ट्रेट और पुलिस अधीक्षक राज्य सरकार के नियंत्रण में है। उन्हें स्टेट कैडर दिया जाता है। वे राज्य सरकारों के प्रति जवाबदेह हैं। लेकिन यदि सभा का यह मत है कि किसी भी राज्य में होने वाले सांप्रदायिक दंगों के लिए केन्द्र सरकार हस्तक्षेप करे और पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराए तो हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम जिला मजिस्ट्रेट को, पुलिस अधीक्षक को जिम्मेदार ठहराएंगे। जहां तक मेरा संबंध है, गृह मंत्रालय में

राज्य मंत्री तथा कार्मिक मंत्रालय का मंत्री होने के नाते ही नहीं, भारतीय प्रशासनिक सेवा और भारतीय पुलिस सेवा का नियंत्रण करने वाले प्राधिकरण का मंत्री होने की हैसियत से भी कह रहा हूं कि हम भविष्य में किसी किस्म के सांप्रदायिक दंगों के लिए सीधा पुलिस अधीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को मुख्यत: जिम्मेदार ठहराएंगे।

जहां तक धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगाने का प्रश्न है, मेरे अपने कुछ विचार हैं लेकिन यहां मुझे निजी विचारों को व्यक्त नहीं करना। मुझे यह बताना है कि सरकार की क्या राय है और मैं माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त विचारों को भी ध्यान में रखूंगा।

मुझे श्री सुलतान सलाउद्दीन ओवेसी यहां दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। उन्होंने कहा था कि हमें सभी जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : निश्चय ही।

श्री पी० चिदम्बरम : उत्तर है 'हां'। कुछ लोगों का विचार है कि "हमें सभी धार्मिक जुलूसों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए।"

प्रो० मधु दंडवते (राजापुर) : नहीं।

श्री पी० चिदम्बरम : इस देश की यह परंपरा नहीं रही है।

उपाध्यक्ष महोदय : राजनीतिक दलों के जुलूस से भी कुछ परेशानियां उठ खड़ी होती हैं। क्या किया जाए ? (व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : उनका कहना है कि जुलूसों को न रोकना और धार्मिक गतिविधियों पर प्रतिबन्ध न लगाना ही हमारी परम्परा रही है। दोनों विचारों में ही सार है। यह फैसला करना सरकार का काम नहीं है। हमें जनमत को ध्यान में रखना है। हमें लोगों की राय को ध्यान में रखना होगा। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि पूर्व प्रतिबंध लगाना या विद्यमान स्थिति से परे हटना अर्थात् पूर्ण छूट देना—मैं नहीं समझता कि उन्होंने पूर्ण छूट देने की बात कही है मैं भी नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण छूट दी जाए।

प्रो० मधु दंडवते : आजादी और छूट में फर्क है।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं यह नहीं कह रहा हूं कि पूर्ण छूट दे दी जाए या पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया जाए। एक बीच का रास्ता बनाया जाये जिसे इन मार्गदर्शी सिद्धांतों में भी मान्यता दी गई है। मैं इस बात पर बल देना चाहता हूं कि भविष्य में इन मार्गदर्शी सिद्धांतों को लागू किया जाए। उदाहरण के लिए जहां तक लाउड-स्पीकर लगाने की बात है, अगर जुलूस धार्मिक है तो लाउड-स्पीकरों के द्वारा हल्ला मचाने की क्या जरूरत है। लाउडस्पीकर लगाने और गाने बजाने के बारे में कोई नियम नहीं है। मेरे विचार से हमें उस पर रोक लगानी चाहिए।

दूसरी बात जुलूस के रास्ते के बारे में है। यदि 100 साल से कोई जुलूस एक खास रास्ते से निकलता रहा है तो जरूरी नहीं है कि अगले 20 सालों में भी हम जुलूस को उसी रास्ते से निकालें। 100 साल पहले इतने लोग नहीं थे, शहर इतने बड़े नहीं थे। यह सभ्यता पिछले 5000 सालों की देन है, क्या हम अगले 100 सालों तक एक निष्ठ सभ्य व्यक्ति की भांति जीवित रहेंगे।

हम अगले 20, 30 या 40 सालों की बात कर रहे हैं। इसलिए हम पिछली बातों से चिपका नहीं रहना चाहेंगे कि पिछले 100 सालों मे ऐसा हो रहा है इसीलिए अगले 20 सालों तक हमें इसे जारी रखना चाहिए। जब 100 वर्ष तक ऐसा होता रहा, तब इतने लोग नहीं थे। शहर इतने बड़े नहीं थे। ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। आज मैं समझता हूं कि हमें लोगों को समझाना चाहिए कि जुलूस छोटे होने चाहिए और उन्हें उन मार्गों से नहीं निकलना चाहिए जो ज्यादा संवेदनशील हैं और जहां दूसरे संप्रदायों के लोग रहते हैं। मेरे विचार में प्रथाओं का सच्चे धर्म पर हमेशा आधिपत्य रहा है, धर्म को पीछे धकेल दिया गया है और प्रथाएं मुखर हो उठी हैं और इन प्रथाओं के नाम पर तरह-तरह के ऐसे काम हो रहे हैं जिनका वास्तव में धर्म से कोई संबंध नहीं। मेरे ख्याल से हमें नियमों की पुनरीक्षा करनी चाहिए। हमें लाउडस्पीकरों पर नियंत्रण लगाना चाहिए। हमें संगीत पर नियंत्रण लगाना चाहिए। व्यक्तिगत रूप से मेरा ख्याल है कि हमें किसी भी जुलूस में लोगों को ट्रक या जीप से जाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए। अगर लोग धर्म परायण है तो उन्हें इतना धर्मपरायण होना चाहिए कि वे अपने देवताओं के पीछे चल सकें।

मेरे विचार मे कुछ भूलें हुई हैं पर मैं उन स्थानों का नाम नहीं लूंगा जहां भूलें हुई हैं। लेकिन हमें अपनी पिछली भूलों से सबक लेना चाहिए। जुलूस बहुत सादे होने चाहिए और उसमें भाग लेने वाले लोगों में कुछ हद तक धर्मपरायणता होनी चाहिए और जुलूस अधिक समय तक नहीं निकलते रहने चाहिए। मैं मार्गनिर्देश सिद्धान्तों के पैरा 20 पर जोर दूंगा। हाल ही में अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई गई हैं कि धार्मिक स्थलों पर लाउडस्पीकरों का अंधाधुंध इस्तेमाल किया जाता है जिससे साम्प्रदायिक तनाव बढ़ सकता है। साम्प्रदायिक सौहार्दता और शांति बनाए रखने के लिए ऐसे स्थानों पर लाउडस्पीकरों के प्रयोग को अधिक कारगर ढग से विनियमित करने की जरूरत है।

तीसरा सवाल बंद का है। क्योंकि मैं अहमदाबाद में था और अहमदाबाद का ही उल्लेख किया गया इसलिए मुझे इसका उल्लेख करना चाहिए। मेरे ख्याल से बंद का आह्वान करने वालों ने समुदाय की कोई सेवा नहीं की। यह असंयत कदम था, यह एक ऐसा कदम था जिसके परिणामों के बारे में अच्छी तरह पता था और यह मुख्यमंत्री के साथ 11 जुलाई को हुए समझौते का उल्लंघन था। मैंने स्वयं मुख्यमंत्री से बात की। मैंने बहुत से लोगों से बात की। हुआ यह था कि 9 और 10 जुलाई को घटी घटनाओं के बाद विभिन्न धार्मिक नेताओं और विभिन्न संगठनों के पदाधिकारियों ने 11 जुलाई को समझौते की मांग की गई। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने नेताओं से अनुरोध किया कि वे गुजरात बंद न करें। जगन्नाथ मंदिर के ट्रस्टियों ने एक स्तर पर न्यायिक जांच की मांग की थी। बैठक के दौरान उपस्थित सदस्यों के साथ काफी चर्चा के बाद यह सहमति हुई कि दोनों पक्षों द्वारा स्वीकृत शर्तों पर इसके लिए उच्चस्तरीय जांच करना पर्याप्त होगा। वैसे बैठक से जाते समय इन नेताओं ने बंद को वापस न लेने का निर्णय लिया था। मेरे ख्याल से इस बंद का आह्वान ठीक नहीं था खासकर ऐसे समय में जब माहौल इतना संवेदनशील था। मेरे ख्याल से सभी नेताओं को बहुत संयम दिखाना चाहिए था चाहे वे राजनैति नेता थे या धार्मिक नेता। उन्हें लोगों से अनुरोध करना चाहिए था कि वे अपने घरों में रहे और अपना काम करें। इसके बजाय बंद की मांग की गई जोकि बहुत अबुद्धिमतापूर्ण कदम था और जिसके लिए हमें बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : न्यायिक जांच का आदेश कब दिया गया था 10 या 11 को ?

श्री पी० चिदम्बरम : उसका जवाब दे रहा हूं। क्योंकि 11 जुलाई को एक अनुबंध हुआ था कि एक उच्चस्तरीय जांच के आदेश दिए जाएंगे और बंद की मांग को वापस ले लिया जाएगा। ऐसे में न्यायिक जांच के आदेश देने की जरूरत नहीं थी। लेकिन दुर्भाग्य से जो हुआ उसे मैं विश्वास भंग कहूंगा।

उन्हें बंद का आह्वान किया और बंद हुआ तथा उसके तत्काल बाद न्यायिक जांच के आदेश दिए गए। जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, यह सही नहीं है कि केवल जिला न्यायाधीश ही जांच करेगा। मुख्य मन्त्री ने बहुत स्पष्ट रूप से हमें सूचित किया है कि जांच के लिए उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाएगी। विचारार्थ विषय तैयार किए जा रहे हैं।

यह तो 11 जुलाई को निर्णय लेने की बात थी घटना घट जाने के बाद बुद्धिमान बनना आसान है। पर आप अपने को उस स्थिति में रखकर सोचिए जब हर कोई इस बात के लिए सहमत था कि बंद के आह्वान को वापस ले लिया जाना चाहिए, जब हर कोई सहमत था कि उच्च स्तरीय जांच पर्याप्त है। मेरे ख्याल से उस समय न्यायिक जांच का सवाल उत्पन्न नहीं हुआ था। बहरहाल अब हमें समझ आ गई है। भविष्य में ऐसे अनुबंध करते समय हम अधिक सतर्क रहेंगे। मेरे ख्याल से अहमदाबाद में घटी घटना से राज्यों के मुख्यमंत्री सबक सीखेंगे।

सैयद शाहबुद्दीन : क्या बंद का आह्वान करने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? क्या उन्हें पहचान लिया गया है?

श्री पी० चिदम्बरम : एक पल ठहरिए। मैं उस पर आता हूं। मार्गनिर्देशों के पैरा 24 में दोबारा जोर देकर कहा गया है :

> "साम्प्रदायिक घटना के विरोध में किसी बैठक के आयोजन की और जलूसों, मोर्चों को निकालने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिये जिनसे साम्प्रदायिक उपद्रव और भड़कते हैं।"

मेरे विचार से भविष्य में, साम्प्रदायिक उपद्रव होने पर राज्य सरकारों द्वारा हर एक को स्पष्ट तौर पर बताना होगा कि "हम किसी भी मोर्चे, जलूस और बंद की अनुमति तब तक नहीं देंगे जब तक साम्प्रदायिक स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हो जाती"। साम्प्रदायिक स्थिति को भड़काने के लिए आगे और विचार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। मेरे ख्याल से बंद अबुद्धिमतापूर्ण था। जिन्होंने उस दिन बंद का आह्वान किया उनकी निंदा करने में मुझे कोई हिचकिचाहट नहीं है। (व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया जो वह कह रहे हैं उसे सुनिए।

श्री पी० चिदम्बरम : अब मैं अखबारों की भूमिका के बारे में बात करूंगा। कुछ अखबारों के संबंध में हमारा अनुभव बहुत खराब है जबकि कुछ के साथ हमारा अनुभव बहुत अच्छा रहा है। मैं अहमदाबाद में था। स्थिति पूरी तरह सामान्य नहीं हुई थी पर कुछ शांति और नियंत्रण की स्थिति थी। मैंने अखबारों में 8 कालम का मुख्य समाचार सनसनी खेज शीर्षकों सहित देखा। पर दूसरे पृष्ठ पर सम्पादकीय था लोगों से शांति से रहना चाहिए और पहले पृष्ठ पर प्रकाशित खबर निश्चय ही संतुलित ढंग से प्रस्तुत नहीं की गई थी। मैंने उन्हें कहा कि संपादकीय को कोई नहीं पढ़ता है। लोग केवल मुख्य शीर्षकों को पढ़ते हैं। मैंने न्यूयार्क टाइम्स का उदाहरण दिया जिसमें वही संपादकीय लगातार तीन दिन तक प्रकाशित हो रहा था। 10 पाठकों ने भी यह नहीं कहा कि वही सम्पादकीय तीन दिन से लगातार छप रहा है। लगता है। हमारा खंडित व्यक्तित्व है। समाचार वाले पृष्ठ पर सब कुछ बढ़ा-चढ़ा कर दिया जाता है।

और संपादकीय में नैतिकता झाड़ी जाती है। अखबारों से मेरा अनुरोध है कि वे संयम दिखाएं। स्थिति नियंत्रण में आने के बाद 8 कालम का सनसनीखेज शीर्षक छापने का क्या उद्देश्य था। यह कहना सही नहीं है कि अखबारों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की गई। 1984 में आन्ध्रप्रदेश सरकार ने एक अखबार, हरियाणा ने तीन अखबारों, कर्नाटक ने 9 अखबारों के खिलाफ···

प्रो० सैफुद्दीन सोज : परिणाम क्या रहा ?

उपाध्यक्ष महोदय : कृपया (व्यवधान) मत डालिए। पहले सुनिए कि वह क्या कह रहे हैं।

(व्यवधान)

श्री पी० चिदम्बरम : पंजाब ने 4 अखबारों, तमिलनाडु ने 5, उत्तरप्रदेश ने 4, पश्चिमी बंगाल ने 2, दिल्ली ने 4, के खिलाफ मुकदमा चलाया। अतः साम्प्रदायिक स्थिति का लाभ उठाते हुए असंतुलित और भड़काने वाली खबरें प्रकाशित करने के लिए उन्होंने अखबारों के खिलाफ मुकदमा चलाया। हम ऐसा एक सीमा से अधिक कर नहीं सकते। लोग चिल्लाएंगे कि हम प्रेस की स्वतंत्रता कम कर रहे हैं। मैं यही निवेदन कर सकता हूं—सदन भी यही चाहता है—कि अखबारों को संतुलन और नियंत्रण बनाये रखना होगा। राज्य सरकारों ने अखबारों के खिलाफ कार्यवाही की है। मेरा सभी अखबारों, संपादकों, समाचार प्रकाशकों से हार्दिक अनुरोध है कि वे संतुलन और नियंत्रण बनाये रखकर इस तरह की स्थिति को नियंत्रित करने में सरकार को सहयोग दें। आगे क्या कार्यवाही की जानी चाहिए ? इस बारे में क्या कार्यवाही की जाएगी इसका विस्तार से उत्तर माननीय गृह मंत्री देंगे। मैं केवल एक दो बातों पर जोर देना चाहता हूं। हमारे पास राजनैतिक इच्छा शक्ति है। कृपया हमारी राजनैतिक इच्छा पर संदेह मत करिए। हमारे पास राजनैतिक इच्छा शक्ति है। स्थिति को नियंत्रित करने के लिए हमें राजनैतिक इच्छा शक्ति बटोरनी होगी। अहमदाबाद में हमने 14 जुलाई के बाद 24 घंटे के अंदर ही स्थिति को नियंत्रित कर लिया। मुख्यमंत्री कुछ निर्णयात्मक कदम उठाने के लिए धन्यवाद के पात्र हैं। किसी समुदाय के मन में यह डर नहीं होना चाहिए कि सरकार इस प्रकार की स्थिति को नियंत्रित करना नहीं चाहती है। किसी समाज विरोधी, राजनैतिक ताकत, सामाजिक समूह के दिलो-दिमाग में यह गलतफहमी न रहे कि सरकार उन्हें मनचाहा करने की अनुमति देने में और नरम बनी रहेगी हमारे पास राजनैतिक इच्छा शक्ति है। हमने सबक सीख लिया है और हम कुछ लोगों द्वारा साम्प्रदायिक सौहार्दता हनन करने के प्रयासों से उत्पन्न स्थिति को काबू में करने के लिए सारी ताकत लगा देंगे।

जहां तक मुआवजे का संबंध है, उसके बारे में कुछ चर्चा हुई थी। मैं मार्गनिर्देशों को पढ़ना चाहता हूं ताकि राज्य सरकारों को भी पता चल जाए कि संसद को इस बारे में सूचित कर दिया गया है। निम्नलिखित स्थितियों में अनुग्रह पूर्वक अदायगी के भुगतान के लिए निम्नलिखित स्केल उपयुक्त समझे गए हैं।

(i) मृत्यु (चाहे परिवार के किसी कमाऊ या गैर कमाऊ सदस्य की हो)	200000 रु०
(ii) स्थायी तौर पर अयोग्य होने (चाहे परिवार का कमाऊ सदस्य हो अथवा गैर कमाऊ)	5000 रु०
(iii) अस्थायी तौर पर अयोग्य होना	1000 रु०
(iv) अयोग्य नहीं पर गंभीर रूप से घायल होने पर	500 रु०

(v) चल संपत्ति को हानि 2000 रु०
(vi) मकान को हानि होने पर 5000 रु० से 15000 रु०
(vii) वाहन, नाव या बैलगाड़ी आदि जैसे कमाने के साधनों की हानि होने पर 2000 रु०

16 राज्य सरकारों ने इन मार्गनिर्देशों को स्वीकार कर लिया है हमारा सभी अन्य राज्य सरकारों से अनुरोध है कि वे इन मार्गनिर्देशों को मान लें। ये तो न्यूनतम है। अगर राज्य सरकारें अधिक देना चाहती हैं तो वे स्थिति की गंभीरता को ध्यान में रखकर और दे सकती हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जो लोग साम्प्रदायिक हिंसा और दंगों से प्रभावित हुए हैं उन्हें मुआवजा मिले।

हम पुलिस बलों में अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर विचार कर रहे हैं। यह बहुत सुखद स्थिति नहीं है। इस बारे में मैं बहुत भ्रम नहीं पैदा करना चाहता। मेरे ख्याल से दो तरह की ताकतें काम कर रही हैं। एक यथा स्थितिवादी हैं और उनका कहना है कि लोग अयोग्य हैं, स्तर के अनुरूप नहीं हैं इसलिए हम उनकी भरती नहीं कर सकते। दूसरे का कहना है कि पुलिस बल में भरती होना कोई इज्जत का काम नहीं समझा जाता इसलिए हमें उसमें भरता नहीं होना चाहिए। मेरे ख्याल से अल्पसंख्यकों के नेताओं को अपने युवकों को पुलिस बल में भरती होने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए।

श्री जैनुल बशर (गाजीपुर) : बहुत से हैं।

श्री पी० चिदम्बरम : मैं मानता हूं। इसलिए मैंने कहा कि यथा स्थितिवादी है जो किसी के सफल होने पर कहते हैं कि वह 1/4 इंच कम लम्बा था या एक पौंड कम वजन का था। ऐसा होता है। इसलिए मेरे ख्याल से हम मामले पर विचार कर रहे हैं और हम सुनिश्चित करेंगे कि पुलिस बल ठीक से···

प्रो० एन० जी० रंगा (गुंटूर) : हमें उन्हें भरती करते समय साम्प्रदायिक स्थिति पर भी विचार करना होगा—क्या वे हरिजन है।

श्री पी० चिदम्बरम : जी हां, अल्पसंख्यकों, हरिजनों, सबको प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए।

प्रो० मधु दंडवते : मैं यह बात रिकार्ड में लाना चाहता हूं कि कुछ साल पहले एक पुलिस आयुक्त ने इस आशय का एक गोपनीय परिपत्र जारी किया था कि जहां तक संभव हो मुसलमानों को पुलिस बल में न लिया जाए। मैं इसे रिकार्ड में लाना चाहता हूं।

श्री पी० चिदम्बरम : प्रो० दंडवते ने जो कहा है वह सही कहा है बड़ा खेदजनक रवैया है। हम किसी राज्य सरकार को ऐसा करने की अनुमति नहीं देंगे। बड़ी खेदजनक बात है। हम नजर रखेंगे।

श्री अताउर्रहमान (बारापेट) : क्या आप मेरी बात सुन सकते हैं? मैं एक ऐसे राज्य से संबंध रखता हूं जहां मैंने अपने सहयोगियों से विचार विमर्श किया है। मेरे एक सहयोगी, जोकि मेरे एक अच्छे मित्र हैं, ने मुझे कहा "देखो रहमान, धर्मनिरपेक्षता की बात करना तो बहुत अच्छा है।"

परन्तु उनमें से कुछ लोगों ने, सभी ने नहीं, उस पर मौखिक रूप से कहा था—"कि कुछ अल्पसंख्यक वर्गों को पुलिस बल में नहीं लिया जाना चाहिए।" यह बात आज भी ज्यों की त्यों है।

श्री पी० चिदम्बरम : हम इसकी निगरानी बहुत अच्छी तरह कर रहे हैं। मैं प्रशिक्षण पर बल देना चाहता हूं। एक बात जो मैंने देखी है वह यह है कि हमारी राज्य सशस्त्र पुलिस को समय-समय पर प्रशिक्षण नहीं दिया जा रहा है जबकि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल व सीमा सुरक्षा बल की सख्त प्रशिक्षण सारणी एवं एक प्रशिक्षण नियमावली होती है। परन्तु राज्यों में सशस्त्र पुलिस किसी न किसी प्रकार प्रशिक्षण से दूर रहती है अथवा उनको पर्याप्त प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है।

मैंने इस बारे में गृहमंत्री महोदय से विचार विमर्श किया है। हम एक कार्यक्रम तैयार कर रहे हैं, जिसके अनुसार राज्य सशस्त्र पुलिस को कम्पनियों में या टोलियों में प्रशिक्षण दिया जायेगा और किसी भी निश्चित समय पर राज्य सशस्त्र पुलिस के एक निश्चित भाग को प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा। पिछले कुछ वर्षों के दौरान प्रशिक्षण को धक्का पहुंचा है और मेरे विचार में प्रशिक्षण को नये सिरे से महत्व देकर हम इसका विस्तार राज्य सशस्त्र पुलिस तक भी कर देंगे।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (बशीरहाट) : क्या आप उनको इस बात का प्रशिक्षण भी देते हैं कि उन्हें स्वयं दंगों में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : दुर्भाग्यवश ऐसा होता है।

श्री पी० चिदम्बरम : इसके लिए मेरा जवाब यह है कि यदि उनका रवैया पक्षपात पूर्ण है तो यह प्रशिक्षण की कमी के कारण है। प्रशिक्षण उन रवैयों को खत्म करने के लिए है, प्रशिक्षण सही दृष्टिकोण पैदा करने के लिए है, प्रशिक्षण उनको स्थिति के प्रति उचित दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए है। यह प्रशिक्षण की ही कमी है जिसके कारण यह हो रहा है।। मेरे विचार में हम उनको प्रशिक्षित कर देंगे।

मेरे विचार में, विशेष अदालतों के बारे में भी हमारा अनुभव बहुत अच्छा नहीं रहा है। हमारे पास यहां कुछ आंकड़े हैं। केवल पांच राज्यों और दो संघ राज्य क्षेत्रों में विशेष अदालतों का गठन किया गया है। अन्य राज्यों में नियमित अदालतों को प्राथमिकता के आधार पर साम्प्रदायिक गड़बड़ी वाले मामलों की जांच करने को कहा गया है। परन्तु इसके बारे में जितना कम कहा जाये उतना ही अच्छा है। विशेष अदालतों ने वास्तव में वह काम नहीं किया है जो उन्हें करना चाहिए। मेरे विचार में हमें शुरूआत करनी चाहिए और गृहमंत्री महोदय ने स्पष्ट रूप से मुझे बताया था कि हम एक शुरूआत करेंगे। मेरे विचार में उन्होंने यह बात तब कही थी जब पहले उन्होंने इस सभा में एक वक्तव्य दिया था। अहमदाबाद में हम उन लोगों को कठोर दण्ड देंगे जो साम्प्रदायिक दंगा भड़काने के लिए जिम्मेदार हैं और हम इन अपराधों के लिए शीघ्र मुकदमा चलायेंगे। हमारी परख आने वाले कुछ महीनों में हमारे परिणामों के आधार पर करें।

हमें एक शुरूआत करनी है। हमारा अनुभव अच्छा नहीं रहा है परन्तु हम एक शुरुआत करेंगे। मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता। मैं निष्कर्ष में केवल एक दो बातें कहना चाहता हूं। जनवरी में जो प्रधान मंत्री महोदय ने कहा था मैं वह उद्धृत करना चाहता हूं—"धर्म निरपेक्षता हमारी एकता का आधार है। साम्प्रदायिकता और संकीर्ण निष्ठायें एकता में विसंगतियां हैं। सम्पत्ति के अधिकार की रक्षा करना और प्रत्येक धर्म से सम्बन्धित नागरिकों के वैध अधिकारों की रक्षा करना मेरा प्रथम कर्त्तव्य है। हमें हिंसा की रोकथाम और दमन से भी आगे जाना चाहिए।

हमें प्रत्येक गांव और हमारे कस्बे की हर गली में एकता अभियान शुरू करना चाहिए और हमारे विद्यालयों, विश्वविद्यालयों और हमारे कार्यालयों में हमें साम्प्रदायिकता और धर्मान्धता के विरुद्ध वैचारिक लड़ाई शुरू करनी चाहिए।"

जहां तक कानून और व्यवस्था बनाये रखने का सम्बन्ध है, गृह मंत्रालय के लिए यह घोषणा पत्र है।

प्रो० मधु दण्डवते : परन्तु यह तो प्रधानमंत्री महोदय का राष्ट्र के नाम सन्देश है।

श्री पी० चिदम्बरम : यह गृह मंत्रालय के लिए घोषणा-पत्र है। हम इस घोषणा-पत्र का अनुसरण करेंगे। हम इस घोषणापत्र के अनुसार काम करेंगे। हम इसे पूरे देश में लागू करेंगे।

महोदय, क्या मैं एक-एक बात कह सकता हूं ? आज ढ़ीलेपन, संकीर्ण मनोवृत्ति और पुनर्जागरणवाद की बात की गई है। मुझे इन सब बातों में नहीं जाना चाहिए। बहुत वरिष्ठ सदस्यों ने कहा है और मुझे विश्वास है कि उन्होंने अनुभव के आधार पर कहा है। परन्तु मेरे विचार में यह सब अच्छा नहीं है। महात्मा गांधी जी ने क्या कहा था : एक आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत की भावना समस्त विश्व को दन्तविहीन और अन्धा बना देगी। हम इस तरह की संकीर्ण मनोवृत्ति को पनपने की अनुमति नहीं देंगे। संकीर्णता क्या है और उत्तेजना क्या है। इलाहबाद में उत्तेजना है। इलाहबाद में संकीर्णता है। अहमदाबाद में वह संकीर्णता उत्तेजना पैदा करती है और अहमदाबाद में संकीर्णता है। यह मैं केवल एक उदाहरण दे रहा हूं। इसका अन्त कहां होगा ? महोदय इस संकीर्ण मनोवृति, उत्तेजना और पिछड़ेपन की बात को बन्द नहीं करेंगे तो समस्त राष्ट्र आग की लपटों में होगा।

मेरे विचार में धर्म के नाम पर हर तरह के बड़े-बड़े अपराध किये जाते हैं। किसी ने कहा भगवान खतरे में हैं। मैं लगभग हंस पड़ा। ये कौन कहता है। मनुष्य कहता है भगवान खतरे में है। मैंने दूसरी तरह सोचा। मैंने सोचा कि भगवान ने कहा है कि मनुष्य खतरे में है और मैं तुम्हें मुक्ति दिलाने आया हूं। आज हमारे सामने यह उल्टी अनगंल स्थिति है कि मनुष्य यह कहता है कि भगवान खतरे में है। भगवान खतरे में नहीं है। यह मनुष्य है जो खतरे में है। सभ्यता खतरे में है। मेरे विचार में मनुष्य को विवेक बनाये रखना चाहिए और भगवान अपनी देखभाल आप कर लेंगे।

महोदय, क्या आखिरकार मैं यह कह सकता हूं कि धर्म निरपेक्ष ताकतों को अपना अस्तित्व बनाये रखना चाहिए ? जब एक दो सदस्यों ने मुझे यह बताया कि धर्मनिरपेक्ष सेनायें क्या कर रही हैं तो मुझे बड़ा दुःख हुआ। मैं वही प्रश्न पूछता हूं। धर्मनिरपेक्ष ताकतें क्या कर रही हैं ? उदार विचारों वाले लोग क्या कर रहे हैं ? रविन्द्रनाथ टैगोर की कविता इन शब्दों के साथ शुरू होती है "जहां मन निर्भय है।" जब कभी साम्प्रदायिक हिंसा होती है तो हम गलियों में क्यों नहीं जाते ? यदि हममें से कुछ लोग मर जाते हैं या अपंग हो जाते हैं तो इससे क्या फर्क पड़ता है ? हम अपने आपको मजबूत क्यों नहीं बनाते ? हमारे श्रमिक संघ और वामपंथी ताकतें अपने आपको मजबूत क्यों नहीं बनाती ? मेरे विचार में हमने प्रतिक्रियावादी एवं पतनोन्मुख ताकतों के सम्मुख समर्पण कर दिया है।

हमारी इसमें मुख्य भूमिका—मध्यस्थता की भूमिका होनी चाहिए। जहां तक मेरा सम्बन्ध है, मैं तमिलनाडू के कुछ लोगों का शुक्रगुजार हूं जिनके प्रयत्न से—मैं गृहमंत्री महोदय तथा

सभा दोनों को यह सूचना देना चाहता हूं—इस महीने की 26 तारीख को यानि आज से तीन दिन बाद भारत के सुदूर दक्षिण छोर नागरकोईल में इसाइयों, मुसलमानों, हिन्दुओं तथा अन्य धर्मों के नेताओं के साथ हम एक विशाल शांति जलूस का आयोजन कर रहे हैं। अब मैं सभी सदस्यों से हाथ जोड़ कर निवेदन करता हूं कि संसद का सत्र समाप्त हो जाने के बाद हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में वापस जाना चाहिए और युवा शक्तियों, श्रमिक संघ शक्तियों और धर्मनिरपेक्ष शक्तियों को गतिशील बनाना चाहिए। हमें मध्यस्थता की भूमिका निभानी चाहिए, हमें दृढ़ रहना चाहिए और लोगों के सामने एकता का उदाहरण रखना चाहिए। हमें शांति जलूसों का आयोजन करना चाहिए, हमें शांति प्रदर्शनों और शांति रैलियों का आयोजन करना चाहिए। यदि आप नेतृत्व लोगों के हाथों में सौंप देते हैं और हम केवल अपने हितों और व्यवसायों का ही ध्यान रखते हैं···

श्री नारायण चौबे (भिवनापुर) : यह कौन करने जा रहा है ?

श्री पी० चिदम्बरम : मैं कह रहा हूं कि यह आप कीजिये और हम आपका साथ देंगे। हम आपको पूरी मदद देंगे। प्रो० मधु दण्डवते को यह शुरू करना चाहिए हम उनकी सहायता करेंगे; श्री अमलदत्त इसे शुरू करेंगे और हम उनकी मदद करेंगे, अत: प्रो० साहब इसे शुरू कीजिये और हम आपका साथ देंगे। यहां नेता या अनुयायी का प्रश्न नहीं है। कांग्रेस दल शांति प्रदर्शनों और शांति रैलियों के आयोजन करने के लिए किसी भी दल, किसी भी ताकत, किसी भी श्रमिक संघ का साथ देने के लिए तैयार है। मैं सभी से निवेदन करता हूं···

श्री इन्द्रजीत गुप्त : कुछ मार्ग निर्देश भी होनी चाहियें।

श्री पी० चिदम्बरम : मार्गनिर्देश मिल जायेंगे। आप शुरू कीजिये और बंगाल आयेंगे, जहां कहीं आप चाहेंगे हम वहीं आयेंगे ···(**व्यवधान**)

पूरे देश में कुछ लोगों ने, जो देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं, लूट मचा रखी है। पूरे देश में लूट मची हुई है परन्तु यहां कई व्यक्ति हैं जिनका काफी यश है। हम वे लोग हैं जो इस देश में लाखों पुरुषों और स्त्रियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। यह हमारा काम है कि हम नेतृत्व प्रदान करें, अपने चुनाव क्षेत्रों में जायें, अपने जिलों में जायें, अपने राज्यों में जायें और धर्मनिरपेक्ष, उदारवादी, प्रगतिशील, उदार एवं असाम्प्रदायिक ताकतों का प्रभुत्व बनाये रखें और केन्द्रीय अथवा प्रमुख भूमिका निभाते रहें तथा लोगों की निष्ठा और उनका समर्थन प्राप्त करते रहें। कुछ असामाजिक ताकतें है उनको पृथक कर समाप्त कर दें और इस बारे में सरकार, पार्टी, धर्म, भाषा का भेदभाव किये बिना इस सभा में प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहती है। हम प्रत्येक व्यक्ति का सहयोग चाहते हैं।

मैं सभा का बहुत कीमती सुझाव देने के लिए एक बार फिर आभार प्रकट करता हूं और मैं सभा को विश्वास दिलाता हूं, और सभा के माध्यम से इस देश के लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि सरकार संकल्प पूर्ण है और इस तरह की स्थिति पर नियन्त्रण करने के लिए यह अपने संकल्प को बनाये रखेगी और हम कानून और व्यवस्था बनाये रखेंगे, इसमें कोई ढील नहीं दी जायेगी, इस कर्त्तव्य को पूरा करने में कोई बाधा नहीं आयेगी।

श्रीमती गीता मुखर्जी (पंसकुरा) : आपने कुछ जिलों का जिक्र किया है। क्यों न किसी दिन हम वहां चलें ? इस बात की घोषणा हम संसद से करवा सकते हैं। हम सब मिलकर शांति जलूसों का आयोजन करें।

श्री पी० चिदम्बरम : हम सुझावों को स्वीकार करते हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव (पार्वतीपुरम : उपाध्यक्ष महोदय, इस चर्चा को चलते हुये दो दिन हो गये और आज चर्चा का तीसरा दिन है। मैंने इस सभा के कई माननीय सदस्यों के विचार ध्यानपूर्वक सुने हैं।

2.34 म० प०

[श्री शरद दिघे पीठासीन हुए]

मंत्री महोदय ने भी अभी-अभी बहुत भावपूर्ण बात कही है। प्रधान मन्त्री महोदय ने जो कहा है उसके बावजूद और इस सभा में व्यक्त सर्वसम्मत विचारों के बावजूद, जहां तक साम्प्रदायिक स्थिति का सम्बन्ध है माननीय मंत्री महोदय से यह सुनकर कुछ व्याकुलता हुई कि 98 जिलों की संवेदनशील क्षेत्रों के रूप में पहचान की गई है जहां साम्प्रदायिक गड़बड़ होती है। पिछले कई अवसरों पर साम्प्रदायिक तनावों से उत्पन्न स्थितियों पर संसद में चर्चा की गई है और मैं उस दिन का इन्तजार करूंगा जब ऐसा कोई अवसर नहीं होगा जब इस सभा में फिर इस तरह की स्थिति पर चर्चा की जायेगी।

सभापति महोदय, इस तरह की परिस्थितियों में जैसा कि स्वयं मंत्री महोदय ने कहा है, सामान्यतया गरीब लोग प्रभावित होते हैं। इन दंगों के मूल में निश्चित रूप से सामाजिक और आर्थिक कारण होते हैं और हमेशा गरीब लोगों का ही शोषण होता है, केवल आर्थिक शोषण ही नहीं परन्तु राजनैतिक तौर पर भी वे ऐसे अवसरों का शिकार होते हैं।

कई माननीय सदस्यों द्वारा असामाजिक तत्वों का जिक्र किया गया है जो उस स्थिति में गड़बड़ पैदा कर इसे भयंकर मोड़ दे देते हैं।

मंत्री जी ने अवैध धन्धा, तस्करी या वेश्यावृत्ति करने वाले या ऐसे अन्य धन्धे करने वाले व्यक्तियों का उल्लेख किया है, जो लोग इस प्रकार की स्थिति से फायदा उठाने की कोशिश करते है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि ऐसे लोगों का पता लगाने में कठिनाई क्यों होती है। जब कि आप जानते हैं कि अवैध धन्धा करने वाले लोग साम्प्रदायिक गतिविधियों में अन्तर्ग्रस्त पाये जाते हैं। कभी-कभी जब अवैध धन्धा करने वाले लोगों और ग्राहकों में संघर्ष होता है तो इसे साम्प्रदायिक मोड़ दिया जाता है अत: इसी प्रकार जब व्यापारी अन्य किसी व्यक्ति के साथ उस धन्धे में शामिल होता है या अगर दलाल का ग्राहकों से झगड़ा होता है तो इसे साम्प्रदायिक मोड़ दिया जाता है तब आप उसमें शामिल व्यक्तियों की पहचान कर सकते हैं। तो राज्य सरकार ऐसे व्यक्तियों का पता क्यों नहीं लगा सकती और उन्हें सजा क्यों नहीं देती ?

एक माननीय सदस्य : क्योंकि वह अपने संरक्षक रखते हैं।

श्री वी० किशोर चन्द्र एस० देव : इन अवैध धन्धा करने वालों या तस्करों के संरक्षक या आश्रयदाता कौन है ? हमें अपने दिलों को टटोलना होगा ? चाहे वह पुलिस हो, चाहे राजनीतिज्ञ या उस क्षेत्र के सम्पन्न व्यापारी हो। इन अवैध धन्धा करने वालों, तस्करों या समाज विरोधी तत्वों को अवश्य ही कोई शरण देता होगा, अन्यथा वे इस प्रकार के कार्यों को करने का साहस कैसे कर सकते हैं ? अंतत: सही सलामत बच जाते हैं।

महोदय, यह बिल्कुल ठीक है कि हमारे देश में रूढ़िवादी प्रवृत्ति घर कर गई है। चाहे वह भाषा या धर्म हो रूढ़िवाद पुनर्जीवित हुआ है। लेकिन क्यों ? कल माननीय सदस्य श्री जैनुल बशर ने जब कहा कि आज मुसलमान असुरक्षित महसूस करते हैं। उसी प्रकार जब माननीय श्री

रणजीत सिंह गायकवाड़ बोले तो उन्होंने कहा कि वह कई हिन्दुओं से मिले हैं जो स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। क्या आपने इन लोगों के नेताओं से जानने की कोशिश की है कि मुस्लिम या बहुसंख्यक समुदाय के लोग स्वयं को असुरक्षित क्यों महसूस कर रहे हैं ? यह सोचना हास्यास्पद लगता है कि बहुसंख्यक समुदाय के लिये आज अपने आप को असुरक्षित महसूस करते है।

कुछ शताब्दियों से हमारे देश में प्रत्येक धर्म की एक पृष्ठ भूमि है। चाहे यह इस्लाम धर्म है, चाहे ईसाई धर्म, चाहे सिक्ख धर्म है या कोई दूसरा धर्म। ये कोई नये धर्म नहीं है जो पिछले कई वर्षों में वजूद में आए हैं ये सभी धर्म कई शताब्दियों से विद्यमान हैं। ऐसा क्यों है कि आज यह सब धार्मिक समुदाय जिसमें बहुसंख्यक समुदाय भी शामिल है स्वयं को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और अपने अधिकारों या अपने अस्तित्व के बारे में चिन्तित है। सरकार ने इन असुरक्षित लोगों के लिए क्या उपाय किया है ? मैं गृह मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या उन्होंने उन लोगों से पूछा है कि वह क्या चाहते हैं। अगर नहीं तो क्या वह अब ऐसा करेंगे ? जब तक आप इस समस्या की गहराई में नहीं जाते; उनकी असुरक्षा के कारण का पता नहीं लगाते तब तक हम इस असुरक्षा की भावना को दूर नहीं कर सकते हैं।

महोदय, कई सदस्यों ने धर्म को राजनीति से अलग करने की आवश्यकता के बारे में कहा है। समापति महोदय, इस सम्बध में मैं दक्षिण में एक बहुत छोटे राज्य का उदाहरण देता हूं। केरल एक ऐसा राज्य है जहां लगभग प्रत्येक धर्म और समुदाय का अपनी एक पार्टी है। लेकिन केरल में कभी साम्प्रदायिक दगे नहीं हुए। हमारे देश में ऐतिहासिक कारणों से धार्मिक समुदाय राजनीति के समानार्थी है। लोग सोचते हैं कि उन्हें अपनी शिकायतों को एक राजनीतिक दल या दल में अपने प्रतिनिधियों द्वारा दूर कराना है। इसलिए हमने अब भी कुछ समुदायों के लिए आरक्षण रखा है जिससे उनकी बात सुनी जा सके। अगर धार्मिक समुदायों के कुछ प्रतिनिधि राजनीति में हैं तो साम्प्रदायिक दंगे होना आवश्यक नहीं है। कठिनाई केवल तब आती है जब एक राजनीतिज्ञ की हैसियत से आप साम्प्रदायिक स्थिति उत्पन्न करना चाहें ताकि इस अवसर का मत प्राप्त करने के लिये लाभ उठाया जा सके।

मंत्री जी ने आत्म संयम की बात कही। मैं उन्हें बताना चाहूंगा कि इस प्रकार की स्थिति में आत्म सयंम के रास्ते में निहित स्वार्थ आता है। आत्म संयम की बात कौन करे ? जो लोग दंगों से प्रभावित होते हैं उनमें आत्म संयम बरतने की बात नहीं कही जानी चाहिए अपितु उनसे कही जानी चाहिये जो ये दंगे भड़काते हैं। ऐसे लोगों का पता लगाना है। इसलिए कई जांच आयोग बनाये गये हैं। हमने सदन में इस समस्या पर विभिन्न मौकों पर चर्चा की है। इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं कितने अवसरों पर उन्होंने दंगों में अतग्रस्त लोगों का पता लगाया है और पिछले दो तीन वर्षों के दौरान राज्य सरकार द्वारा कितने मामलों में कार्यवाही की गई है।

महोदय, हमें यह बताया गया था कि कुछ दिशानिर्देश बनाए गये हैं। आज मालूम हुआ है कि कुछ दिशानिर्देश बनाए गये हैं और इस प्रकार की घटना के लिए उनके क्षेत्राधिकार में घटती है, प्रशासन को जिम्मेदार ठहराना चाहिए लेकिन सभापति महोदय, कलैक्टर या पुलिस अधीक्षक या जिला मजिस्ट्रेट को जिम्मेदार ठहराते समय केन्द्र सरकार के सीधे हस्तक्षेप को नजरन्दाज नहीं किया जा सकता। इससे राज्य व केन्द्र में संघर्ष नहीं होना चाहिए या इससे राज्य सरकारों के अधिकार कम नहीं होने चाहिए। परन्तु बाद में इसकी पुनरीक्षा करने का अधिकार हमेशा आपके पास है। साम्प्रदायिक उपद्रवों के मामले में राज्य सरकार और मंत्रियों को भी

उतना ही जिम्मेदार बनाया जाना चाहिए जितना कि मौके पर उपस्थित जिला मजिस्ट्रेट या कलैक्टर या पुलिस अधीक्षक। जहां मैं यह स्वीकार करता हूं कि इस प्रकार की परिस्थितियों को उत्पन्न न होने देने में हम सब की समान जिम्मेदारी है वहीं आप मुझ से सहमत होंगे कि अधिक दायित्व उन लोगों पर है जो सत्ता में हैं। इसलिए यह केवल कलेक्टर और पुलिस की जिम्मेदारी नहीं है। बल्कि सरकार की भी है जिसको स्थिति को स्पष्ट करना पड़ेगा मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दोषी पाये गये अधिकारी का तबादला ही हल नहीं है। अधिकारियों और राजनीतिज्ञों की इस प्रकार की घटनाओं में अन्तर्ग्रस्तता की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए विशेष कार्यवाही करनी पड़ेगी।

धार्मिक जुलूसों के विषय में कई विचार व्यक्त किये गये हैं। मैं अवश्य ही मन्त्री की इस भावना की प्रशंसा करता हूं जिसमें उन्होंने छोटे, पैदल और बिना माइक के जुलूसों के सम्बंध में कहा है। सभापति महोदय मैं केवल एक बात और कहना चाहूंगा कि धर्म की एक बहुत लम्बी पृष्ठभूमि है। यहां आज से नहीं शताब्दियों से देश के भिन्न-भिन्न भागों से शोभायात्राएं निकलती हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह इन पर प्रतिबंध लगाने के लिए तिथि निश्चित करेंगे। उदाहरण के लिए 15 अगस्त 1947 और स्वतन्त्रता के बाद बनायी गई शोभा-यात्राओं पर प्रतिबंध लगा दे। क्या आप कम से कम इन शोभायात्राओं पर प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार हैं ? 300 वर्षों, 400 वर्षों या 500 वर्षों से चले आ रहे सभी धर्मों के जुलूसों को निकालने दीजिये। लेकिन उन जुलूसों के बारे में क्या होगा जो बुरे इरादों के साथ बनाये गये हैं और जिन्होंने यह स्थिति पैदा कर दी है। मैं सोचता हूं कि राज्य व केन्द्र सरकार को हाल ही में उत्पन्न जुलूसों और गतिविधियों पर प्रतिबंध के बारे में गम्भीरता से सोचना चाहिए जिनसे साम्प्रदायिक स्थिति बिगड़ सकती है सभापति महोदय, जहां तक राजनीतिक इच्छा का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय ने गुजरात की स्थिति का हवाला दिया है। लेकिन मैं इलाहाबाद की स्थिति के बारे में ध्यान दिलाना चाहूंगा।

मुझे ज्ञात हुआ है कि इलाहाबाद में स्थिति आरम्भ हुई और उसने फरवरी से जोर पकड़ लिया। सर्वप्रथम यह घरों की छतों और मोहल्लों में काले और सन्तरी रंग के झंडों से शुरू हुई। तब यह कार्य राजमार्गों पर शुरू हुआ। पुलिस ने वहां जाकर झंडे इकट्ठे किये और समझा कि उनका कार्य समाप्त हो गया। लेकिन मुझे पता चला है कि बाद में वहां पर किसी मस्जिद में कटा हुआ सुअर और मंदिर में गाय का गोश्त मिला। पुलिस ने वहां से सफाई की और होली और मुहरर्म का त्यौहार-शान्तिपूर्वक बीत गया और फिर इस धारणा पर कि होली और मुहरर्म शान्तिपूर्वक बीत गये हैं और कोई तनाव नहीं हुआ। जनवरी में, मुझे ठीक तारीख याद नहीं है जब प्रधानमंत्री जी वाराणसी के दौरे पर गये तो सारी पुलिस इलाहाबाद से हटाकर वाराणसी ले जाई गई। मैं प्रधानमन्त्री या उनके दौरे या सरकार को दोषी नहीं ठहरा रहा हूं लेकिन उनको पुलिस बल कहीं और से लाना चाहिए था। केवल इस विचार पर कि वहां स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है और वहां से जहां पर वास्तव में साम्प्रदायिक तनाव बढ़ रहा था पुलिस बल को बदलने के कारण उन लोगों को कठिनाइयां पैदा करने का अवसर मिल गया।

विशेष अदालतों को खोलने के मंत्री के प्रस्ताव की हम बहुत अधिक प्रशंसा करते हैं। लेकिन दूसरी अदालतों की भांति इन विशेष अदालतों की दुर्गति नहीं होनी चाहिए। अगर हमारे

पास विशेष अदालतें हैं तो हमें इन मामलों को विशेष अदालतों में ले जाना चाहिए और शीघ्र कार्यवाही करनी चाहिए। जब तक हम अपराधियों का जल्दी से पता करने में समर्थ नहीं होते तो यही स्थिति बनी रहेगी।

समाप्त करने से पहले, मैं कहना चाहूंगा कि हम साम्प्रदायिक हिंसा के ज्वालामुखी पर बैठे हैं और इससे पहल कि यह देश के विभिन्न भागों में कैंसर की तरह फैले और उस समूचे ढ़ांचे को नष्ट करें। जिस पर हमारा समूचा समाज टिका हुआ है, मैं सरकार और सदन के सभी वर्गों के माननीय सहयोगियों से उपाय निकालने और विभिन्न समुदायों और राज्यों सरकारों के नेताओं से बात करने का अनुरोध करता हूं कि यह सदन को इस प्रकार की स्थिति पर चर्चा की अग्निपरीक्षा से फिर कभी न गुजरना पड़े।

[हिन्दी]

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : सभापति महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय मन्त्री श्री चिदम्बरम को मुबारकबाद देना चाहता हूं, जिन्होंने बहुत ही लियाकत से हमारे सामने कुछ बुनियादी मसाइल को रखा और बहुत से सवालात जो मैं करने वाला था, उनका जवाब पहले ही मुझे मिल गया है, इसीलिए अब मैं उनको दोहराना नहीं चाहूंगा।

सभापति महोदय, तारीख गवाह है कि मजहब के नाम पर, धर्म के नाम पर इन्सान ने इन्सान के खून में अपनी तलवार डुबोकर तारीख के सफात पर जुल्म की, बरबरता की कत्लोगारतगिरी की दास्तान लिख दी है, पर ये लानत हिन्दुस्तान में उस वक्त आई जबकि अंग्रेजों ने देखा कि जब तक हिन्दुस्तान में हिन्दू और मुसलमान को डिवाइड एण्ड रूल की पालिसी से लड़ाया नहीं जाएगा, आपस में तफरीक नहीं करा देंगे तब तक यहां पर हुकूमत नहीं कर पाएंगे। तारीख शाहिद है कि कांग्रेस ही अकेली वह जमात, वह संस्था रही है जिसने पूरे सौ साल से फिरकापरस्ती का हर कदम पर हर मोड़ पर मुकाबला किया है, इसकी मजम्मत की है और जनता को चुनौती दी है, आह्वान किया है कि सारा देश मिलकर इसकी मुकाबला करे। सभापति महोदय, मेरे पास कांग्रेस के पिछले सौ साल के पास किए गए रेजोल्यूशन, प्रस्ताव हैं जो फिरकापरस्ती की मजम्मत करने के लिए, हिन्दू-मुसलमान की एकता के लिए, मुल्क के तहफुज के लिए, अखण्डता के लिए, एक रखने के लिए कांग्रेस पिछले सौ साल से करती आई है, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है की एक ऐसे ही प्रस्ताव में 1971 में कांग्रेस को यह कहना पड़ गया —

[अनुवाद]

> "बुराई तथा अज्ञान की ताकतें जातीय सर्वोच्चता की भावनाए धार्मिक कट्टरवाद और अन्धक्षेत्रवाद कि प्रवृतिवों के निर्माण का प्रयास करती है अन्ततः जिसका परिणाम साम्प्रदायिक झगड़े होता है।"

अभी हमारे लायक दोस्त श्री चिदम्बरम साहब जब बोल रहे थे तो उन्होंने कुछ बैकलेश सीज और मैंटेलिटी के बारे में कहा। सभापति जी यह बात नई नहीं है, यदि आप इतिहास के पन्नों को उलटेंगे तो देखेंगे कि संसार में पहले भी यह होता है। मुस्लिम्स, इस्लाम के मानने वाले, जिनका ख्याल था कि वो बन आफ दी लार्जेस्ट पापूलेशन आफ दी वर्ल्ड हैं, थर्टीज और फोर्टीज में

सारी दुनिया में एक मूवमैंट चलाई "पैन-इस्लामिज्म के नाम पर और इस पैन इस्लामिक मूवमैंट में सारी दुनियां के मुस्लिम कंट्रीज को एक करने की बात कही गई, लेकिन आप देखते हैं आज आप अगर अरब वर्ल्ड की तरफ निगाह डालें तो देखेंगे कि अरब मुल्कों का एक कल्चर, एक धर्म, एक आबोहवा, एक लिबास, एक खाना-पीना, लेकिन फिर भी आज वे एक कौम नहीं बन सके। इजिप्ट, सीरिया, कुवैत, और सऊदी अरबिया है, मजहब भी उनको एक नहीं कर पाया। अगर आप इतिहास के पन्ने उलटेंगे तो देखेंगे—

[अनुवाद]

धर्म एकता के सूत्र में बांधने में असफल हुआ है।

[हिन्दी]

हम दूर क्यों जाएं, हमारे पड़ोस में देखिए, नेपाल हमारा पड़ौसी मुल्क है और दुनिया का अकेला मुल्क है, देश है जिसका सरकारी मजहब हिन्दू है, जहां आफीशियल रिलीजन हिन्दूइज्म है, इस बात को वे मानते हैं और फालो करते हैं, लेकिन आजादी के बाद हमारे देश को 3 युद्धों का सामना करना पड़ा, दो बार पाकिस्तान से युद्ध हुआ और एक बार चीन से हुआ। तीनों बार हम पर हमला किया गया, बिना किसी कुसूर के आक्रमण किया गया, सजा दी गई, लेकिन यह मैटर आफ रिकार्ड है, तारीख गवाह है कि एक बार भी नेपाल ने न तो पाकिस्तान की लड़ाइयों में और न चीन की लड़ाई में इनके खिलाफ एक भी लफ्ज बोला, न कंडेम किया न इनकी निन्दा की। क्या वजह है। वजह यह है कि मजहब, धर्म आज लोगों को एक इकट्ठा, एक जगह रखने में नाकाम हो गया है। मजहब के नाम पर आप इस बात को नहीं चला सकते। यह एक बहुत बड़ा सिनिस्टर, घिनौना और बड़ा अजीब प्रपोगंडा है कि इस देश के अंदर मैजोरिटी को खतरा है। मैं चाहूंगा कि हाऊस के तमाम सैक्शन और वर्ग के लोग इस बात को देखें कि क्या यह वही प्रपोगंडा है जो इस देश के अन्दर उस समय किया गया जब कांग्रेस इस देश में आजादी की लड़ाई लड़ रही थी। एक तरफ यह कहा गया कि इस मुल्क की अकलियत यानी माइनोरिटी को खतरा है और दूसरी तरफ यह कहा गया कि मैजोरिटी यानी अकसरयित को खतरा है। इस तरह दोनों के बंटवारे की बात कही गई। मैं यह पूछना चाहूंगा कि कौन से लोग हैं, कौन से तत्व हैं, कौन से एलीमेंट्स हैं जो इस विचारधारा को फैला रहे हैं। गृह मन्त्री महोदय, इसको देखें और हाऊस के तमाम सदस्यों को इस बारे में बताएं। अभी चिदम्बरम साहब ने कहा कि इस लड़ाई में हम सबको इकट्ठा होकर सामना करना चाहिए मुझे याद है, आजादी के बाद और उससे पहले भी एक जमाना था जबकि साम्प्रदायिक पार्टियां, साम्प्रदायिक दल आइडेन्टीफाई किए जाते थे और लोग उनको आउट कास्ट समझकर बिहेव किया करते थे। मुझे याद है जब मैं स्कूल में था तो एक दफा पण्डित जवाहरलाल नेहरू भोपाल आए। उन्होंने हिन्दू महासभा का जिक्र किया और कहा कि जाने दीजिए जब मैं हिन्दू महासभा का नाम लेता हूं तो मेरा मुंह गन्दा हो जाता है। वह इस काबिल नहीं है कि उसका नाम लिया जाए। एक बहुत महत्वपूर्ण बात हमको सोचनी चाहिए कि सारी फिरकापरस्त पार्टियां, सारे साम्प्रदायिक तत्व, जिनकी हम निन्दा करते आए थे और बुरा कहते आए थे, उनके साथ हमारे ताल्लुकात कैसे आगे बढ़े और हमने अपने आपको उनके आगे कैसे सरेन्डर कर दिया। मैं कहना चाहूंगा कि वे तमाम लोग जिन्होंने इस मुल्क के

अन्दर क्लास स्ट्रगल की बात की, थ्योरी आफ सरप्लस वैल्यु की बुनियाद पर जिन्होंने डिक्टेटरशिप आफ दी प्रोलीटेरियट स्थापित करना चाहा, वे तमाम लोग जिन्होंने तरक्की पसन्द और प्रगतिशील विचारधारा के नारे दिए, उन तमाम लोगों ने नाम कांग्रेसइज्म और मिनिमम प्रोग्राम के नाम पर, उन तमाम फिरकापरस्त ताकतों को अपनी आगोश में पनाह दिया जो फिरकापरस्त ताकतें इस देश के सारे इतिहास को, हमारी सारी परम्पराओं को मिटाना चाहती हैं। मुझे याद है, मैंने कहीं पढ़ा है, महात्मा गांधी की हत्या के बाद इसी दिल्ली के अन्दर एक बहुत बड़ा जुलूस निकला था। इसी पार्लियामेंट में आकर उस जुलूस ने एक मेमोरेन्डम दिया था जिसमें मांग की गई थी कि आर०एस०एस० पर पाबन्दी लगायी जाए। उस जुलूस का नेतृत्व स्वर्गीय जयप्रकाश जी ने किया था। मगर, तारीख यह भी गवाह है कि उसके बाद उन्हीं फिरकापरस्त ताकतों को अपने दामन में पनाह दी गई, उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाई और उनके साथ मिलकर सत्ता हासिल की। सत्ता के नाम पर सिद्धान्तों को पीछे धकेल दिया जिसने इस मुल्क की बाड़ी पालिटिक्स में ऐसा जहर घोल दिया जिसका शायद वर्षों तक मुकाबला करना पड़ेगा और उसका नुकसान सहना पड़ेगा। मैं केवल एक ही बात कहकर समाप्त करना चाहूंगा। अभी यह कहा गया कि फिरकापरस्ती के खिलाफ लड़ाई के लिए हमको शिक्षा जगत में, एजुकेशनल इंस्टीच्युशन्स में विद्यार्थियों और अध्यापकों को आरगेनाइज करना चाहिए और उनके साथ मिलकर हमको एक नए युद्ध का एलान करना चाहिए। इस संबंध में मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा। इसी दिल्ली के अन्दर जब मुस्लिम फिरकापरस्ती आगे बढ़ी, ज्यादा ताकतवर हुई तो डा० अन्सारी, हकीम अजमल खां, अली ब्रदर्स, महात्मा गांधी और मौलाना आजाद जैसे लोगों ने दिल्ली के अन्दर जामिया मिलिया इस्लामिया की नींव रखी। वहां से उन्होंने फिरकापरस्ती का मुकाबला किया। मैं चाहूंगा कि जामिया मिलिया जैसी इंस्टीच्युशन्स, ऐसी यूनिवर्सिटीज की पूरी-पूरी सहायता सरकार करे जिससे इनकी तरक्की हो और इस मुल्क के अन्दर दोबारा हम फिरकापरस्ती का मुकाबला करने की पोजीशन में आएं। आखिर में मैं यह कहना चाहूंगा कि हमें यह पैगाम लोगों तक पहुंचाना है।

[अनुवाद]

यह सामान्य संस्कृति, धर्म, भाषा नहीं है जो राष्ट्र बनाती है, यह केवल क्षेत्र की सामाज्य विरासत है जो राष्ट्र बनाती है।

[हिन्दी]

इस भारत भूमि में हम रहते हैं जो हम सबकी मिल्कियत है, यह एक मुल्क बनाती है, एक कौम बनाती है इसकी रक्षा करना हमारा धार्मिक और नैतिक कर्त्तव्य है। देश के उन करोड़ों मुसलमानों के जज्बात मैं आप तक पहुंचाता हूं जिनका एक ही नजरिया है इस मुल्क की हिफाजत करना। जहां हिन्दुस्तानी होने के नाते उनका फर्ज है वहीं मुसलमान होने के नाते उनका धार्मिक कर्त्तव्य है कि अगर मुल्क की एक इंच जमीन पर अगर चीन या पाकिस्तान का हमला हो तो वह अपने खून का एक-एक कतरा बहा दे और इस पर आंच नहीं आने दे। लेकिन यह देखना होगा कि आप उनकी रक्षा किस तरह से इस देश में कर सकते हैं। अभी चिदम्बरम् साहब ने एक बात कही कि एक आदमी की दुकान और घर को दो साल में तीन बार दंगों में जला कर राख कर दिया। मैं आपसे पूछना चाहूंगा आम शहरी के नाते एक गरीब आदमी की दूकान को, उसके मकान को अगर आप दो साल में तीन मर्तबा जलाकर राख कर देंगे, उसे बेघर कर देंगे

उसके बाद पूछेंगे कि तुम इस मुल्क के कहां तक वफादार हो इसका वह क्या जवाब देगा ? यह बहुत बड़ा सवाल है । हमको इस पर गौर करना होगा ।

मैं पुन: सदन में तमाम वर्गों से अपील करता हूं कि यह बात सही है कि महात्मा गांधी हर समय पैदा नहीं होते, लेकिन महात्मा गांधी की मौत बनने वाले हर समय इस देश में मौजूद हो सकते हैं । इसलिए हम सभी आगे आयें और महात्मा गांधी की तरह अपने जीवन का बलिदान देकर देश की अखण्डता और धर्मनिरपेक्षता को ऊंचा उठायें ।

[अनुवाद]

श्री दिग्विजय सिंह (सुरेन्द्रनगर) : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने राज्य मन्त्री श्री चिदम्बरम के बहुत प्रभावी बयान को सुना और उनसे पुन: यह जानकर कि सरकार इस घोर संकट से निपटने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी हम आश्वस्त हुए हैं । मैं सामाजिक संकट कहूंगा—लाया जाएगा—मैं यह नहीं कहूंगा कि इसे समाप्त किया जाएगा बल्कि इसे नियंत्रित भी किया जायेगा । उन्होंने कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत और मानदंड भी दिए हैं—जिससे सरकार जारी करेगी । उनके बयान में केवल एक चीज नहीं थी जिसे मैं समझता हूं कि माननीय गृह मंत्री श्री बूटासिंह अपने अन्तिम बयान में देंगे जो राजनैतिक दलों के मार्गदर्शन के बारे में है, राजनैतिक दलों द्वारा किस प्रकार से कुछ मार्गदर्शी सिद्धांत और मानदंड स्वीकार किया जाना चाहिए । मैं समझता हूं यह बहुत महत्वपूर्ण है ।

यहां जोशीली भाषा में काफी आशाप्रद बातें कही गयी है जहां देश के बारे में महात्मा गांधी जैसे महान नामों और देश की संस्कृति उसकी विरासत को उल्लिखित किया गया था । और मैं समझता हूं कि यह हमारे लिए और अधिक अन्तर्दर्शी बनने के लिए श्रेष्ठ अवसर है । सबसे पहले यह सोचना था कि क्या कारण हैं । और मेरे विश्लेषण के अनुसार इन कारणों को दो मुख्य भागों में बांटा जा सकता है : पहला राजनैतिक तथा दूसरा आर्थिक । इस स्थिति को बदत्तर बनाते हुए यह वोट और नोट से विखंडनशील प्रवृत्तियों को ठीक अभी से गांव के स्तर से लाने हैं और जब यह वोट के लिए आते हैं ये समाज विरोधी तत्व सामान्यत: विभिन्न पापिष्ठ कार्यों में लगते हैं और वह भी धार्मिक भावनाओं तथा धार्मिक कट्टरपन के लिए प्रेरित करने के लिए अतिरिक्ति तत्वों को सम्मिलित करते हैं । मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ी समस्या है । परन्तु हम जो लोगों के पवित्र धर्मादेश के संरक्षक हैं क्योंकि हम लाखों का प्रतिनिधित्व करते हैं । कम से कम इसे देखने की कोशिश कर सकते हैं कि कुछ सीमा तक और निश्चित रूप से जिस किसी कारणों के लिए जो हमारे द्वारा समर्थित नहीं समाज विरोधी तत्वों को हम नियंत्रित कर सकें—

4.00 म०प०

हालांकि दूसरा राजनैतिक पहलू है । जब हम राजनैतिक पहलू की बात करते हैं तो यह बहुत ध्यान करने वाला है, जब कोई विश्लेषण करता है और पूछता है : क्या हमारे समाज में कुछ लोकतंत्रीय उद्देश्यों की हानि है या हमारी प्रकृति का क्या हम इतने अनैतिक हो गए हैं कि कोई भी दल और कोई भी चुनाव अतिरिक्ति वोट लेने के लिए किसी भी सीमा तक जाते हैं यहां तक कि उत्तेजक या धार्मिक भावनाओं को बढ़ाते हुए करते हैं । किस सीमा तक कोई जा सकता है ? क्या हम आत्म निरीक्षण नहीं करते हैं ? हम इस उक्ति पर जाते हैं

[हिंदी]

वह नहीं करते, वह नहीं करते, सरकार को यह नहीं करना चाहिए ।

[अनुवाद]

परन्तु हम अपने निर्वाचन क्षेत्रों जन्मस्थान नगरों में क्या करते हैं ? हम निजी रूप से कितना कर रहे हैं ? हमें इतना इस समय करना चाहिए और आत्म-निरीक्षण करना चाहिए। जब मैं कहता हूं कि मैं एक विशेष सिफारिश करना चाहता हूं। और मैं ऐसा इसलिए करता हूं क्योंकि मैं अपने निजी अनुभव से कह सकता हूं। जब आप पूरे निर्वाचकीय नाटकीय रूपरेखा की स्थिति पर आते हैं तो समाजवाद, साम्यवाद या जो कुछ वाद की तरह सभी अन्य वाद होते थे तब समाज···पर होता है जो जाति या धर्ममत या धर्म की तरह है। हम इतना पीछे चले गए हैं। जब ऐसा होता है तो हमें कम से कम एक निर्णय लेना चाहिए। यदि हम इस देश में विभिन्न राजनैतिक विचारों का प्रतिनिधित्व करते हैं—ऐसे कुछ ससंद सदस्य हैं जो शायद एक सदस्य दल का प्रतिनिधित्व करते हैं—तो हमारे पास कम से कम एक आम राय होनी चाहिए कि जिनका पूरा व्यवसाय धर्म या धार्मिक उपदेश पर निर्भर करता है—वह महा ऋषि, महन्त, मौलवी, पीर, सिख ग्रंथी, या ईसाई पादरी कोई भी हो सकता है—कम से कम किसी राजनैतिक दल में इस तरह के व्यक्ति की प्रमुखता नहीं होनी चाहिए उसे दल के ऊपर थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह एक विशिष्ट सुझाव है। मैं इसे इसलिए कह सकता हूं क्योंकि मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि मैं गुजरात के एक छोटे भाग से आया हूं जिसमें किसी समय मुस्लिम जनसंख्या की आबादी 30% थी। मुझे यह कहते हुए गर्व है कि उस समय शासक ने व्यवस्था को इस प्रकार से प्रबंध किया था कि धार्मिक ट्रस्ट और मंदिर तथा मस्जिद दोनों समुदाय अपनी स्थिति में थे। वहां इस प्रकार का सामंजस्य था कि तब 1947 में विभाजन हुआ था तथा लोगों के स्थान बदलने का पूरा दृश्य और 1947 से 1948 के बीच लोगों के कत्ल का होना, वहां उस नगर में एक भी मुसलमान ने वह क्षेत्र नहीं छोड़ा। वहां इतना अधिक विश्वास बना हुआ था, इतना अधिक भाई चारा बना हुआ था। हालांकि इस समय, कोई चुनाव नहीं था। परन्तु मौजूदा प्रणाली के अन्तर्गत हमें ऐसी पद्धति विकसित करनी चाहिए जिसमें हम इस प्रकार के छोटे व्यक्तिगत लाभ की अनदेखी कर सकें। मैं माननीय मन्त्री को यह विशेष सुझाव देने के साथ अपना भाषण समाप्त करता हूं। उन्हें कुछ कर्त्तव्य पर सिद्धांत बनाने चाहिए जिनका राजनैतिक दलों को पालन करना चाहिए और उन्हें नियम और मार्गदर्शी सिद्धांत बनाने चाहिए ताकि इस क्षेत्र में कम से कम पूरे देश में साम्प्रदायिक सद्भावना पैदा करने के लिए सभी सहमत हों।

प्रो० सैफुद्दीन सोज (बारामूला) : सभापति महोदय, मुझे सबसे पहले अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहिए जिन्होंने इस चर्चा के लिए न केवल अनुमति दी है बल्कि उनकी प्रारम्भिक टिप्पणियों ने हमें प्रेरणा भी दी है। मैं प्रधान मन्त्री जी का भी धन्यवाद करता हूं जिन्होंने श्री चिदम्बरम को अहमदाबाद भेजा। यदि श्री चिदम्बरम अहमदाबाद न जाते तो स्थिति कुछ और बदत्तर होती। मधुजी ने विस्तार में भाषण दिया है और मैं महसूस करता हूं कि जिस पर मैंने बोलना था उस पर वह सब कुछ बोले। बाद में, मैंने कई भाषण सुने और अब मैं बहुत संतुष्ट महसूस करता हूं कि सांप्रदायिकता, आंतकवाद और सभी तरीके के समाज विरोधी तत्वों जो देश में हो रहा है उसके विरुद्ध यह सदन एक आवाज में बोला है।

4.06 म०प०

[श्री अंतुल बशर पीठासीन हुए]

अहमदाबाद जाने के लिए मुझे एक अवसर मिला था और मैं सदन को आश्वासन दे सकता हूं कि मैं वहां मरने वाले लोगों की संख्या को जानने के लिए नहीं गया था क्योंकि ऐसा देश में होता

रहता है। अहमदाबाद उस मामले में अकेला नहीं है। पहले यह इलाहाबाद में हुआ था और इस देश में बहुत अधिक साम्प्रदायिक अग्निकांड हुए थे। मुख्य रूप से मैं यह आंकने के लिए गया था कि क्या भविष्य के लिए कुछ आशाएं हैं। मैं महसूस करता हूं कि प्रतिदिन सभी प्रकार की सांप्रदायिकता के साथ हिन्दू या मुसलमान अभी संघर्ष करना चाहते हैं, परन्तु जब मैं इस वक्त अहमदाबाद गया था तो मैंने यह पाया कि मुसलमानों को बहुत अधिक जान माल की क्षति हुई थी, जो कि वहां अल्पसंख्यक में थे, मैं दिल्ली कुछ आशाओं के साथ वापस आया और मैं उन आशाओं के बारे में कुछ तथ्य देना चाहता हूं जिनके साथ मैं अहमदाबाद से वापस आया हूं। दुर्भाग्यवश श्री चिदम्बरम बाहर है। मेरे पास श्री चिदम्बरम के लिए कुछ प्रश्न हैं हालांकि उन्होंने यहां बहुत अच्छा भाषण दिया है तथा मैं महसूस कर सकता हूं कि उनके पास साहस है। मैं नहीं जानता हूं कि क्या वह गृह मंत्रालय में बराबर काम करते रहेंगे परन्तु यदि वह वहां बने रहते हैं तो मैं महसूस करता हूं कि वह अवसर का लाभ उठाएंगे। आगजनी, डकैती और हत्या की बहुत संक्षिप्त कहानी सुनाने के बाद मेरे पास कुछ प्रश्न है जो मैंने अहमदाबाद में देखे हैं··· (व्यवधान)

श्री अजीज कुरेशी (सतना) : अनन्तनाग की क्या स्थिति है ?

प्रो० सैफुद्दीन सोज : अहमदाबाद को उड़ा दिया गया था। (व्यवधान)

[हिन्दी]

सभापति महोदय : सोज सहाब, आपका वक्त कीमती है, आप शार्ट में बोलिए। जल्दी कीजिए।

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सबसे पहले मैं अहमदाबाद के बारे में एक शब्द कहना चाहता हूं। अहमदाबाद में कुछ हुआ है। श्री दिग्विजय सिंह इस बात को महसूस कर रहे थे कि यह उनके लिए गर्व की बात है कि वह ऐसे स्थान से संबंध रखते हैं जहां कोई सांप्रदायिक समस्या नहीं हैं। परन्तु अहमदाबाद की क्या स्थिति है ? अहमदाबाद मानव अधःपतन की निम्नतम स्थिति का प्रदर्शन कर रहा है। यह चाहे आरक्षण का प्रश्न है या हाल ही में साम्प्रदायिक अग्निकांड का इसने स्थान लिया हो, अहमदाबाद ने सबसे भयंकर बर्बरता तथा सबसे बुरी सांप्रदायिकता देखने में आई है। अतः यह श्री दिग्विजय सिंह की जिम्मेदारी है कि वह अपने क्षेत्र से बाहर आए और अहमदाबाद के बारे में बोले। अहमदाबाद गुजरात की राजधानी है। अतः अहमदाबाद में क्या हो रहा है। गुजरात राज्य के सभी विधानसभा के सदस्य तथा संसद सदस्य को इस बारे में चिंतित होना चाहिए।

जब मैं 19 और 20 को अहमदाबाद गया तो मेरे साथ मेरे साथी मधुजी और बापू कल्दाते थे, श्री सैफुद्दीन चौधरी और श्री डोरा वहां अलग से गए। उन सभी क्षेत्रों में गए जहां साम्प्रदायिक अशान्ति और दंगे हुए थे—जैसे मेगानी नगर, दरिया खां गुमट, मिर्जापुर आदि—और हम ने शरणार्थी शिविरों का भी दौरा किया। हम जिला समाहर्ता से भी मिले जो राहत का वितरण करता है, हम पुलिस आयुक्त, श्री झा से भी मिले, और अन्त में हमने उस राज्य के मुख्य मंत्री से भी भेंट की। हमने क्या देखा ? मैं आपको संक्षेप में कहता हूं क्योंकि मेरे पास समय का अभाव है।

मैं यहां क्या देखता हूं ? श्री चिदम्बरम जानते हैं। हो सकता है मैं भी उन्हें एक-दो विचार दे और दूं वह भी इस संबंध में अपने विचार व्यक्त करेंगे।

रथ यात्रा 9 जुलाई को निकाली गई। किन्तु सरकार और मन्दिर के लोगों के बीच कोई बात-चीत नहीं हुई। यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण मन्दिर—जगन्नाथ मन्दिर है। 9 जुलाई को जब रथ यात्रा निकाली गई, भिर्जापुर जो एक ऐसा क्षेत्र है जहां मुसलमानों की अधिक संख्या है, मुसलमानों ने देवता का स्वागत किया। देवता पर मालाएं तथा फूल चढ़ाए गए। मुसलमानों ने प्रसाद लिया और जुलूस के साथ थोड़ी दूर तक गए।

अब शाहपुर में कुछ हुआ और यह सारा अकस्मात् हुआ। पत्थर ऐसे क्षेत्र से फेंके गए जहां मुसलमानों की अधिक संख्या नहीं है। यह एक ऐसा क्षेत्र हैं जहां प्रत्येक समुदाय के लोग रहते हैं। छोटे कंकर तथा पत्थर फेंके गए और उत्प्रेरित भीड़ ने न केवल पत्थर फेंके—मारा-मारी, आगजनी, लूट-मार के लिए सामान के ट्रक भरे थे—किंतु मुस्लिम समुदाय की दुकानों को पहले ही निशाना बनाया गया था, और उनको चुन-चुन के आग लगा दी गई।

बाद में हमें पुलिस आयुक्त से पता चला कि एक फिल्म चल रही थी। श्री चिदम्बरम जानते होंगे। मेरे पास सभा को दिखाने के लिए एक "ग्राफ" भी है। मैं मुसलमानों की ओर से नहीं बोल रहा हूं। मुझे गलत मत समझो। मैं चाहता हूं कि भारत महान तथा संगठित हो। मैं व्यक्ति गत रूप से भारत की एकता तथा अखंडता में दिलचस्पी रखता हूं।

हाल ही में मैं अमेरिका गया। शिकागो में भारतीय समुदाय के सदस्यों ने मुझे आमंत्रित किया। एक स्वर से मुसलमानों और हिन्दुओं ने मुझ से कहा··· (व्यवधान)। मैं मेक्सिको गया था और वापसी पर अमेरिका गया। (व्यवधान)···

मैं आप से यह कह रहा था कि विदेशों में भारतीय समुदाय के लोग इस देश को दंगा तथा साम्प्रदायिक अशांति से मुक्त देखना चाहते हैं। उनकी इच्छा है कि यह देश महान् तथा संगठित हो। यही मेरी इच्छा है।

इस जलूस में अधिक उत्तेजनात्मक नारे लगाये गए और मैंने वह नारे लिखित रूप में भी देखे—

[हिन्दी]

"जय रण छोड, मियां चोर।" उसके बाद गाली है, वह मैं नहीं कहूंगा। "पाकिस्तान जाओ" वगैरह।

جے رن چھوڑ میاں چور۔ اس کے بعد گالی ہے۔ وہ میں نہیں کہوں گا۔ "پاکستان جاؤ" وغیرہ

[अनुवाद]

पुलिस आयुक्त ने कहा कि उन्होंने जुलूस की एक फिल्म भी बनाई है। वह फिल्म उस न्यायाधीश के समक्ष लाई जानी चाहिए जो इसकी जांच करेंगे। और उत्तेजना के बावजूद, मुसलमानों ने प्रत्याक्रमण नहीं किया। यही कहानी है।

फिर हम मंदिर में गए। मुझ में मंदिर के ट्रस्टी के पास जाने का साहस था। एक समय वह कांग्रेस में थे। डा० शुक्ल अब भी कांग्रेस में हैं। मैं महन्त के पास गया। उन्हें प्रतीत हुआ कि

इस साम्प्रदायिक विध्वंस में उनकी रुचि नहीं है, और उन्हें अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्यों के लिए पश्चाताप हुआ। कोई मुझ से कहना चाहता था कि बहुसंख्यक समुदाय द्वारा कितनी दुकानें जलाई गईं।

मैं एक उदाहरण देता हूं कि अहमदाबाद में किस प्रकार अशांति आरम्भ हुई। मैं आप से वही कह रहा हूं जो मुझे मन्दिर वालों ने कहा। अन्त में संक्षेप में मैंने महन्त से बात की। मुझे आप से कहना चाहिए कि वह एक धार्मिक व्यक्ति के परिवेश में रहता है। उनका नाम है महाराजा राम हरीश दास। उन्होंने मुझ से हिंदुस्तानी में कहा—

[हिन्दी]

"हम 88 बरस के हो गये। हमारा शरीर अब इतना बोझ उठा नहीं सकता। यह क्या हो रहा है? अगर यह लोग हमको इतना समझाते कि इतनी खराबी होगी, इतने लोग मरेंगे, तो हम रथ को मंदिर के गिर्द घुमाकर ले जाते। लगता है कि कुछ लोगों ने पहले से ही गड़बड़ का सोचा था।"

ہم ۸۸ برس کے ہو گئے۔ ہمارا شریر اب اتنا بوجھ اٹھا نہیں سکتا۔ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ لوگ ہم کو اتنا سمجھاتے کہ اتنی خرابی ہوگی اتنے لوگ مریں گے تو ہم رتھ کو مندر کے گرد گھما کر لے جاتے۔ لگتا ہے کہ کچھ لوگوں نے پہلے سے ہی گڑبڑ کا سوچا تھا

[अनुवाद]

हमें यह जानना चाहिए कि रथ यात्रा का लाभ किसने उठाया। आप उन्हें समाज-विरोधी तत्त्व कहते हैं। मैं आपको और एक कहानी सुनाता हूं।

यह कहने से पूर्व कि किसने इसका लाभ उठाया, मैं आपको दंगों की एक दो बातें कहता हूं जो हमें पता लगीं।

सभापति महोदय : कृपया ब्यौरा न दीजिए। आपका समय समाप्त हो गया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं संक्षेप में कहूंगा। हम मधुजी तथा बापू कल्दाते के साथ शरणार्थी शिविर में गए। और हमने बहुत लोगों से बातचीत की जो विभिन्न ग्रुपों के थे।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : हम लोगों को मौका कैसे मिलेगा जब इतनी-इतनी देर तक लोग बोलते रहेंगे।

(व्यवधान)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया उनके बोलने में बाधा मत डालिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : यह आपसे सम्बद्ध प्रश्न है। वहां पर अल्पसंख्यक समुदाय के पांच सदस्य थे। अल्पसंख्यक समुदाय का एक और सदस्य जिन्दा ही जला दिया गया। किंतु वह इतना महत्व-

पूर्ण नहीं है। बहुत से लोगों को जला दिया गया। हरिजन जला दिये गए। अल्पसंख्यक समुदाय के अनेक सदस्यों को जिन्दा जला दिया गया। किंतु और भी अधिक महत्वपूर्ण तथ्य यह है जो हबीब रहीम भाई ने मुझे बताया है। रिजर्व पुलिस के पांच सदस्यों का दल पास ही पांच-दस गज की दूरी पर खड़ा था और उन्होंने हस्तक्षेप नहीं किया। हलीमा बाई मधुजी से कहती है। वहां बहुत महिलाएं थीं। वे घायल थीं। वे अस्पताल नहीं गई क्योंकि उन्हें यह भय था कि उन्हें अस्पताल में जिन्दा ही जला दिया जाएगा। दो लोग अपने घायल संबंधियों को देखने आए। वे सिविल अस्पताल में आए जहां उन्हें अस्पताल के तीसरे तल से फेंक कर जिन्दा जला दिया गया।

[हिंदी]

श्री अजय मुशरान (जबलपुर) : इनसे कहिए कश्मीर का भी कुछ बताएं। **(व्यवधान)**

[अनुवाद]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, कश्मीर शांतिपूर्ण है। वहां कोई हिंसा नहीं है। मैं इस बात का आश्वासन देता हूं।

सभापति महोदय : आपका समय पूरा हो गया। कृपया भाषण समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं आपको अहमदाबाद के सांप्रदायिक दंगों के उदाहरण देता हूं। मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार यह सांप्रदायिक संहार हुआ। महोदय, मुझे कहानी मालूम है।

सभापति महोदय : यह सभी जानते हैं।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : महोदय, वास्तव में यह एक कमजोर प्रशासन है। **(व्यवधान)** आप एक-दो मिनट के लिए मुझ से सहमत हैं। **(व्यवधान)** यह कमजोर प्रशासन है। मुख्य मंत्री प्रेरणा नहीं देते हैं। वह एक सज्जन हैं। वह अच्छा व्यक्ति हो सकता है, किंतु वह जोरदार व्यक्ति नहीं है। पुलिस आयुक्त श्री झा ने वर्ष के दौरान आर० एस०एस० की अनेक बैठकों की अध्यक्षता की है और उद्घाटन किया है। मुख्य मंत्री ने इस बात की पुष्टि की है।

[हिन्दी]

गया था जाना पड़ता है।

گیا تھا۔ جانا پڑتا ہے۔

मैं यह पूछता हूं कि क्या वही पुलिस कमिश्नर वहां पर अमन रखेगा? नहीं रख सकता है।

میں یہ پوچھتا ہوں کہ کیا وہی پولیس کمشنر وہاں پر امن رکھے گا۔ نہیں رکھ سکتا۔

[अनुवाद]

उन्होंने कहा कि इसी हिंदू विश्व परिषद् ने आगजनी करने वालों और आतंकवादियों तथा सांप्रदायिक घातक आक्रमणों का नेतृत्व किया। एक सदस्य, काली कमलीवाला लक्ष्मण दास जो जुलूस का नेतृत्व कर रहा था अभी भी लापता है।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं समाप्त कर रहा हूं । प्रधान मंत्री राजीव गांधी की अध्यक्षता में भारत सरकार जिसका यहां पर श्री चिदम्बरम द्वारा नेतृत्व किया जा रहा है, कह रही है, "साम्प्रदायिकता को नियंत्रण में रखने की हमारी इच्छा है ।" मैं उनको बधाई देता हूं । किंतु मेरा एक प्रश्न है । श्री चिदम्बरम ने कहा, अब हम भविष्य में कोई हत्याकांड नहीं होने देंगे । जिन्होंने कहा कि वह उन लोगों को दण्ड देंगे जिन्होंने इस घातक अभियान का नेतृत्व किया । मैं कहता हूं वह उन सबों को दण्ड न दें । क्या वह कम से कम उन लोगों को दण्ड देंगे जिन्होंने निर्दोष लोगों को जीवित ही जला दिया । महोदय, सूची अहमदाबाद के पुलिस आयुक्त झा के पास है । क्या वह उन लोगों को दण्ड देंगे ? छः और दो, आठ व्यक्ति जीवित जला दिए गए । कम से कम, जिन्होंने ऐसा किया, उनको दण्ड मिलना चाहिए । क्या वह ऐसा करेंगे ? इन लोगों की सूची पुलिस के पास उपलब्ध है ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए । आपने पन्द्रह मिनट लिए हैं ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं समाप्त कर रहा हूं । यह इससे संबंधित है । यह संबद्ध है । गृह मंत्री को इसका उत्तर देना है । प्रादेशिक भाषाओं में बहुत से पत्र हैं ।

सभापति महोदय : श्री मूल चन्द डागा ।

(व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कश्मीर में शांति है; वहां शांति रहेगी; मैं इस बात का आश्वासन देता हूं ।

सभापति महोदय : अब, श्री डागा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया मुझे एक-दो मिनट और दीजिए । गुजरात समाचार में दो महीने एक कॉलम चला । वह कॉलम है :,

[हिंदी]

"वही रफ्तार चालीस साल"

"وہی رفتار چالیس سال"

[अनुवाद]

यह है गुजरात समाचार जिसने यह साम्प्रदायिक लड़ाई लड़ी । इसने यह कहानी कही है कि किस प्रकार मिर्जापुर, शाहपुर आदि के बीच जुलूस निकालना आपका कर्तव्य है निष्ठावानों का कर्तव्य है । यह है गुजरात समाचार । मेरे पास फाइल है और गृह मंत्री को फाइल का अध्ययन करना चाहिए ।

सभापति महोदय : कृपया समाप्त कीजिए ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मेरे पास उस राज्य सरकार द्वारा बनाया गया ग्राफ है । यह है गुजरात सरकार द्वारा प्रकाशित एक ग्राफ । (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए । मैंने माननीय सदस्य श्री डागा का नाम बुलाया है । आपने पहले ही 15 मिनट लिए हैं—अपने निर्धारित समय से अधिक ।

[हिंदी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : गुजरात सरकार ने यह ग्राफ बनाया है ।

پروفیسر سیف الدین سوز :۔ گجرات سرکار نے یہ گراف بنایا ہے۔

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया यह गृह मंत्री को दे दीजिए, वह अच्छी तरह देख लेंगे । कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए ।

[हिंदी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मैं पूछना चाहता हूं 23 राउण्ड चलाए गए । किस राउण्ड में कैसे पता लगा कि किसको मरना चाहिए । **(व्यवधान)** पुलिस की गोलियों से 9 माइनारिटी के लोग मरे और एक मेजारिटी का मरा । **(व्यवधान)** अगर वहां पर चिदम्बरम साहब न गए होते तो कत्लो गारत हो गया होता । अगर प्राइम मिनिस्टर ने चिदम्बरम को न भेजा होता तो वहां जबरदस्त कत्लो गारत हो जाता ।

(व्यवधान)

پروفیسر سیف الدین سوز : میں پوچھنا چاہتا ہوں ۲۳ راؤنڈ چلائے گئے۔ کس راؤنڈ میں کیسے پتہ لگا ہے کہ کس کو مرنا چاہیے۔ (انٹرپشن) ۔ ۔ ۔ پولیس کی گولیوں سے تو مائنورٹی کے لوگ مرے اور ایک مجوریٹی کا مرا۔ (انٹرپشن) ۔ ۔ ۔ اگر وہاں چدمبرم صاحب نہ گئے ہوتے تو قتل و غارت گری ہو گئی ہوتی۔ اگر پرائم منسٹر نے چدمبرم کو نہ بھیجا ہوتا تو دہلی زبردست قتل و غارت ہو جاتی ہے۔ (انٹرپشن) ۔ ۔ ۔ ۔

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो कुछ श्री सोज कह रहे हैं वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो कुछ श्री सोज कह रहे हैं वह कार्यवाही वृतांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा ।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : कृपया मुझे एक मिनट दीजिए ।

** कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया ।

सभापति महोदय : नहीं, मैं नहीं दे सकता। मैंने पहले ही आपको बहुत समय दिया है।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे समाप्त करने की अनुमति दीजिए। (व्यवधान)**

[हिंदी]

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आप नहीं मानते हैं तो मैं सिर्फ एक शेर पढ़ देता हूं।

सभापति महोदय : ठीक है। आप शेर सुना दीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : आज भी तुम में गर हो इमां पैदा,
बाग कर सकती है अन्दाज गुलिस्तां पैदा।

پروفیسر سیف الدین سوز :- آپ نہیں مانتے ہیں تو میں صرف ایک شعر پڑھے دیتا ہوں۔
سبھاپتی مہودے :- ٹھیک ہے آپ شعر سنا دیجئے۔

آج بھی تم میں گر ہو ایمان پیدا
آگ کر سکتی ہے اندازِ گلستان پیدا

[अनुवाद]

श्री अजय मुशरान : महोदय, आपने जब श्री डागा का नाम बुलाया, उसके पश्चात् जो कुछ श्री सोज कहेंगे—वह कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होना चाहिए।

[हिंदी]

शेर भी रिकार्ड पर नहीं जाना चाहिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : यह मेरा काम है। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। यह मुझे निश्चित करना है। मैंने पहले ही उन्हें अनुमति दी है कि "शेर" कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

[हिंदी]

श्री मूलचन्द डागा (पाली) : सभापति जी, मैं आपका आभार मानता हूं कि आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। सत्ता की भूख मनुष्य की भूख से बढ़कर होती है। लोक सत्ता की खुराक पर जीना चाहते हैं। जिनकी आदत हो गई है कि सत्ता की खुराक ही जिनकी जिन्दगी का सहारा है। वे इस पर गहराई से विचार करें।

यह राष्ट्र ऐसा रहा है, जिसकी राष्ट्रीयता को बाहर की हुकूमतें भी खत्म नहीं कर सकती हैं। मौका आने पर राष्ट्र अपने इम्तिहान में, परीक्षा में सफल हुआ। उसने बता दिया कि हिंदुस्तान पर जब कभी मुसीबत आती है या मुल्क में जब कभी लोग आपस में टकराते हैं, हिंदुस्तान एक हो जाता है। यह मुल्क कभी टूट नहीं सकता है। इन छोटे-मोटे झगड़ों के होते हुए भी यह मुल्क एक रहेगा। ये छोटे-मोटे झगड़े सत्ता के जो लोग आदी है, उस सत्ता के कारण राजनीति अंधेरी गलियों में पहुंच गई है। राजनीतिज्ञों ने अपने सिद्धांत अपने जीवन-मूल्य परम्परायें सब छोड़ दी हैं। इसके कारण आज बहस हो रही है। यह सवाल हिंदू और मुसलमान का नहीं रह गया

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

है। सवाल है, हिंदुस्तान के मुल्क को अपना मुल्क समझना। मैं मुल्क के लिए हूं, मुल्क मेरे लिए नहीं है। अगर हमने यह सोच लिया होता कि हम मुल्क के लिए पैदा हुए हैं, मुल्क हमारे लिए नहीं है, अगर सत्ताधारियों ने उन गुण्डों को नहीं अपनाया होता, जिन गुण्डों के द्वारा उन्हें वोट लेने हैं, तो शायद यह सवाल ही पैदा नहीं होता। इन प्रहरियों ने लुटेरों का काम किया है। इन रक्षकों ने भक्षकों का काम किया है। हम अपने मार्ग को भूल गए और आज हम इन बातों पर विचार कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि एक मैजिस्ट्रेट और एक एसपी जिले का कन्ट्रोल कर लेगा। मैं मानता हूं, उसकी जिम्मेदारी होगी और जिम्मेदारी होगी हिंदुस्तान के उस नागरिक की, जो वहां का प्रतिनिधित्व करता है। मैं समझता हूं कि महात्मा गांधी जी ने अपनी कुर्बानी इसलिए नहीं दी थी। हिंदुस्तान का मुल्क इस बात को मान चुका है कि बड़ी-बड़ी ताकतें इस बात की कोशिश कर लें, काश्मीर में चाहे पाकिस्तान का झण्डा नजर आ जाए, चाहे हमारे मंदिर जल जायें, लेकिन हमने मंदिर और मस्जिद में भगवान को नहीं देखा है। स्वामी विवेकानन्द ने कहा था—यदि तुम्हें भगवान को देखा है तो गरीबों की झोंपड़ियों में मिलेंगे। पं० जवाहरलाल नेहरू ने कहा था—तुम्हारे मंदिर और तुम्हारे बड़ी-बड़ी चीजें और ये विशाल भवन, विकास के बांध जो बन चुके हैं, उनमें तुम अपने मन्दिर के दर्शन करो। जगन्नाथपुरी में जो मेला लगता था, वह हिंदुओं का नहीं था, वह मुसलमानों का मेला था। जातिवाद और धर्म के नाम पर जो ताकतें पनपती हैं, उन ताकतों को क़ानून के जरिए दबा देना चाहिए। प्रथकतावादी ताकतें देश को पृथक कर देंगी। अगर कानून इजाजत देता है उन ताकतों को पनपने का, अगर कानून इजाजत देता है धम के नाम पर अपनी राजनीतिक पार्टियां बनाने का और यह कि हम अपने देश और अपनी रक्षा कर लेंगे तो वे भूल में है। आखिर में देश बड़ा है। देश के प्रति वफादारी, आपकी पार्टी के प्रति वफादारी, अपने मुल्क के प्रति वफादारी, अपने सम्प्रदाय के प्रति वफादारी और अपने प्रदेश के प्रति वफादारी जो है, उससे भी बढ़कर हमारी वफादारी मुल्क के प्रति होनी चाहिए। आप समय मुझे कम देंगे। मैं कल पढ़ रहा था, एक चीफ मिनिस्टर ने कहा था—

[अनुवाद]

—पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा :

"श्री रामचन्द्रन ने इस सुझाव को दोहराया कि संगठन के प्रत्येक सदस्य को छुरा रखना चाहिए।"

उन्होंने ऐसा क्यों कहा है। इस सुझाव को विपक्षी द्राविड़ मुनेत्र कषगम के अध्यक्ष श्री एम० करुणानिधि द्वारा अपने दल के लोगों को हाल ही में दिये गये उस निदेश की पृष्ठ भूमि में देखा जाना है। जिनमें उन्होंने किसी हमले का सामना करने के लिए स्वयं सेवी बल बनाने की बात कही है।

[हिंदी]

अगर आपने कहीं पढ़ा हो, तो उर्दू साप्ताहिक "इस्लामी एक्सप्रैस" के 20 जून 1986 के अंक में "आदम सेना" के गठन का स्वागत करते हुए जो बात कही गई है, उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि भारतीय मुसलमानों में भी उग्रवाद पनपने लगा है। "आदम सेना के मैम्बर बनिए" शीर्षक से उर्दू में छपे पर्चे में उसका उद्देश्य बताते हुए लिखा गया है—"हिंदुस्तान के मौजूदा हालात के पैशेनजर वक्त के तकाजे को पूरा करने, हिंदुस्तान के बिखरे हुए मीराजे को यकजा करने और नौजवानों को संगठित करने के लिए एक जमायत का क्याम अमल में आया है, जिसका नाम "आदम सेना" है।"

ये जो आदम सेना, शिव सेना और कौन-कौन-सी सेनाएं हैं, इन सब सेनाओं पर आप बैन लगाइए, गृहमंत्री जी। अखबारों में जो ये खबरें निकलती हैं, पूरी डिटेल में इनकी छानबीन कीजिए। आज चीफ मिनिस्टर कहते हैं कि चाकू अपने हाथ में रखिये। धर्म के नाम पर इस तरह की चीजें की जाती हैं जबकि "मजहब नहीं सिखाता, आपस में बैर करना"। जब मजहब ऐसी बातें नहीं कहता है, तो मजहब का नाम लेकर ऐसा क्यों करते हैं। कांग्रेस वालों ने, कांग्रेस के लोगों ने कुर्बानियां की और उन कुर्बानियों पर हम जिन्दा रहना चाहते हैं। अब हम कुर्बानी नहीं कर रहे हैं और इस कारण देश में अशांति है। आज देश में जो छोटे-मोटे झगड़े होते हैं, इन झगड़ों को आगे और न बढ़ाओ वरना देश पीछे चला जाएगा। सत्ता के भूखे लोग इस तरह के काम करते हैं। जो गरीब हैं, उसका शोषण मिट जाएगा और उसकी गरीबी मिट जाएगी, लोगों में शिक्षा अच्छी हो जाएगी, उनका आत्मबल जग जाएगा और वे ऊपर उठ जाएंगे, तो ये लोग उन लोगों को दूर फैंक देंगे जो मजहब के नाम पर दंगे कराते हैं और लोगों को भड़काते हैं। अगर गुण्डों को पहले पकड़ लिया जाता, शैतानों को पहले पकड़ लिया जाता और पुलिस का पहले इन्तजाम हो जाता और गुंडों को बटोर लिया जाता, तो झगड़े इतने न बढ़ते। आज भी देश में दफा 110 लागू है और 151 सेक्शन जो क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का है, उस को आप को एमेंड करना होगा। उस में 24 घंटे तक ही ऐसे लोगों को रख सकते हैं लेकिन मेरा कहना यह है कि इस प्रकार के गुंडों को अन्दर रखने के लिए कुछ दिन आपको बढ़ाने होंगे। यह जो कानून बनते हैं ये कानून किताबों में ही रहते हैं। क्या आप यह समझते हैं कि गुंडे एक दिन में पैदा होते हैं। ये दादा लोग, बंगाल के दादा नहीं, जो दादा कहे जाते हैं, ये जो दादा लोग पैदा होते हैं, जो अपनी धोंस जमाते हैं, पहले उनको कानून के शिकन्जे में बन्द कर दो। जब देश के अन्दर आग लग जाती है, तब मंत्री जी मौके पर जाते हैं। मैं गृह मंत्री जी से यह कहूंगा कि आप के इंटेलीजेंस को यह काम करना चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि देश में कौन गुंडा पनप रहा है, कौन असामाजिक तत्व पनप रहा है। जिनके पास कमाई का कोई जरिया नहीं है वे बांके, छबीले बन कर घूम रहे हैं। ये हैं कौन और ये कहां से पैदा होते हैं। उन लोगों को आप पकड़िये और पकड़ कर अन्दर रखिये। आपने देखा होगा कि कुछ लोग खद्दर के कपड़े पहन लेते हैं और नेता बन जाते हैं। ये नेता क्या कर रहे हैं। ये और काम भी कर रहे हैं, तस्करी करने वाले, चोरी करने वाले और जो दूसरे असामाजिक तत्व हैं, इनको पकड़ने का काम आप कीजिए। आपका जो इंटेलीजेन्स डिपार्टमेंट है, उसको खोज कर ऐसे लोगों को पकड़ना चाहिए और ये जो कांटे हैं, इनको आप निकाल दें। जब समाज ऐसे कांटों से मुक्त हो जाएगा, तो फिर गलत रास्ते पर चलने वाला कोई नहीं होगा और जब देश पर आपत्ति आएगी, तो उसका मुकाबला करेगा चाहे पाकिस्तान कितनी ही कोशिश कर ले और कितनी ही मेहनत कर ले, उसकी ताकत नहीं चलेगी और ये सरदार लोग जिन्होंने खालिस्तान का स्वप्न देखा है, वह पूरा नहीं होगा और हमारा यह स्वप्न पूरा होगा, "सारे जहां से अच्छा, हिन्दुस्तान हमारा"। इतना कह कर मैं समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

श्री मनोरंजन भक्त (अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह) : मैं अपने मित्र श्री डागा का देश में साम्प्रदायिकता और साम्प्रदायिक हिंसा की निन्दा करने के लिए समर्थन करता हूं। चर्चा की शुरूआत करते हुए प्रो० मधु दण्डवते ने ठीक ही कहा है कि इस देश में हम सब शायद साम्प्रदायिक विध्वंस के प्रभाव को भूल रहे हैं। महोदय, मैं स्वयं इस देश में साम्प्रदायिकता का शिकार

हुआ हूं। 1946-47 के विभाजन के पश्चात् साम्प्रदायिक दंगों के कारण हम में से कुछ अपने घर-बार छोड़ कर आश्रय हेतु देश के इस भाग में आये। मैं यहां एक बात अवश्य कहूंगा, मैं अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह से हूं जहां समाज में परंपरागत रूप से ऐसे सिद्धान्त बने हुए हैं कि वहां साम्प्रदायिकता का, साम्प्रदायिक झगड़ों का तथा साम्प्रदायिक हिंसा का नाम नहीं है। मैं इस महान सभा को सूचित करना चाहूंगा तथा आपको यह जानकर प्रसन्नता होगी कि इस देश में एक ऐसा भाग है, ऐसा स्थान है जहां जबकि देश के अन्य हिस्से साम्प्रदायिकता की आग में जल रहे होते हैं किसी प्रकार की साम्प्रदायिक घृणा अथवा साम्प्रदायिक हिंसा नहीं होती है।

मैं इस अवसर पर इस बात का भी उल्लेख करना चाहूंगा कि जब हम यहां चर्चा करते हैं तो हमें पता होता है कि हमारा अधिकार क्षेत्र क्या है। हमें यह भी पता होता है कि कानून और व्यवस्था राज्य का विषय है न की केन्द्र का। जब हम यहां बोलते हैं तो हमें यह पूरी तरह से मालूम होता है कि हम इस पर चर्चा कर सकते हैं हम इसकी समीक्षा कर सकते हैं और अपनी कार्यवाहियों की आलोचना कर सकते हैं परन्तु अन्ततः यह कार्य राज्य सरकार का ही है कि वह इन मार्ग निर्देशों को या 15 सूत्री कार्यक्रम को लागू करे। ये सभी राज्य सरकार द्वारा लागू किये जाने हैं और यदि राज्य सरकारें साम्प्रदायिक हिंसा या साम्प्रदायिकता को रोकने की इच्छुक नहीं है तो यह नहीं रोके जा सकते हैं।

इस साम्प्रदायिकता के कई रूप हैं। यह केवल धर्म के नाम पर नहीं होती है। बल्कि भाषा के नाम पर होती है, जाति के नाम पर होती है। यहां आवश्यकता इस बात की है कि हम इसे एक चुनौती के रूप में लें और यह कहें कि अपने-अपने क्षेत्रों में हम जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर या भाषा के नाम पर किसी प्रकार की साम्प्रदायिक हिंसा या साम्प्रदायिक झगड़ा नहीं होने देंगे। केवल तभी हम एक जनमत तैयार कर सकते हैं जिसके द्वारा इस बुराई का सामना किया जा सके।

मैं यहां इस बात का उल्लेख करना चाहूंगा कि पिछले कुछ वर्षों से हम इस खाड़ी द्वीप समूह में साम्प्रदायिक सद्भावना को बनाये रखने में बहुत सी समस्याओं का सामना कर रहे हैं। आप कैसे जानते हैं। यहां अधिकारी वर्ग में बहुत से अधिकारी दिल्ली से आये हैं और कुछ ऐसे अधिकारी हैं जिन्हें दिल्ली प्रशासन या केन्द्र सरकार नहीं चाहती है कि वे दिल्ली में रहे या उनकी ईमानदारी पर संदेह होता है, अतः उन्हें तत्काल ही वहां से निकालने के लिए एक ही स्थान मिलता है और उन्हें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह या लक्ष्यद्वीप भेज दिया जाता है। जिसके परिणामस्वरूप वे उस भाग में भी गलत कार्य करते हैं। तब हम केन्द्र सरकार के पास यह शिकायत ले कर आते हैं कि यह व्यक्ति इस तरह की समस्या पैदा कर रहा है। जिससे वे फिर से दिल्ली आ जाते हैं। इस पर भी गौर किया जाना चाहिए और जिस किसी व्यक्ति को आप वहां भेजें वहां अधिकारियों का उत्तम दल होना चाहिए और यदि आवश्यक हो तो उसे वहां अच्छी सुविधायें दी जानी चाहिए तथा उनका कार्यकाल भी कम करना चाहिए। तीन वर्ष के बजाय इसे 2 वर्ष कर सकते हैं परन्तु अधिकारियों का उत्तम दल भेजा जाना चाहिए। अब मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा। एक बार एक मुख्य सचिव उस क्षेत्र में भेजे गये। हमें भोजपुरी समाज या अन्य समाजों के मध्य के अन्तर की जानकारी नहीं है। उन महाशय ने वहां जाने के कुछ दिन बाद

लोगों को विभाजित कर एक अलग समूह बनाना शुरू कर दिया खैर किसी प्रकार हमने उनका सामना किया और अन्ततः उस मामले को सुलझाया।

फिर समाचार पत्रों द्वारा भी इसमें भूमिका निभाई जाती है। वे भी इसमें रुकावट बन कर आते हैं। मैं यहां पर एक उदाहरण देना चाहूंगा। पोर्ट ब्लेयर के गर्वनमैन्ट कालेज में छात्रों द्वारा सरस्वती पूजा की गयी। इस सरस्वती पूजा को सभी हिन्दू लड़के, मुसलमान लड़के और इसाई लड़के मिल कर करते हैं। फिर समाचार पत्रों ने यह खबर छापी कि खाना बनाने के बर्तन मस्जिद से लिये गये हैं और यह भी लिखा कि चूंकि बर्तन मस्जिद से लिये गये हैं और भोजन उनमें तैयार किया गया है इसलिए कुछ अशुभ हो गया है यद्यापि पूजा कर ली गयी थी इसके तत्काल बाद छात्र मेरे पास यह कहते हुये आये कि ये लोग फूट पैदा करना चाहते हैं। मैंने कहा "कोई बात नहीं है, आप एक जुलूस निकालो और उनकी खुले आम निन्दा करो, इसमें कोई बुराई नहीं है।" वे उपराज्यपाल के पास गये और उन्हें इस पर कार्यवाही करने के लिए एक ज्ञापन दिया। परन्तु क्या कार्यवाही की गयी ? कुछ भी कार्यवाही नहीं की गयी। जब इस प्रकार की बातें पनप रही हों और तत्काल कार्यवाही न की जाये तो स्थिति और खराब हो जायेगी।

मैं एक दूसरा उदाहरण भी देना चाहता हूं, जहां पुलिस और कुछ लोग ऐसे लोगों को झूठे मामलों में फंसा देते हैं जो उनमें बिल्कुल भी शामिल नहीं होते हैं।

महोदय, अंडमान के मध्य में रगत नाम का एक स्थान है। एक बार वहां छात्रों का प्रदर्शन हुआ। पुलिस ने गोलियां चलायीं। तीन विद्यार्थी मारे गए। इसके बाद एक न्यायिक जांच आयोग बैठाया गया। उस जांच आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की। उसके एकदम बाद उस पुलिस कार्यवाही पर पर्दा डालने के लिए 200 से अधिक लोगों को झूठे इल्जाम में फंसाया गया, जबकि वे लोग इसमें बिल्कुल भी शामिल नहीं थे। वे ज्यादातर सरकारी कर्मचारी और आम आदमी थे।

हम प्रशासन के ध्यान में इस बात को लाये कि वे झूठे मामले हैं तथा इन्हें वापस लिया जाय। अन्यथा समुदायों के बीच घृणा बढ़ने से, ज्यादा समस्यायें पैदा हो जायेंगी। फिर भी सरकार ने कुछ नहीं किया। मेरा सवाल यह है कि इस प्रकार के क्षेत्रों में जहां पूर्ण सामंजस्य बनाये रखना है सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि कोई किसी से छेड़-छाड़ न करे। यदि कोई बात शुरू होती है तो उसे तत्काल रोकना चाहिए।

मैं 15 सूत्री कार्यक्रम का जिक्र करना चाहूंगा। यहां एक बात है कि भर्ती बोर्ड में कुछ गैर-सरकारी अधिकारी भी लिये जाने चाहिए। परन्तु यह नहीं किया जाता है। यदि चयन बोर्ड में कुछ गैर-सरकारी अधिकारी भी हों तो मैं समझता हूं कि अल्पसंख्यक समुदाय के तथा अन्य लोग अधिक अवसर प्राप्त कर सकेंगे और उससे देश में एक सोहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में सहायता मिलेगी।

मैं आपका वास्तव में बहुत आभारी हूं और मैं माननीय गृह मंत्री से भी सिर्फ अनुरोध कर सकता हूं कि जब देश सांप्रदायिक तनाव और हिंसा से घिरा हुआ हो, उस समय प्राधिकारियों को अप्रभावित क्षेत्रों को इससे बचाने के लिए विशेष और तुरंत ध्यान देना चाहिए और हम ऐसे क्षेत्रों को सांप्रदायिक हिंसा और सांप्रदायिकता से अछूता रख सकते हैं।

श्री पीयूष तिरकी (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, पहली बार सरकार देश में सांप्रदायिक तनाव को रोकने के लिए आगे आयी है। मैं एक बात इस संबंध में यह कहना चाहता हूं कि गृह मंत्रालय के प्रभारी माननीय गृह मंत्री एक तनखइया है, उनको ऐसा घोषित उनके अपने समुदाय के धार्मिक प्रधान ने किया है। उन्हें गृह मंत्रालय का प्रभार दिया गया है। यह बिल्कुल ठीक है। जो लोग पहले ही तनखइया घोषित किये जा चुके हैं, उनको उस समुदाय का अनुयायी नहीं होना चाहिए। हमें आशा है कि उनके प्रशासन में निष्पक्षता होगी।

साम्प्रदायिक सद्भाव के बारे में पहले ही काफी बातें कही जा चुकी हैं। अवश्य ही ऐसा होना चाहिए क्योंकि भारत एक है और यहां रहने वाले लोगों ने, जब राष्ट्र का प्रश्न उठता है तो बिना किसी धर्म, जाति और संप्रदाय के भेदभाव के एक होना चाहिए।

हमारे यहां कई सेनाएं हैं। मैं सरकार का ध्यान कुछ सेनाओं की तरफ आकर्षित करता हूं। ये इस प्रकार हैं; शिव सेना, हिन्दू एकता समिति, विश्व हिन्दू परिषद् हिन्दू सेना, त्रिशूल धारी, आदम सेना, अल-जेहाद लखनऊ में अली सेना और हैदराबाद में जिहारी लश्कर। कृपया इन सेनाओं का ध्यान रखें। इन सेनाओं की क्या-क्या गतिविधियां हैं और किस उद्देश्य से ये बनायी गयी हैं? जहां कुछ नारे भी हैं :

[हिन्दी]

जिहादी लश्कर, हैदराबाद आदम सेना और अली सेना का प्रतीक तलवार।

[अनुवाद]

जिहादी लश्कर का प्रतीक बन्दूक है। ये सभी तीनों संगठन समस्त देश में अपनी इकाईयां स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं।

इन्होंने कुछ मुद्दे भी उठाये हैं और वे प्रेस में प्रकाशित हुये हैं।

[हिन्दी]

1. क्या आप मुसलमान हैं।
2. क्या आप देश में सामाजिक गौरव के साथ जिन्दगी बिताना चाहते हैं।
3. क्या आप अपने शैक्षणिक व आर्थिक पिछड़ेपन से दुखी हैं।
4. क्या आप सच्चे मुसलमान की हैसियत से जिन्दगी गुजारने की इच्छा रखते हैं।

[अनुवाद]

इनका जवाब यह है कि अली सेना की सदस्यता ग्रहण करें। ये वो मुद्दे हैं जिन पर हमें ध्यान देना है। शायद, गृह मंत्री की हैसियत से आपको इनके बारे में जानकारी हो। आपके पास गुप्तचर पुलिस बल तथा काफी संख्या में दूसरे बल हैं।

एक माननीय सदस्य : उनके पास काफी सेनाएं भी हैं।

श्री पियूष तिरकी : आप इन सेनाओं पर निगरानी क्यों नहीं रखते क्योंकि ये उपद्रवी तत्व हैं? मुझे संदेह है कि शायद सरकार जान-बूझकर इन सेनाओं के संचालन और जो कुछ ये देश में करना चाहती हैं उसकी अनुमति दे रही है।

ये सेनाएं सारे देश में गांवों तथा जिलों में विद्यमान हैं। पूरी संभावना है कि ये सेनाएं कुछ प्रभावी व्यक्तियों और शायद राजनैतिक दलों से भी समर्थन पा रही हैं। कृपया इन पर निग-

रानी रखिए, अन्यथा अगर यहां पर सांप्रदायिक सद्भावना नहीं बनाये रखी गयी तो आम आदमी आपको माफ नहीं करेगा जैसा कि आपको आपके समुदाय द्वारा माफ नहीं किया गया है।

कभी-कभी हम ऐसा सोचते हैं कि साम्प्रदायिक मतभेद का तात्पर्य हिन्दुओं तथा मुसलमानों के बीच लड़ाई होना है। यह सच्चाई नहीं है। हमारे यहां अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन-जाति के लोग भी हैं। ये लोग हिन्दू हैं। ये पूरी तरह से हिन्दू हैं। किन्तु स्वयं हिन्दुओं द्वारा इन लोगों को क्यों मारा जा रहा है। इसके क्या कारण हैं? आप बिहार में जायें, अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को वहां पर जीवित जला दिया जाता है। हिन्दू उनके अपने समुदाय की भी रक्षा नहीं कर सकते। हिन्दू, हिन्दू को मारता है। यह बड़ी अजीब बात है।

क्या ऐसा नहीं है कि साम्प्रदायिकता का तात्पर्य धार्मिक लड़ाई है। धर्म की एक अलग बात है। यहां पर कई दूसरी ऐसी बात भी हैं जो हमें विभाजित करती हैं। इसको अवश्य ही रोका जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मैंने पहले ही अनुसूचित जातियों और जन जातियों के बारे में कह दिया है। वे हिन्दू हैं; किन्तु उनको मन्दिरों में जाने की अनुमति नहीं है। उनको मन्दिर में भी नहीं घुसने दिया जाता है और फिर भी गर्व से अपने आप को हिन्दू कह रहे हैं।

प्रो० एन० जी० रंगा : अब ऐसा नहीं है।

श्री पीयूष तिरकी : इसके बाद यहां भाषा की समस्या है। आपने कई समझौते कर डाले हैं जैसे—असम, पंजाब और मिजोरम समझौते इत्यादि। इस भाषायी समस्या के कारण काफी लोगों की जानें चली गयी हैं। इस प्रकार सवाल हिन्दुओं और मुसलमानों का ही नहीं है। राज्य पुनर्गठन आयोग ने क्या सिफारिशें दी हैं? असमियों को असम में रहना चाहिए और दूसरों को वहां से चले जाना चाहिए अन्यथा वे मारे जायेंगे। इसी तरह बिहारियों को बिहार में ही रहना चाहिए। इस संबंध में सरकार क्या कर रही है? यह हिन्दुओं और मुसलमानों का प्रश्न नहीं है। प्रश्न यह है कि आपने समस्त देश में कुप्रबंध किया है और अब यहां अव्यवस्था होने जा रही है। इस पर गंभीरता से विचार करने का यह उचित समय है। सरकार को सोच-विचार करना चाहिए कि राजनीतिज्ञों सहित कुछ निहित स्वार्थ तुच्छ राजनैतिक स्वार्थों के लिए यह कार्य कर रहे हैं। मुख्य समस्या क्या है? मुख्य कारण यह है कि यह समस्या आर्थिक असमानता की वजह से है। युवा लोग चाहे वे किसी भी धर्म से संबंधित हों ऐसी गतिविधियां करते हैं। एक व्यक्ति का सिर कटवाने के लिए 50 रुपये काफी हैं क्योंकि एक जवान आदमी के पास खाने और पहनने के लिए कुछ भी नहीं है। उसे तो धन चाहिए। निहित स्वार्थों के कारण राजनीतिज्ञ इन जवान लोगों को रख लेते हैं और इच्छानुसार इनसे कार्य करवाते हैं। आपने कई बार कहा है कि हमारे पास पर्याप्त धन है किन्तु मैं यह कहता हूं कि यहां इस धन का असमान वितरण है। यहां कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास भोजन और मकान भी नहीं हैं जबकि कुछ के पास बहु मंजली इमारतें और पांच सितारा होटल हैं। इन जवान लोगों को एक चौकीदार की नौकरी भी नहीं मिलती। इस प्रकार आप इन लोगों को कैसे सम्भाल सकते हैं? वे कोई भी साधन अपनाते हुये अपना जीवन बसर करने का प्रयास करेंगे। अगर उनको कोई उपयुक्त काम नहीं मिलता है तो वे यह रास्ता अपनायेंगे वे उग्रवादी बन जायेंगे और निहित स्वार्थों के आसान शिकार होंगे। आपका लाभ उन्मुखी

सामाजिक ढांचा सारे मामले को खराब कर रहा है अगर इसको रोका नहीं गया तो असमानता बढ़ेगी और फिर डोर हाथ से छूट जायेगी।

आजकल प्रत्येक व्यक्ति को हर वस्तु खरीदनी पड़ती है। शिक्षा, भोजन, स्वास्थ्य की देख-भाल और न्याय भी खरीदना होता है। अगर इन सभी चीजों को खरीदने के लिए किसी व्यक्ति के पास आवश्यक साधन न हों तो कानून-व्यवस्था तथा साम्प्रदायिक सौहार्द बनाये रखने की उससे कैसे आशा कर सकते हैं। अतः आपको अपनी नीति बदलनी चाहिए।

भारतीय लोग बहुत धार्मिक हैं; लेकिन धर्म क्या है यह मैं बताना चाहूंगा। आजकल लोग स्वास्थ्य, धन, अच्छी पत्नी और बच्चे पाने के लिए मन्दिरों तथा मस्जिदों में प्रार्थना करने जाते हैं। वे मन्दिरों तथा मस्जिदों में तब प्रार्थना क्यों नहीं करते जब किसी सांप्रदायिक उपद्रव का अंदेशा हो जिससे कि वे अपने देवी-देवताओं से लोगों को ऐसी स्थिति से बचाने के लिए कह सकें। वे शारीरिक ताकत या 'तलवार' का प्रयोग क्यों करते हैं? यह धर्म का सिद्धान्त नहीं है।

यहां मन्दिर, गिरिजाघर या गुरुद्वारा नहीं बल्कि सभी धर्मों के लिए एक सामूहिक मन्दिर होना चाहिए और वह पहले ही विद्यमान है जिसे हम इंडिया गेट कहते हैं जहां सभी राष्ट्रवादियों ने देश की एकता व अखण्डता के लिए जान दी है। यहां सभी धर्मों के प्रमुखों का एक निश्चित तारीख को इकट्ठा हो कर पूजा अर्चना करनी चाहिए। यह स्थान उन लोगों की यादगार में बनाया गया है जो देश की एकता व अखण्डता की याद में शहीद हुए हैं। अगर कहीं भगवान है तो वह यही स्थान है न कि गुरुद्वारों, मन्दिर या गिरिजाघर।

अन्त में, मन्त्री जी ने ठीक कहा है कि जिस जिले में साम्प्रदायिक दंगे होंगे वहां के पुलिस उपायुक्त तथा अधीक्षक को आड़े हाथों लिया जायेगा। इसमें मैं यह बात जोड़ना चाहता हूं कि उस जिले के सभी धार्मिक प्रमुखों को भी आड़े हाथों लिया जाना चाहिए कि वहां ऐसा क्यों हुआ वे सभी धार्मिक व्यक्ति हैं चाहे वह मुसलमान, इसाई या दूसरे व्यक्ति हों। लेकिन उन्हें इसके लिए उत्तरदायी बनाया जाना चाहिए कि वे उस पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सके। इसलिए जैसा कि मैंने कहा है कि डिप्टी कमीश्नर और पुलिस अधीक्षक के अतिरिक्त उनको भी इसके प्रति उत्तरदायी ठहराया जाना चाहिए।

[हिंदी]

श्रीमती उषा ठक्कर (कच्छ) : सभापति महोदय, दंडवते जी ने जो प्रस्ताव इस सदन में पेश किया है, उस पर दोनों ओर से महत्वपूर्ण सुझाव दिए जा रहे हैं। साम्प्रदायिकता के नाम पर इस देश में जगह-जगह अशांति का वातावरण फैलाया जा रहा है। सभी ओर से यही कहा जा रहा है कि सारे देश को एक होकर साम्प्रदायिकता के जहर को फैलने से रोकने में मदद करनी चाहिए। हरेक दल के माननीय सदस्य का यही विचार है कि इस सामाजिक बुराई का जड़ से अंत होना बहुत आवश्यक है। मैं आपके सामने गुजरात के बारे में कुछ कहना चाहूंगी। वहां 9 तारीख को रथ-यात्रा के अवसर पर जो दंगा हुआ, उसने देशवासियों की आंख खोल दी हैं। उससे यह सिद्ध हो जाता है कि इन दंगों के पीछे कुछ ऐसी कोई ताकत काम कर रही हैं जो इस देश में हिन्दू, मुसलमान, सिक्ख, इसाई आदि सभी धर्म के लोगों को आपस में लड़ा कर अपना फायदा उठाना चाहती हैं। वे चाहती हैं कि जांत-पांत के नाम पर ये सब अलग हो जाएं और इस देश की एकता और अखण्डता में दरार पड़ जाए। हमारे देश पर बहुत से हमले हुए हैं और हर बार हम भारत-

वासियों ने उसका मुकाबला एक होकर किया है। इसलिए हमारे दुश्मन जानते हैं कि युद्ध के मैदान में हम भारत का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते हैं और इसी वजह से उन्होंने हमारे मन को अलग करने के लिए, हमारे बीच साम्प्रदायिकता की दीवार खड़ी करने की कोशिश की है। उन्होंने ऐसे मौके को ही इस काम के लिए उपयुक्त समझा और दंगा करवा दिया। कौमनसेंस की बात है कि जब कोई रथ-यात्रा निकाली जा रही थी तो दर्शन करने के लिए सभी जातियों के लोग अपने-अपने घरों से बाहर निकले। उस मुहल्ले में लगभग एक लाख या डेढ़ लाख लोग उस यात्रा में शामिल थे तो उनमें कौन ऐसा नासमझ व्यक्ति होगा जो पत्थरबाजी करेगा। यदि कोई व्यक्ति अपने ही मुहल्ले में पत्थरबाजी करेगा तो क्या पता नहीं कि उससे जो तूफान उठेगा, सबसे पहले उसके मुहल्ले में ही आग लगेगी। उसका मुहल्ला ही उससे प्रभावित होगा।

सभापति महोदय, ऐसे ही मौकों पर असामाजिक तत्व लोगों के बीच में घुस आते हैं और ऐसी कार्यवाही करते हैं, नारेबाजी करते हैं या पत्थरबाजी करते हैं, जिससे उत्तेजना का वातावरण उत्पन्न हो जाए। किसी धर्म की रथ-यात्रा में गन्दी नारेबाजी या पत्थरबाजी कोई देशवासी नहीं कर सकता बल्कि कोई देशद्रोही ही कर सकता है, इसकी पूरी सम्भावना है। इसलिए मैं सरकार के सामने एक सुझाव यह रखना चाहती हूं कि जब भी कोई रथ-यात्रा निकाली जाए तो हमें हैली-कोप्टर से उसकी निगरानी करनी चाहिए ताकि कोई असामाजिक तत्व उसमें विघ्न न डाल सके।

5.00 म० प०

माननीय सभापति जी, मैं आपके माध्यम से भारत के नागरिकों को इस महान सदन के मेम्बर के नाते से अपील करूंगी कि 9 तारीख से ज्यादा नुकसान 12 तारीख को सुरक्षा समिति के बन्द के ऐलान के कारण हुआ। इसलिए सुरक्षा समिति को बन्द के बजाय ऐसा ऐलान देना चाहिए था कि उस दिन सारे प्रदेश के बिजनैसमैन अपने मुनाफे के भाग की धनराशि उन लोगों को दें जिन को इन दंगों के दौरान नुकसान हुआ और बिना धर्म और बिना भेदभाव के दंगा-पीड़ित लोगों की मदद उस एक दिन के मुनाफे से की जाती। यदि ऐसा ऐलान सुरक्षा समिति करती, तो मैं समझती हूं कि इससे एकता की भावना को बल मिलता और जो 12 तारीख को गुजरात में विनाश का ताण्डव हुआ वह हमको नहीं देखना पड़ता।

5.01 म० प०

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

मान्यवर, मैं अपने देश के नागरिकों से इस महान सदन के माध्यम से अपील करना चाहती हूं कि महात्मा गांधी, इंदिरा जी और लौंगोवाल का बलिदान लेकर भी राक्षस लोग इस देश में अशांति और अराजकता फैलाने का प्रयास कर रहे हैं। उनका हमें दृढ़ता से मुकाबला करना है जिससे उनके इरादे नाकाम हों और देश में तनाव कम हो।

यहां से हमारे एक माननीय सदस्य ने अभी कहा कि गुजरात के मुख्य मन्त्री महोदय को रथ-यात्रा में नहीं जाना चाहिए था। उनका रथ-यात्रा में जाना ठीक नहीं था। मैं उन माननीय सदस्य से यह अनुरोध करना चाहती हूं कि गुजरात के मुख्य मन्त्री रथ-यात्रा में ही नहीं ईद के दिन मुसलमान भाइयों के साथ मस्जिद में भी जाकर उनके साथ अल्लाह से दुआ मांगते हैं। यह तो गुजरात की परम्परा है। यह साम्प्रदायिकता के खिलाफ नीति को खत्म करने के लिए कोई ताकत चालाकी खेल रही है।

माननीय सदस्य दण्डवते जी ने कहा कि भड़ौच में प्रोग्राम बना था, मगर वह प्रोग्राम पहले से ही रखा गया था और यह बन्द का आह्वान ठीक नहीं था, तो क्या बन्द को प्रोत्साहन देना ठीक था ? पटेल साहब कोई मन्त्री नहीं हैं वे एक एम०पी० हैं। इसलिए उनके लिए पुलिस की व्यवस्था नहीं थी।

माननीय गायकवाड़ जी ने जो कहा कि इन दंगों से अल्पसंख्यक और बहुसंख्यक दोनों के मन में भय पैदा होता है। मैं इससे सहमत हूं क्योंकि गरीब आदमी चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक, वे दो-तीन दिन तक घर में रहते हैं और भूखे मरते हैं। जब बाहर निकलते हैं, तो कोई पता नहीं होता कि वे घर पहुंचेंगे या नहीं। जब वे घर नहीं पहुंचते हैं, तो घर वालों के मन में भय पैदा होता है। इसलिए गायकवाड़ जी का यह कहना कि सभी लोगों के मन में दंगों से भय पैदा होता है, बिलकुल ठीक है।

[अनुवाद]

श्री टी० बशीर (चिरायिकिल) : श्रीमन् एक बार फिर हम बहुत ही वेदना के साथ उसी समस्या पर चर्चा कर रहे हैं, जिस पर इस सदन में कई बार चर्चा कर चुके हैं एक बार फिर जब हम देश की इस साम्प्रदायिक समस्या पर चर्चा कर रहें है तो हमारा मस्तिष्क गांधी जी की यादों से भर जाता है। हमारी आजादी का स्वागत करने के लिए 15 अगस्त 1947 को गांधी जी दिल्ली में नहीं थे। नोआखली में 77 वर्षीय कमजोर बुढ़ा साथी नंगे पैर पुरुषों व महिलाओं से मिल रहा था और जिन व्यक्तियों ने उनको यातनाएं दी थी वह उनसे भी मिल रहा था। महोदय, हमें अपना सिर शर्म से झुका लेना चाहिए कि आजादी की चार दशाब्दियों के बाद भी हम देश में विभिन्न समुदायों के बीच शांति व सौहार्द्र स्थापित नहीं कर सके हैं। साम्प्रदायिक दंगे और खून खराबा अभी भी चल रहे हैं। मेरे कई सहयोगियों ने अहमदाबाद के बारे में काफी कुछ कहा है। मैं समय के अभाव के कारण विस्तार में नहीं जाना चाहता हूं लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं कि पिछले वर्ष भी बहुत अधिक दंगे हुए थे। इस वर्ष भी प्रत्येक व्यक्ति इसी समस्या पर ध्यान दिला रहा है। मैं नहीं जानता गुप्तचर एजेंसियां क्या कर रही थी ? रथ-यात्रा के लिए वही रास्ता क्यों चुना गया था। इन बातों से पता चलता है कि हम अब भी उन मामलों को गंभीरता से नहीं ले रहे हैं। हम इन मामलों को साधारण रूप में लेते हैं। यह ही समस्या है। इस मामले को मैं आगे नहीं ले रहा हूं। यहां हम कुछ समाधान ढूंढ़ रहे हैं। अब बीमारी स्पष्ट है, रोग लक्षण स्पष्ट हैं, रोगाण् स्पष्ट है और खतरा स्पष्ट है। अतः अब हमें वचनबद्धता और दृढ़ निश्चय के विषय में फैसला करना है महोदय, हमने इस समस्या पर यहां कई बार चर्चा की है और अब हम फिर चर्चा कर रहे हैं अगर भविष्य में कुछ ऐसी घटना होती हैं, तब हम फिर यहां आयेंगे और चर्चा करेंगे। इसे समाधान करने का क्या यही उपाय है ? मैं ऐसा नहीं सोचता, कार्यवाही आवश्यक है। कौन सी कार्यवाही का हम यहां निर्णय कर सकते हैं ? चर्चा के आधार पर हम एक सर्वसम्मति पर पहुंचे हैं। लेकिन कार्यवाही हमारी तरफ से, सरकार की तरफ से, राजनीतिक दलों की तरफ से होनी चाहिए। लेकिन कार्यवाही करने से पहले हमें इन मामलों के प्रति एक दृष्टिकोण तैयार करना चाहिए यह महत्वपूर्ण है ; दृष्टिकोण क्या हो, यह हमें, सरकार और राजनीतिक दलों को निश्चित करना चाहिए यहां कई विद्वान मित्रों और सहयोगियों ने कहा है कि हमारा देश बहुधर्मी देश है। हम धर्म को नहीं छोड़ सकते। हां, धर्म एक वास्तविकता है। हमारा संविधान उपासना के अधिकार की रक्षा करता है। लेकिन एक बात मैं कहना चाहूंगा कि जब हम एक दृष्टि-

कोण बनायें तो ये सभी धार्मिक प्रथाएं हमारी धर्मनिरपेक्षता की भावना के अनुरूप होनी चाहिए। इस बात को सरकार को, लोगों को, राजनीतिक दलों को ध्यान में रखना चाहिए। यहां किसी व्यक्ति ने रथ-यात्रा और धार्मिक जुलूसों के बारे में कहा था। उससे एक विवाद उत्पन्न हो गया था। अब भी धार्मिक जुलूस नारों के साथ शुरू किये जाते हैं और क्या आप जानते हैं कि अहमदाबाद में किस प्रकार के नारे थे। वे हम जानते हैं। मेरे विचार से धर्म के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है। क्या यह पूजा का एक हिस्सा है। चाहे यह मुहर्रम यात्रा हो, या रथ-यात्रा क्या यह पूजा का एक हिस्सा या उससे कुछ मिलती जुलती बात है। अतः मेरा दृढ़ विश्वास है कि इन शोभायात्राओं को रोकना चाहिए।

प्रो० मधु दण्डवते : इन पर प्रतिबंध लगाना चाहिए।

श्री टी० बशीर : इस पर प्रतिबंध लगाने के लिए मैं नहीं कहता। लेकिन यह धार्मिक पूजा का एक हिस्सा नहीं है। आप जानते हैं जब कभी जुलूस निकाले जाते हैं तो इसकी समाप्ति कुछ घायलों के साथ होती है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि उन शोभायात्राओं को अवश्य ही समाप्त करना चाहिए। यह सच है कि हमारे देश में किसी भी समुदाय के अधिकतर लोग चाहे ये मुसलमान समुदाय के लोग हों वह शान्ति व सौहार्द चाहते हैं तब उन विवादों को कौन उत्पन्न कर रहा है? एक छोटा सा वर्ग कर रहा है। पर किस लिए? वे कुछ वैयक्तिक हितों के लिए धर्म का प्रयोग कर रहे हैं। वे समाज विरोधी तत्वों का प्रयोग कर रहे हैं जैसा कि मेरे मित्रों ने कहा है। मैं विस्तार में नहीं जा रहा हूं। इसलिए उन लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की जानी चाहिए। उनके साथ कोई नरमी नहीं बरती जानी चाहिए।

सरकार की इस समस्या के प्रति एक बहुत बड़ी जिम्मदोरी है। मैंने इसके प्रति रवैये के बारे में कहा था। कुछ लोग सोचते हैं कि यह कानून और व्यवस्था की समस्या है। मैं नहीं सोचता कि यह इतनी साधारण समस्या है। यह बहुत बड़ी समस्या है अतः सरकार को इसके बारे में ऐसा रवैया अपनाना है। हमारे माननीय मन्त्री मार्गनिर्देशों के बारे में बोले हैं। इन मार्गनिर्देशों को पहले 1980 में जारी किया गया था। अब हम 1986 में हैं इन मार्गनिर्देशों का क्या हुआ। उन्होंने इन्हें 1985 में पुनः जारी किया। उनका क्या हुआ? मन्त्री जी ने बीच में बोलते हुए जो टिप्पणी की हैं उससे मैं यह समझा हूं कि मुख्य सुझाव क्रियान्वित नहीं किये गए। संक्षिप्त विचारण न्यायालय तथा पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के संगठन के बारे में स्थिति संतोषजनक नहीं है। इस मामले में कुछ नहीं हुआ है। दूसरी चीजों की स्थिति कैसी है? जगमोहन रेड्डी आयोग की रिपोर्ट के बारे में क्या हुआ? किसी व्यक्ति को उन बातों पर आपत्ति नहीं है, लेकिन कुछ नहीं हुआ। छः वर्षों की अवधि के अन्दर, हम इसकी फिर चर्चा कर रहे हैं। इस अवधि के दौरान हमने कई साम्प्रदायिक दंगे बार-बार होते देखे हैं।। लेकिन हम अभी भी पुराने दिशा निर्देशों और उनको भविष्य में लागू करने की बात कर रहे हैं। मैं सोचता हूं कि हमें इस कार्य को वचनबद्धता और दृढ़-निश्चय से करना है।

सदन में मेरे वरिष्ठ नेता प्रो० दण्डवते ने राजनीतिक दलों के बारे में कहा है कि कभी-कभी हमारे विगत इतिहास और गतिविधियों के बावजूद राजनीतिक दल अप्रासंगिक हो जाते हैं और ये साम्प्रदायिक और समाज विरोधी शक्तियां स्थिति का लाभ उठाती हैं। यह स्थिति है। ऐसा क्यों हुआ है? मैं सोचता हूं इन राजनीतिक दलों की एक जिम्मेदारी है।

मेरे कई मित्रों ने राजनीति को धर्म के साथ मिलाने के संबन्ध में कहा है कि राजनीति को धर्म के साथ मिलाना बहुत खतरनाक है। मेरा एक सुझाव है कि प्रशासनिक उपायों से आप इस स्थिति की गम्भीरता को केवल कम कर सकते हैं। इसके लिए जन आन्दोलन होना चाहिए। हमें इसमें लोगों को व्यापक रूप से शामिल करना चाहिए। मंत्री जी ने कहा है कि लगभग 80 या 90 संवेदनशील क्षेत्रों की पहचान कर ली गई है। मुझे ठीक आंकड़े याद नहीं है। यह बहुत अच्छा है। लेकिन पहचान के बाद आप क्या करने जा रहे हैं। आपको इन क्षेत्रों में जन आन्दोलन चलाने चाहिए।

राजनीतिक दलों के अतिरिक्त धार्मिक प्रमुखों को भी इस प्रकार के बड़े जन आन्दोलन में शामिल किया जाना चाहिए। इस प्रकार के आन्दोलनों में भाग ले रहे व्यक्तियों को साधारण व्यक्तियों से भी बात करनी चाहिए और उन्हें शिक्षित करना चाहिए। जैसा राजीव गांधी जी ने ठीक कहा है हम तभी सम्प्रदायवाद के विरुद्ध लड़ाई कर सकते हैं और लोगों के मन पर विजय पा सकते हैं।

इन शब्दों के साथ मैं भाषण समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां (एटा) : जनाब स्पीकर साहब, आज तीसरे रोज इस मसले पर बहस चल रही है। प्रो० दण्डवते साहब ने इस बहस का आगाज किया। उसके खयालात हम सब ने सुने। मैं इस मसले पर कुछ कहना चाहता था लेकिन मेरे खयालात की तर्जुमानी मि० चिदम्बरम साहब ने कर दी है। चूंकि ये मौके पर गए थे, फसाद के मौके पर गए थे, इन्होंने वहां के हालत देखे और देखने के बाद जो उनके जजबात थे उसको हाउस में कहा।

यह एक बहुत बड़ा मसला है। मेरी समझ में नहीं आता आज देश को आजाद हुए करीब 38 साल हो गए, इस मसले पर न मालूम कितनी बार इस हाउस में बहस हो चुकी होगी लेकिन इसका हल कोई अब तक नहीं निकला है। इसकी क्या वजह है? यह कौन सी बीमारी है जिसका इलाज अब तक नहीं हो पाता। क्या अब तक डाक्टर्स पैदा नहीं हुए, क्या इस पर रिसर्च नहीं हुई जो इसका इलाज नहीं निकलता? यह हम लोगों की कमी है। यह कहना बिल्कुल गलत है। हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं होते, वाकयात जरूर होते हैं लेकिन उनको तब्दील कर दिया जाता है। मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि इलाहाबाद और बाराबंकी में हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था, फिरकेवाराना फसाद नहीं था लेकिन उसको टर्न कर दिया गया। इसकी वजह क्या है? मैं साफ तरीके से कहना चाहता हूं हमारी सरकार की मशीनरी, हमारे अफसरान जो वहां पर तैनात होते हैं, जिनको कन्ट्रोल करना चाहिए वे कन्ट्रोल नहीं करते। इसकी वजह यह है कि सही अफसरान उस जगह पर तैनात नहीं किये जाते। उनके खयालात और जजबात में ठूस-ठूस कर भरा होता है। उनको चाहिए यह कि हम जिस कुर्सी पर बैठे हैं, हम न हिंदू हैं न मुसलमान हैं हम अफसर हैं। वे इस नजर से देखेंगे तो इन्तजाम कर सकते हैं। अगर उनके विभाग में यह आया कि आज मुसलमान के साथ ज्यादती हो रही है और हिंदू अफसर चाहे तो उसको पीस दे या मुस्लिम अफसर उस जगह पर बैठा हो वह चाहता है कि हिंदुओं के साथ ज्यादती हो रही है तो उनको पीस दे तो यह बड़ा गलत तरीका है। इसमें अक्सर यह देखा

गया है कि कभी रिकार्ड नहीं देखा गया अफसरान का। जो तालीमयाफता हैं, ट्रेनिंग लिए हुए हैं जनसंघ, आर. एस. एस. की वे लोग हमारे सिर पर बैठे हैं और हुकूमत कर रहे हैं। हुकूमत से मतलब इस गवर्नमेंट से नहीं बल्कि उन अफसरान से है जोकि वहां पर तैनात हैं डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस. एस. पी.। अगर आप जिम्मेदारी उन पर डाल दें, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट और एस. एस. पी. पर कि जहां पर आप तैनात किए गए हैं वहां बलवा नहीं होगा, हिंदू-मुस्लिम फसाद नहीं होगा तो कोई वजह नहीं है कि वह हो जाये। अगर सख्ती से सरकार यह कदम उठाये तो ऐसा हो सकता है लेकिन वह नहीं उठाए जाते। इसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? मैंने होम कन्सल्टेटिव कमेटी में भी अपने होम मिनिस्टर साहब से कहा था कि इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जिस सूबे के आई. ए. एस. और आई. पी. एस. अफसर होते हैं उनको वहीं तैनात कर दिया जाता है। वहां उनकी रिस्तेदारियां होती हैं, बिरादरीवाद होता है और उनके अपने जजबात होते हैं। अगर आप यह तय कर दें यू. पी. के. अफसरान गुजरात या दूसरे सूबों में भेजे जायेंगे तो ऐसे वाकयात नहीं हो सकेंगे। आप इस बात का तजुर्बा करके देख लें मुमकिन है मैं अपनी बात करने में सही होऊं।

इसके अलावा इलाहाबाद में जो किस्सा हुआ वह बिल्कुल हिंदू मुस्लिम फसाद नहीं था। एक छोटी-सी मस्जिद के ऊपर झगड़ा था लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि जिस दिन झगड़ा हुआ है उस दिन न डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, न एस. एस. पी. और न सिटी मैजिस्ट्रेट ही वहां पर मौजूद थे। सारा अमला, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर जब बनारस गए हुए थे, वहां गया हुआ था। पी. ए. सी. भी सब वहीं गई हुई थी। वहां पर इलाहाबाद में झगड़ा हो रहा है।···(व्यवधान)···

सैयद शाहबुद्दीन : अफसरान छुट्टी पर थे ···(व्यवधान)···

गृह मंत्री (सरदार बूटा सिंह) : अध्यक्ष महोदय, खां साहब जो जी चाहें कहें। इनको पूरी इजाजत है। मगर वाक्यात को सही तौर पर रखें। जिस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब गए हैं, उन की शाम की विजिट थी, लेकिन यह सारा कुछ इलाहाबाद में सुबह हो गया। ···(व्यवधान)···

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मैं आपको यकीन दिलाता हूं, होम मिनिस्टर साहब, श्री सलीम शेरवानी यहां पर बैठे हुए हैं ...(व्यवधान) ···

अध्यक्ष महोदय : प्राइम मिनिस्टर साहब तो कहीं भी जायेंगे। वे नहीं जायेंगे, तो कोई नहीं जाएगा।

···(व्यवधान) ··

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : सलीम शेरवानी यहां पर बैठे हुए हैं। वे यह कहें, वे वहां पर मौजूद थे। कोई यह कह दे कि वहां पर अफसरान मौजूद थे या नहीं थे। कांग्रेस पार्टी के सलीम शेरवानी यहां पर बैठे हुए हैं, वे यह बता दें···(व्यवधान) ··

सैयद शाहबुद्दीन : वे छुट्टी पर गए थे।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मेरा यही मतलब है।

अध्यक्ष महोदय : क्वेश्चन यह है कि हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान में जाएगा, बैठेगा, बात भी करेगा—ऐसी कोई बात नहीं है। यदि कोई अपनी ड्यूटी छोड़कर जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी इनकी है। देख लेंगे।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मेरा मकसद यह नहीं है। अफसरान वहां पर कोई नहीं था। वहां पर डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, सिटी मैजिस्ट्रेट और एस. एस. पी. कोई नहीं था। मैं यह नहीं कह सकता हूं कि वे छुट्टी पर थे। मेरे कहने का मकसद यह है कि इन अफसरान में से वहां पर कोई नहीं था···(व्यवधान)···यह एडमिनिस्ट्रेशन है···(व्यवधान)··कहने का मतलब यह है कि वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन की कमी की वजह से ऐसा हुआ है। वहां पर जो पी.ए.सी.आई. है और उस पी.ए.सी. ने लूट और असमत गारद की है, जो कि बयान के बाहर है। आप इसको अखबारों में पढ़ लीजिए और जो साहेबान वहां मौके पर गए थे देखने के लिए, वे बता सकते हैं कि वहां पर क्या हुआ है।···(व्यवधान)···

श्री हरीश रावत (अल्मोड़ा) : आप तो हमेशा सही बात करते हैं। आज क्या हो रहा है।

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : मैं गलत बयानी नहीं कर रहा हूं।···(व्यवधान)··

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिये। श्री हरीश रावत जी, माननीय मन्त्री महोदय जवाब देंगे।

...(व्यवधान)···

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : आप उन गरीबों से पूछिए। उन गरीबों को देखिए, जिनकी झोंपड़ियां लूटी हैं। स्पीकर साहब, अमीर आदमी नहीं पिटता, गरीब पिटता है। गरीब की झोंपड़ियां जलती हैं। एनएजूकेटेड जिसके पास खाना नहीं है, पीने को नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : हमेशा गरीब रिक्शे वाला, खोमचे वाला मरता है। मजदूर मरता है, कोई बड़ा आदमी कभी नहीं मरता है।

···(व्यवधान)···

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : इलाहाबाद में तो अभी भी पिटे हैं। इलाहाबाद में पकड़-पकड़ कर कोतवाली में बुलाया गया और उनको मारा गया। मेरे कहने का मतलब यह है कि ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : जिसने बुराई की है, वह बुरा है। सिम्पल-सी बात है।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा वहां तशरीफ ले गए। वे वहां के रहने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर थे। मैं यकीन दिलाता हूं...(व्यवधान)··

अध्यक्ष महोदय : काम करने दीजिए। समय क्यों वेस्ट कर रहे हैं।

[अनुवाद]

आप सभा का समय क्यों नष्ट कर रहे हैं ?

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : चीफ मिनिस्टर उत्तर प्रदेश, श्री हेमवती नन्दन बहुगुणा, उनके जमाने में रॉयट नहीं हुआ है। यह मेरा चैलेंज है। हेमवती नन्दन बहुगुणा के जमाने में आज तक रॉयट नहीं हुआ है। उनको रोका गया। वे वहां पर पहुंचे तो उनको डिटेन किया गया, ताकि वे वहां लोगों में जाकर उनको सैटिसफाई न कर सकें। लोकदल के लोग पकड़े गए। बाराबंकी में भी यही हुआ··· (व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप दूसरी बात कीजिए।

(व्यवधान)

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : बाराबंकी में भी हमारे ही लोकदल के लोग पकड़े गए। लेकिन मैं दाद देता हूं, वहां के हिंदू साहेबान को उन्होंने उनको बचाया। वहां मुसलमान को बचाया··· (व्यवधान)

श्री हरीश रावत : मैं खां साहब का शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कबूल कर लिया। ···(व्यवधान)···

अध्यक्ष महोदय : आप हाउस का टाइम क्यों जाया कर रहे हैं।

[अनुवाद]

श्री हरीश रावत आप हर समय क्यों दखल देते रहते हैं? यह कोई तरीका नहीं है। हर समय बातचीत बन्द कीजिये। सभा का समय आप नष्ट मत कीजिये। (व्यवधान)

आप जल्दी खत्म कीजिये।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री मोहम्मद महफूज अली खां : वहां पी० ए० सी० से तकलीफ होती है। पी.ए.सी. के द्वारा साइक्लोजिकली असर पड़ता है। जिस इलाके में रॉयट होता है, सी. आर. पी. एफ. भेजी जाती है, लोग उसको वैलकम करते हैं। लेकिन क्या वजह है कि पी.ए.सी. से नफरत है। जब सी.आर.पी.एफ. भेजी जाती है तो बन्दे कन्ट्रोल हो जाते हैं। इसमें मुझे यह कहना है, मुझे सजेशन देना है। मुझे कहना तो बहुत कुछ था, लेकिन रावत जी बोलने नहीं दे रहे हैं। खैर, कोई बात नहीं है, न बोलने दें। वक्त की बात है। कभी हमारा भी वक्त आएगा, हम भी बोलेंगे, रावत साहब। आप घबराइए नहीं।··· (व्यवधान)···इस सरकार की इन्टेलीजेंस फेल हो चुकी है। उन को यह मालूम होना चाहिए पहले से कि कहां बलवे होते हैं। बार-बार अहमदाबाद में, बार-बार इलाहाबाद में, बार-बार अलीगढ़ में और बार-बार फिरोजाबाद में क्यों इस तरह के झगड़े होते हैं। इनकी बैक में क्या है, यह उनको मालूम होना चाहिए। यह सरकार का फेल्योर है और सरकार को इसको रोकने के लिए सख्त कदम उठाने चाहिए। अगर सरकार सख्ती के साथ कदम नहीं उठाती है, तो इस किस्म के बलवे होते रहेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस चर्चा पर हम काफी समय ले चुके हैं। वाद-विवाद का उत्तर कल मन्त्री महोदय 5 बजे देंगे।

[हिन्दी]

मैं इसलिए अधिक टाइम दे रहा हूं और इस हाऊस के मैम्बरों को ज्यादा टाइम दे रहा हूं कि एक कनसैंसस डेवलप करें। मैं तो चाहूंगा कि जितने भी ग्रुप्स के लीडर्स हैं, वे मेरे पास आ कर बैठें और कुछ चीज कान्क्रीट इवोल्व करें, तब जा कर बात बनेगी।

श्री केयूर भूषण।

श्री केयूर भूषण (रायपुर) : आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जो चर्चा आज सदन में हो रही है, विगत तीन दिनों से साम्प्रदायिकता का जो वातावरण देश के अन्दर फैला हुआ है, उस संबंध में प्रत्येक वक्ता ने अपने विचार प्रकट किये हैं और उसमें सभी दलों के लोगों ने, सब तरफ के लोगों ने एक साथ मिल कर इस वातावरण के प्रति चिन्ता व्यक्त की और इस वातावरण को बदलने के लिए अनेक सुझाव दिये हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो वातावरण बना है, यह न केवल देश में साम्प्रदायिकता पैदा करने के लिए है बल्कि मुझे तो ऐसा विश्वास होता है कि इसके पीछे एक वृहत षड्यंत्र है। हमें ताज्जुब होता है कि आज से कुछ ही दिन पहले जब पंजाब के संबंध में एक भयावह वातावरण सारे देश के अन्दर था, सौभाग्य से स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों की टोली के साथ मुझे भी उस क्षेत्र में जाने का मौका मिला। मैं यह नहीं कहता कि केवल स्वतन्त्रता संग्राम के सेनानियों के पदार्पण से ही उस क्षेत्र के वातावरण में परिवर्तन हुआ। शासन की दूर-दर्शिता, राष्ट्रीय नेताओं की सूझबूझ और वहां की जनता की भावनाओं ने भी कुछ करवट बदली और एक शान्ति का वातावरण उस क्षेत्र के अन्दर दिखाई दिया। मन में ऐसा लगता था कि एक काली घटा से हम बाहर निकल आए हैं। अब यह क्या है। गुजरात के अन्दर यह उथल-पुथल हुई है। क्या मात्र यह साम्प्रदायिकता है या इसके पीछे और कोई षड्यंत्र है। मैं आपका ध्यान, गृह विभाग का ध्यान और सरकार का ध्यान इस बात की तरफ खींचना चाहता हूं कि गुजरात के अन्दर जब कुछ इस तरह का परिवर्तन आया है, तो क्या वजह है कि आसाम के अन्दर फिर इस किस्म का वातावरण बनता जा रहा है या बना है, यह केवल साम्प्रदायिक रूप है क्या ? कहीं पर हिन्दू और सिख का वातावरण दीखता है, तो कहीं पर हिन्दू और मुसलमान का वातावरण दीखता है और दूसरे स्थानों पर भाषाई दंगों का वातावरण दीखता है। इतना ही नहीं, आज से चार, पांच या छः साल के अन्दर या सात साल के अन्दर आप देखेंगे कि जिस क्षेत्र में कभी कुछ नहीं हुआ था जैसे तमिलनाडू के अन्दर हमें शान्ति का वातावरण दिखाई दिया, केरल के अन्दर दिखाई दिया मगर वहां पर भी हिन्दू और ईसाईयत के नाम पर झगड़े हुए। यह क्यों हुआ। हमारे उत्तर प्रदेश में हिन्दू और मुसलमानों में झगड़े होते हैं। और मेरे क्षेत्र के अन्दर मुस्लिम बहुमत नहीं है, उस क्षेत्र के अन्दर अगर ईसाई लोग बहुमत में हैं तो उस क्षेत्र में भी दंगे हैं। हरिजन और गैर-हरिजन के नाम से दंगे कराये जाते हैं। इस सब के पीछे क्या है ? मुझे ऐसा लगता है कि षड्यंत्रकारी लोग जानबूझ कर दंगे फैलाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इसको हमें गंभीरता से लेना होगा।।

जब सन् 1942 का आन्दोलन चल रहा था। उस समय मेरी उम्र छोटी थी। उस समय हम सभी के मनों में एक ही भावना थी कि साम्राज्यवादियों से देश स्वतंत्र कैसे हो। देश के अन्दर जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थीं, चाहे कम्युनिस्ट पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी

हो, चाहे आर्य समाज हो, चाहे अकाली दल हो, सब पार्टियां सपने में भी यह नहीं सोच रही थीं कि देश के टुकड़े होंगे। सन् 1942 के आन्दोलन में जेल में रहने के बाद जब हम लोग जेल से बाहर आये तो हमें आजाद हिन्द फौज के लोग दिखायी दिये जिन पर कि लाल-किले में मुकद्दमा चल रहा था। उस आजाद हिन्द फौज में भी सभी धर्मों के लोग थे। उस समय देश में जो भावना व्याप्त थी, राष्ट्र की आजादी के लिए जो उत्साह था, उसमें कोई यह सोच भी नहीं सकता था कि हिन्दुस्तान के टुकड़े होंगे। किसी के मन में इसकी कल्पना तक नहीं थी। जब नेवी के लोगों ने बगावत की थी, उस समय भी न हिन्दू, न मुसलमान, न सिख यह सोचता था कि हिन्दुस्तान कभी टूटेगा। उस समय के राष्ट्रीय नेताओं और धार्मिक नेताओं के मन में यह बात नहीं थी। किसी ने यह नहीं सोचा था।

लेकिन भारत में उन साम्राज्यवादियों ने यह सोच रखा था कि यदि भारत अपने पुराने नक्शे के मुताबिक आजाद होता है तो वह शांति का मसीहा बन कर दुनिया के सामने खड़ा होगा और फिर से दुनिया में साम्राज्यवाद की चाह रखने वालों के लिए हिन्दुस्तान सबसे बड़ा दुश्मन सिद्ध होगा। इसलिए उन्होंने इस देश के टुकड़े किये। देश को तोड़ने की बात पहले कोई धार्मिक नेता सुनने के लिए तैयार नहीं होता था, उन्हीं को बरगलाया गया, उन्हीं के अन्दर माहौल को बिगाड़ा गया और माहौल खराब करके इस देश को तोड़ा गया।

हमारे राष्ट्र के बड़े से बड़े नेता चाहे वह बादशाह खान हों, चाहे वह महात्मा गांधी हों, चाहे जवाहरलाल नेहरू हों, चाहे जयप्रकाश हों, चाहे राममनोहर लोहिया हों, चाहे मौलाना आजाद हों, कोई भी उन षड्यंत्रकारियों की साजिश को नहीं रोक पाया। उन षड्यंत्रकारियों ने हिन्दुस्तान के टुकड़े किये। उस समय जनता के अन्दर जो राष्ट्रीय भावना थी उसको हमारे देश के धार्मिक लोगों ने ठेस पहुंचायी, हमारी जनता को बरगलाया। जिसका नतीजा यह हुआ कि देश का टुकड़ा हुआ। इस टुकड़े होने से काम साम्राज्यवादी षड्यंत्रकारियों का बना।

अगर उस वक्त उन षड्यंत्रकारियों की नहीं चलती तो आज जो हम हालत देख रहे हैं, वैसी भयभीत हालत दुनिया में नहीं होती। आज भी वे साम्राज्यवादी षड्यंत्रकारी हिन्दुस्तान को एक नहीं देखना चाहते। वे नहीं चाहते कि हिन्दुस्तान दुनिया में शांति का लम्बरदार बनकर आगे बढ़े। वे लोग जानबूझ कर षड्यंत्र करा रहे है जिससे कि देश के और टुकड़े हो जाएं।

5.33 म०प०

[श्री सोमनाथ रथ पीठासीन हुए]

चाहे पंजाब का मसला हो, चाहे असम का मसला हो, चाहे वह गुजरात का मसला हो, आप उनके बारे में अगर सचमुच में गहराई से सोचने का प्रयत्न करेंगे तो आपको उनके अन्दर साफ-साफ षड्यंत्र दिखायी देगा।

हमने पंजाब के 12,800 गांवों के अन्दर साथियों के साथ यात्रा की। हम उन 12,800 गांवों के अन्दर कहीं भी ऐसा कोई गांव नजर नहीं आया जिसके अन्दर साम्प्रदायिकता हो। फिर भी वहां पर इस तरह के झगड़े हो रहे हैं। वहां पर साम्राज्यवादी षड्यंत्र हो रहे हैं, वही बातें लायी जा रही हैं।

आज जिस तरह से गुजरात के सम्बन्ध में वर्णन किया गया, किसी कोम के अन्दर—चाहे वह हिन्दू हो, चाहे वह मुसलमान हो—यह भावना नहीं है कि किसी तरह के दंगे हों। वे बड़े शांत

भाव से जलूस निकालते हैं। वहां एक धार्मिक जलूस निकाला गया। मैं धार्मिक जलूसों पर प्रतिबंध लगाने के पक्ष में नहीं हूं। अगर कोई सही रूप में धार्मिक जलूस है तो उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए। जगन्नाथ जी का जलूस निकल रहा था। हिन्दू धर्म के एक महान् देवता का वह जलूस था। उस जलूस में वहां की आम जनता ने, मुसलमान भाइयों ने आरती उतारी, फूल-मालाएं भेंट की, प्रसाद लिया। यह तो वही होगा जिसको महान् सन्तों ने, महान् कबीर जी ने शुरू किया था। आज फिर से वही संस्कृति पुनर्जीवित हो रही है ऐसा मुझे इन बातों से लगता है।

इसीलिए जानबूझ कर एक ऐसा वर्ग हिन्दुस्तान में तैयार हो गया जो जानता है, जो सपने देख रहा है, उसका दिमाग सामंती है, उस सामंती दिमाग के अंदर यह बात है, वह इस आधार को लेना चाहता है, जिस सामंतवादी युग में, साम्राज्यवादी लोगों के साथ वह अपने को सुरक्षित पाता था वह फिर से वही प्रयत्न कर रहा है और इस सबके पीछे वही वर्ग है जो हिन्दुस्तान में धर्म के नाम पर, सामंतवाद को जिन्दा रखना चाहता है, सामंती दिमाग को जिन्दा रखना चाहता है, वह वर्ग हिन्दुओं में भी है, मुसलमानों में भी है, ईसाइयों में भी है और सभी धर्मों में है जो धर्म के नाम पर, साम्राज्यवाद के नाम पर अपने पैर जमाना चाहता है, सामंती दिमाग को कायम रखना चाहता है, उसके लिए आपको, हमको जिनके अंदर राष्ट्रीय भावना है, जो जानते हैं कि धर्म के नाम पर देश के टुकड़े करने का प्रयत्न किया जा रहा है, उनको एक मोर्चा लेना होगा। जनता आपके साथ है। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि स्वतंत्रता पूर्व की जनता स्वतंत्रता बाद की जनता की तरह जागृत होती तो देश के टुकड़े न होते।

प्रो० मधु दण्डवते : आप सामंतवाद के खिलाफ बोल रहे हैं, ये समझ रहे हैं इनके खिलाफ बोल रहे हैं।

डा० दत्ता सामंत : परसों पी०एम० बोल रहे थे, आज आप बोल रहे हैं।

श्री केयूर भूषण : सामंतवाद की मैं बात कर रहा हूं, आप तो मजदूर नेता हैं, समझते हैं। दूसरी बात मैं कह रहा था कि जो इससे फायदा उठाना चाहते हैं, उनको भी माफ नहीं किया जा सकता, चाहे हम किसी भी तरह से लाभ उठाना चाहते हों, चाहे अपने स्वार्थ की दृष्टि से, चाहे राजनीतिक दृष्टि से, चाहे हमारे जमीर पर आंच न आए इस दृष्टि से, ऐसे किसी भी आदमी को माफ नहीं किया जाना चाहिए। आज हम देखते हैं कि सीलिंग की व्यवस्था का कोई फायदा नहीं हुआ है। आज भी 1000 एकड़ के फार्म पंजाब में हैं और दूसरी जगह भी हैं। ये लोग ही नेतृत्व कर रहे हैं जो देश को बरबाद करने के लिए वातावरण खड़ा हुआ है उसका और नीचे के वर्ग का दुरुपयोग हो रहा है और वह भूखों मर रहा है। इस सामंतवादी दिमाग पर प्रहार करना है और उस फौज को आपको साथ लेकर सामंतवाद के खिलाफ खड़ा होना है और जो लोग यह करना चाहते हैं उनको अपने साथ लेना होगा। जो वर्ग उन साम्राज्यवादियों के साथ है वह साफ दिखाई दे रहा है, वही ऐसा वातावरण फैलाने का प्रयत्न करता है, इसके लिए मैं आपके सामने कुछ मुद्दे रखना चाहता हूं, निवेदन करना चाहता हूं, इधर आपका ध्यान जाना चाहिए। आज राजनीतिक पार्टियां और धर्मगुरुओं की जो अपनी पहचान है वह अपनी पहचान खो चुके हैं, वह पहचान वापिस लाई जानी चाहिए। मेरी अपील है कि कोई भी राजनीतिक पार्टी आज अपने शुद्ध रूप में दिखाई नहीं दे रही है चाहे वह समाजवादी पार्टी हो

चाहे कोई पार्टी हो। सारे लोगों को मिलकर चाहे वे किसी भी पार्टी में हों हम अपने पहले स्वरूप के मुताबिक जब भी हमें मौका मिले हम उस साम्राज्यवाद का विरोध करें। लेकिन आज हम जिस साम्राज्यवाद का, सामंतवाद और पिछड़ेपन का विरोध करते हैं जातिवाद और धर्म के नाम पर किए जाने वाले कामों का विरोध करते हैं, कल उसी का उपयोग अपने लाभ के लिए करने लगते हैं, इससे आम जनता का विश्वास हमारे ऊपर से हट जाता है। दूसरी बात यह है कि सांप्रदायिक दंगे क्यों हो रहे हैं, इसकी खोज पूरे तरीके से होनी चाहिए, इसके पीछे क्या है, यह बात सामने आनी चाहिए। धर्म से किसी को बैर नहीं होना चाहिए, चौधरी साहब यहां पर हैं, धर्म का जब भी उदय हुआ, मानवता के विकास के लिए हुआ। उसी वर्ग ने जो आज हमारी राजनीति में है, जिसने हमारे धर्म को अपने कब्जे में कर लिया है और धर्म का दुरुपयोग किया है, हम उसको मूलरूप में अपने हाथ में लें। मौलवी, पंडे और पंडितों के हाथ में जो धर्म की शिक्षा देने का काम है वह अपने हाथ में ले लें। आज धर्म को गलत ढंग से सिखाया जाता है। हमें अपने स्कूलों में, कालेजों में धर्म की जो सही बातें हैं, उनको लोगों को समझाना चाहिए। उन्हें मालूम होगा कि यह जो धर्म है, यह एक दूसरे से जोड़ने का काम है न कि तोड़ने का काम है। मैं पहले भी निवेदन कर चुका हूं कि सामन्ती व्यवस्था और सामन्ती दिमाग को बदलने के लिए कारगर कदम उठाएं। इनकी धर्म के नाम पर इकट्ठी पूंजी धर्म को तोड़ने के लिए लगाई जाती है। जितने भी मन्दिर, मस्जिद और गुरुद्वारे हैं, इनकी जो सारी पूंजी है, वह राष्ट्र की सम्पत्ति के रूप में सामने आए न कि इनको गलत रास्ते पर ले जाने के लिए छूट दी जाए। शासकीय सुविधाएं उन संस्थाओं को न दी जाए जो अपने समाज या पार्टी के अन्दर गैर धर्म के लोगों को अगर प्रवेश नहीं दे सकते चाहे कम से कम 25 प्रतिशत क्यों न हो, चाहे वह अकाली दल, मुस्लिम लीग, हिन्दू महासभा, कांग्रेस या कोई भी पार्टी क्यों न हो, हरेक पार्टी के अन्दर वह केवल एक ही जाति या धर्म का न रहे। अगर वह होता है तो उसमें दूसरों को भी प्रवेश दिया जाए। ···(व्यवधान) हम लोग आपस में मिलकर शान्ति का सन्देश पहुंचाने के लिए कमेटियां बनाएं। हर गांव के स्तर पर इस प्रकार का कार्य किया जाए।···(व्यवधान) आपने मुझे समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

[अनुवाद]

डा० ए० कलानिधि (मद्रास मध्य) : समापति महोदय, मुझे डी० एम० के० की ओर से बोलने के लिए और साम्प्रदायिक हिंसा जो गुजरात और देश के अन्य भागों में फैली हुई है, पर अपने विचार प्रकट करने हेतु अनुमति देने के लिए मैं प्रारम्भ में ही आपका धन्यवादी हूं।

यह पहला अवसर नहीं है जब हम इस महान सभा में साम्प्रदायिक घटनाओं पर बड़े खेद के साथ चर्चा कर रहे हैं। 20 छुटपुट घटनाएं हो चुकी हैं और इस वर्ष अहमदाबाद और देश के अन्य भागों में साम्प्रदायिक हिंसा व्यापक स्तर पर छूट पड़ी है। मैं हमेशा यह महसूस करता हूं कि साम्प्रदायिक हिंसा एक सोये हुये कुत्ते की तरह घात लगाये बैठी रहती है और एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ती है।

सभी राजनैतिक दलों को, बिना किसी दलगत भावना के साम्प्रदायिक सद्भावना हेतु सरकार की सहायता के लिए आगे आना चाहिए। यह कोई साधारण राष्ट्र नहीं है जो जल रहा है। यह राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का देश है जिन्होंने इस देश में अहिंसा का प्रचार व प्रसार किया

था। अब उनके सिद्धान्त और उनके दर्शन छू मन्तर हो गये हैं। इन सिद्धान्तों की आपने जानबूझ कर उपेक्षा की है। महोदय केवल एक व्यक्ति नहीं, साठ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा है। यह एक अपूरणीय क्षति है। मैं इन साम्प्रदायिक घटनाओं के कारणों का विस्तृत उल्लेख नहीं करना चाहता। परन्तु मैं निश्चयपूर्वक कहता हूं कि उन लोगों के विरुद्ध कड़े कदम उठाये जाने चाहियें जिन्होंने साम्प्रदायिक हिंसा को भड़काया है।

महोदय, मैं समझता हूं कि पुलिस और आसूचना विभाग ने गड़बड़ी वाले क्षेत्रों की सूचना पहले ही गुजरात के मुख्यमन्त्री महोदय को दे दी थी। परन्तु उन्होंने गुजरात में हुये इस वीभत्स हत्याकांड एवं साम्प्रदायिक विध्वंस को रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाये हैं। माननीय गृह मन्त्री महोदय ने दूसरे सदन में कहा है कि भारत में साम्प्रदायिक गड़बड़ी के लिये उपनिवेशीय शासन जिम्मेदार है। मैं उनसे सहमत नहीं हूं। दूसरी ओर, भारतीय समाज बहुत पहले से ही जातीय आधार पर विभाजित था। मैं यह जानना चाहता हूं कि आजादी के 39 वर्ष पश्चात् आपने क्या कार्यवाही की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि इस देश में साम्प्रदायिक हिंसा को दूर करने के लिए आपने कौन से ठोस उपाय किये हैं। मैं इस बात से सहमत नहीं हूं कि अहमदाबाद में हुई साम्प्रदायिक हिंसा के लिए केवल धार्मिक लोग ही जिम्मेदार हैं। ये असामाजिक तत्व हैं, जिनका इन घटनाओं में प्रमुख हाथ रहा है और जिन्होंने कानून तथा व्यवस्था को अपने हाथ में लिया है तथा इस हिंसा के लिए जो जिम्मेदार हैं। सरकार को इन असामाजिक तत्वों को पकड़ने एवं दण्ड देने के लिए सक्रिय कदम उठाने चाहियें और राजनैतिक स्वार्थों के लिए उन्हें इन असामाजिक तत्वों को प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए।

उच्चतम न्यायालय के माननीय न्यायाधीश श्री मदान ने साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए कुछ विस्तृत निर्देश दिये हैं। क्या आपने इनका पालन किया है? क्या इनको लागू करने का आपका कोई इरादा है? यदि आपने इनका पालन किया होता तो गुजरात और देश के अन्य भागों में हो रही इस लूट अथवा त्रासदी अथवा इस बीमारी को रोक सकते थे।

महोदय, मेरे विचार में यदि कोई व्यक्ति धर्म या ईश्वर के नाम पर हिंसा का प्रचार करता है तो वह व्यक्ति धर्म का प्रचार करने योग्य नहीं है और उस धर्म को एक धर्म के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता तथा उस ईश्वर को ईश्वर के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। भाग्यवश, तमिलनाडू में अधिक साम्प्रदायिक हिंसा नहीं है। मैं नहीं कहता कि वहां यह बिल्कुल नहीं है, परन्तु यह कभी कभार ही होती है। इसके लिए महान सामाजिक कार्यकर्त्ता, स्वतन्त्रता आन्दोलन के नेता, स्वर्गीय थनथाई पेरियार ई० वी० रामास्वामी नायकर, जो मेरे दल अन्ना के संस्थापक थे और मेरे प्रिय नेता करुणानिधि जिन्होंने साम्प्रदायिक सद्भावना का केवल प्रचार ही नहीं किया परन्तु उस पर आचरण भी किया बधाई के पात्र हैं। उन्होंने अपने बेटे की शादी एक हरिजन लड़की से की थी। 1952 में उन्होंने 'पराशक्ति' नामक फिल्म का निर्माण किया था जिसमें राज्य सभा के वर्तमान सदस्य श्री शिवाजी गनेशन ने नायक की भूमिका अदा की थी। उस फिल्म में उन्होंने कहा था;

> "हम पूजा स्थलों के अस्तित्व का विरोध नहीं करते परन्तु हमारा प्रायोजन केवल इतना है कि पूजा स्थल गुण्डों और असामाजिक तत्वों के अड्डे या शरण स्थल न बनें।"

माननीय गृह मन्त्री ने दूसरे सदन में, साम्प्रदायिक हिंसा से संबन्धित मामलों पर मुकद्दमा चलाने के लिए विशेष न्यायालयों को स्थापित किये जाने की बात कही है। हमारे आन्तरिक सुरक्षा विभाग में राज्य मन्त्री ने विशेष अदालतों की कार्य प्रणाली पर नाराजगी जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि केवल पांच राज्यों ने साम्प्रदायिक हिंसा से सम्बन्धित मामलों के निपटारे के लिए विशेष अदालतों के प्रस्ताव को स्वीकार किया है। माननीय मन्त्री महोदय से मैं यह जानना चाहता हूं कि कितने साम्प्रदायिक मामले विशेष अदालतों में दर्ज किये गये हैं, कितने बदमाशों को पकड़ा गया है और कितनों को दण्ड दिया गया है। उन राज्यों के प्रति आप क्या कार्यवाही करने जा रहे हैं जो विशेष अदालतों से सम्बन्धित प्रस्ताव को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। धर्मनिरपेक्षता का प्रचार करना ही काफी नहीं है, इस पर आचरण भी किया जाना चाहिए। जब तक कि सामाजिक शैक्षणिक तथा आर्थिक सुधार नहीं होता है, धर्मनिरपेक्षता का नारा लगाना पागलपन होगा। आधुनिकीकरण इस बात का उत्तर नहीं हो सकता। भेदभाव और शोषण की भावना को दूर किया जाना चाहिए।

मैं बहुत खुश हूं और मैं माननीय राज्य मन्त्री श्री चिदम्बरम को उनके सभा को दिये गये संयत संतुलित और अर्थपूर्ण उत्तर देने के लिए बधाई देता हूं। मैं केवल यही कामना करता हूं कि उनकी पदोन्नति कर देनी चाहिए। उन्होंने प्रधान मन्त्री महोदय का सन्देश इस देश तक पहुंचाया है। मैं और भी अधिक खुश होता यदि माननीय प्रधान मन्त्री महोदय कुछ समय निकाल कर गुजरात के गड़बड़ी वाले क्षेत्रों का दौरा करते ताकि इन दंगों के शिकार हुये लोगों को कुछ सांत्वना मिल सके। अपना भाषण समाप्त करने से पहले मैं कहना चाहता हूं कि पुलिस और अर्ध-सैनिक बलों के पुनर्गठन का समय आ गया है क्योंकि हम बाड़ को खेत खाने की अनुमति नहीं दे सकते।

प्रो० मधु दंडवते : महोदय मेरा सुझाव है कि कल तो गृह मन्त्री महोदय उत्तर दे ही रहे हैं। अत: सभा का समय आज 6 बजे के बाद तक क्यों न बढ़ा दिया जाये ?

सभापति महोदय : हां, हम यह कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : एक घंटा समय बढ़ा कर हम भाषणों को पूरा कर सकते हैं क्योंकि कुछ सदस्य बोल रहे हैं, हमें उन्हें अवसर देना चाहिए।

सभापति महोदय : हां, यदि सभा सहमत है तो कोई आपत्ति नहीं है, हम एक घण्टा समय बढ़ा सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : हमें एक घण्टा बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि कल गृह मन्त्री महोदय उत्तर देंगे।

संसदीय कार्य मन्त्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : जी हां, महोदय। यह पहले ही तय हो चुका है कि हम सभा का समय 7 बजे या 7.30 बजे तक बढा रहे हैं और तब सभी सदस्य अपने भाषण समाप्त कर लेंगे।

श्री वसुदेव आचार्य (बांकुरा) : केवल 7 बजे तक। (व्यवधान)

प्रो० मधु दण्डवते : संसदीय कार्य मन्त्री महोदय को सुनना बड़ा अच्छा लगता है।

सभापति महोदय : क्या यह सभा का मत है कि समय 7 बजे तक बढ़ा दिया जाये ?

कई माननीय सदस्यगण : हां।

श्री वसुदेव आचार्य : हां, केवल 7 बजे तक।

श्री श्रीवल्लभ पाणिग्रही (देवगढ़) : सभापति महोदय, इस बहुत महत्वपूर्ण चर्चा, जो वास्तव में सरकार और संसद सदस्यों के लिए भी चिन्ता का विषय बनी हुई है, पर बोलने हेतु आमंत्रित करने के लिए मैं आपका धन्यवादी हूं। हम इस विषय पर पहले ही लगभग आठ घण्टे तक बहस कर चुके हैं और यह महान सभा हमारे चारों ओर हो रही साम्प्रदायिक घटनाओं पर जो इन आंकड़ों से प्रमाणित होगी। पहले ही दुःख व्याकुलता और चिन्ता प्रकट कर चुकी है, केवल इस वर्ष 1986 में ही यानि लगभग 7 महीने की अवधि में—7 महीने भी पूरे नहीं हुये हैं—पांच राज्यों में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों में 145 व्यक्ति मारे जा चुके हैं। और कुल 432 लोग घायल हो चुके हैं। सरकारी अनुमानों के अनुसार लगभग 5 करोड़ रुपये मूल्य की सम्पति की हानि हुई है। इस पांच करोड़ रुपये की राशि में हाल ही में अहमदाबाद के दंगों में नवादा, बिहार में और देवरिया उत्तर प्रदेश के दंगों में नष्ट हुई सम्पत्ति की हानि को शामिल नहीं किया गया है। सरकार द्वारा दिये गये अनुमान में इन सभी स्थानों को शामिल नहीं किया गया है और अन्य स्थानों पर सम्पत्ति की अनुमानित हानि लगभग 5 करोड़ रुपये है। 145 बहुमूल्य जानें चली गईं और 432 लोग जख्मी हो गये।

साम्प्रदायिक सद्भावना के बारे में बजट सत्र के दौरान प्रस्तुत की गई गृह मन्त्रालय की वार्षिक रिपोर्ट में स्थिति पर सन्तोष प्रकट किया गया था। रिपोर्ट में यह कहा गया था कि वर्ष 1985 कुल मिलाकर निर्विघ्न बीत गया क्योंकि सभी समारोह धार्मिक त्यौहार चले गये। मेरे विचार में यह तूफान से पहले का सन्नाटा था। यही कारण है कि हमारा समस्त अनुभव यह दिखाता है कि समस्त देश में और विशेष तौर पर दंगा-ग्रस्त स्थानों पर निगरानी रखनी चाहिए। अहमदाबाद एक ऐसा ही दंगा-ग्रस्त स्थान है।

महोदय, इस साम्प्रदायिकता का उद्भव आज नहीं हुआ है। इसका उद्भव अंग्रेजों के जमाने से है और निःसंन्देह जैसीकि हमें आशा थी, इसकी जड़ को स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद की अवधि में उखाड़ फेंकना चाहिए था। यह बड़े आश्चर्य की बात है और यह बड़े खेद तथा दुर्भाग्य का विषय है कि साम्प्रदायिकता की जड़ें उखड़ने के बजाय गहरी होती जा रही हैं।

साथ ही यह सांप्रदायिकता उपनिवेशीय प्रशासन की उपज है और उनके द्वारा इसका साम्राज्यवाद और सांप्रदायिक दृष्टिकोण को मजबूत करने के लिए हथियार के रूप में उपयोग किया गया तथा यह सब वास्तव में अंग्रेजों द्वारा हमारे समाज के स्वतन्त्रता संग्राम विरोधी तत्वों के सहयोग से किया गया। आजादी के पश्चात् भी इस प्रकार के तत्व देश की राष्ट्रीय एकता तथा आर्थिक विकास पर प्रभाव डालने हेतु गड़बड़ी पैदा करने में लगे हुए हैं।···(**व्यवधान**)

मैं कुछ नये सुझाव दूंगा। मैं माननीय सदस्यों के भाषणों को ध्यानपूर्वक सुन रहा था। इन बातों को दोहराये बगैर मैं कुछ सुझाव दूंगा। जैसा कि आप जानते हैं कि सांप्रदायिक दंगे दो प्रकार के होते हैं। विभिन्न धर्मों के बीच होने वाले सांप्रदायिक एक दंगे तथा ही धर्म के दो वर्गों या समुदायों के बीच साम्प्रदायिक दंगे। विभिन्न धर्मों के बीच दंगे एक धर्म के दूसरे धर्म के साथ होते हैं। दो धर्मों के मध्य कई झगड़े और मतभेद उत्पन्न होते हैं। उदाहरण के लिए आप हिन्दू-मुस्लिम या हिन्दू-सिख और अन्य धर्मों के मध्य के मतभेदों को ले सकते हैं। पुनः एक ही धर्म के मध्य होने वाले दंगे, किसी धर्म या समुदाय विशेष के दो वर्गों के मध्य होते हैं। जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने कहा है, हिन्दू समुदाय के अन्दर भी हरिजनों और सवर्णों के मध्य झगड़े होते

हैं और इसी तरह मुसलमानों में शिया और सुन्नियों के बीच झगड़े होते हैं। इसके अलावा आप जानते हैं कि भाषा पर तथा अन्य बातों के प्रश्न पर भी दंगे होते हैं। असम में भाषा के मुद्दे को लेकर गंभीर दंगा हुआ। कर्नाटक में भी भाषा के मुद्दे को लेकर गंभीर दंगा हुआ। इसलिए, हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए कि न केवल रोग के लक्षणों का अपितु स्वयं रोग का ही निदान हो जाये। यह एक चुनौती भरा कार्य है। हम सभी धर्मनिरपेक्ष ताकतों को इस बुराई से लड़ने के लिए अपने व्यक्तिगत स्वार्थों तथा राजनीतिक समस्याओं से ऊपर उठना है, क्योंकि यदि धर्म-निरपेक्षता खत्म होती है तो यह देश भी समाप्त हो जायेगा। अत: इस प्रकार लोकतन्त्र और धर्मनिरपेक्षता, जिनसे हमें इतना अधिक प्यार हैं को क्षति पहुंचेगी और वह देश की एक अपूरणीय हानि होगी।

साम्प्रदायिक दलों पर रोक लगा देनी चाहिए। यह अकेले साम्प्रदायिक दलों का ही कार्य नहीं है बल्कि विभिन्न दलों में भी कुछ सांप्रदायिक तत्व होते हैं। साम्प्रदायिक दलों पर प्रतिबंध के अलावा सभी राजनैतिक दलों के नेताओं को इस बात पर नियंत्रण रखना है तथा यह भी सुनिश्चित करना है कि विधान सभा या संसद के चुनावों में उनके दल के सांप्रदायिक तत्वों को चुनाव लड़ने के लिए टिकट न दिये जाये।

दूसरा सुझाव है कि इन दिनों विभिन्न स्थानों पर गंभीर दंगे हो रहे हैं। यह केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं है। जहां कहीं भी दंगा होता है वहां लोग चाकू और आग्नेयस्त्र जैसे बन्दूक लेकर निकल पड़ते हैं। इन लोगों को शस्त्रों के लाइसेंस किस लिए दिये जाते हैं? कुछ देशों में आग्नेयास्त्रों अथवा बन्दूकों के लाइसेंस व्यक्तिगत रूप से बिल्कुल भी नहीं दिये जाते हैं। हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं? हमें किसी को भी लाइसेंस जारी नहीं करने चाहिएं और नहीं उन्हें बन्दूकें देनी चाहिए। हमें लोगों को, असामाजिक तत्वों को जो आग्नेयास्त्रों को दंगों में उपयोग करते हैं, शस्त्रों से लैस नहीं करना चाहिए।

प्रश्न संस्कृति का भी है। प्राथमिक शिक्षा से ही हमें अपने बच्चों को इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए जो कि आपसी सद्भावना को बढ़ाने के लिए एक अच्छा माहौल पैदा करे। हमें उन्हें सिखाना चाहिए कि घृणा को त्यागें और खून-खराबे से दूर रहें। देश में साम्प्रदायिक सामंजस्य को बनाये रखने के लिए लोगों के विभिन्न वर्गों में सहनशीलता, समन्वय तथा सद्भावना और इस प्रकार के अन्य गुणों का विकास करना अत्यन्त आवश्यक है। इन शब्दों के साथ, मैं आपका धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

श्री के० जे० अब्बासी (डुमरियागंज) : सभापति जी, पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। तीन दिन से मैं बराबर डिबेट सुन रहा हूं। निहायत संजीदगी के साथ यह डिबेट चल रही है और जिस माहौल में प्रो० दण्डवते ने इसको शुरू किया था, मुझे खुशी है कि वह माहौल अब तक बरकरार रहा है। हर आदमी ने अपनी-अपनी तकरीरें की हैं। मैं तो इन तीन दिनों के अंदर आज से बहुत पुराने वक्त में चला गया जब 1946 में मुस्लिम फिरकापरस्ती इतने जोरों पर थी कि हमारे ऊपर मुसीबतें ढाई जा रही थीं। हमारे बड़े-बड़े उलेमा थे, मौलाना हुसेन अहमद मदनी को गालियां दी जाती थीं और मोहम्मद अली जिन्ना जिन्हें नमाज पढ़ना नहीं आता था उनको कायदे आजम बनाया हुआ था। हमने उस कड़े वक्त में मुस्लिम फिरकापरस्ती का मुकाबला किया और ऐसे नहीं किया, ऐसा किया कि भाई-भाई छूट गए,

भाई-बहन छूट गए, ताल्लुकात खत्म हो गए, कितने ही घरों के चिराग गुल हो गए। वह फिजा उस वक्त थी, उसका मुकाबला करके 33 प्रतिशत वोट हमें मिले। उस फिजा में 66 प्रतिशत हमारे खिलाफ गए। लेकिन 33 वर्ष तक हम लोगों ने कुर्बानियां दीं और अपनी कौम में गालियां सुनीं। आज मैं बहुत अदब के साथ पूछना चाहता हूं क्या आज इस वक्त मुस्लिम फिरकापरस्ती बढ़ रही है ? मैं मुसलमान हूं, लेकिन मैं कांग्रेस की फिजा में पला हूं, आप आज ईमानदारी के साथ, अपने दिलों पर हाथ रखकर बताइए कि क्या हिन्दू फिरकापरस्ती तेजी के साथ नहीं फैल रही है। क्या आज वह समय नहीं आ गया है जैसा हमने 1946 में किया और फिरकापरस्ती का डटकर मुकाबला किया। आज उसी तरह से मुकाबला करना पड़ेगा, कौम की गालियां सुननी पड़ेंगी। कौम की गालियां सुनना कोई बुरा नहीं है, हम सुनते चले आए हैं। बंगलादेश बना, मैं उस वक्त मिनिस्टर था, मैंने उस वक्त दौरे किए, मेरे खिलाफ दावा दाखिल हो गया, हाईकोर्ट तक मुकदमा गया। तब से मुस्लिम कौम मुझ से नाराज रही। मैंने इसकी कभी परवाह नहीं की, जो सच है, उसकी पैरवी की। जो सच है हमको उसके पीछे दौड़ना है। श्रीमान मैं उस इलाके से आता हूं जहां जन संघ के राज में 1966 में बलवा हुआ था उसके बाद दुर्भाग्य से बाबरी मस्जिद का थोड़ा सा मसला उठा, लेकिन बलवा नहीं होने पाया।

6 ब० प०

मेरे पास मुसलमान लोग आये, उसमें ज्यादातर मेरे मुखालिफ थे। मैंने उन मुसलमान भाइयों से, जो मेरे खिलाफ थे, जो रात को 11 बजे आये, मैंने उनसे कहा कि भाई, मेरी बात कड़वी लगती है, मानोगे ? उन्होंने कहा मानेंगे। मैंने कहा कि तुम्हारी मदद हिन्दू करेगा। क्या तमाम हिन्दू पागल हो गये ? उन्होंने कहा नहीं। मैंने कहा कि अपने गांव में अच्छे हिन्दुओं को ढूंढो। हुआ क्या ? मुसलमानों ने गालियां सुनीं और बर्दाश्त किया। हिन्दुओं का जुलूस रोक जाने के बाद भी काफी आ गया और पुलिस से कन्फ्रन्टेशन हुआ। एक हिन्दू मारा गया। हिन्दू मुसलमानों के साथ मदद करने के लिये खड़े रहे।

मैं अर्ज करना चाहता हूं कि इस फिजा पर हमने कहां कंट्रोल किया। उस फिजा में हमने वहां होली-मिलन भी किया। उसकी मुखालफत की गई लेकिन फिर भी काफी हिन्दू मुसलमान आये। जो औरत बेवा हो गई थी, जिसका शौहर पुलिस की गोली से मरा था, उस गांव में जाने के लिये मुसलमान मना करते थे और कहते थे कि साहब, ब्राह्मणों का गांव है, आपका वहां जाना ठीक नहीं होगा, लेकिन मैं गया। मैं अकेला एक हिन्दू साथी लेकर वहां गया, वहां हिन्दुओं ने जोरदार मेरा स्वागत किया। मैंने 5100 रुपये मुसलमानों से चन्दा कर के वहां दिया। वहां फिजा ठीक हो गई।

एक मस्जिद का मामला उठा था 25 साल पहले। हमने कहा था कि मस्जिद नहीं बनेगी, जब तक ब्राह्मण जो मुखालफत कर रहे हैं, खुद उसकी नींव न रखें। वही हुआ, ब्राह्मणों से हमने नींव रखवाई और वह मस्जिद बन गई।

हिन्दू फिरकापरस्ती का मुकाबला मुसलमान से नहीं होगा, हिन्दू साथियों को करना होगा। जहां ऐसा मामला हो, वहां हिन्दुओं को भेजते हैं। साथी आपके भी हिन्दू हूं, हमारे भी हैं। जनता पार्टी में भी हैं। आज कोई सवाल पार्टी का नहीं है, आज जरूरत है ईमानदारी से सोचने की कि हिन्दू फिरकापरस्ती सिर उठा रही है या मुसलमान फिरकापरस्ती सिर उठा रही है।

कुछ हमारे मुसलमान नारे लगाकर बाबरी मस्जिद का मसला हल करना चाहते हैं, लेकिन नारे लगाने से मसला हल नहीं होगा। यही हमारे बड़े-बड़े ओलमाओं की भी राय है कि न जलूस निकालो न नारे लगाओ, बल्कि इस मामले को राजीव जी पर छोड़ो और अदालत पर छोड़ो।

हमारे उत्तर प्रदेश के बहुत लोग अहमदाबाद पहुंचे, लेकिन मैं वहां नहीं गया। हमारा उत्तर प्रदेश का बाबरी मस्जिद का वाकिया कोई छोटा वाकिया नहीं है, इसका धमाका महाराष्ट्र तक पहुंचा है। लेकिन हमारे यहां सिर्फ 5 जगह बलवे हुए, बल्कि 4 जगह हुए, क्योंकि इलाहाबाद का बलवा बाबरी मस्जिद के नाते नहीं हुआ। वह बिल्कुल अलग वाकिया है। इसके लिये मैं अपने मुख्य मन्त्री को बधाई दूंगा कि उन्होंने बाबरी मस्जिद के सिलसिले में हिन्दुओं को जलूस निकालने से बिल्कुल रोक दिया।

हमारे शाहबुद्दीन साहब फिर एक शेर पढ़ देंगे। ताला कैसे खोला गया, वह अलग बात है। लेकिन इसके बाद अगर जलूस रोका नहीं जाता तो हम अपने यहां सिर नहीं गिन पाते, इतने बलवे होते। आप ही तो आग लगाते हैं, जितनी ही लगायेंगे, उतनी ही आग भड़केगी। आग लगाने से आग नहीं बुझेगी, पानी से बुझेगी।

एक माननीय सदस्य : आप शाहबुद्दीन साहब को आग लगाने के लिये कह रहे हैं ?

श्री के० जे० अब्बासी : मुख्य मंत्री ने वक्त पर मजबूत कदम उठाया और सख्ती के साथ काम लिया और उसको रोका, इसलिये बलवा कम हुआ। जो हुआ वह जल्द से जल्द कन्ट्रोल हुआ।

मैंने चिदम्बरम साहब की जितनी तारीफ सुनी थी, वह उनकी तकरीर के बाद सही साबित हुई। आपने कहा यह हमारा फर्ज है। जिस अज्वे को लेकर आये, उसके लिये आपको बधाई देना हमारा फर्ज है। नन्दा जी ने भी इसी तरह से बलवों में काम किया था। वह इसी प्रकार काम करते-करते जल कर खत्म हो गये। उन्होंने आग बुझाने का काम किया। आप ने वैसे ही अहमदाबाद में काम किये। हमारे होम मिनिस्टर साहब भी इसी तरीके से जिम्मेदारी महसूस करें।

अब मैं कुछ सुझाव आपके सामने रखना चाहता हूं। समय कम है, इसलिये मैं कोशिश करूंगा कि उनको दोहराऊं नहीं। यह ऊर्दू और हिन्दी अखबार वाले बहुत बड़ी-बड़ी सुर्खियों में हिन्दू मुसलमान विरोधी तस्वीरें छापते हैं जिनका बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है।

हमारी भूतपूर्व प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि पी० ए० सी० में हर फिरके के लोगों को आना चाहिए, लेकिन उस पर आज तक कुछ काम नहीं हुआ। मैं जुडिशियल इनक्वायरी का सबसे बड़ा विरोधी हूं। इस बात को मैं पूरी ताकत के साथ इस हाऊस में कहना चाहता हूं। क्या आप अहमदाबाद नहीं जा सकते ? आप वहां फिर जाइए और खुद इनक्वायरी करके ऐक्शन लीजिए।

आप प्यूनिटिव टैक्स लगाने के बारे में सोचिए और कुछ कीजिए। हिन्दू मुसलमान सब पर लगाइए और गरीबों को छोड़ दीजिए। जो सेंसटिव एरियाज हैं, वहां पर हिन्दू मुसलमान की पीस कमिटी बना दीजिए। उसमें जनता पार्टी, लोक दल, कांग्रेस पार्टी और दूसरी अन्य सभी पार्टियां हों। वहां के सभी अच्छे नागरिक मिल कर बराबर उसकी देखभाल करें। वह इस बात का भी ध्यान रखें कि ऐसे वाकेआ फिर न हों। उनको सरकार की तरफ से पूरी मदद प्राप्त हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं उम्मीद करता हूं कि यह जो फिरकापरस्ती है, वह दुबारा नहीं उभरेगी और हमारे होम मिनिस्टर साहब भी पक्षपात से दूर होकर काम करेंगे। वह न हिन्दू की हैसियत से देखेंगे, न मुसलमान की हैसियत से देखेंगे। ऐसी निगाह से देखने के बाद ही इंसानियत जागेगी।

[अनुवाद]

श्री सलीम आई० शेरवानी (बदायूं) : मुझे प्रो० मधु दण्डवते को सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। यह एक बहुत ही संतुलित भाषण है जिसने सभी पहलुओं को छुआ है।

साम्प्रदायिकता एक ऐसी बुराई है जिससे हमें संयुक्त रूप से अपने दल या धर्म का लिहाज किये बगैर लड़ना चाहिए। अब से कुछ रोज बाद हम अपनी आजादी के 39 वें साल को मनायेंगे। हमने इन 39 वर्षों में आश्चर्यजनक प्रगति को होते हुए देखा है। परन्तु दुर्भाग्यवश अभी भी ऐसे लोग हैं जो धर्म से अनुचित लाभ उठाते हैं और स्थिति को बिगाड़ते हैं।

डागा जी ने इकबाल के दोहे का एक भाग बोला था। मैं इसे पूरा करता हूं।

[हिन्दी]

मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना
हिन्दी है हम वतन हैं, हिन्दोस्तां हमारा।

[अनुवाद]

हम किसी भी धर्म को मानने वाले हो परन्तु भारतीय पहले हैं और यह भावना देश के प्रत्येक कोने में होनी चाहिए। केवल तभी हमारा देश प्रगति कर सकेगा। मैं इस बात का उदाहरण पेश करना चाहता हूं कि हम कितने साम्प्रदायिक हैं। यदि हमारा बच्चा बीमार पड़ता है तो हम उस समय यह नहीं सोचते हैं कि वह चिकित्सक जिसके पास हम बच्चे को ले जाते हैं, वह हिन्दू समुदाय से है या ईसाई समुदाय से है या मुसलमान समुदाय से है। हम उसे अच्छे से अच्छे चिकित्सक के पास ले जाना चाहते हैं क्योंकि हम अपने बच्चे को बहुत प्यार करते हैं। इसी प्रकार हम मुकदमा लड़ रहे हों तो हम सबसे अच्छा वकील लगाते हैं। उस समय हम यह नहीं सोचेंगे कि वह इस समुदाय से सम्बन्धित है या दूसरे से क्योंकि हम मुकदमा जीतना चाहते हैं। फिर जब देश का सवाल होता है तो हमें क्या हो जाता है? हमें अपने देश को भी अपने बच्चे की तरह प्यार करना चाहिए।

हाल ही में इलाहाबाद में कुछ साम्प्रदायिक गड़बड़ी देखी गयी इस स्थिति के बारे में मेरी व्यक्तिगत धारणा है कि इसे टाला जा सकता था। मैं नहीं समझता कि किसी जिला-प्रशासन में इतनी शक्ति है कि वह साम्प्रदायिक दंगों को होने से रोके, क्योंकि कहीं भी किसी समय दंगे भड़क सकते हैं चाहे इसे 24 घटो के अन्दर नियंत्रित करना जिला प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हो। असमाजिक तत्वों को 24 घन्टों के अन्दर गिरफ्तार कर लेना चाहिए क्योंकि उसके बाद दंगा-फसादी दिखाई नहीं पड़ते हैं। वे शहर छोड़ कर चले जाते हैं केवल निर्दोष और असहाय लोगों को गिरफ्तार कर लिया जाता है और उन्हें इसकी यातना भुगतनी पड़ती है।

महोदय, मैं अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधान मन्त्री के 15 सूत्रीय कार्यक्रम की बात कर रहा था। परन्तु इससे पहले कि मैं इस पर कुछ कहूं मैं कहना चाहूंगा कि हमारी कुछ इतिहास की पुस्तकों की गहरी समीक्षा की आवश्यकता है। मैं श्री एन० सी० मेनन द्वारा 20 फरवरी के 1986 हिंदुस्तान टाइम्स में लिखित एक लेख को उद्धृत करना चाहूंगा। एक पैराग्राफ में उन्होंने कहा है:– इस प्रकार के बहुत से मिथ्या वर्णनों को उपनिवेशीय इतिहासकारों ने ब्रिटिश राज की बांटों और राजकरों की नीति जबरदस्ती थोपी है। यह हमारे दिमाग में जहर घोल रहा है तथा हमें साम्प्रदायिक प्रचार की ओर प्रवृत्त कर रहा है। इतिहास की पुस्तकों का पुनिरक्षण करने की अत्यन्त आवश्यकता है। अन्यथा साम्प्रदायिक शक्तियां इस दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति का फायदा उठाती रहेंगी।

हम कार्यक्रमों की बात करते हैं। हमने योजनायें बनायी हैं। परन्तु हमें जिस बात की बारीकी से निगरानी करनी है वह है इसका कार्यान्वयन। मैं हमारे माननीय आंतरिक सुरक्षा राज्य मंत्री महोदय के विचारों से बहुत प्रभावित हुआ हूं। मैं पिछले तीन दिनों से कई भाषणों को सुन रहा हूं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूं कि यही उचित समय है जबकि हमें इन तीन दिनों में दिये गये उपदेशों का पालन करना शुरू कर देना चाहिए। हमने शपथ ली है। हमें इसका पालन करना है। हमें अपने निर्वाचन क्षेत्रों में कई अवसरों पर विभिन्न मंचों से बोलने के कई अवसर मिलते हैं। अपने हर एक भाषण में हमें राष्ट्रीय एकता के पहलू को अवश्य लेना चाहिए। हमें लोगों को बताना चाहिए कि हमें एक होकर रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है।

कुछ उपाय जो मैं सुझाना चाहूंगा वह यह है कि जब कभी दंगे हों तो वहां पुनर्स्थापन की प्रक्रिया भी होनी चाहिए। मैं केवल यह देखता हूं कि तहसीलदार के समान एक कनिष्ठ अधिकारी अपने क्षेत्रों में जाकर सर्वेक्षण करते हैं और प्रभावित लोगों से मिलते हैं। यह इतनी महत्वपूर्ण बात है कि जिस किसी जिले में इस प्रकार की घटना घटती है तब जिला दण्डाधिकारी, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को उनके पुनर्स्थापन की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। उन्हें स्वयं वहां जाकर जांच करनी चाहिए और प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए।

प्रांतीय शस्त्र बल के बारे में बहुत कुछ कहा गया है। इस बल ने अपनी विश्वसनीयता पूरी तरह से खो दी है। चाहे अल्पसंख्यक हो या बहुसंख्यक मैं नहीं समझता कि किसी को इस बल पर विश्वास रह गया है। इसे हम केवल तभी पुनर्जीवित कर सकते हैं जब इस बल में प्रत्येक जाति का प्रतिनिधित्व हो। लॉयंस क्लब, रोटरी क्लब जैसी कई गैर राजनीतिक ऐजेंसियां हैं। जब हम पुनर्वास का काम आरम्भ करते हैं तो हम इनकी सहायता क्यों नहीं लेते हैं? ये राजनीतिक संगठन नहीं हैं। वे क्षेत्रों में जा सकते हैं। हमारे यहां शान्ति समितियां हैं जिनका कभी उपयोग नहीं किया जाता है। शान्ति समिति की बैठक दंगा समाप्त होने के पश्चात् होगी। इन शान्ति समितियों में ऐसे अच्छे लोग क्यों नहीं रख सकते हैं जो दंगों के समय इलाकों में जाएं और संबद्ध जनता से बातचीत करें ताकि अच्छी भावना बनी रहे।

महोदय, नाजुक क्षेत्रों में गुप्तचर नेटवर्क को शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। मेरा अपना विचार यह है कि यदि गुप्तचर सेवा ने उचित ढंग से काम किया होता तो इलाहाबाद की स्थिति का पहले अनुमान लगाया जा सकता था।

आप घंटी बजा रहे हैं, मैं अधिक समय नहीं लेना चाहता हूं। मैं एक बात पर बल देना चाहता हूं कि आज-कल दूरदर्शन का बहुत विस्तार हुआ है। यदि दूरदर्शन पर राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम दिखाएं जिनमें खेलों से संबंधित, फिल्मों से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति अथवा कोई मन्त्री जिनको लोग सुनना पसंद करें, भाग लें तो मैं समझता हूं कि यह एक और माध्यम होगा जिसके द्वारा हम राष्ट्रीय एकता को बढ़ावा दे सकते हैं।

महोदय, आपका बहुत धन्यवाद।

श्री० जी० एम० बनातवाला (पोन्नानी) : सभापति महोदय, एक उर्दू कवि ने कहा है :

[हिन्दी]

क्या इसलिए तकदीर ने चुनवाये थे तिनके
कि बन जाय नशेमन तो कोई आग लगा दे।

کیا اِس لئے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے
کہ بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے

[अनुवाद]

महोदय, देश में साम्प्रदायिक स्थिति पर हो रहे वादविवाद में भाग लेते हुए मुझे बहुत दुःख है। गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश के अनेक स्थान साम्प्रदायिकता की आग में झुलस गए हैं। साम्प्रदायिक हिंसा की पूरी तरह तथा उचित ढंग से निन्दा करने के लिए निस्संदेह पर्याप्त शब्द नहीं है। निस्संदेह, साम्प्रदायिक दंगों को केवल कानून और व्यवस्था की समस्या नहीं माना जा सकता है; किंतु कानून तथा व्यवस्था का बहुत महत्व है। अतः हमें उन विभिन्न क्षेत्रों की पहचान करनी चाहिए जहां कमियां या त्रुटियां हो सकती हैं।

पहले तो यह बात याद रखी जाए कि साम्प्रदायिक दंगे अकस्मात् नहीं भड़क उठते हैं। ये पूर्व-नियोजित होते हैं। महाराष्ट्र में मुख्य मंत्री ने स्वयं इस बात पर दुःख व्यक्त किया कि वहां हुए दंगे पूर्व-नियोजित थे। फिर भी, इन तत्त्वों को, जो इस पूर्व-नियोजन में भाग लेते हैं दण्ड देना और बेनकाब करना चाहिए। मुश्किल से इस दिशा में शायद ही कोई काम किया गया हो।

यहां अहमदाबाद में भी सबको मालूम था और सरकार ने भी स्वीकार किया है कि रथ यात्रा के दौरान हिंसा की संभावना थी फिर भी क्या हुआ ? इसके बावजूद, जब हिंसा भड़क उठी, पुलिस तथा कानून और व्यवस्था पूरी तरह ठप्प हो गई, जिससे हिंसा बराबर जारी रही।

मुझे कहना चाहिए कि मेगानी नगर की घटना अल्पसंख्यक समुदाय की सुरक्षा के संबंध में पुलिस तथा कानून और व्यवस्था के लापरवाहपूर्ण रवैये को उजागर करती है। इस बात की संभावना थी कि हिंसा होगी फिर भी वहां एक छोटी पुलिस चौकी स्थापित की गई जिसमें मुश्किल से चार एस० आर० पी० जवान थे, जिनके पास कन्ट्रोल रूम के साथ संपर्क करने के

लिए कोई भी साधन नहीं थे। सशस्त्र भीड़ आगे बढ़ी और उन जवानों को एक कमरे में बन्द कर दिया और वहां संहार करने लगी और लोगों को जिन्दा ही भून दिया गया। कौन जिम्मेवार है ?

मैंने अपने माननीय मंत्री श्री पी० चिदम्बरम को तन्मयपूर्वक सुना। मैं उनके भाषण की प्रशंसा करता हूं, किन्तु पुलिस की भूमिका के सम्बन्ध में मैं एक शब्द भी नहीं कहा गया।

अब पुलिस तथा केवल कानून और व्यवस्था की स्थिति के केवल पूरी तरह ठप्प होने का प्रश्न नहीं है, बल्कि पुलिस के पक्षपातपूर्ण रवैये के संबंध में बहुत से आरोपों की भी चर्चा हो रही है। मैं दुखी हृदय तथा अत्यन्त लज्जा से कहता हूं कि अनेक स्थानों पर जो काम दंगा करने वाले पूरा नहीं कर सके उसे पुलिस ने पूरा किया। पुलिस ने दंगे से पीड़ित निर्दोष लोगों के द्वार तोड़ दिए और उन निर्दोष लोगों की पिटाई की, उनके मकानों को लूट लिया और उन्हें अन्धा-धुंध गिरफ्तार भी किया।

मेरे साथ उमापुर आइए, जो महाराष्ट्र का एक छोटा सा गांव है, जहां बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जहां भीड़ एक मकान को आग लगाने आई और आदमियों को भी उस आग में फेंकने का प्रयास करने लगी इसके पश्चात् पुलिस आ गई, और उसने पीड़ितों को ही पकड़ लिया और उन पर यह आरोप लगाया कि वे स्वयं ही अपने मकानों को आग लगा रहे थे। एक और मकान में जहां मैं गया परिवार के मुखिया को जिन्दा ही जला दिया गया और इसी व्यक्ति के दो पुत्रों को पुलिस द्वारा निर्दयता से पीटा गया और उन पर अपने पिता की हत्या का आरोप लगाया गया। इस प्रकार लोगों को अंधाधुंध हिरासत में लिया गया। मैं आपको एक के बाद एक बहुत सी घटनाओं के विषय में बता सकता हूं। हम इस संबंध में क्या कर रहे हैं ? इलाहाबाद में "गुंडा-विरोधी अधिनियम" के अन्तर्गत डाक्टरों, वकीलों और यहां तक कि भारतीय प्रशासनिक सेवा अधिकारियों को अंधाधुंध हिरासत में लिया गया।

बाराबंकी में पुलिस द्वारा गोली चलाने को ही लीजिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं। पत्रकारों की एक समिति वहां गई और उसने इस बात की घोषणा की कि वहां गोली चलाना न केवल अनावश्यक था बल्कि ऐसा केवल मुसलमान सत्याग्रहियों को भयभीत करने के लिए किया गया। पत्रकारों की समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि गोली लोगों को भगाने के लिए नहीं अपितु वहां के शान्तिपूर्वक सत्याग्रहियों की हत्या करने के लिए चलाई गई।

अब पी० ए० सी० के संबंध में दो-शब्द कहता हूं। मेरे पास वर्ष 1978 का अल्पसंख्यक आयोग का पहला वार्षिक प्रतिवेदन है और मैं उद्धरण देता हूं :

> "आयोग ने भी यह विचार व्यक्त किया कि पी० ए० सी० ने मुसलमानों के विरुद्ध पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाया।"

इसमें आगे कहा गया है।

> "आयोग ने सिफारिश की है कि अलीगढ़ से पी०ए०सी० को वापस बुलाया जाए और अल्पसंख्यकों को विशेषकर मुस्लिम समुदाय को सेवाओं में सामान्यतः पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाए।"

उन्होंने यही बात अन्य विभिन्न स्थानों पर भी दोहराई है। क्या कार्यवाही की गई ? हर समय हमें कहा जाता है कि हम शुरूआत करेंगे। मैं यह काम करता हूं कि माननीय मंत्री सफल

हों किंतु कितनी बार हमें कहा जाएगा कि शुरूआत की जाएगी। इससे पुलिस तथा कानून और व्यवस्था में मुसलमानों के विश्वास को धक्का लगा है। यद्यपि मैं यह कहता हूं कि कानून और व्यवस्था में और पुलिस में मुसलमानों का विश्वास उठ गया है, परन्तु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैं निराश हो गया हूं। जहां भी मैं गया मुसलमानों और जनता ने मुझ से कहा : संसद में जाइए और हमारी व्यथा और विपत्ति संसद के समक्ष सुनाइये। और मैं यहां यह कहता हूं कि संसद आज जनता में विश्वास स्रोत है और जनता इस बात की आशा करती है कि यह सरकार को आदेश देगी कि उसे किस दिशा में जाना चाहिए।

महोदय, संक्षिप्त मुकदमे तथा विशेष न्यायालयों का प्रश्न है। प्रो० मधु दंडवते ने भी इस संबंध में बात की है। माननीय मंत्री ने भी इसका उल्लेख किया है। महोदय, इससे पूर्व इसी प्रकार विभिन्न न्यायिक आयोगों द्वारा सिफारिशें भी की गई हैं, किंतु एक और पहलू है। भिवंडी में अंसारी बाग की घटना के बारे में हम सभी जानते हैं, और वहां एक विशेष न्यायालय भी था। चालीस दोषी व्यक्तियों को उपस्थित किया गया और कुछ दिन बाद सभी चालीस व्यक्तियों को रिहा कर दिया गया और उस विशेष न्यायालय के न्यायाधीश ने दुःख प्रकट किया कि मैं असहाय हूं क्योंकि उसने कहा कि अभियोजक ने उन चालीस में से तीस के विरुद्ध एक शब्द भी नहीं कहा उनको अपराध में फंसाने की तो बात ही अलग है। इस प्रकार का अभियोजन था। मैं इस बात का सुझाव देता हूं कि जब आप साम्प्रदायिक अपराधों के लिए जिले से बाहर भी अभियोजक आना चाहिए और भी कई मुद्दे हैं किंतु आपने जो अब घंटी बजा दी है उसका आदर करते हुए मैं समाप्त करता हूं और मैं इस टिप्पणी के साथ समाप्त करता हूं कि साम्प्रदायिक दंगों को केवल समाज-विरोधी तत्वों का कार्य नहीं समझा जाना चाहिए। अल्पसंख्यक-विरोधी साम्प्रदायिक प्रचार ने हमारे समाज में साम्प्रदायिक विकार को उग्रता प्रदान की है। विभिन्न संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने देश में अल्पसंख्यकों के प्रति अपने विषाक्त व्यवहार को नहीं छिपाया है। सरकार ने क्या कार्यवाही की है ? किसी कार्यवाही के संबंध में क्या कहें, गत सत्र में मैंने कहा था कि दिल्ली में खुले आम त्रिशूल बांटे जा रहे हैं और आप लोगों को ध्यान देना चाहिए, किंतु मेरी बात सुनी अनसुनी की गई, और कुछ समय पहले पुलिस तथा "त्रिशूल बरदारों" के बीच दंगा हुआ। हमने देखा कि त्रिशूल-धारी लोग जामा मस्जिद के द्वार पर आक्रमण कर रहे थे। पत्र भी हैं, और यह एक अन्तर्देशीय पत्र है जिसकी चर्चा दूर-दूर तक हुई; यह सुनेहरी मस्जिद, चान्दनी चौक, दिल्ली-110006 को सम्बोधित है; यह हिन्दी में है और यह उन्हें भयभीत करने के लिए है। इस पर त्रिशूल का चिन्ह अंकित है।

मैं इस बात से समाप्त करता हूं कि बाबरी मस्जिद का प्रश्न उचित ढंग से निपटाया जाए। अप्रैल, 1980 में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के अधिकारियों का एक उच्च स्तर का सम्मेलन आयोजित किया गया था और इसमें सांप्रदायिक दंगों को रोकने के लिए 10-सूत्रीय कार्यक्रम का सुझाव दिया गया। इसमें यह मुद्दा भी सम्मिलित है कि धार्मिक संस्थाओं की भूमि। जायदाद के स्वामित्व मे विवाद पर न्यायालय के शीघ्र निर्णय प्राप्त किए जाने चाहिएं। अतः बाबरी मस्जिद के विवाद के संबंध में उपेक्षापूर्ण रवैया मत अपनाइए। आपको इसमें अवश्य ही हस्तक्षेप करना चाहिए और इस प्रश्न का अन्तिम रूप से समाधान करना चाहिए।

मैं 31 मई 1986 के 'इण्डिया टुडे' के पृष्ठ नम्बर 83 पर छपे एक लेख "मिलीटेंट रिवाइवलिज्म ऑफ हिन्दूज्म" को उद्धृत करते हुये अपने भाषण को समाप्त करूंगा। यह इस प्रकार है :

"इससे और अधिक धार्मिक लड़ाईयां अपना सिर उठा रही हैं। अपनी लड़ाई के अगले चरण में जो इस ग्रीष्म काल से प्रारम्भ होने वाली है, विश्व हिंदू परिषद् विश्वनाथ मन्दिर और श्री कृष्ण जन्मभूमि का पुनः अधिग्रहण करने के लिए काशी (वाराणसी) और मथुरा की तरफ प्रस्थान करेगी। उनका दावा है कि मुगल सम्राटों ने इन पर कब्जा करके इनको मस्जिदों तथा ईदगाहों में बदल दिया था। हालांकि विश्व हिंदू परिषद् और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के नेता खुले-आम यह कहते हैं कि उनका उद्देश्य सिर्फ इन दो मन्दिरों को वापस लेना है, किन्तु वे 25 उन दूसरे मुस्लिम तीर्थस्थानों की सूची पर भी कार्य कर रहे हैं जो इनके अनुसार प्राचीन हिंदू मन्दिर थे।"

साम्प्रदायिकता से अब तक काफी नुकसान हो चुका है। हमें कड़ी मेहनत करनी चाहिए और यह देखें कि विभिन्न समुदायों के हृदय प्यार से भर जायें और वे इकट्ठे रहें।

मुझे आशा है कि सरकार समय की कसौटी पर खरी उतरेगी और आवश्यक कार्यवाही करेगी।

[हिंदी]

श्री जनक राज गुप्त (जम्मू) : जनाब चेयरमैन साहब, तीन दिन से कम्युनल सिचुएशन पर बहस हो रही है और खुशी की बात यह है कि सारे आनरेबिल मेम्बर साहबान ने चाहे वे कांग्रेस पार्टी के हों और चाहे आपोजीशन के हों, सब ने ही कम्युनल रायट्स की निन्दा की है और जिस ढंग से हमारे रहनुमा राजीव गांधी जी ने, जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, और उन की सरकार ने इनके साथ डील किया है, उसकी सराहना न सिर्फ इस हाऊस में हुई है बल्कि हाऊस के बाहर भी इस विषय पर काफी चर्चा हुई है। ये दंगे, ये फसाद ये कम्युनल रायट्स कहीं भी हों, अहमदाबाद में हों, मुरादाबाद में हों, काश्मीर में हों या मुल्क के किसी भी हिस्से में हों, यह एक बड़ी खतरनाक बात है और मुल्क के लिए एक ऐसा मर्ज है, जो काफी हद तक दिक्कत पैदा कर सकता है। मैं मुबारकबाद देता हूं अपने आनरेबुल मिनिस्टर श्री चिदम्बरम जी को जिन्होंने यह कहा कि उनके दिल में तड़फ है और ऐसे एलीमेंट्स से डील करने के लिए पोलिटिकल विल है जो इस किस्म का वातावरण, इस किस्म का माहौल सारे मुल्क में पैदा करना चाहते हैं या मुल्क के किसी हिस्से में पैदा करना चाहते हैं।

यहां पर मैं यह कहूंगा कि यह दुरुस्त बात है कि किसी भी मजहब के, किसी भी फिरके के लोगों को अपने-अपने मजहब को बढ़ावा देने के लिए, अपने-अपने जलूस निकालने की, अपने त्यौहार मनाने की पाबन्दी नहीं होनी चाहिए। लेकिन यह सब इस ढंग से हो जिससे कि किसी दूसरे मजहब के लोगों को ठेस न पहुंचे और इस ढंग से हो जिससे कि एन्टी सोशल और एन्टी नेशनल एलीमेंट्स उसका नाजायज फायदा न उठा सके और इस किस्म के दंगे फसाद न करा सकें जिससे कि माहौल बदले, महौल खराब हो।

मेरे दोस्त सोज साहब ने जम्मू का नाम लिया। जब इन्होंने तकरीर की तो मुझे थोड़ा सा दुःख हुआ, तकलीफ हुई। मैं मानता हूं कि बहुत बुरी बात है कि अहमदाबाद में दंगे हुए। अच्छा होता अगर वे थोड़ा-सा कश्मीर का भी नाम लेते। (व्यवधान) मैं इनकी जात को या किसी और की जात को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि दंगे चाहे कहीं भी हों, एन्टी सोशल एलीमेंट्स, एन्टी नेशनल एलीमेंट्स कहीं के भी हों उन सबको हमें कंडेम करना चाहिए। उनके साथ सख्ती से डील करना हमारा फर्ज है, हमारा धर्म है। यह भी हमारा फर्ज है कि रूमर मोंगर्स, जो फिजा खराब करने वाले लोग हैं, जो इस किस्म का वातावरण पैदा करते हैं उनसे भी हम सख्ती के साथ पेश आएं। पता नहीं ये लोग कहां-कहां से पहुंच जाते हैं। प्रो० सोज मेरी इस बात की ताईद करेंगे कि जम्मू में एक जलूस निकला, जब जलूस निकला तो वहां पर कोई दंगा-फसाद नहीं हुआ। दोनों कम्युनिटीज के लोगों ने गुरु पर्व पर ईद के दिन पर और किसी दूसरे त्योहार के दिन पर जलूस निकाले। कुछ नहीं हुआ। लेकिन थोड़ी-सी कहीं पर नारेबाजी हुई, कुछ लोगों ने इस किस्म के नारे लगाये जो काबिले बर्दाश्त नहीं थे, कुछ एन्टी सोशल एलीमेंट्स उसमें घुस गये थे। लेकिन जो रूमर मोंगर्स थे उन्होंने कश्मीर में इस किस्म की रूमर फैला दी कि जम्मू में किसी कम्युनिटी के इतने लोग मारे गये जिससे वहां बड़ा फ्लेर-अप हुआ। पार्लियामेंट में भी उसका जिक्र हुआ। हमारे बहुत से साथी, आनरेबुल मेम्बरान वहां पर गये। वहां पर इस किस्म का जहर फैलाया गया। कश्मीर में, उस कश्मीर में जहां पर कि हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को रोशनी की किरण नजर आई थी।

[अनुवाद]

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो कुछ भी दूसरे माननीय सदस्य कहते हैं उसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(व्यवधान)

[हिंदी]

(व्यवधान)

श्री जनकराज गुप्त : मैंने यह नहीं कहा, मैं तो सिर्फ आपके बिहेवियर के बारे में कह रहा हूं, उस पर आऊंगा तो आप उसका जवाब दीजिए, आप भी हाउस में हैं। मैं यह कह रहा हूं....। (व्यवधान)

प्रो० सैफुद्दीन सोज : सभापति महोदय, तीन बार मेरा नाम लिया है, मुझे एक मिनट दे दीजिए।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। श्री सोज जी जो कुछ आपने कहा है उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

**कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : मुझे एक कश्मीरी होने पर गर्व है···(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : यह कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं होगा। मेरे द्वारा पुकारे गये माननीय सदस्य के भाषण के सिवाय, शेष बातों को कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। जो कुछ श्री सोज कहते हैं उसे कार्यवाही वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : श्री सोज जी, जो आप कह रहे हैं उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मैंने आपको बोलने के लिए नहीं कहा है। मैंने बाद में कहूंगा। कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

प्रो० सैफुद्दीन सोज : जो कुछ भी गुण्डावाद वहां था ··(**व्यवधान**)**

प्रो० सैफुद्दीन सोज : उन्होंने तीन बार मेरा नाम लिया है। उन्होंने कश्मीर के बारे में कुछ कहा है (**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : इसे कार्यवाही-वृतान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पी० चिदम्बरम): हमें बहस को बिगाड़ना नहीं चाहिए। मुझे पक्का विश्वास है कि सभापति महोदय आपको समय देंगे। कृपया पहले उनको अपना भाषण समाप्त करने दीजिए। उसके बाद आप सभापति महोदय से अनुमति ले सकते हैं। आप कृपया बैठ जाइये। माननीय प्रो० सोज, कृपया पहले उनको भाषण समाप्त करने दीजिए।

सभापति महोदय : श्री पाटिल जी आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। श्री पाटिल जी आपका व्यवस्था का क्या प्रश्न है ? कृपया आपस में बातचीत मत करें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : माननीय प्रो० सोज, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं।

(**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। कृपया व्यवस्था बनाये रखिए··· कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। हां, श्री पाटिल जी, आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : मेरा व्यवस्था का प्रश्न यह है कि क्या एक माननीय सदस्य को सदन में तथ्यों को प्रस्तुत करने का अधिकार है या नहीं। जो माननीय सदस्य बोल रहे थे वह तथ्य प्रस्तुत करने वाले थे, किन्तु माननीय प्रो० सोज ने व्यवधान डाल दिया। क्या यह उचित है ? (**व्यवधान**)**

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

**कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : इनको कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। आप सभा का समय नष्ट कर रहे हैं। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : जो कुछ आपने कहा है उसको कार्यवाही-वृत्तान्त में न तो सम्मिलित किया गया है और न ही किया जायेगा। श्री गुप्त जी, कृपया आप अपना भाषण जारी रखिए।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : कृपया व्यवस्था बनाये रखिए।

(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री जनकराज गुप्त : मैं यह कह रहा था कि उस काश्मीर में जहां महात्मा गांधी को रोशनी की किरण नजर आई, हमें उसका फख्र है। इस बार फरवरी, 86 में, मैं उन रूयुमर मान्गर्स, एन्टी नेशनल एलीमेंट्स और सैशेनिस्ट्स फोरसेज की बात कर रहा था जिन्होंने···

(व्यवधान)

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया हस्तक्षेप मत करिए।

(व्यवधान)**

सभापति महोदय : अगर आपने हस्तक्षेप किया तो मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने आपसे कई बार अनुरोध किया है।

[हिन्दी]

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपाल गंज) : कहने का तात्पर्य यह है कि हम चार इन्डीपेन्डेट हैं। जब प्रोफेसर सोज बोल रहे थे तो कोई मैम्बर अपोज नहीं कर रहा था। अगर इस तरह से सत्ता पक्ष और विरोध पक्ष के बीच में हल्ला चलता रहेगा तो हाऊस कैसे चलेगा? इन्डीपेन्डेंट्स को समय भी नहीं दिया जाता। आगे आने वाले समय में इस तरह की परम्परा बन जायेगी।

(व्यवधान)**

[अनुवाद]

सभापति महोदय : जो कुछ दूसरे माननीय सदस्य कह रहे हैं, उसे कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया जायेगा। मुझे उनको संयम में रखना है।

** कार्यवाही-वृत्तान्त में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

श्री जनकराज गुप्त : मैं यह कह रहा था कि जब यह रियूमर फैली पता नहीं वहां क्या-क्या हो गया, वहां का जो एन्टी सोशल एलीमेंट है जिसमें जमाइते इस्लामी के लोग थे और जुमाइते तुलबा के लोग थे। उन लोगों ने वहां पर इस किस्म का हल्ला किया जो आपके सामने आ गया। वहां पर माइनोरटीज कम्यूनिटी के लोगों पर हमला किया। उस वक्त जो बात हुई, में किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन उन लोगों ने, जो बड़ी-बड़ी लच्छेदार बातें करते हैं, किसी ने इस बात को कन्डेमन् नहीं किया, मैं उसको भी कन्डेम करता हूं और अहमदाबाद में जो कुछ हुआ वह बहुत बदकिस्मत है, गलत है। मैं जनाब होम मिनिस्टर से यह कहना चाहता हूं कि उन लोगों के खिलाफ जो लोग इस मुल्क में इस किस्म का दंगा-फसाद कराना चाहते हैं, धर्म के नाम पर या हरिजन-सवर्ण के नाम पर या किसी और के नाम पर इस तरह का कार्य करना चाहते हैं उनके साथ सख्ती से निपटना चाहिए, निपटना ही नहीं, बल्कि कड़ी सजा देनी चाहिए ताकि आगे वह इस किस्म का वातावरण न बनायें। इसमें बेरूनी ताकतें भी काम करती हैं उसकी तरफ भी हमको तवज्जोह देनी चाहिए।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि यह ठीक है इसमें जो पोलिटिकल विंग है उसको करना चाहिए। इन्होंने कहा कि जाइंट फोर्स सब कम्यूनिटी की मिलाकर उसको अमली जामा पहनाकर जल्दी कायम करना चाहिए ताकि आगे आने वाले समय में इस किस्म का कोई हल्ला न हो और स्क्रीनिंग करनी चाहिए ताकि जो लोग इस किस्म के वाक्यात करने के जिम्मेदार हों उनको प्रोत्साहन नहीं मिले और उनके साथ सख्ती से डील किया जाए।

डाक्टर गौरीशंकर राजहंस (झंझारपुर) : सभापति महोदय, तीन दिन चर्चा चलने के बाद यदि किसी को पांच मिनट का समय मिले तो वह क्या बोल सकता है। मैं यह कहना चाहता था कि उस दिन अध्यक्ष जी बलराम जाखड़ ने और मधु दण्डवते जी ने जो कहा उससे मैं बहुत अभिभूत हो गया और मैंने सोचा कि इस देश में साम्प्रदायिक दंगे और साम्प्रदायिक माहौल के बारे में जो इन्होंने कहा वह आंखें खोलने वाली बातें हैं। दण्डवते जी, मेरे पूज्य हैं, लीडर हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन जो उन्होंने अहमदाबाद में कहा उससे मुझे बड़ी चोट पहुंची है। मैं 21 जुलाई, 1986 के "हिन्दुस्थान टाइम्स" को कोट करता हूं जिसमें उन्होंने कहा

[अनुवाद]

> "माननीय श्री मधु दण्डवते ने कहा कि प्रभावित क्षेत्रों में कई लोगों ने प्रतिनिधिमण्डल को बताया था कि सत्तारूढ़ दल के असामाजिक तथा असंतुष्ट तत्व उपद्रवों के लिए जिम्मेदार थे।"

[हिन्दी]

पता नहीं कहां से दण्डवते जी को यह बात पता चल गई।

[अनुवाद]

प्रो० मधु दण्डवते (राजापुर) : मैं यहां पर इसे स्पष्ट करता हूं। प्रतिनिधिमंडल के चार सदस्य यहां उपस्थित हैं। मैंने इसे बिल्कुल भी नहीं देखा।

वे सिर्फ कहते हैं कि, "क्या यहां विचारों में मतभेद है ?"

मैंने कहा, "हां"। बस मैंने इतना ही कहा था। इसके सिवाय कुछ नहीं कहा।

डा० गौरी शंकर राजहंस : यह यू० एन० आई० द्वारा भेजा गया समाचार है।

प्रो० मधु दण्डवते : वहां पर, तीन सदस्य और उपस्थित थे।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं।

प्रो० मधु दण्डवते : अगर वह मेरी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी को मानते हैं, तो मैं कह सकता हूं कि यह वाक्य मैंने नहीं कहा था। (व्यवधान) क्योंकि, कुछ संतुष्ट तत्व वहां भी हैं।

श्री संतोष मोहन देव (सिलचर) : श्रीमान्, हम आपकी बात मानते हैं।

एक माननीय सदस्य : श्रीमान्, हम आपकी बात मानते हैं।

[हिंदी]

डा० गौर शंकर राजहंस : चलिए बात खत्म हो गई। मेरे कहने का मतलब यही है कि दोनों पक्ष के लोगों ने कस कर अखबार वालों की शिकायत की और खूब जम कर की। मुझे यहां एक ही बात कहनी है कि इस देश का अखबार माना बहुत बुरा है, गंदा है और उसको समाप्त कर दीजिए लेकिन कुछ अखबार ऐसे भी हैं जिनके कारण आपका प्रजातंत्र टिका हुआ है। उन्हीं अखबारों के कारण यहां विपक्ष की सरकार सत्तारूढ़ हुई और जब उन्हीं अखबारों ने एक्सपोज किया तो विपक्ष की सरकार खत्म भी हो गई। इसका स्पष्ट अर्थ है कि आज भी अखबार सच्ची बात को बतलाने में नहीं हिचकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं। इन्हीं दंगों में कुछ लोकल अखबार होंगे, जिन्होंने शिकायत की होगी लेकिन जितने नेशनल न्यूजपेपर्स हैं, उनकी रिपोर्टिंग आप पढ़िये, मैंने बड़े गौर से पढ़ी है, उनकी रिपोर्टिंग का पैटर्न एक ही तरह का है। तो क्या इससे यह समझा जाए कि सारे अखबार वाले झूठे और बेईमान हैं। चिदम्बरम साहब ने बहुत अच्छा काम किया गुजरात में जाकर, मैंने उनको बधाई दी, अकेले में भी दी और हाउस के सामने भी दी और अब फिर बधाई देता हूं। लेकिन एक निवेदन भी करना चाहता हूं, उम्मीद है वे बुरा नहीं मानेंगे, मेरे मित्र हैं और मैं उनसे लिबर्टी ले लेता हूं। उनकी शिक्षा भी अमेरिका में हुई है, मेरी भी शिक्षा अमेरिका में हुई है। उन्हें पता है कि यदि न्यूयार्क टाइम्स कोई एडीटोरियल लगातार तीन दिन तक निकालेगा तो लोग उसे बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, उस का कोई नोटिस नहीं लेगा और अमेरिका में तो लोग अखबार पढ़ते हैं और फेंक देते हैं, क्योंकि वहां इतने में दूसरा अखबार आ जाता है लेकिन इस देश के लोग साल-साल भर अखबार को संभाल कर रखते हैं। रोज देहातों में अखबारों की बातें डिस्कस होती हैं। यदि अखबारों के एडीटोरियल्स में कोई दम नहीं होता तो आपका आल इण्डिया रेडियो प्रतिदिन अखबारों की एडीटोरियल्स पर कमैंट न करता। इसलिए मैं मानता हूं कुछ अखबारों ने गलती की होगी, उनको सजा मिलनी चाहिए। अखबारों को कई बार यहां सजा मिली है। इस देश में प्रेस कौन्सिल है और अखबारों के कई दूसरे फोरम हैं लेकिन उनके बारे में आप कोई स्वीपिंग रिमार्क्स मत दीजिए कि इस देश के सारे अखबार बेकार हैं और उन्होंने ही दंगे फैलाये। ऐसी बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि वैस्ट-बंगाल के एक अखबार ने फ्रंट पेज पर लिखा कि जिस समय प्रधानमंत्री जी मिजोरम के दौरे पर गए हुए थे तो उन्होंने हर घण्टे बाद अमहदाबाद के पुलिस कमिश्नर, श्री बी०के० झा से टेलीफोन

पर सम्पर्क किया और यह पता लगाने की कोशिश की कि अब वहां दंगों की हालत क्या है। उसने फ्रंट पेज पर यह भी लिखा कि कभी किसी देश के प्राइम मिनिस्टर ने इतनी तकलीफ नहीं उठायी होगी। यह हमारे लिए बहुत ही गौरव की बात है। यदि अखबारों को डिस्टौर्ट करना होता तो दूसरे तरीके से भी लिख सकते थे।

एक बात मैं आपको और कहना चाहता हूं। आज से तीन-चार दिन पहले मैंने यहां की लाईब्रेरी में लन्दन टाइम्स के उस अखबार को देखा है, उसके तीसरे-चौथे पेज पर अहमदाबाद के दंगो का एक फोटो है जिसमें एक आदमी को चाकू मारा हुआ है और उसकी बगल से लोग भाग रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हमारी होम मिनिस्ट्री क्या करती रही और इस तरह के फोटो और अखबार को यहां आने कैसे दिया गया। यदि किसी दूसरे मुल्क में ऐसी बात होती तो उस तरह के अखबार को देश में घुसने ही नहीं दिया गया होता। बस अखबार अभी तक आपकी लायब्रेरी में मौजूद है। इसके अलावा, जिन दिनों इन्दिरा जी का मर्डर हुआ था, मैं अपनी बात कहता हूं, उन दिनों मैं एम०पी० नहीं था और मैंने स्वयं कनाट प्लेस में देखा कि एक अमेरिकन फोटोग्राफर ने एक सरदार जी को जलती हुई टैक्सी के पास खड़ा होने के लिए कहा, यद्यपि उस सरदार ने कहा कि यह टैक्सी मेरी नहीं है, फिर भी उस फोटोग्राफर ने कहा कि तुम खड़े तो हो जाओ और कुछ दिनों के बाद मैंने देखा कि न्यूज वीक में वही फोटो छपा था। सारी दुनिया में हमारे मुंह को काला कर रहे हैं, तो यह होम मिनिस्ट्री क्या करती है, क्यों नहीं ऐसे लोगों को अरेस्ट करती और क्यों न जेल के अंदर भेजती है। बाहर के जो मुल्क हैं, वे तो यही सोचेंगे कि एक सम्प्रदाय के लोग दूसरे सम्प्रदाय के लोगों को चाकू मार रहे हैं।

सभापति, जी मुझे थोड़ा सा टाइम और दे दीजिए। मैं बराबर तीन दिन से इंतजार करता रहा हूं और आज मुझे समय दिया गया है। मान्यवर, मैं दो-तीन दिन तक भूखा यहां बैठा रहा हूं इस इंतजार में कि शायद मुझे टाइम मिल जाएगा। ऐसा मेरे साथ दो सालों में पहले कभी नहीं हुआ। इसलिए बड़ी मुश्किल से आपने समय दिया है, तो थोड़ा सा और बोलने दीजिए।

मैं कुछ साल पहले कनाडा गया था। कनाडा में मैं अपने एक हिन्दुस्तानी दोस्त के साथ टोरॅंटो जा रहा था। तीन रैड लाइट पर कनैडियन्स ने मुझे और मेरे दोस्त को कहा था-"यू ब्लड़ी फूल पाकी" मैं दो स्टॉप तक समझ नहीं सका। तीसरे स्टॉप पर मैंने अपने हिन्दुस्तानी दोस्त से पूछा कि मेरी और तुम्हारी शकल एक है इसलिए मैं "यू ब्लडी फूल" का अर्थ तो समझ गया लेकिन ये "पाकी" क्या है। इसका क्या मतलब है। उसने मुझे कहा, इस बात को समझने की कोशिश कीजिए, हम जो एशिया से आए हैं, हम इनके जॉब को छीन रहे हैं। इसलिए ये इकनौमिक रीजन्स हैं और ये "पाकी" यानी "पाकिस्तानी" हम लोगों को कह रहे हैं। ये लोग एशिया के लोगों को, चाहे वे भारत के हैं, चाहे श्रीलंका के, चाहे इन्डोनेशिया के, सब को पाकिस्तानी समझते हैं। मैंने कहा कमाल की बात है, इकनौमिक रीजन्स के कारण सभी पाकिस्तानी हो गए। मैंने कहा हिन्दुस्तान में हिन्दू मुसलमान लड़ रहे हैं और यहां सब पाकिस्तानी हो गए।

सभापति महोदय, मैं आसाम गया था। आसाम में मैंने वहां के रहने वाले मुसलमानों से पूछा कि ये बंगलादेश से आए हुए मुसलमान भाई तुम्हारे भाई हैं। फिर क्यों लड़ रहे हो? उन्होंने कहा कि जमीन किसी को हिन्दू या मुसलमान नहीं मानती है। अगर ये चले जाएंगे तो वह जमीन हमको मिल जाएगी।

अन्त में, मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि आप राम जन्म भूमि की बात कर रहे हैं। मेरा क्षेत्र तो ऐसा है जहां सीता का जन्म हुआ है सीता का स्थान राम से पहले है। हमेशा सीताराम और राधाकृष्ण बोला जाता है। हमारे मिथिला में आजादी के बाद से आज तक दंगे नहीं हुए। वहां के मुसलमान लोग रामायण, गीता, महाभारत और संस्कृत के श्लोक सुनाते हैं। तो अभी भी देश में ऐसी-ऐसी जगह मौजूद हैं और हमें चाहिए कि हम उन लोगों को जो दंगा कराते हैं वहां ले जाएं। इस प्रकार से सारा झगड़ा इकनौमिक है। इसको हमें समझना होगा। मैं यह भी बताऊं कि कमीशन ने रिपोर्ट दी है कि आजादी से पहले अंग्रेज डिवाइड एण्ड रूल की पॉलिसी अपनाते थे और सारे दंगे वहीं होते थे जहां अंग्रेजों का शासन था। प्रिंसली स्टेट्स में कभी दंगे नहीं होते थे। चूंकि आप मुझे अब समय नहीं दे रहे हैं, इसलिए मैं अब समाप्त करता हूं।

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मन्त्री (श्रीमती शीला दीक्षित) : क्योंकि काफी माननीय सदस्यों ने अभी बोलना है इसलिए मैं अनुरोध करती हूं कि सदन का समय एक घण्टे के लिए और बढ़ा दिया जाये।

सभापति महोदय : क्या सदन का समय एक घंटा और बढ़ाने के लिए सभा सहमत है?

कुछ माननीय सदस्य : जी, हां।

[हिन्दी]

श्री राजकुमार राय (घोसी) : सभापति जी, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा में भाग लेने का अवसर दिया जिस पर देश में आज चिन्ता व्याप्त है। मान्यवर, जब हम इस सदन में कम्युनल हॉरमनी के बारे में चर्चा कर रहे हैं और हम एक विश्वास पैदा करना चाहते हैं और सारे देश के पैमाने पर एक विश्वास जमाना चाहते हैं और लोगों को बताना चाहते हैं, जैसे हमारे सीनियर मेंबर दण्डवते जी ने तथा हमारे गृह राज्य मन्त्री श्री चिदम्बरम जी ने एक स्वर से इस बात को तस्लीम किया कि यह मुल्क सबसे अच्छा है, हिन्दुस्तान सबसे बड़ा है, हमारा देश सबसे ऊंचा है, देश भक्ति सबसे बड़ी भक्ति है। इसके सामने धर्म की भक्ति, भाषा की भक्ति या प्रांत की भक्ति छोटी है। इस बात पर मान्यवर पूरा सदन एक मत है, इसमें दो राय नहीं हैं। इसमें कोई दो राय नहीं हो सकतीं, लेकिन आज भी सब की एक राय होने के बाद भी, सब के यह तस्लीम करने के बाद भी, सब सिद्धांततः इस बात को मानते हैं कि हिन्दू, मुसलमान, सिख, ईसाई चाहे जो जाति हो, धर्म हो, प्रांतीयता हो, भाषा हो, उसे भेदभाव को भुलाकर सबको एक हिन्दुस्तानी की तरह रहना चाहिये। बात कहां से उठती है? मेरी छोटी समझ में जो बात आती है, सबसे पहले उसका समाधान होना चाहिए।

7.00 म० प०

बात यह है कि इस कबीर, गांधी और इन्दिरा गांधी के देश में हमने जितना राजनैतिकता पर जोर दिया, जितना डिप्लोमेसी और पॉलिटिक्स को पढ़ा, उतना ही नैतिकता को भुला दिया। राजनैतिकता तो बड़ी और उसे बुद्धिमत्ता मान लिया और नैतिकता को हमने बेवकूफी समझ लिया। जो आदमी देश में सीधा है, नैतिक है, देश के नैतिक मूल्यों की रक्षा करता है, उसको लोग मूर्ख समझते हैं, कूड़ेदान में फेंकते हैं और जो डिप्लोमैटिक वेज से, पॉलिटिक्स वेज से राजनैतिकता के बल पर चीजों पर हावी हो जाता है, उसको हम चतुर और चालाक मानते

हैं। एक सबसे बड़ा कारण यह है कि वह आदमी जो राजनैतिक है, चाहे खादी पहनने के नाते हो, चाहे साधू के नाते हो, हिन्दू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सबसे पहली आवश्यकता यह है, जहां तक देशभक्ति की बात है, पैट्रीयाटिज्म की बात है, उसके साथ-साथ हमें नैतिकता के बारे में, नेशनल मोरैलिटी के बारे में विशेष बल देना चाहिये। होम मिनिस्ट्री को चाहिये, उसका भी नैतिक कर्तव्य है वह विचार करे कि कौन ऐसे लोग हैं जो डेमोक्रैटिक क्लोथ्स के अन्दर, दूसरे वस्त्रों में क्लैड होकर इन सारी चीजों को करते हैं।

मान्यवर, दुश्मन को पहचानना आसान है। पाकिस्तान और चीन घुस रहा है तो सबसे आसान है निशाना साफ है कि कहां है, किस मुकाम से आ रहा है, कौनसा हथियार दागेगा और कौनसा दांव लगायेगा। लेकिन ये देश के दुश्मन, समाज के दुश्मन, राष्ट्र के दुश्मन जो हमारे ही देश में हैं, कैसे हैं, किन कपड़ों में हैं, चाहे साधूवेश में हैं, कहीं नेता के वेश में हैं और कहीं दूसरे वेश में हैं और विभिन्न पार्टियों का चोगा पहिन कर जो हमारे बीच में हैं, इनकी पहचान मुश्किल से हो पाती है। इसलिये होम मिनिस्ट्री का कर्तव्य है, इन्टेलिजेंस विभाग इसका नाम इसीलिये रखा गया है कि वह पहले ऐसे लोगों को बेनकाब करे।

हमें देखना होगा कि आखिर मिडिल ईस्ट कंट्रीज से जो पैसा आता है, उसे कौन लेता है। मैं होम मिनिस्ट्री को कैटेगोरीकली कहता हूं कि देखें कि पाकिस्तान में उस सहायता को कौन लेता है? मानसिकता बहुत बुरी है, मुस्लिम मानसिकता बुरी है तो हिन्दू मानसिकता तो उससे ज्यादा हिन्दुस्तान में बुरी है। बड़े-बड़े लोगों ने कहा है और वे मर गये हैं, कोई ध्यान नहीं दिया गया। जयप्रकाश नारायण जैसे आदमी चाहे जो कुछ भी हों, उन्होंने बताया कि जनसंघ और आर० एस० एस० में क्या भेद है। मैं उस समय विद्यार्थी था। उन्होंने कहा कि आप हिम-खंड की कल्पना कीजिये, जो पानी में तैर रहा है। ऊपरी हिस्सा जो दिखाई देता है, वह भारतीय जनसंघ है और जो पानी के बीचे आइस का हिस्सा है, हिमखंड का हिस्सा जो दिखाई नहीं देता, वही आर० एस० एस० है। दोनों को डिवाइड करना मुश्किल है। जयप्रकाश नारायण जैसा इन्टेलिजैन्ट आदमी भी उसे डिवाइड नहीं कर सकता था। इसीलिये आज सारे राजनीतिज्ञ लोग कह रहे हैं कि उसे बेनकाब करो। राजनीतिक अवसरवादिता को छोड़ो। हमारी सरकार बनती है कि नहीं बनती है, हम कहीं मुस्लिम लोगों से हाथ मिला लेते हैं, कहीं भारतीय जनसंघ से हाथ मिला लेते हैं, कहीं त्रिशूल को प्रश्रय दे दें, कहीं कृपाण को, कहीं टोपी को और कहीं पगड़ी को दे देते हैं। इस नाम पर मिल-जुलकर काम करेंगे, मौका आने पर हममें आत्मबल नहीं आ सकता है। अगर नैतिकता की कमी है तो हम किसी को अलग नहीं कर सकते हैं। वोट के लालच में सबसे ज्यादा इस बात की जरूरत है कि हमारे राजनीतिज्ञ लोग इन सब चीजों से बाज आवें। हमारे गृह मंत्री जी बैठे हुए हैं।

[अनुवाद]

वह गृह मंत्रालय के कर्ता-धर्ता हैं।

[हिन्दी]

पुलिस का रोल भी हमारे देश में संदेह से परे नहीं है। जहां कहीं भी कम्युनल रायट्स होते हैं तो उसमें पुलिस आग में घी झोंकती है बेगुनाह लोगों को पकड़ती है और गुनाहगारों को छोड़

देती है। इस किस्म के कई मामले होते हैं। इसके बाद होम मिनिस्टर और सरकार उन्हें सही कर पार्लियामेंट में भेज देते हैं। इनको कंडेम करना चाहिए।

श्री काली प्रसाद पांडेय (गोपालगंज) : सभापति महोदय, आज तीन रोज से इस सदन में देश में हो रहे साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में हम बातें कर रहे हैं। अगर हम पूर्व में अपने इतिहास को देखें तो पायेंगे कि महर्षियों ने अपनी लेखनी से हिन्दू और मुस्लिम सम्प्रदाय को एक सूत्र में बांधा। अगर हमने सीता को मां कहा तो बीबी फातिमां को भी अमां कहा। अगर गीता को पढ़ा तो कुरान की भी आयत पढ़ी। अगर काशी में माथा टेक कर विश्वनाथ के पास भीख मांगी तो काबा में माथा टेक कर दुआयें भी मांगी। लेकिन प्रश्न यह पैदा होता है कि क्या हिन्दुस्तान में साम्प्रदायिक दंगे हिन्दू और मुसलमान करता है? क्या सांप्रदायिक दंगों के पीछे हिंदू और मुसलमान का हाथ है?

आज हिन्दुस्तान की 5 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिस का कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है? उनका केवल एक ही काम है कि किसी तरह दंगा भड़के और वह नटोरियस क्रिमिनल अगुआ का रूप धारण कर ले और हमें किसी तरह पूरी मदद मिले।

सभापति महोदय, मैं इंडिपेंडेंट पार्टी का चुनाव लड़ कर गोपालगंज संसदीय क्षेत्र से आया हूं और दो लाख वोटों से जीत कर आया हूं। मैंने देखा है कि अगर हिन्दू मन्दिरों में जाकर पूजा करता है तो मुसलमान भी मस्जिद में जाकर मेरे लिए दुआ मांगते हैं। मैंने ऐसी घटनायें घटित होती देखी हैं जिसे देखकर मैं दंग रह गया। हमारे पूर्व के राजनीतिज्ञ जो कि कभी नेता थे, यहां वे ब्रिटिश हुकूमतों के खिलाफ लड़कर जेलों के शिकंजों में जकड़े थे। आजादी क्या चीज है, इसको उन्होंने करीब से देखा था। जेल से निकलने के बाद जब आजादी उनके हाथों में आई तो उन्होंने देश भक्ति और लगन से काम किया और देश को संवारा।

मैं चिदम्बरम साहब का शुक्र-गुजार हूं कि उन्होंने एक अच्छी बात कही कि लाउड-स्पीकर की जो परम्परा है, वह खत्म होनी चाहिए। मैंने देहात-देहात में जाकर देखा है कि मन्दिरों और मस्जिदों में लाउड-स्पीकर टंगा रहता है और उससे जो वक्तव्य प्रसारित होता है, उसका अगर आप रिपोर्ट लें तो आप दंग हो जायेंगे। अगर कोई काशी में विश्वनाथ को जल चढ़ा कर लौट आये तो हम उसके लिये कहते हैं कि वह बहुत बड़ा पंडित है। मुसलमान अगर हज करके आता है तो कहा जाता है कि वह हजी है। न हज करने से कुछ हो सकता है, न काशी में जिन्दगी भर डोंग रचने से कुछ हो सकता है। हमारे इस जिस्म में एक लोथड़ा है जिसका नाम दिल है। जब तक दिल में मोहब्बत नहीं है, देश के प्रति प्रेम है तब तक सारी पूजा देश भक्ति बेकार है। तब तक हिन्दुस्तान विकास के मार्ग पर नहीं चल सकता है। मैंने देखा, मेरी अपनी कांस्टीच्यूएंसी में जब हताश राजनीतिज्ञों ने देखा कि दोनों कौमों के लोग मुझे वोट नहीं दे रहे हैं तो उन्होंने क्या किया कि ईद के मौके पर हिन्दू और मुसलमान के बीच दंगा फैल जाय इसकी कोशिश की। मैं कलेक्टर से मिला और कहा कि यह ईद का मौका है अगर दोनों सम्प्रदायों के सौ-सौ, दो-दो सौ लोग जेल भेज दिए गये तो अंजाम यह होगा कि जिले भर के लोग जानेंगे कि दंगा हो रहा है। स्थिति सामान्य हो गई। अंजाम यह हुआ कि दस बम हिन्दू के दरवाजे पर पुआल में रख दिए गए, दस बम मुसलमान के दरवाजे पर पुआल में रख दिए गए। ऐडमिनिस्ट्रेशन ने क्लेम किया कि पांडेय जी, दोनों तरफ दस-दस बम पकड़े गये हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि हिन्दू सम्प्र-

दाय के लोग रखते तो घर के पीछे कहीं छिपा कर रखते, मोहम्डन सम्प्रदाय के लोग रखते तो वह भी पीछे कहीं छिपा कर रखते।

कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक देश में एक ऐसी भावना पैदा नहीं होगी जिसमें इस तरह की चीजें न हों, तब तक स्थिति में सुधार नहीं होगा। जब हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ उस समय भी गलत हुआ ? आज गृह मन्त्री बूटा सिंह जी बैठे हुए हैं। हो सकता है बहुत से माननीय सदस्यों को सत्य चूंकि कड़वा होता है इसलिए कड़वा लगे··· (व्यवधान)··· कहने का तात्पर्य यह है कि आज तक हिन्दुस्तान एक है तो क्या जरूरत थी मुस्लिम और हिन्दू विश्वविद्यालय की स्थापना की ? अलीगढ़ विश्वविद्यालय भी नाम रखा जा सकता था, बनारस विश्वविद्यालय भी नाम रखा जा सकता था। उस समय के गृहमन्त्री चाहते तो ऐसा नाम रखा जा सकता था। लेकिन चाहे जैसे भी हो इस तरह की भावना बन चुकी थी हिन्दू और मुस्लिम नाम रखना उन्होंने आवश्यक समझा। तो जब तक किसी कौम या मजहब के नाम पर, किसी जाति के नाम पर विद्यालय और महाविद्यालयों के नाम रहेंगे तब तक ऐसी भावना पैदा नहीं हो सकती··· (व्यवधान)···

तीन दिन इन्तजार करने के बाद तो समय मिला है। इसलिए जरा कहने दीजिए। मैं गृह मन्त्री से अनुरोध करूंगा और सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा, चाहे जो भी व्यक्ति हो, चाहे किसी दल का हो, मैं एक निर्दलीय हूं, इसलिए निष्पक्ष भावना से बोल रहा हूं, जो भी इसके अन्दर गुनहगार पकड़े जायं उन को कड़ी से कड़ी सजा दी जाय। यही अखबार बहुत जोरों से छापते हैं इस तरह की चीजों को, मुझे इस बात का बड़ा दुख हुआ। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि जब तक एक सद्भावना हर एक व्यक्ति के अन्दर पैदा नहीं होगी, एक नहीं हजार बार भी यहां बहस की जाय, उस से कोई फायदा होने वाला नहीं है।··· (व्यवधान)···

अन्त में मैं यही कहना चाहूंगा कि आप एक ऐसा माहौल उत्पन्न करें जिस में हमारी जो केन्द्र की व्यवस्था है वह सभी जगह एक शान्ति और सद्भावना का वातावरण पैदा कर सके।

डा० बी० एल० शेलेश (चंल) : सभापति महोदय, आज सदन में साम्प्रदायिक दंगों के सम्बन्ध में जो चर्चा हो रही है उस के सम्बन्ध में मुझे स्पष्ट कहना है कि देश में जो ये दंगे हो रहे हैं वे वास्तव में सांप्रदायिक दंगे नहीं हैं बल्कि उन्हें सांप्रदायिक दगों का रंग देने के कारण निहित स्वार्थी लोगों की बदनीयती और हमारे शासन की छवि को धूमिल करने के भयंकर इरादे नजर अन्दाज हो जाते हैं, इस के फलस्वरूप सैंकड़ों बेगुनाहों की मौत के जिम्मेदार असली गुनाहगार पुलिस और शासन की पकड़ से निकल भागते हैं। यही वजह है कि बहुत सारे उपायों को अमल में लाने के बावजूद भी सुनियोजित ढंग से देश में जगह-जगह दंगे फैलाए जा रहे हैं। मेरी निश्चित मान्यता है कि ये दंगे कुछ राजनैतिक अराजक तत्वों की सांठ-गांठ के फलस्वरूप अपने तुच्छ स्वार्थों की पूर्ति हेतु कराये जा रहे हैं। इस प्रकार की मनोवृत्ति की जितनी निन्दा की जाय उतनी ही कम है। जब देश की एकता और अखण्डता पर कुछ ताकतें भरपूर चोट करने पर उतारू हैं, उस समय देश की आन्तरिक सुरक्षा को दंगे फैला कर खतरा उत्पन्न करना देशद्रोह के अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता। वैसे ये दंगे कभी-कभी पारस्परिक मनमुटाव तथा

वैमनस्य के कारण हो जाते हैं, किन्तु उन का राजनैतिक लाभ उठाने के लिए कुछ निहित स्वार्थी तत्व उन्हें साम्प्रदायिक दंगों की संज्ञा दे देते हैं।

सदन मुझ से सहमत होगा कि इस प्रकार के दंगों की रोक-थाम पूर्णतया सम्भव है यदि उनकी रोकथाम के लिए पहले से ही आवश्यक कदम उठा लिये जायें। दंगे हो जाने पर उनको नियंत्रित करने में जो लापरवाही प्रशासन द्वारा बरती जाती है, वह भी क्षम्य नहीं है। हमें इस ओर विशेष ध्यान देना होगा। अभी कुछ दिनों पहले इलाहाबाद क्षेत्र में जो दंगे हुए उनका सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि वहां भी इन दंगों को एक सुनियोजित ढंग से किसी षड्यन्त्र के फलस्वरूप कुछ निहित तत्वों ने अपने व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए कराये थे, ऐसा प्रतीत होता है। इन दंगों में बम गोले और अवैध हथियारों का जमाव इस बात का ठोस सबूत है कि इन दंगों का होना किसी पूर्वनियोजित षड्यन्त्र का द्योतक है।

इस सम्बन्ध में जिला प्रशासन तथा पुलिस को सतर्क और सजग रहने की आवश्यकता है और देशद्रोही तत्वों से सख्ती से निपटने के लिए कठोर से कठोर कार्यवाही करनी चाहिए।

मान्यवर, विदेशी पत्रिकाओं में इस प्रकार के दंगों का जो उल्लेख किया गया है—वह इस बात का संकेत करता है कि विदेशी ताकतें किस प्रकार हमारे देश में अराजकता फैलाने में विशेष रुचि ले रही हैं और उनके इरादे हमारी एकता को खण्डित करने में प्रयत्नशील हैं।

मान्यवर, यह सदन मुझ से सहमत होगा कि देश एक व्यक्ति से कहीं अधिक बड़ा होता है और उसकी अखण्डता पर जरा सी आंच होने पर सभी देशवासी राजनैतिक दलबन्दी से ऊपर उठकर उसकी रक्षा करने के लिए कटिबद्ध हो जाते हैं। इस समय इसी विचारधारा को और अधिक बल देने की जरूरत है। हमारा देश स्वतन्त्र रहे, हमारे देशवासी सुख शांति से अपना जीवन-यापन करें और हम अपने उन लक्ष्यों की ओर तीव्रता के साथ आगे बढ़ें जिन्हें हमारे युवा प्रधान मन्त्री ने हमारे देशवासियों के समक्ष रखा है। हम सब को इस ऊंचे दर्शन को मूर्त रूप देने के लिए गम्भीरतापूर्वक विचार करना चाहिए।

अन्त में मैं आपके माध्यम से माननीय गृह मन्त्री जी से विशेषकर अनुरोध करूंगा कि वे इस प्रकार के दंगों को सदैव के लिए समाप्त करने की दिशा में विशेषकर पुलिस प्रशासन को और चुस्त बनायें और गुप्तचर संस्थाओं को संवेदनशील क्षेत्रों में और अधिक क्रियाशील बनावें। मुझे आशा है कि शासन द्वारा की गई सख्त कार्रवाई के फलस्वरूप इन दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी।

श्री मानवेन्द्र सिंह (मथुरा) : समापति महोदय, साम्प्रदायिकता के सम्बन्ध में जो चर्चा चल रही है इस विषय में मैं इस सदन के समक्ष भारत की प्राचीनतम संस्कृति, भारत के प्राचीनतम इतिहास की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। हमारे इस महान भारत ने हमेशा से देश की स्वतन्त्रता, देश की एकता और अखण्डता के लिए युद्ध किया है। लेकिन वह राजतन्त्र था मगर उस राज तन्त्र में भी हमारे देशवासियों ने हमारी वीरांगनाओं ने, हमारे वीरों ने अपने खून से भारत की धरती को सींचा। तो यह भारत महान है और भारतवर्ष विश्व में सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता रहा है। भारत का इतिहास विश्व का अनोखा इतिहास है। यहां पर वीरांगनायें हुई हैं। हमारी महिलाओं ने भी अपनी शक्ति इस देश की एकता, अखण्डता के लिए प्रदर्शित की, कुरबानियां दीं और हाथों में तलवारें लेकर रण-भूमि में निकल पड़ीं। भारतवर्ष के

इतिहास ने करवट बदली। स्वतन्त्रता का बिगुल भारतवर्ष के इतिहास में बनने लगा और अंग्रेजी साम्राज्यवाद जिसने कि हिन्दुस्तान में लड़ाकर राज्य करने की नीति स्थापित की थी, उन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए भारतवर्ष के बच्चे से लेकर बूढ़े तक, महिलाओं ने भी, आजादी का बिगुल बजाया। उन्होंने अपने रक्त से, लहू से इस भारतवर्ष की नींव को सींच कर भारतवर्ष को आजादी दिलाई। वह सिर्फ इसलिए कि भारतवर्ष एक महान देश बने। उसकी एकता और अखण्डता हमेशा कायम रहे। भारत की स्वतन्त्रता बनी रहे और भारत की एकता एकता-सूत्र के बन्धन में बन्ध जाए। भारत की आजादी के लगभग 38-39 वर्ष पूर्ण हुए और उसने चहुंमुखी विकास किया। वे विदेशी ताकतें जो भारत की इस महान एकता से, उसकी प्रगति से, उसकी अखण्डता से जल उठीं और उन्होंने अपना युद्ध यहां पर प्रारम्भ कर दिया। वही आग असम में भी लगी, काश्मीर भी अछूता नहीं रहा और दक्षिण भारत में भी वे ज्वालायें जलने लगी और भारत के मध्य पंजाब में भी धमाका हुआ। आप को यह भी स्मरण होगा कि इसी आग में महात्मा गांधी जी को कुर्बान होना पड़ा और हमारी स्व० प्रधान मन्त्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी की भी हत्या की गई। इन बातों से हमारे सामने दो विशेष बातें सामने आई। इंदिरा जी की हत्या केवल इंदिरा जी हत्या का षड्यन्त्र नहीं था वह प्रयास था, भारत की एकता; अखण्डता और स्वतन्त्रता को मिटाने का वह प्रयास था भारत की एकता और अखण्डता को विखण्डता में बदलने का और इसी भावना को लेकर एक दूसरी चीज उत्पन्न हुई। हमने देखा कि उसी मुद्दे पर हमारा चरित्र भी गिरा है। मैन-करैक्टर-इज-लास्ट, एथ्रीथिंग-इस-लॉस्ट। हमारे नेता, हम लोग यहां पर मौजूद हैं, हम लोगों को चरित्र का निर्माण करना होगा। हम लोगों को सैटिसफाई करना होगा। हम लोगों को अपने स्वार्थों की कुर्बानी चढ़ानी होगी, उन सम्प्रदायों में जाकर, चाहे धर्म के आधार पर हो, चाहे सूबे के बंटवारे पर हो, उन स्वार्थों से ऊपर उठकर हमको जनता के समक्ष जाना होगा। उन्हें समझाना होगा कि भारत की स्वतन्त्रता को कायम रखना है, इसकी अखण्डता बनी रहे और इसकी एकता हमेशा कायम रहे, इसके लिए जितने भी हम लोग जनप्रतिनिधि हैं; उसमें कार्यरत हों।

अब मैं कुछ सुझाव रखना चाहूंगा। मैं माननीय मन्त्री जी से आग्रह करूंगा; जैसा कि प्रशासनिक मामलों में चर्चा है, पुलिस को थोड़ा सक्रिय करना होगा और गुप्तचर विभाग को भी थोड़ा प्रभावशाली बनाना होगा। दूसरे यहां पर पत्रकारिता के भी पत्रकार मौजूद हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे भारतवर्ष का यह इतिहास रहा है कि कवियों ने समय-समय पर जागृति पैदा की है; समय-समय पर देश की एकता और अखण्डता के लिए जनता को जगाया है। हमारे सन्तों ने सामाजिक दृष्टि को ध्यान में रखते हुए देश में एक नई तबदीली लाने के लिए प्रयत्न किया है। इसलिए हम चाहते हैं कि पत्रकारिता भी अपना योगदान पूर्णरूप से दे।

अंत में, मैं माननीय मन्त्री जी से निवेदन करना चाहता हूं कि शिक्षा में भी भारत की एकता, अखण्डता की बात उनमें कूट-कूट कर भरी जानी चाहिए। इस चीज को भी शिक्षा के माध्यम से बच्चों को पढ़ाना चाहिए।

चौधरी सुन्दर सिंह (फिल्लौर) : सभापति महोदय,

"भला क्या कर सके इलाज मर्जेनातवानी का,
पकड़ते हैं अगर बाजू यहां शाने उतरते हैं।"

यह समस्या हल होने वाली नहीं है। यह बड़ी मुश्किल चीज है। इसको ठीक करना बड़ा मुश्किल है। यह ठीक नहीं होगी जैसा कि दंडवते जी ने कहा है।

महात्मा गांधी का नाम लिया जाता है। महात्मा गांधी ने कहा है :

[अनुवाद]

"कड़वे अनुभव ने मुझे सिखाया है कि सभी मन्दिर भगवान के घर नहीं होते हैं। वे राक्षसों के आवास भी हो सकते हैं"—महात्मा गांधी।

[हिन्दी]

ये जो गुरुद्वारे हैं, मन्दिर हैं और मस्जिद हैं, इन की वजह से लड़ाई होती है और ये सारे हिन्दुस्तान में पाए जाते हैं।

[अनुवाद]

आप भगवान को कहां तलाश करते हैं ? क्या गरीब, दुखी और दलित भगवान हैं ? पहले उनकी पूजा कीजिए। मैं उस भगवान और उस धर्म में विश्वास नहीं करता जो विधवा की आंखों से आंसू नहीं पोंछे सकता और अनाथों के मुंह में भोजन का कौर नहीं डाल सकता—स्वामी विवेकानन्द।

[हिन्दी]

हिंदू, मुस्लिम और सिख पुलिस में हैं और इन की वजह से लड़ाई होती है। मेरा कहना यह है कि इन को पुलिस से बाहर निकालो और उन की जगह पर हरिजनों को भर्ती करो। हरिजनों के पास न जमीन है, न मकान है और न दुकान है लेकिन फिर भी वे भारत माता जिन्दाबाद के नारे लगाते हैं। इन को आप पुलिस में भर्ती करो। फिर इन की जिम्मेदारी है कि लड़ाई झगड़े न हों। महात्मा गांधी यह चाहते थे कि हिन्दुस्तान का राष्ट्रपति हरिजन होना चाहिए। अब मौका आ गया है कि वह राष्ट्रपति बने।

मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जिस एम० पी० के हलके में लड़ाई होती है, उस के लिए वह एम० पी० कसूरवार है। यहां ये लेक्चर करते हैं और एक दूसरे के खिलाफ बोलते हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक पुलिस का ताल्लुक है, उसको आप ठीक करें। यह जिम्मेवारी किस की है ? यह गवर्नमेंट की जिम्मेवारी है। इधर उधर की बात की जाती है कि इस को यह करेगा और इसको वह करेगा। पुलिस को इस चीज को रोकना चाहिए।

मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब मैं पाकिस्तान से आया सन् 1947 में, तो हम ने अपने गहने मुसलमानों के हवाले कर दिये। उन्होंने कहा कि आप इन को अपने साथ ले जाओ, ये आप के काम आयेंगे। हम ने कहा कि हम थोड़े अर्से के लिए जा रहे हैं और वापस आ कर इन को ले लेंगे। हमने मुसलमानों के पास गहने रख दिये और वे बेच-बेच कर अब तक हमारे पास पैसा भेज रहे हैं। तो इतने शानदार वे मुसलमान हैं। इसलिए अपने आप को पहले हमें ठीक करना चाहिए।

[अनुवाद]

प्रसन्न रहिए और यह विश्वास कीजिए कि हमें भगवान ने महान कार्यों को करने के लिए चुना है और हम उन्हें करेंगे। अपने आपको तैयार रखिए। अर्थात् शुद्ध और पवित्र बनिए।"
—स्वामी विवेकानन्द

"प्यार के लिए प्यार कीजिए। गरीब, दुखी, और दलितों से प्यार कीजिए। भगवान आपको आशीर्वाद देगा"—महात्मा गांधी।

[हिन्दी]

हिन्दू, सिख और मुसलमानों के पास पैसा है, जमीन है, इसलिए वे स्थायत्व हो गये हैं। मेरा कहना यह है कि हरिजनों को आप पुलिस में भर्ती करो और उन की मदद करो और हरिजन को राष्ट्रपति बनाओ, तब महात्मा गांधी का आदर्श पूरा होगा। बूटा सिंह जी, आप इस के लिए तैयार हो जाओ। अब मौका आ गया है। जैसा कि मैंने पहले कहा कि जिस एम० पी०के हलके में लड़ाई होती है, वह एम. पी. कसूरवार है। उसको इस चीज को देखना चाहिए। हमारे दंडवते जी बहुत अच्छा लेक्चर देते हैं लेकिन इनके जो फालोअर्स हैं, वे निकम्मा बोलते हैं। यहां जब आप ऐसा बोलते हैं तो बाहर क्या करेंगे। आप जो बोलते हैं ऐसा आपको नहीं बोलना चाहिए। बल्कि प्यार से बोलना चाहिए।

[अनुवाद]

"समस्त विस्तार जीवन है। समस्त संकुचन मौत है। समस्त प्यार विस्तार है। सभी प्रकार का स्वार्थ संकुचन है। इसलिए केवल प्यार ही जीवन का नियम है। जो प्यार करता हैं वही जीवित रहता है। जो स्वार्थी है वह मर रहा है। इसलिए प्यार के लिए प्यार कीजिए क्योंकि केवल यही जीवन का नियम है"—स्वामी विवेकानन्द

मैं समझता हूं कि एक प्रकार से हम सब चोर हैं। यदि मैं कोई वस्तु लेता हूं जो मेरे तुरन्त प्रयोग के लिए नहीं है और मैं इसे रखता हूं तो मैं इसकी अन्य व्यक्तियों से चोरी करता हूं" —महात्मा गांधी।

डा० दत्ता सामन्त (बम्बई दक्षिण मध्य) : मैं समझता हूं कि जनवरी, 1986 से अब तक लगभग 140 व्यक्ति साम्प्रदायिक दंगों में मारे जा चुके हैं। ये एक प्रश्न के उत्तर में आज सुबह दिए गए सरकारी आंकड़े हैं। बिहार में 10, गुजरात में दोनों दंगों में लगभग 18, महाराष्ट्र में 10 और उत्तर प्रदेश में 37। लगभग 408 व्यक्ति घायल हुए और लगभग 5 करोड़ की सम्पत्ति को जला दिया गया। 11 व्यक्तियों को भून दिया गया और जिन 2 व्यक्तियों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था उन्हें छुट्टी दी गई है।

यह इन दंगों की गम्भीरता दर्शाता है। पहले साल में केवल एक या दो बार ही दंगे होते थे परन्तु अब एक सप्ताह दो या तीन दंगे हो जाते हैं। यह हैरानी की बात है कि शिक्षा, संचार और आधुनीकिकरण के बावजूद इस देश में दंगे 20 या 30 गुना बढ़ गए हैं। इससे पता चलता है कि हम कहां पर हैं।

हम बच नहीं सकते : हमने माननीय मंत्री महोदय का भाषण सुना है सरकारी प्रशासन पर्याप्त उपाय कर में बुरी तरह असफल रहा है। जब सरकार ऐसा सिद्ध नहीं कर सकती तो सरकार को मान लेना चाहिए। उन्हें सरकार की असफलताएं स्वीकार कर लेनी चाहिए। यह ठीक है कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। मैं वास्तव में सरकार से सहमत हूं। गुजरात में प्रत्येक व्यक्ति जानता था कि रथ-यात्रा के समय क्या होने जा रहा था। मुख्य-मंत्री ने भी प्रेस के सामने यह माना है कि रथ-यात्रा के समय कुछ होने वाला है। पुलिस आयुक्त ने भी यह स्वीकार किया है कि उन्हें किसी मुसीबत की आशंका है। तब अर्द्धसैनिक बलों को प्रहरी के रूप में रखने की क्या तुक है? सरकार बुरी तरह असफल रहा है। वे कहते हैं कि प्रहरी के रूप मे पुलिस निगरानी कर रही हैं वे

देख रहे थे कि कोई व्यक्ति आग लगाने जा रहा था। परन्तु वे कहते हैं कि उन्होंने कोई कार्यवाही नहीं की क्योंकि रथ-यात्रा के मन्दिर की पवित्रता भंग हो जाती। माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम ने कहा है कि कुछ असामाजिक तत्व हैं। मेरे पास रिकार्ड है। 24 जून को दो कुख्यात व्यक्तियों को जेल से छोड़ा गया था। 8 दिन पहले कुख्यात जोगी और बखिया को जेल से छोड़ा गया था। उन्होंने सीमाशुल्क समाहर्ता पर आक्रमण कर दिया था और कोई उचित कार्यवाही नहीं की गई थी। यह पाकिस्तान के साथ लगने वाली सीमा है और वहां से पाकिस्तानी घुसपैठ होती है। मैं समझता हूं कि इन दंगों में उनकी भी कोई न कोई भूमिका रही होगी।

हम गांधीवादी विचारधारा की बात करते हैं। मैं गांधीवादी विचारधारा का अनुसरण करता हूं। वे कहते हैं कि मद्यपान पर प्रतिबन्ध हैं। मैं समझता हूं कि सबसे अधिक मद्यपान के अड्डे गुजरात में हैं और वे भी अहमदाबाद में हैं। राजनीतिज्ञ और विशेषकर शासक दल के लोग उनकी सहायता कर रहे हैं। उससे पहले किसी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया गया था और मंत्री महोदय के उस क्षेत्र का दौरा करने के बाद ही कार्यवाही की गई।

अजीज कुरैशी (सतना) : माननीय सदस्य अन्धाधुंध दोषारोपण कर रहे हैं मैं इसका विरोध करता हूं।

डा० दत्ता सामन्त : सरकार समय पर उचित कार्यवाही क्यों नही कर सकती ? जब केन्द्र से मंत्री महोदय ने दौरा किरा तो 168 असामाजिक तत्वों को गिरफ्तार किया गया था और तभी दंगे रुक गए। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम इस पर विवाद इसलिए कर रहे हैं ताकि भविष्य में ऐसी बातें न हों।

दो या तीन मुद्दे और हैं जिनका मैं इस सदन में उल्लेख करना चाहूंगा। मंत्री महोदय इस बात पर सहमत हो गए हैं कि हमें भविष्य में विशेष कार्यवाही करनी हैं। हम अल्पसंख्यकों को खुश करना चाहते हैं। बहुसंख्यक लोगों की मनोवृति यही है। मुझे यहां कहते हुए दुःख है और मैं समझता हूं कि प्रो० दण्डवते को सम्भवत: मेरा वक्तव्य अच्छा नहीं लगेगा।

महोदय, कर्नाटक राज्य में सीमावर्ती मराठी भाषी लोगों को परेशान करने की और बहुसंख्यक लोगों को खुश करने की मनोवृति है। इन सीमावर्ती क्षेत्रों में 400 मराठी स्कूल हैं। इन स्कूलों में प्राथमिक स्तर से ही कन्नड भाषा को स्वीकार करने के लिए विद्यार्थियों को मजबूर किया जाता है। सभी नाम-पट कन्नड भाषा में है। निपानी और कानापुर में 100 प्रतिशत मराठी बोलने वाले लोग हैं। मैं यह पूछना चाहूंगा कि क्या कर्नाटक के मुख्य मंत्री इस बात को नहीं जानते वे कन्नड भाषा को आवश्यक क्यों बना रहे हैं ? क्योंकि वे बहुसंख्यक लोगों को खुश करना चाहते हैं और उनसे लोकप्रिय मत लेना चाहते हैं। मैं केन्द्र को भी नहीं छोड़ रहा हूं। हम इस बात का उल्लेख कर चुके हैं। परन्तु केन्द्र चुप है।

हम यहां बहुत-सी बातों पर विवाद और बातचीत कर रहे हैं। हम चुप नहीं हैं। हम वोट लेने के लिए है। इसलिए यहां घटना के बाद में विवाद होता है। कोई राजनीतिज्ञ सिद्धान्तों का पालन करना नहीं चाहता।

मैं केवल एक अन्तिम सुझाव देना चाहता हूं। यह अत्यन्त आवश्यक है। हमारे देश में पांच वर्ष का होने पर सभी बच्चों को शिक्षा दी जाती है। राजनैतिक दल बहुत होशियार हैं। मेरा अभि-

प्राय यह नहीं है कि वे धार्मिक हैं। परन्तु वे उन्हें धर्मान्ध बना रहे हैं। मुझे आर० एस० एस० के बारे में उल्लेख करते हुए दुःख है वे तीन या चार वर्ष की आयु में प्रशिक्षण देना शुरू कर देते हैं। इस प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है मुझे यह कहते हुए दुःख है कि मस्जिद, गुरुद्वारों आदि में भी इसी प्रकार के धर्मान्ध बच्चे हैं। उन्हें धार्मिक शिक्षा दी जाती है। मैं इसके विरोध में नहीं हूं। परन्तु उन्हें इस प्रकार का धर्मान्ध प्रशिक्षण दिया जाता है। मैं यह सुझाव दूंगा कि सरकार को इसे रोकने के लिए एक विधान लाना चाहिए। महोदय, इसी देश में एक समय अशोक ने शासन किया था। यद्यपि उसने बुद्ध धर्म का प्रचार किया परन्तु वह सभी धर्मों के पक्ष में था। वह एक धर्म निरपेक्ष व्यक्ति था। महान अकबर ने इस देश पर शासन किया। यद्यपि उसने कुरान और मुस्लिम धर्म का पालन किया परन्तु वह सभी धर्मों के पक्ष में था। महात्मा गान्धी ने हिन्दू धर्म का पालन किया परन्तु वह सभी धर्मों के पक्ष में था। यदि हम सभी इन बातों का पालन करें तो मैं समझता हूं कि हम अपने देश में साम्प्रदायिकता को रोक सकते हैं।

[हिन्दी]

गिरधारी लाल व्यास (भीलवाड़ा) : माननीय सभापति महोदय, सांप्रदायिक विषमताओं के संबंध में तीन दिन से चर्चा हो रही है और जहां तक मैं समझता हूं, जो सांप्रदायिक विषमताएं इस देश में फैल रही हैं, उसके पीछे मुख्य रूप से आर्थिक विषमता है। आर्थिक विषमताएं जब तक इस देश में नहीं मिटेंगी तब तक बड़े-बड़े लोग निश्चित तरीके से दंगा-फसाद कराते रहेंगे। हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के गृह मंत्री आज हरिजन हैं और इनकी वजह से, जिस तरह का इनका दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से ये विषमताएं निश्चित तरीके से समाप्त होनी चाहिए। जब हमने इस बात को मान लिया है कि हम सेकुलरिज्म, सोशलिज्म और डेमोक्रेसी को अडाप्ट करेंगे तो फिर ये व्यवस्थाएं इस देश में क्यों नहीं लागू होती ? इन विषमताओं को समाप्त क्यों नहीं किया जाता। आज जिसके पास लैण्ड है वह अपनी लैण्ड को और अधिक बढ़ाता जा रहा है और उसको प्राप्त करने के लिए तरह-तरह के झगड़े-फसाद पैदा कर रहा है। जिसके पास संपत्ति है वह अपनी संपत्ति को बढ़ाने के लिए दूसरों का शोषण कर रहा है, इस विषमता को क्यों नहीं समाप्त किया जा रहा है। अभी श्री सामंत जी ने बिल्कुल ठीक कहा कि गुजरात में जो सांप्रदायिक दंगे हुए उसका सबसे बड़ा कारण शराब बंदी है। शराबबंदी की वजह से वहां पर कुछ लोग पनप गए हैं जो शराब की वजह से करोड़ों, अरबों रुपए कमा रहे हैं, जो चुपके से शराब बेचते हैं। इनकी वजह से ही झगड़े-फसाद पैदा होते हैं। कहीं पर हिन्दू हैं, कहीं पर मुसलमान हैं, ऐसे लोगों की वजह से ही दुर्भावना पैदा होती है और सांप्रदायिक दंगे का रूप बन जाती है। मैं राजस्थान की बात कहता हूं, जब शराब बंदी थी तो सरकार को 100 करोड़ रुपए का नुकसान होता था। आज गुजरात में शराब बंदी है लेकिन शराब सब पी रहे हैं, कोई राजस्थान में आकर पीता है, कोई बम्बई में जाकर पीता है, नुकसान सरकार का होता है और कुछ लोग पनप रहे हैं, जो दंगे-फसाद कराते हैं। इसी तरह से स्मगलर्स हैं। पंजाब में जो सबसे बड़ी समस्या थी वह स्मगलर्स की थी। जितने बड़े-बड़े स्मगलर्स थे, उन्होंने ही खालिस्तान का या अन्य प्रकार का नारा लगाया. इन चीजों को निश्चित तरीके से रोका जाना चाहिए। महाराष्ट्र में जितने दंगे-फसाद होते हैं, उनमें बड़े-बड़े स्मगलर्स का ही हाथ होता है, जहां पर भी हो चाहे यू पी में हो, अहमदाबाद में हो या अन्य स्थान पर हो। पंजाब में जो बड़े-बड़े लैंड-लार्ड्स हैं, बड़े-बड़े जमींदार हैं, वे लोग धर्म के नाम से और अन्य प्रकार से दंगा-फसाद पैदा करने की कोशिश करते हैं। हमारी सरकार की जो नीति है उसको

आप निश्चित तरीके से लागू कीजिए। जिनके पास ज्यादा जमीनें हैं, उनसे जमीनें लेकर गरीबों में बांटिए। जिनके पास अनिश्चित धन-सम्पत्ति इकट्ठी हो गई है, उसको सरकार के कब्जे में लिया जाए और उसे बांटिए जिससे लोगों को रोजी-रोटी मिल सके और विषमताएं समाप्त हो सकें। इन व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से कीजिए। जहां पर ऐसे सेन्सीटिव एरियाज हैं जिनके संबंध में हमारे चिदम्बरम साहब ने बताया कि इतनी जगहों पर दंगा-फसाद होता है और वहां पर हिन्दू-मुस्लिम आपस में लड़ते हैं तो वहां पर कलैक्टर या एस० पी० किसी अन्य जाति के आदमी को रखिए ताकि किसी का पक्ष न लेकर उन व्यवस्थाओं को मजबूत कर सके। एडमिनिस्ट्रेटिव केपेबिलिटी का आदमी रखिए। नए-नए लड़कों को भेज देते हैं जो समय पर किसी प्रकार का एक्शन नहीं ले पाते हैं। इन व्यवस्थाओं को निश्चित तरीके से रोकने की बहुत बड़ी आवश्यकता है। हमारे देश में यह जहर लैंग्वेज, प्रान्तीयता, जातीयता और सम्प्रदाय के नाम पर है, इसके पीछे मुख्य कारण यहां की फैली हुई जमीन और सम्पत्ति को अर्जित करना है। यह सबसे बड़ी भावना है जिसको रोकना नितान्त आवश्यक है। मैं समझता हूं कि हमारे गृह मंत्री जी इस सम्बन्ध में कुछ न कुछ कदम अवश्य उठायेंगे।

श्री हाफिज मोहम्मद सिद्दीक (मुरादाबाद) : सभापति महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा पर बोलने का मौका दिया क्योंकि तीन दिन से इस हाऊस में साम्प्रदायिकता को लेकर यह चर्चा हो रही है कि किस तरह से इसको रोका जाए। हमारा देश अनेक धर्मों का देश है और अनेक जुबाने यहां पर बोली जाती हैं। ऐसे लोग जो हमारे देश को बदनाम करना चाहते हैं और देश की एकता को खत्म करना चाहते हैं, वे कोई न कोई बात लेकर झगड़ा पैदा कर देते हैं। हमारे प्रशासन को यह देखना होगा कि कौन से ऐसे जिले और प्रदेश हैं जहां पर झगड़ा होता है। अगर हमको यह मालूम है कि किस प्रदेश या जिले में झगड़ा होता है तो हमें अपनी इन्टैलिजेंस को भेजना चाहिए ताकि वे देखें कि कौन से ऐसे लोग हैं जो इस तरह के झगड़े करते हैं और हमारी अखण्डता को छिन्न-भिन्न करना चाहते हैं। आज हमारे सामने चाहे इलाहाबाद या अहमदाबाद का मामला हो, लेकिन ये जो हिन्दू, मुस्लिम, सिख और इसाई के नाम से झगड़े होते हैं, ये बड़े शर्म की बात है। आज हमारे देश को आजाद हुए 38 वर्ष से ज्यादा हो गए हैं, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की बात सामने आती है। हमारे सामने अगर इस तरह की बात नहीं होती तो मैं समझता हूं जितनी तरक्की की है उससे हम बहुत ज्यादा तरक्की कर सकते थे। मैं यह चाहूंगा कि अगर कहीं भी इस तरह की संभावना पैदा हो जाए कि यहां झगड़ा होने वाला है तो वहां के प्रशासन को चाहिए कि पहले से ही ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे और उनके ऊपर कन्ट्रोल करे। उसके बाद भी झगड़ा होता है तो मैं समझता हूं वहां की पुलिस अल्पसंख्यकों के ऊपर अत्याचार करती है जिससे वे अपने आपको असुरक्षित समझते हैं। उन्हीं लोगों को परेशान किया जाता है, लूटा जाता है और उनके खिलाफ ही मुकदमा कायम होता है। मैं चाहूंगा कि प्रशासन को चाहिए कि निष्पक्षता के साथ उसको कन्ट्रोल करे ताकि यह जो झगड़ा-फसाद हो जाता है, वह ज्यादा न बढ़े। अहमदाबाद में आपने जिस तरह से कदम उठाए हैं उनसे काफी फायदा पहुंचा है क्योंकि झगड़ा ज्यादा नहीं बढ़ा। यह ठीक है कि नुकसान हुआ और बहुत कुछ बुरी बातें हुई हैं, लेकिन हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं। उसी वक्त कंट्रोल करना चाहिए और यह तभी हो सकता है कि जब पुलिस अफसरों को बराबर की नुमाइन्दगी देंगे। हम प्रशासन को यह आदेश दें, डी० एस० पी०, एस० पी० पर यह जिम्मेदारी डालें कि अगर कहीं झगड़ा होता है तो उसकी

जिम्मेदारी तुम्हारी है और उससे ही जवाब-तलब किया जायेगा तो इस तरह का माहौल पैदा नहीं होगा और इससे दूसरे लोगों पर भी अच्छा असर पड़ सकता है।

[अनुवाद]

श्रीमती डी० के० भन्डारी (सिक्किम) : अध्यक्ष महोदय, मेरा देश के उस हिस्से से संबंध है जहां न केवल लोग साम्प्रदायिक समन्वय की बात करते हैं बल्कि इसका आचरण भी करते हैं। मैं वह नहीं दुहराना चाहूंगा जो कुछ सदस्य पहले कह चुके हैं, मैं केवल नम्रता पूर्वक एक या दो सुझाव देना चाहूंगा।

मेरा पहला सुझाव है कि राज्य तथा केन्द्र स्तर पर इन शक्तियों से निपटने के लिए समितियों के रूप में समुचित तंत्र होना चाहिए। स्वैच्छिक संगठनों यथा-विद्यार्थियों, बुद्धि जीवियों, प्रचार माध्यमों के लोग तथा ऐसे सांस्कृतिक समूहों जो रचनात्मक गतिविधियों में संलग्न है, को इस कार्य में सम्मिलित करना सर्वाधिक महत्वपूर्ण बात होगी।

माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम जी ने कहा कि सरकार के पास पर्याप्त राजनीतिक इच्छा है। यदि सरकार राजनीतिक इच्छा रखती है तो राजनीतिक उद्देश्यों से प्रेरित साम्प्रदायिक संगठनों पर प्रतिबन्ध लगाये। मेरी राय में, साम्प्रदायिकता वादियों के कुत्सित षडयंत्रों को निष्फल करने की दिशा में यह एक सकारात्मक कदम होगा।

श्रीमान जी, इस वाद-विवाद में मुझे भाग लेने के लिए अवसर प्रदान करने हेतु धन्यवाद।

[हिन्दी]

श्री राम नगीना मिश्र (सलेमपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि ऐसे अहम् विषय पर आपने हमको आखिरी वक्त में बोलने का मौका दिया। समयाभाव के कारण मैं उन बातों को नहीं दोहराना चाहता जो मेरे पूर्व वक्ताओं ने कही हैं। मेरे मन में जो विचार हैं, जिन्हें मैंने संजोकर रखा है, मैं वह बातें कहना चाहता हूं। पक्ष के और विपक्ष के जितने लोगों ने लेक्चर दिये मैंने वह सुने, सभी ने एक स्वर से कहा कि अल्पसंख्यकों की रक्षा होनी चाहिए। मैं सदन से और मन्त्री जी से जानना चाहता हूं जो बहुसंख्यक हैं उनकी भी रक्षा होगी या नहीं। आज देखने में यह आ रहा है कि जिस देश में जो बहुसंख्यक हैं उन पर आपत्ति आई है। पंजाब सीधा हमको नजर आ रहा है वहां से आये दिन हिन्दू पलायन कर रहे हैं, कोई दिन ऐसा नहीं जब अखबार में यह न आता हो कि वहां 5-10 आदमियों की हत्यायें न हों। जिस देश में 80 फीसदी जिस जात के लोग रहते हों आज उस जात के लोग देश-प्रदेश छोड़कर दूसरी जगह पनाह के लिए जा रहे हैं और कहा जा रहा है कि अल्पसंख्यकों की रक्षा हो। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो आग दिनों दिन जल रही है हो सकता है कि बाद में वह भीषण रूप धारण कर ले। मैं जानना चाहता हूं हमारे बड़े-बड़े नेता कहते हैं धर्मनिरपेक्षता की बात होनी चाहिए और कुछ लोग कहते हैं आर्थिक प्रोब्लम के कारण यह झगड़े हो रहे हैं। मैं उस समय की बात करता हूं जब देश आजाद नहीं हुआ था तो गांधी जी ने हाथ जोड़कर जिन्ना साहब को कहा कि तुम सर्वेसर्वा बने रहो, लेकिन देश का बंटवारा न हो। आज गांधी जी की दुहाई दी जा रही है। गांधी जी के रहते हुए देश का बंटवारा हो गया, क्या उस समय भी आर्थिक प्राब्लम का झगड़ा चल रहा था। मैं कहता हूं कि यह सारे झगड़े राजनीतिक लोग कराते हैं, उनकी वजह से होते हैं। आज पंजाब में क्या हो रहा है, जिसकी हुकूमत है उसके मन्त्री आतंकवादियों से मिले हुए हैं और हिन्दुओं का

कत्लेआम करा रहे हैं। जिस प्रदेश का मुख्य मन्त्री अपनी जात के कहने पर हफ्तों जूते साफ कर सकता है उस प्रदेश का, देश का भला नहीं हो सकता।

मैं मन्त्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या वह यह विश्वास दिलायेंगे कि पंजाब का हिंदू ठीक रह पायेगा। बड़े बड़े बुजुर्गों ने बाबरी मस्जिद और राम जन्म भूमि के बारे में बताया। यह बात ठीक है कि जुलुस निकला, बहुत लम्बा जुलूस निकला, लेकिन किसी भी हिन्दू ने जब तक अदालत ने आदेश नहीं दिया उससे पहले मन्दिर पर हाथ भी नहीं लगाया था जब अदालत ने फैसला किया तभी मन्दिर का ताला खुला। लेकिन उसके बाद समूचे देश में बगावत हुई। कश्मीर का उदाहरण आपके सामने मौजूद है। वहां लाखों घरों को उजाड़ा गया, पचासियों मन्दिरों को जला दिया गया। वह किसने किया ? क्या किसी बहुसंख्यक वर्ग के लोगों ने किया या अल्पमत वालों ने किया अथवा इकूना ने कराया। वहां के शरणार्थी लोगों को सहायता पहुंचाने के लिए क्या किया गया, वह आप सब के सामने है।

इसलिए मान्यवर, मैं इस सदन में निवेदन करना चाहता हूं कि आप इस सदन की एक कमेटी बनाइये जिसमें आप जैसे बुद्धिमान व्यक्ति भी हों और इस सदन के हर विपक्षी दल के नेता को उसमें लिया जाए तथा गृह मन्त्री जी भी हों। आप सारी स्थिति को मौके पर जाकर देखिए। शरियत में लिखा हुआ है कि मस्जिद में काबा की तरफ रुख करके नमाज पढ़ी जाती है और उसमें कोई मूर्ति नहीं होती है। आप किसी भी जगह जाकर देख लीजिए। लेकिन वहां मन्दिरों को तोड़ कर ऊपर का हिस्सा बनाया गया है और आज भी जो मस्जिदों के पायों में मूर्तियां मौजूद हैं और वहां काबा की तरफ मुंह करके नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है जब कि शरियत के अनुसार वह दोष है। यदि यह बात सही है तो मैं हाथ जोड़ कर विनती करना चाहता हूं कि आप सेंटीमैंटल बातों में न जाकर स्वतः सारी स्थिति का अवलोकन कर के कोई फैसला कीजिए।

दूसरा निवेदन यह है कि जिस तरह हमारे मुसलमान साथी काबा, मक्का, मदीना जाकर अपने पिछले सारे अपराधों को माफ हुआ समझते हैं और सोचते हैं कि अब वे बहिश्त में जायेंगे, उसी तरह से हम हिन्दू लोग अयोध्या, काशी, मथुरा आदि जाने का अर्थ यह लगाते हैं कि अब हम सारे पिछले पापकर्मों से मुक्त हो गए। यह बड़ा सैन्टीमैंटल मामला है। यदि आप हिन्दू और मुसलमान दोनों को भाई-भाई मानते हो और दोनों की रक्षा करनी है तो जहां बड़े भाई का यह फर्ज बनता है कि वह अपने छोटे भाई को गले लगाये, वहीं छोटे भाई का भी यह कर्तव्य बनता है कि वह बड़े भाई को गले लगाये। यदि दोनों में परस्पर सहयोग होता है तभी किसी तरह का सेंटीमैंटल मामला नहीं उठ पायेगा और सारी चीजें शांतिपूर्वक तय हो सकती हैं। मैं चाहूंगा कि आप स्वयं अयोध्या जी जाकर देख लीजिए, जिसे आप बाबरी मस्जिद कहते हैं, उनको जाकर देख लीजिए। यदि आपको वहां सब कुछ शरियत के विपरीत मिलता है तो मैं मुसलमान साथियों से कहूंगा कि उन्हें आगे आकर कहना चाहिए कि भाइयों तुम अपना मन्दिर बनाओ, हमें किसी तरह की सैंटीमैंटल भावना नहीं भड़कानी चाहिए। तभी जाकर इस देश में हिन्दू मुस्लिम एकता बरकरार रह सकती है। इन शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

योगेश्वर प्रसाद योगेश (चतरा) : सभापति जी, इस सदन में पिछले तीन दिनों से सांप्रदायिक सद्भावना विषय पर बहस चल रही है और इसकी प्रस्तावना के रूप में माननीय अध्यक्ष

जी ने जो भावनाएं अभिव्यक्त की हैं, उसमें हमारे विगत जीवन की त्रिक्तापूर्ण करुण गाथा का स्वरूप दिखायी पड़ता है। आजादी मिलने के वक्त, इस देश ने बंटवारे का जो गुनाह किया था, उस समय जो खता हमसे हुई थी, आजादी मिलने के 38 साल बाद भी हम उसकी सजा भुगत रहे हैं। यहां मुझे एक शेर याद आता है :

तारीख की आंखों में वह जब भी देखा है,
लमहों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई है।

इसका मतलब है कि सदियों पहले हमने जो गुनाह किया था, हम आज भी उसकी सजा भुगत रहे हैं। उस डर से हम अभी तक बाहर नहीं हो पाये हैं।

कल सैक्यूलरिज्म की जिस पृष्ठभूमि में अमल दत्त जी और इन्द्रजीत गुप्त जी बोल रहे थे, वह सैक्यूलरिज्म की साम्यवादी पृष्ठभूमि है और उसमें निगेशन ऑफ रिलीजन के सिद्धान्त को प्रतिपादित किया गया है। साम्यवादी राज्यों धर्म-निरपेक्षता तो है लेकिन उसका कोई धर्म नहीं होता। धर्म को उसमें अधर्म माना जाता है लेकिन उस सिद्धांत की हमारे देश में कोई मान्यता नहीं है, उसका कोई महत्व नहीं है। हमारे यहां निगेशन ऑफ रिलीजन के स्थान पर धर्म की बहुत बड़ी परम्परा है। उस परम्परा में हम सदियों से चलते आये हैं और उसी के आधार पर हमने सारी दुनिया को रोशनी दी है।

सभापति महोदय, हमारा देश विश्व का वह लघु रूप है, जहां हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, सिख, पारसी आदि धर्म जन्मे या पनपे हैं। लोग पैदा हुए और पनपे हैं। (घण्टी) सभापति जी, अभी तो मेरी बात शुरू ही नहीं हुई। हमारे देश में सभी धर्मों ने मनुष्य की मर्यादा और मानव-मूल्यों की स्थापना की है। इस्लाम में हदीस की 70 शाखाएं हैं। हदीस का कहना है कि खुदा की पूजा करना सबसे बड़ी और ऊंची बात है इसके अलावा किसी की पूजा मत करो। जिस बात से दूसरों के दिल को ठेस पहुंचती हो, दुख पहुंचता हो, उस बात को मत करो : हमारी रामायण में भी उसी बात को कहा गया है :

परहित सरिस धरम नहीं भाई,
पर-पीड़ा सम जग अधमाई।

और गुरु ग्रन्थ साहब ने भी कहा है कि "एक पिता एकस के हम बालक" बाईबल भी इस मर्यादा को स्थापित करती है—सर्विस टू मैन इज सर्विस टू गॉड, यानी मनुष्य की सेवा ही ईश्वर की सेवा है।

सभापति महोदय, हमें आज कम्युनल हारमनी के लिए बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें इतिहास से सबक लेना चाहिए। अकबर ने तौहीने इलाही की कल्पना की थी। वह राजनीतिक भी थे और धार्मिक भी। उसे इस सैकुलरिज्म, धर्मनिरपेक्षता की प्रेरणा बाबर से मिली थी, हुमायूं से मिली थी। बाबर ने हुमायूं को लिखा था कि जिस देश पर तुम राज कर रहे हो, उस देश के धर्म पर कभी चोट मत करना, जिससे लोगों की आत्मा को तकलीफ पहुंचे। उसी के तहत अकबर ने फतेहपुर सीकरी के अन्दर एक इबादतखाना बनवाया था जहां सारे धर्मों के लोग इकट्ठे होते थे और वहां धर्म पर चर्चा होती थी और धार्मिक चर्चा की बातें जब होती थीं, तो स्वयं अकबर उनकी सदारत करते थे।

सभापति महोदय, मैं आज इस बात को बताना चाहता हूं कि अकबर ने कुछ ऐसी बातें उस समय की थीं जिन पर आज हमें सोचने की जरूरत है। उन्होंने फैंज से रामायण, योग, वशिष्ठ पुराण और उपनिषदों का फारसी में अनुवाद कराकर मुसलमानों के बीच प्रचलित करवाया था जिससे हिन्दू धर्म के ऊपर उनके मन में सद्भावनाएं पैदा हों। अबुल फजल ने उनकी इस बात में सहायता की थी। उन्होंने अल्लोपनिषद् का निर्माण करवाया और उसको हिन्दुओं में बंटवाया जिससे इस्लाम उनके धर्म के प्रति हिन्दुओं की सद्भावनाएं पैदा हों। अबुल फजल ने उन्हें इस बात में काफी सहायता की थी।

सभापति महोदय, समय बहुत कम है, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूं। यह बस एक मिनट में अपनी बात समाप्त करना चाहता हूं। धर्म और यह देश कोई सांप्रदायिकता की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार नहीं है और न ही सैकुलरिज्म के खिलाफ यहां कोई बात है। यह तो एक राजनीतिक कुत्सा है, जो हमें हमेशा आंदोलित करता रहा है। नहीं, तो आज देश में हजारों सांप्रदायिक दंगे हुए, अगर देश को लड़ना होता, तो लड़ गया होता। सन् 1947 के अन्दर एक बहुत बड़ा खतरा पैदा हुआ और देश का बंटवारा हुआ। लेकिन आज देश उस बात के लिए तैयार नहीं है।

दुर्भाग्य यह है कि इस देश में जब कोई मुसलमान हिन्दू को बचाने के लिए खड़ा होता है, तो उसकी मुसलमानों के हाथ हत्या होती है और जब कोई हिन्दू मुसलमानों को बचाने के लिए खड़ा होता है, तो हिन्दुओं के हाथ से उसकी हत्या होती है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल द्वारा शिकोह, महात्मा गांधी हैं और आज के युग में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जो शहादत दी है, वह हिन्दुस्तान के इतिहास में मिसाल बन गई है।

[अनुवाद]

सैयद शाहबुद्दीन (किसनगंज) : अध्यक्ष महोदय, जब गांधी जी ने साबरमती के तट पर आश्रम किया था तब से काफी समय हो चुका है तथा 1948 में गांधी जी की हत्या के बाद इस देश में कई बार गांधी की हत्या हुयी है। हम यहां कायरता से भरकर बात कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय हम सब उग्र अपराधी हैं, राज्यमन्त्री श्री चिदम्बरम ने अहमदाबाद जाकर स्थिति के प्रति जो जिम्मेदारी की भावना का प्रदर्शन किया उसके लिए मैं उनकी प्रशंसा करता हूं। संभवत: वह खेल में नये है। वह नये उम्मीदवार हैं। वह युवा भी है। वहां हिंसा की गम्भीरता दुखद प्रकरण, आतंक तथा क्रूरता पर उन्होंने गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिया और हम लोगों के समक्ष वह इस प्रकार से हृदय विगन्तित होकर पेश हुये कि हम सबके हृदय पसीज गये। मैं आशा करता हूं कि इस देश में सांप्रदायिक हिंसा की बार-बार आवृति और प्रकोप उन्हें इस तरह से कठोर नहीं बनायेगा जिस तरह से हममें से अधिकांश हो गये हैं।

आज हम मानवीय वेदना के प्रति मानवीय कष्टों के प्रति संवेदनशील नहीं रहे हैं। अध्यक्ष महोदय मैं कहना चाहूंगा कि हम स्वयं को प्रत्येक दुखित व्यक्ति के दु:ख में भागीदार बनाये। हम प्रत्येक हृदय के दु:ख को बटाये। हमें अल्पसंख्यकों के मस्तिष्क में व्याप्त असुरक्षा की भावना को केवल मुस्लिम सम्प्रदाय के मस्तिष्क में व्याप्त असुरक्षा की भावना समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। हमें यह भी देखना होगा कि इस देश का प्रत्येक व्यक्ति प्रत्येक नागरिक चाहे जहां

भी हो, अपने को सुरक्षित महसूस करे, तथा कानून का उचित संरक्षण प्राप्त करे चाहे वह कश्मीर में हो या आसाम में, या गुजरात, महाराष्ट्र या उत्तर प्रदेश में।

श्रीमान जी, हम जीवन के अधिकार पर चर्चा कर रहे हैं और अध्यक्ष महोदय जीवन का अधिकार एक महत्वपूर्ण मौलिक अधिकार है। यह सभ्यता के पूर्व विद्यमान था। यह संस्कृति के पूर्व विद्यमान था। मानवीय इतिहास के पहले इसका अस्तित्व था। इसका अस्तित्व हर चीज के पहले था। यह सभी मानवीय मूल्यों के पहले था। और यदि एक सभ्य सरकार लोगों के जीवन की सुरक्षा नहीं कर सकती तो उसे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। यदि हमें जंगल के नियमों पर छोड़ दिया गया है तो हमें किसी भी समय घातक छुरे के प्रहार का सामना करना पड़ सकता है या भयानक अग्नि का तो सरकार को एक संस्था की तरह समाप्त हो जाना चाहिए।

8.00 म० प०

श्रीमान जी हमें सांप्रदायिक तनाव और हिंसा के बीच अन्तर करना चाहिए। हमारे देश में सांप्रदायिक संवेदनशीलता न केवल पाठ्य पुस्तकों द्वारा, प्रेस द्वारा, बल्कि ऐसे संगठनों द्वारा भी फैलायी जा रही है जो सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने पर तुली हुई है।

यही वे संगठन है जो सांप्रदायिक हिंसा का उपदेश देते हैं। यही वे संगठन हैं जो कहते हैं कि देश एक विशेष अर्थ में केवल एक समुदाय का है। यही वे संगठन हैं जो दूसरे समुदायों पर आक्षेप लगाते हैं, तथा उन्हें अराष्ट्रीय कहकर पुकारते हैं और उनकी राज्य निष्ठा पर प्रश्न चिह्न लगाते हैं। यही संगठन सद्भावना पूर्ण लोगों के हृदयों में तिक्तता, घृणा तथा हिंसा के बीज बोते हैं। हमें लोगों के हृदयों में सुरक्षा की भावना भरनी है। हमें देश की अखण्डता की रक्षा करनी है। इन संगठनों की हम पहचान करें, उनका पर्दाफाश करें यदि वे धार्मिक छद्मवेश में हो तो उन्हें बेनकाब करें। एक नागरिक के रूप में हमारा यह कर्तव्य है कि हमें उन्हें बेनकाब कर सामने लाये।

यदि हमने सांप्रदायिक संवेदनशीलता को जीत लिया, अध्यक्ष महोदय तभी हम सांप्रदायिक हिंसा से लड़ाई आरंभ कर सकेंगे क्योंकि हिंसा मानव के हृदय से ही शुरू होती है। हिंसा में केवल हाथों का ही प्रयोग नहीं होता सांप्रदायिक हिंसा सुनियोजित होती है। हथियार किसी स्थान पर स्वत: नहीं उत्पन्न हो जाते। उन्हें इकट्ठा किया जाता है। उन्हें बाँटा जाता है। अफवाहें बनाई जाती है और फैलायी जाती है। योजनाएं बनायी जाती है, इस खेल में ये संगठन शामिल हो जाते हैं तथा वे जानबूझ कर हिंसा करवाते हैं।

अध्यक्ष महोदय, हमें एक चीज समझनी चाहिए, सांप्रदायिक हिंसा संभवत: जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में प्रवेश कर गई है। पुलिस इससे कैसे मुक्त हो सकती है? और इसीलिए आज सांप्रदायिक हिंसा अनेक रूप धारण कर चुकी है। यह भीड़ द्वारा की गई हिंसा नहीं रह गई है बल्कि पुलिस, जो कानून तथा व्यवस्था की संरक्षक है, जो जान तथा माल की रक्षक है और विभिन्न समुदायों के बीच विवेकहीन हिंसक टकराव का रूप ले चुकी है। माननीय मन्त्री जी को इस दिशा में ठोस कदम उठाना है।

आपकी अनुमति लेते हुये अध्यक्ष महोदय, मैं एक या दो बातें सुझाना चाहूंगा। लोग जुलूसों की बात करते हैं। जुलूसों पर प्रतिबन्ध नहीं लगाया जा सकता। लेकिन कृत्रिम, राजनीति प्रेरित जुलूसों जो प्रतिदिन निकाले जा रहे हैं तथा परम्परागत जुलूसों जिनके साथ लोगों की भावनाएं अनुबद्ध है के बीच समुचित अन्तर किया जा सकता है। इन ऐतिहासिक तथा परम्परागत जुलूमों को ठीक ढंग से नियंत्रित किया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय, प्रेस के विरुद्ध कदम उठाये जाने चाहिए। माननीय राज्य मंत्री द्वारा दिये गये आंकड़े संकेत मात्र है। मेरा यह भी कहना है कि पुलिस को न केवल एक मिला-जुला बल ही बनाया जाना चाहिए, बल्कि इसे कि संयुक्त बल के रूप में संवेदनशील क्षेत्रों में नियुक्त किया जाना चाहिए जिससे लोग पुलिस में अपना प्रतिनिधित्व पा सके तथा उन्हें उसमें विश्वास हो सके।

हमने सेनाओं की बात की है। हम सेनाओं को समाप्त नहीं कर सकते। हम कब तक इस देश से सेनाएं समाप्त नहीं कर सकते जब तक एक औसत भारतीय वह चाहे किसी समुदाय से सम्बन्धित हो, को पुलिस में विश्वास नहीं हो जाता, यदि पुलिस का व्यवहार पक्षपातपूर्ण है यदि पुलिस किसी एक जाति या सामाजिक समूह का पक्ष लेती है तो ऐसा नहीं किया जा सकता।

अन्त में, मैं यह भी कहना चाहूंगा कि दण्ड सम्बन्धी शुल्क का पुनः प्रावधान किया जाये। दण्ड शुल्क को इस ढंग से एकत्र और वितरित किया जाये कि मुस्लिम समुदाय को पहुंची क्षति के लिए हिन्दू समुदाय भुगतान करे तथा हिन्दू समुदाय को पहुंची क्षति के लिए मुस्लिम समुदाय क्षति पूर्ति करे। इस प्रकार हम वह संबन्ध और अन्योन्याचिता की भावना का विकास कर सकेंगे जो सभ्य जीवन का सार है।

अंत में, मैं एक सुझाव देना चाहूंगा। हमने न्यायायिक जांच की बात की है। न्यायायिक जांच में मुझे विश्वास नहीं है। इसके प्रतिवेदनों को कोई नहीं देखता। नई व्यवस्था के अन्तरगत हम इन प्रतिवेदनों को संसद में देख सकेंगे। मेरी आपसे अपील है और आपके द्वारा सरकार से अपील है कि सभी प्रकार की साम्प्रदायिक हिंसा पर स्थायी निगरानी रखने के लिए एक संसदीय समिति स्थापित की जाये क्योंकि मानवीय जीवन को बचाने तथा देश को साम्प्रदायिक व्याधि एवं अग्नि से रक्षा करने से बढ़कर महत्वपूर्ण कोई कार्य नहीं है। हिंसा पर निगरानी रखी जाये उस क्षेत्र का समिति दौरा करे जिसको अग्नि अपनी पकड़ में ले चुकी है; वह उस अग्नि पर पानी डाले। आज सरकारी नीति की फायर ब्रिग्रेडी दृष्टिकोण कहकर आलोचना की गयी है। मेरी शिकायत यह नहीं है कि यह फायर ब्रिग्रेड भेजती है। मेरी शिकायत यह है कि यह फायर ब्रिग्रेड अग्नि पर पानी डालने के बजाय उस पर पेट्रोल डालती है इस प्रकार फायर ब्रिग्रेड ज्वाला को बढ़ाने में मदद करती है बुझाती नहीं है।

श्री एस० बी० सिदनाल (बेलगाम) : हमारे सामने समस्या यह है कि क्या हम विधान द्वारा या सामाजिक बहिष्कार द्वारा सांप्रदायिकता विस्तार को कम कर सकते हैं या इसको जड़ से समाप्त कर सकते है भारत में बहुत से धर्म, जाति, पंथ आदि हैं। यह हिन्दू और मुस्लमान के बीच केवल सांप्रदायिकता का ही प्रश्न नहीं है। उसी समुदाय या धर्म के भीतर विभिन्न जातियों के बीच सांप्रदायिक भावनाएं होती हैं। हम भाषा पर और राज्यों की सीमाओं पर भी विवाद करते

हैं। हम क्या करते हैं ? क्या विधान द्वारा या सामाजिक संस्था द्वारा या मजबूत विधेयक के माध्यम से इसको नियंत्रित कर सकते हैं ? विधान द्वारा कई चीजों को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। उन्हें कई संस्थाओं के माध्यम से सामाजिक बहिष्कार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है ।

शिक्षा में असमानता एक महत्वपूर्ण चीज है। अत: मेरा सुझाव यह होगा कि लोगों को शिक्षा दी जाए। यदि हम लोगों को शिक्षा देते हैं तो इसका पता लगाया जा सकता है क्योंकि जब एक नागरिक उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षित और योग्य होता है तो वह सांप्रदायिक दंगो के परिणाम जान पाएगा; उसे किसी संस्थान या धर्म द्वारा बताया जा सकता है। वह समाज की ओर अपनी जिम्मेदारी, कर्तव्य और दायित्व जान सकता है।

युवाओं के विचार में आर्थिक असमानता भी कुंठा पैदा करती हैं जब उन्हें शिक्षा नहीं मिलती हैं, जब उन्हें रोजगार नहीं मिलता और वे बेरोजगार होते हैं। तो कोई भी अमीर व्यक्ति, तस्कर, अवैध मद्य-व्यापारी उन्हें थोड़े-पैसों के लिए नियुक्त कर सकता है और एक विशेष चीज को आग लगाने के लिए उन्हें रख सकता है, चाहें वह इस धर्म से संबंधित हो या उस धर्म से। हमारे पास पूरे विश्व में एक उदाहरण है अर्थात् ईरान-इराक युद्ध; यह एक ही समुदाय से सम्बन्धित हैं। वहां क्या हैं ? विवाद क्या है ? यह आर्थिक भिन्नता या गलतफहमी या आपसी संदेह या आपसी अविश्वास हो सकता है।

हमारे सामने क्या उपाय है ? पुलिस पर दोष लगाया जाता है; समाचार पत्र पर दोष लगाया जाता है और राजनैतिक नेताओं पर दोष लगाया जाता है। क्या वे जिम्मेदार है ? मेरी राय में कई अन्य स्त्रोत हैं जो जिम्मेदार हैं। हम बहुत-सी बातें जानते हैं और हम उनकी बात नहीं करते हैं। कई बार हम दर्शन का उपदेश देते हैं लेकिन उसे कभी व्यवहार में नहीं लाएं। हाल ही में, कर्नाटक में भाषा के ऊपर लगभग एक दर्जन लोगों की हत्या की गई थी जिसका कोई कारण नहीं था और हम सभी भारतीय हैं तथा हम भाई हैं परन्तु अभी भी हम आपस में वध करते हैं। यह बहुत दुर्भाग्य की बात है। राष्ट्रीय अखण्डता प्राप्त करने का यही उचित समय है। प्रत्येक व्यक्ति जानता है कि बड़े शहरों में जहां गंदी बस्ती होती है, जहां अधिक जनसख्या होती है वहां केवल साम्प्रदायिक दंगे भड़कते हैं। ऐसा क्यों बनाया गया है ? कारण यह है कि लोग गांव से शहर जाते हैं और वहां ठहरते हैं। वहां यह स्थान लेता है। यह गांवों मे कभी नहीं होता है। सांप्रदायिक व्यापारी बहुत थोड़े से हैं उन्हें प्रत्यक व्यक्ति जानता है। अत: उन पर उचित रूप से निगरानी रखी जानी चाहिए।

हाल ही में इससे कर्नाटक में ऐसा हुआ है। हमें इसके बारे में पहले कभी भी पता नहीं था परन्तु बहुत सोच-समझ कर इसका षड्यंत्र रचा गया था। उदाहरण के लिए हुबली में एक व्यक्ति रिक्शा में बैठा हुआ था। जो व्यक्ति रिक्शा में बैठा हुआ था वह एक विशेष समुदाय से सम्बन्धित था जबकि रिक्सा खींचने वाला दूसरे समुदाय से संबंधित था। अधिक अदायगी पर उन्होंने झगड़ा किया और साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठे। हम नहीं जानते है कि यह कहां से शुरू हुआ था और यह किस प्रकार से शुरू हुआ था; जब एक घर में आग लगाई गई थी; हम नहीं जानते कि किस तरफ से आग आई। अत: कई उपदेश दिए गए थे, कई संदेहों को ध्यान में रखा गया था। यह प्रत्येक व्यक्ति तक फैल गया और प्रत्येक स्थान पर प्रत्येक चीज पर संदेह होता है।

इसलिए, मैं महसूस करता हूं कि अधिकारियों की विशेष भर्ती होनी चाहिए। उन्हें उसी प्रकार से प्रशिक्षित किया जाना चाहिए जिस प्रकार से कमांडो को प्रशिक्षित किया जाता है तथा उन्हें निगरानी के लिए रखा जाना चाहिए क्योंकि हमने उत्तर प्रदेश और पूरे देश में ऐसे जिलों का पता लगाया है जहां यह हमेशा होते हैं। हम अपने स्कूल के दिनों से समाचार पत्र पढ़ते आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश वाराणसी में भी यह सभी कुछ हो रहा है। क्या हम उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकते हैं ? मैं इन चीजों पर विचार करने के लिए मन्त्री जी और प्रधान मन्त्री को धन्यवाद देता हूं। समाचार पत्रों में इसको केवल भड़काने के लिए किसी भी चीज को बढ़ा चढ़ाकर कहा जाता है; और विधान द्वारा विशेषरूप से आचार संहिता बनाई जानी चाहिए कि इस प्रकार की चीजों की निन्दा करनी चाहिए। तथा दूसरी बात अन्त में यह है कि सांप्रदायिक सामंजस्य को प्रेरित किया जाना चाहिए। बहुत-सी पाठ्य पुस्तकों में विख्यात लोगों का उल्लेख किया जाता है तो पहला वाक्य जो बच्चा पढ़ता है वह यह है कि वह व्यक्ति अमुक समुदाय से सम्बन्धित था। इसलिए हमें होशियार रहना होगा तथा चाहे और हम सभी को चाहे हम किसी भी दल से सम्बन्धित हो साम्प्रदायिक सोहार्दता को सुनिश्चित करना होगा।

अन्त में, मैं उद्धृत करता हूं :

[हिन्दी]

तू हिन्दू बनेगा न मुसलमान बनेगा
इन्सान की औलाद है इन्सान बनेगा।

डा० गुलाम याजदानी (रायगंज) : देश की आजादी के बाद यह आशा थी कि साम्प्रदायिक दंगे समाप्त हो जाएंगे। परन्तु दुर्भाग्य से हम देखते हैं कि हमारे देश में इस प्रकार के हजारों दंगें हुए हैं और हाल ही में इलाहाबाद तथा अहमदाबाद में इस प्रकार के दंगे हुए हैं और राज्य सरकार के पास उपलब्ध तन्त्र के बावजूद अभी भी अहमदाबाद में वह बार-बार हो रहे हैं। परंतु वे तभी रूके जब हमारे माननीय मंत्री श्री चिदम्बरम वहां गए और उन्होंने उन्हें नियंत्रित किया। इन साम्प्रदायिक दंगों के कारण विदेशों में हमारी प्रतिष्ठा गिरती जा रही है और हमें इन सभी सांप्रदायिक दगों को रोकना चाहिए।

यह देखा गया है कि यह सांप्रदायिक दगे उन स्थानों पर होते हैं जहां मुसलमान आर्थिक दृष्टि से थोड़ी अच्छी स्थिति में होता है और इनकी योजना पहले से बनाई गई होती है तथा इन स्थानों पर मुसलमानों का नाश करना और उनके व्यापार तथा धन्धों को बरबाद करना ही अधिकतर इन दंगों का अभिप्राय है। अनेक स्थानों पर पुलिस हमलावारों का साथ देती देखी गई है। अहमदाबाद में देखा गया है कि बहुत से मुसलमानों ने कर्फ्यू के दौरान पुलिस के हाथों नुकसान उठाया है। मुसलमानों के प्रति सांप्रदायिक घृणा इस प्रकार के दंगों की जड़ है। विश्व हिन्दू परिषद्, भारतीय हिन्दू परिषद तथा राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, शिव सेना आदि सांप्रदायिक संस्थाएं इस तरह की भावनाएं फैला रही हैं। राष्ट्रीय स्वय सेवक संघ अर्ध सैनिक संगठन है।

विश्व हिन्दू परिषद विभिन्न स्थानों पर विशाल सभाएं आयोजित कर रही है और वे इन विचारों को व्यस्त करते हैं कि मुसलमान हिन्दुओं के शत्रु हैं। वे कहते हैं कि हम मुसलमानों के रक्त में स्नान करेंगे और उन्हें देश से निकाल देंगे। श्री बाल ठाकरे का तो ऐसा कथन रिकार्ड में है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुसलमानों को बाहर निकाल कर पाकिस्तान भेज दिया जायेगा।

इस प्रकार के इन सांप्रदायिक संस्थानों को ध्यान में रखना चाहिए। हालांकि, मुख्य रूप से यह उन राज्य सरकार की जिम्मेदारी है जहां पर ये दंगे होते हैं। इन साम्प्रदायिक दंगों को रोकने के लिए उनके पास सभी संसाधन तथा उपाय हैं और इन दंगों के बार-बार होने के लिए मैं समझता हूं कि केवल राज्य सरकारें ही जिम्मेदार हैं। उनके पास आई एण्ड बी विभाग है जो समय रहते दंगों को रोकने के लिए उन्हें पर्याप्त सूचना दे सकता है। राज्य सरकारों को पुलिस को ये स्थाई आदेश देने चाहिएं कि वे किसी भी ऐसे व्यक्ति को गोली मार दें जो साम्प्रदायिक दंगें शुरू करने का प्रयास करे और अपने कर्त्तव्य में असफल रहने पर पुलिस के लोगों को भी दण्डित किया जाये।

इसके विपरीत हम देखते हैं कि जब मुरादाबाद और मेरठ जैसे शहरों में दंगे हुए तो पुलिस और पी० ए० सी० के कार्मिकों को, जो इन दंगों के लिए जिम्मेदार थे। स्थानान्तरित नहीं किया गया था तथा उन्हें सजा नहीं दी गई थी।

सभापति महोदय : कृपया अब अपना भाषण समाप्त करें।

डा० गुलाम याजदानी : आपने प्रत्येक सदस्य को समय दिया है मुझे भी अपनी बात पूरी करने दें। चूंकि पुलिस और पी० ए० सी० के कार्मिक अपनी ड्यूटी में असफल पाए गए हैं इसलिए यह सुझाव दिया गया था कि मुसलमानों को बड़ी संख्या में इन सेवाओं में लिया जाना चाहिए ताकि मुसलमान आश्वस्त हो सकें। पर यह काम अभी तक नहीं किया गया है।

यह पाया गया है कि सांप्रदायिक दंगों के लिए जिम्मेदार किसी अपराधी को कभी सजा नहीं गई दी है। मेरा सुझाव है कि उन लोगों को फांसी पर चढ़ाया जाना चाहिए। ताकि दूसरों को सबक हासिल हो। बहुत से समाचार पत्र मुसलमानों के विरुद्ध दंगों की झूठी और भड़काने वाली खबरें छापते हैं। इन पत्रों के विरुद्ध कार्यवाही की जानी चाहिये। देश में दंगों के कारण मुसलमान लोग असुरक्षित हैं और सरकार को उन्हें आश्वस्त करना चाहिए।

मेरा एक अन्य सुझाव है। स्कूलों की कुछ पाठ्यपुस्तकें मुसलमानों के विरुद्ध घृणा फैलाती हैं। सरकार को इस बारे में कार्यवाही करनी चाहिए।

अन्त में मेरा एक सुझाव है। राष्ट्रीय एकता परिषद को आगे आना चाहिए और उन सभी स्थानों का दौरा करना चाहिए जहां साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं और उन्हें स्थानीय धर्म-निरपेक्ष लोगों तथा अन्य लोकतांत्रिक शक्तियों की सहायता से इस साम्प्रदायिक समस्या को सुलझाएं।

अन्त में, मैं कहना चाहता हूं कि पूरे देश में बाबरी मस्जिद के बारे में साम्प्रदायिक तनाव है। इस समस्या का समाधान किया जाना चाहिये।

इन शब्दों के साथ मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं।

श्री डी० बी० पाटिल (कोलाबा) : क्योंकि हमारे पास समय बहुत कम है इसलिए मैं सभी मुद्दों को छोड़कर माननीय गृह मन्त्री से केवल एक ही उपयुक्त प्रश्न पूछूंगा। मैं आशा करता हूं कि प्रश्न को उचित रूप से पूछने के लिए आप मुझे पर्याप्त समय देंगे। कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में हस्तक्षेप करते समय आन्तरिक सुरक्षा राज्य मन्त्री के उत्तर की पृष्ठभूमि में मेरा प्रश्न है। मैं केवल एक मार्गदर्शी सिद्धान्त का उल्लेख करता हूं। उन्होंने कहा था कि साम्प्रदायिक अशांति के लिए कलेक्टर और एस पी सीधे जिम्मेदार होंगे हालांकि उनकी सेवाएं केन्द्रीय सरकार के

अन्तर्गत सीधी नियंत्रित नहीं है। जब उन्होंने ऐसा कहा तो उन्होंने जोरों से प्रशसा की थी। मुझे मार्गदर्शी सिद्धान्तों के बारे में कुछ नहीं कहना है और मुझे उस जोशीले भाषण के बारे में भी कुछ नहीं कहना है जिस पर तालियां बजाई गई थी। जहां तक सांप्रदायिक अशांति का संबंध है, गुप्तचरी की असफलता के कारण यदि सांप्रदायिक अशांति को नियंत्रित करने में असफल रहने पर सीधे कलेक्टर और एस पी को जिम्मेदार ठहराया जाता है और यदि इस बहुत महत्वपूर्ण मामले पर केन्द्रीय सरकार की असफलता साबित हो जाती है, तो किसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।

हम सोमवार से बहुत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा कर रहे हैं। कई वक्ताओं ने यहां बोला हैं। जहां तक इस समस्या का सम्बन्ध है, सरकार बहुत गंभीर लगती है। परन्तु जहां तक सरकार की कार्रवाई का सम्बन्ध है सरकार कोई कार्यवाही नहीं करती है। जहां तक साम्प्रदायिक आशन्ति का सम्बन्ध है, मेरा आरोप है कि सरकार का रवैया उपेक्षापूर्ण है। आज एक तारांकित प्रश्न संख्या 89 था। दो सदस्यों ने यह प्रश्न पूछा था। प्रश्न जनवरी, 1986 से जुलाई, 1986 के दौरान हुए साम्प्रदायिक दगों के स्थानों के सम्बन्ध में था। उसमें निश्चित समय दिया गया था। जब सरकार से देश में साम्प्रदायिक दंगों के इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी मांगी गई तो क्या सरकार का यह कर्तव्य नहीं था कि जानकारी भली प्रकार एकत्रित करके सदन को दे? क्या ऐसा किया गया है? ऐसा नहीं किया गया। यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है। यदि केंद्र सरकार की गुप्तचर व्यवस्था असफल हो गई है तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यद्यपि मध्य-प्रदेश और कश्मीर में भी साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं—मैं उनका ब्यौरा दे सकता हूं—वक्तव्य में इन स्थानों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। केवल यही नहीं। मैं महाराष्ट्र का रहने वाला हूं। महाराष्ट्र के सम्बन्ध में जानकारी यह है कि केवल नासिक और पंवल में ही साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। मैं आपको बता सकता हूं कि इन दो स्थानों के अतिरिक्त भिवंडी और-गाबाद, समगामनर और उमापुर तथा अन्य स्थानों पर भी दगे हुए हैं। इन स्थानों पर अत्याधिक साम्प्रदायिक दंगे हुए हैं। किन्तु वक्तव्य में इन स्थानों का कहीं उल्लेख नहीं किया गया। औरंगाबाद में दो बार दंगे हुए—एक बार जनवरी में हुए फिर मई में हुए। मैं माननीय गृहमन्त्री जी से एक प्रासगिक प्रश्न पूछना चाहता हूं। क्या यह आपकी इंटेलीजेंस की असफलता नहीं है? यदि ऐसा है क्या हमें गृह मंत्री अथवा प्रधान-मन्त्री से त्याग-पत्र मांगना चाहिए?

मारे गए व्यक्तियों के बारे में भी जानकारी मांगी गई थी। यदि सरकार इस बात को गम्भीरतापूर्वक लेती तो क्या सही जानकारी न दी जाती। किन्तु गलत जानकारी दी गई है। जहां पंवल में मरने वालों की संख्या का सम्बन्ध है, यह तीन है किन्तु यह बताया गया है कि मरने वालों की सख्या दो है। मेरठ में सरकारी जानकारी के अनुसार मरने वालों की संख्या 7 है किन्तु यह बताया गया है कि वहां पर केवल दो व्यक्तियों की मृत्यु हुई है। इन बातों को देखते हुए, मरने वालों की सही संख्या नहीं बताई जा रही। इस सदन में एक प्रश्न पूछा गया था और ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न के सम्बन्ध में सही जानकारी नहीं दी जा रही,। और चूंकि सही जानकारी नहीं दी जा रही, यदि मैं इससे यह निष्कर्ष निकालूं कि सरकार इस मामले में गम्भीर नहीं है अथवा इस सम्बन्ध में सरकार का रवैया अत्यन्त लापरवाहीपूर्वक है, तो क्या मैं सही नहीं कह रहा? मेरे विचार में मैं ठीक कह रहा हूं क्योंकि यह एक अत्यन्त गम्भीर विषय है जिस पर पिछले तीन दिन से चर्चा चल रही है··· (व्यवधान)

सभापति महोदय : कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री डी० बी० पाटिल : अब मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। यद्यपि मुझे बहुत सी बातें कहनी हैं, परन्तु जैसाकि मैंने वचन दिया है, मैं उन सब बातों को छोड़ दूंगा। किन्तु अंत में मैं इतना कहना चाहता हूं कि यदि साम्प्रदायिक दंगों को समाप्त करना है तो उन्हें तत्काल रोकना होगा। वातावरण इतना दूषित हो चुका है कि कोई नहीं जानता कि कब, कहां, किन कारणों से साम्प्रदायिक दंगे भड़क उठें। क्या कोई कल्पना कर सकता है कि राज्य परिवहन की बस से उतरने वाले दो यात्रियों के बीच हुई कहा-सुनी केवल इसलिए साम्प्रदायिक दंगे में बदल जायेगी क्योंकि इन दो यात्रियों के बीच कोई झगड़ा हुआ है? इन तुच्छ कारणों से सांप्रदायिक दंगे होते रहे हैं। अतएव मेरा विचार यह है कि जब तक इस देश में धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक, प्रगतिशील, वामपंथी ताकतों को मजबूत नहीं किया जाता तब तक साम्प्रदायिक दंगे समाप्त नहीं किए जा सकते। अतः इन्हें यथासंभव शीघ्र मजबूत बनाया जाना चाहिए और सांप्रदायिक दंगों का केवल यही एक इलाज है।

सभापति महोदय : अब सदन की बैठक 24 जुलाई, 1986 को 11 बजे पुनः समवेत होने तक के लिए स्थगित होती है।

8.24 म०प०

तत्पश्चात् लोक सभा गुरुवार 24 जुलाई, 1986/2 श्रावण 1908 (शक) के 11 बजे म०पू० तक के लिए स्थगित हुई।

पी० एस० एस०-48/18/5/86 (एन०)
185

© 1986 लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (छठा संस्करण)
के नियम 379 और 382 के अन्तर्गत प्रकाशित और प्रबंधक,
सम्राट प्रेस, दिल्ली द्वारा मुद्रित।